



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड I) 2014-15



राजस्थान सरकार

**वित्त लेखे
(खण्ड I)**

वर्ष 2014-2015 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

| विषय | पृष्ठ |
|---|---------|
| खण्ड I | |
| ◆ विषय सूची | i-iii |
| ◆ भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र | iv-v |
| ◆ वित्त लेखे का मार्गदर्शन | vii-xii |
| विवरण 1. वित्तीय स्थिति का विवरण | 2-3 |
| विवरण 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण | 4-6 |
| विवरण संख्या 2 का अनुबंध | 7-9 |
| विवरण 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) | 10-14 |
| विवरण 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) | |
| क: कार्यकलाप के अनुसार व्यय | 15-21 |
| ख: प्रकृति के अनुसार व्यय | 22-27 |
| विवरण 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण | 28-35 |
| विवरण 6. उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण | |
| (i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण | 36-38 |
| (ii) ऋण सेवा | 39-40 |
| विवरण 7. सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण | |
| खण्ड: 1 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार | 41 |
| खण्ड: 2 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार | 42 |
| खण्ड: 3 बकाया रही वसूलियां | 43-45 |
| विवरण 8. सरकार के निवेशों का विवरण | 46 |
| विवरण 9. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण | 47 |
| विवरण 10. सरकार द्वारा दी गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण | |
| (i) वर्ष 2014-15 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण | 48-51 |
| (ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण | 52 |
| विवरण 11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण | 53-54 |
| विवरण 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्रोतों एवं आवेदन का विवरण | 55-58 |
| विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश | 59-60 |
| ◆ लेखाओं से टिप्पणियाँ | 61-82 |

विषय सूची - (क्रमशः)

पृष्ठ

खण्ड II

भाग I

| | | |
|-----------|---|---------|
| विवरण 14. | लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तिओं का ब्यौरेवार विवरण | 84-132 |
| विवरण 15. | लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण | 133-220 |
| | विवरण संख्या 15 का अनुबंध | 221-225 |
| विवरण 16. | लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण | 226-311 |
| विवरण 17. | उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण | |
| | (क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण | 312-319 |
| | (ख) परिपक्व रूपरेखा | 320-322 |
| | (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा | 323-324 |
| | विवरण संख्या 17 का अनुबंध | 325-334 |
| विवरण 18. | सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण | |
| | मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण | 335-373 |
| | अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण | 374-376 |
| विवरण 19. | सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण | |
| | खण्ड 1: 2014-15 तक के निवेशों का विवरण | 377-396 |
| | खण्ड 2: वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण | 397 |
| विवरण 20. | सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण | |
| | (क) वर्गवार गारन्टियों का विवरण | 398 |
| | (ख) गारन्टियों का विवरण | 399-406 |
| विवरण 21. | आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण | 407-419 |
| | विवरण संख्या 21 का अनुबंध | 420-425 |
| विवरण 22. | पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण | 426-442 |

विषय सूची - (समाप्त)

पृष्ठ

खण्ड II - (समाप्त)

भाग II

| | | |
|---------------|--|---------|
| परिशिष्ट I | संवेतन पर तुलनात्मक व्यय | 444-465 |
| परिशिष्ट II | सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय | 466-482 |
| परिशिष्ट III | राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान (संस्थावार तथा योजनावार) | 483-538 |
| परिशिष्ट IV | बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे | 539-540 |
| परिशिष्ट V | आयोजनागत योजना व्यय | |
| | (क) केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) | 541-569 |
| | (ख) राज्य आयोजनागत योजनाएं | 570-639 |
| परिशिष्ट VI | राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गैर अंकेक्षित आंकड़े) | 640-651 |
| परिशिष्ट VII | शेषों की स्वीकृति तथा समाधान (विवरण संख्या 18 में दर्शाये अनुसार) | |
| | अनुबंध क | 652 |
| | अनुबंध ख | 653 |
| परिशिष्ट VIII | सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम | 654-658 |
| परिशिष्ट IX | सरकार की वचनबद्धता- अधूरे पूंजी निर्माण कार्यों की सूची | 659-687 |
| परिशिष्ट X | संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय | 688-708 |
| परिशिष्ट XI | वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं | 709-710 |
| परिशिष्ट XII | सरकार के वचनबद्ध दायित्व | 711 |

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्ति एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है खंड I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें राजस्थान सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों {7(3), 8, 9, 10(ii), 19 तथा 20}, व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरण संख्या 14 के नीचे बिन्दु संख्या 2 तथा परिशिष्ट संख्या VIII के नीचे बिन्दु संख्या 3) और परिशिष्ट (IX तथा XI) को राजस्थान सरकार जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है। परिशिष्ट VI महालेखा नियंत्रक के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम पोर्टल से ली गई सूचना के अनुसार तैयार किया गया है।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्त्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं से टिप्पणियां' के साथ पठित वित्त लेखे वर्ष 2014-15 के लिए राजस्थान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली राजस्थान सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल है।

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक :

स्थान : नई दिल्ली,

वित्त लेखे का मार्गदर्शन

क. सरकारी लेखों के ढाँचे का विस्तृत विश्लेषण

1. राजस्थान राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्रामियां तथा खर्चों के लेखे साथ ही राजस्व एवं पूंजी लेखों द्वारा प्रकट किये गये वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखे तथा लेखों में दर्ज शेषों से निकाले गये राज्य सरकार के दायित्वों एवं सम्पत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।
2. सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग-I : समेकित निधि: यह निधि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उगाये गये सभी कर्ज (बाजार कर्ज, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुर्नभुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सभी धन को समाहित करती है। इस निधि से कानून एवं उद्देश्य के अनुसार तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके के अतिरिक्त धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय के निश्चित संवर्ग (उदाहरण के लिये संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुर्नभुगतान इत्यादि) राज्य की संचित निधि (भारत व्यय) पर एक भार बनाती है तथा विधान मण्डल द्वारा मताधिकार का विषय नहीं है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान सभा द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग शामिल हैं: राजस्व तथा पूंजी (लोक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)। ये आगे "प्रामियां" एवं "व्यय" में वर्गीकृत है। राजस्व प्रामियां वर्ग तीन खण्डों में विभक्त है, अर्थात् "कर राजस्व", "करेतर राजस्व" तथा "सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान"। ये तीनों खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त होते हैं जैसे "आय तथा व्यय पर कर", "राजकोषीय सेवाएं", इत्यादि। पूंजीगत प्रामियां भाग में कोई खण्ड अथवा उपखण्ड नहीं होता है। राजस्व व्यय वर्ग चार खण्डों में विभक्त हैं अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "सामाजिक सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं" तथा "सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान"। राजस्व व्यय वर्ग में ये खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त हैं जैसे "राज्य के अंग", "शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति" इत्यादि। पूंजीगत व्यय वर्ग सात खण्डों में विभक्त है अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "सामाजिक सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं", "लोक ऋण", "कर्ज तथा पेशगियां", "अन्तरराज्यीय निपटान" तथा "आकस्मिकता निधि में अंतरण"।

भाग-II : आकस्मिकता निधि: यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसकी स्थापना विधि के तहत राज्य विधान मण्डल द्वारा की जाती है तथा ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत लम्बित हो, की पूर्ति हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। निधि को राज्य की संचित निधि से सम्बन्धित कार्यकारी मुख्य शीर्ष को व्यय नामे करते हुए पूरित किया जाता है। वर्ष 2014-15 के लिये राजस्थान सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 500 करोड़ है।

भाग-III : लोक लेखा: सरकार द्वारा अथवा की ओर से प्राप्त अन्य समस्त लोक धनराशियां, जहां सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा होती है। लोक लेखा में पुर्नदेयताएं जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियां, जमाएं (ब्याज वाली एवं बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली एवं बिना ब्याज वाली), प्रेषण तथा उचन्त शीर्ष (दोनों जो अनित्य शीर्ष हैं, अन्तिम लेखांकन देय) शामिल होती है। सरकार का उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखे के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखे में छः खण्ड सम्मिलित है अर्थात् "अल्प बचत, भविष्य निधि आदि", "आरक्षित निधियां", "जमा एवं अग्रिम", "उचन्त तथा विविध", "प्रेषण" तथा "रोकड़ शेष"। ये खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त होते हैं। लोक लेखा विधान मण्डल के मत का विषय नहीं है।


वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

- सरकारी लेखे छह स्तरीय वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं, अर्थात् मुख्य शीर्ष (चार अंक), उपमुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (दो अंक), समूह शीर्ष (दो अंक) तथा विस्तृत शीर्ष (दो अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का द्योतक है, उपमुख्य शीर्ष उपकार्यों, लघु शीर्ष कार्यक्रम/कार्यकलापों, उपशीर्ष योजनाओं, समूह शीर्ष उपयोजनाओं तथा विस्तृत शीर्ष व्यय के अभिप्राय/उद्देश्य का द्योतक है।
- लेखों में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग तरीका शामिल है (31 मार्च 2015 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार):-

| | |
|--------------|--|
| 0020 से 1606 | राजस्व प्राप्तियां |
| 2011 से 3606 | राजस्व व्यय |
| 4000 | पूंजीगत प्राप्तियां |
| 4046 से 7810 | पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, कर्जे तथा पेशगियां सहित) |
| 7999 | आकस्मिकता निधि को विनियोजन |
| 8000 | आकस्मिकता निधि |
| 8001 से 8999 | लोक लेखा |

- वित्त लेखे, सामान्यतया (कुछ अपवादों के साथ), लघु शीर्ष तक संव्यवहार दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर दिखाये जाते हैं, अर्थात् खर्च की कटौती के रूप में वसूलियों के लेखांकन के बाद। यह तरीका विधान मण्डल को प्रस्तुत अनुदान की मांगों तथा विनियोग लेखों में दर्शाने से भिन्न है जहां व्यय सकल स्तर पर दिखाये जाते हैं।
- सरकारी लेखे के ढांचे का सचित्र प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

सरकारी लेखे का ढांचा



वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

ख. वित्त लेखे में क्या शामिल है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत होते हैं।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे का मार्गदर्शन, तैरह विवरण जो चालू वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा सव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना देते हैं, लेखाओं से टिप्पणियां तथा लेखाओं से टिप्पणियां का परिशिष्ट सम्मिलित है। **खण्ड I के तेरह** विवरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

- 1. वित्तीय स्थिति का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के वर्ष के अन्त में विद्यमान संचयी आकड़ों तथा पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति से तुलना को दर्शाता है।
- 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण :** यह विवरण सभी तीन भागों, अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, में वर्ष के दौरान राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक अनुबन्ध शामिल है जो सरकार के रोकड़ शेष (निवेशों को शामिल करते हुए) को अतिरिक्त रूप में दर्शाता है। अनुबन्ध सरकार की अर्थोपाय स्थिति को भी विस्तृत रूप में दर्शाता है।
- 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, उधार तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के पुर्नभुगतान को सम्मिलित करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II में विस्तृत विवरण 14, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
- 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) :** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर तक के सामान्य वर्णन से अलग यह विवरण गतिविधि की प्रकृति के अनुसार (व्यय का उद्देश्य) भी व्यय का विवरण देता है। यह विवरण खण्ड-II में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
- 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के समतुल्य है।
- 6. उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण:** सरकार की उधारों में इसके द्वारा उगाये गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम समाहित हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियां' तथा 'जमा' समाहित है। विवरण में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है तथा खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के समतुल्य है।
- 7. सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणी जैसे संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत गृहीता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिये गये सभी कर्जे तथा पेशगियों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के समतुल्य है।
- 8. सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरण संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूंजी में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के समतुल्य है।
- 9. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जे का मूल तथा ब्याज के पुर्नभुगतान पर दी गयी गारन्टियों का सार प्रस्तुत करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के समतुल्य है।

वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

10. **सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान का विवरण** : यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदान गृहीता जैसे, संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा वैयक्तिक को दिये गये समस्त सहायतार्थ अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण उपलब्ध कराता है।
11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण** : यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों का विनियोग लेखों में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ सादृश्य करने में सहायता करता है।
12. **राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं आवेदन का विवरण** : यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से चुकाने का अनुमान किया जाता है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व अधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरु में रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित किया जाता है।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सांराशः** यह विवरण लेखों की यथार्थता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के समतुल्य है।

वित्त लेखे के खण्ड II में 2 भाग सम्मिलित है- भाग I में 9 सांराशीकृत विवरण तथा भाग II में 12 परिशिष्ट।

खण्ड II का भाग I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 3 के समतुल्य है।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 4 के समतुल्य है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) तथा आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक से प्रदर्शित किये जाते हैं।
16. **लघुशीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के समतुल्य है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा प्रगामी) को आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) तथा आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय को पृथक से प्रदर्शित किया जाता है पूंजीगत व्यय को लघुशीर्ष स्तर तक प्रस्तुत करने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में यह विवरण उपशीर्ष स्तर तक भी ब्यौरे दर्शाता है।
17. **उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 का समतुल्य है, राज्य सरकार द्वारा उगाये गये सभी ऋण (बाजार कर्जे, बंध पत्र, केन्द्रीय सरकार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं से कर्जे, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम को शामिल करता है। यह विवरण तीन वर्गों में ऋण की सूचना को प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत कर्जे के ब्यौरे; (ख) परिपक्व रूपरेखा अर्थात् विभिन्न वर्षों में प्रत्येक वर्ग के ऋणों से सम्बन्धित देय राशि; तथा (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा; तथा बाजार कर्जों को दर्शाने वाला अनुबन्ध।
18. **सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 का समतुल्य है।
19. **सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण हस्ती अनुसार निवेशों के ब्यौरे तथा विवरण 16 तथा 19 के बीच, यदि कोई हो, मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार विसंगति के ब्यौरे दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 8 के समतुल्य है।
20. **सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण सरकारी गारन्टियों के हस्ती अनुसार ब्यौरे दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 9 के समतुल्य है।

वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

- 21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत अपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेषों को लघु शीर्ष स्तर पर दर्शाता है।
- 22. पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधियों तथा जमाओं (लोक लेखा) से किये गये निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में वेतन, सहाय्य, सहायतार्थ अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के सम्बन्ध में योजनावार व्यय, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए विभिन्न मदों पर **बारह परिशिष्ट** सम्मिलित है। लेखाओं में ब्यौरे उपशीर्ष स्तर अथवा नीचे तक (अर्थात् लघु शीर्ष स्तर से नीचे) प्रस्तुत किये जाते हैं तथा ऐसा सामान्यतः वित्त लेखों में नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I एवं II में विषय सूची पर दिखायी गयी है। विवरणों के साथ परिशिष्ट राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की सम्पूर्ण तस्वीर देता है।

ग. सुलभ मार्गदर्शन

नीचे दिया वर्ग खण्ड I में प्रकट संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से मिलाता है (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरण के साथ सीधा मिलान नहीं है, को नीचे नहीं दिखाया गया है)।

| मापदण्ड | संराशीकृत विवरण (खण्ड I एवं II) | विस्तृत विवरण (खण्ड II) | परिशिष्ट |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| राजस्व प्राप्तियां (अनुदान प्राप्ति सहित), पूँजीगत प्राप्तियां | 2,3 | 14 | |
| राजस्व व्यय | 2,4 | 15 | I (संवेतन), II (सहाय्य) |
| सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान | 2,10 | .. | III (सहायतार्थ अनुदान) |
| पूँजीगत व्यय | 1,2,4,5,12 | 16 | I (संवेतन) |
| सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम | 1,2,7 | 18 | |
| कर्ज की स्थिति/उधार | 1,2,6 | 17 | |
| सरकार का कम्पनियों, निगमों इत्यादि में निवेश | 8 | 19 | |
| रोकड़ | 1,2,12,13 | .. | |
| लोक लेखे में शेष तथा उसका निवेश | 1,2,12,13 | 21,22 | |
| गारन्टियां | 9 | 20 | |
| योजनाएं | | | IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (आयोजनागत योजना व्यय) |

वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (समाप्त)

घ. आवधिक समायोजन तथा बुक समायोजन

कुछ निश्चित संव्यवहार जो लेखे में प्रकट होते हैं, में पुस्तांकन के समय रोकड़ का वास्तविक चलन शामिल नहीं होता है। इस प्रकार के कुछ संव्यवहार लेखा भेजने वाली इकाइयों (जैसे कोषालय, विभाग इत्यादि) द्वारा उनके स्तर पर होते हैं। उदाहरण के लिये, वेतन से सभी कटौतियों के समायोजन को शामिल करते हुए संव्यवहार (सामान्य भविष्य निधि, दिये गये अग्रिमों की वसूलियां, इत्यादि) को कार्यात्मक मुख्य शीर्ष (सम्बन्धित विभाग को इंगित करते हुए) को डेबिट करते हुए तथा राजस्व प्राप्ति/कर्जे/लोक लेखे को बुक समायोजन से दर्ज किया जाता है इसी प्रकार 'शून्य' बिल, जहां धन समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य हस्तांतरित होता है, लेखा भेजने वाली इकाई स्तर पर हुए बिना रोकड़ के संव्यवहार को प्रस्तुत करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राज्य सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन व बुक समायोजन करता है, जिनका विवरण लेखाओं से टिप्पणियां के अनुबन्ध (खण्ड I) तथा सम्बन्धित विवरण की पाद टिप्पणियों में दिखाया गया है।

आवधिक समायोजन तथा बुक समायोजन के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

- (1) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन, उदाहरणार्थ राज्य आपदा मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, आरक्षित निधियां, मोचन निधि इत्यादि ।
- (2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखों में लेखे के जमा शीर्षों को जमा करना ।
- (3) सामान्य भविष्य निधि तथा राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन जहां ब्याज मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां तथा मुख्य शीर्ष 8009- राज्य भविष्य निधि तथा 8011- बीमा तथा पेंशन निधि को जमा द्वारा समायोजित किया जाता है ।
- (4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंषाओं पर आधारित भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत ऋण माफी का समायोजन । ये समायोजन (जहां केन्द्रीय कर्जे मुख्य शीर्ष 0075- विविध सामान्य सेवाएं को जमा करते हुए मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम में विपरीत प्रविष्टि से अपलिखित किये जाते हैं) दोनों राजस्व प्राप्ति तथा लोक ऋण शीर्षों को असर डालती है ।

ङ. पूर्णांक

₹ 0.01 लाख/ करोड़ का अन्तर, जहां कहीं हो, पूर्णांक के कारण है।

संक्षिप्त विवरण

विवरण संख्या 1 – वित्तीय

| सम्पत्तियां ¹ | संदर्भ (क्र.सं.) | | 31 मार्च | 31 मार्च |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | लेखाओं से टिप्पणियां | विवरण संख्या | 2015 को | 2014 को |
| (₹ करोड़ में) | | | | |
| रोकड़ | | | | |
| (i) खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण | .. | 21 | 1.85 | (-) 0.32 |
| (ii) विभागीय शेष | .. | 21 | 1.00 | 1.07 |
| (iii) स्थायी रोकड़ अग्रदाय | .. | 21 | 3.26 | 3.52 |
| (iv) रोकड़ शेष निवेश | .. | 21 | 76,28.58 | 89,97.56 |
| (v) भारतीय रिजर्व बैंक से जमा | पैरा सं. 2(vi) | 21 | 29.41 | 6.67 |
| (vi) पृथक आरक्षित निधियों से निवेश ² | .. | 21 एवं 22 | 12,85.18 | 14,37.94 |
| पूंजीगत व्यय | | | | |
| (i) निगमों, कम्पनियों आदि के अंशों में निवेश | पैरा सं. 3(iv) | 5, 8 एवं 19 | 2,79,09.59 | 2,35,18.00 |
| (ii) अन्य पूंजीगत व्यय | .. | 5 एवं 16 | 8,10,61.70 | 6,93,65.17 |
| आकस्मिकता निधि (अपूर्ति) | .. | .. | .. | .. |
| कर्ज तथा अग्रिम | पैरा सं. 3(iii) | 7 एवं 18 | 47,00.36 | 50,04.02 |
| विभागीय अधिकारियों की अग्रिम | .. | 21 | 5.74 | 2.89 |
| उचन्त तथा विविध शेष ³ | पैरा सं. 3(ix) | 21 | 62.71 | 22.72 |
| प्रेषण शेष | .. | .. | .. | .. |
| प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य ⁴ | .. | 12 | 2,67,06.09 | 2,31,91.03 |
| योग | | | 14,93,95.47 | 13,15,50.27 |

1. सम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी हैं। कृपया 'लेखाओं से टिप्पणियां' खण्ड में टिप्पणी 1 (ii) भी देखें।

2. राज्य सरकार के अनुसार पृथक आरक्षित निधियों में से कम्पनियों की अंश पूंजी आदि में कोई निवेश नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने पृथक आरक्षित निधियों में से केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया।

स्थिति का विवरण

| दायित्व ¹ | संदर्भ (क्र.सं.) | | 31 मार्च | 31 मार्च |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | लेखाओं से टिप्पणियां | विवरण संख्या | 2015 को | 2014 को |
| (₹ करोड़ में) | | | | |
| उधार (लोक ऋण) | | | | |
| (i) आन्तरिक ऋण | .. | 6 एवं 17 | 9,34,76.44 | 8,05,80.93 |
| (ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | | | |
| योजनेतर कर्ज | .. | 6 एवं 17 | 43.89 | 49.25 |
| राज्य योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | .. | 6 एवं 17 | 69,80.24 | 66,89.61 |
| केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | .. | 6 एवं 17 | 0.29 | 0.29 |
| केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | .. | 6 एवं 17 | 4.28 | 4.28 |
| अन्य कर्ज | .. | 6 एवं 17 | 5.40 | 5.40 |
| आकस्मिकता निधि (कॉरपस) | पैरा सं. 3(x) | 21 | 5,00.00 | 2,00.00 |
| लोक लेखे पर दायित्व | | | | |
| (i) अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि | .. | 6, 17 एवं 21 | 3,22,47.42 | 2,92,65.67 |
| (ii) जमा | .. | 21 एवं 22 | 1,35,65.10 | 1,21,53.97 |
| (iii) आरक्षित निधियां | पैरा सं. 3(vi) | 21 एवं 22 | 25,70.63 | 25,98.67 |
| (iv) प्रेषण शेष | .. | 21 | 1.78 | 2.20 |
| (v) उचन्त तथा विविध शेष | .. | .. | .. | .. |
| व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य | .. | .. | .. | .. |
| योग | | | 14,93,95.47 | 13,15,50.27 |

3. इस विवरण में पंक्ति मद "उचन्त तथा विविध शेष" में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी रोकड़ अग्रदाय' को सम्मिलित नहीं करता है जो अलग से ऊपर सम्मिलित है, यद्यपि बाद वाला इन लेखों में इस खण्ड के अन्य स्थान पर हिस्सा बनता है।

4. प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटे से अलग है।

विवरण संख्या 2- प्राप्तिों तथा संवितरणों का विवरण

| प्राप्तियां | 2014-15 | 2013-14 | संवितरण | 2014-15 | 2013-14 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------|
| | (₹ करोड़ में) | | | (₹ करोड़ में) | |
| भाग I- समेकित निधि | | | | | |
| अनुभाग- अ : राजस्व | | | | | |
| राजस्व प्राप्ति | 9,13,26.91 | 7,44,70.38 | राजस्व व्यय | 9,45,41.97 | 7,55,09.59 |
| कर राजस्व | 3,86,72.94 | 3,34,77.70 | वेतन (क) | 2,30,19.87 | 2,01,70.49 |
| | | | सहाय्य (क) व (ख) | 86,26.07 | 69,09.92 |
| | | | सहायतार्थ अनुदान | 2,83,29.03 | 1,85,14.80 |
| | | | सहायतार्थ अनुदान (गैर सवेतन) (क) व (ग) | 1,88,38.66 | 1,24,31.62 |
| | | | सहायतार्थ अनुदान (वेतन) | 82,45.37 | 53,77.65 |
| | | | पूँजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान | 12,45.00 | 7,05.53 |
| | | | सामान्य सेवाएं | | |
| करेत्तर राजस्व | | | ब्याज अदायगियां तथा ऋण शोधन | 1,04,62.90 | 90,63.20 |
| ब्याज प्राप्ति | 20,65.39 | 21,42.49 | पेंशन | 96,29.08 | 78,01.45 |
| अन्य | 1,11,64.11 | 1,14,32.76 | अन्य | 15,13.11 | 12,18.05 |
| | योग | 1,32,29.50 | | योग | 2,16,05.09 |
| | | 1,35,75.25 | | | 1,80,82.70 |
| संघ करों/शुल्कों का हिस्सा | 1,98,16.97 | 1,86,73.07 | सामाजिक सेवाएं | 86,10.21(घ) | 79,22.70 |
| केन्द्रीय सरकार से अनुदान | 1,96,07.50 | 87,44.36 | आर्थिक सेवाएं | 43,51.64 | 36,60.32 |
| | | | स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन | 0.06* | 2,48.66 |
| राजस्व घाटा | 32,15.06 | 10,39.21 | राजस्व अधिशेष | .. | .. |

(क) वेतन तथा सहाय्य के सभी क्षेत्रों के आकड़ों को एक साथ जोड़कर एक समेकित आंकड़े के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस विवरण में "सामाजिक", "सामान्य" तथा "आर्थिक" सेवाएं क्षेत्रों के अन्तर्गत दिखाये गये व्यय में वेतन, सहाय्य तथा सहायतार्थ अनुदान पर किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है (पाद टिप्पणी (ग) में व्याख्या की गई है)।

(ख) इसमें केवल बाह्य सहाय्य सम्मिलित है।

(ग) (i) सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान, सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्तशासी निकायों, स्थानीय निकायों, इत्यादि को दिया जाता है जिसे उपरोक्त में पंक्तिबद्ध मद की तरह सम्मिलित किया जाता है। यह अनुदान, करों की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न है जिसे अलग से पंक्तिबद्ध 'स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन' के रूप में दर्शाया गया है।

(ii) इसमें लघुशीर्ष "191,192,193,196,197 तथा 198" के अंतर्गत हुआ समस्त व्यय सम्मिलित है (समर्पित विस्तृत शीर्ष 01-संवेतन, 91-सहाय्य, 92-सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) तथा 93-पूँजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान के अतिरिक्त) सिवाय पाँच विभागों का व्यय अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास तथा कृषि। राज्य सरकार द्वारा इन पाँच विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा चुका है, लेकिन इन विभागों का व्यय, बजाए इनको अनुदान जारी करने के, पूर्व की भांति कोषालयों के माध्यम से आहरित किया जा रहा है।

(घ) इसमें ₹ 37,08.12 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय से सम्बन्धित है जो "सामान्य सेवाओं" के अन्तर्गत दर्शाये गये सिविल पेंशन से अलग हैं।

* वेतन से संबंधित ₹ 0.03 करोड़ सम्मिलित नहीं है जो कि ऊपर वेतन के अंतर्गत सम्मिलित है।

विवरण संख्या 2- (क्रमशः)

| प्राप्तियां | 2014-15 | 2013-14 | संवितरण | 2014-15 | 2013-14 |
|------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| | (₹ करोड़ में) | | | (₹ करोड़ में) | |
| भाग I- समेकित निधि (समाप्त) | | | | | |
| अनुभाग- ब : पूंजी | | | | | |
| पूंजीगत प्राप्तियां | 14.57 | 10.27 | पूंजीगत व्यय | 1,61,02.69 (क) | 1,36,64.66 |
| | | | सामान्य सेवाएं | 5,33.73 | 3,34.37 |
| | | | सामाजिक सेवाएं | 58,38.13 | 45,51.32 |
| | | | आर्थिक सेवाएं | 97,30.83 | 87,78.97 |
| कर्जे तथा अग्रिमों की वसूलियां | 10,04.44 | 3,15.53 | कर्जे तथा अग्रिमों का वितरण | 7,00.78 | 8,11.21 |
| | | | सामान्य सेवाएं | .. | .. |
| | | | सामाजिक सेवाएं | 2,74.49 | 3,03.41 |
| | | | आर्थिक सेवाएं | 4,26.29 | 5,07.80 |
| | | | अन्य | .. | .. |
| लोक ऋण प्राप्तियां | 1,81,40.82 | 1,44,91.44 | लोक ऋण का पुनर्भुगतान | 49,60.04 | 41,15.62 |
| आंतरिक ऋण (बाजार कर्जे इत्यादि) | 1,73,46.47 (ख) | 1,42,32.71 | आंतरिक ऋण (बाजार कर्जे इत्यादि) | 44,50.96 (ग) | 36,24.72 |
| भारत सरकार से कर्जे | 7,94.35 | 2,58.73 | भारत सरकार से कर्जे | 5,09.08 | 4,90.90 |
| | | | आकस्मिकता निधि को अंतरण | 3,00.00 | .. |
| कुल प्राप्तियां-समेकित निधि | 11,04,86.74 | 8,92,87.62 | कुल व्यय-समेकित निधि | 11,66,05.48 | 9,41,01.08 |
| समेकित निधि में घाटा | 61,18.74 | 48,13.46 | समेकित निधि में अधिशेष | .. | .. |

भाग II - आकस्मिकता निधि

| | | | | | |
|----------------|---------|----|----------------|----|----|
| आकस्मिकता निधि | 3,00.00 | .. | आकस्मिकता निधि | .. | .. |
|----------------|---------|----|----------------|----|----|

(क) इसमें संवेतन पर ₹ 88.07 करोड़, सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) पर ₹ 0.16 करोड़ तथा स्थानीय निकायों को जारी की गई निधियों पर ₹ 5,81.79 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

(ख) इसमें ₹ 13,47.49 करोड़ वर्ष 2014-15 के दौरान "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" के अन्तर्गत कर्जों की प्राप्ति के सम्मिलित है।

(ग) इसमें ₹ 12,43.72 करोड़ वर्ष 2014-15 के दौरान "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" के अन्तर्गत कर्ज के पुनर्भुगतान के सम्मिलित है।

विवरण संख्या 2- (समाप्त)

| प्राप्तियां | 2014-15 | 2013-14 | संवितरण | 2014-15 | 2013-14 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | (₹ करोड़ में) | | | (₹ करोड़ में) | |
| भाग III- लोक लेखे ^(क) | | | | | |
| अल्प बचत | 70,81.84 | 63,11.49 | अल्प बचत | 41,00.09 | 37,90.25 |
| आरक्षित तथा निक्षेप निधियां | 23,61.59 | 25,81.59 | आरक्षित तथा निक्षेप निधियां | 22,36.87 | 29,55.28 |
| जमा | 10,70,59.50 | 8,94,26.75 | जमा | 10,56,48.37 | 8,98,48.90 |
| अग्रिम | 7.31 | 9.25 | अग्रिम | 10.16 | 8.40 |
| उचन्त तथा विविध | 12,70,99.54 | 11,57,52.65 | उचन्त तथा विविध ^(ख) | 12,57,70.22 | 11,26,10.01 |
| प्रेषण | 1,04,87.63 | 99,07.40 | प्रेषण | 1,04,88.05 | 99,13.73 |
| कुल प्राप्तियां-लोक लेखे | 25,40,97.41 | 22,39,89.13 | कुल व्यय-लोक लेखे | 24,82,53.76 | 21,91,26.57 |
| लोक लेखे में घाटा | .. | .. | लोक लेखे में अधिशेष | 58,43.65 | 48,62.56 |
| प्रारंभिक रोकड़ शेष | 6.35 | (-) 42.75 | अन्तिम रोकड़ शेष | 31.26 | 6.35 |
| रोकड़ शेष में वृद्धि | 24.91 | 49.10 | रोकड़ शेष में कमी | .. | .. |

(क) ब्यौरे के लिये कृपया खण्ड 2 में विवरण संख्या 21 देखें ।

(ख) "उचन्त तथा विविध" में 'अन्य लेखे' जैसे रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित है । इन अन्य लेखों की वजह से आंकड़े अत्यधिक दिखाई दे सकते हैं । ब्यौरे के लिये कृपया खण्ड 2 में विवरण संख्या 21 देखें ।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

| | 31 मार्च 2015 को | 31 मार्च 2014 को |
|---|------------------|------------------|
| | (₹ करोड़ में) | |
| (क) सामान्य रोकड़ शेष | | |
| 1. खजानों में रोकड़ | 0.05 | 0.05 |
| 2. रिजर्व बैंक में जमा | 29.41 | 6.67 |
| 3. स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण | 1.80 | (-) 0.37 |
| | <hr/> | |
| योग | 31.26 | 6.35 |
| | <hr/> | |
| रोकड़ शेष निवेश लेखा में हुए निवेश | 76,28.58 | 89,97.56 |
| | <hr/> | |
| योग (क) | 76,59.84 | 90,03.91 |
| | <hr/> | |
| (ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश | | |
| 1. विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण एवं वन विभाग के खण्डीय अधिकारी | 1.00 | 1.07 |
| 2. विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां | 3.26 | 3.52 |
| 3. पृथक आरक्षित निधियों में निवेश | 12,85.18* | 14,37.94 |
| | <hr/> | |
| योग (ख) | 12,89.44 | 14,42.53 |
| | <hr/> | |
| योग (क) और (ख) | 89,49.28 | 1,04,46.44 |
| | <hr/> | |

रोकड़ व रोकड़ तुल्य : रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य के अन्तर्गत कोषालयों में रोकड़, भारतीय रिजर्व बैंक की जमा, अन्य बैंकों तथा मार्गस्थ प्रेषण जैसा कि ऊपर दिखाया गया, सम्मिलित हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक की जमा' के अन्तर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाता है। सम्पूर्ण रोकड़ स्थिति, कोषालयों में रोकड़ शेष, विभागीय तथा रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों इत्यादि में से निवेश को "भारतीय रिजर्व बैंक की जमा" के शेष में जोड़ने पर ज्ञात होती है।

* इस अनुबन्ध के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी का पैरा क्रमशः (च) तथा (छ) देखें।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- (क) **प्रतिदिन रोकड़ शेष** :- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अधीन, राज्य सरकार को 01-03-1999 से समस्त दिवसों को ₹ 2.34 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बैंक में बनाये रखना होगा। यदि यह शेष राशि अनुबन्ध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी दिन नीचे आती है, तब कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष लेकर की जाती हैं। 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम रोकड़ शेष की इस सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष को मंजूर करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन-देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन-देन तथा खजाना लेन-देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया कुल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करती है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम / अधिविकर्ष के लिये आवेदन करती है।

- (ख) 11 नवम्बर 2013 से राज्य सरकार को साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 7,57.50 करोड़ निश्चित की गई थी। उक्त सीमा 31 मार्च 2015 तक प्रचलित थी। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने पर भी सहमत हो गयी। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा संशोधित की गयी। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2014 को ₹ 76,33.08 करोड़ तथा 31 मार्च 2015 को ₹ 63,01.85 करोड़ थी।

बढ़ी हुई सीमा जहां तक सरकार ने 2014-15 के दौरान रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष का संधारण किया वह नीचे दी गई है :-

| रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष का विवरण | दिवसों की संख्या |
|---|------------------|
| उन दिनों की संख्या जब बिना कोई अग्रिम प्राप्त किये न्यूनतम शेष बनाये रखा गया | 365 |
| उन दिनों की संख्या जब विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने के उपरान्त न्यूनतम शेष बनाये रखा गया | शून्य |
| उन दिनों की संख्या जब साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेने के उपरान्त न्यूनतम शेष बनाये रखा गया | शून्य |
| उन दिनों की संख्या जब उपरोक्त अग्रिमों को प्राप्त करने के बाद न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया | शून्य |
| उन दिनों की संख्या जब ओवरड्राफ्ट लिये गये | शून्य |

(i) **विशेष अर्थोपाय अग्रिम** :- 1 अप्रैल 2014 को विशेष अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शेष शून्य था। वर्ष 2014-15 के दौरान कोई विशेष अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया। वर्ष 2014-15 के अंत में भी शेष शून्य था।

(ii) **साधारण अर्थोपाय अग्रिम** :- 1 अप्रैल 2014 को साधारण अर्थोपाय अग्रिम का शेष शून्य था। वर्ष 2014-15 के दौरान कोई साधारण अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया। वर्ष 2014-15 के अंत में भी शेष शून्य था।

(iii) **अधिविकर्ष** :- गत वर्ष अर्थात् 2013-14 की समाप्ति पर शून्य अधिविकर्ष बकाया था। वर्ष 2014-15 के दौरान कोई अधिविकर्ष नहीं लिया गया। वर्ष 2014-15 के अन्त में भी शेष शून्य था।

31 मार्च 2006 तक अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष पर ब्याज की दर बैंक दर के अनुरूप देय थी। बैंक दर के विरुद्ध 1 अप्रैल 2006 से रेपो दर लागू हुआ। 28 जनवरी 2014 से रेपो दर 8.00 प्रतिशत थी। जो 2014-15 में पुनः संशोधित की गई जैसे 15 जनवरी 2015 से 7.75 प्रतिशत, 4 मार्च 2015 से 7.50 प्रतिशत। उक्त सीमा 31 मार्च 2015 तक प्रचलित थी।

साधारण अर्थोपाय अग्रिम के संबंध में ब्याज 90 दिन तक रेपो दर के समान तथा 90 दिन से अधिक के लिए रेपो दर से 1 प्रतिशत अधिक देय था।

विशेष अर्थोपाय अग्रिमों पर लागू ब्याज दर 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी रेपो दर से 1 प्रतिशत कम भारित किया गया। यह अब तक लागू है।

अधिविकर्ष पर ब्याज के संबंध में साधारण अर्थोपाय अग्रिम की 100 प्रतिशत सीमा तक रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक तथा साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 100 प्रतिशत से अधिक पर रेपो दर से पांच प्रतिशत अधिक होगा।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध - (समाप्त)

स्पष्टीकरण टीका - (समाप्त)

2014-15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान साधारण अर्थोपाय अग्रिमों, विशेष अर्थोपाय अग्रिमों और अधिविकर्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान किया गया ब्याज निम्न प्रकार है :-

| वर्ष | राशि (₹ करोड़ में) |
|---------|-----------------------|
| 2012-13 | शून्य |
| 2013-14 | शून्य |
| 2014-15 | शून्य |

(ग) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 12,57,03.31 करोड़ की राशि के भारत सरकार के कोषालय बिल 184 अवसरों में खरीदे गये तथा 321 अवसरों में ₹ 12,70,72.29 करोड़ पुनः बट्टे करवाये गये।

(घ) 31 मार्च 2015 को नकद शेष निवेश लेखों में हुए निवेशों का विश्लेषण निम्न प्रकार है :-

| | राशि (₹ करोड़ में) |
|--|-----------------------|
| (i) भारत सरकार के कोषालय बिल | 76,28.41 |
| (ii) भारत सरकार की प्रतिभूतियां | 0.01 |
| (iii) राजस्थान सरकार की प्रतिभूतियां | 0.03 |
| (iv) स्टर्लिंग प्रतिभूतियां | 0.05 |
| (v) बैंकों के पास अल्पावधि जमा तथा अन्य लेखे | 0.08 |
| योग | 76,28.58 |

(ङ) वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के कोषालय बिलों की खरीद से रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज ₹ 7,77.96 करोड़ था।

(च) 'रिजर्व बैंक के साथ जमा' के समक्ष शेष सरकारी लेखों के अनुसार शेष के द्योतक है जिसमें 15 अप्रैल 2015 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गये अन्तर सरकार मौद्रिक परिशोधन शामिल है। लेखों में दर्शाये गये आंकड़े [₹ 29,40,96,781.04 (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित [₹ 31,19,73,494.97 (जमा)] के मध्य ₹ 1,78,76,713.93 (नामे) का निवल अन्तर था। निवल अंतर राशि ₹ 1,52,17,027.93 (नामे) का मिलान तथा बचा हुआ निवल शेष ₹ 26,59,686.00 (नामे) मिलान के अधीन था। (अगस्त 2015)।

(छ) भारत सरकार की प्रतिभूतियों में राशि ₹ 1,70.55 करोड़ तथा राजस्थान राज्य विकास ऋण के पुनः भुगतान के लिये राशि ₹ 9.35 करोड़ निवेशित किये गये। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 11,05.28 करोड़ गारन्टी मोचन निधि से निवेशित किये गये। पृथक आरक्षित निधि में से किये गये निवेश का ब्यौरा, विवरण संख्या 22 में दिये गये हैं।

विवरण संख्या 3 – प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

| विवरण | वास्तविक | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| | 2014-15 | 2013-14 |
| | (₹ करोड़ में) | |
| I -समेकित निधि | | |
| क. कर राजस्व | | |
| क.1 स्वयं का कर राजस्व | | |
| भू-राजस्व | 2,88.58 | 3,37.98 |
| स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | 31,88.89 | 31,25.33 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 55,85.77 | 49,81.59 |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 2,41,69.91 | 2,12,15.51 |
| माल तथा यात्रा पर कर | 9,56.52 | 2,87.92 |
| वाहन कर | 28,29.86 | 24,98.90 |
| कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर | 4.60 | 13.01 |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 1,13.69 | 68.46 |
| विद्युत पर कर तथा शुल्क | 15,34.51 | 9,48.93 |
| अन्य (₹10 करोड़ से कम) | 0.61 | 0.07 |
| | योग-क.1 स्वयं का कर राजस्व | 3,34,77.70 |
| | | 3,86,72.94 |
| क.2 कर के निवल आगम का भाग | | |
| निगम कर | 69,20.30 | 62,80.02 |
| निगम कर से भिन्न आय पर कर | 49,41.76 | 41,35.20 |
| सम्पदा शुल्क | 18.69 | 17.24 |
| सीमा शुल्क | 32,05.02 | 30,46.73 |
| संघ उत्पाद शुल्क | 18,09.76 | 21,51.83 |
| सेवाकर | 29,21.45 | 30,42.05 |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | (-) 0.01 (क) | .. |
| अन्य | .. | .. |
| | योग-क. 2 कर के निवल आगम का भाग | 1,86,73.07 |
| | | 1,98,16.97 |
| | योग-क. कर राजस्व | 5,21,50.77 |
| | | 5,84,89.91 |

(क) ऋण आंकड़े भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंशदान के समायोजन के कारण हैं।

विवरण संख्या 3 - (क्रमशः)

| विवरण | वास्तविक | |
|--|---------------|----------|
| | 2014-15 | 2013-14 |
| | (₹ करोड़ में) | |
| I -समेकित निधि-(क्रमशः) | | |
| ख. करेत्तर राजस्व | | |
| पेट्रोलियम | 48,49.68 | 59,53.71 |
| अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 36,35.46 | 30,88.66 |
| ब्याज प्राप्तियां | 20,65.39 | 21,42.49 |
| विविध सामान्य सेवाएं | 9,63.85 | 8,46.36 |
| श्रम एवं रोजगार | 2,90.29 | 2,63.38 |
| जलपूर्ति तथा सफाई | 2,75.80 | 2,54.84 |
| पुलिस | 2,40.03 | 1,67.27 |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 1,33.21 | 1,47.38 |
| चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 1,16.43 | 65.61 |
| वानिकी एवं वन्य जीव | 89.31 | 77.52 |
| शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 80.93 | 95.94 |
| अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 77.77 | 62.88 |
| लोक निर्माण कार्य | 71.74 | 69.16 |
| लाभांश तथा लाभ | 63.33 | 24.60 |
| मुख्य सिंचाई | 55.21 | 70.14 |
| पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियां | 44.61 | 38.94 |
| अन्य सामाजिक सेवाएं | 25.83 | 4.63 |
| मछली पालन | 23.15 | 24.38 |
| सहकारिता | 16.88 | 18.80 |
| लघु सिंचाई | 14.33 | 11.87 |
| बिजली | 12.48 | 12.06 |
| मध्यम सिंचाई | 11.87 | 10.48 |
| लोक सेवा आयोग | 8.43 | 70.50 |
| ग्राम एवं लघु उद्योग | 8.26 | 7.53 |
| शहरी विकास | 7.84 | 5.27 |
| अन्य कृषि कार्यक्रम | 7.55 | 6.44 |

विवरण संख्या 3 - (क्रमशः)

| विवरण | वास्तविक | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014-15 | 2013-14 |
| | (₹ करोड़ में) | |
| I -समेकित निधि- (समाप्त) | | |
| ख. करेत्तर राजस्व - (समाप्त) | | |
| सड़क एवं सेतु | 7.12 | 4.15 |
| आवास | 6.76 | 6.71 |
| उद्योग | 6.02 | 0.54 |
| लेखन सामग्री एवं मुद्रण | 5.59 | 4.11 |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 3.90 | 11.36 |
| फसल कृषि कर्म | 3.78 | 3.22 |
| पशु पालन | 2.14 | 1.80 |
| अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 1.49 | 0.16 |
| पर्यटन | 1.17 | 0.72 |
| अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 0.88 | 0.92 |
| परिवार कल्याण | 0.44 | 0.12 |
| जेल | 0.39 | 0.29 |
| सूचना एवं प्रसारण | 0.11 | 0.12 |
| भूमि सुधार | 0.05 | 0.19 |
| योग- ख. करेत्तर राजस्व | 1,32,29.50 | 1,35,75.25 |

II - भारत सरकार से अनुदान**ग. अनुदान****केन्द्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान****योजनेत्तर अनुदान**

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान

राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत अनुदान

अन्य अनुदान

36,60.18

5,47.58

3,19.28

25,02.16

5,21.50

5,26.76

विवरण संख्या 3 - (क्रमशः)

| विवरण | वास्तविक | |
|--|------------|------------|
| | 2014-15 | 2013-14 |
| (₹ करोड़ में) | | |
| II - भारत सरकार से अनुदान- (समाप्त) | | |
| ग. अनुदान- (समाप्त) | | |
| केन्द्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान- (समाप्त) | | |
| राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | | |
| एक मुश्त अनुदान: | | |
| सामान्य केन्द्रीय सहायता | 7,44.39 | 17,67.14 |
| ई. ए. पी. के लिए केन्द्रीय सहायता | 14.06 | 29.16 |
| राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता | 1,36,54.49 | .. |
| संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान | 1,85.78 | 1,78.15 |
| केन्द्रीय सड़क निधि के लिए अनुदान | 2,86.44 | 2,21.22 |
| अन्य अनुदान | .. | 7,97.54 |
| केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | 1,95.30 | 1,34.87 |
| केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | .. | 20,65.86 |
| विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | .. | .. |
| योग-ग. अनुदान | 1,96,07.50 | 87,44.36 |
| योग-राजस्व प्राप्ति (क+ख+ग) | 9,13,26.91 | 7,44,70.38 |

III - पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| घ. पूंजीगत प्राप्तियां | | |
| विनिवेश आगम | 14.57 | 10.27 |
| अन्य | .. | .. |
| योग- घ. पूंजीगत प्राप्तियाँ | 14.57 | 10.27 |

विवरण संख्या 3 - (समाप्त)

| विवरण | वास्तविक | |
|--|--------------------|-------------------|
| | 2014-15 | 2013-14 |
| (₹ करोड़ में) | | |
| III - पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां- (समाप्त) | | |
| ड. लोक ऋण प्राप्तियां | | |
| आंतरिक ऋण | | |
| बाजार कर्ज | 1,23,00.00 | 87,99.98 |
| क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध पत्र | 18,06.00 | 33,40.00 |
| भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम | .. | .. |
| वित्तीय संस्थानों से कर्ज | 18,91.29 | 15,96.74 |
| केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति | 13,47.49 | 4,95.99 |
| अन्य कर्ज | 1.69 | .. |
| केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | |
| योजनेतर कर्ज | .. | .. |
| राज्य योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | 7,94.35 | 3,85.41 |
| केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | .. | (-) 0.40 |
| केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | .. | (-) 1,26.28 |
| अन्य कर्ज | .. | .. |
| योग - ड. लोक ऋण प्राप्तियां | 1,81,40.82 | 1,44,91.44 |
| च. राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम (वसूलियां)* | | |
| | 10,04.44 | 3,15.53 |
| योग-च. राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम(वसूलियां) | 10,04.44 | 3,15.53 |
| योग-समेकित निधि में प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ङ+च) | 11,04,86.74 | 8,92,87.62 |

* ब्यौरे खण्ड I के विवरण संख्या 7 एवं खण्ड II के विवरण संख्या 18 में दिए गए हैं।

विवरण संख्या 4 - व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय

| विवरण | राजस्व | पूंजी | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|---|------------|-----------------|------------------|------------|
| | | (₹ करोड़ में) | | |
| क. सामान्य सेवाएं | | | | |
| क.1 राज्य के अंग | | | | |
| संसद/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल | 47.42 | .. | .. | 47.42 |
| राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | 9.75 | .. | .. | 9.75 |
| मंत्रि परिषद् | 8.50 | .. | .. | 8.50 |
| न्याय प्रशासन | 6,16.56 | .. | .. | 6,16.56 |
| चुनाव | 2,08.92 | .. | .. | 2,08.92 |
| योग क.1 राज्य के अंग | 8,91.15 | .. | .. | 8,91.15 |
| क.2 राजकोषीय सेवाएं | | | | |
| भू-राजस्व | 5,57.28 | .. | .. | 5,57.28 |
| मुद्रांक एवं पंजीयन | 61.78 | .. | .. | 61.78 |
| राज्य उत्पादन शुल्क | 1,10.03 | .. | .. | 1,10.03 |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 5,94.41 | .. | .. | 5,94.41 |
| वाहनों पर कर | 86.37 | .. | .. | 86.37 |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 12.71 | .. | .. | 12.71 |
| अन्य राजकोषीय सेवाएं | 1.64 | (-) 6.58 (क) | .. | (-) 4.94 |
| ब्याज अदायगियां * | 1,04,62.90 | .. | .. | 1,04,62.90 |
| योग क. 2 राजकोषीय सेवाएं | 1,18,87.12 | (-) 6.58 | .. | 1,18,80.54 |
| क.3 प्रशासनिक सेवाएं | | | | |
| लोक सेवा आयोग | 20.98 | .. | .. | 20.98 |
| सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 1,49.82 | .. | .. | 1,49.82 |
| जिला प्रशासन | 3,48.36 | .. | .. | 3,48.36 |
| खजाना तथा लेखा प्रशासन | 1,86.60 | .. | .. | 1,86.60 |
| पुलिस | 36,81.80 | 1,03.81 | .. | 37,85.61 |

* ब्याज अदायगियां राजकोषीय सेवाओं का भाग नहीं हैं ।

(क) ऋण आंकड़े शीर्ष "8235-200(08) [01] राजस्थान राज्य निवेश निधि" से राशि के हस्तांतरण के कारण हैं ।

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

| विवरण | राजस्व | पूंजी | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|---|-----------------|---------|------------------|------------|
| | (₹ करोड़ में) | | | |
| क. सामान्य सेवाएं- (समाप्त) | | | | |
| क.3 प्रशासनिक सेवाएं- (समाप्त) | | | | |
| जेल | 1,42.12 | .. | .. | 1,42.12 |
| लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 30.08 | 1.28 | .. | 31.36 |
| लोक निर्माण कार्य | 74.86 | 4,30.64 | .. | 5,05.50 |
| सर्तकता | 4.06 | .. | .. | 4.06 |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 2,04.59 | 4.58 | .. | 2,09.17 |
| योग क. 3 प्रशासनिक सेवाएं | 48,43.27 | 5,40.31 | .. | 53,83.58 |
| क.4 पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं | | | | |
| पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ | 96,29.08 | .. | .. | 96,29.08 |
| विविध सामान्य सेवाएं | 6,17.53 | .. | .. | 6,17.53 |
| योग क.4 पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं | 1,02,46.61 | .. | .. | 1,02,46.61 |
| योग क. सामान्य सेवाएं | 2,78,68.15 | 5,33.73 | .. | 2,84,01.88 |
| ख. सामाजिक सेवाएं | | | | |
| ख.1 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | | | | |
| सामान्य शिक्षा | 1,90,76.56 | 56.41* | .. | 1,91,32.97 |
| तकनीकी शिक्षा | 1,41.23 | .. | .. | 1,41.23 |
| खेलकूद तथा युवा सेवाएं | 77.27 | .. | .. | 77.27 |
| कला एवं संस्कृति | 67.87 | .. | .. | 67.87 |
| योग ख.1 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 1,93,62.93 | 56.41 | .. | 1,94,19.34 |
| ख.2 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | | | | |
| चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 39,53.99 | 4,84.32 | 5.00 | 44,43.31 |
| परिवार कल्याण | 20,19.41 | .. | .. | 20,19.41 |
| योग ख.2 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 59,73.40 | 4,84.32 | 5.00 | 64,62.72 |

* इसमें तकनीकी शिक्षा, खेलकूद तथा युवा सेवाएं तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

| विवरण | राजस्व | पूंजी | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|---|----------|-----------------|------------------|----------|
| | | (₹ करोड़ में) | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः) | | | | |
| ख.3 जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | | | | |
| जलपूर्ति तथा सफाई | 20,71.03 | 44,94.52 | .. | 65,65.55 |
| आवास | 62.48 | 6.49 | .. | 68.97 |
| शहरी विकास | 25,45.52 | 5,19.83 | 2,66.99 | 33,32.34 |
| योग ख.3 जलपूर्ति, सफाई , आवास तथा शहरी विकास | 46,79.03 | 50,20.84 | 2,66.99 | 99,66.86 |
| ख.4 सूचना तथा प्रसारण | | | | |
| सूचना तथा प्रचार | 49.93 | 2.85 | .. | 52.78 |
| योग ख.4 सूचना तथा प्रसारण | 49.93 | 2.85 | .. | 52.78 |
| ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | | | | |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | 9,65.24 | 1,94.03 | 2.50 | 11,61.77 |
| योग ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 9,65.24 | 1,94.03 | 2.50 | 11,61.77 |
| ख.6 श्रमिक तथा श्रम कल्याण | | | | |
| श्रम तथा रोजगार | 4,51.54 | .. | .. | 4,51.54 |
| योग ख.6 श्रमिक तथा श्रम कल्याण | 4,51.54 | .. | .. | 4,51.54 |
| ख.7 समाज कल्याण तथा पोषण | | | | |
| सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 40,64.37 | 33.84 | .. | 40,98.21 |
| पोषण | 14,20.18 | (-) 9.26 (क) | .. | 14,10.92 |
| प्राकृतिक आपदा के कारण राहत | 7,41.35 | .. | .. | 7,41.35 |
| योग ख.7 समाज कल्याण तथा पोषण | 62,25.90 | 24.58 | .. | 62,50.48 |

(क) ऋण आंकड़े कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण सरकारी लेखों में राशि ₹ 9,25,51,631 जमा करने के कारण है।

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

| विवरण | राजस्व | पूंजी | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|---|-----------------|----------|------------------|------------|
| | (₹ करोड़ में) | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं – (समाप्त) | | | | |
| ख. 8 अन्य | | | | |
| अन्य सामाजिक सेवाएं | 25.66 | 55.10 | .. | 80.76 |
| सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 19.76 | .. | .. | 19.76 |
| योग ख. 8 अन्य | 45.42 | 55.10 | .. | 1,00.52 |
| योग ख. सामाजिक सेवाएं | 3,77,53.39 | 58,38.13 | 2,74.49 | 4,38,66.01 |
| ग. आर्थिक सेवाएं | | | | |
| ग.1 कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया कलाप | | | | |
| फसल कृषि-कर्म | 18,33.27 | 2,99.51 | 8.20 | 21,40.98 |
| मृदा तथा जल संरक्षण | 59.89 | 0.28 | .. | 60.17 |
| पशु-पालन | 5,76.49 | 16.96 | .. | 5,93.45 |
| डेयरी विकास | 13.20 | .. | .. | 13.20 |
| मछली पालन | 13.31 | 1.37 | .. | 14.68 |
| वानिकी तथा वन्य प्राणी | 7,10.51 | 2,16.56 | .. | 9,27.07 |
| खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार | .. | .. | 90.00 | 90.00 |
| कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 1,62.38 | .. | .. | 1,62.38 |
| सहकारिता | 6,11.51 | 14.37 | 49.72 | 6,75.60 |
| अन्य कृषि कार्यक्रम | 8.21 | .. | .. | 8.21 |
| योग ग.1 कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप | 39,88.77 | 5,49.05 | 1,47.92 | 46,85.74 |
| ग.2 ग्राम विकास | | | | |
| ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 4,21.27 | .. | .. | 4,21.27 |
| ग्राम रोजगार | 38,57.50 | .. | .. | 38,57.50 |
| अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 61,25.86 | 4,55.84 | .. | 65,81.70 |
| योग ग.2 ग्राम विकास | 1,04,04.63 | 4,55.84 | .. | 1,08,60.47 |
| ग.3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | | | | |
| अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 0.51 | 2,62.08 | .. | 2,62.59 |
| योग ग.3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 0.51 | 2,62.08 | .. | 2,62.59 |

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

| विवरण | राजस्व | पूंजी | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|-------------------------------------|----------|---------------|------------------|------------|
| | | (₹ करोड़ में) | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः) | | | | |
| ग.4 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | | | | |
| मुख्य सिंचाई | 12,67.71 | 6,62.50 | .. | 19,30.21 |
| मध्यम सिंचाई | 2,55.56 | 92.02 | .. | 3,47.58 |
| लघु सिंचाई | 1,76.70 | 4,35.56 | .. | 6,12.26 |
| सिंचित क्षेत्र विकास | 19.33 | 77.95 | .. | 97.28 |
| बाढ़ नियंत्रण तथा निकास | .. | 2.57 | .. | 2.57 |
| योग ग.4 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 17,19.30 | 12,70.60 | .. | 29,89.90 |
| ग.5 ऊर्जा | | | | |
| बिजली | 91,14.40 | 42,49.21 | 2,41.40 | 1,36,05.01 |
| पेट्रोलियम | 0.71 | (-) 5.00 (क) | .. | (-) 4.29 |
| नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा | 2.93 | .. | .. | 2.93 |
| योग ग.5 ऊर्जा | 91,18.04 | 42,44.21 | 2,41.40 | 1,36,03.65 |
| ग.6 उद्योग तथा खनिज | | | | |
| ग्राम तथा लघु उद्योग | 64.73 | 0.07 | .. | 64.80 |
| उद्योग | 79.88 | .. | .. | 79.88 |
| अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग | 97.23 | 8.18 | .. | 1,05.41 |
| उपभोक्ता उद्योग | .. | 42.57 | 11.97 | 54.54 |
| उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय | .. | (-) 81.64 (ख) | .. | (-) 81.64 |
| योग ग. 6 उद्योग तथा खनिज | 2,41.84 | (-) 30.82 | 11.97 | 2,22.99 |
| ग.7 परिवहन | | | | |
| सड़क तथा सेतु | 15,48.10 | 27,06.33 | .. | 42,54.43 |
| सड़क परिवहन | 2,96.28 | 80.00 | 25.00 | 4,01.28 |
| योग ग. 7 परिवहन | 18,44.38 | 27,86.33 | 25.00 | 46,55.71 |

(क) ऋण आंकड़े, राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड, जयपुर से वापसी के कारण हैं।

(ख) ऋण आंकड़े, सिकन्दरा स्टोन पार्क 2007-08 (₹ 1.75 करोड़) तथा दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरीडोर (₹ 80.00 करोड़) की रीको द्वारा अनुपयोजित राशि जमा कराने के कारण हैं।

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

| विवरण | राजस्व | पूंजी | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|---|------------|----------|------------------|------------|
| (₹ करोड़ में) | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं – (समाप्त) | | | | |
| ग.9 विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | | | | |
| अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 9.46 | 0.11 | .. | 9.57 |
| परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण | 36.32 | .. | .. | 36.32 |
| योग ग. 9 विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 45.78 | 0.11 | .. | 45.89 |
| ग.10 सामान्य आर्थिक सेवाएं | | | | |
| सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 1,37.89 | .. | .. | 1,37.89 |
| पर्यटन | 24.19 | 26.36 | .. | 50.55 |
| जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी | 4,91.23 | .. | .. | 4,91.23 |
| सिविल पूर्ति | 8,33.14 | .. | .. | 8,33.14 |
| अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 70.64 | 1,67.07 | .. | 2,37.71 |
| योग ग. 10 सामान्य आर्थिक सेवाएं | 15,57.09 | 1,93.43 | .. | 17,50.52 |
| योग ग. आर्थिक सेवाएं | 2,89,20.34 | 97,30.83 | 4,26.29 | 3,90,77.46 |
| घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान | | | | |
| स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा समनुदेशन | 0.09 | .. | .. | 0.09 |
| योग घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान | 0.09 | .. | .. | 0.09 |
| ड. लोक ऋण | | | | |
| राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण | .. | .. | 44,50.96 | 44,50.96 |
| केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | .. | .. | 5,09.08 | 5,09.08 |
| योग ड लोक ऋण | .. | .. | 49,60.04 | 49,60.04 |

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (समाप्त)

| विवरण | राजस्व | पूंजी | ऋण एवं अग्रिम | योग |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | (₹ करोड़ में) | | | |
| च. कर्ज तथा अग्रिम # | | | | |
| सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि | .. | .. | .. | .. |
| योग च. कर्ज तथा अग्रिम | .. | .. | .. | .. |
| योग - समेकित निधि में व्यय (क+ख+ग+घ+ङ+च) | 9,45,41.97 | 1,61,02.69 | 56,60.82 | 11,63,05.48 |

मुख्य शीर्ष के आंकड़े जिन्हें राजस्व एवं पूंजी में शामिल नहीं किया गया है, इस वर्ग के अन्तर्गत दिखाये गये हैं ।

| व्यय का उद्देश्य | 2014-15 | | |
|--|-----------------|----------|------------|
| | राजस्व | पूँजी | योग |
| | (₹ करोड़ में) | | |
| संवेतन | 2,30,19.87 | 88.07 | 2,31,07.94 |
| सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) | 1,78,23.59 | 0.16 | 1,78,23.75 |
| ब्याज/ लाभांश | 1,04,67.76 | .. | 1,04,67.76 |
| पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ | 92,72.96 | .. | 92,72.96 |
| सहाय्य | 86,26.07 | .. | 86,26.07 |
| सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) | 82,45.37 | .. | 82,45.37 |
| मुख्य कार्य | .. | 68,91.77 | 68,91.77 |
| पूँजीगत निवेश | .. | 44,06.16 | 44,06.16 |
| पेंशन एवं उपदान | 37,08.55 | .. | 37,08.55 |
| सड़क एवं पुल का निर्माण | .. | 27,77.74 | 27,77.74 |
| अंशदान | 23,12.52 | .. | 23,12.52 |
| निधि को स्थानान्तरण | 19,12.37 | .. | 19,12.37 |
| पूँजीगत सम्पत्ति के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान | 12,45.00 | .. | 12,45.00 |
| पूँजीगत लेखे पर ब्याज | 11,24.13 | .. | 11,24.13 |
| विद्युत खर्च तथा जल खर्च | 10,52.94 | 38.65 | 10,91.59 |
| लघु कार्य | 55.06 | 9,14.51 | 9,69.57 |
| छात्रवृत्ति एवं वजीफा | 8,86.25 | .. | 8,86.25 |
| जोड़िए-आनुपातिक व्यय | 68.07 | 7,67.71 | 8,35.78 |
| उन्नयन एवं मानदेय पर व्यय | 8,26.75 | .. | 8,26.75 |
| खाद्य सामग्री | 8,15.70 | .. | 8,15.70 |
| संधारण-सामग्री | 6,98.91 | .. | 6,98.91 |
| विविध व्यय | 5,79.16 | 3.59 | 5,82.75 |
| मरम्मत एवं रखरखाव | 4,69.03 | 41.57 | 5,10.60 |
| मजदूरी | 4,78.44 | 29.21 | 5,07.65 |
| संचार, सूचना एवं तकनीकी उपकरणों पर व्यय | 2,92.20 | 1,64.92 | 4,57.12 |
| विभागों की विशिष्ट सेवाओं पर व्यय | 3,85.87 | 10.38 | 3,96.25 |
| अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान | 3,56.12 | .. | 3,56.12 |
| परिवहन, संग्रहण एवं वितरण व्यय | 2,74.37 | 11.10 | 2,85.47 |
| मशीनरी तथा साज सामान/ औजार तथा संयंत्र | 2,31.98 | 51.82 | 2,83.80 |
| कार्यालय व्यय | 2,64.06 | 1.61 | 2,65.67 |
| निविदा पर व्यय | 2,54.46 | 0.59 | 2,55.05 |
| नहरें | .. | 2,10.36 | 2,10.36 |
| स्कन्ध एवं भंडारण (विकलन) | 0.98 | 1,60.11 | 1,61.09 |

4 – (क्रमशः)

अनुसार व्यय

| 2013-14 | | | 2012-13 | | |
|---------------|----------|------------|---------------|----------|------------|
| राजस्व | पूँजी | योग | राजस्व | पूँजी | योग |
| (₹ करोड़ में) | | | (₹ करोड़ में) | | |
| 2,01,70.49 | 92.15 | 2,02,62.64 | 1,72,13.95 | 1,11.78 | 1,73,25.73 |
| 1,24,57.56 | .. | 1,24,57.56 | 1,05,26.09 | 1.83 | 1,05,27.92 |
| 90,68.12 | .. | 90,68.12 | 83,44.97 | .. | 83,44.97 |
| 75,94.49 | .. | 75,94.49 | 67,15.11 | .. | 67,15.11 |
| 69,09.92 | .. | 69,09.92 | 54,60.39 | .. | 54,60.39 |
| 53,77.65 | .. | 53,77.65 | 50,34.80 | .. | 50,34.80 |
| 0.16 | 49,18.01 | 49,18.17 | 0.21 | 29,80.12 | 29,80.33 |
| .. | 47,74.94 | 47,74.94 | .. | 48,40.68 | 48,40.68 |
| 28,35.66 | .. | 28,35.66 | 9,18.96 | 1.56 | 9,20.52 |
| .. | 23,59.04 | 23,59.04 | .. | 14,57.54 | 14,57.54 |
| 5,67.06 | .. | 5,67.06 | 4,79.27 | .. | 4,79.27 |
| 16,37.64 | .. | 16,37.64 | 13,24.45 | .. | 13,24.45 |
| 7,05.53 | .. | 7,05.53 | 4,52.22 | .. | 4,52.22 |
| 10,55.63 | .. | 10,55.63 | 10,02.86 | .. | 10,02.86 |
| 9,92.45 | .. | 9,92.45 | 9,06.13 | .. | 9,06.13 |
| 40.15 | 10,17.14 | 10,57.29 | 56.23 | 8,55.93 | 9,12.16 |
| 9,38.97 | .. | 9,38.97 | 7,35.26 | .. | 7,35.26 |
| 64.09 | 5,20.13 | 5,84.22 | 94.98 | 2,86.80 | 3,81.78 |
| 5,27.55 | .. | 5,27.55 | 4,03.03 | .. | 4,03.03 |
| 7,44.30 | .. | 7,44.30 | 7,54.74 | .. | 7,54.74 |
| 6,77.50 | .. | 6,77.50 | 5,47.90 | .. | 5,47.90 |
| 11,99.31 | 3.97 | 12,03.28 | 7,71.72 | 16.01 | 7,87.73 |
| 4,78.34 | 37.52 | 5,15.86 | 3,91.88 | 38.89 | 4,30.77 |
| 4,33.80 | 0.21 | 4,34.01 | 3,81.31 | 0.22 | 3,81.53 |
| 5,57.15 | 42.85 | 6,00.00 | 1,26.96 | 25.56 | 1,52.52 |
| 73.44 | 21.29 | 94.73 | 62.28 | 23.44 | 85.72 |
| 2,06.96 | .. | 2,06.96 | 1,55.12 | .. | 1,55.12 |
| 95.64 | 15.62 | 1,11.26 | 4.53 | 17.29 | 21.82 |
| 1,24.96 | 74.19 | 1,99.15 | 91.34 | 57.90 | 1,49.24 |
| 2,41.33 | 1.79 | 2,43.12 | 2,23.46 | 2.22 | 2,25.68 |
| 2,07.62 | 0.55 | 2,08.17 | 1,46.76 | 0.49 | 1,47.25 |
| .. | 1,37.69 | 1,37.69 | .. | 70.30 | 70.30 |
| 1.06 | 2,01.29 | 2,02.35 | 1.11 | 1,94.39 | 1,95.50 |

| व्यय का उद्देश्य | 2014-15 | | |
|---|-----------------|-------|---------|
| | राजस्व | पूंजी | योग |
| | (₹ करोड़ में) | | |
| पुस्तकालय एवं पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय | 1,27.57 | .. | 1,27.57 |
| भेषज और औषधियां | 1,21.08 | .. | 1,21.08 |
| यात्रा व्यय | 1,19.93 | 0.96 | 1,20.89 |
| आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय | 29.73 | 71.38 | 1,01.11 |
| संधारण-स्थापना | 93.99 | 0.66 | 94.65 |
| कार्य कलाप संबंधी वाहनों का संधारण | 87.87 | 1.61 | 89.48 |
| प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय | 74.56 | 1.54 | 76.10 |
| वृत्तिक और विशिष्ट सेवाएं | 59.84 | 6.98 | 66.82 |
| वितरण व्यवस्था में सुधार | 62.27 | .. | 62.27 |
| विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय | 60.63 | 0.76 | 61.39 |
| निर्माण कार्य में राज्यांश | 61.05 | 0.12 | 61.17 |
| चिकित्सा व्यय | 59.43 | 0.52 | 59.95 |
| सामग्री और प्रदाय | 57.46 | .. | 57.46 |
| वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं | 52.78 | 0.05 | 52.83 |
| वितरणिकाएं | .. | 49.59 | 49.59 |
| वाहनों का किराया | 47.29 | 0.80 | 48.09 |
| जल धाराएं तथा भूमिगत नालियां | .. | 41.38 | 41.38 |
| सार्वजनिक निर्माण कार्य हेतु अग्रिम (विकलन) | 1.04 | 37.74 | 38.78 |
| वाहनों का क्रय | 28.53 | 0.31 | 28.84 |
| कार्यकलाप वाहनों का चालू रखना एवं संधारण | 27.76 | 0.05 | 27.81 |
| वानिकी | 11.03 | 11.67 | 22.70 |
| किराया, दर और कर/ रायल्टियां | 19.33 | 0.77 | 20.10 |
| उत्पादन लेखा (विकलन) | 15.41 | 3.60 | 19.01 |
| छपाई पर व्यय | 14.26 | .. | 14.26 |
| स्वास्थ्य बीमा किश्त | 14.05 | .. | 14.05 |
| शाखायें | .. | 12.74 | 12.74 |
| रसायनिक व्यय | 12.08 | .. | 12.08 |
| त्यौहार एवं प्रदर्शनी | 9.77 | .. | 9.77 |
| लेखन सामग्री | 9.17 | .. | 9.17 |
| मेस व्यवस्था | 8.86 | .. | 8.86 |
| बिस्तर एवं कपड़े | 8.14 | .. | 8.14 |
| विशेष क्रय | 6.89 | .. | 6.89 |
| प्राकृतिक जल पर व्यय | 4.69 | .. | 4.69 |

4 – (क्रमशः)

अनुसार व्यय – (क्रमशः)

| 2013-14 | | | 2012-13 | | |
|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|
| राजस्व | पूँजी | योग | राजस्व | पूँजी | योग |
| (₹ करोड़ में) | | | (₹ करोड़ में) | | |
| 50.91 | .. | 50.91 | 53.55 | .. | 53.55 |
| 1,14.69 | .. | 1,14.69 | 1,13.67 | .. | 1,13.67 |
| 1,03.10 | 1.06 | 1,04.16 | 86.76 | 1.54 | 88.30 |
| 55.55 | 35.72 | 91.27 | 46.83 | 26.84 | 73.67 |
| 86.86 | 0.65 | 87.51 | 83.49 | 0.66 | 84.15 |
| 77.28 | 2.52 | 79.80 | 45.52 | 3.27 | 48.79 |
| 38.73 | 1.72 | 40.45 | 45.37 | 4.94 | 50.31 |
| 55.59 | 7.51 | 63.10 | 58.69 | 6.05 | 64.74 |
| 51.79 | .. | 51.79 | 45.70 | .. | 45.70 |
| 1,49.15 | 0.13 | 1,49.28 | 79.94 | 0.16 | 80.10 |
| 61.71 | 0.16 | 61.87 | 54.38 | 0.35 | 54.73 |
| 61.06 | 0.58 | 61.64 | 70.68 | 0.91 | 71.59 |
| 47.80 | .. | 47.80 | 29.89 | .. | 29.89 |
| 51.51 | 0.06 | 51.57 | 42.44 | 0.04 | 42.48 |
| .. | 48.54 | 48.54 | .. | 33.44 | 33.44 |
| 34.91 | 0.77 | 35.68 | 24.43 | 0.93 | 25.36 |
| .. | 56.60 | 56.60 | .. | 43.56 | 43.56 |
| 1.57 | 38.86 | 40.43 | 2.24 | 27.42 | 29.66 |
| 71.00 | 1.48 | 72.48 | 64.37 | 0.13 | 64.50 |
| 32.08 | 0.05 | 32.13 | 27.86 | 0.07 | 27.93 |
| 9.55 | 8.93 | 18.48 | 10.82 | 8.58 | 19.40 |
| 16.25 | 0.43 | 16.68 | 15.81 | 0.51 | 16.32 |
| 17.15 | 4.56 | 21.71 | 15.09 | 5.03 | 20.12 |
| 12.23 | .. | 12.23 | 8.93 | .. | 8.93 |
| 13.10 | .. | 13.10 | 11.84 | .. | 11.84 |
| .. | 15.81 | 15.81 | .. | 11.21 | 11.21 |
| 14.25 | .. | 14.25 | 12.23 | .. | 12.23 |
| 6.15 | .. | 6.15 | 7.17 | .. | 7.17 |
| 7.86 | .. | 7.86 | 7.81 | .. | 7.81 |
| 6.53 | .. | 6.53 | 5.15 | .. | 5.15 |
| 6.33 | .. | 6.33 | 5.61 | .. | 5.61 |
| 4.19 | .. | 4.19 | 4.18 | .. | 4.18 |
| 5.46 | .. | 5.46 | 6.07 | .. | 6.07 |

| व्यय का उद्देश्य | 2014-15 | | |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| | राजस्व | पूंजी | योग |
| | (₹ करोड़ में) | | |
| प्रभारित व्यय | 4.64 | 0.01 | 4.65 |
| अनुसंधान मूल्यांकन | 3.10 | 0.10 | 3.20 |
| जैव चिकित्सा कचरा | 3.14 | .. | 3.14 |
| वापसी पर बकाया ब्याज | 3.02 | .. | 3.02 |
| श्रम तथा रोजगार | 2.47 | .. | 2.47 |
| गुप्त सेवाओं पर व्यय | 2.40 | .. | 2.40 |
| प्रकाशन | 2.13 | .. | 2.13 |
| अस्पताली व्यय | 2.10 | .. | 2.10 |
| प्रयोगशालाएं | 1.69 | .. | 1.69 |
| परिवहन समतुल्यीकरण का भुगतान | 0.24 | .. | 0.24 |
| अपलेखन/हानियां | .. | 0.03 | 0.03 |
| अन्तर राशि का भुगतान | .. | .. | .. |
| इनाम तथा क्षतिपूर्ति | 3.44 | (-) 79.99(क) | (-) 76.55 |
| घटाइये-शीर्ष: | | | |
| मशीनरी एवं उपकरण | .. | (-) 2.38 | (-) 2.38 |
| निर्माण लेखा (आकलन) | (-) 9.42 | (-) 1.70 | (-) 11.12 |
| सार्वजनिक निर्माण कार्य हेतु अग्रिम (आकलन) | (-) 1.14 | (-) 43.55 | (-) 44.69 |
| स्कन्ध एवं संग्रहण (आकलन) | (-) 1.07 | (-) 1,72.89 | (-) 1,73.96 |
| घटाइये-वसूलियां | (-) 9,52.69 | (-) 43.63 | (-) 9,96.32 |
| निधि से स्थानान्तरण | (-) 15,77.69 | (-) 3,66.57 | (-) 19,44.26 |
| अन्य - 1 करोड़ से कम | 0.58 | .. | 0.58 |
| | योग | 9,45,41.97 | 1,61,02.69 |
| | | | 11,06,44.66 |

(क) ऋण व्यय, दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरीडोर की रीको द्वारा अनुपयोजित राशि जमा कराने के कारण है

4 – (समाप्त)

अनुसार व्यय – (समाप्त)

| 2013-14 | | | 2012-13 | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| राजस्व | पूंजी | योग | राजस्व | पूंजी | योग |
| (₹ करोड़ में) | | | (₹ करोड़ में) | | |
| 5.79 | 0.15 | 5.94 | 6.29 | 0.24 | 6.53 |
| 3.65 | 0.52 | 4.17 | 1.85 | 1.08 | 2.93 |
| 2.55 | .. | 2.55 | 2.30 | .. | 2.30 |
| 3.22 | .. | 3.22 | 9.32 | .. | 9.32 |
| 0.05 | .. | 0.05 | 0.05 | .. | 0.05 |
| 2.17 | .. | 2.17 | 1.27 | .. | 1.27 |
| 2.14 | .. | 2.14 | 2.39 | .. | 2.39 |
| 2.09 | .. | 2.09 | 2.46 | .. | 2.46 |
| 2.04 | .. | 2.04 | 5.14 | .. | 5.14 |
| 1.60 | .. | 1.60 | .. | .. | .. |
| 26.70 | 0.02 | 26.72 | 1.61 | 0.01 | 1.62 |
| 30.00 | .. | 30.00 | 4.04 | .. | 4.04 |
| 3.22 | 20.15 | 23.37 | .. | 54.02 | 54.02 |
| .. | (-) 2.26 | (-) 2.26 | .. | (-) 1.55 | (-) 1.55 |
| (-) 11.14 | (-) 2.40 | (-) 13.54 | (-) 13.97 | (-) 3.71 | (-) 17.68 |
| (-) 2.47 | (-) 48.97 | (-) 51.44 | (-) 2.27 | (-) 39.07 | (-) 41.34 |
| (-) 1.10 | (-) 2,07.04 | (-) 2,08.14 | (-) 0.99 | (-) 1,85.00 | (-) 1,85.99 |
| (-) 8,83.05 | (-) 61.50 | (-) 9,44.55 | (-) 7,15.03 | (-) 1.39 | (-) 7,16.42 |
| (-) 9,27.30 | (-) 4,78.53 | (-) 14,05.83 | (-) 2,57.80 | (-) 2,99.65 | (-) 5,57.45 |
| 0.56 | .. | 0.56 | 0.59 | .. | 0.59 |
| 7,55,09.59 | 1,36,64.66 | 8,91,74.25 | 6,34,61.79 | 1,06,83.57 | 7,41,45.36 |

विवरण संख्या 5- प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

| मुख्य शीर्ष | विवरण | 2013-14 के दौरान व्यय | 2013-14 तक का प्रगामी व्यय | 2014-15 के दौरान व्यय | 2014-15 तक का प्रगामी व्यय | वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में |
|---|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4047. | अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | (-) 38.75 | 1,97.56 | (-) 6.58(क) | 1,90.98 | (-) 3.33 |
| 4055. | पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 94.08 | 5,33.43 | 1,03.81 | 6,37.24 | (+) 19.46 |
| 4058. | लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय | 1.47 | 6.08 | 1.28 | 7.36 | (+) 21.05 |
| 4059. | लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 2,75.51 | 14,99.98 | 4,30.64 | 19,30.62 | (+) 28.71 |
| 4070. | अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 2.06 | 17.31 | 4.58 | 21.89 | (+) 26.46 |
| योग-क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | 3,34.37 | 22,54.36 | 5,33.73 | 27,88.09 | (+) 23.68 |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4202. | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 63.36 | 9,32.23 | 56.41 | 9,88.64 | (+) 6.05 |
| योग-(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा | | 63.36 | 9,32.23 | 56.41 | 9,88.64 | (+) 6.05 |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4210. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 3,37.23 | 13,59.26 | 4,84.32 | 18,43.58 | (+) 35.63 |
| 4211. | परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 1,16.11 | .. | 1,16.11 | .. |
| योग-(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा | | 3,37.23 | 14,75.37 | 4,84.32 | 19,59.69 | (+) 32.83 |

(क) ऋण आंकड़े शीर्ष "8235" के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विनियोग निधि से संबंधित राशि को जमा कराने के कारण है।

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

| मुख्य शीर्ष | विवरण | 2013-14 के दौरान व्यय | 2013-14 तक का प्रगामी व्यय | 2014-15 के दौरान व्यय | 2014-15 तक का प्रगामी व्यय | वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| ख . सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4215. | जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | 27,57.89 | 2,05,18.68 | 44,94.52 | 2,50,13.20 | (+) 21.90 |
| 4216. | आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 2.91 | 4,94.32 | 6.49 | 5,00.81 | (+) 1.31 |
| 4217. | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 10,63.32 | 78,81.48 | 5,19.83 | 84,01.31 | (+) 6.60 |
| योग -(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा | | 38,24.12 | 2,88,94.48 | 50,20.84 | 3,39,15.32 | (+) 17.38 |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4220. | सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय | 2.82 | 8.61 | 2.85 | 11.46 | (+) 33.10 |
| योग -(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा | | 2.82 | 8.61 | 2.85 | 11.46 | (+) 33.10 |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4225. | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 2,25.62 | 16,66.55 | 1,94.03 | 18,60.58 | (+) 11.64 |
| योग -(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा | | 2,25.62 | 16,66.55 | 1,94.03 | 18,60.58 | (+) 11.64 |

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

| मुख्य शीर्ष | विवरण | 2013-14 के दौरान व्यय | 2013-14 तक का प्रगामी व्यय | 2014-15 के दौरान व्यय | 2014-15 तक का प्रगामी व्यय | वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| ख . सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 23.35 | 1,42.61 | 33.84 | 1,76.45 | (+) 23.73 |
| 4236. | पोषण पर पूंजीगत परिव्यय | 43.67 | 1,97.94 | (-) 9.26(क) | 1,88.68 | (-) 4.68 |
| योग - (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा | | 67.02 | 3,40.55 | 24.58 | 3,65.13 | (+) 7.22 |
| (छ) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4250. | अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 31.15 | 1,82.75 | 55.10 | 2,37.85 | (+) 30.15 |
| योग - (छ) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | 31.15 | 1,82.75 | 55.10 | 2,37.85 | (+) 30.15 |
| योग - ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | 45,51.32 | 3,35,00.54 | 58,38.13 | 3,93,38.67 | (+) 17.43 |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4401. | फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | 98.57 | 8,05.53 | 2,99.51 | 11,05.04 | (+) 37.18 |
| 4402. | मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय | 0.33 | 3,63.09 | 0.28 | 3,63.37 | (+) 0.08 |
| 4403. | पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय | 5.48 | 31.00 | 16.96 | 47.96 | (+) 54.71 |
| 4404. | डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 7.47 | .. | 7.47 | .. |

(क) ऋण आंकड़े, नाबार्ड के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन न होने से सरकारी लेखे में राशि ₹ 9,25,51,631 जमा कराने के कारण हैं।

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

| मुख्य शीर्ष | विवरण | 2013-14 के दौरान व्यय | 2013-14 तक का प्रगामी व्यय | 2014-15 के दौरान व्यय | 2014-15 तक का प्रगामी व्यय | वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया कलाप का पूंजीगत लेखा- (समाप्त) | | | | | | |
| 4405. | मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय | 2.14 | 9.09 | 1.37 | 10.46 | (+) 15.07 |
| 4406. | वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय | 2,41.62 | 11,39.39 | 2,16.56 | 13,55.95 | (+) 19.01 |
| 4408. | खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 0.90 | .. | 0.46 (क) | (-) 48.89 |
| 4415. | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 16.00 | .. | 16.00 | .. |
| 4425. | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | 36.10 | 3,87.38 | 14.37 | 3,87.62 (क) | (+) 0.06 |
| 4435. | अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 46.90 | .. | 46.90 | .. |
| योग -(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा | | 3,84.24 | 28,06.75 | 5,49.05 | 33,41.23 | (+) 19.04 |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4515. | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 4,97.40 | 40,72.78 | 4,55.84 | 45,28.62 | (+) 11.19 |
| योग-(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा | | 4,97.40 | 40,72.78 | 4,55.84 | 45,28.62 | (+) 11.19 |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4575. | अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 2,97.10 | 15,92.06 | 2,62.08 | 18,54.14 | (+) 16.46 |
| योग -(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा | | 2,97.10 | 15,92.06 | 2,62.08 | 18,54.14 | (+) 16.46 |

(क) पूंजी विनिवेश के कारण राशि ₹ 44,37,330 एवं ₹ 14,12,66,641 को क्रमशः मुख्य शीर्ष 4408 एवं 4425 के अन्तर्गत वर्ष के अंत तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किया गया है।

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

| मुख्य शीर्ष | विवरण | 2013-14 के दौरान व्यय | 2013-14 तक का प्रणामी व्यय | 2014-15 के दौरान व्यय | 2014-15 तक का प्रणामी व्यय | वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4700. | मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 5,17.97 | 1,02,35.07 | 6,62.50 | 1,08,97.57 | (+) 6.47 |
| 4701. | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 1,00.98 | 16,83.79 | 92.02 | 17,75.81 | (+) 5.47 |
| 4702. | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 3,49.78 | 26,17.63 | 4,35.56 | 30,53.19 | (+) 16.64 |
| 4705. | कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 98.97 | 18,51.38 | 77.95 | 19,29.33 | (+) 4.21 |
| 4711. | बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 8.81 | 1,96.41 | 2.57 | 1,98.98 | (+) 1.31 |
| योग - (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा | | 10,76.51 | 1,65,84.28 | 12,70.60 | 1,78,54.88 | (+) 7.66 |
| (ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4801. | बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 39,53.00 | 1,99,46.60 | 42,49.21 | 2,41,95.81 | (+) 21.30 |
| 4802. | पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय | 0.01 | 5.01 | (-) 5.00 (क) | 0.01 | (-) 99.80 |
| 4810. | नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 1.15 | .. | 1.15 | .. |
| योग -(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा | | 39,53.01 | 1,99,52.76 | 42,44.21 | 2,41,96.97 | (+) 21.27 |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4851. | ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 24.24 | 73.26 | 0.07 | 73.33 | (+) 0.10 |
| 4852. | लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 0.02 | .. | 0.02 | .. |
| 4853. | अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 7.68 | 1,63.64 | 8.18 | 1,71.82 | (+) 5.00 |
| 4857. | रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 1.15 | .. | 1.15 | .. |

(क) ऋण आंकड़े राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड, जयपुर से वापसी के कारण हैं।

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

| मुख्य शीर्ष | विवरण | 2013-14 के दौरान व्यय | 2013-14 तक का प्रगामी व्यय | 2014-15 के दौरान व्यय | 2014-15 तक का प्रगामी व्यय | वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा- (समाप्त) | | | | | | |
| 4858. | इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 0.24 | .. | 0.24 | .. |
| 4860. | उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 43.00 | 1,21.47 | 42.57 | 1,64.04 | (+) 35.05 |
| 4875. | अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 0.11 | .. | 0.11 | .. |
| 4885. | उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय | 47.91 | 4,70.36 | (-) 81.64(क) | 3,88.72 | (-) 17.36 |
| योग -(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा | | 1,22.83 | 8,30.25 | (-) 30.82 | 7,99.43 | (-) 3.71 |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 5002. | भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | ..* | .. | ..* | .. |
| 5053. | नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 4.49 | .. | 4.49 | .. |
| 5054. | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 22,27.08 | 98,72.96 | 27,06.33 | 1,25,79.29 | (+) 27.41 |
| 5055. | सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | 1,50.00 | 5,33.17 | 80.00 | 6,13.17 | (+) 15.00 |
| योग -(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा | | 23,77.08 | 1,04,10.62 | 27,86.33 | 1,31,96.95 | (+) 26.76 |
| (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 5425. | अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 1.24 | 11.64 | 0.11 | 11.75 | (+) 0.95 |
| योग - (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा | | 1.24 | 11.64 | 0.11 | 11.75 | (+) 0.95 |

(क) ऋण आंकड़े, सिकन्दरा स्टोन पार्क 2007-08 (₹ 1.75 करोड़) तथा दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरीडोर (₹ 80.00 करोड़) की रीको द्वारा अनुपयोजित राशि जमा कराने के कारण है।

* मात्र ₹ 23,465।

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

| मुख्य शीर्ष | विवरण | 2013-14 के दौरान व्यय | 2013-14 तक का प्रगामी व्यय | 2014-15 के दौरान व्यय | 2014-15 तक का प्रगामी व्यय | वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| (अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 5452. | पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 24.72 | 2,80.30 | 26.36 | 3,06.66 | (+) 9.40 |
| 5465. | सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | .. | 76.11 | .. | 76.11 | .. |
| 5475. | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 44.84 | 5,10.72 | 1,67.07 | 6,77.79 | (+) 32.71 |
| योग -(अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | 69.56 | 8,67.13 | 1,93.43 | 10,60.56 | (+) 22.31 |
| योग -ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | 87,78.97 | 5,71,28.27 | 97,30.83 | 6,68,44.53 | (+) 17.01 |
| कुल योग | | 1,36,64.66 | 9,28,83.17 | 1,61,02.69 | 10,89,71.29 (क) | (+) 17.32 |

(क) कृपया पृष्ठ संख्या 31 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

विवरण संख्या 5- (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिफल :- निम्नलिखित योजनाओं के प्रोफार्मा लेखे विभागों द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं :-

| विभाग तथा उनके उपक्रमों का नाम | वर्ष जब से लेखे बकाया हैं | अभ्युक्तियां |
|---|--|---|
| भू-जल विभाग | | |
| (1) जोधपुर में पम्पिंग सैटों के क्रय और विक्रय की योजना | 1975-76 से 1987-88 (नवम्बर 1987 तक) | योजना दिसम्बर 1987 से गैर-वाणिज्यिक घोषित कर दी गई लेकिन इस अवधि से पूर्व की लेखापरीक्षा से मुक्त नहीं किया गया। लेखे प्रतीक्षित हैं। |
| (2) राजस्थान भू-जल विभाग, जोधपुर | 1974-75 से 1987-88 (नवम्बर 1987 तक) | योजना दिसम्बर 1987 से गैर-वाणिज्यिक घोषित कर दी गई लेकिन इस अवधि से पूर्व की लेखापरीक्षा से मुक्त नहीं किया गया। लेखे प्रतीक्षित हैं। |
| वन | | |
| (1) तेंदू पत्ता योजना | 2014-15 | लेखे प्रतीक्षित हैं। |

2. सरकार के निवेश :- वर्ष 2014-15 में सरकार ने सांविधिक निगम (₹ 80.00 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 42,86.78 करोड़), संयुक्त पूंजी कम्पनियों और साझेदारी संस्थाये (₹ 25.00 करोड़) तथा सहकारी बैंकों और समितियों (₹ (-) 0.19 करोड़) की अंश पूंजी में ₹ 43,91.59 करोड़ (निवल) निवेश किये। ब्यौरे विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।

2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के अंत में विभिन्न संस्थाओं की अंश पूंजी में सरकारी निवेश क्रमशः ₹ 1,87,53.33 करोड़, ₹ 2,35,18.00 करोड़ तथा ₹ 2,79,09.59 करोड़, था। उनसे प्राप्त लाभांश और ब्याज क्रमशः ₹ 57.18 करोड़ (0.30 प्रतिशत), ₹ 24.60 करोड़ (0.10 प्रतिशत) तथा ₹ 63.33 करोड़ (0.23 प्रतिशत) था। ब्यौरे विवरण संख्या 8 तथा 19 में दिये गये हैं।

3. कतिपय सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम परिशिष्ट संख्या - VIII में दिये गये हैं।

विवरण संख्या – 6 उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण *

| ऋण का स्वरूप | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियां | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | 31 मार्च 2015 को शेष | निवल वृद्धि (+)/ कमी (-) | | कुल दायित्व का प्रतिशत |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | राशि | % | |
| (₹ करोड़ में) | | | | | | | |
| क. लोक ऋण | | | | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | | | | | | | |
| बाजार कर्ज | 5,13,84.17 | 1,23,00.00 | 22,97.87 | 6,13,86.30 | (+) 1,00,02.13 | 19.47 | 41.59 |
| प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र | 33,95.32 | 18,06.00 | 18.44 | 51,82.88 | (+) 17,87.56 | 52.65 | 3.51 |
| वित्तीय संस्थाओं से कर्ज | 57,31.44 | 18,91.29 | 8,69.11 | 67,53.62 | (+) 10,22.18 | 17.83 | 4.58 |
| राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 2,00,21.97 | 13,47.49 | 12,43.72 | 2,01,25.74 | (+) 1,03.77 | 0.52 | 13.63 |
| अन्य कर्ज | 48.03 | 1.69 | 21.82 | 27.90 | (-) 20.13 | 41.91 | 0.02 |
| 6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | | | | | | |
| योजनेतर कर्ज | 49.25 | .. | 5.36 | 43.89 | (-) 5.36 | 10.88 | 0.03 |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज | 66,89.61 | 7,94.35 | 5,03.72 | 69,80.24 | (+) 2,90.63 | 4.34 | 4.73 |
| केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज | 0.29 | .. | .. | 0.29 | .. | .. | .. |
| केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिये कर्ज | 4.28 | .. | .. | 4.28 | .. | .. | .. |
| 1984-85 से पूर्व के कर्ज | 5.40 | .. | .. | 5.40 | .. | .. | .. |
| योग-क. लोक ऋण | 8,73,29.76 | 1,81,40.82 | 49,60.04 | 10,05,10.54 | (+) 1,31,80.78 | 15.09 | 68.09 |

* एक अधिक विस्तृत लेखा खण्ड II के विवरण संख्या 17 में दिया गया है।

विवरण संख्या 6 - (क्रमशः)

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

| ऋण का स्वरूप | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियां | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | 31 मार्च 2015 को शेष | निवल वृद्धि (+)/ कमी (-) | | कुल दायित्व का प्रतिशत |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | राशि | % | |
| (₹ करोड़ में) | | | | | | | |
| ख. अन्य दायित्व | | | | | | | |
| <i>लोक लेखे</i> | | | | | | | |
| अल्प बचत, भविष्य निधि आदि | 2,92,65.67 | 70,81.84 | 41,00.09 | 3,22,47.42 | (+) 29,81.75 | 10.19 | 21.85 |
| ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 2,10.34 | 17,37.83 | 15,86.00 | 3,62.17 | (+) 1,51.83 | 72.18 | 0.24 |
| बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 9,50.39 | 6,23.76 | 6,50.87 | 9,23.28 | (-) 27.11 | 2.85 | 0.63 |
| ब्याज वाली जमा | 37,62.93 | 14,03.19 | 10,57.85 | 41,08.27 | (+) 3,45.34 | 9.18 | 2.78 |
| बिना ब्याज वाली जमा | 83,91.04 | 10,56,56.31 | 10,45,90.52 | 94,56.83 | (+) 10,65.79 | 12.70 | 6.41 |
| योग-ख अन्य दायित्व | 4,25,80.37 | 11,65,02.93 | 11,19,85.33 | 4,70,97.97 | (+) 45,17.60 | 10.61 | 31.91 |
| कुल योग | 12,99,10.13 | 13,46,43.75 | 11,69,45.37 | 14,76,08.51 | (+) 1,76,98.38 | 13.62 | 100.00 |

राज्य विधान मण्डल द्वारा "राजस्थान राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संकलन) अधिनियम, 2011" पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को वित्तीय वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 36.50 प्रतिशत तक सीमित रखेगी। 2014-15 के दौरान राज्य का वास्तविक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.69 प्रतिशत था।

विवरण संख्या 6- (क्रमशः)

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण - (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1. परिशोधन व्यवस्था -

(क) खुले बाजार से कर्ज - वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) जागीर बाण्ड्स और भारत सरकार से लिए गए कर्ज - इन बाण्डों और ऋणों के परिशोधन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

2. अल्प बचत निधि से कर्ज - डाकघरों में "अल्प बचत योजनाएं" तथा "लोक भविष्य निधि" में संग्रहित राशि में से कर्ज राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार में 3:1 के अनुपात में बांटे गये हैं। वर्ष 1999-2000 में लघु बचत संग्रहण में से कर्ज जारी करने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" के नाम से एक अलग निधि की स्थापना की गयी। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 13,47.49 करोड़ कर्ज प्राप्त किये गये एवं वर्ष के दौरान ₹ 12,43.72 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था। वर्ष के अंत में ₹ 2,01,25.74 करोड़ की राशि का शेष बकाया था जो 31 मार्च 2015 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण का 20.02 प्रतिशत था।

3. भारत सरकार से लिए गए कर्ज तथा अग्रिम- ऋण भार में वृद्धि - 2014-15 के दौरान भारत सरकार से लिए गये कर्ज तथा अग्रिम के शेष में ₹ 2,85.27 करोड़ की वृद्धि हुई जो मुख्यतः राज्य/संघ राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अधिक कर्ज प्राप्त होने के कारण रही।

31 मार्च 2015 को भारत सरकार से प्राप्त कर्ज उसी तिथि में राज्य सरकार के कुल लोक ऋण के 7.00 प्रतिशत के संगठक रहा।

4. राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण - ब्याज वाले बाजार कर्ज - इनके अन्तर्गत खुले बाजार से लिये गये लम्बी अवधि के कर्ज और भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजे और पुनर्वास अनुदानों के भुगतान हेतु जारी किए बाण्ड आते हैं जिन्हें दस वर्ष में चुकाना होता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,23,00.00 करोड़ के 23 कर्ज लिये गये थे। इन कर्जों पर ब्याज क्रमशः 9.63, 9.38, 9.21, 9.11, 8.79, 8.97, 8.96, 8.94, 9.03, 8.94, 8.99, 8.90, 8.84, 8.71, 8.42, 8.43, 8.16, 8.24, 8.12, 8.05, 8.06, 8.05 तथा 8.02 प्रतिशत है और 2024 तथा 2025 तक समतुल्य पर मोच्य है जैसा कि विवरण संख्या 17 के अनुबंध में प्रदर्शित है।

31 मार्च 2015 तक सरकार द्वारा लिये गये कर्जों एवं बकायों का ब्यौरा, विवरण संख्या 17 के अनुबंध में दिया गया है। बाजार कर्जों का बकाया शेष राज्य सरकार के कुल लोक ऋण का 61.08 प्रतिशत था।

नितान्त अस्थायी प्रकृति के कोई उधार नहीं थे।

5. अन्य कर्ज-कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक (₹ 18,77.00 करोड़) से कर्ज, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (₹ 14.29 करोड़) से कर्ज तथा अन्य संस्थाओं (₹ 1.69 करोड़) से कर्ज हैं। ₹ 18,06.00 करोड़ के 9.16% तथा 8.45% विशेष पावर बन्ध पत्र जारी किये गये जो 14 वर्षों में पुनर्भुगतान योग्य हैं। ये कर्ज वर्ष के दौरान उधार के संघटक हैं। बकाया कर्जों के ब्यौरे विवरण संख्या 17 तथा उसके अनुबन्ध में दिये गये हैं। अन्य कर्जों का कुल बकाया शेष राज्य सरकार के लोक ऋण का 11.90 प्रतिशत था।

6. परिपक्व रूपरेखा-लोक ऋणों की परिपक्व रूपरेखा, पुनर्भुगतान समयावधि तथा बकाया ऋणों के ब्याज दर, विवरण संख्या 17 में दी गई है।

7. ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोजन-निक्षेप निधि अस्तित्व में नहीं है।

विवरण संख्या 6- (क्रमशः)

(ii) ऋण सेवा

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज :- 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान बकाया सकल ऋण तथा अन्य दायित्वों और राजस्व से पूरित ब्याज प्रभार की कुल निवल राशि नीचे दर्शायी गयी है :-

| | 2014-15 | 2013-14 | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) या कमी (-) |
|---|--------------|-------------|--|
| <i>(₹ करोड़ में)</i> | | | |
| (i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण तथा अन्य दायित्व | | | |
| (क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर | 13,27,57.96 | 11,65,95.43 | (+) 1,61,62.53 |
| (ख) अन्य दायित्वों पर | 1,48,50.55 | 1,33,14.70 | (+) 15,35.85 |
| योग- (i) | 14,76,08.51 | 12,99,10.13 | (+) 1,76,98.38 |
| (ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज | | | |
| (क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर | 1,03,28.31 @ | 89,43.01 | (+) 13,85.30 |
| (ख) अन्य दायित्वों पर | 1,34.59 * | 1,20.19 | (+) 14.40 |
| योग- (ii) | 1,04,62.90 | 90,63.20 | (+) 13,99.70 |
| (iii) घटाइए | | | |
| (क) सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और उधारों पर प्राप्त ब्याज | 1,29.03 | 1,43.26 | (-) 14.23 |
| (ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज | 7,77.96 | 9,06.57 | (-) 1,28.61 |
| योग - (iii) | 9,06.99 | 10,49.83 | (-) 1,42.84 |

@ इसमें ऋण प्रबंध से संबंधित ₹ 12.43 करोड़ सम्मिलित हैं।

* इसमें आरक्षित निधियों पर ब्याज से सम्बन्धित ₹ 31.10 करोड़ सम्मिलित है।

विवरण संख्या 6- (समाप्त)

(ii) ऋण सेवा - (समाप्त)

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज- (समाप्त)

| | 2014-15 | 2013-14 | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) या कमी (-) |
|--|-----------------|----------|--|
| | (₹ करोड़ में) | | |
| (iv) ब्याज प्रभारों की निवल राशि (ii) - (iii) | 95,55.91 | 80,13.37 | (+) 15,42.54 |
| (v) सकल ब्याज का प्रतिशत -मद (ii) का कुल राजस्व प्राप्तियों पर | 11.46 | 12.17 | (-) 0.71 |
| (vi) निवल ब्याज का प्रतिशत -मद (iv) का कुल राजस्व प्राप्तियों पर | 10.46 | 10.76 | (-) 0.30 |

इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य प्राप्तियां और समायोजन भी थे, जिनका योग ₹ 11,58.40 करोड़ था, जैसे वाणिज्यिक विभागों से प्राप्त ब्याज, राजस्व की बकाया पर ब्याज तथा 'विविध' खाते पर ब्याज। यदि इन्हें भी घटा दिया जाये तो, राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 83,97.51 करोड़ होगा, जो कि राजस्व का 9.20 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान सरकार ने विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर ₹ 63.33 करोड़ लाभांश से प्राप्त किये।

विवरण संख्या 7- सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण

खण्ड: 1 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार

| कर्जदार समूह | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान भुगतान की गई | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | बट्टे खाते डाले गये कर्ज तथा उधार | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी | भुगतान योग्य बकाया ब्याज |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं | 1,65.78 | 8.00 | 6.94 | .. | 1,66.84 | (+) 1.06 | उपलब्ध नहीं |
| सरकारी कम्पनियां | 37,98.92* | 2,61.07 | 8,74.33 | .. | 31,85.66 | (-) 6,13.26 | उपलब्ध नहीं |
| नगर पालिकाएं/नगर परिषद/नगर निगम | 1,90.34 | .. | 2.60 | .. | 1,87.74 | (-) 2.60 | उपलब्ध नहीं |
| आवासन मंडल | 4.81 | .. | 0.07 | .. | 4.74 | (-) 0.07 | उपलब्ध नहीं |
| पंचायती राज संस्थाएं | 1.82 | .. | .. | .. | 1.82 | .. | उपलब्ध नहीं |
| शहरी विकास प्राधिकरण | 1,40.80 | 2,66.99 | 36.11 | .. | 3,71.68 | (+) 2,30.88 | उपलब्ध नहीं |
| सांविधिक निगम | 1,49.16 | 25.00 | .. | .. | 1,74.16 | (+) 25.00 | उपलब्ध नहीं |
| सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक | 4,31.29 | 49.72 | 60.40 | .. | 4,20.61 | (-) 10.68 | उपलब्ध नहीं |
| अन्य | 1,21.10* | 90.00 | 23.99 | .. | 1,87.11 | (+) 66.01 | उपलब्ध नहीं |
| योग | 50,04.02 | 7,00.78 | 10,04.44 | .. | 47,00.36 | (-) 3,03.66 | उपलब्ध नहीं |

* पूर्णांक के कारण प्रारंभिक शेष में क्रमशः 1 से कमी/वृद्धि की गयी।

विवरण संख्या 7- (क्रमशः)

खण्ड:2 कर्ज तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार *

| कर्जदार समूह | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान भुगतान की गई | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | बट्टे खाते डाले गये कर्ज तथा उधार | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी | भुगतान योग्य बकाया ब्याज |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| सामान्य सेवाएं | 0.11 | .. | 0.05 | .. | 0.06 | (-) 0.05 | उपलब्ध नहीं |
| सामाजिक सेवाएं | 8,48.09 | 2,74.49 | 1,20.01 | .. | 10,02.57 | (+) 1,54.48 | उपलब्ध नहीं |
| आर्थिक सेवाएं | 41,57.10 | 4,26.29 | 8,84.30 | .. | 36,99.09 | (-) 4,58.01 | उपलब्ध नहीं |
| सरकारी कर्मचारी | (-) 1.60 | .. | 0.08 | .. | (-) 1.68 (क) | (-) 0.08 | उपलब्ध नहीं |
| विविध प्रयोजन | 0.32 | .. | .. | .. | 0.32 | .. | उपलब्ध नहीं |
| योग - कर्ज तथा उधार | 50,04.02 | 7,00.78 | 10,04.44 | .. | 47,00.36 | (-) 3,03.66 | उपलब्ध नहीं |

* ब्योरे के लिये खण्ड II का विवरण संख्या 18 देखें।

(क) ऋणात्मक शेष विचाराधीन हैं।

विवरण संख्या -7 (क्रमशः)

खण्ड:3 बकाया रही वसूलियां

(क) प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा संधारित विस्तृत कर्ज लेखे : उर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित निकायों के अतिरिक्त विभिन्न निकायों को दिये गये कर्ज, जिनके ब्यौरेवार लेखे, लेखा कार्यालय में रखे जाते है, के सम्बन्ध में वर्ष 2014-15 के अन्त तक कुल मूल राशि ₹ 5,22.18 करोड़ बकाया थी जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है।

| क्र.सं. | लेखा शीर्ष | 31 मार्च 2015 को बकाया राशि (₹ करोड़ में) |
|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. 6216-80-800(01) | औद्योगिक आवास योजना | 0.02 |
| 2. 6217 | शहरी विकास के लिये कर्ज | 5,21.73 |
| 3. 6235-60-800(01) [01] | जागीरदारों को उधार | 0.11 |
| 4. 7615-200 | विविध कर्ज | 0.32 |
| योग | | 5,22.18 |

(ख) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 4,64.20 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 1,38.19 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 7,41.08 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 6,08.36 करोड़) और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 6,08.10 करोड़) को कर्जों के मामले में मार्च 2015 के अन्त तक कुल ₹ 25,59.93 करोड़ बकाया थे तथा पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विरुद्ध 19 जुलाई 2000 तक ₹ 7,35.28[#] करोड़ के ब्याज की राशि वसूली के लिये बकाया थी ।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गजट नोटिफिकेशन संख्या राज बिल/2000/1717 दिनांक 18.1.2002 को ध्यान में रखते हुये ब्याज की पुर्नगणना की गयी ।

विवरण संख्या 7 –(क्रमशः)

खण्ड:3 बकाया रही वसूलियां –(क्रमशः)

(ग) राज्य सरकार द्वारा संधारित विस्तृत कर्ज लेखे :-

निश्चित श्रेणी के कर्जों (2014- 15 के अन्त तक कुल बकाया राशि ₹ 16,18.25[@] करोड़) के ब्यौरेवार लेखे राज्य सरकार के 32 नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं। सरकार के आदेशों के अधीन कर्जों की किशतों और ब्याज की बकाया वसूली के ब्यौरे प्रधान महालेखाकार को प्रतिवर्ष जून तक भेजने के लिये नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है।

2014-15 के लिये देय 186 विवरणों में से 30 जून 2015 तक केवल 123 विवरण प्राप्त हुए। इन विवरणों में 31 मार्च 2015 को ब्याज सहित ₹ 7.02.32 करोड़ वसूली के बकाया प्रकट हुए। विश्लेषण निम्न प्रकार है :-

| क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | 31 मार्च 2015 को बकाया राशि | बकाया रही वसूलियां | |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------|-------|
| | | | मूलधन | ब्याज |
| | | | (₹ करोड़ में) | |
| 1. | 6075. विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज | 0.06 | 0.06 | .. |
| 2. | 6245. प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए कर्ज | 0.76 | 0.76 | .. |
| 3. | 6250. अन्य समाज सेवाओं के लिये कर्ज | 1.38 | 1.38 | .. |
| 4. | 6401. फसल कृषि- कर्म के लिए कर्ज | 17.96 | 17.96 | .. |
| 5. | 6402. मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज | 0.08 | 0.08 | .. |
| 6. | 6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज | 1,61.03 | 1,61.03 | .. |
| 7. | 6425. सहकारिता के लिए कर्ज | 3,37.04 | 3,37.04 | .. |
| 8. | 6506. भूमि सुधार के लिए कर्ज | 0.06 | 0.06 | .. |
| 9. | 6705. सिंचित क्षेत्र विकास के लिए कर्ज | 0.12 | 0.12 | .. |
| 10. | 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज | 4.35 | 4.35 | .. |
| 11. | 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज | 1,51.91 | 1,51.91 | .. |
| 12. | 6885. उद्योगों तथा खनिजों को अन्य कर्ज | 27.52 | 27.52 | .. |
| 13. | 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज | 0.05 | 0.05 | .. |
| योग | | 7,02.32 | 7,02.32 | |

@ इसमें सरकारी कर्मचारियों को दिये गये कर्ज [₹(-)1.68 करोड़] शामिल है, जिनके विस्तृत लेखे राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं, किन्तु वसूलियों को अतिदेय नहीं बताया गया है।

विवरण संख्या 7 –(समाप्त)

खण्ड:3 बकाया रही वसूलियां – (समाप्त)

(घ) कर्जों से सम्बन्धित मूलधन तथा ब्याज के बीतकाल बकाया के विवरण अभी तक (जून 2015) निम्नलिखित विभागों/प्राधिकारियों में प्रतीक्षित है :-

| क्रम संख्या | विभाग/ प्राधिकारी वर्ग का नाम | बकाया विवरणों की संख्या | पूर्व के वर्ष से बकाया |
|-------------|---|-------------------------|------------------------|
| 1. | उपसचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर | 3 | 2009-10 |
| 2. | निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर | 26 | 2006-07 |
| 3. | आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर | 4 | 2009-10 |
| 4. | उपसचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग, जयपुर | 1 | 2012-13 |
| 5. | आयुक्त, पुर्नवास विभाग, जयपुर | 2 | 2007-08 |
| 6. | जागीर आयुक्त, जयपुर | 2 | 2007-08 |
| 7. | निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर | 2 | 2012-13 |
| 8. | मुख्य वनसंरक्षक, जयपुर | 3 | 2008-09 |
| 9. | उपसचिव, डेयरी विकास विभाग, जयपुर | 1 | 2007-08 |
| 10. | उपसचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर | 7 | 2007-08 |
| 11. | निदेशक, खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर | 3 | 2008-09 |
| 12. | मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर | 2 | 2006-07 |
| 13. | निदेशक, पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर | 1 | 2012-13 |
| 14. | निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, जयपुर | 2 | 2013-14 |
| 15. | वित्तीय नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जयपुर | 1 | 2013-14 |
| 16. | वित्तीय नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, जयपुर | 1 | 2014-15 |
| 17. | निदेशक, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर | 1 | 2014-15 |
| 18. | सचिव, सिंचित क्षेत्र तथा जल उपयोगिता विभाग, जयपुर | 1 | 2014-15 |
| योग | | 63 | |

विवरण संख्या 8 – सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए विभिन्न संस्थाओं की अंशपूंजी तथा ऋण-पत्रों में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश *

| संस्था का नाम | 2014-15 | | | 2013-14 | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|---|
| | संस्थाओं की संख्या | वर्ष के अंत में निवेश | वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति | संस्थाओं की संख्या | वर्ष के अंत में निवेश | वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति |
| | | (₹ करोड़ में) | | | (₹ करोड़ में) | |
| 1. सांविधिक निगम | 7 | 7,64.34 | 1.36 | 7 | 6,84.34 | 1.33 |
| 2. ग्रामीण बैंक | 2 | 73.69 | .. | 3 | 73.69 | .. |
| 3. सरकारी कम्पनियां | 43 | 2,64,23.44 | 60.31 | 44 | 2,21,36.66 | 21.39 |
| 4. संयुक्त पूंजी कम्पनियां और साझेदारी संस्थाएं | 25 | 1,40.65 | 0.01 | 25 | 1,15.65 | 0.02 |
| 5. सहकारी बैंक तथा समितियां | ** | 5,07.47 | 1.65 | ** | 5,07.66 | 1.86 |
| योग | 77 | 2,79,09.59 | 63.33 | 79 | 2,35,18.00 | 24.60 |

* ब्यौरे के लिए खण्ड II का विवरण संख्या 19 का भाग 1 देखें।

** सहकारी बैंकों तथा समितियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है (अगस्त 2015)।

विवरण संख्या - 9 सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जे आदि के पुर्नभुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दी गई गारन्टियां तथा

31 मार्च 2015 को विभिन्न क्षेत्रों में बकाया गारन्टियों का योग

| वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या) | गारन्टी की गई अधिकतम राशि * | वर्ष | वर्ष के | घटत* | वर्ष के दौरान | | वर्ष | गारन्टी कमीशन | | अन्य आवश्यक विवरण |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|--|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| | | 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया * | दौरान बढ़त* | (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त) | याचिका | चुकाई गई नहीं चुकाई | 2014-15 के अन्त में बकाया * | अथवा फीस | प्राप्त होने योग्य प्राप्त | |
| <i>(₹ करोड़ में)</i> | | | | | | | | | | |
| वर्ग (1) | | | | | | | | | | |
| ऊर्जा (5) | 15,01,08.68 | 7,90,07.30 | 1,34,18.74 | 54,46.57 | .. | .. | 8,69,79.47 | 5,85.17 | 5,85.17 | .. |
| सहकारी समितियाँ (7) | 27,64.00 | 16,16.08 | 4,28.37 | 6,02.49 | .. | .. | 14,41.96 | 2.41 | 2.41 | .. |
| सड़क तथा परिवहन (1) | 27,29.94 | 12,44.80 | 5,10.60 | 28.15 | .. | .. | 17,27.25 | 14.59 | 14.59 | .. |
| राज्य वित्तीय निगम (1) | 3,00.00 | 3,00.00 | .. | .. | .. | .. | 3,00.00 | 3.00 | 3.00 | .. |
| नगरीय विकास और आवासन (2) | 46,12.27 | 28,98.75 | 6,60.64 | 3,16.91 | .. | .. | 32,42.48 | 4.51 | 3.58 | .. |
| अन्य आधारभूत (1) | 3,50.00 | 1,30.38 | 85.00 | 44.23 | .. | .. | 1,71.15 | 1.74 | 1.74 | .. |
| अन्य कोई (6) | 10,53.08 | 7,13.94 | 1,74.59 | 1,73.03 | .. | .. | 7,15.50 | 7.40 | 7.40 | .. |
| योग | 16,19,17.97 | 8,59,11.25 | 1,52,77.94 | 66,11.38 | .. | .. | 9,45,77.81 | 6,18.82 | 6,17.89 | .. |

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

विवरण संख्या 10 – सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान का विवरण

(i) वर्ष 2014-15 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

| अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी | सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां | | | जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-------------------|--|--------------|----------------|
| | आयोजना, के. प्र. यो. तथा केन्द्रीय योजना सहित | आयोजना भिन्न | योग | आयोजना, के. प्र. यो. तथा केन्द्रीय योजना सहित | आयोजना भिन्न | योग |
| <i>(₹ करोड़ में)</i> | | | | | | |
| 1. स्थानीय शहरी निकाय | | | | | | |
| (i) नगर निगम | 2,37.95 | 7,21.59 | 9,59.54 | .. | .. | .. |
| (ii) नगर पालिकाएं/नगर परिषद | 6,67.66 | 8,23.45 | 14,91.11 | 15.00 | .. | 15.00 |
| योग – स्थानीय शहरी निकाय | 9,05.61 | 15,45.04 | 24,50.65 | 15.00 | .. | 15.00 |
| 2. पंचायती राज संस्थाएं | | | | | | |
| (i) जिला परिषद | 56,99.21 | 88.42 | 57,87.63 | 2,57.78 | .. | 2,57.78 |
| (ii) पंचायत समिति | 3,42.11 | 38,24.00 | 41,66.11 | .. | .. | .. |
| (iii) ग्राम पंचायत | 29,89.17 | 8,90.37 | 38,79.54 | .. | .. | .. |
| योग – पंचायती राज संस्थाएं | 90,30.49 | 48,02.79 | 1,38,33.28 | 2,57.78 | .. | 2,57.78 |
| 3. राजकीय क्षेत्र उपक्रम | | | | | | |
| (i) सांविधिक निगम | 1,49.54 | 1,73.25 | 3,22.79 | .. | .. | .. |
| (ii) सरकारी कम्पनियां | 2,87.00 | 7,85.51 | 10,72.51 | .. | .. | .. |
| योग – राजकीय क्षेत्र उपक्रम | 4,36.54 | 9,58.76 | 13,95.30 | .. | .. | .. |
| 4. गैर सरकारी संगठन | | | | | | |
| अन्य | 13.95 | 29.06 | 43.01 | 8.18 | .. | 8.18 |
| योग – गैर सरकारी संगठन | 13.95 | 29.06 | 43.01 | 8.18 | .. | 8.18 |

विवरण संख्या 10 - (क्रमशः)

(i) वर्ष 2014-15 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण- (क्रमशः)

| अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी | सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां | | | जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां | | |
|--|--|----------------|-----------------|--|--------------|----------------|
| | आयोजना, के. प्र. यो. तथा केन्द्रीय योजना सहित | आयोजना भिन्न | योग | आयोजना, के. प्र. यो. तथा केन्द्रीय योजना सहित | आयोजना भिन्न | योग |
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| 5. स्वायत्तशासी निकाय | | | | | | |
| विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाएं | 8,17.00 | 3,11.22 | 11,28.22 | 6,03.22 | .. | 6,03.22 |
| योग - स्वायत्तशासी निकाय | 8,17.00 | 3,11.22 | 11,28.22 | 6,03.22 | .. | 6,03.22 |
| 6. सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं | | | | | | |
| सहकारी संस्थाएं | 5,81.91 | 2.21 | 5,84.12 | 10.74 | .. | 10.74 |
| योग - सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं | 5,81.91 | 2.21 | 5,84.12 | 10.74 | .. | 10.74 |
| 7. सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण | | | | | | |
| विकास प्राधिकरण | 6.72 | 0.21 | 6.93 | .. | .. | .. |
| योग - सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण | 6.72 | 0.21 | 6.93 | .. | .. | .. |
| 8. अन्य | | | | | | |
| (i) राज्य विधान मंडल | .. | 0.13 | 0.13 | .. | .. | .. |
| (ii) न्याय प्रशासन | .. | 1.05 | 1.05 | .. | .. | .. |
| (iii) बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 4,46.04 | .. | 4,46.04 | .. | .. | .. |
| (iv) पुलिस | .. | 3.79 | 3.79 | .. | .. | .. |

विवरण संख्या 10 - (क्रमशः)

(i) वर्ष 2014-15 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण- (क्रमशः)

| अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी | सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां | | | जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां | | |
|-----------------------------------|--|--------------|----------|--|--------------|---------|
| | आयोजना, के. प्र. यो. तथा केन्द्रीय योजना सहित | आयोजना भिन्न | योग | आयोजना, के. प्र. यो. तथा केन्द्रीय योजना सहित | आयोजना भिन्न | योग |
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| 8. अन्य - (क्रमशः) | | | | | | |
| (v) जेल | .. | 1.82 | 1.82 | .. | .. | .. |
| (vi) अन्य प्रशासनिक सेवाएं | .. | 0.86 | 0.86 | .. | .. | .. |
| (vii) विविध सामान्य सेवाएं | .. | 0.67 | 0.67 | .. | .. | .. |
| (viii) शिक्षा | 42,27.35 | 57.10 | 42,84.45 | 1,63.81 | .. | 1,63.81 |
| (ix) तकनीकी शिक्षा | 17.46 | .. | 17.46 | .. | .. | .. |
| (x) खेल एवं युवा सेवाएं | 24.85 | 23.48 | 48.33 | .. | .. | .. |
| (xi) कला एवं संस्कृति | 10.27 | 21.40 | 31.67 | 4.75 | 4.93 | 9.68 |
| (xii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | 1,56.08 | 13.39 | 1,69.47 | .. | .. | .. |
| (xiii) परिवार कल्याण | 0.34 | .. | 0.34 | .. | .. | .. |
| (xiv) शहरी विकास | .. | 0.32 | 0.32 | .. | .. | .. |
| (xv) सामाजिक न्याय | 2,11.86 | 4.67 | 2,16.53 | .. | .. | .. |
| (xvi) श्रम तथा रोजगार | 39.32 | 2,51.95 | 2,91.27 | .. | .. | .. |
| (xvii) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 64.39 | 10.61 | 75.00 | .. | .. | .. |
| (xviii) एकीकृत बाल विकास सेवाएं | 3.16 | .. | 3.16 | .. | .. | .. |
| (xix) प्राकृतिक आपदा के कारण राहत | .. * | 15,22.48 | 15,22.48 | .. | .. | .. |
| (xx) अन्य सामाजिक सेवाएं | .. | 0.52 | 0.52 | .. | .. | .. |
| (xxi) फसल कृषि कर्म | 10,22.86 | .. | 10,22.86 | .. | .. | .. |

* ₹ 28,458 मात्र।

विवरण संख्या 10 - (क्रमशः)

(i) वर्ष 2014-15 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण- (समाप्त)

| अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी | सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां | | | जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां | | |
|--|--|-----------------|-------------------|--|--------------|-----------------|
| | आयोजना, के. प्र. यो. तथा केन्द्रीय योजना सहित | आयोजना भिन्न | योग | आयोजना, के. प्र. यो. तथा केन्द्रीय योजना सहित | आयोजना भिन्न | योग |
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| 8. अन्य - (समाप्त) | | | | | | |
| (xxii) पशु पालन | 5.33 | .. | 5.33 | .. | .. | .. |
| (xxiii) मछली पालन | 0.23 | .. | 0.23 | .. | .. | .. |
| (xxiv) वन | 1,76.13 | 0.20 | 1,76.33 | 1,38.39 | .. | 1,38.39 |
| (xxv) इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान | .. | 1.54 | 1.54 | .. | .. | .. |
| (xxvi) मुख्य एवं मध्यम सिंचाई | 2.99 | .. | 2.99 | 0.14 | .. | 0.14 |
| (xxvii) सिंचित क्षेत्र विकास | 0.41 | .. | 0.41 | .. | .. | .. |
| (xxviii) ग्राम एवं लघु उद्योग | 7.57 | 27.45 | 35.02 | .. | .. | .. |
| (xxix) उद्योग | 40.00 | .. | 40.00 | 4.91 | .. | 4.91 |
| (xxx) सड़क परिवहन | 16.29 | .. | 16.29 | .. | .. | .. |
| (xxxi) अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 0.60 | .. | 0.60 | .. | .. | .. |
| (xxxii) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी | 34.61 | .. | 34.61 | 33.15 | .. | 33.15 |
| (xxxiii) सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 1,11.80 | 0.19 | 1,11.99 | .. | .. | .. |
| (xxxiv) पर्यटन | 0.60 | 0.25 | 0.85 | .. | .. | .. |
| (xxxv) नागरिक आपूर्ति | 3,23.12 | .. | 3,23.12 | .. | .. | .. |
| (xxxvi) देवस्थान | .. | 0.05 | 0.05 | .. | .. | .. |
| योग - अन्य | 69,43.66 | 19,43.93 | 88,87.59 | 3,45.15 | 4.93 | 3,50.08 |
| कुल योग | 1,87,35.88 | 95,93.21 | 2,83,29.09 | 12,40.07 | 4.93 | 12,45.00 |

विवरण संख्या 10 - (समाप्त)

(ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण*

| ग्रांटी नाम/श्रेणी | पण्य सहायता अनुदान का कुल मूल्य | पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान का मूल्य |
|---|---------------------------------|---|
| (₹ करोड़ में) | | |
| 1. स्थानीय शहरी निकाय | | |
| (i) नगर निगम | .. | .. |
| (ii) नगर पालिकाएं/नगर परिषद | .. | .. |
| 2. पंचायती राज संस्थाएं | | |
| (i) जिला परिषद | 0.07 | .. |
| (ii) पंचायत समिति | .. | .. |
| (iii) ग्राम पंचायत | .. | .. |
| 3. राजकीय क्षेत्र उपक्रम | | |
| (i) सांविधिक निगम | .. | .. |
| (ii) सरकारी कम्पनियां | .. | .. |
| 4. गैर सरकारी संगठन | | |
| अन्य | .. | .. |
| 5. स्वायत्तशाषी निकाय | | |
| विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाएं | .. | .. |
| 6. सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं | | |
| सहकारी संस्थाएं | .. | .. |
| 7. सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण | | |
| विकास प्राधिकरण | .. | .. |
| 8. अन्य | | |
| अन्य | 14.00 | .. |
| कुल योग | 14.07 | .. |

* राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया।

विवरण संख्या 11- दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

| विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | प्रभारित | दत्तमत | योग | प्रभारित | दत्तमत | योग |
| | <i>(₹ करोड़ में)</i> | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | 1,05,70.38 | 8,39,71.59 | 9,45,41.97 | 91,77.64 | 6,63,31.95 | 7,55,09.59 |
| व्यय शीर्ष (पूंजी लेखा) | 0.02 | 1,61,02.67 | 1,61,02.69 | 0.15 | 1,36,64.51 | 1,36,64.66 |
| लोक ऋण, कर्ज तथा उधार के अंतर्गत संवितरण और आकस्मिकता निधि को अन्तरण # | 49,60.04 | 10,00.78 | 59,60.82 | 41,15.62 | 8,11.21 | 49,26.83 |
| योग | 1,55,30.44 | 10,10,75.04 | 11,66,05.48 | 1,32,93.41 | 8,08,07.67 | 9,41,01.08 |
| # आंकड़े निम्न प्रकार निकाले गये हैं :- | | | | | | |
| ड. लोक ऋण * | | | | | | |
| राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण | 44,50.96 | .. | 44,50.96 | 36,24.72 | .. | 36,24.72 |
| केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | 5,09.08 | .. | 5,09.08 | 4,90.90 | .. | 4,90.90 |
| च. कर्ज तथा उधार * | | | | | | |
| सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज | .. | 2,74.49 | 2,74.49 | .. | 3,03.41 | 3,03.41 |
| आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | .. | 4,26.29 | 4,26.29 | .. | 5,07.80 | 5,07.80 |
| सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विभिन्न प्रयोजनो हेतु कर्ज | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| छ. अन्तरराज्यीय समायोजन | | | | | | |
| अन्तरराज्यीय समायोजन | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ज. आकस्मिकता निधि को अंतरण | | | | | | |
| आकस्मिकता निधि को अंतरण | .. | 3,00.00 | 3,00.00 | .. | .. | .. |
| योग | 49,60.04 | 10,00.78 | 59,60.82 | 41,15.62 | 8,11.21 | 49,26.83 |

* विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या क्रमशः 17 एवं 18 में दिये गये हैं ।

विवरण संख्या 11- (समाप्त)

कुल व्यय पर प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2014-15 तथा 2013-14 के दौरान नीचे दिये अनुसार था :-

| | कुल व्यय का प्रतिशत | |
|---------|---------------------|-------------|
| | प्रभारित व्यय | दत्तमत व्यय |
| 2014-15 | 13.32 | 86.68 |
| 2013-14 | 14.13 | 85.87 |

**विवरण संख्या 12 – राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए
निधियों के स्रोतों एवं आवेदन का विवरण**

| विवरण | 1 अप्रैल 2014 को | 2014-15 के दौरान | 31 मार्च 2015 को |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | (₹ करोड़ में) | |
| पूँजीगत तथा अन्य व्यय | | | |
| पूँजीगत व्यय- | | | |
| सामान्य सेवाएं | 22,54.36 | 5,33.73 | 27,88.09 |
| शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 9,32.23 | 56.41 | 9,88.64 |
| स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 14,75.37 | 4,84.32 | 19,59.69 |
| जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 2,92,29.11 | 50,36.27 (क) | 3,42,65.38 |
| सूचना तथा प्रसारण | 8.61 | 2.85 | 11.46 |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | 16,66.55 | 1,94.03 | 18,60.58 |
| समाज कल्याण तथा पोषण | 3,40.55 | 24.58 | 3,65.13 |
| अन्य सामाजिक सेवाएं | 1,82.75 | 55.10 | 2,37.85 |
| कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप | 28,06.75 | 5,49.05 | 33,41.23(ख) |
| ग्राम विकास | 40,72.78 | 4,55.84 | 45,28.62 |
| विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 15,92.06 | 2,62.08 | 18,54.14 |
| सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण | 1,65,84.28 | 12,70.60 | 1,78,54.88 |
| ऊर्जा | 1,99,52.76 | 42,44.21 | 2,41,96.97 |
| उद्योग तथा खनिज | 8,30.25 | (-) 30.82 | 7,99.43 |
| परिवहन | 1,33,27.76 | 31,37.46 (ग) | 1,64,65.22 |
| विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 11.64 | 0.11 | 11.75 |
| सामान्य आर्थिक सेवाएं | 8,67.13 | 1,93.43 | 10,60.56 |
| योग-पूँजीगत व्यय | 9,61,34.94 | 1,64,69.25 | 11,25,89.62 (घ) |

(क) इसमें ₹ 15.43 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे मुख्य शीर्ष 4215-01-902 (01) को ऋण नामे करते हुए मुख्य हास/ नवीनीकरण आरक्षित निधि (मुख्य शीर्ष 8115) से पूरित किया गया ।

(ख) पूँजी विनिवेश के कारण ₹ 14.57 करोड़ वर्ष के अंत में व्यय से प्रोफोर्मा द्वारा कम किये गये ।

(ग) इसमें ₹ 3,51.13 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे क्रमशः शीर्ष 5054-03-337 (06), (08), 789 (05), (08), 796 (05), (08) तथा 800 (15) को ऋण नामे करते हुए केन्द्रीय सड़क निधि (मुख्य शीर्ष 8449) तथा राज्य सड़क तथा पुल निधि (मुख्य शीर्ष 8225) से पूरित किया गया ।

(घ) इसमें ₹ 36,18.33 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे विकास निधि, आरक्षित निधि आदि से पूरित किया गया ।

विवरण संख्या 12 - (क्रमशः)

| विवरण | 1 अप्रैल 2014 को | 2014-15 के दौरान (₹ करोड़ में) | 31 मार्च 2015 को |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|
| पूँजीगत तथा अन्य व्यय - (क्रमशः) | | | |
| विभिन्न सेवाओं के लिये कर्ज तथा उधार | | | |
| सामान्य सेवाएं | 0.11 | (-) 0.05 | 0.06 |
| शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 41.19 | (-) 4.80 | 36.39 |
| स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 45.46 | 3.04 | 48.50 |
| जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 7,51.09 | 1,54.03 | 9,05.12 |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | 5.29 | 2.44 | 7.73 |
| समाज कल्याण तथा पोषण | 3.66 | (-) 0.22 | 3.44 |
| अन्य | 1.39 | .. | 1.39 |
| कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप | 6,63.88 | 61.74 | 7,25.62 |
| ग्राम विकास | 0.06 | ..* | 0.06 |
| सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 0.12 | ..# | 0.12 |
| ऊर्जा | 31,04.54 | (-) 5,44.61 | 25,59.93 |
| उद्योग तथा खनिज | 1,75.66 | 9.74 | 1,85.40 |
| परिवहन | 1,47.91 | 25.00 | 1,72.91 |
| सामान्य आर्थिक सेवाएं | 64.94 | (-) 9.89 | 55.05 |
| सरकारी कर्मचारियों को कर्ज | (-) 1.60 | (-) 0.08 | (-) 1.68(क) |

* ₹ (-) 0.02 लाख मात्र ।

₹ (-) 0.01 लाख मात्र ।

(क) ऋण शेष जाँच के अधीन है ।

विवरण संख्या 12 - (क्रमशः)

| विवरण | 1 अप्रैल 2014 को | 2014-15 के दौरान (₹ करोड़ में) | 31 मार्च 2015 को |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| पूँजीगत तथा अन्य व्यय - (समाप्त) | | | |
| विभिन्न सेवाओं के लिये कर्ज तथा उधार-(समाप्त) | | | |
| विविध प्रयोजनों के लिए कर्ज | 0.32 | .. | 0.32 |
| योग- विभिन्न सेवाओं के लिए कर्ज तथा उधार | 50,04.02 | (-) 3,03.66 | 47,00.36 |
| आकस्मिकता निधि में अंतरण | .. | 3,00.00 | .. |
| योग-पूँजीगत तथा अन्य व्यय | 10,11,38.96 | 1,64,65.59 | 11,72,89.98 |
| घटाएं- | | | |
| आकस्मिकता निधि से अंशदान | 2,00.00 | 3,00.00 | 5,00.00 |
| पूँजीगत प्राप्ति | 12.13 | .. | 12.13 |
| विविध पूँजीगत प्राप्ति से अंशदान | 61.85 | 14.57 (क) | 76.42 |
| विकास निधि, आरक्षित निधि आदि से अंशदान | 32,51.77 | 3,66.56 | 36,18.33 |
| निवल-पूँजीगत तथा अन्य व्यय | 9,76,13.21 | 1,57,84.46 | 11,30,83.10 |

(क) सहकारी समितियों/बैंकों इत्यादि में विनिवेश से प्राप्ति ।

विवरण संख्या 12 - (समाप्त)

| विवरण | 1 अप्रैल 2014 को | 2014-15 के दौरान (₹ करोड़ में) | 31 मार्च 2015 को |
|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| निधियों के प्रधान स्रोत | | | |
| 2014-15 के लिये राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(-) जोड़िये-निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन ^(क) | (-) 61.85 | (-) 32,15.06 | (-) 76.42 |
| ऋण- | | | |
| राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण | 8,05,80.93 | 1,28,95.51 | 9,34,76.44 |
| केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | 67,48.83 | 2,85.27 | 70,34.10 |
| अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि | 2,92,65.67 | 29,81.75 | 3,22,47.42 |
| योग-ऋण | 11,65,95.43 | 1,61,62.53 | 13,27,57.96 |
| अन्य दायित्व | | | |
| आरक्षित निधियां | 11,60.73 | 1,24.72 | 12,85.45 |
| जमा और पेशगियां | 1,21,51.08 | 14,08.28 | 1,35,59.36 |
| उचंत तथा विविध (सरकारी लेखों की संवृत राशि एवं रोकड़ शेष निवेश लेखा के बगैर) | (-) 27.31 | (-) 39.66 | (-) 66.97 |
| प्रेषण | 2.20 | (-) 0.42 | 1.78 |
| योग -अन्य दायित्व | 1,32,86.70 | 14,92.92 | 1,47,79.62 |
| योग-ऋण तथा अन्य दायित्व | 12,98,82.13 | 1,76,55.45 | 14,75,37.58 |
| घटाएं-रोकड़ शेष | 6.35 | 24.91 | 31.26 |
| घटाएं-निवेश | 89,97.56 | (-) 13,68.98 | 76,28.58 |
| जोड़ें- 2014-15 के दौरान सरकारी लेखा की संवृत राशि | .. | .. | .. |
| निधियों का निवल प्रावधान | 12,08,16.37 | 1,57,84.46 | 13,98,01.32(ख) |

(क) पंक्ति मद में राशि विवरण को तुल्य करने के लिये सम्मिलित की गई है ।

(ख) ₹ 13,66,00.83 करोड़ (₹ 12,08,16.37 करोड़ + ₹ 1,57,84.46 करोड़) से ₹ 32,00.49 करोड़ का अंतर [(₹ 32,15.06 करोड़) राजस्व घाटे का निवल तथा (₹ 14.57 करोड़) निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन] है। 31 मार्च 2015 को पूंजी तथा अन्य व्यय के निवल और उसके लिए निधियों के प्रावधान के निवल के बीच ₹ 2,67,18.22 करोड़ का अन्तर भी था, जो कि संघीय राजस्व घाटा और सरकारी लेखों को संवृत राशि का द्योतक है।

विवरण संख्या 13 - समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

क. 31 मार्च 2015 को शेषों का सारांश निम्न प्रकार है :-

| नामे शेष | सामान्य लेखे का खण्ड | लेखे का नाम | जमा शेष |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| (₹ करोड़ में) | | | (₹ करोड़ में) |
| | | समेकित निधि | |
| 13,56,77.38* | क से घ तथा ठ का भाग (मु.शी. 8680 केवल) | सरकारी लेखे | |
| | ङ | लोक ऋण | 10,05,10.54 |
| 47,00.36 | च | कर्ज तथा उधार | |
| | | आकस्मिकता निधि | 5,00.00 |
| | | लोक लेखा | |
| | झ | अल्प बचत, भविष्य निधि आदि | 3,22,47.42 |
| | ञ | आरक्षित निधि | |
| | | (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 3,62.17 |
| | | (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | |
| 12,85.18 | | सकल शेष | 22,08.46 |
| | | निवेश | |
| | ट | जमा तथा अग्रिम | |
| | | (i) ब्याज वाली जमा | 41,08.27 |
| | | (ii) बिना ब्याज वाली जमा | 94,56.83 |
| 5.74 | | (iii) अग्रिम | |
| | ठ | उच्चत तथा विविध | |
| 76,28.58 | | निवेश | |
| 66.97 | | अन्य मदें (निवल) | |
| .. | ड | प्रेषण | 1.78 |
| 31.26 (क) | ढ | रोकड़ शेष | .. |
| 14,93,95.47 | योग | | 14,93,95.47 |

* इस राशि को समझने के लिए कृपया नीचे पृष्ठ संख्या 60 पर ख देखें ।

(क) रिजर्व बैंक की जमा, जो कि सरकार के रोकड़ शेष का संघटक है, में लेखों में दर्शायी गयी एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित की गयी राशि में अन्तर था। विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 2 के परिशिष्ट के पृष्ठ सं. 9 पर पाद टिप्पणी (च) देखें।

विवरण संख्या 13 - (समाप्त)

ख. **सरकारी लेखे** :- सरकारी लेखों में अनुसरित बही खाता पद्धति के अधीन राजस्व, पूंजी तथा अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत पुस्तांकित राशियों की, जिनके शेषों को लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं ले जाया जाता, एक ही शीर्ष सरकारी लेखे को संवितरित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत शेष, ऐसे समस्त लेन-देनों के संचित परिणाम द्योतक हैं।

उसमें जोड़ने के बाद लोक ऋण, कर्जे और पेशगियां, अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां उच्चत और विविध (विविध सरकारी लेखों के अतिरिक्त) प्रेषण और आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत रहे शेषों को जोड़ने से वर्ष के अन्त में रहने वाला अन्त रोकड़ शेष निकाला तथा सिद्ध किया जा सकता है।

इस सारांश के अन्य शीर्षकों में सरकारी खाता बहियों में समाप्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत रहे ऐसे शेष जिनके सम्बन्ध में सरकार प्राप्त की हुई धन राशियों के चुकारे का दायित्व रखती है अथवा देय राशियों को वसूल करने का दावा रखती है तथा प्रेषण लेन-देनों के समायोजन के लिए खाता बहियों से खोले गये शीर्ष भी आते हैं।

यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन शेष राशियों को सरकार की वित्तीय स्थिति का लेखा-जोखा नहीं माना जा सकता क्योंकि न तो इनमें राज्य की सम्पूर्ण भौतिक परिसम्पत्तियों जैसे - भूमि, भवनों संचार साधनों आदि को और न ही इनमें किसी प्रकार की देयताओं अथवा ऐसे बकाया दायित्वों को दिखाया जाता है जिनका लेखा सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली रोकड़ पर आधारित लेखा विधि के अंतर्गत नहीं रखा जाता।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे निवल राशि इस प्रकार निकाली गई है :-

| नामे | विवरण | जमा |
|--------------------|---|--------------------|
| (₹ करोड़ में) | | (₹ करोड़ में) |
| 11,60,74.20 | क. 1 अप्रैल 2014 को सरकारी लेखे में नामे राशि | |
| | ख. प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) | 9,13,26.91 |
| | ग. प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | 14.57 |
| 9,45,41.97 | घ. व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | |
| 1,61,02.69 | ङ. व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | |
| 3,00.00 | च. आकस्मिकता निधि को अन्तरण | |
| | छ. 31 मार्च 2015 को सरकारी लेखे में नामे राशि | 13,56,77.38 |
| 22,70,18.86 | योग | 22,70,18.86 |

- अनेक मामलों में विवरण 'आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण' (विवरण संख्या-21) में दिखाए गए अन्त शेषों एवं लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस प्रयोजन के लिये संधारित पृथक-पृथक रजिस्ट्रों या अन्य अभिलेखों में दिखाये गए अन्त शेषों में असमाहित अन्तर है। इन अंसगतियों को दूर करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।
- संबंधित अधिकारियों को सत्यापन तथा स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष शेष संसूचित किए जाते हैं। काफी मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
- जिन मामलों में शेषों की स्वीकृति में देरी हुई है एवं विचाराधीन सम्मिलित राशि खण्ड II के परिशिष्ट VII के 'क' में दर्शाई गयी है।
- जिन मामलों में विवरण/प्रलेख शेषों के मिलान के सम्बन्ध में प्रतीक्षित है उनका विस्तृत ब्यौरा खण्ड II के परिशिष्ट VII के परिशिष्ट 'ख' में दिया है।

लेखाओं से टिप्पणियां

1. अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियों का सारांश

- (i) **अस्तित्व तथा लेखा अवधि:** ये लेखे राजस्थान सरकार के 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के लेखे 41 जिला कोषालयों, 264 सार्वजनिक निर्माण खण्डों, 70 वन खण्डों द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन सूचना के आधार पर संकलित किये जाते हैं। प्रेषण इकाइयों द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब उपेक्षा योग्य था तथा वर्ष के दौरान मासिक लेखों से कोई भी लेखा नहीं छोड़ा गया।
- (ii) **लेखे का आधार :** कुछ पुस्तकीय समायोजनों (**अनुबंध - क**) के अपवाद के साथ लेखे लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नगद प्राप्तियों एवं वितरणों को प्रस्तुत करते हैं। भौतिक सम्पत्तियां तथा वित्तीय सम्पत्तियां जैसे, सरकारी निवेश इत्यादि ऐतिहासिक लागत अर्थात् अधिग्रहण/खरीद वर्ष के मूल्य पर दिखाये जाते हैं। भौतिक सम्पत्तियां मूल्य ह्रासित अथवा परिशोधित नहीं की गयी है। भौतिक सम्पत्तियों की हानियां उनकी जीवन अवधि की समाप्ति पर व्यतीत तथा प्रमाणित नहीं की गयी है।
- लेखा अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृत्ति हित लाभों को लेखों में विवरण 15 में दर्शाया गया है, लेकिन सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्व, अर्थात् कर्मचारियों की पूर्व तथा वर्तमान सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति हित लाभ के भुगतान के दायित्व को लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- (iii) **लेखे जिस मुद्रा में रखे जाते हैं:** राजस्थान सरकार के लेखे भारतीय रुपये में संधारित किये जाते हैं।
- (iv) **लेखे का प्रारूप:** संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे उस प्रारूप में रखे जाते हैं जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की राय पर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द "प्रारूप" व्यापक अर्थ रखता है ताकि निर्धारित कार्यवाही को न केवल वृहद प्रारूप जिनमें कि लेखे रखे जाने हैं बल्कि उपयुक्त शीर्षों जिसके अन्तर्गत संव्यवहार वर्गीकृत किये जाने हैं, के चयन के आधार के लिए भी सम्मिलित किया जा सके।
- (v) **राजस्व तथा पूंजी के मध्य वर्गीकरण:** राजस्व व्यय आवृत्ति प्रकृति का है तथा राजस्व प्राप्तियों से पूरित माना जाता है। पूंजीगत व्यय भौतिक तथा स्थायी प्रकार की प्रत्यक्ष सम्पत्तियों की वृद्धि अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने के उद्देश्य के साथ किये गये व्यय को परिभाषित करता है। भारतीय सरकारी लेखांकन प्रमाणक 2 के अनुसार सहायतार्थ अनुदान पर व्यय अनुदान देने वाले की पुस्तकों में राजस्व व्यय तथा प्राप्त करने वाले की पुस्तकों में राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

2. लेखे की गुणवत्ता

- (i) **लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' एवं '800-अन्य व्यय' के तहत लेखांकन:** लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियों'/'अन्य व्यय' को तब संचालित किया जाना चाहिये जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित प्रयोग को निरूत्साहित किया जाना चाहिये क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है। 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 7,500.85 करोड़, कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 1,10,644.66 करोड़) का 6.78 प्रतिशत, 57 मुख्य शीर्षों के विरुद्ध लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' में वर्गीकृत किया। इसी प्रकार 44 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत, भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान को छोड़ते हुए, कुल प्राप्तियों (₹ 71,733.98 करोड़) का लगभग 3.29 प्रतिशत ₹ 2,358.90 करोड़ लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' में वर्गीकृत किये गये। ऐसे महत्वपूर्ण व्यय एवं प्राप्तियों का विवरण (सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक) **अनुबंध -ख** पर दिया गया है।

लेखाओं से टिप्पणियां –(क्रमशः)

2. लेखे की गुणवत्ता –:(क्रमशः)

- (ii) **सारांश आकस्मिक (ए.सी.) बिल:** आहरण एवं वितरण अधिकारी अतिआवश्यक उद्देश्यों हेतु सारांश आकस्मिक बिल तैयार कर सेवा शीर्ष को नामे करते हुए राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है। तदनुसार सारांश आकस्मिक बिल तैयार होने के एक माह के भीतर तथा विशेष मामले में तीन माह से अधिक नहीं में, समर्थित दस्तावेजों के साथ विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिये। समर्थित विस्तृत आकस्मिक बिल देरी से प्रस्तुत करना अथवा लम्बे समय तक प्रस्तुत नहीं करना, सारांश आकस्मिक बिल के तहत किये गये व्यय को अपारदर्शी बनाता है। इसके अलावा विस्तृत आकस्मिक बिल प्राप्त नहीं होने की सीमा तक, वित्त लेखे में दिखाए गये व्यय को सही अथवा अन्तिम समपुष्ट नहीं किया जा सकता है।

2014-15 के दौरान 3,264 सारांश आकस्मिक बिल के माध्यम से ₹ 619.89 करोड़ आहरित किये गये उसमें से 175 आकस्मिक बिल (5.36 प्रतिशत) राशि ₹ 93.26 करोड़ (15.04 प्रतिशत) मार्च 2015 में आहरित किये गये थे, जिसमें वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन आहरित किये गये 8 आकस्मिक बिल राशि ₹ 1.62 करोड़ लाख सम्मिलित है। मार्च में ए.सी. बिल के विरुद्ध अधिक व्यय इंगित करता है कि आहरण प्रारम्भिक रूप से बजट प्रावधान को खर्च करना था तथा अपर्याप्त आय व्ययक नियंत्रण प्रकट करता है।

इन सारांश आकस्मिक बिल के विरुद्ध 3,021 विस्तृत आकस्मिक बिल राशि ₹ 428.51 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार कुल 368 विस्तृत आकस्मिक बिल राशि ₹ 288.93 करोड़ का समायोजन बकाया है (अगस्त 2015):

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | असमायोजित ए.सी. बिल | |
|------------|---------------------|---------------|
| | मद | राशि |
| 2012-13 तक | 75 | 18.25 |
| 2013-14 | 50 | 79.30 |
| 2014-15 | 243 | 191.38 |
| योग | 368 | 288.93 |

- (iii) **सहायतार्थ अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र:** सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अधीन, विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदान के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये जिनको सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। निर्दिष्ट समय के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र वांछित उद्देश्य के लिए अनुदान की उपयोगिता के आश्वासन के अभाव को इंगित करता है। इसके अलावा अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की सीमा तक लेखों में दिखाये गये व्यय को अन्तिम नहीं माना जा सकता और सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि राशि स्वीकृत उद्देश्य के लिये खर्च की गयी थी।

लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

2. लेखे की गुणवत्ता- (क्रमशः)

(iii) सहायतार्थ अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र- (समाप्त)

| वर्ष | वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|------------|---|--------------------|
| 2012-13 तक | 87 | 20.55 |
| 2013-14 | 48 | 1.65 |
| 2014-15 * | 106 | 38.75 |
| योग | 241 | 60.95 |

* 2014-15 के दौरान वितरित अनुदान के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो केवल 2015-16 के दौरान देय है।

लगभग 95 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (₹ 16.23 करोड़ राशि के 102 उपयोगिता प्रमाण-पत्र) तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (₹ 0.77 करोड़ राशि के 26 उपयोगिता प्रमाण-पत्र) से बकाया थे।

(iv) निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते: सरकार निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते खोलने के लिये अधिकृत है जिसमें समेकित निधि से निधियां स्थानान्तरित की जाती है। राजस्थान कोषालय नियम के अनुसार, एक पी.डी. खाता अन्तिम लेनदेन के वर्ष के पश्चात् पांच पूर्ण वित्तीय वर्ष से अधिक अप्रचलित होने पर बन्द कर दिया जाना चाहिये तथा अवशेष राशि को समेकित निधि में जमा करा देना चाहिये।

वर्ष 2014-15 के दौरान राशि ₹ 21,504.36 करोड़ पी.डी. खातों को हस्तान्तरित की गयी जिसमें से ₹ 2,742.78 करोड़ (12.75 प्रतिशत) मार्च 2015 में हस्तान्तरित किये गये। इसमें से, ₹ 1,340.88 करोड़ (48.90 प्रतिशत) मार्च 2015 के अन्तिम तीन दिन (27, 30 तथा 31 मार्च 2015 को जारी स्वीकृत आदेशों के आधार पर) में हस्तान्तरित किये गये। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने 34 नये पी.डी. खाते खोले तथा 33 अप्रचलित पी.डी. खाते बंद किये।

राजस्थान सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क जैसी प्राप्तियों को बिना समेकित निधि के सीधे ही विभिन्न निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करने हेतु कोषालयों को अधिकृत किया। निजी निक्षेप खातों के प्रशासक लेखों से आविधिक आहरण करते हैं। चूंकि ऐसी प्राप्तियां एवं आहरण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) को भेजे गये लेखों का हिस्सा नहीं बनते हैं, वित्त लेखों में दिखाये गये चिकित्सा विभाग के आकड़ों को पूर्ण रूप में पुष्ट नहीं किया जा सकता है।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | निजी निक्षेप खातों की संख्या | राशि |
|------------------------|--|-----------|
| 1 अप्रैल 2014 को : | | |
| प्रचलित | 1450 | 2,860.90 |
| अप्रचलित | 20 | 1.00 |
| वर्ष के दौरान प्राप्ति | 1003 (वर्ष के दौरान खोले गये 34 को सम्मिलित करते हुए) | 21,504.36 |
| वर्ष के दौरान संवितरण | 902 (वर्ष के दौरान बन्द किये गये 33 को सम्मिलित करते हुए) | 21,527.41 |
| 31 मार्च 2015 को : | | |
| प्रचलित | 1459 | 2,838.65 |
| अप्रचलित | 12 | 0.20 |

लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

2. लेखे की गुणवत्ता- (समाप्त)

- (v) **व्यय तथा प्राप्तियों का अंकमिलान:** राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (2012 तक संशोधित) के पैरा 11(3) के अनुसार सभी नियंत्रक अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा पुस्तान्कित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान करना चाहिये। वर्ष 2014-15 के लिये सभी 406 नियंत्रक अधिकारियों द्वारा ₹ 1,16,605.48 करोड़ (निवल) के कुल व्यय का मिलान कार्य पूर्ण किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्ति शीर्ष के लिये सभी 156 नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 91,341.48 करोड़ की कुल प्राप्ति (विविध पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित करते हुए) का मिलान किया।
- (vi) **रोकड़ शेष:** 31 मार्च 2015 को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा निकाले गये तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताये गये रोकड़ शेष में ₹ 1.79 करोड़ (शुद्ध नामे) का अन्तर मुख्यतः कुछ एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को गलत आंकड़े सूचित करने के कारण हुआ। तत्पश्चात् ₹ 1.52 करोड़ (नामे) की अन्तर राशि का मिलान किया जा चुका है। ₹ 0.27 करोड़ (शुद्ध नामे) का अन्तर मिलान के अधीन है।
- (vii) **स्वायत्तशाषी निकायों आदि को निधियों का अंतरण:** राज्य सरकार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्तशाषी निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को निधियां उपलब्ध कराती है। सामान्यतया कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूरा व्यय नहीं किया जाता है, अनुपयोजित शेष इन कार्यकारी अभिकरणों के बैंक खाते में पड़ा रहता है। कार्यकारी अभिकरणों के लेखों में राजकीय खातों (बैंक खाते में) से बाहर रहे अनुपयोजित शेष की कुल राशि सहज ज्ञात नहीं की जा सकती है। लेखों में सीमा तक दिखाये गये सरकारी व्यय, यद्यपि, अंतिम नहीं है।

3. अन्य मदें

- (i) **सेवानिवृत्ति हित लाभ पर दायित्व:** 31 दिसम्बर 2003 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों पर वर्ष के दौरान "पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ" पर ₹ 9,272.96 करोड़ (कुल राजस्व व्यय ₹ 94,541.97 करोड़ का 9.81 प्रतिशत) का व्यय था। 1 जनवरी 2004 से नियुक्त राज्यकर्मियों नयी पेंशन योजना के लिये योग्य है जो एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जो राज्य सरकार द्वारा अनुरूपित किया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि शीर्ष 8342 अन्य जमा-117 निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत लोक लेखा को स्थानान्तरित की जाती है तथा इसके पश्चात् नेशनल सिक्वोरिटीज डीपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

राजस्थान सरकार, मुख्य शीर्ष 8342-117 अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अंशदान के सम्बन्ध में तथा मुख्य शीर्ष 8011-बीमा तथा पेंशन निधियां अन्य सभी राज्य सरकार कर्मचारियों के सम्बन्ध में परिचालित करती है।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 8011-106(03) [01] में ₹ 363.62 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 8342-117(01) में ₹ 0.71 करोड़ कर्मचारियों के अंशदान के रूप में जमा हुए। राज्य सरकार ने नियुक्ता अंशदान के रूप में ₹ 356.12 करोड़ (मुख्य शीर्ष 2071) अंशदान किया। इस प्रकार कर्मचारियों के दोनों वर्गों के सम्बन्ध में ₹ 8.21 करोड़ की सरकारी अंशदान की कमी थी।

लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(i) सेवानिवृत्ति हित लाभ पर दायित्व- (समाप्त)

वर्ष के दौरान, चालू वर्ष के अंशदान (₹ 363.62 करोड़ मुख्य शीर्ष 8011 के अन्तर्गत, ₹ 0.71 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342 के अन्तर्गत तथा ₹ 356.12 करोड़ सरकारी अंशदान) तथा वर्ष के शुरु में बकाया शेष (₹ 87.28 करोड़ मुख्य शीर्ष 8011 के अन्तर्गत तथा ₹ 0.06 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342 के अन्तर्गत), बकाया स्थानान्तरण के ₹ 95.55 करोड़ (₹ 95.41 करोड़ मुख्य शीर्ष 8011 तथा ₹ 0.14 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342) के शेष को छोड़ते हुए, में से ₹ 712.24 करोड़ (₹ 710.98 करोड़ मुख्य शीर्ष 8011 से तथा ₹ 1.26 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342 से) की राशि स्थानान्तरित की गयी।

1 अप्रैल 2014 को ₹ 564.20 करोड़ की लीगेसी राशि * थी, जिसमें से वर्ष के दौरान ₹ 332.63 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹ 231.57 करोड़ एन.एस.डी.एल. को स्थानान्तरित किये गये। इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्रत्येक माह के घटते हुए लीगेसी राशि के शेष पर ₹ 37.13 करोड़ ब्याज के रूप में चुकाये गये। 31 मार्च 2015 को ₹ 369.76 करोड़ (₹ 332.63 करोड़ की लीगेसी राशि तथा ₹ 37.13 करोड़ लीगेसी राशि पर चुकाया गया ब्याज) तथा चालू वर्ष के शेष ₹ 95.55 करोड़ को मिला कर कुल ₹ 465.31 करोड़ निधि को स्थानान्तरण के लिये बकाया थे।

(ii) गारन्टियां: विवरण संख्या 9 तथा 20 (विस्तृत विवरण) में बताई गई गारन्टी राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है जो विभिन्न राज्य सरकार इकाइयों जैसे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि को ऐसी गारन्टी देने के लिए प्राधिकृत है। वर्ष 2014-15 के दौरान राशि ₹ 1,61,917.97 करोड़ की अधिकतम गारन्टी दी गयी थी तथा 31 मार्च 2015 को राशि ₹ 94,577.81 करोड़ की गारन्टी बकाया थी। राजस्थान स्टेट ग्रान्ट ऑफ गारन्टी रेगुलेशन्स 1970 (1997 में संशोधित) के आधार पर गारन्टी कमीशन, जहां मेरिट पर पूर्ण या आंशिक माफ हो, के अतिरिक्त, सरकारी गारन्टी के विरुद्ध ऋण उपभोग की राशि तथा वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अन्तिम दिन के बकाया पर 1 प्रतिशत की दर से वसूल किया जायेगा। राज्य सरकार ने 0.01 प्रतिशत से 1.00 प्रतिशत की श्रेणी में गारन्टी कमीशन की दरें प्रयुक्त की। 2014-15 के दौरान ₹ 618.82 करोड़ के प्राप्य गारन्टी कमीशन के विरुद्ध ₹ 617.89 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान कोई गारन्टी याचित नहीं हुई।

(iii) कर्जे तथा अग्रिम: कर्जे तथा अग्रिम पर सूचना विवरण 7 एवं 18 (आई.जी.ए.एस. 3 की आवश्यकतानुसार) में दी गयी है। सभी कर्जे तथा अग्रिमों की सूचना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा संधारित किया जाता है, राज्य सरकार के विभागों, जो ऐसे लेखों के संधारण के लिये उत्तरदायी है, द्वारा आंशिक रूप से उपलब्ध करायी गयी है। परिणामतः इन विवरणों में उपलब्ध सूचना अन्तिम नहीं है।

* लीगेसी राशि योजना की घोषणा तिथि तथा राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना की तिथि के बीच की समयावधि के दौरान अंशदायी पेंशन योजना का अंशदान है।

लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

- (iv) **निवेश:** राज्य सरकार सवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं की अंश तथा हिस्सा पूंजी में निवेश करती है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 4,411.16 करोड़ निवेशित एवं ₹ 19.57 करोड़ अनिवेशित किये। ये आकड़ें यद्यपि, इकाइयों के साथ, जहां निवेश किया गया है, मिलान होने चाहिये। 31 मार्च 2015 को इन सरकारी निवेश के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | वर्ग | वर्ष 2014-15 के अन्त तक निवेश |
|---------|--|-------------------------------|
| 1. | सांविधिक निगम | 764.34 |
| 2. | ग्रामीण बैंक | 73.69 |
| 3. | सरकारी कम्पनियां | 26,423.44 |
| 4. | संयुक्त पूंजी कम्पनियां और साझेदारी संस्थाएं | 140.65 |
| 5. | सहकारी समितियां | 507.47 |
| | योग | 27,909.59 (निवल) |

(v) **आरक्षित निधि एवं जमाएँ:**

(क) अप्रचलित आरक्षित निधियां: वर्ष के प्रारम्भ में ₹ 10.45 करोड़ के शेष के साथ 11 अप्रचलित आरक्षित निधियां थी। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने 5 अप्रचलित निधियों में ₹ 4.24 करोड़ के शेष को छोड़ते हुए, 6 अप्रचलित निधियों तथा शून्य शेष के साथ एक प्रचलित निधि को बन्द किया गया तथा उन निधियों के शेष राशि ₹ 6.21 करोड़ को राजस्व खाते (0075) में स्थानान्तरित किया गया। ब्यौरे **अनुबंध ग** में हैं।

आरक्षित निधियों तथा पृथक् निधि से निवेश पर विस्तृत जानकारी क्रमशः विवरण 21 तथा 22 में उपलब्ध है।

(ख) ब्याज दायित्व का संपादन न करना: लोक लेखों के खण्ड क्रमशः ज तथा ट के अन्तर्गत ब्याज वाली आरक्षित निधियां एवं ब्याज वाली जमाओं के सम्बन्ध में ब्याज दायित्व वार्षिक दायित्व है जिसे राज्य सरकार द्वारा संपादित किया जाना है। अप्रैल 2014 को आरक्षित निधि एवं जमाओं, जिनमें शेष होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 2049 में प्रावधान नहीं कराया गया, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(v) आरक्षित निधि एवं जमाएँ- (क्रमशः)

(ख) ब्याज दायित्व का संपादन न करना- (समाप्त)

| खण्ड | उपखण्ड | ब्याज की दर | 2014-15 के प्रारम्भ में शेष | देय ब्याज |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--------------|
| ज-आरक्षित निधि | (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां (झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना) | मार्गोपाय अग्रिम की औसत ब्याज दर 7.50 प्रतिशत | 89.58 | 6.72 |
| ज-अल्प बचत, भविष्य निधि आदि | अन्य लेखे (सी.पी.एस) | 8.70 प्रतिशत (सामान्य भविष्य निधि के शेषों पर देय ब्याज दर) | 87.28 | 7.59 |
| ट-जमा तथा अग्रिम | ब्याज वाली जमाएं (सीपीएस) | 8.70 प्रतिशत (सामान्य भविष्य निधि के शेषों पर देय ब्याज दर) | 0.06 | 0.01 |
| योग | | | | 14.32 |

महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(ग) **समेकित शोधन निधि:** बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य सरकारें सभी ऋणों के परिशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित एक समेकित शोधन निधि का सृजन कर सकती है। 2007 में यद्यपि, शोधन निधि को बन्द कर दिया गया था तथा शेष को उस वर्ष में समेकित निधि में डाल दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि के प्रशासन के लिये उत्तरदायी है, के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को समेकित शोधन निधि में गत वर्ष के अन्त तक बकाया दायित्वों (लोक ऋण + लोक लेखा दायित्व) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान करना चाहिये। 31 मार्च 2014 को राजस्थान सरकार का बकाया दायित्व ₹ 1,29,910.13 करोड़ (₹ 87,329.76 करोड़ लोक ऋण + ₹ 42,580.37 करोड़ लोक लेखा दायित्व) था। परिणामतः दिशा निर्देशों के अनुसार 2014-15 में राज्य सरकार को ₹ 649.55 करोड़ का अंशदान करना था।

लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(v) आरक्षित निधि- (समाप्त)

(घ) गारंटी मोचन निधि: दसवें वित्त आयोग की अनुशंषा के अनुसार राज्य सरकार ने 1999-2000 में गारंटी मोचन निधि गठित की। गारंटी कमीशन के रूप में प्राप्य ₹ 618.82 करोड़ में से, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 617.89 करोड़ प्राप्त किये। वर्ष 2014-15 में निधि को हस्तान्तरीय कुल गारंटी कमीशन ₹ 620.09 करोड़ (₹ 2.20 करोड़ मार्च 2013-14 के तथा ₹ 617.89 करोड़ 2014-15 के) में से राज्य सरकार ने हस्तान्तरण योग्य ₹ 4.26 करोड़ का शेष छोड़ते हुए, ₹ 615.83 करोड़ हस्तान्तरित किये। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि को संचालित करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कॉरपस को बकाया गारंटियों के 5 प्रतिशत के आवश्यक स्तर तक बढ़ाना है। ₹ 4,728.89 करोड़ (₹ 94,577.81 करोड़ की कुल बकाया गारंटियों का 5 प्रतिशत) के आवश्यक स्तर के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को गारंटी मोचन निधि का शेष ₹ 1,723.79 करोड़ (1.82 प्रतिशत) था। निधि से कोई भी राशि गारंटियों की याचना के लिये नहीं चुकाई गई।

(ङ) राज्य आपदा मोचन निधि: तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषा के अनुसार राज्य ने 2010-11 में राज्य आपदा मोचन निधि का संचालन शुरू किया। दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकार को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाना है। 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 730.10 करोड़ (₹ 547.58 करोड़ केन्द्रीय हिस्सा तथा ₹ 182.52 करोड़ राज्य हिस्सा) राज्य आपदा मोचन निधि में जमा कराये। राज्य सरकार ने 2014-15 के दौरान अनिवेशित राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 31.10 करोड़ भी चुकाये। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने अनुपयोजित राशि में से आंशिक निवेश पर ब्याज के रूप में ₹ 28.57 करोड़ अर्जित किये।

वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर हुए ₹ 1,570.57 करोड़ का व्यय, निधि में ₹ 288.02 करोड़ का शेष छोड़ते हुए, मुख्य शीर्ष 2245-05 को प्रतिदावा किया गया। इस शेष में से 31 मार्च 2015 को निधि से कोई निवेश नहीं किया गया।

(vi) उच्चत तथा प्रेषण: वित्त लेखे में 'उच्चत तथा प्रेषण' शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से नामे तथा जमा बकाया शेषों को जोड़कर निकाला जाता है। मुख्य उच्चत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के लिये सकल आंकड़ों की स्थिति को अनुबन्ध-घ के रूप में दिया गया है।

(vii) आकस्मिकता निधि से अग्रिम: राज्य सरकार ने 2014-15 में गजट नोटीफिकेशन संख्या एफ 2 (31)विधि/2/2013 दिनांक 10.04.2013 के द्वारा आकस्मिकता निधि का कॉरपस ₹ 200 करोड़ से ₹ 500 करोड़ बढ़ाया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 5.60 करोड़ आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में उपयोजित किये गये जिसे पूर्ण रूप से पूरित किया गया।

(viii) व्यय की प्रचुरता: ₹ 6,860.66 करोड़ का राजस्व व्यय (वचनबद्ध व्यय अर्थात् वेतन, मजदूरी, ब्याज भुगतान, सेवानिवृत्ति दायित्व, सहाय्य तथा वेतन के लिए सहाय्यार्थ अनुदान को छोड़ते हुए), ₹ 30,366.83 करोड़ (वचनबद्ध व्यय को छोड़ते हुए) के कुल राजस्व व्यय का 22.59 प्रतिशत माह मार्च 2015 में हुआ। इसी प्रकार ₹ 5,684.85 करोड़ का पूंजीगत व्यय, ₹ 16,102.69 करोड़ के कुल पूंजीगत व्यय का 35.30 प्रतिशत माह मार्च में हुआ। ₹ 1,753.87 करोड़ का राजस्व व्यय तथा ₹ 2,807.22 करोड़ का पूंजीगत व्यय (क्रमशः राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का 5.78 प्रतिशत एवं 17.43 प्रतिशत) 31 मार्च 2015 को हुआ। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 2,742.78 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 2.48 प्रतिशत मार्च 2015 में निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरित किये गये। इसमें से ₹ 615.19 करोड़ 31 मार्च 2015 को स्थानान्तरित किये गये। मार्च के अन्तिम दिन व्यय/ स्थानान्तरण दर्शाता है कि मुख्य रूप से बजट प्रावधान को खपाने के लिये किया गया जो कमजोर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(ix) **केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एक मुश्त अनुदान छोड़कर) का पुर्नगठन:** वर्तमान 137 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं (सी.एस.एस.) तथा 5 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) योजनाओं को अब 12 वीं योजना में 66 सी.एस.एस./ए.सी.ए./फ्लेगशिप योजनाओं में पुर्नगठित कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2014 के बाद से भारत सरकार ने सी.एस.एस./ए.सी.ए. फ्लेगशिप योजनाओं के लिये राज्य सरकार को सीधे केन्द्रीय सहायता जारी की और इन को 'राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार ने अपने आय-व्ययक दर्शाव को संशोधित किया है तथा सी.एस.एस./ए.सी.ए. के लिये केन्द्रीय सहायता को भारत सरकार की 66 अम्ब्रेला योजनाओं के तहत सम्बन्धित राज्य योजनागत योजनाओं के साथ समाहित कर दिया है।

2014-15 में राजस्थान सरकार की राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता के रूप में महानियंत्रक लेखा के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल में दिखाये गये ₹ 13,710.15 करोड़ में से, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर से क्लियरेंस मीमो तथा सम्बन्धित मंत्रालयों से समर्थित स्वीकृतियों के अनुसार केवल ₹ 13,654.49 करोड़ प्राप्त हुए तथा राज्य सरकार के लेखों में मुख्य शीर्ष 1601 केन्द्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान के अन्तर्गत दर्ज किये गये। राज्य आयोजना के तहत कुल व्यय ₹ 19,340.70 करोड़ (₹ 14,865.37 करोड़ : राजस्व व्यय तथा ₹ 4,475.33 करोड़ : पूंजीगत व्यय) है जिसमें राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता में से किया गया व्यय सम्मिलित है। विवरण 15 का अनुबंध 2014-15 में 65 केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं पर हुए व्यय के ब्यौरे उपलब्ध कराता है।

(x) **भारत सरकार द्वारा निधियों का सीधा हस्तान्तरण:** 31 मार्च 2014 तक, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वन के लिये राज्य कार्यकारी अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों को प्रचुर मात्रा में निधियां सीधे हस्तांतरित की जाती थी। महानियंत्रक लेखा के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अनुसार 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 561.46 करोड़ कार्यकारी अभिकरणों को जारी किये गये। ब्यौरे परिशिष्ट VI पर हैं। सी.एस.एस./ ए.सी.ए. की सभी सहायता सीधे राज्य सरकार को जारी करने तथा कार्यकारी ऐजेन्सियों को नहीं करने के भारत सरकार के निर्णय ने 2013-14 की तुलना में कार्यकारी ऐजेन्सियों को सीधा स्थानान्तरण 93.45 प्रतिशत तक कम कर दिया।

(xi) **केन्द्रीय कर्जों का अपलेखन:** तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रोत्साहन में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने, आदेशों की श्रृंखला में (सभी दिनांक 29 फरवरी 2012 को) विभिन्न मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय स्वयं द्वारा दिये गये अग्रिम के अलावा) द्वारा राज्य सरकार को 31 मार्च 2010 तक दिये गये केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के सभी कर्जों को अपलिखित किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को आदेशों के प्रभावी दिनांक (31 मार्च 2010) से मूलधन के अधिक पुनर्भुगतान तथा उस पर दिये गये ब्याज को वित्त मंत्रालय के भविष्य में किये जाने वाले पुनर्भुगतान से समायोजन की अनुमति दी गयी। उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन में, 2013-14 के दौरान, वित्त मंत्रालय केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय के अलावा मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को दिये गये ₹ 135.75 करोड़ के अपलेखन की सहमति दी गयी। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 48.31 करोड़ (मूल: ₹ 28.47 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 19.84 करोड़) का अधिक भुगतान किया, उसमें से वित्त मंत्रालय के ऋण एवं उस पर ब्याज के पुर्नभुगतान के विरुद्ध ₹ 24.33 करोड़ (मूल: ₹ 9.07 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 15.26 करोड़) 2013-14 के दौरान समायोजित किये गये। फिर भी, ₹ 23.98 करोड़ (मूल: ₹ 19.40 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 4.58 करोड़) का समायोजन अभी भी बकाया है।

लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(xii) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम: राज्य सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 कानून बनाया तथा 2006 में संबंधित नियम अधिसूचित किये। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को 2011 में संशोधित किया गया। इस संशोधन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा 2014-15 के बजट के साथ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण तथा राजकोषीय नीति योजना विवरण शामिल किये गये। अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रस्तुतीकरणों को बनाया गया :

| क्र.स. | लक्ष्य | वर्ष 2014-15 के दौरान उपलब्धियां |
|--------|--|--|
| 1. | वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे को खत्म कर और उसके बाद इसे बनाये रखने या राजस्व अधिशेष को प्राप्त करना | 2011-12 तथा 2012-13 में राज्य में राजस्व अधिशेष तथा 2013-14 में राजस्व घाटा था। 2014-15 के दौरान भी ₹ 3,215.06 करोड़ का राजस्व घाटा था जो सकल राज्य घरेलु उत्पाद* का 0.56 प्रतिशत था |
| 2. | वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलु उत्पाद का तीन प्रतिशत या कम करने और उसके बाद राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलु उत्पाद के तीन प्रतिशत या इससे कम स्तर पर बनाये रखना | 2014-15 में राजकोषीय घाटा राज्य घरेलु उत्पाद का 3.31 प्रतिशत था। |
| 3. | वित्तीय वर्ष 2013-14 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 36.50 प्रतिशत तक कम करना | लक्ष्य पूरा किया गया। वर्ष 2014-15 के लिए बकाया दायित्व सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 25.69 प्रतिशत था। |

* राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 31.7.2015 को वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिम अनुमान ₹ 5,74,549 करोड़ का घोषित किया गया।

(xiii) वचनबद्ध दायित्व: जब तक कि वचनबद्ध दायित्वों से सम्बन्धित आंकड़ों को भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है, लेखे अपूर्ण हैं। चूंकि राज्य सरकार द्वारा यह सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है, वित्त लेखे 2014-15 में वचनबद्ध दायित्वों पर परिशिष्ट शामिल नहीं किया गया है।

लेखाओं से टिप्पणियां- (समाप्त)

3. अन्य मदें- (समाप्त)

(xiv) गलत/अपर्याप्त लेखांकन का राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव: गलत/अपर्याप्त लेखांकन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व घाटे तथा राजकोषीय पर प्रभाव (ब्यौरे पिछले अनुच्छेदों में दिये गये हैं) नीचे दिये गये हैं :

| अनुच्छेद संख्या | मद | राजस्व घाटे पर प्रभाव | | राजकोषीय घाटे पर प्रभाव | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | अधिक दर्शाया गया | कम दर्शाया गया | अधिक दर्शाया गया | कम दर्शाया गया |
| 3 (i) | निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को सरकारी की ओर से कम अंशदान | .. | 8.21 | .. | 8.21 |
| 3(v)(ख) | ब्याज वाली आरक्षित निधियां तथा जमाओं पर ब्याज जमा नहीं | .. | 14.32 | .. | 14.32 |
| 3(v)(ग) | समेकित शोधन निधि में अंशदान नहीं | .. | 649.55 | .. | 649.55 |
| कम दर्शाया गया योग (शुद्ध) | | 672.08 | | 672.08 | |

अनुबन्ध - क
{ टिप्पणी 1(ii) में सन्दर्भित }
पुस्तकीय समायोजन
(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | समायोजन | लेखे के शीर्ष | | राशि | टिप्पणियां |
|---|--|---|---|----------|--|
| | | से | को | | |
| 1. | केन्द्रीय सड़क निधि | | | | |
| | केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान का समायोजन | 3054-80-797(03) केन्द्रीय सड़क निधि से/को अंतरण (100% केन्द्रीय) | 8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | 2,86.44 | केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान का हस्तान्तरण जैसा कि भारत सरकार द्वारा राज्य सड़कों के संधारण हेतु जारी की गयी । |
| | केन्द्रीय सड़क निधि से पूरित व्यय | 8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (नामे) | 5054-03-337(06) मुख्य शीर्ष 8449 केन्द्रीय सड़क निधि से अंतरण (घटाइये नामे) | 1,62.02 | केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों पर हुए व्यय की पूर्ति |
| | | 8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (नामे) | 5054-03-789(08) मद 8449 केन्द्रीय सड़क निधि से अंतरण (घटाइये नामे) | 20.78 | |
| 8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (नामे) | | 5054-03-796(08) मद 8449 केन्द्रीय सड़क निधि से अंतरण (घटाइये नामे) | 11.62 | | |
| 2. | राज्य सड़क विकास निधि | | | | |
| | निधियों का समायोजन | 3054-80-797(02) राज्य सड़क विकास निधि को/से अंतरण | 8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि | 2,80.00 | निधि को उपकर का हस्तान्तरण। |
| | निधि से सड़कों पर व्यय की पूर्ति | 8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे) | 5054-03-337(08) राज्य सड़क विकास निधि मद 8225 से अंतरण (घटाइये नामे) | 1,02.87 | निधि से पूरित व्यय । |
| | | 8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे) | 5054-03-789(05) राज्य सड़क विकास निधि मद 8225 से अंतरण (घटाइये नामे) | 13.00 | |
| | | 8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे) | 5054-03-796(05) राज्य सड़क विकास निधि मद 8225 से अंतरण (घटाइये नामे) | 20.69 | |
| 8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे) | | 5054-04-800(15) राज्य सड़क विकास निधि मद 8225 से अंतरण (घटाइये नामे) | 20.15 | | |
| 3. | राज्य आपदा मोचन निधि | | | | |
| | राज्य आपदा मोचन निधि का समायोजन | 2245-05-101 आरक्षित निधि तथा जमा लेखों को अंतरण- राज्य आपदा मोचन निधि | 8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि | 7,30.10 | मुख्य शीर्ष 2245 को नामे करते हुए ₹ 5,47.58 करोड़ का केन्द्रीय अंश तथा ₹ 1,82.52 करोड़ का राज्यांश का हस्तान्तरण । |
| | निधि से पूरित व्यय | 8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि (नामे) | 2245-05-901 घटाइये - राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित राशि (घटाइये नामे) | 15,70.57 | राज्य आपदा मोचन निधि से सूखा तथा बाढ़ आदि पर पूरित व्यय । |

अनुबन्ध क - (क्रमशः)
{ टिप्पणी 1(ii) में सन्दर्भित }
पुस्तकीय समायोजन- (क्रमशः)
(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | समायोजन | लेखे के शीर्ष | | राशि | टिप्पणियां |
|-------------|---|--|--|--|---|
| | | से | को | | |
| 4. | मूल्य ह्रास नवीनीकरण आरक्षित निधि | | | | |
| | निधि से पूरित व्यय | 8115-103-01 जलदाय विभाग (नामे) | 4215-01-902 (01) मद 8115-103 (01) जलदाय विभाग (घटाइये नामे) | 15.43 | निधि से पूरित व्यय |
| 5. | वानिकी और बायोडायवर्सिटी निधि | | | | |
| | निधि से पूरित व्यय | 8235-200 (06) राजस्थान वानिकी एवं बायोडायवर्सिटी परियोजना के तहत प्राप्त राशि (नामे) | 2406-01-001(04)[02] मद 8235-200(06) राजस्थान फोरेस्ट्री एण्ड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त राशि से पूरित (घटाइये नामे) | 1.49 | निधि से पूरित व्यय |
| 6. | निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन | | | | |
| | सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि | 2049-03-104(01) सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज | 8009-01-101(01) कर्मचारियों की जमा | 16,11.02 | कार्यरत कर्मचारियों के राज्य भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | | 8009-01-101(02) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जमा | 26.92 | सेवानिवृत्त कर्मचारियों के राज्य भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | | 8338-104(01) सामान्य भविष्य निधियों की जमा | 41.90 | कार्यरत कर्मचारियों के राज्य भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-104(02) अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज | 8338-104(02) अंशदायी भविष्य निधियों की जमा | 67.63 | अंशदायी भविष्य निधि की जमाओं के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-104(03) अखिल भारतीय सेवाएं भविष्य निधियों पर ब्याज | 8009-01-104(01) भविष्य निधि | 4.70 | अखिल भारतीय सेवाओं की भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-104(04) कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज | 8009-60-103 अन्य विविध भविष्य निधि | 69.44 | कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-104(06) कामगारों के सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज | 8009-60-101 कामगार अंशदायी भविष्य निधि | 31.53 | कामगार अंशदायी भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | राज्य सरकार जीवन बीमा निधि | 2049-03-108(01) राज्य सरकार की जीवन बीमा निधि पर ब्याज | 8011-105(01)[01] राज्य सरकार की बीमा निधि | 7,61.42 | जीवन बीमा निगम के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| वाहन अग्रिम | 2049-03-108(02) जोखिम निधि अग्रिम | 8011-106(01)[01] वाहन अग्रिम | 0.92 | वाहन अग्रिम के शेषों पर ब्याज का समायोजन | |

अनुबन्ध क- (क्रमशः)
{ टिप्पणी 1(ii) में सन्दर्भित }
पुस्तकीय समायोजन- (क्रमशः)
(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | समायोजन | लेखे के शीर्ष | | राशि | टिप्पणियां |
|----------|--|--|---|---------------------------------|--|
| | | से | को | | |
| 6. | निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन- (क्रमशः) | | | | |
| | भवन निर्माण अग्रिम | 2049-03-108(02) जोखिम निधि अग्रिम | 8011-106(01)[02] भवन निर्माण अग्रिम | 1.45 | भवन निर्माण अग्रिम के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | उपदान निधि | 2049-03-108(03) नगरपालिका/नगर परिषद की उपदान (ग्रेच्यूटी) निधियों पर ब्याज | 8338-104(03)[01] नगरपालिका/नगर परिषद की उपदान निधि की जमा | 1.91 | नगरपालिका/नगर परिषद उपदान निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-108(05) नगर विकास न्यास/नगर सुधार न्यासों की उपदान (ग्रेच्यूटी) निधि पर ब्याज | 8338-104(03)[02] शहरी विकास न्यासों/शहरी सुधार न्यासों उपदान निधि की जमा | 0.69 | शहरी विकास न्यास/शहरी सुधार न्यास उपदान निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | पेंशन निधि | 2049-03-108(06) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज | 8338-104(05)[03] नगरपालिका/नगर परिषद की अन्य निधि की जमा | 0.11 | नगरपालिका/नगर परिषद की पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-108(08) राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम | 8338-104(04)[06] राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम की पेंशन निधि की जमा | 3.84 | राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-108(09) जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज | 8338-104(04)[07] जयपुर विकास प्राधिकरण की पेंशन निधि की जमा | 2.34 | जयपुर विकास प्राधिकरण की पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-108(12) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज | 8338-104(04)[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की पेंशन निधि की जमा | 0.09 | राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-108(13) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज | 8338-104(04)[03] माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पेंशन निधि की जमा | 1.81 | माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | साधारण बीमा योजना | 2049-03-108(15) साधारण बीमा योजना से सम्बन्धित निधियों पर ब्याज | 8011-105(02) सामान्य बीमा योजना | 19.15 |
| | पेंशन निधि | 2049-03-108(16) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज | 8338-104(04)[14] जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की पेंशन निधि की जमा | 0.29 | जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-108(17) कृषि उपज मण्डी समिति के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज | 8338-104(04)[16] कृषि उपज मण्डी समिति की पेंशन निधि की जमा | 6.28 | कृषि उपज मण्डी समिति की पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-108(18) राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज | 8338-104(04)[12] राजस्थान आवासन मंडल की पेंशन निधि की जमा | 3.26 | राजस्थान आवासन मण्डल की पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-108(19) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की पेंशन निधि पर ब्याज | 8338-104(04)[10] राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की पेंशन निधि की जमा | 4.23 | राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |

अनुबन्ध क- (क्रमशः)
{ टिप्पणी 1(ii) में सन्दर्भित }
पुस्तकीय समायोजन- (क्रमशः)
(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | समायोजन | लेखे के शीर्ष | | राशि | टिप्पणियां |
|----------|--|---|--|---------|---|
| | | से | को | | |
| 6. | निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन- (समाप्त) | | | | |
| | पेंशन निधि | 2049-03-108(20) राजस्थान राज्य खेल परिषद की पेंशन निधि पर ब्याज | 8338-104(04)[11] राजस्थान राज्य खेल परिषद पेंशन निधि की जमा | 0.55 | राजस्थान राज्य खेल परिषद की पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2049-03-108(21) शहरी विकास न्यास/शहरी सुधार न्यास की पेंशन निधि पर ब्याज | 8338-104(04)[13] शहरी विकास न्यास/शहरी सुधार न्यास पेंशन निधि की जमा | 1.46 | शहरी विकास न्यास/शहरी सुधार न्यास की पेंशन निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना | 2049-03-108(23) राज्य कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित ब्याज | 8011-107(01) राज्य सरकार की कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना | 7.18 | कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | राज्य आपदा मोचन निधि | 2049-05-105 (01) राज्य आपदा मोचन निधि की जमाओं पर ब्याज | 8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि | 31.10 | राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत अनिवेशित राशि पर ब्याज का समायोजन |
| | विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना - परियोजना 2600 | 2049-60-101(05)[02] परियोजना 2600 के निक्षेपों पर ब्याज | 8342-120(05)[02] परियोजना 2600 के निक्षेपों पर ब्याज | 0.01 | विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना- परियोजना 2600 के शेषों पर ब्याज का समायोजन |
| | नवीन अंशदान पेंशन योजना | 2049-03-117(01) सरकारी कर्मचारियों के लिए | 8011-106(03) [01] सरकारी कर्मचारियों के लिए | 37.13 | नवीन अंशदायी पेंशन योजना की लीगेसी राशि (एन एस डी एल को हस्तान्तरित नहीं) पर ब्याज का समायोजन |
| | 2049-03-117(02) जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए | 8011-106(03) [02] नगर परिषद/ नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के लिये | 0.67 | | |
| | 2049-03-117(03) समितियों, आयोगों, राजकीय उपक्रमों व अन्य संस्थाओं के लिए | 8011-106(03) [03] समितियों, आयोगों, राजकीय उपक्रमों व अन्य संस्थाओं के लिए | 0.03 | | |
| 7. | सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल का समायोजन | 1601-01-800(05) युद्धावश्यक सीमावर्ती सड़कें | 3054-02-337(01)[01] संधारण एवं जीर्णोद्धार | 2,23.29 | सीमावर्ती सड़कों पर व्यय का समायोजन जैसे चेतक परियोजना, बीकानेर से प्राप्त हुआ। भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों के निर्माण तथा संधारण हेतु इस परियोजना को सीधे ही अनुदान जारी करती है। यह एक बुक समायोजन है जो राज्य लेखों में प्रतिवर्ष मुख्य शीर्ष 1601 तथा 3054/ 5054 में किया जाता है। |
| | | 1601-01-800(05) युद्धावश्यक सीमावर्ती सड़कें | 5054-02-337(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से | 43.14 | |

अनुबन्ध क- (क्रमशः)
{ टिप्पणी 1(ii) में सन्दर्भित }
पुस्तकीय समायोजन- (क्रमशः)
(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (समाप्त)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | समायोजन | लेखे के शीर्ष | | राशि | टिप्पणियां |
|----------|--|--|--|---------|--|
| | | से | को | | |
| 8. | निदेशन तथा प्रशासन पर प्रोरेटा चार्ज का समायोजन | 2059-80-001(03) घटाइये-राजस्व मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत समायोजित अनुपातिक व्यय का प्रावधान | 2216-05-053(01)[11] मुख्य शीर्ष 2059 के स्थापना सम्बन्धी आनुपातिक व्यय | 2.61 | निदेशन तथा प्रशासन पर प्रोरेटा चार्ज का समायोजन |
| | | 2059-80-001(03) घटाइये-राजस्व मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत समायोजित अनुपातिक व्यय का प्रावधान | 3054-80-001(01)[01] स्थापना | 38.07 | |
| 9. | वाणिज्यिक परियोजनाओं पर ब्याज का समायोजन | 2700- मुख्य सिंचाई (समस्त सिंचाई परियोजनाएं) | 0049-04-103(04) वृहद और मध्यम सिंचाई | 9,56.86 | जल संसाधन विभाग की वाणिज्यिक परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय पर ब्याज का समायोजन |
| | | 2701- मध्यम सिंचाई (समस्त सिंचाई परियोजनाएं) | 0049-04-103(04) वृहद और मध्यम सिंचाई | 1,67.27 | |
| 10. | सरकारी कर्मचारी बीमा योजना | 8011-105(01) जीवन बीमा योजनाएं (नामे) | 2235-60-105(02) घटाइये- 8011 बीमा तथा पेंशन निधि 105-राज्य सरकारी बीमा निधि (i) जीवन बीमा योजनाओं से हस्तान्तरित राशि | 49.75 | निधि के प्रबंधन की सावधि लागत प्रारम्भिक रूप से 2235 के अन्तर्गत नामे किया तथा 8011-105(01) से पूरित किया गया । |
| | | 8011-105(02) साधारण बीमा योजना (नामे) | 2235-60-110(02) घटाइये- 8011 बीमा तथा पेंशन निधि 105-राज्य सरकारी बीमा निधि (i) साधारण बीमा योजनाओं से हस्तान्तरित राशि | 2.49 | निधि के प्रबंधन की सावधि लागत प्रारम्भिक रूप से 2235 के अन्तर्गत नामे किया तथा 8011-105(02) से पूरित किया गया । |
| 11. | जल संसाधन विभाग के सम्बन्ध में निदेशन तथा प्रशासन पर प्रोरेटा चार्ज का वार्षिक समायोजन | 2701-80-001 निदेशन तथा प्रशासन | 2700 मुख्य सिंचाई (विभिन्न परियोजनाएं) | 4.59 | जल संसाधन विभाग के निदेशन तथा प्रशासन पर समायोजन प्रारम्भ में मुख्य शीर्ष 2701-80-001 के अन्तर्गत नामे कर तथा अंत में कार्य परिव्यय के अनुसार संबंधित कार्य पर भारत किया जाता है । |
| | | | 2701 मध्यम सिंचाई (विभिन्न परियोजनाएं) | 3.56 | |
| | | | 2702 लघु सिंचाई (विभिन्न परियोजनाएं) | 10.73 | |
| | | | 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं) | 10.02 | |
| | | | 4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं) | 15.03 | |
| | | | 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं) | 44.38 | |
| | | | 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं) | 0.33 | |
| 12. | खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से पूरित व्यय | 8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि (नामे) | 2853-02-902(01) लेखा मद 8229-200-(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे) | 7.12 | निधि से पूरित व्यय |

अनुबन्ध क- (समाप्त)
 { टिप्पणी 1(ii) में सन्दर्भित }
 पुस्तकीय समायोजन- (समाप्त)
 (ii) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | समायोजन | लेखे के शीर्ष | | राशि | टिप्पणियां |
|----------|--------------|---|---------------------------|---------|--|
| | | से | तक | | |
| 1. | गारंटी शुल्क | 2075-797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अंतरण | 8235-117 गारंटी मोचन निधि | 6,15.83 | गारन्टी शुल्क का गारन्टी मोचन निधि को स्थानान्तरण जैसा कि राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारन्टी के विरुद्ध प्राप्त हुआ । |

अनुबन्ध - ख
{ टिप्पणी 2(i) में सन्दर्भित }

लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय | कुल व्यय | प्रतिशत |
|----------|---|--------------------------------|-----------|---------|
| 1. | 2013. मंत्री परिषद | 4.58 | 8.50 | 53.88 |
| 2. | 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 4,46.04 | 5,94.41 | 75.04 |
| 3. | 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं | 1.64 | 1.64 | 100.00 |
| 4. | 2245. प्राकृतिक आपदा के कारण राहत | 6,28.46 | 7,41.35 | 84.77 |
| 5. | 2700. मुख्य सिंचाई | 8,75.06 | 12,67.71 | 69.03 |
| 6. | 2701. मध्यम सिंचाई | 1,82.43 | 2,55.56 | 71.38 |
| 7. | 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 9.27 | 9.46 | 97.99 |
| 8. | 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | (-) 6.58 # | (-) 6.58 | 100.00 |
| 9. | 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय | (-) 9.26 * | (-) 9.26 | 100.00 |
| 10. | 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | 2,07.51 | 2,99.51 | 69.28 |
| 11. | 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय | (-) 81.64 \$ | (-) 81.64 | 100.00 |
| 12. | 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 16,80.83 | 27,06.33 | 62.11 |
| 13. | 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 0.11 | 0.11 | 100.00 |
| 14. | 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 24.51 | 26.36 | 92.98 |
| 15. | 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 1,07.75 | 1,67.07 | 64.49 |

ऋण आंकड़े मुख्य शीर्ष 8235 के तहत रखी हुई राजस्थान राज्य निवेश निधि से संबंधित राशि को जमा कराने के कारण से है।

* ऋण आंकड़े नाबार्ड के तहत कार्य निष्पादन नहीं होने से राशि को सरकारी लेखों में जमा कराने के कारण है।

\$ ऋण आंकड़े रीको द्वारा सिकन्दरा स्टोन पार्क 2007-08 तथा दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर से सम्बन्धित अनुपयोजित राशि जमा कराने के कारण है।

अनुबन्ध ख- (समाप्त)
{ टिप्पणी 2(i) में सन्दर्भित }
लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

| क्र.स. | मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां | कुल प्राप्तियां | प्रतिशत |
|--------|---|---------------------------------------|-----------------|---------|
| 1. | 0029. भू-राजस्व | 1,55.03 | 2,88.58 | 53.72 |
| 2. | 0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर | 4.60 | 4.60 | 100.00 |
| 3. | 0056. जेल | 0.39 | 0.39 | 100.00 |
| 4. | 0058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 3.48 | 5.59 | 62.25 |
| 5. | 0211. परिवार कल्याण | 0.44 | 0.44 | 100.00 |
| 6. | 0217. शहरी विकास | 7.84 | 7.84 | 100.00 |
| 7. | 0220. सूचना तथा प्रचार | 0.11 | 0.11 | 100.00 |
| 8. | 0230. श्रम तथा रोजगार | 2,82.93 | 2,90.29 | 97.46 |
| 9. | 0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 3.15 | 3.90 | 80.77 |
| 10. | 0401. फसल कृषि-कर्म | 3.73 | 3.78 | 98.68 |
| 11. | 0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी | 45.89 | 89.31 | 51.38 |
| 12. | 0425. सहकारिता | 13.97 | 16.88 | 82.76 |
| 13. | 0435. अन्य कृषि कार्यक्रम | 7.45 | 7.55 | 98.68 |
| 14. | 0701. मध्यम सिंचाई | 10.08 | 11.87 | 84.92 |
| 15. | 0801. बिजली | 12.48 | 12.48 | 100.00 |
| 16. | 0851. ग्राम तथा लघु उद्योग | 8.26 | 8.26 | 100.00 |
| 17. | 0852. उद्योग | 6.02 | 6.02 | 100.00 |
| 18. | 1452. पर्यटन | 1.17 | 1.17 | 100.00 |
| 19. | 1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 62.80 | 77.77 | 80.75 |

अनुबन्ध - ग
 { टिप्पणी 3(v)(क) में सन्दर्भित }
 अप्रचलित आरक्षित निधियों का विवरण

| लेखा शीर्ष | प्रारम्भिक शेष | अन्तिम शेष |
|--|----------------|-------------|
| | (₹ करोड़ में) | |
| 8115. मूल्यहास/ नवीकरण आरक्षित निधि | | |
| 103. मूल्यहास आरक्षित निधि –सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम | | |
| (07) झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना | 0.20 | 0.20 |
| 8229. विकास तथा कल्याण निधि | | |
| 103. कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि | | |
| (01) कृषक सुधार निधि | 0.01 | 0.01 |
| 104. पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि | | |
| (01) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से गहन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि | 0.01 | 0.01 |
| 8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधिया | | |
| 200. अन्य निधियां | | |
| (03) राज्य सड़क सुधार विकास निधि | 4.02 | 4.02 |
| (05) राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि | ..* | ..* |
| कुल निवेश | 4.24 | 4.24 |

* ₹ 0.18 लाख मात्र ।

अनुबन्ध - घ
{ टिप्पणी 3(vi) में सन्दर्भित }
उचंत् तथा प्रेषण शेषों के ब्योरे

8658. उचन्त लेखे

(₹ करोड़ में)

| लघु शीर्ष का नाम | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | |
|--|-----------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------|
| | नामे | जमा | नामे | जमा | नामे | जमा |
| 101. वेतन तथा लेखा कार्यालय-उचन्त | 10.43 | 0.57 | 26.62 | 0.91 | 47.00 | 1.37 |
| निवल | (नामे) 9.86 | | (नामे) 25.71 | | (नामे) 45.63 | |
| 102. उचन्त लेखा (सिविल) | 3.82 | (-) 0.01 | 2.00 | (-) 0.03 | 2.26 | 0.19 |
| निवल | (नामे) 3.83 | | (नामे) 2.03 | | (नामे) 2.07 | |
| 112. स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचन्त | .. | 25.89 | .. | 52.03 | .. | 39.40 |
| निवल | (जमा) 25.89 | | (जमा) 52.03 | | (जमा) 39.40 | |
| 123. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना | .. | 0.16 | .. | 0.16 | .. | 0.17 |
| निवल | (जमा) 0.16 | | (जमा) 0.16 | | (जमा) 0.17 | |
| 129. सामग्री क्रय समाधान उचन्त लेखा | .. | (-) 2.09 | .. | 2.23 | .. | (-) 3.13 |
| निवल | (जमा) (-) 2.09 | | (जमा) 2.23 | | (जमा) (-) 3.13 | |

8782. उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन

(₹ करोड़ में)

| लघु शीर्ष का नाम | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | |
|--|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | नामे | जमा | नामे | जमा | नामे | जमा |
| 102. लोक निर्माण प्रेषण | 28.52 | 36.82 | 39.42 | 42.64 | 40.57 | 44.94 |
| निवल | (जमा) 8.30 | | (जमा) 3.22 | | (जमा) 4.37 | |
| 103. वन प्रेषण | (-) 0.88 | 0.11 | 0.69 | 0.51 | 1.80 | 0.06 |
| निवल | (जमा) 0.99 | | (नामे) 0.18 | | (नामे) 1.74 | |
| 108. अन्य विभागीय प्रेषण | 0.03 | .. | 0.03 | .. | 0.03 | .. |
| निवल | (नामे) 0.03 | | (नामे) 0.03 | | (नामे) 0.03 | |
| 129. इन्दिरा गांधी नहर परियोजनाओं के अन्तर्गत अन्तरण | 77.41 | 76.67 | 77.41 | 76.67 | 77.41 | 76.67 |
| निवल | (नामे) 0.74 | | (नामे) 0.74 | | (नामे) 0.74 | |

अनुबन्ध घ- (समाप्त)
 { टिप्पणी 3(vi) में सन्दर्भित }
 उचंत तथा प्रेषण शेषों के ब्यौरे- (समाप्त)

8793. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा

(₹ करोड़ में)

| लघु शीर्ष का नाम | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | |
|-------------------------------|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | नामे | जमा | नामे | जमा | नामे | जमा |
| 101. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा | .. | .. | 0.07 | .. | 0.08 | .. |
| निवल | .. | | (नामे) 0.07 | | (नामे) 0.08 | |

© भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
2015

www.cag.gov.in

agaerajasthan@cag.gov.in



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे
(खण्ड II)
2014-15



राजस्थान सरकार

**वित्त लेखे
(खण्ड II)**

वर्ष 2014-2015 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

| विषय | पृष्ठ |
|---|---------|
| खण्ड I | |
| ◆ विषय सूची | i-iii |
| ◆ भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र | iv-v |
| ◆ वित्त लेखे का मार्गदर्शन | vii-xii |
| विवरण 1. वित्तीय स्थिति का विवरण | 2-3 |
| विवरण 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण | 4-6 |
| विवरण संख्या 2 का अनुबंध | 7-9 |
| विवरण 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) | 10-14 |
| विवरण 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) | |
| क: कार्यकलाप के अनुसार व्यय | 15-21 |
| ख: प्रकृति के अनुसार व्यय | 22-27 |
| विवरण 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण | 28-35 |
| विवरण 6. उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण | |
| (i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण | 36-38 |
| (ii) ऋण सेवा | 39-40 |
| विवरण 7. सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण | |
| खण्ड: 1 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार | 41 |
| खण्ड: 2 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार | 42 |
| खण्ड: 3 बकाया रही वसूलियां | 43-45 |
| विवरण 8. सरकार के निवेशों का विवरण | 46 |
| विवरण 9. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण | 47 |
| विवरण 10. सरकार द्वारा दी गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण | |
| (i) वर्ष 2014-15 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण | 48-51 |
| (ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण | 52 |
| विवरण 11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण | 53-54 |
| विवरण 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्रोतों एवं आवेदन का विवरण | 55-58 |
| विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश | 59-60 |
| ◆ लेखाओं से टिप्पणियाँ | 61-82 |

विषय सूची - (क्रमशः)

पृष्ठ

खण्ड II

भाग I

| | | |
|-----------|---|---------|
| विवरण 14. | लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तिओं का ब्यौरेवार विवरण | 84-132 |
| विवरण 15. | लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण | 133-220 |
| | विवरण संख्या 15 का अनुबंध | 221-225 |
| विवरण 16. | लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण | 226-311 |
| विवरण 17. | उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण | |
| | (क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण | 312-319 |
| | (ख) परिपक्व रूपरेखा | 320-322 |
| | (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा | 323-324 |
| | विवरण संख्या 17 का अनुबंध | 325-334 |
| विवरण 18. | सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण | |
| | मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण | 335-373 |
| | अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण | 374-376 |
| विवरण 19. | सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण | |
| | खण्ड 1: 2014-15 तक के निवेशों का विवरण | 377-396 |
| | खण्ड 2: वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण | 397 |
| विवरण 20. | सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण | |
| | (क) वर्गवार गारन्टियों का विवरण | 398 |
| | (ख) गारन्टियों का विवरण | 399-406 |
| विवरण 21. | आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण | 407-419 |
| | विवरण संख्या 21 का अनुबंध | 420-425 |
| विवरण 22. | पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण | 426-442 |

विषय सूची - (समाप्त)

पृष्ठ

खण्ड II - (समाप्त)

भाग II

| | | |
|---------------|--|---------|
| परिशिष्ट I | संवेतन पर तुलनात्मक व्यय | 444-465 |
| परिशिष्ट II | सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय | 466-482 |
| परिशिष्ट III | राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान (संस्थावार तथा योजनावार) | 483-538 |
| परिशिष्ट IV | बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे | 539-540 |
| परिशिष्ट V | आयोजनागत योजना व्यय | |
| | (क) केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) | 541-569 |
| | (ख) राज्य आयोजनागत योजनाएं | 570-639 |
| परिशिष्ट VI | राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गैर अंकेक्षित आंकड़े) | 640-651 |
| परिशिष्ट VII | शेषों की स्वीकृति तथा समाधान (विवरण संख्या 18 में दर्शाये अनुसार) | |
| | अनुबंध क | 652 |
| | अनुबंध ख | 653 |
| परिशिष्ट VIII | सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम | 654-658 |
| परिशिष्ट IX | सरकार की वचनबद्धता- अधूरे पूंजी निर्माण कार्यों की सूची | 659-687 |
| परिशिष्ट X | संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय | 688-708 |
| परिशिष्ट XI | वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं | 709-710 |
| परिशिष्ट XII | सरकार के वचनबद्ध दायित्व | 711 |

भाग I

विवरण संख्या 14- लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-----------------|---------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखे) | | | |
| क. कर राजस्व | | | |
| (वापसियों को लेखों में सम्मिलित करने के बाद आंकड़े निवल हैं) | | | |
| (क) आय तथा व्यय पर कर | | | |
| 0020. निगम कर | | | |
| 901. राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 69,20,30.00 | 62,80,02.00 | (+) 10.20 |
| योग -0020 | 69,20,30.00 | 62,80,02.00 | (+) 10.20 |
| 0021. आय पर निगम कर से भिन्न कर | | | |
| 901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 49,41,76.00 | 41,35,20.00 | (+) 19.50 |
| योग-0021 | 49,41,76.00 | 41,35,20.00 | (+) 19.50 |
| 0022. कृषि आय पर कर | | | |
| 101. कर संग्रहण | 0.01 | ..* | .. |
| योग-0022 | 0.01 | .. | .. |
| 0028. आय तथा व्यय पर अन्य कर | | | |
| 107. व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर | 54.52 | 6.91 | (+) 689.00 |
| योग-0028 | 54.52 | 6.91 | (+) 689.00 |
| योग-(क) आय तथा व्यय पर कर | 1,18,62,60.53 | 1,04,15,28.91 | (+) 13.90 |

* ₹ 24 मात्र ।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|---|-----------------|-------------|---|-----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| | (₹ लाख में) | | | |
| क. कर राजस्व –(क्रमशः) | | | | |
| (ख) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर | | | | |
| 0029. भू-राजस्व | | | | |
| 101. भू –राजस्व/कर | 7,17.77 | 8,00.86 | (-) 10.38 | |
| 103. भूमि पर पौरकर और उपकर | 6.58 | 5.84 | (+) 12.67 | |
| 104. जमींदारी रहित सम्पदाओं के प्रबन्ध से प्राप्तियां | 0.42 | 0.64 | (-) 34.38 | |
| 105. सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्तियां | 1,24,57.40 | 47,80.61 | (+) 160.58 | |
| 107. परती भूमि की बिक्री से आगमन और भू-कर का प्रतिदान | 1,73.03 | 14,61.69 | (-) 88.16 | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 1,55,03.03 (क) | 2,67,48.29 | (-) 42.04 | |
| | योग-0029 | 2,88,58.23 | 3,37,97.93 | (-) 14.62 |
| 0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | | | | |
| 01. स्टाम्प-न्यायिक | | | | |
| 101. स्टाम्प से उगाहा गया न्यायालय शुल्क | 3,50.97 | 64,20.54 | (-) 94.53 | |
| 102. स्टाम्पों की बिक्री | 49,23.42 | 14,51.25 | (+) 239.25 | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 1,52.78 | 25,87.38 | (-) 94.10 | |
| | योग -01 | 54,27.17 | 1,04,59.17 | (-) 48.11 |
| 02. स्टाम्प - न्यायिकेतर | | | | |
| 102. स्टाम्पों की बिक्री | 12,75,55.18 | 15,31,81.39 | (-) 16.73 | |

(क) इसमें भूमि रूपान्तरण-कृषि से आवासीय करने के पेटे पर प्राप्त शुल्क सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-----------------|-------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| क. कर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ख) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर – (क्रमशः) | | | |
| 0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क – (समाप्त) | | | |
| 02. स्टाम्प – न्यायिकेतर – (समाप्त) | | | |
| 103. दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना | 12,42,36.19 | 7,52,88.54 | (+) 65.01 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 1,87,18.83 (क) | 2,93,06.04 | (-) 36.13 |
| योग -02 | 27,05,10.20 | 25,77,75.97 | (+) 4.94 |
| 03. पंजीकरण शुल्क | | | |
| 104. दस्तावेजों को पंजीकृत करने का शुल्क | 4,26,67.53 | 3,62,47.42 | (+) 17.71 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 2,83.85 | 80,50.78 | (-) 96.47 |
| योग-03 | 4,29,51.38 | 4,42,98.20 | (-) 3.04 |
| योग-0030 | 31,88,88.75 | 31,25,33.34 | (+) 2.03 |
| 0032. धन कर | | | |
| 60. कृषि भूमि से इतर भूमि | | | |
| 901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 18,69.00 | 17,24.00 | (+) 8.41 |
| योग-0032 | 18,69.00 | 17,24.00 | (+) 8.41 |

(क) इसमें स्टॉम्प शुल्क पर अधिभार सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|---|-------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| क. कर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ख) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर – (समाप्त) | | | |
| 0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर | | | |
| 101. साधारण संग्रहण | 0.02 | 3.67 | (-) 99.46 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 4,60.35 | 12,97.20 | (-) 64.51 |
| | योग-0035 | 13,00.87 | (-) 64.61 |
| | योग-(ख) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर | 34,93,56.14 | (+) 0.21 |
| (ग) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | | | |
| 0037. सीमा शुल्क | | | |
| 901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 32,05,02.00 | 30,46,73.07 | (+) 5.20 |
| | योग-0037 | 30,46,73.07 | (+) 5.20 |
| 0038. संघ उत्पाद शुल्क | | | |
| 01. शेयर करने योग्य शुल्क | | | |
| 901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 18,09,76.00 | 21,51,83.00 | (-) 15.90 |
| | योग-0038 | 21,51,83.00 | (-) 15.90 |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|---|-----------------|---------------|---|-----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| | (₹ लाख में) | | | |
| क. कर राजस्व – (क्रमशः) | | | | |
| (ग) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – (क्रमशः) | | | | |
| 0039. राज्य उत्पाद शुल्क | | | | |
| 101. देशी स्पिरिट | 13,47,72.48 | 12,15,91.24 | (+) 10.84 | |
| 103. यवरस (माल्ट लिकर) | 12,28,47.69 | 8,98,39.50 | (+) 36.74 | |
| 105. विदेशी लिकर और स्पिरिट | 25,59,08.48 | 20,28,41.25 | (+) 26.16 | |
| 106. वाणिज्यिक और विकृत स्पिरिट तथा औषध युक्त मदिरा | 12,84.52 | 8,17.66 | (+) 57.10 | |
| 107. अल्कोहल, अफीम आदि सहित औषधीय और प्रसाधन निर्मिति | 74.51 | 1,41.05 | (-) 47.17 | |
| 108. अफीम, गांजा और अन्य स्वापक | 1,20,10.94 | 1,15,85.68 | (+) 3.67 | |
| 150. अर्थदण्ड और समपहरण | 60,60.25 | 4,25.84 | (+) 1323.13 | |
| 501. सेवायें तथा सेवा शुल्क | 1,91,70.11 | 6,97,50.25 | (-) 72.52 | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 64,48.44 (क) | 11,66.57 | (+) 452.77 | |
| | योग-0039 | 55,85,77.42 | 49,81,59.04 | (+) 12.13 |
| 0040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर | | | | |
| 101. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति | 15,25,02.10 | 13,80,78.94 | (+) 10.45 | |
| 102. राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति | .. | 1,94,90,40.93 | (-) 100.00 | |
| 111. मूल्य संवर्धित कर (वैट) प्राप्ति | 2,22,14,88.37 | .. | .. | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 4,30,00.79 (ख) | 3,44,31.23 | (+) 24.89 | |
| | योग-0040 | 2,41,69,91.26 | 2,12,15,51.10 | (+) 13.93 |

(क) इसमें होलोग्राम पर हुए व्यय का पुर्नभरण, देय बकायों की वसूली तथा दुकानों के हस्तान्तरण से आय सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें पेट्रोल तथा डीजल पर उपकर सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|-------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| क. कर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ग) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – (क्रमशः) | | | |
| 0041. वाहन कर | | | |
| 102. राज्य मोटर यान कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियां | 27,83,84.89 | 24,74,03.85 | (+) 12.52 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 46,01.54(क) | 24,86.14 | (+) 85.09 |
| योग-0041 | 28,29,86.43 | 24,98,89.99 | (+) 13.24 |
| 0042. माल तथा यात्री कर | | | |
| 106. माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर | 9,56,52.17 | 2,87,91.57 | (+) 232.22 |
| योग-0042 | 9,56,52.17 | 2,87,91.57 | (+) 232.22 |
| 0043. विद्युत कर तथा शुल्क | | | |
| 101. विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर | 11,75,11.49 | 6,24,01.91 | (+) 88.31 |
| 103. सिनेमा के विद्युतीय निरीक्षण के लिए फीस | 3.92 | 4.02 | (-) 2.49 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 3,59,35.06 (ख) | 3,24,86.65 | (+) 10.61 |
| योग-0043 | 15,34,50.47 | 9,48,92.58 | (+) 61.71 |
| 0044. सेवा शुल्क | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 5.98 | 0.35 | (+) 1608.57 |
| 901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 29,21,45.00 | 30,42,05.00 | (-) 3.96 |
| योग-0044 | 29,21,50.98 | 30,42,05.35 | (-) 3.96 |

(क) इसमें सड़क कर जुमाने से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें नगरीय उपकर, ऊर्जा लाइसेंस फीस तथा जल संरक्षण उपकर सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|--|----------------------------------|----------------------|---|------------------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| | (₹ लाख में) | | | |
| क. कर राजस्व – (समाप्त) | | | | |
| (ग) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – (समाप्त) | | | | |
| 0045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | | | | |
| 101. मनोरंजन कर | 51,44.48 | 13,88.86 | (+) 270.41 | |
| 105. विलासिता कर | 62,24.39 | 54,57.36 | (+) 14.05 | |
| 112. अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत उपकरणों से प्राप्तियां | .. | 0.01 | (-) 100.00 | |
| 901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | (-) 1.00 (क) | .. | .. | |
| | योग-0045 | 1,13,67.87 | 68,46.23 | (+) 66.05 |
| | योग-(ग) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | 4,31,26,54.60 | 3,82,41,91.93 | (+) 12.77 |
| | योग -क. कर राजस्व | 5,84,89,91.48 | 5,21,50,76.98 | (+) 12.16 |
| ख. करेतर राजस्व | | | | |
| (ख) ब्याज प्राप्तियां , लाभांश तथा लाभ | | | | |
| 0049. ब्याज प्राप्तियां | | | | |
| <i>04. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां</i> | | | | |
| 103. विभागीय वाणिज्यिक उपकरणों से ब्याज | 11,37,34.53 (ख) | 10,70,70.76 | (+) 6.22 | |
| 107. कृषकों से ब्याज | 3.15 | 5.21 | (-) 39.54 | |
| 110. नकद शेषों के निवेश पर उगाहा गया ब्याज | 7,77,95.93 | 9,06,56.86 | (-) 14.19 | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपकरणों से ब्याज | 81,37.25 | 95,05.92 | (-) 14.40 | |
| 191. स्थानीय निकायों से ब्याज | 13.52 | 0.01 | (+) 135100.00 | |

(क) ऋण व्यय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्से के समायोजन के कारण है।

(ख) इसमें पूंजी लेखे पर ब्याज (₹11,24,12,69,180) का कल्पित समायोजन सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|-------------|--|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व –(क्रमशः) | | | |
| (ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ –(समाप्त) | | | |
| 0049. ब्याज प्राप्तियां –(समाप्त) | | | |
| 04. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां –(समाप्त) | | | |
| 195. सहकारी समितियों से ब्याज | 13,63.95 | 12,49.37 | (+) 9.17 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 54,90.92 | 57,61.19 | (-) 4.69 |
| 900. घटाईये वापसियां | .. | (-) 0.30 | (-) 100.00 |
| योग – 0049 | 20,65,39.25 | 21,42,49.02 | (-) 3.60 |
| 0050. लाभांश तथा लाभ | | | |
| 101. सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश | 61,66.54 | 22,73.66 | (+) 171.22 |
| 200. अन्य निवेशों से लाभांश | 1,66.62 | 1,86.22 | (-) 10.53 |
| योग –0050 | 63,33.16 | 24,59.88 | (+) 157.46 |
| योग –(ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ | 21,28,72.41 | 21,67,08.90 | (-) 1.77 |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व | | | |
| (i) सामान्य सेवाएं | | | |
| 0051. लोक सेवा आयोग | | | |
| 105. राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा-शुल्क | 8,38.09 | 70,46.59 | (-) 88.11 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 5.29 | 3.03 | (+) 74.59 |
| योग –0051 | 8,43.38 | 70,49.62 | (-) 88.04 |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|---|-----------------|------------|---|-----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| (₹ लाख में) | | | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | | |
| (i) सामान्य सेवाएं – (क्रमशः) | | | | |
| 0055. पुलिस | | | | |
| 101. अन्य सरकारों को भेजी गयी पुलिस | 1,32,53.47 | 45,59.90 | (+) 190.65 | |
| 102. अन्य दलों को भेजी गयी पुलिस | 92,57.52 | 86,29.22 | (+) 7.28 | |
| 104. शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति | 25.40 | 25.01 | (+) 1.56 | |
| 105. राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्ति | 19.07 | 22,40.59 | (-) 99.15 | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 14,47.37 (क) | 12,72.45 | (+) 13.75 | |
| | योग-0055 | 2,40,02.83 | 1,67,27.17 | (+) 43.50 |
| 0056. जेल | | | | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 39.16 | 29.32 | (+) 33.56 | |
| | योग -0056 | 39.16 | 29.32 | (+) 33.56 |
| 0058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण | | | | |
| 102. राज-पत्रों आदि की बिक्री | 47.47 | 50.57 | (-) 6.13 | |
| 200. अन्य मुद्रणालय प्राप्ति | 1,64.17 | 1,16.77 | (+) 40.59 | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 3,47.54 | 2,43.36 | (+) 42.81 | |
| | योग-0058 | 5,59.18 | 4,10.70 | (+) 36.15 |

(क) इसमें अप्रयुक्त वाहनों के निस्तारण तथा चरित्र प्रमाणित फीस की प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|------------------------------------|-----------------|-----------|---|----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| | (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | | |
| (i) सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | |
| 0059. लोक निर्माण कार्य | | | | |
| 80. सामान्य | | | | |
| 011. किराया | 37.60 | 6.89 | (+) 445.72 | |
| 102. मशीन और उपस्कर का भाड़ा | 16,58.38 | 38.81 | (+) 4173.07 | |
| 103. प्रतिशतता प्रभाषों की वसूली | 26,68.94 | 48,91.52 | (-) 45.44 | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 28,09.22 | 19,78.91 | (+) 41.96 | |
| | | | | |
| | योग-0059 | 71,74.14 | 69,16.13 | (+) 3.73 |
| 0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | | | |
| 01. न्याय प्रशासन | | | | |
| 102. अर्थ दण्ड और समपहरण | 25,95.00 | 28,64.05 | (-) 9.39 | |
| 501. सेवाएं और सेवा शुल्क | 38.28 | 46.77 | (-) 18.15 | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 3,11.03 | 3,52.48 | (-) 11.76 | |
| 900. घटाइये- वापसियां | (-) 10.79 | (-) 11.39 | (-) 5.27 | |
| | | | | |
| | योग-01 | 29,33.52 | 32,51.91 | (-) 9.79 |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|--|-----------------|----------|---|-----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| | (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | | |
| (i) सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | |
| 0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | |
| 02. चुनाव | | | | |
| 101. चुनाव फार्मों और दस्तावेजों की बिक्री से आगम | 10.98 | 28.60 | (-) 61.61 | |
| 104. शुल्क, अर्थदण्ड और समपहरण | 6.92 | 1,07.43 | (-) 93.56 | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 42,30.25 (क) | 36,29.47 | (+) 16.55 | |
| | योग-02 | 42,48.15 | 37,65.50 | (+) 12.82 |
| 60. अन्य सेवाएं | | | | |
| 101. केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्तियां | 13.66 | 7.28 | (+) 87.64 | |
| 103. विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां | 25.92 | 20.16 | (+) 28.57 | |
| 106. सिविल रक्षा | 1,27.11 | 9,96.14 | (-) 87.24 | |
| 110. सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क | 9,43.68 | 7,23.58 | (+) 30.42 | |
| 113. प्रतिलिप्याधिकार शुल्क | 0.06 | 0.92 | (-) 93.48 | |
| 114. मोटर गैराज आदि से प्राप्तियां | 24,01.52 | 23,58.29 | (+) 1.83 | |
| 115. अतिथि गृहों, सरकारी होस्टलों आदि से प्राप्तियां | 7,28.65 | 7,17.88 | (+) 1.50 | |

(क) इसमें भारत सरकार से चुनावों से सम्बन्धित प्राप्तियां सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|---|-----------------|------------|---|-----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| | (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः) | | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व- (क्रमशः) | | | | |
| (i) सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | |
| 0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं - (समाप्त) | | | | |
| 60. अन्य सेवाएं - (समाप्त) | | | | |
| 116. पारपत्र शुल्क (पासपोर्ट फीस) | .. (क) | 0.28 | (-) 100.00 | |
| 117. वीजा शुल्क | 0.03 | 0.01 | (+) 200.00 | |
| 118. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्ति | 43.81 | 20.75 | (+) 111.13 | |
| 501. सेवाएं और सेवा शुल्क | 1,12.31 | 2,30.14 | (-) 51.20 | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 17,42.45 | 26,44.79 | (-) 34.12 | |
| | योग -60 | 61,39.20 | 77,20.22 | (-) 20.48 |
| | योग-0070 | 1,33,20.87 | 1,47,37.63 | (-) 9.61 |
| 0071. पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली | | | | |
| 01. सिविल | | | | |
| 101. अभिदान और अंशदान | 43,94.83 | 38,60.88 | (+) 13.83 | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 66.03 | 33.50 | (+) 97.10 | |
| | योग -0071 | 44,60.86 | 38,94.38 | (+) 14.55 |

(क) ₹ 25 मात्र ।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|------------------------|-------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (i) सामान्य सेवाएं – (समाप्त) | | | |
| 0075. विविध सामान्य सेवाएं | | | |
| 101. अदावाकृत जमा राशि | 9,10.36 | 53,58.81 | (-) 83.01 |
| 105. भूमि और सम्पत्ति की बिक्री | 1,88,00.28 | 1,15,98.81 | (+) 62.09 |
| 108. गारन्टी फीस | 6,17,89.04 | 4,22,44.85 | (+) 46.26 |
| 791. विनिमय से लाभ | 0.84 | 0.04 | (+) 2000.00 |
| 800. अन्य प्राप्ति | 1,61,99.15 (क) | 2,56,05.94 | (-) 36.74 |
| 900. घटाइये – वापसियां | (-) 13,14.83 | (-) 1,72.59 | (+) 661.82 |
| | योग -0075 | 8,46,35.86 | (+) 13.88 |
| | योग-(i) सामान्य सेवाएं | 13,44,00.81 | (+) 9.21 |
| (ii) सामाजिक सेवाएं | | | |
| 0202. शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति | | | |
| 01. सामान्य शिक्षा | | | |
| 101. प्रारम्भिक शिक्षा | 19,29.96 | 27,67.78 | (-) 30.27 |
| 102. माध्यमिक शिक्षा | 19,36.65 | 16,46.23 | (+) 17.64 |
| 103. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा | 8,03.42 | 5,48.99 | (+) 46.35 |

(क) इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वापसी राशि, बंद योजनाओं की अनुपयोजित राशि तथा पंचायती राज द्वारा “क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन योजना” में जमा सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-----------------|----------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं- (क्रमशः) | | | |
| 0202. शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति- (क्रमशः) | | | |
| 01. सामान्य शिक्षा- (समाप्त) | | | |
| 600. सामान्य | 19.80 | 46.15 | (-) 57.10 |
| योग-01 | 46,89.83 | 50,09.15 | (-) 6.37 |
| 02. तकनीकी शिक्षा | | | |
| 101. शिक्षण और अन्य शुल्क | 38.84 | 16.76 | (+) 131.74 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 4,78.16 (क) | 18,36.01 | (-) 73.96 |
| योग-02 | 5,17.00 | 18,52.77 | (-) 72.10 |
| 03. खेलकूद और युवा सेवाएं | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | .. | 1,60.00 | (-) 100.00 |
| योग-03 | .. | 1,60.00 | (-) 100.00 |
| 04. कला और संस्कृति | | | |
| 101. अभिलेखागार और संग्रहालय | 51.25 | 41.70 | (+) 22.90 |
| 102. सार्वजनिक पुस्तकालय | 3.34 | 1.14 | (+) 192.98 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 28,31.62 (ख) | 25,29.61 | (+) 11.94 |
| योग-04 | 28,86.21 | 25,72.45 | (+) 12.20 |
| योग-0202 | 80,93.04 | 95,94.37 | (-) 15.65 |

(क) इसमें तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्राप्तियां सम्मिलित है।

(ख) इसमें आमेर विकास प्राधिकरण, प्राची विद्या प्रतिष्ठान तथा संग्रहालय से संबंधित प्राप्तियां सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|----------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | |
| 0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | | | |
| 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं | | | |
| 020. अस्पताल और औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्तियां | 12.34 | 13.59 | (-) 9.20 |
| 101. कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां | 89,92.87 | 36,66.97 | (+) 145.24 |
| 107. औषधी निर्माण से प्राप्तियां | 1.22 | 0.47 | (+) 159.57 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 6,77.73 | 5,21.05 | (+) 30.07 |
| योग-01 | 96,84.16 | 42,02.08 | (+) 130.46 |
| 03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान | | | |
| 101. आयुर्वेद | 8.87 | 5.38 | (+) 64.87 |
| 105. एलोपैथी | 4,66.21 | 1,99.44 | (+) 133.76 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 0.01 | 6.37 | (-) 99.84 |
| योग-03 | 4,75.09 | 2,11.19 | (+) 124.96 |
| 04. लोक स्वास्थ्य | | | |
| 105. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं से प्राप्तियां | 0.14 | 2.42 | (-) 94.21 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 14,84.00 | 21,45.30 | (-) 30.83 |
| योग-04 | 14,84.14 | 21,47.72 | (-) 30.90 |
| योग-0210 | 1,16,43.39 | 65,60.99 | (+) 77.46 |
| 0211. परिवार कल्याण | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 44.44 | 12.41 | (+) 258.10 |
| योग-0211 | 44.44 | 12.41 | (+) 258.10 |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|---|-----------------|------------|---|----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| | (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः) | | | | |
| 0215. जलपूर्ति तथा सफाई | | | | |
| 01. जलपूर्ति | | | | |
| 102. ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्ति | 46,74.73 | 48,88.42 | (-) 4.37 | |
| 103. शहरी जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्ति | 1,85,48.60 | 1,68,16.85 | (+) 10.30 | |
| 501. सेवाएं और सेवा शुल्क | 34.64 | 1.45 | (+) 2288.97 | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 9,91.95 | 6,77.20 | (+) 46.48 | |
| | योग-01 | 2,42,49.92 | 2,23,83.92 | (+) 8.34 |
| 02. मल-जल और सफाई | | | | |
| 103. मल-जल योजनाओं से प्राप्ति | 3,08.84 | 5,66.35 | (-) 45.47 | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 30,21.13 | 25,34.32 | (+) 19.21 | |
| | योग-02 | 33,29.97 | 31,00.67 | (+) 7.40 |
| | योग-0215 | 2,75,79.89 | 2,54,84.59 | (+) 8.22 |
| 0216. आवास | | | | |
| 01. सरकारी रिहायशी भवन | | | | |
| 106. साधारण पूल आवास | 6,63.99 | 6,54.60 | (+) 1.43 | |
| 700. अन्य आवास | 4.42 | 9.63 | (-) 54.10 | |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|-----------------------------------|-----------------|---------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं- (क्रमशः) | | | |
| 0216. आवास – (समाप्त) | | | |
| 01. सरकारी रिहायशी भवन – (समाप्त) | | | |
| 800. अन्य व्यय | 7.46 | 6.79 | (+) 9.87 |
| योग-0216 | 6,75.87 | 6,71.02 | (+) 0.72 |
| 0217. शहरी विकास | | | |
| 02. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 82.59 | 61.86 | (+) 33.51 |
| योग-02 | 82.59 | 61.86 | (+) 33.51 |
| 60. अन्य शहरी विकास योजनाएं | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 7,01.25 (क) | 4,64.75 | (+) 50.89 |
| योग-60 | 7,01.25 | 4,64.75 | (+) 50.89 |
| योग-0217 | 7,83.84 | 5,26.61 | (+) 48.85 |
| 0220. सूचना तथा प्रचार | | | |
| 01. फिल्म | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 10.79 | 12.01 | (-) 10.16 |
| योग-0220 | 10.79 | 12.01 | (-) 10.16 |

(क) इसमें राजस्थान आवास विकास एवं आधारभूत लिमिटेड तथा राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर द्वारा जमा सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|---|-----------------|------------|---|-----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| | (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः) | | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः :) | | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं- (क्रमशः :) | | | | |
| 0230. श्रम तथा रोजगार | | | | |
| 102. व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए शुल्क | 2.68 | 22.79 | (-) 88.24 | |
| 103. वाष्प बायलर्स के निरीक्षण के लिए शुल्क | 1,20.43 | 1,14.01 | (+) 5.63 | |
| 104. फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत उगाहा गया शुल्क | 5,50.71 | 6,36.96 | (-) 13.54 | |
| 106. ठेका श्रमिक के अन्तर्गत शुल्क (विनियमन और उन्मूलन नियम) | 61.68 | 52.83 | (+) 16.75 | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 2,82,93.25 (क) | 2,55,11.39 | (+) 10.90 | |
| | योग-0230 | 2,90,28.75 | 2,63,37.98 | (+) 10.22 |
| 0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | | | | |
| 01. पुनर्वासि | | | | |
| 200. अन्य पुनर्वासि योजनाएं | 75.64 | 1,15.04 | (-) 34.25 | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 1,69.98 | 7,74.68 | (-) 78.06 | |
| | योग-01 | 2,45.62 | 8,89.72 | (-) 72.39 |
| 60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 1,44.63 | 2,46.44 | (-) 41.31 | |
| | योग-60 | 1,44.63 | 2,46.44 | (-) 41.31 |
| | योग-0235 | 3,90.25 | 11,36.16 | (-) 65.65 |

(क) इसमें भवन तथा अन्य संनिर्माण में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु उपकर सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-------------------------|------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं- (समाप्त) | | | |
| 0250. अन्य सामाजिक सेवाएं | | | |
| 102. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 23,01.48 | 2,05.61 | (+) 1019.34 |
| 800. अन्य प्राप्ति | 2,81.74 (क) | 2,57.06 | (+) 9.60 |
| | योग-0250 | 4,62.67 | (+) 458.33 |
| | योग-(ii) सामाजिक सेवाएं | 7,07,98.81 | (+) 14.17 |
| (iii) आर्थिक सेवाएं | | | |
| 0401. फसल कृषि-कर्म | | | |
| 103. बीज | 2.78 | 4.50 | (-) 38.22 |
| 107. वनस्पति रक्षण सेवाओं से प्राप्ति | 1.58 | 2.29 | (-) 31.00 |
| 110. आई.सी.ए.आर. द्वारा अनुदान | 0.77 | .. (ख) | .. |
| 119. बागवानी और वनस्पति फसलों से प्राप्ति | 0.19 | 0.12 | (+) 58.33 |
| 800. अन्य प्राप्ति | 3,73.18 (ग) | 3,14.92 | (+) 18.50 |
| | योग-0401 | 3,21.83 | (+) 17.61 |
| 0403. पशुपालन | | | |
| 102. मवेशी और भैंस पालन के विकास से प्राप्ति | 57.76 | 9.71 | (+) 494.85 |

(क) यह धार्मिक संस्थाओं की जमा से सम्बन्धित है।

(ख) ₹ 250 मात्र।

(ग) इसमें उर्वरक, बीज तथा वनस्पति रक्षण दवाओं को जारी करने की अनुज्ञापन शुल्क तथा पुराने वाहनों के निस्तारण से प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|--|-----------------|----------|---|----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| | (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः) | | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः) | | | | |
| 0403. पशुपालन - (समाप्त) | | | | |
| 103. मुर्गी पालन के विकास से प्राप्तियां | 0.25 | 0.16 | (+) 56.25 | |
| 104. भेड़ पालन और ऊन के विकास से प्राप्तियां | 2.15 | 1.19 | (+) 80.67 | |
| 105. सूअर पालन के विकास से प्राप्तियां | 0.86 | 0.31 | (+) 177.42 | |
| 106. चारे और चारागाह के विकास से प्राप्तियां | 0.19 | 0.11 | (+) 72.73 | |
| 108. अन्य पशुधन के विकास से प्राप्तियां | 0.22 | 0.25 | (-) 12.00 | |
| 501. सेवाएं और सेवा शुल्क | 1,32.02 | 1,68.25 | (-) 21.53 | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 20.70 | .. | .. | |
| | योग-0403 | 2,14.15 | 1,79.98 | (+ 18.99 |
| 0405. मछली पालन | | | | |
| 011. किराया | 22,33.84 | 23,86.91 | (-) 6.41 | |
| 102. अनुज्ञापन शुल्क, अर्थ दण्ड आदि | 16.76 | 6.30 | (+) 166.03 | |
| 103. मछली, मछली बीज आदि की बिक्री | 9.09 | 22.90 | (-) 60.31 | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 55.35 | 21.58 | (+) 156.49 | |
| | योग-0405 | 23,15.04 | 24,37.69 | (-) 5.03 |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-----------------|----------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः) | | | |
| 0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी | | | |
| 01. वानिकी | | | |
| 101. लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री | 38,20.70 | 38,78.06 | (-) 1.48 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 33,39.70 (क) | 24,19.90 | (+) 38.01 |
| योग-01 | 71,60.40 | 62,97.96 | (+) 13.69 |
| 02. पर्यावरणीय वानिकी और वन्य प्राणी | | | |
| 111. प्राणी उद्यान | 3,13.38 | 2,81.50 | (+) 11.33 |
| 112. सार्वजनिक उद्यान | 2,07.66 | 1,25.01 | (+) 66.11 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 12,49.47 (ख) | 10,47.60 | (+) 19.27 |
| योग-02 | 17,70.51 | 14,54.11 | (+) 21.76 |
| योग-0406 | 89,30.91 | 77,52.07 | (+) 15.21 |
| 0425. सहकारिता | | | |
| 101. लेखापरीक्षा शुल्क | 2,90.96 | 2,50.95 | (+) 15.94 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 13,97.47 | 16,29.09 | (-) 14.22 |
| योग-0425 | 16,88.43 | 18,80.04 | (-) 10.19 |

(क) इसमें गैर वन भूमि को वनारोपण के लिए अधिग्रहण करने की क्षतिपूर्ति की प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें टाइगर परियोजना, रणथम्भोर के माध्यम से पर्यटन तथा इको डवलपमेन्ट से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|---------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः) | | | |
| 0435. अन्य कृषि कार्यक्रम | | | |
| 104. मृदा और जल संरक्षण | 9.84 | 3.15 | (+) 212.38 |
| 800. अन्य प्राप्ति | 7,45.02 (क) | 6,41.16 | (+) 16.20 |
| योग-0435 | 7,54.86 | 6,44.31 | (+) 17.16 |
| 0506. भूमि सुधार | | | |
| 101. जोत और काश्तकारी के विनियम/चकबन्दी से प्राप्ति | 4.79 | 19.53 | (-) 75.47 |
| योग-0506 | 4.79 | 19.53 | (-) 75.47 |
| 0515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | | | |
| 101. पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्ति | 82.77 | 13.57 | (+) 509.95 |
| 800. अन्य प्राप्ति | 65.77 | 2.86 | (+) 2199.65 |
| योग-0515 | 1,48.54 | 16.43 | (+) 804.08 |
| 0575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | | | |
| 60. अन्य | | | |
| 101. क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से प्राप्ति | 87.56 | 91.79 | (-) 4.61 |
| योग-0575 | 87.56 | 91.79 | (-) 4.61 |

(क) इसमें 2013-14 में हुए व्यय के पुनःभरण हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्ति सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|----------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | |
| 0700. मुख्य सिंचाई | | | |
| 01. भाखरा बांध सिंचाई शाखा (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 5,50.70 | 8,24.45 | (-) 33.20 |
| 102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 44.62 | 19.64 | (+) 127.19 |
| 103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | .. | 0.08 | (-) 100.00 |
| 104. नहर बागानों से विक्रय आगम | 6.02 | 19.03 | (-) 68.37 |
| 108. अप्रत्यक्ष प्राप्तियां | 20.80 | 14.98 | (+) 38.85 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 2,00.92 | 2,37.29 | (-) 15.33 |
| योग-01 | 8,23.06 | 11,15.47 | (-) 26.21 |
| 02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 2,91.96 | 2,60.05 | (+) 12.27 |
| 103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 4,30.78 | 4,13.60 | (+) 4.15 |
| 104. नहर बागानों से विक्रय आगम | .. | 3.53 | (-) 100.00 |
| 108. अप्रत्यक्ष प्राप्तियां | 2.73 | 3.72 | (-) 26.61 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 9,19.91 | 6,36.83 | (+) 44.45 |
| योग-02 | 16,45.38 | 13,17.73 | (+) 24.86 |
| 03. इंदिरा गांधी नहर (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 9,24.58 | 6,99.52 | (+) 32.17 |
| 800. अन्य व्यय | 52.88 | 3,12.95 | (-) 83.10 |
| योग-03 | 9,77.46 | 10,12.47 | (-) 3.46 |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|---------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः) | | | |
| 0700. मुख्य सिंचाई - (क्रमशः) | | | |
| 04. इंदिरा गांधी नहर (वाणिज्यिक) | | | |
| (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 3,91.73 | 2,85.65 | (+) 37.14 |
| 102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 22.27 | 1,09.32 | (-) 79.63 |
| 108. अप्रत्यक्ष प्राप्तियां | 0.15 | 3.30 | (-) 95.45 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 2,90.09 | 5,01.66 | (-) 42.17 |
| योग-04 | 7,04.24 | 8,99.93 | (-) 21.75 |
| 05. गुड़गाँव नहर (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 0.75 | 0.34 | (+) 120.59 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 9.02 | 2.02 | (+) 346.53 |
| योग-05 | 9.77 | 2.36 | (+) 313.98 |
| 06. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 13.25 | 13.50 | (-) 1.85 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 4.62 | 7.54 | (-) 38.73 |
| योग-06 | 17.87 | 21.04 | (-) 15.07 |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|---------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः) | | | |
| 0700. मुख्य सिंचाई - (क्रमशः) | | | |
| 07. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | .. | 2.45 | (-) 100.00 |
| 800. अन्य प्राप्ति | 17.88 | 9.18 | (+) 94.77 |
| योग-07 | 17.88 | 11.63 | (+) 53.74 |
| 08. माही परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 86.16 | 2,52.24 | (-) 65.84 |
| योग-08 | 86.16 | 2,52.24 | (-) 65.84 |
| 09. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 16.93 | 18.15 | (-) 6.72 |
| योग-09 | 16.93 | 18.15 | (-) 6.72 |
| 10. गंग नहर (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 1,36.84 | 3,55.15 | (-) 61.47 |
| 102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 15.09 | 37.09 | (-) 59.32 |
| 103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 37.91 | 4.06 | (+) 833.74 |
| 104. नहर बागानों से विक्रय आगम | 1.29 | 1.07 | (+) 20.56 |
| 800. अन्य प्राप्ति | 2,33.88 | 41.82 | (+) 459.25 |
| योग-10 | 4,25.01 | 4,39.19 | (-) 3.23 |

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|----------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः) | | | |
| 0700. मुख्य सिंचाई – (समाप्त) | | | |
| 80. सामान्य (वाणिज्यिक) | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 7,97.33 | 19,23.78 | (-) 58.55 |
| योग-80 | 7,97.33 | 19,23.78 | (-) 58.55 |
| योग-0700 | 55,21.09 | 70,13.99 | (-) 21.28 |
| 0701. मध्यम सिंचाई | | | |
| 02. जवाई नहर (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 9.67 | 4.54 | (+) 113.00 |
| 102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री | 55.41 | 0.67 | (+) 8170.15 |
| 104. नहर बागानों से विक्रय आगम | .. | 0.06 | (-) 100.00 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 11.94 | 16.67 | (-) 28.37 |
| योग-02 | 77.02 | 21.94 | (+) 251.05 |
| 03. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 3.74 | 2.18 | (+) 71.56 |
| 104. नहर बागानों से विक्रय आगम | .. | 0.14 | (-) 100.00 |
| योग-03 | 3.74 | 2.32 | (+) 61.21 |

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|---------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं– (क्रमशः) | | | |
| 0701. मध्यम सिंचाई –(क्रमशः) | | | |
| 04. पारबती परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 2.83 | 1.36 | (+) 108.09 |
| 104. नहर बागानों से विक्रय आगम | .. (क) | 1.15 | (-) 100.00 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | .. | 8.36 | (-) 100.00 |
| योग-04 | 2.83 | 10.87 | (-) 73.97 |
| 05. गुदा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 21.01 | 0.01 | (+) 210000.00 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 0.30 | .. | .. |
| योग -05 | 21.31 | 0.01 | (+) 213000.00 |
| 06. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 0.28 | 0.59 | (-) 52.54 |
| योग-06 | 0.28 | 0.59 | (-) 52.54 |

* ₹ 110 मात्र ।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|---------|--|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः) | | | |
| 0701. मध्यम सिंचाई – (क्रमशः) | | | |
| 07. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 3.17 | 0.06 | (+) 5183.33 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | .. | 2.03 | (-) 100.00 |
| योग-07 | 3.17 | 2.09 | (+) 51.67 |
| 08. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | .. | 3.97 | (-) 100.00 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 0.10 | 0.04 | (+) 150.00 |
| योग-08 | 0.10 | 4.01 | (-) 97.51 |
| 09. बडगांव परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 0.73 | 0.01 | (+) 7200.00 |
| योग-09 | 0.73 | 0.01 | (+) 7200.00 |
| 10. ओराई परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 0.17 | 0.20 | (-) 15.00 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | .. | 0.02 | (-) 100.00 |
| योग-10 | 0.17 | 0.22 | (-) 22.73 |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-----------------|---------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः) | | | |
| 0701. मध्यम सिंचाई – (क्रमशः) | | | |
| 11. वेगन डाइवर्जन परियोजना (वाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 0.81 | 0.97 | (-) 16.49 |
| योग-11 | 0.81 | 0.97 | (-) 16.49 |
| 12. परवन लिफ्ट परियोजना (अवाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 2.75 | 3.62 | (-) 24.03 |
| योग-12 | 2.75 | 3.62 | (-) 24.03 |
| 13. हरिश् चन्द्र सागर परियोजना (अवाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 3.34 | 1.92 | (+) 73.96 |
| योग-13 | 3.34 | 1.92 | (+) 73.96 |
| 14. अन्य परियोजनायें (अवाणिज्यिक) | | | |
| 101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से) | 73.15 | 84.79 | (-) 13.73 |
| 102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री | 0.40 | .. | .. |
| 103. अन्य कार्य के लिए जल की बिक्री | 0.12 | .. | .. |
| 104. नहर बागानों से विक्रय आगम | 0.79 | .. | .. |
| योग-14 | 74.46 | 84.79 | (-) 12.18 |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--------------------------------------|-----------------|----------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः) | | | |
| 0701. मध्यम सिंचाई – (समाप्त) | | | |
| 80. सामान्य (अवाणिज्यिक) | | | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 9,95.81 | 9,14.21 | (+) 8.93 |
| योग-80 | 9,95.81 | 9,14.21 | (+) 8.93 |
| योग-0701 | 11,86.52 | 10,47.57 | (+) 13.26 |
| 0702. लघु सिंचाई | | | |
| 01. सतह जल | | | |
| 800. अन्य प्राप्ति | 2,56.33 (क) | 3,38.49 | (-) 24.27 |
| योग-01 | 2,56.33 | 3,38.49 | (-) 24.27 |
| 02. भू-जल | | | |
| 101. ट्यूब वेलों से प्राप्ति | 11,66.63 | 8,41.60 | (+) 38.62 |
| 800. अन्य प्राप्ति | 11.36 | 6.45 | (+) 76.12 |
| 900. घटाइए- वापसियां | (-) 1.37 | .. | .. |
| योग-02 | 11,76.62 | 8,48.05 | (+) 38.74 |
| योग-0702 | 14,32.95 | 11,86.54 | (+) 20.77 |

(क) इसमें सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री से प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः) | | | |
| 0801. बिजली | | | |
| 80. सामान्य | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 12,47.91 (क) | 12,05.65 | (+) 3.51 |
| योग-0801 | 12,47.91 | 12,05.65 | (+) 3.51 |
| 0802. पेट्रोलियम | | | |
| 103. रायल्टी | 48,49,67.53 | 59,53,71.02 | (-) 18.54 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | .. | 0.01 | (-) 100.00 |
| योग-0802 | 48,49,67.53 | 59,53,71.03 | (-) 18.54 |
| 0851. ग्राम तथा लघु उद्योग | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 8,25.69 (ख) | 7,53.01 | (+) 9.65 |
| योग-0851 | 8,25.69 | 7,53.01 | (+) 9.65 |
| 0852. उद्योग | | | |
| 04. पेट्रो रसायनिक उद्योग | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 0.04 | 0.90 | (-) 95.56 |
| योग-04 | 0.04 | 0.90 | (-) 95.56 |

(क) यह जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त कम्पाउन्ड प्रभार से संबंधित है।

(ख) इसमें राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जमा करायी गयी सहायतार्थ अनुदान की अनुपयोजित राशि सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-----------------|-------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः) | | | |
| 0852. उद्योग – (समाप्त) | | | |
| 05. रसायनिक उद्योग | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 7.54 | 10.80 | (-) 30.19 |
| योग-05 | 7.54 | 10.80 | (-) 30.19 |
| 80. सामान्य | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 5,94.42 (क) | 42.27 | (+) 1306.25 |
| योग-80 | 5,94.42 | 42.27 | (+) 1306.25 |
| योग-0852 | 6,02.00 | 53.97 | (+) 1015.44 |
| 0853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग | | | |
| 102. खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क | 34,49,55.12 | 29,09,24.15 | (+) 18.57 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 1,85,90.56 (ख) | 1,79,41.60 | (+) 3.62 |
| योग-0853 | 36,35,45.68 | 30,88,65.75 | (+) 17.70 |
| 1054. सड़क तथा सेतु | | | |
| 102. सड़कों पर पथ-कर | 5,54.57 | 2,25.70 | (+) 145.71 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 1,57.47 | 1,89.64 | (-) 16.96 |
| योग-1054 | 7,12.04 | 4,15.34 | (+) 71.44 |

(क) इसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम तथा शिल्प एवं माटीकला बोर्ड द्वारा जमा करायी गयी सहायतार्थ अनुदान की अनुपयोजित राशि, राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवा उदयमिता प्रोत्साहन योजना की जमा करायी गयी अवशेष राशि तथा अंबुजा सीमेन्ट से प्राप्त राशि सम्मिलित है।

(ख) इसमें पर्यावरण प्रबन्धन से प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|----------------------|----------------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख. करेतर राजस्व - (समाप्त) | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - (समाप्त) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं- (समाप्त) | | | |
| 1452. पर्यटन | | | |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 1,17.28 (क) | 71.96 | (-) 62.98 |
| योग-1452 | 1,17.28 | 71.96 | (-) 62.98 |
| 1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | | | |
| 012. सांख्यिकी | 76.75 | 4,99.59 | (-) 84.64 |
| 106. बाटों और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क | 10,94.56 | 10,90.65 | (+) 0.36 |
| 200. अन्य कारोबार उपक्रमों के विनिमय | 3,25.67 | 3,14.80 | (+) 3.45 |
| 800. अन्य प्राप्तियां | 62,80.29 | 43,82.87 | (+) 43.29 |
| योग-1475 | 77,77.27 | 62,87.91 | (+) 23.69 |
| योग-(iii) आर्थिक सेवाएं | 88,24,58.74 | 93,56,16.39 | (-) 5.68 |
| योग-(ग) अन्य करेतर राजस्व | 1,11,00,77.48 | 1,14,08,16.01 | (-) 2.69 |
| योग-ख. करेतर राजस्व | 1,32,29,49.89 | 1,35,75,24.91 | (-) 2.55 |

(क) इसमें पर्यटन गाइड तथा परियोजना अनुमोदन का वार्षिक शुल्क सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-----------------|-------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान | | | |
| 01. योजनेतर अनुदान | | | |
| 104. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान | | | |
| (03) योजनेतर राजस्व घाटे को पुरा करने के लिए अनुदान | 2,72,11.00 | .. | .. |
| (15) स्थानीय निकायों हेतु अनुदान | | | |
| [01] पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान | 8,64,04.63 | 11,79,77.19 | (-) 26.76 |
| [02] नगर निकायों हेतु अनुदान | 3,32,45.30 | 3,61,62.89 | (-) 8.07 |
| [03] विशेष क्षेत्रों हेतु अनुदान | 8,91.00 | 9,01.01 | (-) 1.11 |
| (17) विशिष्ट आवश्यकता कार्यक्रम | | | |
| [01] पेयजल हेतु अनुदान | 2,12,00.00 | .. | .. |
| [02] सिंचाई हेतु अनुदान | 1,62,92.00 | .. | .. |
| [03] जन स्वास्थ्य हेतु अनुदान | .. | 37,67.00 | (-) 100.00 |
| [04] राष्ट्रीय राज मार्ग एवं जिला सड़कों हेतु अनुदान | 37,50.00 | 37,50.00 | .. |
| [05] पुलिस, कारागार तथा होमगार्ड कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु अनुदान | 27,63.00 | .. | .. |
| (18) प्रारम्भिक शिक्षा हेतु अनुदान | 4,09,00.00 | 3,94,00.00 | (+) 3.81 |
| (19) पर्यावरण | | | |
| [01] वनों की सुरक्षा हेतु अनुदान | 22,08.00 | 29,03.52 | (-) 23.95 |
| [03] अक्षय ऊर्जा | 8,15,39.00 | .. | .. |
| (20) न्यायिक सुधारों हेतु अनुदान | 17,58.40 | 23,80.00 | (-) 26.12 |
| (21) यूनिफ़ॉर्म पहचान पत्र जारी करने हेतु अनुदान | 17,30.00 | .. | .. |
| (23) सांख्यिकी संगठन के सुधार हेतु अनुदान | 6,60.00 | 6,60.00 | .. |
| (24) कर्मचारियों तथा पेंशनरों के डाटाबेस हेतु अनुदान | .. | 7,50.00 | (-) 100.00 |
| (25) सड़कों तथा पुलों के सुधार हेतु अनुदान | 4,44,00.00 | 4,09,00.00 | (+) 8.56 |
| (26) शिशु मृत्यु दर में कमी हेतु अनुदान | 9,15.07 | 6,63.97 | (+) 37.82 |

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|--|-----------------|-------------|---|-----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| (₹ लाख में) | | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः) | | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः) | | | | |
| 01. योजनेतर अनुदान –(समाप्त) | | | | |
| 109. राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान | 5,47,58.00 | 5,21,50.00 | (+) 5.00 | |
| 800. अन्य अनुदान | | | | |
| (01) पुलिस दल का आधुनिकीकरण | 51,24.00 | .. | .. | |
| (02) शिक्षा | | | | |
| [04] विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम | .. | 1,00.00 | (-) 100.00 | |
| [05] यू.जी.सी.वेतनमान का पुर्नभरण | .. | 2,51,13.60 | (-) 100.00 | |
| (05) युद्धावश्यक सीमावर्ती सड़कें | 2,66,42.67 | 2,74,62.81 | (-) 2.99 | |
| (07) विविध प्राप्तियां | 3,11.72 | .. | .. | |
| | योग-01 | 45,27,03.79 | 35,50,41.99 | (+) 27.51 |
| 02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | | | | |
| 101. एक मुश्त (ब्लाक) अनुदान | | | | |
| (02) सामान्य केन्द्रीय सहायता | 6,64,25.37 | 6,43,91.25 | (+) 3.16 | |
| (03) अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता | | | | |
| [01] सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम | .. | 1,37,73.00 | (-) 100.00 | |
| [03] राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | .. | 3,40,08.33 | (-) 100.00 | |
| [05] एक मुश्त सहायता | 72,71.13 | 60,00.00 | (+) 21.19 | |
| [06] राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना | .. | 5,80,74.96 | (-) 100.00 | |
| [08] ई-गवर्नेंस योजना | 7,42.50 | 4,66.00 | (+) 59.33 | |

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|--|------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः) | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः) | | | |
| 02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान – (क्रमशः) | | | |
| 101. एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान – (क्रमशः) | | | |
| (04) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई ए पी) हेतु केन्द्रीय सहायता | | | |
| [01] | जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (विश्व बैंक) | 25.39 | .. |
| [03] | राजस्थान जल पुर्नसंरचना योजना- विश्व बैंक | .. | 10,83.12 (-) 100.00 |
| [10] | राजस्थान लघु सिंचाई विकास योजना-जे. आई .सी. ए. | 13,80.24 | 18,33.35 (-) 24.71 |
| (05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता * | | | |
| [01] | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) सामान्य | 6,95,28.00 | .. |
| [02] | निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) सामान्य | 2,30,60.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 33,45.78 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 68,56.09 | .. |
| [03] | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) सामान्य | 7,83,42.11 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,03,87.83 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,17,33.91 | .. |
| [04] | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) सामान्य | 6,69,72.04 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,64,91.18 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,54,23.77 | .. |
| [05] | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि(बी.आर.जी.एफ.)-जिला घटक सामान्य | 1,31,41.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 51,09.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 28,95.00 | .. |
| [07] | एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) सामान्य | 2,87,04.05 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 50,78.78 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 66,02.93 | .. |

* 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने सभी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनाओं को 66 अम्ब्रेला योजनाओं के तहत समाहित कर दिया है तथा राज्यों को केन्द्रीय सहायता “राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के रूप में जारी की गयी। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा अपने आय व्यय के अनुमान में सम्बन्धित राज्य आयोजना योजनाओं को इन योजनाओं के साथ मिलान कर दिया गया है योजनाओं की राशि को अलग करने के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है: “ज.जा.उ.यो. – जनजाति उप-योजना” “अ.जा.उ.यो. – अनुसूचित जाति उप-योजना” ।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-------------------------------------|---|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः) | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः) | | | |
| 02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान – (क्रमशः) | | | |
| 101. एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान – (क्रमशः) | | | |
| (05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता – (क्रमशः) | | | |
| [08] राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (आर.जी.पी.एस.वाई.) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 8,20.49 1,04.01 2,31.12 | |
| [09] इंदिरा आवास योजना (आई. ए. वाई.) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 80,53.09 2,45,29.83 88,02.81 | |
| [10] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा) | सामान्य | 29,76,09.87 | .. |
| [11] राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) | सामान्य | 2,34,56.55 | .. |
| [12] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) | सामान्य | 4,25,66.00 | .. |
| [13] राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) | सामान्य | 18,08.84 | .. |
| [14] मिड डे मील योजना (एम.डी.एम.) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,66,66.09 85,05.93 65,85.11 | |
| [15] सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 16,00,02.50 3,81,40.19 4,98,98.86 | |
| [16] जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) | सामान्य | 31,06.40 | .. |
| [17] एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 4,79,82.82 65,68.70 2,00,36.17 | |
| [18] त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) | सामान्य | 11,96.00 | .. |

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-----------------|------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः :) | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः :) | | | |
| 02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान – (क्रमशः :) | | | |
| 101. एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान – (क्रमशः :) | | | |
| (05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता – (क्रमशः :) | | | |
| [19] राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.) | सामान्य | 17,06.70 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,19.51 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,21.54 | .. |
| [20] सीमा क्षेत्र विकास योजना (बी.ए.डी.पी.) | सामान्य | 1,01,40.15 | .. |
| [21] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | सामान्य | 1,69,08.51 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 19,48.91 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 37,12.03 | .. |
| [22] राष्ट्रीय बागवानी मिशन | सामान्य | 33,56.75 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,64.13 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 5,77.02 | .. |
| [23] राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन | सामान्य | 71,43.42 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 13,00.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 17,00.00 | .. |
| [24] राष्ट्रीय तिलहन एवं आर्येल पाम मिशन | सामान्य | 29,50.03 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 7,37.14 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 10,97.68 | .. |
| [25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन | सामान्य | 21,27.55 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,13.63 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,79.35 | .. |
| [26] राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना | सामान्य | 4,65.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,50.97 | .. |
| [27] राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम | सामान्य | 12,19.19 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,07.50 | .. |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः :) | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः :) | | | |
| 02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान – (क्रमशः :) | | | |
| 101. एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान – (क्रमशः :) | | | |
| (05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता – (क्रमशः :) | | | |
| [29] निर्यात हेतु आधारभूत विकास के लिए राज्य को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 18,65.00 3,49.00 | |
| [31] राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन) | सामान्य | 5,40.09 | .. |
| [32] प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण | सामान्य | 25,66.00 | .. |
| [33] वन्य जीवन हेतु समेकित विकास | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 3,40.16 27.13 | |
| [34] बाघ परियोजना | सामान्य | 6,27.19 | .. |
| [35] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में मानव संसाधन | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 47,76.76 3.55 5,24.95 | |
| [36] राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं औषधीय पादपों हेतु मिशन | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 6,44.54 5.73 30.31 | |
| [37] राष्ट्रीय एड्स एवं यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम | सामान्य | 21,00.39 | .. |
| [38] राष्ट्रीय पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बल आधुनिकीकरण योजना | सामान्य | 47,64.00 | .. |
| [39] राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 40,66.60 1,34.44 | |
| [40] राजीव आवास योजना (एम.ओ.एच.पी.यू.ए.) | सामान्य | 95,54.07 | .. |
| [41] राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,04,87.14 78,85.27 60,48.84 | |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः :) | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः :) | | | |
| 02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान – (क्रमशः :) | | | |
| 101. एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान – (क्रमशः :) | | | |
| (05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता – (क्रमशः :) | | | |
| [42] अध्यापक प्रशिक्षण एवं पौढ शिक्षा विकास सहायता | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 24,97.16 14,88.41 14,68.00 | |
| [43] उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना कार्यक्रम | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 57,23.00 11,64.00 15,87.00 | |
| [45] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 11,92.12 1,15.39 2,30.74 | |
| [46] कौशल विकास मिशन | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 98.83 44.01 2.69 | |
| [47] असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना | सामान्य | 32,09.86 | .. |
| [48] ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास | सामान्य | 71.78 | .. |
| [49] अल्पसंख्यकों के बहु आयामी विकास कार्यक्रम | सामान्य | 26,25.95 | .. |
| [51] अनुसूचित जातियों के लिए विकास योजना | अ.जा.उ.यो. | 1,04,61.85 | .. |
| [52] अन्य पिछड़ा वर्ग, घूमंत तथा अर्द्ध घूमंत जनजाति की विकास योजना | सामान्य | 50,54.46 | .. |
| [53] आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विकास योजना | सामान्य | 50.00 | .. |
| [58] परिपथ एवं स्थानों का आधारभूत विकास | सामान्य | 12,09.25 | .. |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः) | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः) | | | |
| 02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान – (समाप्त) | | | |
| 101. एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान – (समाप्त) | | | |
| (05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता – (समाप्त) | | | |
| [59] अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना | ज.जा.उ.यो. | 88,23.34 | .. |
| [60] राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मय इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 32,84.88 5,46.06 | |
| [61] एकीकृत बाल सुरक्षा कार्यक्रम (आई.सी.पी.एस.) | सामान्य | 33,95.82 | .. |
| [62] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (एस.ए.बी.एल. ए.) | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 33,55.19 9,46.28 | |
| [65] राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 3,24.49 63.89 84.25 | |
| 104. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान | | | |
| (01) केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्ति | | 97,55.91 | 94,37.80 (+) 3.37 |
| (02) जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता | | 88,22.04 | 83,77.00 (+) 5.31 |
| 105. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | | 2,86,44.40 | 2,21,22.00 (+) 29.48 |
| 800. अन्य अनुदान | | | |
| (03) पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम | | .. | 62,30.00 (-) 100.00 |
| (04) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | | .. | 7,35,24.00 (-) 100.00 |
| योग-02 | | 1,48,85,16.40 | 29,93,20.81 (+) 397.30 |

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|--|-----------------|----------|---|-------------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| (₹ लाख में) | | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान –(क्रमशः :) | | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान –(क्रमशः :) | | | | |
| 03. केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्कीमों के लिए अनुदान | | | | |
| 800. अन्य अनुदान | | | | |
| खेलकूद तथा युवा सेवाएं | | | | |
| विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम (एन एस एस) | सामान्य | .. | 1,84.01 | (-) 100.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 35.93 | (-) 100.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 70.98 | (-) 100.00 |
| कला एवं संस्कृति | | | | |
| कला एवं संस्कृति का संवर्धन (पुरालेखागार एवं पुरालेखागार पुस्तकालय) | सामान्य | 5.87 | 56.25 | (-) 89.56 |
| कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा विस्तार | सामान्य | 3,89.91 | 15.00 | (+) 2499.40 |
| परिवार कल्याण | | | | |
| अन्य सेवाएं तथा आपूर्ति | सामान्य | 6,38.06 | .. | .. |
| राजीव आवास योजना | सामान्य | .. | 13.50 | (-) 100.00 |
| अनुसूचित जातियों का कल्याण(आर्थिक विकास) | | | | |
| अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | अ.जा.उ.यो. | 60,27.26 | 31,67.00 | (+) 90.31 |
| अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की मेरिट उन्नयन | अ.जा.उ.यो. | .. | 6.40 | (-) 100.00 |
| अनुसूचित जनजातियों का कल्याण | | | | |
| वन बन्धु कल्याण योजना | ज.जा.उ.यो. | 10,00.00 | .. | .. |
| अनुसंधान सूचना तथा मास शिक्षा जनजाति त्यौहार | ज.जा.उ.यो. | 34.00 | .. | .. |
| लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजाति विकास सहकारी निगम | ज.जा.उ.यो. | 56.00 | .. | .. |
| विशेषकर परिसंस्कृत जनजाति समूह का विकास | ज.जा.उ.यो. | 15,00.00 | 7,00.00 | (+) 114.29 |

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-----------------|----------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान –(क्रमशः) | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान –(क्रमशः) | | | |
| 03. केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्कीमों के लिए अनुदान –(क्रमशः) | | | |
| 800. अन्य अनुदान –(क्रमशः) | | | |
| अल्पसंख्यकों का कल्याण | | | |
| पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना | सामान्य | 44,98.30 | .. |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | | | |
| बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ शिविर | सामान्य | 1,15.43 | .. |
| निःशक्तजन के लिए कार्यान्वयन से उत्पन्न योजनाएं | सामान्य | 1,00.82 | 23.39 |
| | ज.जा.उ.यो. | 19.56 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 30.10 | .. |
| फसल कृषि-कर्म | | | |
| देश में पेस्ट प्रबन्धन का सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण | सामान्य | .. | 20.00 |
| कृषि सांख्यिकी का सुधार | सामान्य | 3,12.00 | 3,39.42 |
| कृषि गणना | सामान्य | 3,27.00 | 3,25.93 |
| कृषि अभियांत्रिकी (फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा जांच) | सामान्य | .. | 13.50 |
| विस्तार तथा प्रौद्योगिकी | सामान्य | 13,44.24 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 31.89 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,03.80 | .. |
| पशुपालन | | | |
| पशु तथा भैंस विकास (एकीकृत नमूना जांच) | सामान्य | 1,42.00 | 1,00.00 |
| प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी (पशुधन गणना) | सामान्य | 3,00.00 | .. |
| मत्स्य पालन | | | |
| अन्तर्देशीय मछली पालन तथा एक्वाकल्चर का विकास | सामान्य | 7.73 | .. |
| मछली पालकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना | सामान्य | 15.19 | .. |
| मत्स्य पालन क्षेत्र का डाटा बेस तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण | सामान्य | .. | 20.09 |

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) |
|--|-----------------|------------|---|
| | 2014-15 | 2013-14 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान –(क्रमशः :) | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान –(क्रमशः :) | | | |
| 03. केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्कीमों के लिए अनुदान –(समाप्त) | | | |
| 800. अन्य अनुदान –(समाप्त) | | | |
| वानिकी तथा वन्य प्राणी | | | |
| वानिकी वन प्रबंधन | सामान्य | .. | 1,45.02 (-) 100.00 |
| प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण का संरक्षण | सामान्य | .. | 17.39 (-) 100.00 |
| ग्रामीण विकास | | | |
| राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) | सामान्य | .. | 41,37.34 (-) 100.00 |
| लघु सिंचाई | | | |
| जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास | सामान्य | 63.94 | 13.96 (+) 358.02 |
| पर्यटन | | | |
| घरेलु संवर्धन एवं प्रचार मय हॉस्पिटैलिटी | सामान्य | 40.00 | |
| जनगणना सर्वे एवं सांख्यिकी | | | |
| स्थानीय स्तर विकास हेतु बुनियादी सांख्यिकी (बी.एस.एल.एल.डी.) | सामान्य | .. | 11.99 (-) 100.00 |
| आर्थिक सांख्यिकी | सामान्य | 8,85.73 | 25,30.55 (-) 65.00 |
| भारतीय सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना (आई.एस.एस.पी.) | सामान्य | .. | 15,25.14 (-) 100.00 |
| नागरिक आपूर्ति | | | |
| पी डी एस संचालन का कम्प्यूटरीकरण | सामान्य | 13,88.72 | |
| उपभोक्ता जागरूकता | सामान्य | 46.47 | |
| उपभोक्ता संरक्षण | सामान्य | 5.40 | |
| राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन | सामान्य | .. | 14.38 (-) 100.00 |
| | योग-03 | 1,95,29.42 | 1,34,87.17 (+) 44.80 |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-) | |
|--|--------------------------------------|----------------------|---|------------------|
| | 2014-15 | 2013-14 | | |
| (₹ लाख में) | | | | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (समाप्त) | | | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (समाप्त) | | | | |
| 04. केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान * | | | | |
| 800. अन्य अूदान | सामान्य | .. | 11,66,05.38 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,25,71.75 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 5,74,08.47 | .. |
| | योग-04 | .. | 20,65,85.60 | .. |
| | योग-1601 | 1,96,07,49.61 | 87,44,35.57 | (+) 124.23 |
| | योग-ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान | 1,96,07,49.61 | 87,44,35.57 | (+) 124.23 |
| | योग – प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) | 9,13,26,90.98 | 7,44,70,37.46 | (+) 22.64 |
| प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | | | | |
| 4000. विविध पूँजीगत प्राप्ति | | | | |
| 01. सिविल | | | | |
| 105. सहकारी समितियां/बैंकों की पूँजी/विनिवेश की निवृत्ति | | 14,57.04 | 10,27.09 | (+) 41.86 |
| | योग-4000 | 14,57.04 | 10,27.09 | (+) 41.86 |
| | योग – प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | 14,57.04 | 10,27.09 | (+) 41.86 |
| | कुल योग – प्राप्ति शीर्ष | 9,13,41,48.02 | 7,44,80,64.55 | (+) 22.64 |

* कृपया पृष्ठ संख्या 119 पर पाद टिप्पणी देखें। 2014-15 से राज्य आयोजना योजनाओं में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के मिलान के पश्चात् 2014-15 के दौरान उपमुख्य शीर्ष 04 के अन्तर्गत कोई अनुदान नहीं दिखाया गया है, अतः लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत पिछले वर्ष के योजनागत व्यौरों को मिला दिया गया है।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. राजस्व लेखे पर प्राप्ति :- 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित राजस्व (₹ 5,19,02,44.37 लाख) 2013-14 में उल्लिखित राजस्व (₹ 4,70,52,94.82 लाख) से ₹ 48,49,49.55 लाख अधिक था जो मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल तथा यात्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विद्युत कर तथा शुल्क, अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, वाहन कर, गारन्टी फीस, इत्यादि से अधिक प्राप्ति के कारण था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से अनुदान और कतिपय करों से निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में प्राप्तियों में ₹ 1,20,07,03.97 लाख (2013-14 में ₹ 2,74,17,42.64 लाख से 2014-15 में ₹ 3,94,24,46.61 लाख) की वृद्धि मुख्यतः निवल आगमों से हिस्से, सेवा कर, आय पर निगम कर से भिन्न कर, निगम कर, सीमा शुल्क तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों आदि के कारण थी तथा 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने निधियों के सीधे अंतरण पर रोक लगाने का निश्चय किया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,68,56,53.52 लाख की वृद्धि हुई।

वे लेखा शीर्ष जिनमें गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सार्वभूत वृद्धि/कमी हुई, नीचे दिये गये हैं:-

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राशि | टिप्पणी |
|---|---------------|--|
| | (₹ लाख में) | |
| वृद्धि | | |
| 1601. केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान | 1,08,63,14.04 | भारत सरकार से प्राप्त योजनेतर अनुदान तथा अनुदान के अन्तर्गत अधिक अनुदान प्राप्ति के कारण जैसाकि भारत सरकार से निधियों के सीधे अंतरण पर रोक लगाने का निश्चय किया। |
| 0040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 29,54,40.16 | बिक्री कर के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0021. आय पर निगम कर से भिन्न कर | 8,06,56.00 | “राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0042. यात्री तथा माल पर कर | 6,68,60.60 | स्थानीय क्षेत्रों में माल पर प्रवेश कर से अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0020. निगम कर | 6,40,28.00 | “राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0039. राज्य उत्पाद शुल्क | 6,04,18.38 | देशी शराब, माल्ट शराब तथा विदेशी शराब की बिक्री तथा शुल्क एवं जब्ती से अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0043. विद्युत कर तथा शुल्क | 5,85,57.89 | विद्युत् की बिक्री तथा उपभोग पर कर के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग | 5,46,79.93 | खनिज, रियायती शुल्क, किराया और रायल्टी की अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0041. वाहन कर | 3,30,96.44 | राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण। |
| 0037. सीमा शुल्क | 1,58,28.93 | “राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण। |
| 0075. विविध सामान्य सेवाएं | 1,17,48.98 | भूमि एवं सम्पदा तथा गारन्टी शुल्क की अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0055. पुलिस | 72,75.66 | अन्य सरकारों तथा पार्टियों को पुलिस आपूर्ति के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ – (क्रमशः)

1. राजस्व लेखे पर प्राप्ति – (क्रमशः)

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राशि | टिप्पणी |
|--|-------------|--|
| | (₹ लाख में) | |
| वृद्धि – (क्रमशः) | | |
| 0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | 63,55.41 | न्यायिकेत्तर स्टाम्प की बिक्री, दस्तावेजों पर इम्प्रेसिंग शुल्क तथा दस्तावेजों की रजिस्ट्री शुल्क के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 50,82.40 | कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 45,21.64 | विलासिता कर तथा मनोरंजन कर के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0050. लाभांश तथा लाभ | 38,73.28 | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अधिक लाभांश प्राप्ति के कारण। |
| 0230. श्रम तथा रोजगार | 26,90.77 | “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0250. अन्य सामाजिक सेवाएं | 21,20.55 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0215. जलपूर्ति तथा सफाई | 20,95.30 | शहरी जलपूर्ति योजनाओं से अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 14,89.36 | मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी | 11,78.84 | मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0071. पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान तथा वसूली | 5,66.48 | चंदे तथा अंशदान से अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0852. उद्योग | 5,48.03 | मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 1054. सड़कें तथा सेतू | 2,96.70 | सड़कों पर टोल से अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0059. लोक निर्माण | 2,58.01 | मशीनरी तथा उपकरणों के किराये तथा मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0217. शहरी विकास | 2,57.23 | मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0702. लघु सिंचाई | 2,46.41 | नल कूपों के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 1,48.48 | मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ –(क्रमशः)

1. राजस्व लेखे पर प्राप्ति – (समाप्त)

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राशि | टिप्पणी |
|--|-------------|--|
| (₹ लाख में) | | |
| वृद्धि – (समाप्त) | | |
| 0032. धन कर | 1,45.00 | “राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण। |
| 0701. मध्यम सिंचाई | 1,38.95 | घरेलू तथा सिंचाई प्रयोजन के लिए जल बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण। |
| 0515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 1,32.11 | पंचायती राज अधिनियम तथा अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण। |
| 0435. अन्य कृषि कार्यक्रम | 1,10.55 | मद “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण। |
| कमी | | |
| 0802. पेट्रोलियम | 11,04,03.50 | रायल्टी की कम प्राप्ति के कारण। |
| 0038. संघ उत्पाद शुल्क | 3,42,07.00 | “राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण। |
| 0044. सेवा कर | 1,20,54.37 | “राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण। |
| 0049. ब्याज प्राप्ति | 77,09.77 | रोकड़ शेष के निवेश पर तथा सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ब्याज की कम प्राप्ति के कारण। |
| 0051. लोक सेवा आयोग | 62,06.24 | परीक्षा शुल्क कम प्राप्ति के कारण। |
| 0029. भू-राजस्व | 49,39.70 | मद “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत बंजर भूमि की बिक्री तथा भूमि कर के मोचन की कम प्राप्ति के कारण। |
| 0202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 15,01.33 | प्राथमिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा की अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण। |
| 0700. मुख्य सिंचाई | 14,92.90 | सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री तथा मद “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण। |
| 0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 14,16.76 | नागरिक सुरक्षा तथा “अन्य प्राप्तियाँ” के सम्बन्ध में जुर्माना तथा जब्ती, सेवा तथा सेवा शुल्क के कम प्राप्ति के कारण। |
| 0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर | 8,40.50 | मद “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण। |
| 0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 7,45.91 | मद “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण। |
| 0425. सहकारिता | 1,91.61 | मद “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण। |
| 0405. मछली पालन | 1,22.65 | किराये से कम प्राप्ति के कारण। |

विवरण संख्या 14 –(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ – (समाप्त)

2. वर्ष के दौरान कराधान में परिवर्तन :- बजट प्रस्ताव में कराधान में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित थे :-

(क) कर मुक्त :-

- (i) बायो गैस की बिक्री,
- (ii) पर्यटन विभाग से रजिस्टर्ड पांच कमरों तक की क्षमता वाले हेरिटेज होटल या पेइंग गेस्ट,
- (iii) किसी भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित या शिक्षा प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सांविधिक तथा सामान्य नक्शे, चार्ट तथा ग्लोब सहित किताबें, कार्य पुस्तिका,
- (iv) रीठा एवं शीकाकाई तथा
- (v) राज्य में हवाई सेवाएं हब स्थापना के लिए एयरलाइन्स को एयर टर्बाइन ईंधन की बिक्री।

(ख) निम्नलिखित करों में कटौती :-

- (i) थ्री स्टार से नीचे के होटल एवं हेरिटेज होटल तथा रेस्टोरेन्ट द्वारा निर्मित तैयार भोजन की बिक्री पर वेट 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना,
- (ii) डेजर्ट तथा रूम कूलर्स की बॉडी पर वेट 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना,
- (iii) तिलहन की खरीद पर वेट 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करना,
- (iv) सभी श्रेणी के होटलों पर ऑफ सीजन में विलासिता कर की सामान्य दर में 50 प्रतिशत की छूट,
- (v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल. महिलाओं के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करना तथा
- (vi) 10 वर्ष के लिए लीज डीड बनाने पर स्टाम्प ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटाकर अधिकतम 1 प्रतिशत करना यदि, किराये के अलावा अग्रिम राशि नहीं ली गयी है।

(ग) निम्न करों में वृद्धि :-

- (i) हेरिटेज ग्रांड श्रेणी के हेरिटेज होटलों पर विलासिता कर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना।

(घ) प्रस्तावित कर :-

- (i) यू.पी.एस. की बिक्री पर 14 प्रतिशत वेट,
- (ii) डी टी एच, केबल टी वी तथा वीडियो गेम पार्लर पर 10 प्रतिशत तथा सिनेमा एवं मल्टीप्लेक्स पर 30 प्रतिशत मनोरंजन कर,
- (iii) ₹1000 प्रति मद् से अधिक बिक्री मूल्य के हेण्डिक्राफ्ट्स, मूर्तियों, ब्ल्यू पोटरी तथा कठपुतलियों पर 5 प्रतिशत वेट,
- (iv) ₹100 प्रति मीटर या प्रति पीस या प्रति सेट जैसा भी केस हो, से अधिक बिक्री मूल्य की टैक्सटाइल्स फर्नीशिंग पर 5 प्रतिशत वेट,
- (v) ₹ 500 प्रति मीटर से अधिक बिक्री मूल्य की टैक्सटाईल शर्टिंग तथा सूटिंग पर 5 प्रतिशत वेट तथा
- (vi) प्रत्येक श्रेणी के उपयोजित मोटर वाहनों की बिक्री पर 2.5 प्रतिशत वेट।

विवरण संख्या 15-लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण

तिरछे अंक प्रभारित व्यय के द्योतक हैं

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय * | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|------------------------------|--|----------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं | | | | | |
| (क) राज्य के अंग | | | | | |
| 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल | | | | | |
| 02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल | | | | | |
| | | 16.15 | | | |
| 101. विधान सभा | 23,69.46 | .. | 23,85.61 | 18,87.15 | (+) 26.41 |
| 103. विधान मण्डल सचिवालय | 23,57.00 | .. | 23,57.00 | 24,55.74 | (-) 4.02 |
| | | 16.15 | | | |
| योग - 2011 | 47,26.46 | .. | 47,42.61 | 43,42.89 | (+) 9.20 |
| 2012. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक | | | | | |
| 03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | | | | | |
| 090. सचिवालय | 4,69.81 | .. | 4,69.81 | 4,66.99 | (+) 0.60 |
| 101. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की परिलब्धियां और भत्ते | 12.24 | .. | 12.24 | 13.20 | (-) 7.27 |
| 102. विवेकाधीन अनुदान | 7.17 | .. | 7.17 | 7.60 | (-) 5.66 |
| 103. पारिवारिक स्थापना | 3,95.59 | .. | 3,95.59 | 3,76.18 | (+) 5.16 |
| 104. आतिथ्य भत्ता | 24.35 | .. | 24.35 | 26.85 | (-) 9.31 |
| 105. चिकित्सा सुविधाएं | 8.54 | .. | 8.54 | 9.84 | (-) 13.21 |
| 106. मनोरजन खर्च | 9.70 | .. | 9.70 | 9.90 | (-) 2.02 |

* 2014-15 से राजस्थान राज्य के बजट में परिवर्तन के कारण केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय आयोजना योजनाओं पर व्यय को आयोजना तथा आयोजना भिन्न में अलग से नहीं दर्शाया जा सकता है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (क) राज्य के अंग - (क्रमशः) | | | | | |
| 2012. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक - (समाप्त) | | | | | |
| 03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक - (समाप्त) | | | | | |
| 107. संविदा भत्ते से व्यय | 11.64 | .. | 11.64 | 11.00 | (+) 5.82 |
| 108. दौरा खर्च | 14.57 | .. | 14.57 | 23.85 | (-) 38.91 |
| 110. राजकीय वाहन तथा मोटर कार | 21.35 | .. | 21.35 | 18.99 | (+) 12.43 |
| | योग - 2012 | | | 9,64.40 | (+) 1.09 |
| 2013. मंत्रि परिषद् | | | | | |
| 101. मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन | 1,21.62 | .. | 1,21.62 | 2,34.17 | (-) 48.06 |
| 102. आतिथ्य और अन्य भत्ते | 10.77 | .. | 10.77 | 11.99 | (-) 10.18 |
| 104. मनोरंजन और सत्कार खर्च | 1,93.32 | .. | 1,93.32 | 1,86.64 | (+) 3.58 |
| 105. मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान | 19.18 | .. | 19.18 | 60.02 | (-) 68.04 |
| 108. दौरा खर्च | 47.09 | .. | 47.09 | 61.90 | (-) 23.93 |
| 800. अन्य व्यय | 4,57.85 | .. | 4,57.85 (क) | 5,22.09 | (-) 12.30 |
| | योग - 2013 | | | 10,76.81 | (-) 21.08 |

(क) व्यय टेलीफोन, मंत्रियों के आवास पर जल तथा विद्युत प्रभार, वाहनों का संधारण तथा मंत्रियों के लिए आवास के किराये पर हुआ ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (क) राज्य के अंग - (क्रमशः) | | | | | |
| 2014. न्याय प्रशासन | | | | | |
| 102. उच्च न्यायालय | 73,06.17 | .. | 73,06.17 | 65,53.28 | (+) 11.49 |
| 105. सिविल और सेशन न्यायालय | 4,26,14.88 | 1.72 | 4,35,71.98 | 3,72,20.76 | (+) 17.06 |
| 110. महाप्रशासक और शासकीय न्यासी | 12.34 | .. | 12.34 | 7.82 | (+) 57.80 |
| 114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता | 84,59.40 | .. | 84,59.40 | 77,77.99 | (+) 8.76 |
| 116. राज्य प्रशासनिक अधिकरण | 6,53.56 | .. | 6,53.56 | 4,61.13 | (+) 41.73 |
| 117. परिवार न्यायालय | 11,01.93 | .. | 11,01.93 | 4,80.60 | (+) 129.28 |
| 789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना | .. | 1,60.06 | 1,60.06 | 1,57.13 | (+) 1.86 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | .. | 2,85.51 | 2,85.51 | 2,48.41 | (+) 14.93 |
| 800. अन्य व्यय | 1,05.16 | .. | 1,05.16 | 6,58.30 | (-) 84.03 .. |
| | 73,07.89 | | | | |
| योग-2014 | 5,29,47.27 | 14,00.95 | 6,16,56.11 | 5,35,65.42 | (+) 15.10 |
| 2015. निर्वाचन | | | | | |
| 102. निर्वाचन अधिकारी | 17,36.74 | .. | 17,36.74 | 19,88.93 | (-) 12.68 |
| 103. निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण | 28,57.11 | .. | 28,57.11 | 25,69.96 | (+) 11.17 |
| 105. संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार | 1,50,53.69 | .. | 1,50,53.69 | 7,29.32 | (+) 1964.07 |
| 106. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार | 9,37.52 | .. | 9,37.52 | 1,43,91.94 | (-) 93.49 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (क) राज्य के अंग -(समाप्त) | | | | | |
| 2015. निर्वाचन -(समाप्त) | | | | | |
| 108. मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना | 3,06.84 | .. | 3,06.84 | 2,84.58 | (+) 7.82 |
| योग-2015 | 2,08,91.90 | .. | 2,08,91.90 | 1,99,64.73 | (+) 4.64 |
| योग -(क) राज्य के अंग | 82,99.00 7,94,15.46 | 14,00.95 | 8,91,15.41 | 7,99,14.25 | (+) 11.51 |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं | | | | | |
| (ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण | | | | | |
| 2029. भू-राजस्व | | | | | |
| 102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य | 58,16.71 | .. | 58,16.71 | 57,79.22 | (+) 0.65 |
| 103. भू-अभिलेख | 4,91,48.82 | 5,16.05 | 4,96,64.87 | 4,26,80.10 | (+) 16.37 |
| 105. भूतपूर्व जमींदारी सम्पदाओं का प्रबन्ध | 9.23 | .. | 9.23 | 7.96 | (+) 15.95 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 2,37.29 | 2,37.29 | 3,43.09 | (-) 30.84 |
| योग - 2029 | 5,49,74.76 | 7,53.34 | 5,57,28.10 | 4,88,10.37 | (+) 14.17 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|----------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण- (क्रमशः) | | | | | |
| 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण | | | | | |
| 01. स्टाम्प-न्यायिक | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 23.57 | .. | 23.57 | 27.57 | (-) 14.51 |
| 101. स्टाम्पों की लागत | 23.04 | .. | 23.04 | 90.00 | (-) 74.40 |
| 102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय | 60.00 | .. | 60.00 | 50.00 | (+) 20.00 |
| योग - 01 | 1,06.61 | .. | 1,06.61 | 1,67.57 | (-) 36.38 |
| 02. स्टाम्प-न्यायिकेतर | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 29.45 | .. | 29.45 | 34.47 | (-) 14.56 |
| 101. स्टाम्पों की लागत | 19,33.78 | .. | 19,33.78 | 17,00.00 | (+) 13.75 |
| 102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय | 15,64.90 | .. | 15,64.90 | 16,82.76 | (-) 7.00 |
| योग -02 | 35,28.13 | .. | 35,28.13 | 34,17.23 | (+) 3.25 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं- (क्रमशः) | | | | | |
| (ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण- (समाप्त) | | | | | |
| 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण- (समाप्त) | | | | | |
| 03. पंजीकरण | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 25,43.17 | 0.60 .. | 25,43.77 | 21,33.22 | (+) 19.25 |
| योग - 03 | 25,43.17 | 0.60 .. | 25,43.77 | 21,33.22 | (+) 19.25 |
| योग - 2030 | 61,77.91 | 0.60 .. | 61,78.51 | 57,18.02 | (+) 8.05 |
| योग (ii) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण | 6,11,52.67 | 0.60 7,53.34 | 6,19,06.61 | 5,45,28.39 | (+) 13.53 |
| (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण | | | | | |
| 2039. राज्य उत्पाद शुल्क | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 1,10,03.06 | 0.12 .. | 1,10,03.18 | 87,14.46 | (+) 26.26 |
| 102. अफीम आदि का क्रय | 0.11 | 0.11 .. | 0.11 | 0.08 | (+) 37.50 |
| योग- 2039 | 1,10,03.17 | 0.12 .. | 1,10,03.29 | 87,14.54 | (+) 26.26 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं- (क्रमशः) | | | | | |
| (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण - (क्रमशः) | | | | | |
| 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 45,98.82 | .. | 45,98.82 | 47,89.59 | (-) 3.98 |
| | 0.29 | | | | |
| 101. संग्रहण प्रभार | 1,02,37.47 | .. | 1,02,37.76 | 94,92.92 | (+) 7.85 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 4,46,03.96 | 4,46,03.96 (क) | 2,70,17.56 | (+) 65.09 |
| | 0.29 | | | | |
| योग - 2040 | 1,48,36.29 | 4,46,03.96 | 5,94,40.54 | 4,13,00.07 | (+) 43.92 |
| 2041. वाहन कर | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 7,27.70 | .. | 7,27.70 | 7,16.10 | (+) 1.62 |
| | 5.40 | | | | |
| 101. संग्रहण प्रभार | 40,29.16 | 17,71.16 | 58,05.72 | 41,86.03 | (+) 38.69 |
| 102. मोटर वाहनों का निरीक्षण | 20,45.76 | .. | 20,45.76 | 17,63.41 | (+) 16.01 |
| 800. अन्य व्यय | 58.05 | .. | 58.05 | 64.24 | (-) 9.64 |
| | 5.40 | | | | |
| योग - 2041 | 68,60.67 | 17,71.16 | 86,37.23 | 67,29.78 | (+) 28.34 |

(क) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत मजदूरी/रोजगार अनुदान (₹ 37,63.73 लाख), ब्याज अनुदान (₹ 93,54.39 लाख), निवेश सहाय्य (₹ 1,74,63.99 लाख) तथा रोजगार सृजन सहाय्य (₹ 4,87.08 लाख) से संबंधित व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं - (समाप्त) | | | | | |
| (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण - (समाप्त) | | | | | |
| 2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | | | | | |
| 101. संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर | 30.94 | .. | 30.94 | .. | .. |
| 103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क | 12,39.73 | .. | 12,39.73 | 9,03.22 | (+) 37.26 |
| योग - 2045 | 12,70.67 | .. | 12,70.67 | 9,03.22 | (+) 40.68 |
| योग - (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण | 5.81 3,39,70.80 | 4,63,75.12 | 8,03,51.73 | 5,76,47.61 | (+) 39.38 |
| (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं | | | | | |
| 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 1,64.37 | .. | 1,64.37 (क) | 1,71.00 | (-) 3.88 |
| योग - 2047 | 1,64.37 | .. | 1,64.37 | 1,71.00 | (-) 3.88 |
| योग - (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं | 1,64.37 | .. | 1,64.37 | 1,71.00 | (-) 3.88 |
| योग- (ख) राजकोषीय सेवाएं | 6.41 9,52,87.84 | 4,71,28.46 | 14,24,22.71 | 11,23,47.00 | (+) 26.77 |

(क) व्यय राजस्व आसूचना विभाग से संबंधित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन | | | | | |
| 2049. ब्याज अदायगियां | | | | | |
| 01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज | | | | | |
| 101. बाजार कर्जों पर ब्याज | 45,24,60.23 | .. | 45,24,60.23 | 37,13,35.86 | (+) 21.85 |
| 123. राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज | 19,65,62.45 | .. | 19,65,62.45 | 18,70,80.86 | (+) 5.07 |
| 200. अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज | 6,43,59.83 | .. | 6,43,59.83 | 3,73,95.07 | (+) 72.11 |
| 305. ऋण प्रबन्ध | 12,43.38 | .. | 12,43.38 | 14,35.31 | (-) 13.37 |
| योग - 01 | 71,46,25.89 | .. | 71,46,25.89 | 59,72,47.10 | (+) 19.65 |
| 03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज | | | | | |
| 104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज | 18,53,13.67 | .. | 18,53,13.67 | 16,82,00.08 | (+) 10.17 |
| 108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज | 8,17,00.04 | .. | 8,17,00.04 | 7,23,67.06 | (+) 12.90 |
| 117. निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम पर ब्याज | 37,82.98 | .. | 37,82.98 | 62,80.00 | (-) 39.76 |
| योग- 03 | 27,07,96.69 | .. | 27,07,96.69 | 24,68,47.14 | (+) 9.70 |
| 04. केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज | | | | | |
| 101. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज | 2,33,67.23 | .. | 2,33,67.23 | 2,37,90.92 | (-) 1.78 |
| 104. योजनेत्तर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज | 5,47.24 | .. | 5,47.24 | 6,06.32 | (-) 9.74 |
| 109. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित आयोजना कर्जों पर ब्याज | 2,34,94.01 | .. | 2,34,94.01 | 2,58,09.28 | (-) 8.97 |
| योग - 04 | 4,74,08.48 | .. | 4,74,08.48 | 5,02,06.52 | (-) 5.57 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन - (समाप्त) | | | | | |
| 2049. ब्याज अदायगियां - (समाप्त) | | | | | |
| 05. आरक्षित निधियों पर ब्याज | | | | | |
| 105. सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज | 31,10.18 | .. | 31,10.18 | 26,27.97 | (+) 18.35 |
| योग - 05 | 31,10.18 | .. | 31,10.18 | 26,27.97 | (+) 18.35 |
| 60. अन्य दायित्वों पर ब्याज | | | | | |
| 101. जमाओं पर ब्याज | 1,00,39.88 | .. | 1,00,39.88 | 91,08.24 | (+) 10.23 |
| 701. विविध | 3,08.44 | .. | 3,08.44 | 2,82.75 | (+) 9.09 |
| योग - 60 | 1,03,48.32 | .. | 1,03,48.32 | 93,90.99 | (+) 10.19 |
| योग - 2049 | 1,04,62,89.56 | .. | 1,04,62,89.56 | 90,63,19.72 | (+) 15.44 |
| योग-(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन | 1,04,62,89.56 | .. | 1,04,62,89.56 | 90,63,19.72 | (+) 15.44 |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं | | | | | |
| 2051. लोक सेवा आयोग | | | | | |
| 102. राज्य लोक सेवा आयोग | 19,77.44 | .. | 19,77.44 | 33,00.13 | (-) 40.08 |
| 103. कर्मचारी चयन आयोग | 1,20.96 | .. | 1,20.96 | .. | .. |
| योग - 2051 | 19,77.44 1,20.96 | .. | 20,98.40 | 33,00.13 | (-) 36.41 |
| 2052. सचिवालय - सामान्य सेवाएं | | | | | |
| 090. सचिवालय | 1,25,03.28 | 8.38 | 1,25,11.66 | 1,13,77.41 | (+) 9.97 |
| 092. अन्य कार्यालय | 2,93.58 | .. | 2,93.58 | 2,42.83 | (+) 20.90 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| 2052. सचिवालय - सामान्य सेवाएं - (समाप्त) | | | | | |
| 099. राजस्व बोर्ड | 21,76.80 | .. | 21,76.80 | 33,27.62 | (-) 34.58 |
| योग- 2052 | 1,49,73.66 | 8.38 | 1,49,82.04 | 1,49,47.86 | (+) 0.23 |
| 2053. जिला प्रशासन | | | | | |
| 093. जिला स्थापनाएं | 87,98.65 | .. | 87,98.65 | 84,54.36 | (+) 4.07 |
| 094. अन्य स्थापनाएं | 21.45 2,49,68.95 | .. | 2,49,90.40 | 2,30,32.67 | (+) 8.50 |
| 101. आयुक्त | 9,58.26 | .. | 9,58.26 | 8,85.80 | (+) 8.18 |
| 800. अन्य व्यय | 88.94 | .. | 88.94 | 18.18 | (+) 389.22 |
| योग - 2053 | 21.45 3,48,14.80 | .. | 3,48,36.25 | 3,23,91.01 | (+) 7.55 |
| 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन | | | | | |
| 095. लेखा तथा खजाना निदेशालय | 12,50.51 | .. | 12,50.51 | 11,48.30 | (+) 8.90 |
| 097. खजाना स्थापना | 1,12,06.02 | 14,93.29 | 1,26,99.31 | 1,12,69.36 | (+) 12.69 |
| 098. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा | 23,71.76 | .. | 23,71.76 | 22,10.00 | (+) 7.32 |
| 800. अन्य व्यय | 23,38.10 | .. | 23,38.10 (क) | 19,99.65 | (+) 16.93 |
| योग - 2054 | 1,71,66.39 | 14,93.29 | 1,86,59.68 | 1,66,27.31 | (+) 12.22 |

(क) व्यय पेंशन तथा पेंशंस कल्याण विभाग (₹ 15,70.93 लाख) तथा निरीक्षण विभाग (₹ 7,67.17 लाख) की स्थापना पर हुआ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| | (₹ लाख में) | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः :) | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः :) | | | | | |
| 2055. पुलिस | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 28,74.86 | .. | 28,74.86 | 22,40.33 | (+) 28.32 |
| 003. शिक्षा और प्रशिक्षण | 50,05.74 | .. | 50,05.74 | 42,01.76 | (+) 19.13 |
| 004. शोध | 1,00.56 | .. | 1,00.56 | 48.94 | (+) 105.48 |
| 101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता | 2,10,40.89 | .. | 2,10,40.89 | 1,84,71.68 | (+) 13.91 |
| 104. विशेष पुलिस | 5,51,57.85 | .. | 5,51,57.85 | 4,77,85.16 | (+) 15.43 |
| | 35.68 | | | | |
| 109. जिला पुलिस | 26,38,20.59 | 1,35.58 | 26,39,91.85 | 21,99,70.55 | (+) 20.01 |
| 111. रेल पुलिस | 53,61.72 | .. | 53,61.72 | 47,10.05 | (+) 13.84 |
| 113. पुलिस कर्मियों का कल्याण | 5,76.39 | .. | 5,76.39 | 5,99.03 | (-) 3.78 |
| 114. बेतार तथा कम्प्यूटर | 54,51.40 | .. | 54,51.40 | 49,26.16 | (+) 10.66 |
| 115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 58,22.67 | .. | 58,22.67 | 12,02.10 | (+) 384.37 |
| 116. न्यायालयिक विज्ञान | 14,66.20 | 87.57 | 15,53.77 | 11,96.07 | (+) 29.91 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,65.77 | 1,65.77 | .. | .. |
| 800. अन्य व्यय | 43.22 | 10,33.53 | 10,76.75 (क) | 4,69.44 | (+) 129.37 |
| | 35.68 | | | | |
| योग - 2055 | 36,67,22.09 | 14,22.45 | 36,81,80.22 | 30,58,21.27 | (+) 20.39 |

(क) इसमें पुलिस विकास निधि (₹ 10,33.52 लाख) एवं अन्य विभागों को पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति पर व्यय (₹ 43.22 लाख) शामिल है ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| 2056. जेल | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 8,98.87 | .. | 8,98.87 | 7,46.60 | (+) 20.40 |
| 101. जेल | 1,28,12.47 | 7.82 | 1,28,20.29 | 98,47.64 | (+) 30.19 |
| 102. जेल उत्पाद | 62.38 | .. | 62.38 | 64.72 | (-) 3.62 |
| 800. अन्य व्यय | 2,30.31 | 2,00.42 | 4,30.73 (क) | 2,31.73 | (+) 85.88 |
| योग - 2056 | 1,40,04.03 | 2,08.24 | 1,42,12.27 | 1,08,90.69 | (+) 30.50 |
| 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 1,24.81 | .. | 1,24.81 | 1,09.57 | (+) 13.91 |
| 103. सरकारी मुद्रणालय | 1.71 28,61.92 | .. | 28,63.63 | 26,95.30 | (+) 6.25 |
| 104. अन्य साधनों से मुद्रण की लागत | 19.24 | .. | 19.24 | 20.60 | (-) 6.60 |
| योग - 2058 | 1.71 30,05.97 | .. | 30,07.68 | 28,25.47 | (+) 6.45 |
| 2059. लोक निर्माण-कार्य | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 1.09 24,79.96 | 15.74 | 24,96.79 | 22,56.27 | (+) 10.66 |
| 004. योजना तथा अनुसंधान | 13,76.65 | .. | 13,76.65 | 12,46.87 | (+) 10.41 |
| 051. निर्माण | 4,50.20 | .. | 4,50.20 | 2,92.06 | (+) 54.15 |

(क) इसमें महिला बन्दी सुधार गृह (₹ 1,38.34 लाख), जेल प्रशिक्षण विद्यालय (₹ 68.27 लाख) एवं किशोर सुधार गृह (₹ 23.70 लाख) एवं XIII वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन जेल प्रशिक्षण (₹ 2,00.42 लाख) पर व्यय शामिल है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| 2059. लोक निर्माण-कार्य - (समाप्त) | | | | | |
| 80. सामान्य- (समाप्त) | | | | | |
| 052. मशीनरी तथा उपस्कर | (-) 38,67.63 (क) | .. | (-) 38,67.63 | (-) 33,22.28 | (+) 16.41 |
| 053. रखरखाव तथा मरम्मत | 70,36.15 | .. | 70,36.15 | 75,47.77 | (-) 6.78 |
| 799. उचन्त | (-) 6.52 (क) | .. | (-) 6.52 | (-) 81.76 | (-) 92.03 |
| योग - 80 | 74,68.81 1.09 | 15.74 | 74,85.64 | 79,38.93 | (-) 5.71 |
| योग - 2059 | 74,68.81 1.09 | 15.74 | 74,85.64 | 79,38.93 | (-) 5.71 |
| 2062. सतर्कता | | | | | |
| 103. लोकायुक्त/उप लोकायुक्त | 4,05.42 | .. | 4,05.42 | .. | .. |
| योग - 2062 | 4,05.42 | .. | 4,05.42 | .. | .. |
| 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | | | | |
| 003. प्रशिक्षण | 12,05.88 | 26.55 | 12,32.43 | 13,72.73 | (-) 10.22 |
| 104. सतर्कता | .. | .. | .. | 3,14.29 | (-) 100.00 |
| 105. विशेष जांच आयोग | 70.39 | .. | 70.39 | 65.59 | (+) 7.32 |
| 106. सिविल रक्षा | 8,27.01 3.03 | 1.99 | 8,32.03 | 7,98.10 | (+) 4.25 |
| 107. होमगार्ड | 72,04.04 | 3,60.84 | 75,64.88 | 53,49.20 | (+) 41.42 |

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं - (समाप्त) | | | | | |
| 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं - (समाप्त) | | | | | |
| 114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव | 10.64 65,95.83 | .. | 66,06.47 | 63,65.62 | (+) 3.78 |
| 115. अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि | 1.00 41,45.74 | .. | 41,46.74 | 38,84.67 | (+) 6.75 |
| 800. अन्य व्यय | 5.93 | .. | 5.93 | 4.91 | (+) 20.77 |
| | 14.67 2,00,54.82 | 3,89.38 | 2,04,58.87 | 1,81,55.11 | (+) 12.69 |
| योग- 2070 | | | | | |
| | 20,52.04 47,87,36.95 | 35,37.48 | 48,43,26.47 | 41,28,97.78 | (+) 17.30 |
| (ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं | | | | | |
| 2071. पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति हित लाभ | | | | | |
| 01. सिविल | | | | | |
| 101. अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते | 1.21 49,84,36.43 | .. | 49,84,37.64 (क) | 42,62,51.62 | (+) 16.94 |
| 102. पेंशन का सारांशीकृत मूल्य | 6,64,61.97 | .. | 6,64,61.97 | 5,28,73.64 | (+) 25.70 |
| 104. उपदान | 14,56,94.00 | .. | 14,56,94.00 | 10,82,84.40 | (+) 34.55 |
| 105. परिवार पेंशन | 13,24,78.05 | .. | 13,24,78.05 (क) | 10,55,86.69 | (+) 25.47 |
| 106. उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के सम्बन्ध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार | 10.00 | .. | 10.00 (क) | 20.05 | (-) 50.12 |
| 108. भविष्य निधि के लिए अंशदान | 31.64 | .. | 31.64 | 45.19 | (-) 29.98 |
| 110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन | 57,68.81 | .. | 57,68.81 (क) | 45,83.45 | (+) 25.86 |
| 111. विधायकों को पेंशन | 9,69.00 | .. | 9,69.00 (क) | 7,58.81 | (+) 27.70 |

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित की गयी पेंशनरों की संख्या कोष्ठक में दी गई है: शीर्ष 2071-01-101 (2,38,140), 105 (1,11,887), 106 (499), 110(15,821) तथा 111 (508)।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| क. सामान्य सेवाएं - (समाप्त) | | | | | |
| (ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं - (समाप्त) | | | | | |
| 2071. पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति हित लाभ - (समाप्त) | | | | | |
| 01. सिविल - (समाप्त) | | | | | |
| 115. अवकाश नगदीकरण लाभ | 7,73,67.39 | .. | 7,73,67.39 | 6,09,95.80 | (+) 26.84 |
| 117. निश्चित अंशदान की पेंशन योजना में सरकारी अंशदान | 3,56,11.60 | .. | 3,56,11.60 | 2,06,95.64 | (+) 72.07 |
| 200. अन्य पेंशन | 1.13 | .. | 1.13 | .. | .. |
| 800. अन्य व्यय | 77.09 | .. | 77.09 | 49.96 | (+) 54.30 |
| | 11.21 | | | | |
| योग-2071 | 96,28,97.11 | .. | 96,29,08.32 | 78,01,45.25 | (+) 23.43 |
| 2075. विविध सामान्य सेवाएं | | | | | |
| 104. विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार | 30.11 | .. | 30.11 | 32.93 | (-) 8.56 |
| 797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण | 6,15,82.60 | .. | 6,15,82.60 (क) | 4,21,38.19 | (+) 46.14 |
| 800. अन्य व्यय | 1,39.72 | .. | 1,39.72 (ख) | 1,26.62 | (+) 10.35 |
| | | | | | |
| योग-2075 | 6,17,52.43 | .. | 6,17,52.43 | 4,22,97.74 | (+) 45.99 |
| | 11.21 | | | | |
| योग-(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं | 1,02,46,49.54 | .. | 1,02,46,60.75 | 82,24,42.99 | (+) 24.59 |
| | 1,05,66,58.22 | | | | |
| योग - क. सामान्य सेवाएं | 1,67,80,89.79 | 5,20,66.89 | 2,78,68,14.90 | 2,33,39,21.74 | (+) 19.40 |

(क) गारन्टी फीस मुख्य शीर्ष "8235-117- गारन्टी मोचन निधि" को हस्तान्तरित की गई ।

(ख) इसमें जनानी ड्योडी (₹17.29 लाख), भूतपूर्व शासकों के परिवारों एवं आश्रितों को भत्ते (₹ 54.24 लाख) पर व्यय एवं विधानसभा अल्पहार गृह के लिए राजस्थान होटल निगम को (₹ 66.77 लाख) अनुदान शामिल है ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | | | | | |
| 2202. सामान्य शिक्षा | | | | | |
| 01. प्रारंभिक शिक्षा | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 88,11.69 | 77.33 | 88,89.02 | 87,73.35 | (+) 1.32 |
| 101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय | 3,69,22.74 | 4,14.60 | 3,73,37.34 | 3,50,97.51 | (+) 6.38 |
| 102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता | 7,70.87 | .. | 7,70.87 | 2,15.22 | (+) 258.18 |
| 103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता | 57,09.00 | .. | 57,09.00 | 55,08.00 | (+) 3.65 |
| 104. निरीक्षण | 3,72.44 | .. | 3,72.44 | 3,56.19 | (+) 4.56 |
| 105. अनौपचारिक शिक्षा | 2,44.84 | .. | 2,44.84 | 2,31.00 | (+) 5.99 |
| 109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन | 40,49.48 | .. | 40,49.48 | 40,84.19 | (-) 0.85 |
| 111. सर्व शिक्षा अभियान | .. | 41,19,64.79 | 41,19,64.79 | 15,22,99.97 | (+) 170.50 |
| 196. जिला परिषद /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता | 24,98.77 | 19.32 | 25,18.09 | 24,28.72 | (+) 3.68 |
| 197. ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | 2.99 64,99,94.30 | 21,61.77 | 65,21,59.06 | 58,79,52.45 | (+) 10.92 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 29,06.04 | 29,06.04 | 61,35.91 | (-) 52.64 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 28,05.93 | 89,94.07 | 1,18,00.00 | 1,20,35.68 | (-) 1.96 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 1,31,54.68 | 1,31,54.68 (क) | 3,12,44.38 | (-) 57.90 |
| | | 2.99 | | | |
| योग - 01 | 71,21,80.06 | 43,96,92.60 | 1,15,18,75.65 | 84,63,62.57 | (+) 36.10 |

(क) इसमें मदरसा स्कूल (₹ 45,82.73 लाख) तथा मदरसा बोर्ड (₹ 1,52.68 लाख) को जारी सहायतार्थ अनुदान, आर.टी.ई. के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को पुर्नभुगतान (₹ 83,91.46 लाख), तथा विधवा तथा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना (₹ 27.81 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - (क्रमशः) | | | | | |
| 2202. सामान्य शिक्षा - (क्रमशः) | | | | | |
| <i>02. माध्यमिक शिक्षा</i> | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 31,54.27 | 1,54.72 | 33,08.99 | 31,09.24 | (+) 6.42 |
| | 13.24 | | | | |
| 101. निरीक्षण | 41,95.90 | .. | 42,09.14 | 40,91.02 | (+) 2.89 |
| 107. छात्रवृत्तियां | 32,08.63 | 1,61,13.79 | 1,93,22.42 | 1,99,14.95 | (-) 2.98 |
| 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय | 43,29,07.46 | 11,64,31.22 | 54,93,38.68 | 43,80,71.88 | (+) 25.40 |
| 110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता | 10,70.88 | 2,50.00 | 13,20.88 | 3,63.35 | (+) 263.53 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना | .. | 1,07,15.69 | 1,07,15.69 | 93,61.32 | (+) 14.47 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 2,79,38.30 | 1,07,44.66 | 3,86,82.96 | 3,23,82.99 | (+) 19.45 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 1.77 | 1.77 | 1,92,26.08 | (-) 99.99 |
| | 13.24 | | | | |
| योग - 02 | 47,24,75.44 | 15,44,11.85 | 62,69,00.53 | 52,65,20.83 | (+) 19.06 |
| <i>03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा</i> | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 10,52.14 | 25.62 | 10,77.76 | 11,65.85 | (-) 7.56 |
| 102. विश्वविद्यालयों को सहायता | 1,88,78.16 | 24,61.60 | 2,13,39.76 | 2,54,41.40 | (-) 16.12 |
| | 2.38 | | | | |
| 103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान | 6,41,33.47 | 18,71.19 | 6,60,07.04 | 7,07,80.36 | (-) 6.74 |
| 104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता | 8,54.85 | 3,43.13 | 11,97.98 | 6,52.31 | (+) 83.65 |
| 107. छात्रवृत्तियां | 0.23 | 16,49.02 | 16,49.25 | 19,56.21 | (-) 15.69 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 13,69.42 | 13,69.42 | 10,39.66 | (+) 31.72 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति -(क्रमशः) | | | | | |
| 2202. सामान्य शिक्षा -(क्रमशः) | | | | | |
| 03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -(समाप्त) | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 34,08.80 | 33,18.69 | 67,27.49 | 55,34.29 | (+) 21.56 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 3,19.60 | 3,19.60 (क) | 25.46 | (+) 1155.30 |
| | 2.38 | | | | |
| योग - 03 | 8,83,27.65 | 1,13,58.27 | 9,96,88.30 | 10,65,95.54 | (-) 6.48 |
| 04. प्रौढ़ शिक्षा | | | | | |
| | 24.67 | | | | |
| 200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम | 7,78.49 | 37,04.08 | 45,07.24 | 17,87.19 | (+) 152.20 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 7,32.24 | 7,32.24 | 2,76.42 | (+) 164.90 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 51.95 | 4,50.90 | 5,02.85 | 2,13.37 | (+) 135.67 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 7.47 | 7.47 | 6,48.96 | (-) 98.85 |
| | 24.67 | | | | |
| योग - 04 | 8,30.44 | 48,94.69 | 57,49.80 | 29,25.94 | (+) 96.51 |
| 05. भाषा विकास | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 1,13.02 | .. | 1,13.02 | 1,06.44 | (+) 6.18 |
| 102. आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन | 1,73.44 | 70.41 | 2,43.85 | 4,89.25 | (-) 50.16 |
| 103. संस्कृत शिक्षा | 1,38,51.25 | 22,77.43 | 1,61,28.68 | 1,29,53.25 | (+) 24.51 |

(क) इसमें महाविद्यालय शिक्षा विभाग की नवाचार/नयी योजनायें (₹ 3,00,00 लाख) शामिल है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|---------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति -(क्रमशः) | | | | | |
| 2202. सामान्य शिक्षा -(समाप्त) | | | | | |
| 05. भाषा विकास-(समाप्त) | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | 14.15 | 4,26.25 | 4,40.40 | 1,45.17 | (+) 203.37 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 2,94.65 | 2,45.36 | 5,40.01 | 3,35.41 | (+) 61.00 |
| 800. अन्य व्यय | 93.84 | .. | 93.84 | 1,08.05 | (-) 13.15 |
| योग - 05 | 1,45,40.35 | 30,19.45 | 1,75,59.80 | 1,41,37.57 | (+) 24.21 |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 003. प्रशिक्षण | 10,12.09 | 28,84.02 | 38,96.11 | 34,76.63 | (+) 12.07 |
| 004. अनुसंधान | 7,01.85 | 30.34 | 7,32.19 | 6,84.32 | (+) 7.00 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 7,59.20 | 7,59.20 | 6,71.40 | (+) 13.08 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 41.92 | 3,90.76 | 4,32.68 | 5,03.86 | (-) 14.13 |
| 800. अन्य व्यय | 61.83 | .. | 61.83 | 39.02 | (+) 58.46 |
| योग - 80 | 18,17.69 | 40,64.32 | 58,82.01 | 53,75.23 | (+) 9.43 |
| योग- 2202 | 43.28 1,29,01,71.63 | 61,74,41.18 | 1,90,76,56.09 | 1,50,19,17.68 | (+) 27.01 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति -(क्रमशः) | | | | | |
| 2203. तकनीकी शिक्षा | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 9,56.62 | 89.14 | 10,45.76 | 10,11.72 | (+) 3.36 |
| 102. तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता | .. | 3,00.00 | 3,00.00 | 3,60.72 | (-) 16.83 |
| 104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता | 1,63.00 | 4,88.00 | 6,51.00 | 7,76.20 | (-) 16.13 |
| 105. बहुशिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय | 96,57.72 0.61 | 7,15.60 | 1,03,73.93 | 1,04,07.86 | (-) 0.33 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 2,67.43 | 2,67.43 | 1,67.67 | (+) 59.50 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,31.22 | 1,31.22 | 82.89 | (+) 58.31 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 13,53.79 | 13,53.79 (क) | 9,52.79 | (+) 42.09 |
| योग - 2203 | 1,07,77.34 0.61 | 33,45.18 | 1,41,23.13 | 1,37,59.85 | (+) 2.64 |
| 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं | | | | | |
| 101. व्यायाम शिक्षा | 6,27.46 | 10,25.35 | 16,52.81 | 25,85.26 | (-) 36.07 |
| 102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम | 27,65.34 | 10,02.75 | 37,68.09 | 35,98.02 | (+) 4.73 |
| 104. खेल-कूद | 17,90.50 | 1,58.25 | 19,48.75 | 20,25.00 | (-) 3.77 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 1,82.39 | 1,82.39 | 1,80.88 | (+) 0.83 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 13.36 | 1,62.07 | 1,75.43 | 1,78.90 | (-) 1.94 |
| योग - 2204 | 51,96.66 | 25,30.81 | 77,27.47 | 85,68.06 | (-) 9.81 |

(क) व्यय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (₹ 13,53.79 लाख) से संबंधित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) | | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------|----------------------------|--|-------------|---------------|---------------|-----------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति -(समाप्त) | | | | | | | | | |
| 2205. कला एवं संस्कृति | | | | | | | | | |
| 102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन | 25,11.25 | 10,28.60 | 35,39.85 | 32,66.20 | (+) 8.38 | | | | |
| 103. पुरातत्व विज्ञान | 6,71.20 | 7,10.83 | 13,82.03 | 16,26.84 | (-) 15.05 | | | | |
| 104. अभिलेखागार | 4,28.88 | 1,31.72 | 5,60.60 | 4,05.21 | (+) 38.35 | | | | |
| 105. सार्वजनिक पुस्तकालय | 9,11.39 | 8.21 | 9,19.60 | 8,21.02 | (+) 12.01 | | | | |
| 107. संग्रहालय | 3,66.54 | .. | 3,66.54 | 3,29.44 | (+) 11.26 | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | 3.55 | 13.32 | 16.87 | 20.05 | (-) 15.86 | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1.49 | 1.49 | 1.73 | (-) 13.87 | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | 50.00 | (-) 100.00 | | | | |
| | योग - 2205 | | | 48,92.81 | 18,94.17 | 67,86.98 | 65,20.49 | (+) 4.09 | |
| | योग - (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | | | 43.89 | 1,31,10,38.44 | 62,52,11.34 | 1,93,62,93.67 | 1,53,07,66.08 | (+) 26.49 |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | | | | | | | | | |
| 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | | | | | | | | | |
| 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी | | | | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 9.70 | 27,44.25 | 25,97.86 | 53,51.81 | 50,12.57 | (+) 6.77 | | | |
| 102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना | 0.53 | 75,36.95 | .. | 75,37.48 | 65,95.12 | (+) 14.29 | | | |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-(क्रमशः) | | | | | |
| 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी-(समाप्त) | | | | | |
| 104. चिकित्सा भण्डार डिपो | .. | .. | .. | 7.87 | (-) 100.00 |
| 110. अस्पताल तथा औषधालय | 9,56,80.66 | 1,20,81.52 | 10,77,62.18 | 9,34,18.77 | (+) 15.35 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता | 46,59.13 | 3,69.10 | 50,28.23 | 42,85.71 | (+) 17.33 |
| 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | 29,36.46 | 18,25.66 | 47,62.12 | 33,58.32 | (+) 41.80 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 22,30.75 | 22,30.75 | 21,60.11 | (+) 3.27 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 50,84.17 | 12,86.30 | 63,70.47 | 56,06.48 | (+) 13.63 |
| | 10.23 | | | | |
| योग - 01 | 11,86,41.62 | 2,03,91.19 | 13,90,43.04 | 12,04,44.95 | (+) 15.44 |
| 02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं -अन्य चिकित्सा पद्धतियां | | | | | |
| | 4.43 | | | | |
| 101. आयुर्वेद | 98,90.70 | 15,85.11 | 1,14,80.24 | 1,10,94.57 | (+) 3.48 |
| 102. होम्योपैथी | 13,88.26 | 1,28.93 | 15,17.19 | 13,73.14 | (+) 10.49 |
| 103. यूनानी | 8,60.36 | 1,12.17 | 9,72.53 | 8,98.25 | (+) 8.27 |
| 200. अन्य पद्धतियां | 1,63.53 | 33.05 | 1,96.58 | 1,75.98 | (+) 11.71 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | 3,60.87 | 2,07.46 | 5,68.33 | 8,99.80 | (-) 36.84 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 25,72.70 | 1,02.30 | 26,75.00 | 24,98.47 | (+) 7.07 |
| | 4.43 | | | | |
| योग - 02 | 1,52,36.42 | 21,69.02 | 1,74,09.87 | 1,69,40.21 | (+) 2.77 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - (क्रमशः) | | | | | |
| 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - (क्रमशः) | | | | | |
| 03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी | | | | | |
| 103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 14,11.77 | .. | 14,11.77 | 12,65.10 | (+) 11.59 |
| 104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 3,15,17.46 | 51,99.53 | 3,67,16.99 | 3,15,03.72 | (+) 16.55 |
| 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | 4,46,36.18 | 92,87.94 | 5,39,24.12 | 4,31,59.55 | (+) 24.94 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 7,66.55 | 7,66.55 | 3,80.30 | (+) 101.56 |
| योग - 03 | 7,75,65.41 | 1,52,54.02 | 9,28,19.43 | 7,63,08.67 | (+) 21.64 |
| 04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां | | | | | |
| 101. आयुर्वेद | 3,54,69.15 | 1,60.39 | 3,56,29.54 | 3,19,51.85 | (+) 11.51 |
| 102. होम्योपैथी | 5,01.60 | 50.31 | 5,51.91 | 4,92.62 | (+) 12.04 |
| 103. यूनानी | 4,51.25 | 23.21 | 4,74.46 | 4,32.95 | (+) 9.59 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 3,87.67 | 88.06 | 4,75.73 | 3,94.74 | (+) 20.52 |
| योग - 04 | 3,68,09.67 | 3,21.97 | 3,71,31.64 | 3,32,72.16 | (+) 11.60 |
| 05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 4,16.70 | 4,16.70 | 90.16 | (+) 362.18 |
| 105. एलोपैथी | 2.66 3,42,86.97 | 47,70.69 | 3,90,60.32 | 4,52,06.40 | (-) 13.60 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 65,98.31 | 65,98.31 | 26,84.66 | (+) 145.78 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 57,27.88 | 57,27.88 | 23,83.91 | (+) 140.27 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - (क्रमशः) | | | | | |
| 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य -(समाप्त) | | | | | |
| 05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -(समाप्त) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | 64,81.64 | 64,81.64 (क) | 50,17.45 | (+) 29.18 |
| योग - 05 | 2.66 3,42,86.97 | 2,39,95.22 | 5,82,84.85 | 5,53,82.58 | (+) 5.24 |
| 06. लोक स्वास्थ्य | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 3,08.27 | .. | 3,08.27 | 2,96.86 | (+) 3.84 |
| 003. प्रशिक्षण | 2,07.99 | .. | 2,07.99 | 2,18.71 | (-) 4.90 |
| 101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण | 65,62.99 | 1,07,65.91 | 1,73,28.90 | 1,66,42.14 | (+) 4.13 |
| 102. खाद्य अपमिश्रण का निवारण | 1,55.59 | .. | 1,55.59 | 1,72.83 | (-) 9.98 |
| 104. औषध नियंत्रण | 9,40.39 | 96.11 | 10,36.50 | 10,94.04 | (-) 5.26 |
| 107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं | 2,98.46 | 1,39.11 | 4,37.57 | 3,84.23 | (+) 13.88 |
| 112. लोक स्वास्थ्य शिक्षा | .. | 27.73 | 27.73 | 37.92 | (-) 26.87 |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | .. | 1,28,99.93 | 1,28,99.93 | 98,39.20 | (+) 31.11 |
| 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | 68,77.81 | 1,65.74 | 70,43.55 | 61,28.58 | (+) 14.93 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 58,03.37 | 58,03.37 | 50,60.29 | (+) 14.68 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 3,74.41 | 50,68.87 | 54,43.28 | 43,13.48 | (+) 26.19 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 17.50 | 17.50 | 30.00 | (-) 41.67 |
| योग - 06 | 1,57,25.91 | 3,49,84.27 | 5,07,10.18 | 4,42,18.28 | (+) 14.68 |
| योग - 2210 | 17.32 29,82,66.00 | 9,71,15.69 | 39,53,99.01 | 34,65,66.85 | (+) 14.09 |

(क) इसमें निःशुल्क जांच योजना पर व्यय (₹ 37,15.53 लाख) एवं निःशुल्क चिकित्सा योजना पर (₹ 27,66.11 लाख) शामिल हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - (समाप्त) | | | | | |
| 2211. परिवार कल्याण | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 98.37 | 27,19.63 | 28,18.00 | 5,71.63 | (+) 392.98 |
| 003. प्रशिक्षण | .. | 19,15.73 | 19,15.73 | 17,34.11 | (+) 10.47 |
| 102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | .. | 18,74.61 | 18,74.61 | 16,04.46 | (+) 16.84 |
| | | 11.13 | | | |
| 104. परिवहन | .. | 44.62 | 55.75 | 47.16 | (+) 18.21 |
| 105. क्षतिपूर्ति | .. | 1,16,00.71 | 1,16,00.71 | 98,66.30 | (+) 17.58 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता | .. | 29,23.27 | 29,23.27 | 25,29.78 | (+) 15.55 |
| 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | 21,82.26 | 3,97,72.12 | 4,19,54.38 | 3,63,96.49 | (+) 15.27 |
| 200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां | .. | 6,38.06 | 6,38.06 | 10,21.79 | (-) 37.55 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 2,72,50.59 | 2,72,50.59 | 64,61.27 | (+) 321.75 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,99,55.66 | 1,99,55.66 | 50,18.91 | (+) 297.61 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 9,09,54.15 | 9,09,54.15 (क) | 2,96,21.00 | (+) 207.06 |
| | | 11.13 | | | |
| योग - 2211 | 22,80.63 | 19,96,49.15 | 20,19,40.91 | 9,48,72.90 | (+) 112.85 |
| | | 17.32 | | | |
| योग-(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 30,05,46.63 | 29,67,64.84 | 59,73,39.92 | 44,14,39.75 | (+) 35.32 |

(क) व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [बी.पी.एल. मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष (₹ 30,78.50 लाख), स्टेट वाइज इमरजेन्सी एम्बूलेंस सर्विस (₹ 51,16.90 लाख), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 7,74,70.55 लाख)] तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 52,88.17 लाख) पर हुआ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | | | | | |
| 2215. जलपूर्ति तथा सफाई | | | | | |
| 01. जलपूर्ति | | | | | |
| 003. प्रशिक्षण | .. | 1,25.12 | 1,25.12 | 1,13.75 | (+) 10.00 |
| 101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम | 10,74,80.47 | 1,64.94 | 10,76,45.41 | 10,11,98.43 | (+) 6.37 |
| 102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम | 7,50,89.00 | 2,87.23 | 7,53,76.23 | 5,82,32.20 | (+) 29.44 |
| योग - 01 | 18,25,69.47 | 5,77.29 | 18,31,46.76 | 15,95,44.38 | (+) 14.79 |
| 02. मल-जल तथा सफाई | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 46.69 2,41,21.47 | (-) 7,95.04 (क) | 2,33,73.12 | 2,33,78.39 | (-) 0.02 |
| 005. सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल | 81.47 | 59.71 | 1,41.18 | 1,55.82 | (-) 9.40 |
| 107. मल-जल सेवाएं | 1,18.99 | .. | 1,18.99 | 1,11.41 | (+) 6.80 |
| 192. नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता | 3,22.28 | .. | 3,22.28 | 9,60.00 | (-) 66.43 |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | (-) 0.08 | (-) 100.00 |
| योग -02 | 46.69 2,46,44.21 | (-) 7,35.33 | 2,39,55.57 | 2,46,05.54 | (-) 2.64 |
| योग - 2215 | 46.69 20,72,13.68 | (-) 1,58.04 | 20,71,02.33 | 18,41,49.92 | (+) 12.46 |

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास -(क्रमशः) | | | | | |
| 2216. आवास | | | | | |
| 02. शहरी आवास | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 18.48 | .. | 18.48 | 19.53 | (-) 5.38 |
| योग - 02 | 18.48 | .. | 18.48 | 19.53 | (-) 5.38 |
| 05. सामान्य पूल आवास | | | | | |
| 053. रखरखाव एवं मरम्मत | 52,27.52 | .. | 52,27.52 | 56,68.36 | (-) 7.78 |
| 800. अन्य व्यय | 10,02.06 | .. | 10,02.06 (क) | 3,65.14 | (+) 174.43 |
| योग - 05 | 62,29.58 | .. | 62,29.58 | 60,33.50 | (+) 3.25 |
| योग - 2216 | 62,48.06 | .. | 62,48.06 | 60,53.03 | (+) 3.22 |
| 2217. शहरी विकास | | | | | |
| 05. अन्य शहरी विकास योजना | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | .. | 1,42,80.00 | 1,42,80.00 | 30,68.55 | (+) 365.37 |
| योग - 05 | .. | 1,42,80.00 | 1,42,80.00 | 30,68.55 | (+) 365.37 |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 8,12.64 | 97.67 | 9,10.31 | 25,19.01 | (-) 63.86 |
| 191. नगर निगमों को सहायता | 7,21,59.07 | 2,11,27.63 | 9,32,86.70 | 8,47,99.83 | (+) 10.01 |

(क) इसमें, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के I से VI टाइप तक आवासो का रख रखाव तथा उपकरणों का व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (समाप्त) | | | | | |
| 2217. शहरी विकास - (समाप्त) | | | | | |
| 80. सामान्य - (समाप्त) | | | | | |
| 192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता | 8,20,23.00 | 6,27,68.75 | 14,47,91.75 | 14,55,79.78 | (-) 0.54 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | .. | .. | 7,50.15 | (-) 100.00 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 4.38 | 8.43 | 12.81 | 5,88.27 | (-) 97.82 |
| 800. अन्य व्यय | 11,00.72 | 1,69.90 | 12,70.62 (क) | 44,94.35 | (-) 71.73 |
| योग - 80 | 15,60,99.81 | 8,41,72.38 | 24,02,72.19 | 23,87,31.39 | (+) 0.65 |
| योग - 2217 | 15,60,99.81 | 9,84,52.38 | 25,45,52.19 | 24,17,99.94 | (+) 5.27 |
| योग-(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 46.69 36,95,61.55 | 9,82,94.34 | 46,79,02.58 | 43,20,02.89 | (+) 8.31 |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण | | | | | |
| 2220. सूचना तथा प्रचार | | | | | |
| 60. अन्य | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 39,30.09 | 34.50 | 39,64.59 | 1,48,93.81 | (-) 73.38 |

(क) इसमें नगर तथा देशी आयोजना संगठन (₹ 11,90.06 लाख), तथा मास्टर प्लान तथा अन्य योजनाएं (₹ 80.56 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण -(समाप्त) | | | | | |
| 2220. सूचना तथा प्रचार -(समाप्त) | | | | | |
| 60. अन्य -(समाप्त) | | | | | |
| 102. सूचना केन्द्र | 4,05.93 | .. | 4,05.93 | 3,80.21 | (+) 6.76 |
| 106. क्षेत्र प्रचार | 5,83.17 | .. | 5,83.17 | 5,57.74 | (+) 4.56 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 32.53 | .. | 32.53 | 30.06 | (+) 8.22 |
| 800. अन्य व्यय | 6.50 | .. | 6.50 | 6.48 | (+) 0.31 |
| योग - 60 | 49,58.22 | 34.50 | 49,92.72 | 1,58,68.30 | (-) 68.54 |
| योग - 2220 | 49,58.22 | 34.50 | 49,92.72 | 1,58,68.30 | (-) 68.54 |
| योग - (घ) सूचना तथा प्रसारण | 49,58.22 | 34.50 | 49,92.72 | 1,58,68.30 | (-) 68.54 |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | | | | | |
| 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | | | | | |
| 01. अनुसूचित जातियों का कल्याण | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 0.75 8,20.66 | .. | 8,21.41 | 8,06.67 | (+) 1.83 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | 1.12 75,88.02 | 79,15.68 | 1,55,04.82 | 1,61,83.09 | (-) 4.19 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | 57.50 | 1,51,40.83 | 1,51,98.33 | 2,05,14.60 | (-) 25.91 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-(क्रमशः) | | | | | |
| 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-(क्रमशः) | | | | | |
| 01. अनुसूचित जातियों का कल्याण-(समाप्त) | | | | | |
| 793. अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | .. | 54,88.12 | 54,88.12 | 31,83.58 | (+) 72.39 |
| | 1.87 | | | | |
| योग - 01 | 84,66.18 | 2,85,44.63 | 3,70,12.68 | 4,06,87.94 | (-) 9.03 |
| 02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण | | | | | |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | 26,40.36 | 28,74.27 | 55,14.63 | 37,27.78 | (+) 47.93 |
| | 1.39 | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 14,40.84 | 3,38,58.76 | 3,53,00.99 | 3,37,83.32 | (+) 4.49 |
| | 1.39 | | | | |
| योग - 02 | 40,81.20 | 3,67,33.03 | 4,08,15.62 | 3,75,11.10 | (+) 8.81 |
| 03. पिछड़े वर्गों का कल्याण | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | 1,45.16 | .. | 1,45.16 | 1,54.88 | (-) 6.28 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | 4,18.61 | 95,80.45 | 99,99.06 | 77,96.89 | (+) 28.24 |
| 277. शिक्षा | .. | 64,29.61 | 64,29.61 | 1,42,76.31 | (-) 54.96 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 28.24 | 28.24 | 29.43 | (-) 4.04 |
| | 1.39 | | | | |
| योग - 03 | 5,63.77 | 1,60,38.30 | 1,66,02.07 | 2,22,57.51 | (-) 25.41 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - (समाप्त) | | | | | |
| 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण - (समाप्त) | | | | | |
| 04. अल्पसंख्यकों का कल्याण | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 6,59.79 | 72.14 | 7,31.93 | 5,88.59 | (+) 24.35 |
| 102. आर्थिक विकास | .. | 1,66.74 | 1,66.74 | 2,91.33 | (-) 42.77 |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | 1,35.16 | .. | 1,35.16 | 1,41.00 | (-) 4.14 |
| 277. शिक्षा | .. | 10,00.67 | 10,00.67 | 35,92.15 | (-) 72.14 |
| 800. अन्य व्यय | 44.62 | 15.00 | 59.62 (क) | 5,00.44 | (-) 88.09 |
| योग - 04 | 8,39.57 | 12,54.55 | 20,94.12 | 51,13.51 | (-) 59.05 |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | .. | .. | .. | 14.08 | (-) 100.00 |
| योग - 80 | .. | .. | .. | 14.08 | (-) 100.00 |
| योग - 2225 | 3.26 1,39,50.72 | 8,25,70.51 | 9,65,24.49 | 10,55,84.14 | (-) 8.58 |
| योग - (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 3.26 1,39,50.72 | 8,25,70.51 | 9,65,24.49 | 10,55,84.14 | (-) 8.58 |

(क) इसमें हज कमेटी (₹ 44.62 लाख) तथा राजस्थान वक्फ विकास परिषद (₹ 15.00 लाख) को अनुदान सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) | |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|-----------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | | |
| (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण | | | | | | |
| 2230. श्रम तथा रोजगार | | | | | | |
| 01. श्रम | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 3,83.68 | 16.60 | 4,00.28 | 3,59.06 | (+) 11.48 | |
| 101. औद्योगिक सम्बन्ध | 14,75.33 | .. | 14,75.33 | 13,59.88 | (+) 8.49 | |
| 102. कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा | 7,78.54 | .. | 7,78.54 | 7,46.28 | (+) 4.32 | |
| 103. सामान्य श्रम कल्याण | 2,53,58.72 | 26,46.01 | 2,80,04.73 | 1,82,21.99 | (+) 53.69 | |
| 112. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास | .. | .. | .. | 30.00 | (-) 100.00 | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 6,45.12 | 6,45.12 | 1,21.93 | (+) 429.09 | |
| 796. जन जातीय क्षेत्र उप-योजना | 75.78 | 6,40.67 | 7,16.45 | 1,61.56 | (+) 343.46 | |
| | | | | | | |
| | योग - 01 | 2,80,72.05 | 39,48.40 | 3,20,20.45 | 2,10,00.70 | (+) 52.47 |
| 02. रोजगार सेवाएं | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 3,42.51 | .. | 3,42.51 | 3,57.17 | (-) 4.10 | |
| 004. अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 1,89.71 | .. | 1,89.71 | 1,73.83 | (+) 9.14 | |
| 101. रोजगार सेवाएं | 8,98.66 | 88.30 | 9,86.96 | 8,98.94 | (+) 9.79 | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 5,39.20 | 5,39.20 | 2,16.43 | (+) 149.13 | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 38.81 | 3,49.46 | 3,88.27 | 1,63.70 | (+) 137.18 | |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण - (समाप्त) | | | | | |
| 2230. श्रम तथा रोजगार - (समाप्त) | | | | | |
| 02. रोजगार सेवाएं- (समाप्त) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 7.72 | 20,25.96 | 20,33.68 (क) | 5,15.61 | (+) 294.42 |
| योग - 02 | 14,77.41 | 30,02.92 | 44,80.33 | 23,25.68 | (+) 92.65 |
| 03. प्रशिक्षण | | | | | |
| 003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण | 74,66.29 | 3,39.81 | 78,06.10 | 69,50.77 | (+) 12.31 |
| 101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | .. | 1,79.48 | 1,79.48 | 1,68.46 | (+) 6.54 |
| 102. प्रशिक्षु प्रशिक्षण | 2,52.76 | .. | 2,52.76 | 2,33.10 | (+) 8.43 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 7.71 | 7.71 | 3.79 | (+) 103.43 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 3,81.38 | 25.45 | 4,06.83 | 3,99.95 | (+) 1.72 |
| योग - 03 | 81,00.43 | 5,52.45 | 86,52.88 | 77,56.07 | (+) 11.56 |
| योग - 2230 | 3,76,49.89 | 75,03.77 | 4,51,53.66 | 3,10,82.45 | (+) 45.27 |
| योग - (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण | 3,76,49.89 | 75,03.77 | 4,51,53.66 | 3,10,82.45 | (+) 45.27 |

(क) इसमें राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना-2012 (₹ 20,16.66 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण | | | | | |
| 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | | | | | |
| 02. समाज कल्याण | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 1,48.72 | .. | 1,48.72 | 1,12.83 | (+) 31.81 |
| 101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | 6,84.25 | 13,67.16 | 20,51.41 | 15,80.21 | (+) 29.82 |
| 102. बाल कल्याण | 23.01 | 49,32.23 | 49,55.24 | 31,98.67 | (+) 54.92 |
| 103. महिला कल्याण | 5,61.08 | 9,55.27 | 15,16.35 | 12,97.30 | (+) 16.89 |
| 104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण | 6,79.76 | 0.42 | 6,80.18 | 4,90.67 | (+) 38.62 |
| 106. सुधारक सेवाएं | .. | 1.00 | 1.00 | .. | .. |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | 4,18.00 | .. | 4,18.00 | 3,86.74 | (+) 8.08 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | 22,65.35 | 1,56,99.25 | 1,79,64.60 | 8,49,44.45 | (-) 78.85 |
| 200. अन्य कार्यक्रम | .. | 10,50.70 | 10,50.70 | 4,38.91 | (+) 139.39 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 1,07.00 | 1,07.00 | 1,39.40 | (-) 23.24 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 20.24 | 76.49 | 96.73 | 1,22.23 | (-) 20.86 |
| योग - 02 | 48,00.41 | 2,41,89.52 | 2,89,89.93 | 9,27,11.41 | (-) 68.73 |
| 60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम | | | | | |
| 102. समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन | 49.48 | .. | 49.48 | 28.87 | (+) 71.39 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः) | | | | | |
| 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - (समाप्त) | | | | | |
| 60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- (समाप्त) | | | | | |
| 104. जन-सम्बद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि | 29,20.96 | 0.08 | 29,21.04 | 26,35.45 | (+) 10.84 |
| 107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना | 15,55.91 | 0.08 | 15,55.91 (क) | 15,53.30 | (+) 0.17 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | 33,92,02.24 | 2,76,03.57 | 36,68,05.81 (ख) | 28,05,79.53 | (+) 30.73 |
| 200. अन्य कार्यक्रम | 29,48.29 | 0.08 | 29,48.29 (ग) | 30,46.60 | (-) 3.23 |
| 800. अन्य व्यय | 31,66.93 | 0.08 | 31,66.93 (घ) | 19,35.97 | (+) 63.58 |
| योग - 60 | 34,98,43.81 | 2,76,03.57 | 37,74,47.46 | 28,97,79.72 | (+) 30.25 |
| योग - 2235 | 35,46,44.22 | 5,17,93.09 | 40,64,37.39 | 38,24,91.13 | (+) 6.26 |
| 2236. पोषण | | | | | |
| 02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण | | | | | |
| 101. विशेष पोषण कार्यक्रम | 8,75.23 | 5,18,63.44 | 5,27,38.67 | 5,60,41.66 | (-) 5.89 |

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित पेंशनरों की संख्या जो कोष्ठक में दिखायी गयी है, सम्मिलित है : स्वतन्त्रता सैनानी- केन्द्र (152) तथा राज्य (631)।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित पेंशनरों की संख्या जो कोष्ठक में दी गई है, सम्मिलित है। वृद्धावस्था पेंशन (41,90,478), विधवा (6,98,330) तथा विकलांग (3,33,252)।

(ग) इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन हेतु ₹ 16,57.91 लाख सम्मिलित हैं।

(घ) इसमें 1.04.2004 को तथा बाद में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिये मेडिकलेम (₹ 14,22.05 लाख) तथा नयी अंशदायी पेंशन योजना (₹ 7,60.86 लाख) तथा मीसा/ डी.आई.आर.कैदियों को पेंशन (₹ 9,84.02 लाख) सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः) | | | | | |
| 2236. पोषण - (समाप्त) | | | | | |
| 02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण- (समाप्त) | | | | | |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | .. | 9,80.61 | 9,80.61 | 9,05.38 | (+) 8.31 |
| 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | 76,25.58 | 5,08,76.81 | 5,85,02.39 | 5,45,98.82 | (+) 7.15 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 2,15,75.45 | 2,15,75.45 | 1,21,85.66 | (+) 77.06 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 14.17 | 78,40.93 | 78,55.10 | 59,32.54 | (+) 32.41 |
| योग - 02 | 85,14.98 | 13,31,37.24 | 14,16,52.22 | 12,96,64.06 | (+) 9.25 |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 3,65.14 | .. | 3,65.14 | 3,23.73 | (+) 12.79 |
| योग - 80 | 3,65.14 | .. | 3,65.14 | 3,23.73 | (+) 12.79 |
| योग - 2236 | 88,80.12 | 13,31,37.24 | 14,20,17.36 | 12,99,87.79 | (+) 9.25 |
| 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | | | | | |
| 01. सूखा | | | | | |
| 101. आनुग्रहिक राहत | 1,61.77 | .. | 1,61.77 | 3,32.84 | (-) 51.40 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः) | | | | | |
| 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत - (क्रमशः) | | | | | |
| 01. सूखा- (समाप्त) | | | | | |
| 102. पीने के पानी की पूर्ति | 9,69.23 | .. | 9,69.23 | 5,52.27 | (+) 75.50 |
| 104. चारे की पूर्ति | 1,47,09.18 | .. | 1,47,09.18 | 30,69.27 | (+) 379.24 |
| 105. पशु-चिकित्सा | .. | .. | .. | (-) 0.01 | (-) 100.00 |
| 800. अन्य व्यय | 6,17,21.57 | .. | 6,17,21.57 (क) | 7,87,46.55 | (-) 21.62 |
| | | | | | |
| योग - 01 | 7,75,61.75 | .. | 7,75,61.75 | 8,27,00.92 | (-) 6.21 |
| | | | | | |
| 02. बाढ़, चक्रवात आदि | | | | | |
| 101. आनुग्रहिक राहत | 24.73 | .. | 24.73 | 2.14 | (+) 1055.61 |
| 106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना | 17,40.19 | .. | 17,40.19 | 15,50.12 | (+) 12.26 |
| 109. खराब जलपूर्ति, जल निकास तथा मल जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना | 44.62 | .. | 44.62 | 26.27 | (+) 69.85 |
| 111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी | 79.90 | .. | 79.90 | 54.09 | (+) 47.72 |
| 113. घर की मरम्मत / पुनर्निर्माण के लिए सहायता | 14,27.53 | .. | 14,27.53 | 6,46.34 | (+) 120.86 |

(क) इसमें फायर सहायता (₹ 5,60.04 लाख), बचाव खोज तथा संचार के लिये डिवाइसों तथा उपकरणों के क्रय (₹ 5,76.86 लाख), छोटे तथा मध्यम किसानों को कृषि फसलें, बागवानी फसलें तथा वार्षिक लीज फसलों हेतु कृषि आवक अनुदान (₹ 3,87,52.56 लाख) तथा छोटे एवं मध्यम किसानों के अतिरिक्त कृषि आवक अनुदान (₹ 2,18,33.31 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण-(क्रमशः) | | | | | |
| 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-(क्रमशः) | | | | | |
| 02. बाढ़, चक्रवात आदि-(समाप्त) | | | | | |
| 114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता | 7,45,39.79 | .. | 7,45,39.79 | 59,28.08 | (+) 1157.40 |
| 117. पशुधन के क्रय हेतु किसानों को सहायता | 49.25 | .. | 49.25 | 1.10 | (+) 4377.27 |
| 122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण-कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना | 15,89.12 | .. | 15,89.12 | 4,56.67 | (+) 247.98 |
| योग - 02 | 7,94,95.13 | .. | 7,94,95.13 | 86,64.81 | (+) 817.45 |
| 05. राज्य आपदा मोचन निधि | | | | | |
| 101. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण- राज्य आपदा मोचन निधि | 7,30,10.00 | .. | 7,30,10.00 (क) | 6,95,33.00 | (+) 5.00 |
| 901. घटाइये - राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि | (-) 15,70,56.88 | .. | (-) 15,70,56.88 | (-) 9,13,65.73 | (+) 71.90 |
| योग - 05 | (-) 8,40,46.88 | .. | (-) 8,40,46.88 | (-) 2,18,32.73 | (+) 284.96 |

(क) शीर्ष "8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि" को अंतरण।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण-(समाप्त) | | | | | |
| 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-(समाप्त) | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 0.82 11,23.79 | 0.29 | 11,24.90 (क) | 12,88.05 | (-) 12.67 |
| योग - 80 | 0.82 11,23.79 | 0.29 | 11,24.90 | 12,88.05 | (-) 12.67 |
| योग - 2245 | 0.82 7,41,33.79 | 0.29 | 7,41,34.90 | 7,08,21.05 | (+) 4.68 |
| योग - (छ) समाज कल्याण तथा पोषण | 0.90 43,76,58.13 | 18,49,30.62 | 62,25,89.65 | 58,32,99.97 | (+) 6.74 |
| (ज) अन्य | | | | | |
| 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं | | | | | |
| 101. धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान | 31.41 | .. | 31.41 | 18.62 | (+) 68.69 |
| 102. धार्मिक तथा पूर्ण अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन | 13,09.04 | .. | 13,09.04 | 12,60.16 | (+) 3.88 |
| 103. पवित्र स्थानों, मन्दिरों आदि का रख-रखाव | 47.66 | .. | 47.66 | 49.54 | (-) 3.79 |
| 800. अन्य व्यय | 3.00 | 11,75.45 | 11,78.45 (ख) | 54,78.33 | (-) 78.49 |
| योग -2250 | 13,91.11 | 11,75.45 | 25,66.56 | 68,06.65 | (-) 62.29 |

(क) इसमें निवेशन तथा प्रशासन (₹ 5,77.37 लाख), तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत आपदा मोचन हेतु आपदा केपेसिटी बिल्डिंग (₹ 3,01.74 लाख) तथा अन्य सहायता (₹ 2,44.96 लाख) पर व्यय शामिल हैं।

(ख) इसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना (₹ 11,28.45 लाख) तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना (₹ 47.00 लाख) व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाएं-(समाप्त) | | | | | |
| (ज) अन्य -(समाप्त) | | | | | |
| 2251. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं | | | | | |
| 090. सचिवालय | 19,76.23 | .. | 19,76.23 | 17,58.36 | (+) 12.39 |
| योग - 2251 | 19,76.23 | .. | 19,76.23 | 17,58.36 | (+) 12.39 |
| योग -(ज) अन्य | 33,67.34 | 11,75.45 | 45,42.79 | 85,65.01 | (-) 46.96 |
| योग - ख. सामाजिक सेवाएं | 1,12.06 2,47,87,30.92 | 11.13 1,29,64,85.37 | 3,77,53,39.48 | 3,14,86,08.59 | (+) 19.91 |
| ग. आर्थिक सेवाएं | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप | | | | | |
| 2401. फसल कृषि-कर्म | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 13.26 23,19.83 | 1,94.60 | 25,27.69 | 22,55.74 | (+) 12.06 |
| 102. खाद्यान्न फसलें | .. | 2,95.89 | 2,95.89 | .. | .. |
| 103. बीज | 3,48.10 | .. | 3,48.10 | 3,91.06 | (-) 10.99 |
| 105. खाद तथा उर्वरक | 6,44.59 | 5,39.19 | 11,83.78 | 6,68.54 | (+) 77.07 |
| 107. वनस्पति रक्षण | 4,86.65 | 1,13.54 | 6,00.19 | 7,74.26 | (-) 22.48 |
| 108. वाणिज्यिक फसलें | .. | .. | .. | 28,36.26 | (-) 100.00 |
| 109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण | 9,81.76 | 31,81.52 | 41,63.28 | 28,15.35 | (+) 47.88 |
| 110. फसल बीमा | .. | 2,44,13.40 | 2,44,13.40 | 1,47,76.99 | (+) 65.21 |
| 111. कृषि अर्थ-व्यवस्था तथा सांख्यिकी | .. | 2,82.15 | 2,82.15 | 3,11.18 | (-) 9.33 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप - (क्रमशः) | | | | | |
| 2401. फसल कृषि-कर्म - (समाप्त) | | | | | |
| 113. कृषि इन्जीनियरिंग | .. | 38.50 | 38.50 | .. | .. |
| 114. तिलहन विकास | .. | 16,39.93 | 16,39.93 | .. | .. |
| 119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें | 25,04.42 | 1,46,12.46 | 1,71,16.88 | 1,31,98.20 | (+) 29.69 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | 40,00.00 | 1,80,07.83 | 2,20,07.83 | 61,71.44 | (+) 256.61 |
| 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | 2,20,02.15 | 3,74.03 | 2,23,76.18 | 2,08,72.60 | (+) 7.20 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | 0.03 | 2,11.35.72 | 2,11,35.75 | 2,03,91.21 | (+) 3.65 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 4.93 | 1,65,70.45 | 1,65,75.38 | 1,68,47.01 | (-) 1.61 |
| 800. अन्य व्यय | 25.00 | 4,85,97.32 | 4,86,22.32 (क) | 4,97,36.47 | (-) 2.24 |
| | | 13.26 | | | |
| योग - 2401 | 3,33,17.46 | 14,99,96.53 | 18,33,27.25 | 15,20,46.31 | (+) 20.57 |
| 2402. मृदा तथा जल संरक्षण | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 4,45.41 | 1,51.13 | 5,96.54 | 4,19.97 | (+) 42.04 |
| 102. मृदा-संरक्षण | 3,13.90 | 14,50.57 | 17,64.47 | 17,36.55 | (+) 1.61 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | 16,58.66 | 11,14.79 | 27,73.45 | 18,83.04 | (+) 47.29 |

(क) इसमें जल योजना पर अनुदान (₹ 2,99.11 लाख) मिशन फॉर लिवलीहुड (₹ 35,04.48 लाख), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹ 4,45,05.30 लाख) तथा राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना (₹ 2,00.00 लाख) का व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(क्रमशः) | | | | | |
| 2402. मृदा तथा जल संरक्षण-(समाप्त) | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 4,35.21 | 4,35.21 | 3,40.94 | (+) 27.65 |
| 796. जनजाति क्षेत्र उप-योजना | 89.51 | 3,30.07 | 4,19.58 | 3,35.23 | (+) 25.16 |
| योग - 2402 | 25,07.48 | 34,81.77 | 59,89.25 | 47,15.73 | (+) 27.01 |
| 2403. पशुपालन | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 44,78.94 | 45,10.00 | 89,88.94 | 1,72,73.42 | (-) 47.96 |
| 101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य | 0.62 3,22,39.73 | 48,58.09 | 3,70,98.44 | 3,25,69.58 | (+) 13.91 |
| 102. पशु तथा भैंस विकास | 7,19.34 | 5,83.15 | 13,02.49 | 7,86.77 | (+) 65.55 |
| 109. विस्तार तथा प्रशिक्षण | 3,30.59 | 80.96 | 4,11.55 | 3,60.12 | (+) 14.28 |
| 113. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी | 83.59 | 6,13.54 | 6,97.13 | 8,19.54 | (-) 14.94 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 32,65.80 | 32,65.80 | 15,74.48 | (+) 107.42 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप योजना | 35,16.99 | 23,67.32 | 58,84.31 | 43,26.58 | (+) 36.00 |
| योग - 2403 | 0.62 4,13,69.18 | 1,62,78.86 | 5,76,48.66 | 5,77,10.49 | (-) 0.11 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|----------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(क्रमशः) | | | | | |
| 2404. डेयरी विकास | | | | | |
| 195. सहकारी समितियों को सहायता | .. | 13,20.50 | 13,20.50 | 1,46,50.00 | (-) 90.99 |
| योग - 2404 | .. | 13,20.50 | 13,20.50 | 1,46,50.00 | (-) 90.99 |
| 2405. मछली पालन | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 11,63.22 | 53.90 | 12,17.12 | 11,89.46 | (+) 2.33 |
| 101. अन्तर्देशीय मछली पालन | .. | 18.75 | 18.75 | 31.52 | (-) 40.51 |
| 109. विस्तार तथा प्रशिक्षण | 3.00 | 4.55 | 7.55 | 7.80 | (-) 3.21 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना | .. | 7.50 | 7.50 | 6.66 | (+) 12.61 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 49.98 | 29.29 | 79.27 | 91.68 | (-) 13.54 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 1.10 | 1.10 | 1.55 | (-) 29.03 |
| योग - 2405 | 12,16.20 | 1,15.09 | 13,31.29 | 13,28.67 | (+) 0.20 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(क्रमशः) | | | | | |
| 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी | | | | | |
| 01. वानिकी | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 45.76 4,01,38.47 | .. | 4,01,84.23 | 3,64,76.06 | (+) 10.17 |
| 101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण | 15,31.19 | 13,10.87 | 28,42.06 | 20,76.30 | (+) 36.88 |
| 102. समाज तथा फार्म वानिकी | .. | 1,03,94.87 | 1,03,94.87 | 91,41.51 | (+) 13.71 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | 17,97.35 | .. | 17,97.35 | 6,65.74 | (+) 169.98 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 40,50.01 | 40,50.01 | 25,80.00 | (+) 56.98 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 9,52.31 | 30,89.61 | 40,41.92 | 27,51.68 | (+) 46.89 |
| योग - 01 | 45.76 4,44,19.32 | 1,88,45.36 | 6,33,10.44 | 5,36,91.29 | (+) 17.92 |
| 02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव | | | | | |
| 110. वन्य जीव परिरक्षण | 39,23.27 | 20,51.09 | 59,74.36 | 59,96.98 | (-) 0.38 |
| 111. चिड़ियाघर | .. | 1,25.94 | 1,25.94 | 68.39 | (+) 84.15 |
| 112. सार्वजनिक उद्यान | 16,39.84 | .. | 16,39.84 | 15,07.51 | (+) 8.78 |
| योग - 02 | 55,63.11 | 21,77.03 | 77,40.14 | 75,72.88 | (+) 2.21 |
| योग - 2406 | 45.76 4,99,82.43 | 2,10,22.39 | 7,10,50.58 | 6,12,64.17 | (+) 15.97 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(क्रमशः) | | | | | |
| 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | | | | | |
| 01. फसल कृषि-कर्म | | | | | |
| 004. अनुसंधान | .. | 12,92.74 | 12,92.74 | 13,79.94 | (-) 6.32 |
| 277. शिक्षा | 1,13,50.00 | 34,56.33 | 1,48,06.33 | 1,29,36.47 | (+) 14.45 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 66.60 | 66.60 | 2,96.48 | (-) 77.54 |
| योग - 01 | 1,13,50.00 | 48,15.67 | 1,61,65.67 | 1,46,12.89 | (+) 10.63 |
| 03. पशु-पालन | | | | | |
| 120. अन्य संस्थाओं को सहायता | .. | 71.85 | 71.85 | 63.15 | (+) 13.78 |
| योग - 03 | .. | 71.85 | 71.85 | 63.15 | (+) 13.78 |
| योग - 2415 | 1,13,50.00 | 48,87.52 | 1,62,37.52 | 1,46,76.04 | (+) 10.64 |
| 2425. सहकारिता | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 43,85.74 | 19.99 | 44,05.73 | 40,10.03 | (+) 9.87 |
| 003. प्रशिक्षण | 2,21.00 | 29.37 | 2,50.37 | 1,20.50 | (+) 107.78 |
| 101. सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा | 18,33.04 | .. | 18,33.04 | 18,55.05 | (-) 1.19 |
| 105. सूचना एवं प्रचार | 56.04 | 34.48 | 90.52 | 89.84 | (+) 0.76 |
| 107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता | 1,03.28 | 1,18,78.62 | 1,19,81.90 | 1,32,97.58 | (-) 9.89 |
| 108. अन्य सहकारी समितियों को सहायता | 16.13 | 7,53.18 | 7,69.31 | 18,73.26 | (-) 58.93 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(समाप्त) | | | | | |
| 2425. सहकारिता-(समाप्त) | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 90.38.88 | 90.38.88 | 52,09.48 | (+) 73.51 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 67,77.34 | 67,77.34 | 39,61.83 | (+) 71.07 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 2,60,04.00 | 2,60,04.00 (क) | 1,46,83.94 | (+) 77.09 |
| योग - 2425 | 66,15.23 | 5,45,35.86 | 6,11,51.09 | 4,51,01.51 | (+) 35.59 |
| 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम | | | | | |
| <i>01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण</i> | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 6,85.41 | .. | 6,85.41 | 6,33.49 | (+) 8.20 |
| 102. श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं | 1,35.27 | .. | 1,35.27 | 1,14.42 | (+) 18.22 |
| योग - 2435 | 8,20.68 | .. | 8,20.68 | 7,47.91 | (+) 9.73 |
| योग - (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप | 59.64 14,71,78.66 | 25,16,38.52 | 39,88,76.82 | 35,22,40.83 | (+) 13.24 |
| (ख) ग्राम विकास | | | | | |
| 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | | | | | |
| <i>03. मरुस्थल विकास कार्यक्रम</i> | | | | | |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | .. | .. | .. | 1,39.74 | (-) 100.00 |
| योग - 03 | .. | .. | .. | 1,39.74 | (-) 100.00 |

(क) व्यय सहकारी समितियों के अच्छे देनदारों/कर्जदारों को ब्याज अनुदान से संबंधित हैं ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास -(क्रमशः) | | | | | |
| 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम -(समाप्त) | | | | | |
| 05. बंजर भूमि विकास | | | | | |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | .. | 4,21,27.10 | 4,21,27.10 | .. | .. |
| योग - 05 | .. | 4,21,27.10 | 4,21,27.10 | .. | .. |
| 06. स्वरोजगार कार्यक्रम | | | | | |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | .. | .. | .. | 27,14.67 | (-) 100.00 |
| योग - 06 | .. | .. | .. | 27,14.67 | (-) 100.00 |
| योग - 2501 | .. | 4,21,27.10 | 4,21,27.10 | 28,54.41 | (+) 1375.86 |
| 2505. ग्राम रोजगार | | | | | |
| 01. राष्ट्रीय कार्यक्रम | | | | | |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | .. | 5,67,04.89 | 5,67,04.89 | 1,61,04.46 | (+) 252.11 |
| योग -01 | .. | 5,67,04.89 | 5,67,04.89 | 1,61,04.46 | (+) 252.11 |
| 02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम | | | | | |
| 101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम | .. | 32,29,89.77 | 32,29,89.77 (क) | 1,50,00.00 | (+) 2053.27 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 60,55.29 | 60,55.29 (ख) | 2,38,50.00 | (-) 74.61 |
| योग - 02 | .. | 32,90,45.06 | 32,90,45.06 | 3,88,50.00 | (+) 746.96 |
| योग - 2505 | .. | 38,57,49.95 | 38,57,49.95 | 5,49,54.46 | (+) 601.94 |

(क) शीर्ष " 8232-101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि" को अन्तरण।

(ख) यह ग्रामीण विकास विभाग की नवाचार/ नवीन योजनाओं पर व्यय से सम्बन्धित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास - (समाप्त) | | | | | |
| 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 18,32.62 | 46.19 | 18,97.38 | 41,96.95 | (-) 54.79 |
| 003. प्रशिक्षण | 3,04.44 | .. | 3,04.44 | 3,20.30 | (-) 4.95 |
| 104. डी.आर.डी.ए. प्रशासन | .. | 6,25.21 | 6,25.21 | 6,18.50 | (+) 1.08 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | 52,77.69 | 10,13,94.20 | 10,66,71.89 | 5,81,14.08 | (+) 83.56 |
| 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | 6,80,14.79 | 3,42,10.53 | 10,22,25.32 | 8,33,42.33 | (+) 22.66 |
| 198. ग्राम पंचायतों को सहायता | 8,90,36.51 | 29,89,17.44 | 38,79,53.95 | 29,38,90.18 | (+) 32.01 |
| 800. अन्य व्यय | 1,27,65.18 | 1,42.38 | 1,29,07.56 (क) | 7,50.29 | (+) 1620.34 |
| योग - 2515 | 17,72,31.23 | 43,53,35.95 | 61,25,85.75 | 44,12,32.63 | (+) 38.84 |
| योग -(ख) ग्राम विकास | 17,72,31.23 | 86,32,13.00 | 1,04,04,62.80 | 49,90,41.50 | (+) 108.49 |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | | | | | |
| 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | | | | | |
| 01. डंग जिले | | | | | |
| 101. डंग जिलों का विकास | .. | 41.45 | 41.45 | .. | .. |
| योग - 01 | .. | 41.45 | 41.45 | .. | .. |

(क) इसमें पंचायत चुनाव (₹ 1,23,28.61 लाख), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 11.29 लाख), राज्य निर्वाचन आयोग (₹ 4,39.67 लाख) तथा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (₹ 1,27.99 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|----------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -(समाप्त) | | | | | |
| 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-(समाप्त) | | | | | |
| 02. पिछड़े क्षेत्र | | | | | |
| 104. डांग क्षेत्र का विकास | .. | .. | .. | 48.38 | (-) 100.00 |
| 105. मगरा क्षेत्र का विकास | .. | 0.03 | 0.03 | 7.40 | (-) 99.59 |
| योग - 02 | .. | 0.03 | 0.03 | 55.78 | (-) 99.95 |
| 06. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | 9.65 | 9.65 | 39.45 | (-) 75.54 |
| योग - 06 | .. | 9.65 | 9.65 | 39.45 | (-) 75.54 |
| योग - 2575 | .. | 51.13 | 51.13 | 95.23 | (-) 46.31 |
| योग- (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | .. | 51.13 | 51.13 | 95.23 | (-) 46.31 |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण | | | | | |
| 2700. मुख्य सिंचाई | | | | | |
| 01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 24,73.19 | .. | 24,73.19 | 23,92.63 | (+) 3.37 |
| 052. मशीनरी तथा उपस्कर | 10.26 | .. | 10.26 | 5.70 | (+) 80.00 |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 10,83.87 | .. | 10,83.87 | 19,20.48 | (-) 43.56 |
| 799. उचन्त | (-) 5.79 (क) | .. | (-) 5.79 | (-) 20.49 | (-) 71.74 |

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण-(क्रमशः) | | | | | |
| 2700. मुख्य सिंचाई-(क्रमशः) | | | | | |
| 01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)-(समाप्त) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 3,72.30 | .. | 3,72.30 * | 3,17.51 | (+) 17.26 |
| योग - 01 | 39,33.83 | .. | 39,33.83 | 46,15.83 | (-) 14.78 |
| 02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 9,09.44 | 1,61.40 | 10,70.84 | 11,74.98 | (-) 8.86 |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 14,62.10 | .. | 14,62.10 | 15,82.66 | (-)7.62 |
| 800. अन्य व्यय | 42,06.86 | .. | 42,06.86 * | 32,60.26 | (+) 29.03 |
| योग - 02 | 65,78.40 | 1,61.40 | 67,39.80 | 60,17.90 | (+) 12.00 |
| 03. ब्यास परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 61,05.06 | .. | 61,05.06 | 61,71.17 | (-) 1.07 |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 41.04 | .. | 41.04 | 7,04.15 | (-) 94.17 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण-(क्रमशः) | | | | | |
| 2700. मुख्य सिंचाई-(क्रमशः) | | | | | |
| 03. ब्यास परियोजना (वाणिज्यिक) -(समाप्त) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 15,84.73 | .. | 15,84.73 * | 15,84.73 | .. |
| योग - 03 | 77,30.83 | .. | 77,30.83 | 84,60.05 | (-) 8.62 |
| 04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 64,70.63 | 0.02 .. | 64,70.65 | 66,02.30 | (-) 1.99 |
| 052. मशीनरी एवं उपकरण | 0.97 | .. | 0.97 | 2.10 | (-) 53.81 |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 44,92.92 | .. | 44,92.92 | 41,00.18 | (+) 9.58 |
| 799. उर्ध्व | (-) 1.85 | .. | (-) 1.85 | 0.80 | (-) 331.25 |
| 800. अन्य व्यय | 4,40,30.52 | .. | 4,40,30.52 * | 4,19,28.91 | (+) 5.01 |
| योग - 04 | 5,49,93.19 | 0.02 .. | 5,49,93.21 | 5,26,34.29 | (+) 4.48 |
| 05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा)(मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग (नहरें) पंजाब/मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 9,09.26 | .. | 9,09.26 | 9,27.72 | (-) 1.99 |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 12,84.83 | .. | 12,84.83 | 10,91.59 | (+) 17.70 |
| 800. अन्य व्यय | 6,64.57 | .. | 6,64.57 * | 4,89.57 | (+) 35.75 |
| योग - 05 | 28,58.66 | .. | 28,58.66 | 25,08.88 | (+) 13.94 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2700. मुख्य सिंचाई-(क्रमशः) | | | | | |
| 06. गुड़गाँव नहर (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 1,76.83 | .. | 1,76.83 | 1,93.50 | (-) 8.61 |
| 800. अन्य व्यय | 4,29.06 | .. | 4,29.06 * | 3,67.54 | (+) 16.74 |
| योग - 06 | 6,05.89 | .. | 6,05.89 | 5,61.04 | (+) 7.99 |
| 07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 40.58 | .. | 40.58 * | 20.50 | (+) 97.95 |
| योग - 07 | 40.58 | .. | 40.58 | 20.50 | (+) 97.95 |
| 22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 2,75.54 | .. | 2,75.54 | 2,70.01 | (+) 2.05 |
| 800. अन्य व्यय | 12,01.31 | .. | 12,01.31 * | 11,24.03 | (+) 6.88 |
| योग - 22 | 14,76.85 | .. | 14,76.85 | 13,94.04 | (+) 5.94 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2700. मुख्य सिंचाई-(क्रमशः) | | | | | |
| 23. ओखला वेयर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 2.00 | .. | 2.00 * | 2.00 | .. |
| योग - 23 | 2.00 | .. | 2.00 | 2.00 | .. |
| 24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 2,10,81.14 | .. | 2,10,81.14 * | 1,95,33.07 | (+) 7.93 |
| योग - 24 | 2,10,81.14 | .. | 2,10,81.14 | 1,95,33.07 | (+) 7.93 |
| 25. नोहर फीडर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 92.39 | .. | 92.39 | 92.58 | (-) 0.21 |
| 800. अन्य व्यय | 6,14.49 | .. | 6,14.49 * | 6,14.49 | .. |
| योग - 25 | 7,06.88 | .. | 7,06.88 | 7,07.07 | (-) 0.03 |
| 26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 2,11.05 | .. | 2,11.05 | 36.09 | (+) 484.79 |
| 800. अन्य व्यय | 25,50.53 | .. | 25,50.53 * | 25,50.33 | (+) 0.01 |
| योग - 26 | 27,61.58 | .. | 27,61.58 | 25,86.42 | (+) 6.77 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2700. मुख्य सिंचाई-(क्रमशः) | | | | | |
| 27. माही परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 1,00,12.05 | .. | 1,00,12.05 (क) | 97,47.09 | (+) 2.72 |
| योग - 27 | 1,00,12.05 | .. | 1,00,12.05 | 97,47.09 | (+) 2.72 |
| 28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 9,41.64 | .. | 9,41.64 | 10,20.77 | (-) 7.75 |
| 800. अन्य व्यय | 48,78.95 | .. | 48,78.95 * | 48,13.30 | (+) 1.36 |
| योग - 28 | 58,20.59 | .. | 58,20.59 | 58,34.07 | (-) 0.23 |
| 29. इन्दिरा गांधी लिफ्ट योजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 3,66.20 | .. | 3,66.20 * | 3,66.20 | .. |
| योग - 29 | 3,66.20 | .. | 3,66.20 | 3,66.20 | .. |
| 31. गंग नहर (वाणिज्यिक) | | | | | |
| (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से) | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 7,68.35 | .. | 7,68.35 | 7,25.30 | (+) 5.94 |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 13,89.34 | .. | 13,89.34 | 11,86.97 | (+) 17.05 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

(क) इसमें पूंजी लेखे पर ब्याज का कल्पित समायोजन से संबंधित ₹ 81,79.53 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2700. मुख्य सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 31. गंग नहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)-(समाप्त) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 52,69.01 | .. | 52,69.01 * | 48,00.41 | (+) 9.76 |
| योग - 31 | 74,26.70 | .. | 74,26.70 | 67,12.68 | (+) 10.64 |
| 32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 57.47 | .. | 57.47 * | 45.25 | (+) 27.01 |
| योग - 32 | 57.47 | .. | 57.47 | 45.25 | (+) 27.01 |
| 33. काली सिन्ध परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 0.06 | .. | 0.06 * | 0.03 | (+) 100.00 |
| योग - 33 | 0.06 | .. | 0.06 | 0.03 | (+) 100.00 |
| 34. परियोजना का पुर्नजीविकरण, उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 1,56.37 | .. | 1,56.37 * | 68.35 | (+) 128.78 |
| योग - 34 | 1,56.37 | .. | 1,56.37 | 68.35 | (+) 128.78 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2700. मुख्य सिंचाई -(समाप्त) | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | 7.50 | (-) 100.00 |
| योग - 80 | .. | .. | .. | 7.50 | (-) 100.00 |
| योग - 2700 | 0.02 12,66,09.27 | 1,61.40 | 12,67,70.69 | 12,18,22.26 | (+) 4.06 |
| 2701. मध्यम सिंचाई | | | | | |
| 01. जवाई नहर (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 1,10.79 | .. | 1,10.79 | 1,07.66 | (+) 2.91 |
| 800. अन्य व्यय | 69.74 | .. | 69.74 * | 69.74 | .. |
| योग - 01 | 1,80.53 | .. | 1,80.53 | 1,77.40 | (+) 1.76 |
| 02. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 2,04.81 | .. | 2,04.81 | 1,95.17 | (+) 4.94 |
| 800. अन्य व्यय | 4,40.18 | .. | 4,40.18 * | 4,17.57 | (+) 5.41 |
| योग - 02 | 6,44.99 | .. | 6,44.99 | 6,12.74 | (+) 5.26 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|-----------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः :) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण - (क्रमशः :) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई - (क्रमशः :) | | | | | |
| 03. पारबती परियोजना (धौलपुर) (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 3,13.97 | .. | 3,13.97 | 4,49.44 | (-) 30.14 |
| 800. अन्य व्यय | 6,70.52 | .. | 6,70.52 * | 6,44.06 | (+) 4.11 |
| योग - 03 | 9,84.49 | .. | 9,84.49 | 10,93.50 | (-) 9.97 |
| 04. गुढ़ा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 85.01 | .. | 85.01 | 99.01 | (-) 14.14 |
| 800. अन्य व्यय | 16.33 | .. | 16.33 * | 16.33 | .. |
| योग - 04 | 1,01.34 | .. | 1,01.34 | 1,15.34 | (-) 12.14 |
| 05. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 86.84 | .. | 86.84 | 90.89 | (-) 4.46 |
| 800. अन्य व्यय | 23.55 | .. | 23.55 * | 23.55 | .. |
| योग - 05 | 1,10.39 | .. | 1,10.39 | 1,14.44 | (-) 3.54 |
| 06. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 1,46.37 | .. | 1,46.37 | 1,57.88 | (-) 7.29 |
| 800. अन्य व्यय | 19.51 | .. | 19.51 * | 19.51 | .. |
| योग - 06 | 1,65.88 | .. | 1,65.88 | 1,77.39 | (-) 6.49 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|--------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 07. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 14.34 | .. | 14.34 | 20.77 | (-) 30.96 |
| 800. अन्य व्यय | 6.70 | .. | 6.70 * | 6.70 | .. |
| योग - 07 | 21.04 | .. | 21.04 | 27.47 | (-) 23.41 |
| 08. वल्लभ नगर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 26.08 | .. | 26.08 | 27.39 | (-) 4.78 |
| 800. अन्य व्यय | 8.64 | .. | 8.64 * | 8.64 | .. |
| योग - 08 | 34.72 | .. | 34.72 | 36.03 | (-) 3.64 |
| 09. बड़गाँव पाल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 80.64 | .. | 80.64 | 69.62 | (+) 15.83 |
| 800. अन्य व्यय | 7.60 | .. | 7.60 * | 7.60 | .. |
| योग - 09 | 88.24 | .. | 88.24 | 77.22 | (+) 14.27 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|---------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 10. ओराई सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 37.08 | .. | 37.08 | 75.58 | (-) 50.94 |
| 800. अन्य व्यय | 6.34 | .. | 6.34 * | 6.34 | .. |
| योग - 10 | 43.42 | .. | 43.42 | 81.92 | (-) 47.00 |
| 11. जैतपुरा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 18.22 | .. | 18.22 * | 18.22 | .. |
| योग - 11 | 18.22 | .. | 18.22 | 18.22 | .. |
| 12. गोपालपुरा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 25.22 | .. | 25.22 * | 25.22 | .. |
| योग - 12 | 25.22 | .. | 25.22 | 25.22 | .. |
| 21. परवन परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 0.71 | .. | 0.71 * | 0.71 | .. |
| योग - 21 | 0.71 | .. | 0.71 | 0.71 | .. |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 23. पांचना परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव और मरम्मत | 4.79 | .. | 4.79 | 2.46 | (+) 94.72 |
| 800. अन्य व्यय | 12,37.80 | .. | 12,37.80 * | 12,37.80 | .. |
| योग - 23 | 12,42.59 | .. | 12,42.59 | 12,40.26 | (+) 0.19 |
| 24. सोम कमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 2,78.87 | .. | 2,78.87 | 2,63.17 | (+) 5.97 |
| 800. अन्य व्यय | 21,68.36 | .. | 21,68.36 * | 21,39.27 | (+) 1.36 |
| योग - 24 | 24,47.23 | .. | 24,47.23 | 24,02.44 | (+) 1.86 |
| 25. डाया परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 14.01 | .. | 14.01 * | 14.01 | .. |
| योग - 25 | 14.01 | .. | 14.01 | 14.01 | .. |
| 26. झाडोल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 9.36 | .. | 9.36 * | 9.36 | .. |
| योग - 26 | 9.36 | .. | 9.36 | 9.36 | .. |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|-----------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 27. वागन डाइवर्सन परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 73.05 | .. | 73.05 | 73.84 | (-) 1.07 |
| 800. अन्य व्यय | 1,39.66 | .. | 1,39.66 * | 1,39.66 | .. |
| योग - 27 | 2,12.71 | .. | 2,12.71 | 2,13.50 | (-) 0.37 |
| 28. लसाडिया परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 61.93 | .. | 61.93 * | 31.94 | (+) 93.89 |
| योग - 28 | 61.93 | .. | 61.93 | 31.94 | (+) 93.89 |
| 29. सोमकागदार परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 2,77.39 | .. | 2,77.39 * | 2,38.89 | (+) 16.12 |
| योग - 29 | 2,77.39 | .. | 2,77.39 | 2,38.89 | (+) 16.12 |
| 30. भीम सागर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 95.02 | .. | 95.02 | 91.29 | (+) 4.09 |
| 800. अन्य व्यय | 2,39.41 | .. | 2,39.41 * | 2,39.41 | .. |
| योग - 30 | 3,34.43 | .. | 3,34.43 | 3,30.70 | (+) 1.13 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण - (क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई - (क्रमशः) | | | | | |
| 31. कोठारी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 44.79 | .. | 44.79 | 44.27 | (+) 1.17 |
| 800. अन्य व्यय | 1,11.98 | .. | 1,11.98 * | 1,11.98 | .. |
| योग - 31 | 1,56.77 | .. | 1,56.77 | 1,56.25 | (+) 0.33 |
| 32. गोकुंडा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 9.92 | .. | 9.92 * | 9.92 | .. |
| योग - 32 | 9.92 | .. | 9.92 | 9.92 | .. |
| 33. बस्सी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 80.54 | .. | 80.54 | 86.53 | (-) 6.92 |
| 800. अन्य व्यय | 1,13.50 | .. | 1,13.50 * | 1,13.09 | (+) 0.36 |
| योग - 33 | 1,94.04 | .. | 1,94.04 | 1,99.62 | (-) 2.80 |
| 34. खारी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 96.89 | .. | 96.89 * | 96.89 | .. |
| योग - 34 | 96.89 | .. | 96.89 | 96.89 | .. |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 35. छापी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 51.81 | .. | 51.81 | 68.13 | (-) 23.95 |
| 800. अन्य व्यय | 10,70.48 | .. | 10,70.48 * | 10,70.48 | .. |
| योग - 35 | 11,22.29 | .. | 11,22.29 | 11,38.61 | (-) 1.43 |
| 37. बिलास परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 2,18.89 | .. | 2,18.89 * | 2,18.89 | .. |
| योग - 37 | 2,18.89 | .. | 2,18.89 | 2,18.89 | .. |
| 38. सावनभादों परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 97.94 | .. | 97.94 | 96.74 | (+) 1.24 |
| 800. अन्य व्यय | 4,08.11 | .. | 4,08.11 * | 4,08.11 | .. |
| योग - 38 | 5,06.05 | .. | 5,06.05 | 5,04.85 | (+) 0.24 |
| 40. सुकली परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 4.03 | .. | 4.03 | 20.83 | (-) 80.65 |
| 800. अन्य व्यय | 4,44.88 | .. | 4,44.88 * | 4,44.88 | .. |
| योग - 40 | 4,48.91 | .. | 4,48.91 | 4,65.71 | (-) 3.61 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 41. बादिसेंदरा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 2.40 | .. | 2.40 | 2.46 | (-) 2.44 |
| 800. अन्य व्यय | 3,36.66 | .. | 3,36.66 * | 3,36.53 | (+) 0.04 |
| योग - 41 | 3,39.06 | .. | 3,39.06 | 3,38.99 | (+) 0.02 |
| 42. कानोता परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 0.16 | .. | 0.16 * | 0.16 | .. |
| योग - 42 | 0.16 | .. | 0.16 | 0.16 | .. |
| 43. चंवली परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 69.78 | .. | 69.78 | 63.49 | (+) 9.91 |
| 800. अन्य व्यय | 10,17.07 | .. | 10,17.07 * | 10,17.07 | .. |
| योग - 43 | 10,86.85 | .. | 10,86.85 | 10,80.56 | (+) 0.58 |
| 44. गंभीरी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 2.36 | .. | 2.36 | 41.31 | (-) 94.29 |
| 800. अन्य व्यय | 1,46.62 | .. | 1,46.62 * | 1,46.62 | .. |
| योग - 44 | 1,48.98 | .. | 1,48.98 | 1,87.93 | (-) 20.73 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 45. जयसमद परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 3.60 | .. | 3.60 | 4.93 | (-) 26.98 |
| 800. अन्य व्यय | 1,45.86 | .. | 1,45.86 * | 1,45.86 | .. |
| योग - 45 | 1,49.46 | .. | 1,49.46 | 1,50.79 | (-) 0.88 |
| 46. माषी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 6.12 | .. | 6.12 * | 6.12 | .. |
| योग - 46 | 6.12 | .. | 6.12 | 6.12 | .. |
| 47. गलवा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 1,79.19 | .. | 1,79.19 * | 1,79.19 | .. |
| योग - 47 | 1,79.19 | .. | 1,79.19 | 1,79.19 | .. |
| 48. उदय सागर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 2.40 | .. | 2.40 | .. | .. |
| योग - 47 | 2.40 | .. | 2.40 | .. | .. |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|--------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः :) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण - (क्रमशः :) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई - (क्रमशः :) | | | | | |
| 49. छापरवाड़ा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 0.28 | .. | 0.28 * | 0.28 | .. |
| योग - 49 | 0.28 | .. | 0.28 | 0.28 | .. |
| 50. कालख परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 0.10 | .. | 0.10 * | 0.10 | .. |
| योग - 50 | 0.10 | .. | 0.10 | 0.10 | .. |
| 53. पारबती परियोजना (कोटा) (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 0.70 | .. | 0.70 * | 0.70 | .. |
| योग - 53 | 0.70 | .. | 0.70 | 0.70 | .. |
| 55. टैंक परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 2.84 | .. | 2.84 * | 2.84 | .. |
| योग - 55 | 2.84 | .. | 2.84 | 2.84 | .. |
| 56. कालीसिल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 2.95 | .. | 2.95 * | 2.95 | .. |
| योग - 56 | 2.95 | .. | 2.95 | 2.95 | .. |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 57. मातृ कुण्डिया परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 32.39 | .. | 32.39 * | 32.39 | .. |
| योग - 57 | 32.39 | .. | 32.39 | 32.39 | .. |
| 58. नारायण सागर (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 6.15 | .. | 6.15 * | 6.15 | .. |
| योग - 58 | 6.15 | .. | 6.15 | 6.15 | .. |
| 59. अन्य परियोजनाएं (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 33.84 | .. | 33.84 * | 33.84 | .. |
| योग - 59 | 33.84 | .. | 33.84 | 33.84 | .. |
| 60. बेथलि परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 2.23 | .. | 2.23 | 20.93 | (-) 89.35 |
| 800. अन्य व्यय | 5,21.36 | .. | 5,21.36 * | 5,21.36 | .. |
| योग- 60 | 5,23.59 | .. | 5,23.59 | 5,42.29 | (-) 3.45 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का घातक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 9,95.82 | .. | 9,95.82 * | 8,13.53 | (+) 22.41 |
| योग- 62 | 9,95.82 | .. | 9,95.82 | 8,13.53 | (+) 22.41 |
| 63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 12,22.57 | .. | 12,22.57 * | 12,19.68 | (+) 0.24 |
| योग- 63 | 12,22.57 | .. | 12,22.57 | 12,19.68 | (+) 0.24 |
| 64. परवन लिफ्ट (अवाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 1,99.56 | .. | 1,99.56 | 2,11.51 | (-) 5.65 |
| योग- 64 | 1,99.56 | .. | 1,99.56 | 2,11.51 | (-) 5.65 |
| 65. हरिश्चन्द्र सागर (अवाणिज्यिक) | | | | | |
| 101. रखरखाव एवं मरम्मत | 29.62 | .. | 29.62 | 27.27 | (+) 8.62 |
| योग- 65 | 29.62 | .. | 29.62 | 27.27 | (+) 8.62 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः) | | | | | |
| 66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 10,70.79 | .. | 10,70.79 * | 9,20.26 | (+) 16.36 |
| योग- 66 | 10,70.79 | .. | 10,70.79 | 9,20.26 | (+) 16.36 |
| 67. लहासी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 11,34.01 | .. | 11,34.01 * | 10,04.89 | (+) 12.85 |
| योग - 67 | 11,34.01 | .. | 11,34.01 | 10,04.89 | (+) 12.85 |
| 68. मनोहर थाना परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 2.73 | .. | 2.73 * | 2.68 | (+) 1.87 |
| योग - 68 | 2.73 | .. | 2.73 | 2.68 | (+) 1.87 |
| 69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 3,08.75 | .. | 3,08.75 * | 1,10.31 | (+) 179.89 |
| योग - 69 | 3,08.75 | .. | 3,08.75 | 1,10.31 | (+) 179.89 |
| 71. पीपाड़ परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 6,89.74 | .. | 6,89.74 * | 6,54.61 | (+) 5.37 |
| योग-71 | 6,89.74 | .. | 6,89.74 | 6,54.61 | (+) 5.37 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं --(क्रमशः) (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण --(क्रमशः :) | | | | | |
| 2701. मध्यम सिंचाई --(समाप्त) | | | | | |
| 72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 9,34.48 | .. | 9,34.48 * | 8,18.24 | (+) 14.21 |
| योग- 72 | 9,34.48 | .. | 9,34.48 | 8,18.24 | (+) 14.21 |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 5.58 8,69.27 | .. | 8,74.85 | 18,15.61 | (-) 51.82 |
| 002. आंकड़ा संग्रहण | .. | 32.47 | 32.47 | 18.38 | (+) 76.66 |
| 003. प्रशिक्षण | .. | 14.50 | 14.50 | 8,60.60 | (-) 98.32 |
| 004. अनुसंधान | 1,87.30 | .. | 1,87.30 | 1,96.13 | (-) 4.50 |
| 005. सर्वेक्षण तथा अन्वेषण | .. | 16,90.76 | 16,90.76 | 16,83.02 | (+) 0.46 |
| 006. गुणवत्ता नियंत्रण | .. | 11,42.35 | 11,42.35 | 9,28.19 | (+) 23.07 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | 4,40.38 | .. | 4,40.38 | 3,35.27 | (+) 31.35 |
| 197. ब्लाक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | 4,91.43 | .. | 4,91.43 | 2,40.14 | (+) 104.64 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 2,95.53 | 2,95.53 | 1,92.83 | (+) 53.26 |
| 799. उच्चत | (-) 5.16 | .. | (-) 5.16 | 6.43 | (-) 180.25 |
| 800. अन्य व्यय | 15,16.34 | .. | 15,16.34 (क) | 15,06.96 | (+) 0.62 |
| योग- 80 | 5.58 34,99.56 | 31,75.61 | 66,80.75 | 77,83.56 | (-) 14.17 |
| योग- 2701 | 5.58 2,23,75.29 | 31,75.61 | 2,55,56.48 | 2,59,61.26 | (-) 1.56 |

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

(क) इसमें उपनिवेशन योजनाओं पर ₹ 15,14.09 लाख का व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) | |
|--|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|-----------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः) | | | | | | |
| 2702. लघु सिंचाई | | | | | | |
| 01. सतही जल | | | | | | |
| 197. ब्लाक पंचायतों /जिला स्तरीय की पंचायतों को सहायता | 6,94.54 | .. | 6,94.54 | 6,56.24 | (+) 5.84 | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 15,24.46 | 15,24.46 | 6,26.90 | (+) 143.17 | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 8,37.03 | 8,37.03 | 5,90.13 | (+) 41.84 | |
| 800. अन्य व्यय | 68,35.02 | 16,98.07 | 85,33.09 (क) | 82,78.08 | (+) 3.08 | |
| | योग- 01 | 75,29.56 | 40,59.56 | 1,15,89.12 | 1,01,51.35 | (+) 14.16 |
| 02. भू-जल | | | | | | |
| 005. अन्वेषण | 12,62.09 | .. | 12,62.09 | 12,64.84 | (-) 0.22 | |
| | योग- 02 | 12,62.09 | .. | 12,62.09 | 12,64.84 | (-) 0.22 |
| 03. रखरखाव | | | | | | |
| 103. ट्यूब वैल्स | 3.65 48,14.42 | .. | 48,18.07 | 47,45.38 | (+) 1.53 | |
| | योग - 03 | 3.65 48,14.42 | .. | 48,18.07 | 47,45.38 | (+) 1.53 |
| | योग - 2702 | 3.65 1,36,06.07 | 40,59.56 | 1,76,69.28 | 1,61,61.57 | (+) 9.33 |

(क) इसमें निवेशन (₹ 54,02.59 लाख), लिफ्ट सिंचाई योजना (₹ 3,40.48 लाख), राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम (₹ 14,49.93 लाख) तथा लघु सिंचाई के पुर्नवास (₹ 2,48.14 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण-(समाप्त) | | | | | |
| 2705. कमान क्षेत्र विकास | | | | | |
| 101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास | 46.68 | 2,14.57 | 2,61.25 | 15,79.51 | (-) 83.46 |
| 102. चम्बल क्षेत्र का विकास | 4,70.09 | 5,05.40 | 9,75.49 | 9,45.97 | (+) 3.12 |
| 107. गंग नहर परियोजना | .. | 5,25.30 | 5,25.30 | 5,52.52 | (-) 4.93 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 1,69.79 | 1,69.79 | 1,97.16 | (-) 13.88 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 0.99 | 0.99 | .. | .. |
| योग - 2705 | 5,16.77 | 14,16.05 | 19,32.82 | 32,75.16 | (-) 40.99 |
| योग -(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 9.25 16,31,07.40 | 88,12.62 | 17,19,29.27 | 16,72,20.25 | (+) 2.82 |
| (ङ) ऊर्जा | | | | | |
| 2801. बिजली | | | | | |
| 06. ग्रामीण विद्युतीकरण | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | .. | .. | 1,26.00 | (-) 100.00 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | 4,00.00 | (-) 100.00 |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | 5,74.00 | (-) 100.00 |
| योग - 06 | .. | .. | .. | 11,00.00 | (-) 100.00 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|---------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (ङ) ऊर्जा -(क्रमशः) | | | | | |
| 2801. बिजली -(समाप्त) | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | 86,73,40.02 | 4,41,00.00 | 91,14,40.02 | 67,87,34.44 | (+) 34.29 |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | 4,20,04.07 | (-) 100.00 |
| योग - 80 | 86,73,40.02 | 4,41,00.00 | 91,14,40.02 | 72,07,38.51 | (+) 26.46 |
| योग - 2801 | 86,73,40.02 | 4,41,00.00 | 91,14,40.02 | 72,18,38.51 | (+) 26.27 |
| 2802. पेट्रोलियम | | | | | |
| 01. कच्चे तेल तथा गैस की खोज तथा उत्पादन | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 83.14 | .. | 83.14 | 88.11 | (-) 5.64 |
| योग - 01 | 83.14 | .. | 83.14 | 88.11 | (-) 5.64 |
| 02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन | | | | | |
| 101. तेल का परिष्करण | .. | (-) 12.44 | (-) 12.44 (क) | 15.00 | (-) 182.93 |
| योग - 02 | .. | (-) 12.44 | (-) 12.44 | 15.00 | (-) 182.93 |
| योग - 2802 | 83.14 | (-) 12.44 | 70.70 | 1,03.11 | (-) 31.43 |

(क) ऋण व्यय, राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा ₹13,95,479 जमा कराने के कारण हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (ङ) ऊर्जा -(समाप्त) | | | | | |
| 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा | | | | | |
| 60. अन्य | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 55.02 | 1,95.79 | 2,50.81 | 52.03 | (+) 382.05 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 42.60 | 42.60 | .. | .. |
| योग-2810 | 55.02 | 2,38.39 | 2,93.41 | 52.03 | (+) 463.92 |
| योग -(ङ) ऊर्जा | 86,74,78.18 | 4,43,25.95 | 91,18,04.13 | 72,19,93.65 | (+) 26.29 |
| | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज | | | | | |
| 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 88.46 | .. | 88.46 | 88.03 | (+) 0.49 |
| 102. लघु उद्योग | .. | 2,23.34 | 2,23.34 | 2,11.79 | (+) 5.45 |
| 103. हथकरघा उद्योग | .. | 70.99 | 70.99 | 10,02.89 | (-) 92.92 |
| 104. हस्तशिल्प उद्योग | .. | 62.48 | 62.48 | 61.84 | (+) 1.03 |
| 105. खादी तथा ग्रामोद्योग | 31,45.00 | 5,11.55 | 36,56.55 | 47,95.15 | (-) 23.74 |
| 110. सम्मिश्र ग्राम एवं लघु उद्योग तथा सहकारी समितियां | .. | 1.60 | 1.60 | 1.47 | (+) 8.84 |
| 111. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार योजना | .. | 3,36.32 | 3,36.32 | 59.63 | (+) 464.01 |
| 200. अन्य ग्रामोद्योग | .. | 37.87 | 37.87 | 29.08 | (+) 30.23 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना | .. | 3,25.51 | 3,25.51 | 15,96.03 | (-) 79.61 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) उद्योग तथा खनिज -(क्रमशः) | | | | | |
| 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग -(समाप्त) | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 2,24.83 | 2,24.83 | 2,37.39 | (-) 5.29 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 14,44.73 | 14,44.73 (क) | 10,54.67 | (+) 36.98 |
| योग - 2851 | 32,33.46 | 32,39.22 | 64,72.68 | 91,37.97 | (-) 29.17 |
| 2852. उद्योग | | | | | |
| 08. उपभोक्ता उद्योग | | | | | |
| 600. अन्य | 23.43 | .. | 23.43 | 21.81 | (+) 7.43 |
| योग - 08 | 23.43 | .. | 23.43 | 21.81 | (+) 7.43 |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 36,68.71 | 25.50 | 36,94.21 | 36,60.07 | (+) 0.93 |
| 003. औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | .. | 3,87.51 | 3,87.51 | 4,43.86 | (-) 12.70 |
| 102. औद्योगिक उत्पादकता | .. | 35,29.29 | 35,29.29 | 22,50.64 | (+) 56.81 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 1,56.00 | 1,56.00 | 2,46.36 | (-) 36.68 |

(क) व्यय राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन से संबंधित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) | | | | | |
| (घ) उद्योग तथा खनिज -(क्रमशः) | | | | | |
| 2852. उद्योग-(समाप्त) | | | | | |
| 80. सामान्य -(समाप्त) | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 85.41 | 1,12.68 | 1,98.09 | 2,38.66 | (-) 17.00 |
| योग - 80 | 37,54.12 | 42,10.98 | 79,65.10 | 68,39.59 | (+) 16.46 |
| योग - 2852 | 37,77.55 | 42,10.98 | 79,88.53 | 68,61.40 | (+) 16.43 |
| 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | | | | | |
| 02. खानों का विनियमन तथा विकास | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 75,84.10 | 9,88.81 | 85,72.91 | 75,81.64 | (+) 13.07 |
| 101. सर्वेक्षण तथा मानचित्रण | 53.20 | 42.17 | 95.37 | 79.60 | (+) 19.81 |
| 102. खनिज खोज (समन्वेषण) | 7,62.24 | 33.65 | 7,95.89 | 7,36.00 | (+) 8.14 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 87.50 | 87.50 | 26.09 | (+) 235.38 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 52.60 | 1,19.32 | 1,71.92 | 83.62 | (+) 105.60 |
| 797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण | .. | .. | .. | 24,70.68 | (-) 100.00 |
| 800. अन्य व्यय | 7,11.98 | .. | 7,11.98 (क) | 13,64.68 | (-) 47.83 |
| 902. घटाइये-वापसियां | (-) 7,11.98 | .. | (-) 7,11.98 | (-) 13,64.68 | (-) 47.83 |
| योग - 2853 | 84,52.14 | 12,71.45 | 97,23.59 | 1,09,77.63 | (-) 11.42 |

(क) व्यय खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय से सम्बन्धित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमश) | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज -(समाप्त) | | | | | |
| 2875. अन्य उद्योग | | | | | |
| 60. अन्य उद्योग | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | .. | .. | .. | 2,00.00 | (-) 100.00 |
| योग - 2875 | .. | .. | .. | 2,00.00 | (-) 100.00 |
| योग -(च) उद्योग तथा खनिज | 1,54,63.15 | 87,21.65 | 2,41,84.80 | 2,71,77.00 | (-) 11.01 |
| (छ) परिवहन | | | | | |
| 3054. सड़क तथा सेतु | | | | | |
| 02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें | | | | | |
| 337. सड़क निर्माण-कार्य | 2,23,28.54 | .. | 2,23,28.54 | 2,20,82.96 | (+) 1.11 |
| योग -02 | 2,23,28.54 | .. | 2,23,28.54 | 2,20,82.96 | (+) 1.11 |
| 03. राजकीय राजमार्ग | | | | | |
| 337. सड़क निर्माण-कार्य | 1,69.28 45,38.63 | .. | 47,07.91 | 50,01.89 | (-) 5.88 |
| योग - 03 | 1,69.28 45,38.63 | .. | 47,07.91 | 50,01.89 | (-) 5.88 |
| 04. जिला तथा अन्य सड़कें | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | 6,63,99.81 | 5,87.05 | 6,69,86.86 (क) | 6,25,55.15 | (+) 7.08 |
| योग - 04 | 6,63,99.81 | 5,87.05 | 6,69,86.86 | 6,25,55.15 | (+) 7.08 |

(क) इसमें जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें तथा महानगरीय सड़कों का व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (छ) परिवहन - (समाप्त) | | | | | |
| 3054. सड़क तथा सेतु - (समाप्त) | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 38,07.22 | .. | 38,07.22 | 34,94.83 | (+) 8.94 |
| 107. रेल सुरक्षा निर्माण कार्य | 1,47.99 | .. | 1,47.99 | 89.62 | (+) 65.13 |
| 797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण | .. | 5,66,44.40 | 5,66,44.40 (क) | 4,96,22.00 | (+) 14.15 |
| 800. अन्य व्यय | 1,87.44 | .. | 1,87.44 | 2,14.33 | (-) 12.55 |
| योग - 80 | 41,42.65 | 5,66,44.40 | 6,07,87.05 | 5,34,20.78 | (+) 13.79 |
| योग - 3054 | 1,69.28 9,74,09.63 | 5,72,31.45 | 15,48,10.36 | 14,30,60.78 | (+) 8.21 |
| 3055. सड़क परिवहन | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | 1,73,25.23 | 99,84.98 | 2,73,10.21 | 5,63.00 | (+) 4750.84 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 3,45.95 | 3,45.95 | .. | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 3,43.40 | 3,43.40 | .. | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | 16,28.98 | 16,28.98 (ख) | 1,74,03.23 | (-) 90.64 |
| योग - 3055 | 1,73,25.23 | 1,23,03.31 | 2,96,28.54 | 1,79,66.23 | (+) 64.91 |
| योग - (छ) परिवहन | 1,69.28 11,47,34.86 | 6,95,34.76 | 18,44,38.90 | 16,10,27.01 | (+) 14.54 |

(क) शीर्ष "8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अंशदान" तथा "8225-02-101 राज्य सड़क एवं सेतु निधि" को अंतरण।

(ख) इसमें राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (₹ 16,28.90 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः) | | | | | |
| (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | | | | | |
| 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | | | | | |
| 01. भारतीय सर्वेक्षण | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 14.12 | 14.12 | 45.55 | (-) 69.00 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 3.80 | 3.80 | 46.59 | (-) 91.84 |
| 800. अन्य व्यय | 4,78.84 | 4,48.47 | 9,27.31 (क) | 12,80.05 | (-) 27.56 |
| योग - 01 | 4,78.84 | 4,66.39 | 9,45.23 | 13,72.19 | (-) 31.12 |
| 60. अन्य | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | 22.47 | (-) 100.00 |
| योग - 3425 | 4,78.84 | 4,66.39 | 9,45.23 | 13,94.66 | (-) 32.23 |
| 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण | | | | | |
| 03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद् भवन | | | | | |
| 102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय | 92.44 | 35,39.38 | 36,31.82 | 5,07.97 | (+) 614.97 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 0.45 | 0.45 | .. | .. |
| योग - 3435 | 92.44 | 35,39.83 | 36,32.27 | 5,07.97 | (+) 615.06 |
| योग - (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 5,71.28 | 40,06.22 | 45,77.50 | 19,02.63 | (+) 140.59 |

(क) इसमें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (₹ 5,94.35 लाख) तथा विज्ञान, संचार तथा ख्याति (₹ 2,25.18 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं | | | | | |
| 3451. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | | | | | |
| 090. सचिवालय | 22,78.24 | 4,26.05 | 27,04.29 | 24,63.42 | (+) 9.78 |
| 102. जिला योजना संगठन | .. | 55,84.64 | 55,84.64 | 45,00.00 | (+) 24.10 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 22,00.00 | 22,00.00 | 15,00.00 | (+) 46.67 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 33,00.00 | 33,00.00 | 15,00.00 | (+) 120.00 |
| | योग - 3451 | 22,78.24 | 1,15,10.69 | 99,63.42 | (+) 38.40 |
| 3452. पर्यटन | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 6,97.76 | 3,45.95 | 10,43.71 | 9,87.52 | (+) 5.69 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 1,66.02 | 1,66.02 | 3,49.12 | (-) 52.45 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,74.79 | 1,74.79 | 1,34.98 | (+) 29.49 |
| 800. अन्य व्यय | 25.00 | 10,09.67 | 10,34.67 (क) | 11,15.08 | (-) 7.21 |
| | योग - 3452 | 7,22.76 | 16,96.43 | 25,86.70 | (-) 6.48 |
| 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | | | | | |
| 02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | | | | | |
| 111. जन्म मृत्यु सांख्यिकी | 71.28 | 17.93 | 89.21 | 85.55 | (+) 4.28 |
| 201. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन | 2,37.18 | 8,46.73 | 10,83.91 | 26,21.56 | (-) 58.65 |

(क) इसमें पर्यटक सूचना तथा प्रचार पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) | | | | | |
| 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी -(समाप्त) | | | | | |
| 02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी -(समाप्त) | | | | | |
| 203. कम्प्यूटर सेवाएं | 4,12.89 | 3,47,29.39 | 3,51,42.28 | 32,57.04 | (+) 978.96 |
| 204. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन | 17,46.72 | 7,83.02 | 25,29.74 | 21,54.26 | (+) 17.43 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 56,21.71 | 56,21.71 | 6,29.04 | (+) 793.70 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 41,25.54 | 41,25.54 | 4,31.08 | (+) 857.02 |
| 800. अन्य व्यय | 3,64.96 | 1,65.11 | 5,30.07 (क) | 5,32.24 | (-) 0.41 |
| योग - 02 | 28,33.03 | 4,62,89.43 | 4,91,22.46 | 97,10.77 | (+) 405.86 |
| योग - 3454 | 28,33.03 | 4,62,89.43 | 4,91,22.46 | 97,10.77 | (+) 405.86 |
| 3456. सिविल पूर्ति | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 40,61.21 | 1,16.46 | 41,77.67 | 38,07.80 | (+) 9.71 |
| 102. नागरिक पूर्ति योजना | 24.30 | 5,19,04.94 | 5,19,29.24 | 5,38,65.27 | (-) 3.59 |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | .. | .. | .. | 1,35,00.00 | (-) 100.00 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 1,58,94.54 | 1,58,94.54 | 1,01,51.82 | (+) 56.57 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,13,12.67 | 1,13,12.67 | 67,42.47 | (+) 67.78 |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | 10,00.00 | (-) 100.00 |
| योग - 3456 | 40,85.51 | 7,92,28.61 | 8,33,14.12 | 8,90,67.36 | (-) 6.46 |

(क) इसमें पुर्नमुल्यांकन संगठन (₹ 3,70.74 लाख) तथा योजना (जन शक्ति) विभाग (₹ 1,59.33 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|--|---------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाएं -(समाप्त) | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं -(समाप्त) | | | | | |
| 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | | | | | |
| 106. भार और माप का विनियमन | 2,58.41 | 12.73 | 2,71.14 | 2,57.56 | (+) 5.27 |
| 108. शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम | .. | 1,18.94 | 1,18.94 | 1,89.49 | (-) 37.23 |
| 191. नगर निगम को सहायता | .. | 26,67.26 | 26,67.26 | 1,89.44 | (+) 1307.97 |
| 192. नगरपालिका/नगर परिषदों को सहायता | .. | 39,96.77 | 39,96.77 | 8,86.40 | (+) 350.90 |
| 201. भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर) | 9.73 | .. | 9.73 | 9.88 | (-) 1.52 |
| योग - 3475 | 2,68.14 | 67,95.70 | 70,63.84 | 15,32.77 | (+) 360.85 |
| योग-(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं | 1,01,87.68 | 14,55,20.86 | 15,57,08.54 | 11,28,61.02 | (+) 37.96 |
| योग - ग. आर्थिक सेवाएं | 2,56.74 1,49,59,52.44 | 1,39,58,24.71 | 2,89,20,33.89 | 2,04,35,59.12 | (+) 41.52 |

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

| व्यय की प्रकृति | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ.यो.सहित) | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान | | | | | |
| 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन | | | | | |
| 101. भू - राजस्व | 8.62 | .. | 8.62 | 19.47 | (-) 55.73 |
| 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता | .. | .. | .. | 5,62.78 | (-) 100.00 |
| 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता | .. | .. | .. | 22,48.96 | (-) 100.00 |
| 198. ग्राम पंचायतों को सहायता | .. | .. | .. | 2,20,37.98 | (-) 100.00 |
| योग - 3604 | 8.62 | .. | 8.62 | 2,48,69.19 | (-) 99.97 |
| योग-घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान | 8.62 | .. | 8.62 | 2,48,69.19 | (-) 99.97 |
| योग - व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | 1,05,70,27.02 | 11.13 | 2,74,43,76.97 | 9,45,41,96.89 | (क) 7,55,09,58.64 |
| | 5,65,27,81.77 | | | | (+) 25.21 |

(क) इसमें सम्मिलित है :

- (i) "01-संवेतन" मद के भुगतान पर किया गया ₹ 2,30,19,87.25 लाख का व्यय (कुल राजस्व व्यय का 24.35%) नियंत्रक अधिकारी द्वारा मुख्य शीर्षवार किए गए संवेतन के भुगतान का विवरण इसी खण्ड के परिशिष्ट I में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विस्तृत शीर्ष "02- मजदूरी" द्वारा ₹ 4,78,43.96 लाख की मजदूरी भी वितरित की।
- (ii) ₹ 2,83,29,08.98 लाख का सहायतार्थ अनुदान [सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) ₹ 1,78,23,58.48 लाख, सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) ₹ 82,45,36.99 लाख, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान ₹ 12,45,00.34 लाख तथा ₹ 10,15,13.17 लाख की अन्य निधियां पंचायती राज संस्थाओं को लघु शीर्ष 191, 192, 196 तथा 197 के द्वारा जारी की गयी] स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों तथा अन्य संस्थाओं को जारी किया गया। सहायतार्थ अनुदान का ब्यौरा विवरण संख्या 10 तथा परिशिष्ट III में दिया गया है।
- (iii) सहाय्य पर ₹ 86,26,07.20 लाख का व्यय विस्तृत शीर्ष "91 सहाय्य" के माध्यम से हुआ। राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहाय्य का नियंत्रण अधिकारी वार ब्यौरा उपशीर्ष/समूह शीर्ष स्तर तक परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 15 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. राजस्व लेखा पर व्यय :- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 9,45,41,96.89 लाख) गत वर्ष (₹ 7,55,09,58.64 लाख) की तुलना में ₹ 1,90,32,38.25 लाख से बढ़ा। वृद्धि/कमी मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत थी :-

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राशि | टिप्पणी |
|---|-------------|--|
| | (₹ लाख में) | |
| वृद्धि | | |
| 2202. सामान्य शिक्षा | 40,57,38.41 | भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को निधि जारी करने, ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर पंचायतों को अधिक अनुदान जारी करने तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2505. ग्रामीण रोजगार | 33,07,95.49 | भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यकारी अधिकरणों के बजाय राज्य सरकार को मनरेगा के लिए निधियां जारी करने के कारण। |
| 2801. बिजली | 18,96,01.51 | पावर बॉण्ड्स पर ब्याज के विरुद्ध विद्युत कम्पनियों को अधिक सहाय्य जारी करने, विद्युत दरे नहीं बढ़ाने तथा वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम के अंतर्गत नकद सहायता के कारण। |
| 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ | 18,27,63.07 | सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान, परिवार पेंशन में वृद्धि तथा निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान में वृद्धि के कारण। |
| 2515. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 17,13,53.12 | जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर पंचायतों को अधिक सहायता के कारण। |
| 2049. ब्याज अदायगियाँ | 13,99,69.84 | बाजार कर्जों तथा जमाओं पर ब्याज के भुगतान के कारण। |
| 2211. परिवार कल्याण | 10,70,68.01 | शुभ लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन तथा भारत सरकार द्वारा कार्यकारी संस्थाओं को सीधे निधियों के हस्तान्तरण की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर राज्य संचित निधि के माध्यम से बढ़े हुए व्यय के कारण। |
| 2055. पुलिस | 6,23,58.95 | मुख्यतः अपराध शाखा, पुलिस दल, जिला पुलिस तथा फोरेसिक विज्ञान के आधुनिकीकरण के कारण। |
| 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 4,88,32.16 | वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय, ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्तीय स्तर पंचायतों को सहायता तथा राजस्थान स्वास्थ्य सेवा निगम को अनुदान जारी करने के कारण। |
| 3454. जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी | 3,94,11.69 | मुख्यतः कम्प्यूटर सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 3,92,72.69 | मुख्यतः बंजर भूमि विकास पर व्यय होने के कारण। |
| 2401. फसल कृषि कर्म | 3,12,80.94 | मुख्यतः फसल बीमा पर अधिक व्यय होने तथा जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को अधिक सहायता देने के कारण। |

विवरण संख्या 15 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (क्रमशः)

1. राजस्व लेखा पर व्यय :- (क्रमशः)

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राशि | टिप्पणी |
|----------------------------------|---------------|--|
| | (₹ लाख में) | |
| वृद्धि (क्रमशः) | | |
| 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 2,39,46.26 | मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2215. जलपूर्ति तथा सफाई | 2,29,52.41 | मुख्यतः जलापूर्ति योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2075. विविध सामान्य सेवाएं | 1,94,54.69 | गारन्टी मोचन निधि को गारन्टी शुल्क के अधिक स्थानान्तरण के कारण। |
| 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 1,81,40.47 | मुख्यतः नवीन/नवाचार योजनाओं पर व्यय तथा राजस्थान निवेश संवर्द्धन पॉलिसी के अन्तर्गत निवेश सहाय्य पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2425. सहकारिता | 1,60,49.58 | मुख्यतः सहकारिता के अच्छे ऋणियों/अच्छे देनदारों को ब्याज अनुदान के कारण। |
| 2230. श्रम तथा रोजगार | 1,40,71.21 | मुख्यतः श्रम कल्याण बोर्ड के भवन तथा अन्य निर्माण कार्य पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2217. शहरी विकास | 1,27,52.25 | मुख्यतः जयपुर मेट्रो रेल निगम को सहायता तथा नगर निगमों को अधिक अनुदान के कारण। |
| 2236. पोषण | 1,20,29.57 | ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर पंचायतों को अधिक सहायता के कारण। |
| 3054. सड़क तथा सेतु | 1,17,49.58 | मुख्यतः गत वर्ष की तुलना में केन्द्रीय सड़क निधि को अधिक अंतरण तथा जिला सड़कों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 3055. सड़क परिवहन | 1,16,62.31 | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अधिक अनुदान के कारण। |
| 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी | 97,86.41 | वेतन एवं भत्तों तथा अन्य वानिकी कार्यों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2014. न्याय प्रशासन | 80,90.69 | मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2029. भू- राजस्व | 69,17.73 | मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 3475. अन्य सामाजिक आर्थिक सेवाएं | 55,31.07 | नगर निगमों, नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को अधिक सहायता के कारण। |
| 2700. मुख्य सिंचाई | 49,48.43 | मुख्यतः विभिन्न मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक व्यय के कारण। |

विवरण संख्या 15 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (क्रमशः)

1. राजस्व लेखा पर व्यय :- (क्रमशः)

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राशि | टिप्पणी |
|--------------------------------------|---------------|--|
| | (₹ लाख में) | |
| वृद्धि (समाप्त) | | |
| 3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 38,25.51 | मुख्यतः राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना को अधिक अनुदान जारी करने तथा जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2056. जेल | 33,21.58 | मुख्यतः केन्द्रीय तथा जिला जेलों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 33,13.85 | मुख्यतः किसानों को कृषि उपकरणों को क्रय करने के लिए अधिक सहायता के कारण। |
| 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण | 31,24.30 | राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2053. जिला प्रशासन | 24,45.24 | मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 23,03.76 | मुख्यतः होमगार्ड्स तथा अतिथि गृहों/सरकारी छात्रावासों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2039. राज्य उत्पाद शुल्क | 22,88.75 | मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन | 20,32.37 | मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2041. वाहन कर | 19,07.45 | मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 15,61.48 | मुख्यतः कृषि विश्वविद्यालयों को अधिक अनुदान के कारण। |
| 2702. लघु सिंचाई | 15,07.71 | राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2402. मृदा तथा जल संरक्षण | 12,73.52 | जिला परिषदों/जिला स्तर पंचायतों को अधिक अनुदान के कारण। |
| 2852. उद्योग | 11,27.13 | मुख्यतः निर्यात संवर्द्धन के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2015. निर्वाचन | 9,27.17 | लोक सभा के चुनाव पर व्यय के कारण। |
| 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण | 4,60.49 | मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय के कारण। |

विवरण संख्या 15 - (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (समाप्त)

1. राजस्व लेखा पर व्यय :- (समाप्त)

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राशि | टिप्पणी |
|---|---------------|---|
| | (₹ लाख में) | |
| कमी | | |
| 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन | 2,48,60.57 | मुख्यतः गत वर्ष की तुलना में ग्राम पंचायतों को कम अनुदान के कारण। |
| 2404. डेरी विकास | 1,33,29.50 | राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन को गत वर्ष की तुलना में कम सहायता के कारण। |
| 2220. सूचना तथा प्रचार | 1,08,75.58 | विज्ञापनों आदि पर गत वर्ष की तुलना में कम व्यय के कारण। |
| 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | 90,59.65 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यक योजनाओं पर गत वर्ष की तुलना में कम व्यय के कारण। |
| 3456. सिविल पूर्ति | 57,53.24 | राजस्थान राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को निधियां जारी नहीं करने के कारण। 2013-14 के दौरान सरकार ने निगम को ₹ 1,35,00.00 लाख जारी किये हैं। |
| 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं | 42,40.09 | मुख्यतः वरिष्ठ नागरिक धार्मिक यात्रा योजना पर गत वर्ष की तुलना में कम व्यय के कारण। |
| 2851. ग्राम एवं लघु उद्योग | 26,65.29 | हथकरघा उद्योग तथा खादी तथा ग्रामोद्योग पर कम व्यय के कारण। |
| 2705. कमान क्षेत्र विकास | 13,42.34 | मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के विकास पर गत वर्ष की तुलना में कम व्यय के कारण। |
| 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 12,54.04 | खनिज क्षेत्र निधि में पर्यावरणीय सुधार हेतु निधियां अंतरण नहीं करने के कारण। |
| 2051. लोक सेवा आयोग | 12,01.73 | प्रतियोगी परीक्षाएँ कलेण्डर के अनुसार नहीं कराने के कारण कम व्यय तथा वृत्तिक और विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय के कारण। |

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध - लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण

| क्र.स. | समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी * | पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है) | “मुख्य शीर्ष 1601-02-101(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है) | इन योजनाओं पर हुआ आयोजना व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है) | घाटा/आधिक्य |
|--------|--|---|--|--|----------------|
| | | (₹ लाख में) | | | |
| 01. | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (100:00) | 6,95,28.00 | 6,95,28.00 | 7,17,33.17 | 22,05.17 |
| 02. | निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) (75:25) | 3,32,61.87 | 3,32,61.87 | 1,86,17.24 | (-) 1,46,44.63 |
| 03. | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) | 13,04,63.85 | 13,04,63.85 | 31,11,60.29 | 18,06,96.44 |
| 04. | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) | 11,56,11.66 | 10,88,86.99 | 18,23,05.06 | 7,34,18.07 |
| 05. | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)-जिला घटक (100:00) | 2,11,45.00 | 2,11,45.00 | 2,15,05.00 | 3,60.00 |
| 06. | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि(बी.आर.जी.एफ.)-राज्य घटक | .. | .. | .. | .. |
| 07. | एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) (90:10) | 4,03,85.76 | 4,03,85.76 | 4,21,27.11 | 17,41.35 |
| 08. | राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (आर.जी.पी.एस.वाई.) (75:25) | 11,55.62 | 11,55.62 | 15,21.92 | 3,66.30 |
| 09. | इंदिरा आवास योजना (आई. ए. बाई.) (75:25) | 4,13,85.73 | 4,13,85.73 | 5,67,04.89 | 1,53,19.16 |
| 10. | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (90:10) | 29,76,09.87 | 29,76,09.87 | 32,30,01.06 | 2,53,91.19 |
| 11. | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) (100:00) | 2,34,56.55 | 2,34,56.55 | 2,76,03.57 | 41,47.02 |

* राज्य सरकार से प्राप्त आयोजना बजट सम्बद्ध दस्तावेज (प्लान बजट लिंक डाक्यूमेंट) 2014-15 के अनुसार केन्द्र तथा राज्य निधिकरण अनुपात योजनाओं के विरुद्ध कोष्ठक में दर्शाया गया है। एक समावेशक योजना (अम्ब्रेला स्कीम) के अधीन जहाँ राज्य योजनाओं के अंतर्गत आयोजना बजट सम्बद्ध दस्तावेज में अलग अलग अनुपातों को दर्शाया गया है, निधिकरण अनुपात नहीं दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (क्रमशः)

| क्र.स. | समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी * | पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है) | “मुख्य शीर्ष 1601-02-101(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है) | इन योजनाओं पर हुआ आयोजना व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है) | घाटा/आधिक्य |
|--------|--|---|--|--|--------------|
| | | (₹ लाख में) | | | |
| 12. | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) (100:00) | 4,25,66.00 | 4,25,66.00 | 4,05,66.00 | (-) 20,00.00 |
| 13. | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) | 18,08.84 | 18,08.84 | 20,51.11 | 2,42.27 |
| 14. | मिड डे मील (एम.डी.एम.) (75:25) | 4,17,57.13 | 4,17,57.13 | 5,66,88.88 | 1,49,31.75 |
| 15. | सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) (65:35) | 24,80,41.55 | 24,80,41.55 | 37,10,65.14 | 12,30,23.59 |
| 16. | जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) | 30,79.00 | 31,06.40 | 2,09,03.54 | 1,77,97.14 |
| 17. | एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) | 7,45,87.69 | 7,45,87.69 | 9,08,61.77 | 1,62,74.08 |
| 18. | त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) | 11,96.00 | 11,96.00 | 2,95,83.09 | 2,83,87.09 |
| 19. | राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.ए.पी.) | 21,47.75 | 21,47.75 | 49,42.41 | 27,94.66 |
| 20. | सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) (100:00) | 1,01,40.15 | 1,01,40.15 | 1,03,12.80 | 1,72.65 |
| 21. | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 2,13,87.19 | 2,13,87.19 | 1,43,52.35 | (-) 70,34.84 |
| 22. | राष्ट्रीय बागवानी मिशन | 42,97.90 | 42,97.90 | 45,27.81 | 2,29.91 |
| 23. | राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (75:25) | 1,01,43.42 | 1,01,43.42 | 74,29.03 | (-) 27,14.39 |
| 24. | राष्ट्रीय तिलहन एवं आइलपाम मिशन | 47,84.85 | 47,84.85 | 29,87.29 | (-) 17,97.56 |

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (क्रमशः)

| क्र.स. | समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी * | पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है) | “मुख्य शीर्ष 1601-02-101(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है) | इन योजनाओं पर हुआ आयोजना व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है) | घाटा/आधिक्य |
|--------|--|---|--|--|-------------|
| | | (₹ लाख में) | | | |
| 25. | राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन | 26,20.53 | 26,20.53 | 23,48.70 | (-) 2,71.83 |
| 26. | राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना (75:25) | 6,15.97 | 6,15.97 | 1,15.00 | (-) 5,00.97 |
| 27. | राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम | 13,26.69 | 13,26.69 | 13,53.14 | 26.45 |
| 28. | राष्ट्रीय पशुधन प्रबंध कार्यक्रम | .. | .. | 3,45.00 | 3,45.00 |
| 29. | निर्यात हेतु आधारभूत विकास के लिए राज्य को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) (100:00) | 11,07.00 | 22,14.00 | 21,99.99 | (-) 14.01 |
| 30. | राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम | .. | .. | .. | .. |
| 31. | राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन) (75:25) | 5,40.09 | 5,40.09 | 5,84.99 | 44.90 |
| 32. | प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण (70:30) | 25,66.00 | 25,66.00 | 32,52.71 | 6,86.71 |
| 33. | वन्य जीव आवास हेतु समेकित विकास (100:00) | 3,67.29 | 3,67.29 | 6,74.65 | 3,07.36 |
| 34. | वाघ परियोजना (100:00) | 6,27.19 | 6,27.19 | 14,33.33 | 8,06.14 |
| 35. | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन | 53,05.26 | 53,05.26 | 90,07.58 | 37,02.32 |
| 36. | राष्ट्रीय आयुष मिशन मय औषधीय पादपों हेतु मिशन | 6,80.58 | 6,80.58 | 7,65.28 | 84.70 |
| 37. | राष्ट्रीय एड्स एवं यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम (100:00) | 21,00.39 | 21,00.39 | 21,00.39 | .. |

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (क्रमशः)

| क्र.स. | समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी * | पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है) | “मुख्य शीर्ष 1601-02-101(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है) | इन योजनाओं पर हुआ आयोजना व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है) | घाटा/आधिक्य |
|--------|--|---|--|--|--------------|
| | | (₹ लाख में) | | | |
| 38. | पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बल आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना | 47,64.00 | 47,64.00 | 11,71.91 | (-) 35,92.09 |
| 39. | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (75:25) | 42,01.04 | 42,01.04 | 67,82.97 | 25,81.93 |
| 40. | राजीव आवास योजना (एम.ओ.एच.पी.यू.ए.) | 87,56.68 | 95,54.07 | 1,74,71.67 | 79,17.60 |
| 41. | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) | 3,44,21.25 | 3,44,21.25 | 4,70,52.04 | 1,26,30.79 |
| 42. | शिक्षण विकास हेतु प्रोत्साहन मय अध्यापक प्रशिक्षण एवं पौढ शिक्षा | 54,53.57 | 54,53.57 | 1,26,65.03 | 72,11.46 |
| 43. | उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना कार्यक्रम (75:25) | 84,74.00 | 84,74.00 | 1,12,98.66 | 28,24.66 |
| 44. | मदरसा, अल्पसंख्यक एवं विशेष योग्यजन के लिए शिक्षा योजना | .. | .. | 53,50.64 | 53,50.64 |
| 45. | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान | 15,38.25 | 15,38.25 | 32,66.36 | 17,28.11 |
| 46. | कौशल विकास मिशन (100:00) | 1,45.53 | 1,45.53 | 38.01 | (-) 1,07.52 |
| 47. | असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (50:50) | 32,09.86 | 32,09.86 | 17,52.56 | (-) 14,57.30 |
| 48. | ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास | 71.78 | 71.78 | 61,55.96 | 60,84.18 |
| 49. | अल्पसंख्यकों के बहु आयामी विकास कार्यक्रम | 26,25.95 | 26,25.95 | 53,25.42 | 26,99.47 |
| 50. | राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबन्धन योजना (50:50) | .. | .. | 5,16.05 | 5,16.05 |
| 51. | अनुसूचित जातियों के लिए विकास योजना | 1,12,34.49 | 1,04,61.85 | 2,23,32.15 | 1,18,70.30 |

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (समाप्त)

| क्र.स. | समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी * | पब्लिक फाइनैस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है) | “मुख्य शीर्ष 1601-02-101(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है) | इन योजनाओं पर हुआ आयोजना व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है) | घाटा/आधिक्य |
|--------|---|--|--|--|--------------------|
| | | (₹ लाख में) | | | |
| 52. | अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, घूमंत तथा अर्द्ध घूमंत जनजाति की विकास योजना | 50,54.46 | 50,54.46 | 86,35.03 | 35,80.57 |
| 53. | आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विकास योजना (100:00) | 50.00 | 50.00 | 12,08.51 | 11,58.51 |
| 54. | प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना | .. | .. | .. | .. |
| 55. | विशेष योग्यजनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम | .. | .. | 45.26 | 45.26 |
| 56. | सांख्यिकी सुदृढीकरण के लिए सहायता (100:00) | .. | .. | 8,07.85 | 8,07.85 |
| 57. | राष्ट्रीय हाथकर्मा विकास कार्यक्रम | .. | .. | .. | .. |
| 58. | परिपथ एवं स्थानों का आधारभूत विकास | 12,09.25 | 12,09.25 | 25,52.34 | 13,43.09 |
| 59. | अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा हेतु समावेशक योजना (अम्ब्रेला योजना) | 88,23.34 | 88,23.34 | 2,18,11.17 | 1,29,87.83 |
| 60. | राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मय इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) | 38,30.94 | 38,30.94 | 23,13.73 | (-) 15,17.21 |
| 61. | एकीकृत बाल सुरक्षा कार्यक्रम (आई.सी.पी.एस.) (75:25) | 33,95.82 | 33,95.82 | 54,93.03 | 20,97.21 |
| 62. | राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला) (50:50) | 43,01.47 | 43,01.47 | 1,09,99.42 | 66,97.95 |
| 63. | पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (75:25) | .. | .. | .. | .. |
| 64. | राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (75:25) | 11,82.26 | 11,82.26 | 15,81.93 | 3,99.67 |
| 65. | राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) (58.33:41.67) | 4,72.63 | 4,72.63 | 7,11.03 | 2,38.40 |
| | | 1,37,10,14.94 | 1,36,54,49.42 | 1,93,40,70.02 | 56,86,20.60 |

विवरण संख्या 16 – लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण

तिरछे अंक प्रभारित व्यय के द्योतक हैं

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय* | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 039. राज्य उत्पाद शुल्क | .. | .. | .. | .. | 12.69 | .. |
| 800. अन्य व्यय | (-) 6,58.46 | .. | (-) 6,58.46 (क) | (-) 38,74.83 | 1,90.85.03 | (-) 83.01 |
| योग - 4047 | (-) 6,58.46 | .. | (-) 6,58.46 | (-) 38,74.83 | 1,90,97.72 | (-) 83.01 |
| 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | 50.00 | 50.00 (ख) | (-) 100.00 |
| योग - 190 | .. | .. | .. | 50.00 | 50.00 | (-) 100.00 |
| 211. पुलिस आवास | | | | | | |
| (01) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से | .. | 83.25 | 83.25 | .. | 76,97.09 | .. |
| (02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से | .. | 16,47.73 | 16,47.73 | 3,55.82 | 28,05.78 | (+) 363.08 |
| (03) आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से | .. | 63,98.08 | 63,98.08 | 67,30.80 | 4,83,21.33 | (-) 4.94 |
| योग - 211 | .. | 81,29.06 | 81,29.06 | 70,86.62 | 5,88,24.20 | (+) 14.71 |

* 2014-15 से राजस्थान राज्य के बजट में परिवर्तन के कारण केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय आयोजना योजनाओं तथा आयोजना भिन्न पर व्यय को अलग से नहीं दर्शाया जा सकता है।

(क) ऋण आंकड़े शीर्ष "8235" के अन्तर्गत रखी हुई राजस्थान राज्य निवेश निधि से सम्बन्धित राशि जमा कराने के कारण हैं।

(ख) पुलिस आवास तथा निर्माण निगम लिमिटेड में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | | | | | | |
| (02) पुलिस आवास | .. | 8,69.76 | 8,69.76 | 8,90.26 | 19,00.45 | (-) 2.30 |
| योग - 789 | .. | 8,69.76 | 8,69.76 | 8,90.26 | 19,00.45 | (-) 2.30 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | |
| (02) पुलिस आवास | .. | 13,81.60 | 13,81.60 | 13,81.60 | 29,49.05 | .. |
| योग - 796 | .. | 13,81.60 | 13,81.60 | 13,81.60 | 29,49.05 | .. |
| योग - 4055 | .. | 1,03,80.42 | 1,03,80.42 | 94,08.48 | 6,37,23.70 | (+) 10.33 |
| 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 103. सरकारी मुद्रणालय | | | | | | |
| | .. | 1,28.65 | 1,28.65 | 1,47.19 | 7,36.68 | (-) 12.60 |
| योग - 4058 | .. | 1,28.65 | 1,28.65 | 1,47.19 | 7,36.68 | (-) 12.60 |
| 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | 12.52 | 33,24.16 | 33,36.68 | 16,86.50 | 1,18,96.50 | (+) 97.85 |
| योग - 001 | 12.52 | 33,24.16 | 33,36.68 | 16,86.50 | 1,18,96.50 | (+) 97.85 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः) | | | | | | |
| 80. सामान्य- (क्रमशः) | | | | | | |
| 051. निर्माण | | | | | | |
| (01) सामान्य भवन (भू-राजस्व) | .. | 87,08.91 | 87,08.91 | 22,28.92 | 1,66,16.84 | (+) 290.72 |
| (02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं- सामान्य प्रशासनिक भवन) | .. | 19,74.01 | 19,74.01 | 12,60.91 | 1,74,60.62 | (+) 56.55 |
| (03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन) | .. | 85,05.64 | 85,05.64 | 86,54.28 | 3,97,20.50 | (-) 1.72 |
| (04) सामान्य भवन (जेल) | .. | 23,77.31 | 23,77.31 | 19,76.17 | 1,28,50.16 | (+) 20.30 |
| (05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन) | .. | 73,37.39 | 73,37.39 | 58,49.56 | 3,38,37.64 | (+) 25.43 |
| (06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन) | .. | 10,85.00 | 10,85.00 | .. | 25,23.45 | .. |
| (07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग) | .. | .. | .. | 33.48 | 6,86.29 | (-) 100.00 |
| (08) सामान्य भवन (गृह अभियोजन भवन) | .. | 1,75.20 | 1,75.20 | 66.71 | 3,10.39 | (+) 162.63 |
| (12) सामान्य भवन (लेखन सामग्री तथा मुद्रण) | .. | .. | .. | .. | 1,18.75 | .. |
| (13) सामान्य भवन (स्टाम्प तथा पंजीकरण विभाग) | .. | 4,54.49 | 4,54.49 | 1,51.01 | 11,07.66 | (+) 200.97 |
| (15) सामान्य भवन (राज्य उत्पाद शुल्क) | .. | 10,18.25 | 10,18.25 | 8,62.25 | 29,24.76 | (+) 18.09 |
| (16) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग) | .. | 2,32.00 | 2,32.00 | 2,67.99 | 17,00.59 | (-) 13.43 |
| (19) सामान्य भवन (जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार) | .. | .. | .. | .. | 1,31.29 | .. |
| (20) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग का निर्माण) | .. | .. | .. | .. | 3,59.18 | .. |
| (22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग) | .. | 5,93.38 | 5,93.38 | 6,19.48 | 45,91.97 | (-) 4.21 |
| (23) सामान्य भवन (योजना भवन का निर्माण) | .. | .. | .. | .. | 6,90.88 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः) | | | | | | |
| 80. सामान्य - (क्रमशः) | | | | | | |
| 051. निर्माण - (क्रमशः) | | | | | | |
| (26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय) | .. | 2.48 | 2.48 | 13.86 | 1,02.83 | (-) 82.11 |
| (27) सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण) | .. | .. | .. | .. | 92,44.76 | .. |
| (29) सामान्य भवन (यातायात भवनों का निर्माण) | .. | 7,60.02 | 7,60.02 | 6,64.54 | 36,59.49 | (+) 14.37 |
| (30) सामान्य भवन (राजभवन में निर्माण) | .. | 1,58.49 | 1,58.49 | 1,35.87 | 13,33.54 | (+) 16.65 |
| (31) सामान्य भवन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) | .. | 5,09.80 | 5,09.80 | 3,07.57 | 20,69.09 | (+) 65.75 |
| (33) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किये गये प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 13,14.61 | .. |
| (34) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बनने वाले भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 19,39.30 | .. |
| (35) सामान्य भवन (चुनाव विभाग के माध्यम से) | 1,13.80 | .. | 1,13.80 | 73.95 | 2,47.75 | (+) 53.89 |
| (36) कार्मिक (सचिवालय) विभाग के निर्माण कार्य | .. | 3,74.96 | 3,74.96 | 3,62.82 | 46,54.45 | (+) 3.35 |
| (38) स्थानीय निकाय विभाग | .. | .. | .. | .. | 3,16.59 | .. |
| (40) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग | .. | .. | .. | 29.52 | 9,04.51 | (-) 100.00 |
| (42) सामान्य भवन (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग) | .. | 5,93.78 | 5,93.78 | 4,10.60 | 14,92.12 | (+) 44.61 |
| (44) सामान्य भवन (राज्य सूचना आयोग) | .. | .. | .. | .. | 4,50.00 | .. |
| (47) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भवन) | .. | .. | .. | .. | 1,55.39 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः) | | | | | | |
| 80. सामान्य - (क्रमशः) | | | | | | |
| 051. निर्माण - (समाप्त) | | | | | | |
| (48) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किये गये न्यायिक भवन का निर्माण | 10,48.59 | .. | 10,48.59 | 10,98.35 | 39,28.66 | (-) 4.53 |
| (49) खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर | .. | .. | .. | .. | 2,45.76 | .. |
| (51) तेरहवें वित्त आयोग के तहत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निर्माण कार्य | .. | 3,08.51 | 3,08.51 | .. | 3,08.51 | .. |
| (52) सामान्य भवन (भू-प्रबन्ध विभाग) | .. | 2,33.66 | 2,33.66 | .. | 2,33.66 | .. |
| अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का | .. | 25.12 | 25.12 | 1.75 | 69,51.58 (क) | (+) 1335.43 |
| योग - 051 | 11,62.39 | 3,54,28.40 | 3,65,90.79 | 2,50,69.59 | 17,51,83.57 | (+) 45.96 |
| 052. मशीनरी तथा उपस्कर | 2.28 | 6,04.39 | 6,06.67 | 3,06.64 | 22,34.90 | (+) 97.84 |
| योग - 052 | 2.28 | 6,04.39 | 6,06.67 | 3,06.64 | 22,34.90 | (+) 97.84 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 3,81.94 | 3,81.94 | 1,00.51 | 9,11.91 | (+) 280.00 |
| योग - 789 | .. | 3,81.94 | 3,81.94 | 1,00.51 | 9,11.91 | (+) 280.00 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 21,48.13 | 21,48.13 | 3,87.13 | 28,29.38 | (+) 454.89 |
| योग - 796 | .. | 21,48.13 | 21,48.13 | 3,87.13 | 28,29.38 | (+) 454.89 |

(क) इसमें कार्यों की लागत का विचार किए बिना, अप्रचलित लेखा मदों पर व्यय से संबंधित राशि ₹ 34,21,73,366 सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 80. सामान्य - (समाप्त) | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 5.40 | .. |
| योग - 800 | .. | .. | .. | .. | 5.40 | .. |
| योग - 80 | 11,77.19 | 4,18,87.02 | 4,30,64.21 | 2,75,50.37 | 19,30,61.66 | (+) 56.31 |
| योग - 4059 | 11,77.19 | 4,18,87.02 | 4,30,64.21 | 2,75,50.37 | 19,30,61.66 | (+) 56.31 |
| 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 003. प्रशिक्षण | .. | 4,58.29 | 4,58.29 | 2,05.47 | 17,83.41 | (+) 123.04 |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 4,06.00 | .. |
| योग - 4070 | .. | 4,58.29 | 4,58.29 | 2,05.47 | 21,89.41 | (+) 123.04 |
| योग - क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 5,18.73 | 5,28,54.38 | 5,33,73.11 | 3,34,36.68 | 27,88,09.17 | (+) 59.62 |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. सामान्य शिक्षा | | | | | | |
| 201. प्रारम्भिक शिक्षा | .. | 23.07 | 23.07 | 1,81.05 | 2,12,94.70 | (-) 87.26 |
| 202. माध्यमिक शिक्षा | .. | 3,33.23 | 3,33.23 | 6,50.35 | 1,00,00.59 | (-) 48.76 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 01. सामान्य शिक्षा-(समाप्त) | | | | | | |
| 203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा | .. | 10,97.50 | 10,97.50 | 6,87.03 | 89,76.07 | (+) 59.75 |
| 204. प्रौढ़ शिक्षा | .. | .. | .. | .. | 2.88 | .. |
| 205. भाषा विकास | .. | .. | .. | .. | 1,17.79 | .. |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 1,13.95 | 1,13.95 | 1,81.85 | 4,11.45 | (-) 37.34 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,08.74 | 1,08.74 | 78.55 | 10,37.42 | (+) 38.43 |
| योग - 01 | .. | 16,76.49 | 16,76.49 | 17,78.83 | 4,18,40.90 | (-) 5.75 |
| 02. तकनीकी शिक्षा | | | | | | |
| 104. बहुशिल्प | .. | 8,31.88 | 8,31.88 | 24,01.13 | 3,21,14.88 | (-) 65.35 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 2,72.61 | 2,72.61 | 3,10.61 | 16,99.85 | (-) 12.23 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 4,27.50 | 4,27.50 | 3,25.55 | 16,54.46 | (+) 31.32 |
| योग - 02 | .. | 15,31.99 | 15,31.99 | 30,37.29 | 3,54,69.19 | (-) 49.56 |
| 03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं | | | | | | |
| 102. खेलकूद स्टेडिया | .. | 14,29.52 | 14,29.52 | 11,78.08 | 69,10.84 | (+) 21.34 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 4,37.43 | 4,37.43 | .. | 4,80.83 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 3,31.75 | 3,31.75 | .. | 4,71.74 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | |
| 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | |
| 03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं-(समाप्त) | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 1,32.21 | .. |
| योग - 03 | .. | 21,98.70 | 21,98.70 | 11,78.08 | 79,95.62 | (+) 86.63 |
| 04. कला तथा संस्कृति | | | | | | |
| 101. ललित कला शिक्षा | .. | .. | .. | .. | 6,07.76 | .. |
| 104. अभिलेखागार | .. | .. | .. | .. | 81.68 | .. |
| 105. सार्वजनिक पुस्तकालय | .. | 1,16.31 | 1,16.31 | 2,36.96 | 4,12.50 | (-) 50.92 |
| 106. संग्रहालय | .. | .. | .. | .. | 1,19,80.73 | .. |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 64.43 | 64.43 | 61.25 | 1,25.68 | (+) 5.19 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 52.78 | 52.78 | 43.75 | 96.53 | (+) 20.64 |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 2,11.00 | .. |
| कार्यों की लागत का विचार किए बिना अप्रचलित लेखा मदों से संबंधित अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 42.89 | .. |
| योग - 04 | .. | 2,33.52 | 2,33.52 | 3,41.96 | 1,35,58.77 | (-) 31.71 |
| योग - 4202 | .. | 56,40.70 | 56,40.70 | 63,36.16 | 9,88,64.48 | (-) 10.98 |
| योग - (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा | .. | 56,40.70 | 56,40.70 | 63,36.16 | 9,88,64.48 | (-) 10.98 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| <i>01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i> | | | | | | |
| 102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना | .. | .. | .. | .. | 1,55.19 | .. |
| 110. अस्पताल तथा औषधालय | .. | 1,44,54.47 | 1,44,54.47 | 86,49.20 | 4,14,07.83 | (+) 67.12 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 8,03.30 | 8,03.30 | 5,04.93 | 17,98.23 | (+) 59.09 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 4,75.30 | 4,75.30 | 3,75.66 | 14,85.86 | (+) 26.52 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 22.04 | 22.04 | 35.01 | 9,26.35 | (-) 37.05 |
| योग -01 | .. | 1,57,55.11 | 1,57,55.11 | 95,64.80 | 4,57,73.46 | (+) 64.72 |
| <i>02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं</i> | | | | | | |
| 101. स्वास्थ्य उप-केन्द्र | .. | .. | .. | 0.35 | 65,29.18 | (-) 100.00 |
| 103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | .. | .. | .. | 2.22 | 90,22.96 | (-) 100.00 |
| 104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | .. | 4,63.47 | 4,63.47 | 11,62.07 | 54,70.96 | (-) 60.12 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 36,67.78 | 36,67.78 | 4,25.10 | 41,42.76 | (+) 762.80 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 14,44.67 | 14,44.67 | 4,62.33 | 45,39.07 | (+) 212.48 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 62,63.35 | 62,63.35 | 12,43.90 | 1,04,06.21 | (+) 403.53 |
| योग -02 | .. | 1,18,39.27 | 1,18,39.27 | 32,95.97 | 4,01,11.14 | (+) 259.20 |
| <i>03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i> | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 3,53.16 | 3,53.16 | 2,55.57 | 6,83.27 | (+) 38.19 |
| 101. आयुर्वेद | .. | 1,03.75 | 1,03.75 | 16.34 | 5,01.62 | (+) 534.94 |
| 105. एलोपैथी | .. | 2,00,86.80 | 2,00,86.80 | 2,05,90.33 | 9,63,34.10 | (-) 2.45 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः :) | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - (समाप्त) | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 2,94.38 | 2,94.38 | .. | 2,94.38 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 1,60.00 | .. |
| योग -03 | .. | 2,08,38.09 | 2,08,38.09 | 2,08,62.24 | 9,79,73.37 | (-) 0.12 |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 5,00.00 (क) | .. |
| योग -80 | .. | .. | .. | .. | 5,00.00 | .. |
| योग -4210 | .. | 4,84,32.47 | 4,84,32.47 | 3,37,23.01 | 18,43,57.97 | (+) 43.62 |
| 4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा | .. | .. | .. | .. | 31,47.10 | .. |
| 102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | .. | .. | .. | .. | 78.71 | .. |
| 103. मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य | .. | .. | .. | .. | 12,14.50 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 71,70.80 | .. |
| योग -4211 | .. | .. | .. | .. | 1,16,11.11 | .. |
| योग - (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा | .. | 4,84,32.47 | 4,84,32.47 | 3,37,23.01 | 19,59,69.08 | (+) 43.62 |

(क) राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. जलपूर्ति | | | | | | |
| 003. प्रशिक्षण | .. | .. | .. | .. | 99.12 | .. |
| 101. शहरी जलपूर्ति | 25,15.11 | 7,22,65.94 | 7,47,81.05 | 5,93,09.57 | 62,08,40.67 | (+) 26.09 |
| 102. ग्रामीण जलपूर्ति | .. | 24,30,28.50 | 24,30,28.50 | 13,48,81.91 | 1,61,18,71.35 (क) | (+) 80.18 |
| घटाइये शीर्ष 8235 के अंतर्गत आरक्षित निधि से पूरित व्यय | .. | .. | .. | .. | 2,08,71.19 | .. |
| शुद्ध -102 | .. | 24,30,28.50 | 24,30,28.50 | 13,48,81.91 | 1,59,10,00.16 | (+) 80.18 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 7,53,92.99 | 7,53,92.99 | 4,76,17.46 | 16,34,56.38 | (+) 58.33 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 5,79,83.10 | 5,79,83.10 | 3,69,08.86 | 12,54,69.08 | (+) 57.10 |
| 799. उंचंत | .. | (-) 1,90.28 | (-) 1,90.28 (ख) | (-) 2,46.72 | 59,41.38 | (-) 22.88 |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 8.48 | .. |
| 902. घटाइये-मुख्य शीर्ष 8115 मूल्य हास नवीकरण आरक्षित निधि से पूरित व्यय | (-) 15,43.16 | .. | (-) 15,43.16 | (-) 26,81.40 | (-) 1,41,34.92 | (-) 42.45 |
| योग -01 | 9,71.95 | 44,84,80.25 | 44,94,52.20 | 27,57,89.68 | 2,49,26,80.35 | (+) 62.97 |

(क) इसमें राजस्थान जलपूर्ति तथा मल-जल निगम, जयपुर में निवेश (₹ 7,800) सम्मिलित है। (ख) ऋण आंकड़े, व्यय पर प्राप्ति तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| | (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त) | | | | | | |
| 02. मल-जल तथा सफाई | | | | | | |
| 106. मल-जल सेवाएं | .. | .. | .. | .. | 86,40.13 | .. |
| योग -02 | .. | .. | .. | .. | 86,40.13 | .. |
| योग -4215 | 9,71.95 | 44,84,80.25 | 44,94,52.20 | 27,57,89.68 | 2,50,13,20.48 | (+) 62.97 |
| 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. सरकारी रिहायशी भवन | | | | | | |
| 106. साधारण पूल आवास | .. | 4,77.34 | 4,77.34 | 73.84 | 2,27,64.60 | (+) 546.45 |
| 107. पुलिस आवास | .. | .. | .. | .. | 1,81,23.59 | .. |
| 700. अन्य आवास | .. | 1,72.01 | 1,72.01 | 2,16.39 | 84,64.87 | (-) 20.51 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 5,70.99 | .. |
| योग -01 | .. | 6,49.35 | 6,49.35 | 2,90.23 | 4,99,24.05 | (+) 123.74 |
| 02. शहरी आवास | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 55.15 | .. |
| योग -02 | .. | .. | .. | .. | 55.15 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः :) | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः :) | | | | | | |
| 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय -(समान) | | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 99.60 (क) | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 2.30 | .. |
| योग-80 | .. | .. | .. | .. | 1,01.90 | .. |
| योग-4216 | .. | 6,49.35 | 6,49.35 | 2,90.23 | 5,00,81.10 | (+) 123.74 |
| 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 02. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | 12,50.00 | 12,50.00 (ख) | (-) 100.00 |
| योग-02 | .. | .. | .. | 12,50.00 | 12,50.00 | (-) 100.00 |
| 03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 33,00.00 (ग) | .. |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 24,67.40 | 24,67.40* | 26,93.61 | 85,07.41 | (-) 8.40 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 18,44.95 | 18,44.95* | 20,19.88 | 63,12.03 | (-) 8.66 |

(क) राजस्थान राज्य आवासीय सहकारी समितियों (₹ 62.85 लाख) तथा आवासीय सहकारी समितियों (₹ 36.75 लाख) में निवेश।

(ग) राजस्थान शहरी ढांचागत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यातायात निगम में निवेश।

* स्थानीय निकायों इत्यादि को जारी निधियां

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास - (समाप्त) | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | 95,54.57 | 95,54.57 * | 87,87.31 | 33,04,40.86 | (+) 8.73 |
| योग - 03 | .. | 1,38,66.92 | 1,38,66.92 | 1,35,00.80 | 34,85,60.30 | (+) 2.71 |
| 04. गंदी बस्तियों का विकास | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 34,35.09 | 34,35.09 | 46,54.06 | 1,01,91.02 | (-) 26.19 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 26,85.66 | 26,85.66 | 34,20.77 | 77,07.98 | (-) 21.49 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 1,33,98.37 | 1,33,98.37 | 1,72,59.72 | 7,18,12.57 | (-) 22.37 |
| योग - 04 | .. | 1,95,19.12 | 1,95,19.12 | 2,53,34.55 | 8,97,11.57 | (-) 22.95 |
| 60. अन्य शहरी विकास योजनाएं | | | | | | |
| 050. भूमि | .. | 1,85,96.51 | 1,85,96.51 | 2,15,46.15 | 25,09,52.17 | (-) 13.69 |
| 051. निर्माण | .. | .. | .. | .. | 2,02.03 | .. |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | 4,47,00.00 | 14,94,54.54 (क) | (-) 100.00 |
| योग - 60 | .. | 1,85,96.51 | 1,85,96.51 | 6,62,46.15 | 40,06,08.74 | (-) 71.93 |
| योग - 4217 | .. | 5,19,82.55 | 5,19,82.55 | 10,63,31.50 | 84,01,30.61 | (-) 51.11 |
| योग - (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा | 9,71.95 | 50,11,12.15 | 50,20,84.10 | 38,24,11.41 | 3,39,15,32.19 | (+) 31.29 |

* स्थानीय निकायों इत्यादि को जारी निधियां।

(क) जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 14,94,03.54 लाख) तथा राजस्थान आवास विकास लिमिटेड, जयपुर (₹ 51.00 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|---|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 60. अन्य | | | | | | |
| 101. भवन | .. | 1,61.80 | 1,61.80 | 2,82.16 | 10,14.76 | (-) 42.66 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,22.89 | 1,22.89 | .. | 1,30.79 | .. |
| | योग -4220 | .. | 2,84.69 | 2,84.69 | 11,45.55 | (+) 0.90 |
| | योग - (घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा | .. | 2,84.69 | 2,84.69 | 11,45.55 | (+) 0.90 |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. अनुसूचित जातियों का कल्याण | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 8,42.12 (क) | .. |
| 277. शिक्षा | .. | .. | .. | .. | 5,53.66 | .. |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 10,82.93 | 10,82.93 | 8,98.09 | 2,12,72.71 (ख) | (+) 20.58 |
| | योग - 01 | .. | 10,82.93 | 10,82.93 | 2,26,68.49 | (+) 20.58 |

(क) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम में निवेश।

(ख) इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड (₹ 7,80.89 लाख) तथा राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड (₹ 3,90.66 लाख) में निवेश सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | 4,17.00 | 4,17.00 (क) | (-) 100.00 |
| 277. शिक्षा | .. | .. | .. | .. | 53,77.25 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,48,18.28 | 1,48,18.28 | 1,80,30.06 | 13,90,11.33 | (-) 17.81 |
| योग - 02 | .. | 1,48,18.28 | 1,48,18.28 | 1,84,47.06 | 14,48,05.58 | (-) 19.67 |
| 03. पिछड़े वर्गों का कल्याण | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 4,71.00 (ख) | .. |
| 277. शिक्षा | .. | 41.37 | 41.37 | 2,19.67 | 14,59.00 | (-) 81.17 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 26,02.17 | 26,02.17 | 27,96.85 | 1,48,00.19 | (-) 6.96 |
| योग - 03 | .. | 26,43.54 | 26,43.54 | 30,16.52 | 1,67,30.19 | (-) 12.36 |
| 04. अल्पसंख्यकों का कल्याण | | | | | | |
| 102. आर्थिक विकास | .. | 7,31.80 | 7,31.80 | .. | 7,31.80 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | 1,05.75 | 1,05.75 | 1,99.90 | 3,05.65 | (-) 47.10 |
| योग - 04 | .. | 8,37.55 | 8,37.55 | 1,99.90 | 10,37.45 | (+) 318.98 |

(क) राजस संघ में निवेश ।

(ख) इसमें राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,60.00 लाख) तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,11.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | |
| 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | 20.90 | 20.90 | .. | 8,15.90 | .. |
| योग - 80 | .. | 20.90 | 20.90 | .. | 8,15.90 | .. |
| योग -4225 | .. | 1,94,03.20 | 1,94,03.20 | 2,25,61.57 | 18,60,57.61 | (-) 14.00 |
| योग - (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा | .. | 1,94,03.20 | 1,94,03.20 | 2,25,61.57 | 18,60,57.61 | (-) 14.00 |
| (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. पुनर्वासि | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | (-) 28.17 (क) | .. |
| योग - 01 | .. | .. | .. | .. | (-) 28.17 | .. |
| 02. समाज कल्याण | | | | | | |
| 101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | .. | .. | .. | .. | 4,85.71 | .. |

(क) ऋण आंकड़े, व्यय पर प्राप्ति तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त) | | | | | | |
| 02. समाज कल्याण-(समाप्त) | | | | | | |
| 102. बाल कल्याण | .. | 7,55.34 | 7,55.34 | 6,91.94 | 26,02.84 | (+) 9.16 |
| 103. महिला कल्याण | .. | 15,83.70 | 15,83.70 | 4,47.26 | 67,33.33 | (+) 254.09 |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 5,90.44 (ख) | .. |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 3,14.00 | 3,14.00 | .. | 4,34.43 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 2,44.00 | 2,44.00 | .. | 3,54.59 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | 2,49.88 | 2,49.88 | 9,06.04 | 46,57.03 | (-) 72.42 |
| योग - 02 | .. | 31,46.92 | 31,46.92 | 20,45.24 | 1,58,58.37 | (+) 53.87 |
| 60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 5,00.00 (ख) | .. |
| 200. अन्य कार्यक्रम | .. | .. | .. | .. | 6,92.36 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | 2,36.87 | 2,36.87 | 2,89.77 | 6,22.44 | (-) 18.26 |
| योग - 60 | .. | 2,36.87 | 2,36.87 | 2,89.77 | 18,14.80 | (-) 18.26 |
| योग -4235 | .. | 33,83.79 | 33,83.79 | 23,35.01 | 1,76,45.00 | (+) 44.92 |

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 3,90.44 लाख) तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,00.00 लाख) में निवेश ।

(ख) राजस्थान एक्स सर्विस मेन निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) | |
|--|--|---|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---|------------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | | |
| (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | | |
| 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | | |
| 02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण | | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | .. | .. | 7,76.25 | 7,76.25 | (-) 100.00 | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | 5,89.50 | 5,89.50 | (-) 100.00 | |
| 800. अन्य व्यय | .. | (-) 9,25.52 | (-) 9,25.52 (क) | 30,01.49 | 1,75,02.62 | (-) 130.84 | |
| | योग -4236 | .. | (-) 9,25.52 | (-) 9,25.52 | 43,67.24 | 1,88,68.37 | (-) 121.19 |
| | योग - (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा | .. | 24,58.27 | 24,58.27 | 67,02.25 | 3,65,13.37 | (-) 63.32 |
| (छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | | |
| 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | | |
| 201. श्रम | .. | 83.18 | 83.18 | 1,71.29 | 5,05.92 (ख) | (-) 51.44 | |

(क) ऋण व्यय नाबार्ड के अंतर्गत कार्य निष्पादन नहीं करने के कारण सरकारी लेखे में ₹ 9,25,51,631 जमा कराने के कारण हैं।

(ख) इसमें श्रम ठेका सहकारी समितियों में निवेश के ₹ 6,13,333 (शुद्ध) सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| (छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 203. रोजगार | .. | 39,20.33 | 39,20.33 | 17,99.38 | 1,71,38.67 | (+) 117.87 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 6,22.94 | 6,22.94 | 3,78.82 | 10,71.98 | (+) 64.44 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 2,08.27 | 2,08.27 | 83.10 | 3,91.35 | (+) 150.63 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 6,74.62 | 6,74.62 | 6,82.61 | 46,76.52 | (-) 1.17 |
| योग -4250 | .. | 55,09.34 | 55,09.34 | 31,15.20 | 2,37,84.44 | (+) 76.85 |
| योग - (छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा | .. | 55,09.34 | 55,09.34 | 31,15.20 | 2,37,84.44 | (+) 76.85 |
| योग - ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 9,71.95 | 58,28,40.82 | 58,38,12.77 | 45,51,31.76 | 3,93,38,66.72 | (+) 28.27 |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 6.83 | .. |
| 103. बीज | .. | .. | .. | .. | 94.42 | .. |
| 104. कृषि फार्म | .. | .. | .. | .. | 57.19 | .. |
| 105. खाद तथा उर्वरक | .. | 12.39 | 12.39 | 10.53 | 8,95.12 | (+) 17.66 |
| 108. वाणिज्यिक फसलें | .. | .. | .. | .. | 84.79 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें | .. | 3,82.69 | 3,82.69 | 24.49 | 5,94.10 | (+) 1462.64 |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 9,68.62 (क) | .. |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 49,00.52 | 49,00.52 | 15,88.34 | 64,88.86 | (+) 208.53 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 5.00 | 38,98.97 | 39,03.97 | 19,41.54 | 63,45.80 | (+) 101.08 |
| 800. अन्य व्यय | 35.00 | 2,07,15.82 | 2,07,50.82 | 62,92.15 | 9,49,68.00 | (+) 229.79 |
| योग -4401 | 40.00 | 2,99,10.39 | 2,99,50.39 | 98,57.05 | 11,05,03.73 | (+) 203.85 |
| 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 102. मृदा संरक्षण | .. | 27.61 | 27.61 | 33.30 | 3,18,50.38 | (-) 17.09 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | .. | .. | .. | 5,43.22 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 39,43.56 | .. |
| योग -4402 | .. | 27.61 | 27.61 | 33.30 | 3,63,37.16 | (-) 17.09 |

(क) इसमें (i) राजस्थान स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (₹ 4,12,96,700), राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,10,00,000) तथा राजस्थान मिशन ऑन स्किल एण्ड लिवलीहुड कम्पनी लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,00,000) में निवेश, (ii) वर्ष 1990-91 में निवेश के रूप में गलत दिखाये गये ₹ 9,97,436 को सहायतार्थ अनुदान में सही प्रोफोर्मा द्वारा सुधार, (iii) ₹ 10 राजस्थान सरकार के पक्ष में केन्द्र सरकार अंश विनिवेश हेतु स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित तथा (iv) ₹ 30,68,459 के एक करोड़ से कम के कार्य से संबंधित सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101. पशु-चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य | .. | 16,96.11 | 16,96.11 | 5,48.35 | 44,28.93 | (+) 209.31 |
| 102. पशु तथा भैंस विकास | .. | .. | .. | .. | 1,25.93 | .. |
| 103. कुक्कुट विकास | .. | .. | .. | .. | 82.89 | .. |
| 104. भेड़ तथा ऊन विकास | .. | .. | .. | .. | 52.43 | .. |
| 105. सूअर बाड़ा-विकास | .. | .. | .. | .. | 6.51 | .. |
| 106. अन्य पशुधन विकास | .. | .. | .. | .. | 11.82 | .. |
| 107. चारा तथा चारागाह विकास | .. | .. | .. | .. | 20.41 | .. |
| 109. विस्तार तथा प्रशिक्षण | .. | .. | .. | .. | 35.28 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 32.20 | .. |
| योग -4403 | .. | 16,96.11 | 16,96.11 | 5,48.35 | 47,96.40 | (+) 209.31 |
| 4404. डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 102. डेरी विकास परियोजनाएं | .. | .. | .. | .. | 6,76.91 (क) | .. |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 69.99 (ख) | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | (-) 0.02 (ग) | .. |
| योग -4404 | .. | .. | .. | .. | 7,46.88 | .. |

(क) इसमें जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (₹ 2,11.32 लाख) तथा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹15.69 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन (₹ 69,99,400) में निवेश। (ग) ऋण आंकड़े, व्यय पर प्राप्तियां तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101. अन्तर्देशीय मछली-पालन | .. | 77.45 | 77.45 | 1,78.76 | 7,82.40 | (-) 56.67 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 59.92 | 59.92 | 35.15 | 2,63.64 | (+) 70.47 |
| योग -4405 | .. | 1,37.37 | 1,37.37 | 2,13.91 | 10,46.04 | (-) 35.78 |
| 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. वानिकी | | | | | | |
| 070. संचार तथा भवन | .. | 11,70.00 | 11,70.00 | 10,78.60 | 42,51.64 | (+) 8.47 |
| 101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण | .. | 24,07.29 | 24,07.29 | 31,61.16 | 1,19,62.31 | (-) 23.85 |
| 102. समाज तथा फार्म वानिकी | .. | 87,01.74 | 87,01.74 | 96,24.52 | 6,52,00.77 | (-) 9.59 |
| 105. वन उत्पाद | .. | .. | .. | .. | 6,65.58 | .. |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 16.75 (क) | .. |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना | .. | 45,56.50 | 45,56.50 | 38,64.19 | 1,01,44.06 | (+) 17.92 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 35,63.71 | 35,63.71 | 33,12.24 | 2,14,89.03 | (+) 7.59 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 3,61.74 | 3,61.74 | 20,97.66 | 1,20,91.88 | (-) 82.76 |
| योग - 01 | .. | 2,07,60.98 | 2,07,60.98 | 2,31,38.37 | 12,58,22.02 | (-) 10.27 |

(क) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त) | | | | | | |
| 02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव | | | | | | |
| 110. वन्य जीव | .. | 3,64.66 | 3,64.66 | 5,71.86 | 52,84.71 | (-) 36.23 |
| 111. चिड़ियाघर | .. | 3,57.17 | 3,57.17 | 1,32.45 | 14,39.35 | (+) 169.66 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 43.29 | 43.29 | 1,27.59 | 17,00.05 | (-) 66.07 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 1,26.63 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | 1,29.82 | 1,29.82 | 1,91.64 | 12,22.02 | (-) 32.26 |
| योग - 02 | .. | 8,94.94 | 8,94.94 | 10,23.54 | 97,72.76 | (-) 12.56 |
| योग -4406 | .. | 2,16,55.92 | 2,16,55.92 | 2,41,61.91 | 13,55,94.78 | (-) 10.37 |
| 4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. खाद्य | | | | | | |
| 101. अधिप्राप्ति तथा पूर्ति - निवल व्यय | .. | .. | .. | .. | (-) 14,35.17 (क) | .. |
| योग -01 | .. | .. | .. | .. | (-) 14,35.17 | .. |

(क) ऋण आंकड़े, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त) | | | | | | |
| 02. भंडारण तथा भांडागार | | | | | | |
| 101. ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम | .. | .. | .. | .. | 10,68.56 (क) | .. |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 4,12.63 (ख) | .. |
| | योग -02 | .. | .. | .. | 14,81.19 | .. |
| | योग -4408 | .. | .. | .. | 46.02 | .. |
| 4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. फसल कृषि-कर्म | | | | | | |
| 004. अनुसंधान | .. | .. | .. | .. | 1,45.23 | .. |
| 277. शिक्षा | .. | .. | .. | .. | 12,42.06 | .. |
| | योग - 01 | .. | .. | .. | 13,87.29 | .. |

(क) (i) सहकारी समितियों में गोदाम हेतु निवेश तथा (ii) पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 44,37,330 वर्ष के अंत तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।

(ख) इसमें राजस्थान राज्य भाण्डागार निगम, जयपुर (₹ 3,92.63 लाख) तथा राजस्थान राज्य सहकारी व्यापारिक संगठन (₹ 20.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | |
| 03. पशु-पालन | | | | | | |
| 277. शिक्षा | .. | .. | .. | .. | 1,94.77 | .. |
| योग - 03 | .. | .. | .. | .. | 1,94.77 | .. |
| 06. वानिकी | | | | | | |
| 004. अनुसंधान | .. | .. | .. | .. | 17.85 | .. |
| योग - 06 | .. | .. | .. | .. | 17.85 | .. |
| योग - 4415 | .. | .. | .. | .. | 15,99.91 | .. |
| 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 003. प्रशिक्षण | .. | .. | .. | .. | 56.24 | .. |
| योग -003 | .. | .. | .. | .. | 56.24 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय- (क्रमशः) | | | | | | |
| 107. क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश | | | | | | |
| (01) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी समितियों के हिस्सों का क्रय | .. | .. | .. | .. | 72,86.86 | .. |
| (02) पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत निवेश | .. | .. | .. | .. | 8,40.00 | .. |
| (05) नवगठित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 1,50.00 (क) | .. |
| क्रेडिट सहकारी समितियों में अन्य निवेश, प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का | .. | .. | .. | .. | 25,38.98 (ख) | .. |
| योग -107 | .. | .. | .. | .. | 1,08,15.84 | .. |
| 108. अन्य सहकारी समितियों में निवेश | | | | | | |
| (01) संसाधन सहकारी समितियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 5,27.54 | .. |
| (03) महिला सहकारी समितियों के लिये निवेश | .. | .. | .. | .. | 1,11.97 | .. |
| (क) भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियों में निवेश। | | | | | | |
| (ख) इसमें अप्रचलित लेखा मदों से सम्बन्धित व्यय की राशि ₹ 14,53,27,756 सम्मिलित है, जिसमें राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर (₹ 6,26,38,500), राजस्थान केन्द्रीय सहकारी तथा बन्धक बैंक लिमिटेड, जयपुर (₹ 7,02,39,256), केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भरतपुर (₹ 62,50,000), अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अलवर (₹ 50,50,000) तथा कृषक सेवा केन्द्र की स्थापना के लिये ग्राम सेवा सहकारिता (₹ 11,50,000) में निवेश भी सम्मिलित है। | | | | | | |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः) | | | | | | |
| 108. अन्य सहकारी समितियों में निवेश - (समाप्त) | | | | | | |
| (05) विशेष केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य बहुल समितियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 2,01.53 | .. |
| (07) समग्र सहकारी समितियों का विकास हेतु निवेश | .. | .. | .. | .. | 45,36.57 (क) | .. |
| (09) स्पिन फेड में निवेश | .. | .. | .. | .. | 38,91.13 | .. |
| अन्य सहकारी समितियां - प्रत्येक निवेश ₹ 1 करोड़ और कम लागत का | .. | .. | .. | .. | 43,55.04 (ख) | .. |
| योग - 108 | .. | .. | .. | .. | 1,36,23.78 | .. |
| 195. सहकारिता में निवेश | | | | | | |
| (02) क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (आयोजना) के निर्माण में निवेश | .. | .. | .. | .. | 45.00 (ग) | .. |
| (03) अन्य सहकारी समितियों में निवेश | .. | 10,87.86 | 10,87.86 | 31,35.36 | 98,18.29 (घ) | (-) 65.30 |

- (क) (i) इसमें समग्र सहकारी विकास के लिये अन्य सहकारी समितियों (₹ 47,91,99,850) में निवेश सम्मिलित है तथा (ii) पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 14,01,39,641 वर्ष के अन्त तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।
- (ख) (i) इसमें अप्रचलित लेखा मदों से सम्बन्धित व्यय की राशि ₹ 43,55,23,144 सम्मिलित है, इस राशि में औद्योगिक सहकारी समितियों (₹ 7,05,048) में निवेश, कॉटन शीड एक्स्ट्रैक्शन प्लान्ट कम आईल मिल (₹ 41,46,75,000) के लिए निवेश, राजस्थान राज्य तिलम संघ/स्पिन फेडरेशन (₹ 1,36,50,000) में निवेश तथा ₹ 1 करोड़ और कम लागत से संबंधित विकलांग व्यक्तियों की सहकारी समितियों [₹ 56,000 (निवल)] में निवेश भी सम्मिलित हैं।
- (ग) क्रय विक्रय सहकारी समितियों के लिए निवेश (₹ 45.00 लाख)।
- (घ) (i) इसमें महिला सहकारी समितियों (₹ 21.35 लाख), सूक्ष्म सहकारिता विकास (₹ 87,46,93,250), सहकारी उपभोक्ता भंडार (₹ 50.00 लाख) तथा राजस्थान सहकारी वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड (₹ 10,00.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है तथा (ii) पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 9,97,500 वर्ष के अंत तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः) | | | | | | |
| 195. सहकारिता में निवेश - (समाप्त) | | | | | | |
| (05) जनजातियों के लिए सहकारी समितियों में विनियोजन | .. | 3,48.51 | 3,48.51 | 4,73.33 | 21,41.58 (क) | (-) 26.37 |
| विभिन्न सहकारी समितियों में अन्य निवेश प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का | .. | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 4.35 (ख) | (+) 33.33 |
| योग - 195 | .. | 14,37.57 | 14,37.57 | 36,09.59 | 1,20,09.22 | (-) 60.17 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना | | | | | | |
| (01) महिला सहकारी समितियों हेतु विनियोजन | .. | .. | .. | .. | 1,25.00 | .. |
| योग - 789 | .. | .. | .. | .. | 1,25.00 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | |
| (01) सहकारी समितियों से हिस्सों का क्रय | .. | .. | .. | .. | 9,13.53 | .. |
| (02) सहकारी समितियों से हिस्से क्रय करने हेतु निवेश | .. | .. | .. | .. | 2,64.58 | .. |

(क) इसमें महिला सहकारी समितियों (₹ 5.25 लाख) तथा समग्र सहकारी समिति का विकास (₹ 21,36.33 लाख) में निवेश।

(ख) महिला सहकारी समितियों (₹ 4.35 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - (समाप्त) | | | | | | |
| (03) समग्र सहकारिता विकास हेतु निवेश | .. | .. | .. | .. | 2,45.10 | .. |
| (04) पुर्नस्थापना योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश | .. | .. | .. | .. | 1,20.00 | .. |
| जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न समितियों में अन्य निवेश प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का | .. | .. | .. | .. | 5,10.62 (क) | .. |
| योग - 796 | .. | .. | .. | .. | 20,53.83 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 78.68 (ख) | .. |
| योग - 800 | .. | .. | .. | .. | 78.68 | .. |
| योग - 4425 | .. | 14,37.57 | 14,37.57 | 36,09.59 | 3,87,62.59 | (-) 60.17 |

(क) इसमें महिला सहकारी समितियों (₹ 12.85 लाख) तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहकारी समितियों (₹ 0.40 लाख) में निवेश सम्मिलित हैं।

(ख) (i) इसमें अन्य सहकारी समितियों (₹ 64,00,000) में निवेश सम्मिलित है तथा (ii) पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 1,29,500 वर्ष के अंत तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|---|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | |
| 4435. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण | | | | | | |
| 101. विपणन सुविधाएं | .. | .. | .. | .. | 1,88.00 | .. |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 41,76.78 (क) | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 3,25.05 (ख) | .. |
| | योग -4435 | .. | .. | .. | 46,89.83 | .. |
| | योग - (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा | 40.00 | 5,48,64.97 | 5,49,04.97 | 3,84,24.11 | 33,41,23.34 (+) 42.89 |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101. पंचायती राज | | | | | | |
| (01) जवाहर रोजगार योजना | .. | .. | .. | .. | 2,38,42.59 | .. |
| (02) सुनिश्चित रोजगार योजना | .. | .. | .. | .. | 1,29,65.27 | .. |

(क) इसमें विपणन समितियां (₹ 7,93,31,515), राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,23,00,000), तिलम संघ (₹ 22,00,00,000) तथा राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ, जयपुर (₹ 4,27,31,430) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें विपणन समितियां (₹ 37.40 लाख) में निवेश तथा सहकारिताओं की पार्श्व मुद्रा की आवश्यकता हेतु निवेश (₹ 2,67.30 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः) | | | | | | |
| 101. पंचायती राज - (समाप्त) | | | | | | |
| (03) अपना गांव अपना काम योजना | .. | .. | .. | .. | 46,02.28 | .. |
| (04) निर्बन्ध जिला योजना | .. | .. | .. | .. | 44,26.10 | .. |
| (05) बत्तीस जिले बत्तीस काम | .. | .. | .. | .. | 62,65.50 | .. |
| (06) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश) | .. | .. | .. | .. | 51,75.81 | .. |
| (07) जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों को ग्राम विकास केन्द्रों हेतु | .. | .. | .. | .. | 13,03.15 | .. |
| (11) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम | .. | 2,74,80.00 | 2,74,80.00 | 2,80,67.60 | 21,70,89.60 | (-) 2.09 |
| (12) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | .. | .. | .. | .. | 1,84,73.01 | .. |
| (14) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना | .. | .. | .. | .. | 92,86.22 | .. |
| (15) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम | .. | .. | .. | .. | 3,34.55 | .. |
| (16) स्वविवेक जिला विकास योजना | .. | 2,74.80 | 2,74.80 # | 1,40.40 | 43,27.14 | (+) 95.73 |
| (18) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना | .. | .. | .. | .. | 25,00.00 | .. |
| (19) ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना | .. | .. | .. | 59,67.00 | 1,13,28.00 | (-) 100.00 |
| (20) गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना | .. | 34,35.00 | 34,35.00 # | .. | 34,35.00 | .. |
| योग - 101 | .. | 3,11,89.80 | 3,11,89.80 | 3,41,75.00 | 32,53,54.22 | (-) 8.74 |

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गई निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा -(क्रमशः) | | | | | | |
| 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 102. सामुदायिक विकास | | | | | | |
| (01) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन) के माध्यम से | .. | .. | .. | 83.77 | 7,94.60 | (-) 100.00 |
| योग -102 | .. | .. | .. | 83.77 | 7,94.60 | (-) 100.00 |
| 103. ग्राम विकास | | | | | | |
| (01) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से | .. | 1,19.48 | 1,19.48 * | 6,91.54 | 29,71.82 | (-) 82.72 |
| योग -103 | .. | 1,19.48 | 1,19.48 | 6,91.54 | 29,71.82 | (-) 82.72 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | | | | | | |
| (01) सुनिश्चित रोजगार योजना | .. | .. | .. | .. | 12,21.16 | .. |
| (02) जवाहर रोजगार योजना | .. | .. | .. | .. | 14,68.40 | .. |
| (03) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | .. | .. | .. | .. | 52,49.01 | .. |
| (04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम | .. | 71,20.00 | 71,20.00 # | 67,76.80 | 4,40,72.10 | (+) 5.06 |

* पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां ।

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा -(क्रमशः) | | | | | | |
| 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः) | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना -(समाप्त) | | | | | | |
| (05) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना | .. | .. | .. | .. | 22,02.76 | .. |
| (06) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना | .. | .. | .. | .. | 16,66.75 | .. |
| (07) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश) | .. | .. | .. | .. | 3,90.77 | .. |
| (09) स्वविवेक जिला विकास योजना | .. | 71.20 | 71.20 # | 34.40 | 7,07.48 | (+) 106.98 |
| (10) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से | .. | 35.94 | 35.94 * | 1,96.20 | 4,48.75 | (-) 81.68 |
| (11) ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना | .. | .. | .. | 14,62.00 | 24,07.99 | (-) 100.00 |
| (13) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना | .. | 8,90.00 | 8,90.00 # | .. | 8,90.00 | .. |
| योग - 789 | .. | 81,17.14 | 81,17.14 | 84,69.40 | 6,07,25.17 | (-) 4.16 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | |
| (01) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत | .. | .. | .. | .. | 37,47.96 | .. |
| (02) सुनिश्चित रोजगार योजना | .. | .. | .. | .. | 12,89.55 | .. |
| (03) अपना गांव अपना काम योजना | .. | .. | .. | .. | 6,80.29 | .. |

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

* पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - (समाप्त) | | | | | | |
| (04) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | .. | .. | .. | .. | 28,37.94 | .. |
| (05) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम | .. | 54,00.00 | 54,00.00 * | 50,40.00 | 3,15,85.00 | (+) 7.14 |
| (06) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश) | .. | .. | .. | .. | 23,59.67 | .. |
| (07) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना | .. | .. | .. | .. | 14,46.95 | .. |
| (08) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना | .. | .. | .. | .. | 42,75.70 | .. |
| (10) स्वविवेक जिला विकास योजना | .. | 54.00 | 54.00 * | 25.20 | 5,19.45 | (+) 114.29 |
| (11) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से | .. | 29.19 | 29.19 # | 1,84.41 | 4,38.81 | (-) 84.17 |
| (12) ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना | .. | .. | .. | 10,71.00 | 17,64.00 | (-) 100.00 |
| (13) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना | .. | 6,75.00 | 6,75.00 * | .. | 6,75.00 | .. |
| योग - 796 | .. | 61,58.19 | 61,58.19 | 63,20.61 | 5,16,20.32 | (-) 2.57 |
| 800. अन्य व्यय | | | | | | |
| (04) विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना हेतु | .. | .. | .. | .. | 1,13,96.14 | .. |
| योग - 800 | .. | .. | .. | .. | 1,13,96.14 | .. |
| योग - 4515 | .. | 4,55,84.61 | 4,55,84.61 | 4,97,40.32 | 45,28,62.27 | (-) 8.35 |
| योग - (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा | .. | 4,55,84.61 | 4,55,84.61 | 4,97,40.32 | 45,28,62.27 | (-) 8.35 |

* यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4575. अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. डंग जिले | | | | | | |
| 101. डंग क्षेत्र का विकास | .. | 33,74.80 | 33,74.80 * | 32,25.00 | 1,33,10.65 | (+) 4.64 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना | .. | 8,90.00 | 8,90.00 * | 10,75.00 | 30,34.00 | (-) 17.21 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 6,75.00 | 6,75.00 * | 6,50.00 | 21,08.80 | (+) 3.85 |
| योग -01 | .. | 49,39.80 | 49,39.80 | 49,50.00 | 1,84,53.45 | (-) 0.21 |
| 02. पिछड़े क्षेत्र | | | | | | |
| 102. मेवात क्षेत्र का विकास | .. | 41,21.95 | 41,21.95 * | 39,81.55 | 1,47,59.87 | (+) 3.53 |
| 103. मगरा क्षेत्र का विकास | .. | 34,00.00 | 34,00.00 * | 32,75.00 | 1,10,84.51 | (+) 3.82 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना | .. | 19,58.00 | 19,58.00 * | 23,13.40 | 61,99.30 | (-) 15.36 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 14,85.00 | 14,85.00 * | 14,30.00 | 43,28.00 | (+) 3.85 |
| योग -02 | .. | 1,09,64.95 | 1,09,64.95 | 1,09,99.95 | 3,63,71.68 | (-) 0.32 |
| 03. जनजातीय क्षेत्र | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 11,80.00 | .. |
| योग -03 | .. | .. | .. | .. | 11,80.00 | .. |

* यह जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| 4575. अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता) | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना | .. | 18,36.75 | 18,36.75 * | 24,84.00 | 1,66,05.03 | (-) 26.06 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 13,91.60 | 13,91.60 * | 17,94.00 | 1,03,86.59 | (-) 22.43 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 70,74.80 | 70,74.80 * | 94,82.00 | 7,34,34.18 | (-) 25.39 |
| योग -06 | .. | 1,03,03.15 | 1,03,03.15 | 1,37,60.00 | 10,04,25.80 | (-) 25.12 |
| 60. अन्य | | | | | | |
| 277. शिक्षा | .. | .. | .. | .. | 43,32.93 | .. |
| 287. श्रम और रोजगार | .. | .. | .. | .. | 1,34.01 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 2,45,15.87 | .. |
| योग -60 | .. | .. | .. | .. | 2,89,82.81 | .. |
| योग -4575 | .. | 2,62,07.90 | 2,62,07.90 | 2,97,09.95 | 18,54,13.74 | (-) 11.79 |
| योग - (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा | .. | 2,62,07.90 | 2,62,07.90 | 2,97,09.95 | 18,54,13.74 | (-) 11.79 |

* यह जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. भाखड़ा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक) (बी.बी.एम.बी.) मुख्य अभियंता (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 5,46.05 | 5,46.05 | 5,59.09 | 40,15.77 | (-) 2.33 |
| 052. मशीनरी तथा उपस्कर | .. | (-) 0.04 | (-) 0.04 (क) | (-) 0.04 | (-) 0.56 | .. |
| 799. उचंत | .. | 1.37 | 1.37 | (-) 10.40 | (-) 18.37 | (-) 113.17 |
| योग -01 | .. | 5,47.38 | 5,47.38 | 5,48.65 | 39,96.84 | (-) 0.23 |
| 02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 1,43,51.26 | 1,43,51.26 | 36,48.91 | 5,62,71.18 | (+) 293.30 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 2,99.45 | 2,99.45 | .. | 3,21.63 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 6,32.34 | 6,32.34 | .. | 6,33.47 | .. |
| 799. उचंत | .. | .. | .. | .. | (-) 86.13 (क) | .. |
| योग -02 | .. | 1,52,83.05 | 1,52,83.05 | 36,48.91 | 5,71,40.15 | (+) 318.84 |

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)-(समाप्त) | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | 31,67.57 | 2,05,98.60 | (-) 100.00 |
| योग -04 | .. | 2,16,34.78 | 2,16,34.78 | 2,03,97.53 | 45,20,50.80 | (+) 6.07 |
| 05. इंदिरा गांधी फीडर (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 16,44.00 | 16,44.00 | 12,42.60 | 68,09.20 | (+) 32.30 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 3,56.00 | 3,56.00 | 2,57.40 | 8,36.48 | (+) 38.31 |
| योग -05 | .. | 20,00.00 | 20,00.00 | 15,00.00 | 76,45.68 | (+) 33.33 |
| 06. गुडगांव नहर (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 5,68.74 | 5,68.74 | 5,67.59 | 45,32.94 | (+) 0.20 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 1,03.98 | 1,03.98 | .. | 1,03.98 | .. |
| योग -06 | .. | 6,72.72 | 6,72.72 | 5,67.59 | 46,36.92 | (+) 18.52 |
| 07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 3,27.45 | 3,27.45 | 34.95 | 5,27.03 | (+) 836.91 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 37.80 | (+) 100.00 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)-(समाप्त) | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 16.67 | .. |
| योग -07 | .. | 3,51.50 | 3,51.50 | 50.00 | 5,81.50 | (+) 603.00 |
| 22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 13,20.62 | 13,20.62 | 2,25.00 | 1,26,73.39 | (+) 486.94 |
| योग -22 | .. | 13,20.62 | 13,20.62 | 2,25.00 | 1,26,73.39 | (+) 486.94 |
| 23. ओखला-वेयर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 20.00 | .. |
| योग -23 | .. | .. | .. | .. | 20.00 | .. |
| 24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 1,26,40.44 | 1,26,40.44 | 1,09,30.91 | 19,82,97.16 | (+) 15.64 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 18,13.55 | 18,13.55 | 29,55.51 | 1,25,06.52 | (-) 38.64 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 11,01.31 | 11,01.31 | 15,19.85 | 78,95.65 | (-) 27.54 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक) -(समाप्त) | | | | | | |
| 799. उंचंत | .. | .. | .. | .. | (-) 96.86 (क) | .. |
| योग -24 | .. | 1,55,55.30 | 1,55,55.30 | 1,54,06.27 | 21,86,02.47 | (+) 0.97 |
| 25. नोहर फीडर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 61,44.86 | .. |
| योग -25 | .. | .. | .. | .. | 61,44.86 | .. |
| 26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | 3.91 | 2,55,05.26 | (-) 100.00 |
| योग -26 | .. | .. | .. | 3.91 | 2,55,05.26 | (-) 100.00 |
| 27. माही परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 33,85.49 | 33,85.49 | 19,83.40 | 8,34,88.06 | (+) 70.69 |
| योग -27 | .. | 33,85.49 | 33,85.49 | 19,83.40 | 8,34,88.06 | (+) 70.69 |

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 82.76 | 82.76 | 7,24.57 | 4,56,19.50 | (-) 88.58 |
| 052. मशीनरी तथा उपस्कर | .. | .. | .. | .. | (-) 82.54 (क) | .. |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 5,05.55 | 5,05.55 | .. | 7,06.60 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 1,32.82 | .. |
| 799. उर्चंत | .. | .. | .. | .. | 27,07.22 | .. |
| योग -28 | .. | 5,88.31 | 5,88.31 | 7,24.57 | 4,90,83.60 | (-) 18.81 |
| 29. इंदिरा लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 36,61.97 | .. |
| योग -29 | .. | .. | .. | .. | 36,61.97 | .. |
| 31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 35,58.24 | 35,58.24 | 40,69.93 | 5,26,51.57 | (-) 12.57 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 8,43.74 | 8,43.74 | 9,00.00 | 22,39.50 | (-) 6.25 |
| योग -31 | .. | 44,01.98 | 44,01.98 | 49,69.93 | 5,48,91.07 | (-) 11.43 |

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 92.20 | 92.20 | 1,28.92 | 5,67.31 | (-) 28.48 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 23.37 | 23.37 | .. | 38.09 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 27.12 | .. |
| योग -32 | .. | 1,15.57 | 1,15.57 | 1,28.92 | 6,32.52 | (-) 10.36 |
| 33. काली सिन्ध परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | 0.61 | 0.61 | (-) 100.00 |
| योग -33 | .. | .. | .. | 0.61 | 0.61 | (-) 100.00 |
| 37. परियोजना का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 3,93.40 | 3,93.40 | 6,55.89 | 10,49.29 | (-) 40.02 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | 7,11.13 | 7,11.13 | (-) 100.00 |
| योग -37 | .. | 3,93.40 | 3,93.40 | 13,67.02 | 17,60.42 | (-) 71.22 |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 003. प्रशिक्षण | .. | .. | .. | .. | 83.99 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | |
| 80. सामान्य -(समाप्त) | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | .. | .. | .. | 38,16.22 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 23,78.66 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | 2,74.31 | 8,51,14.08 | (-) 100.00 |
| योग -80 | .. | .. | .. | 2,74.31 | 9,13,92.95 | (-) 100.00 |
| योग -4700 | .. | 6,62,50.10 | 6,62,50.10 | 5,17,96.62 | 1,08,97,56.40 | (+) 27.90 |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. जवाई नहर (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 6,97.36 | .. |
| योग -01 | .. | .. | .. | .. | 6,97.36 | .. |
| 02. मेजा सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 2,04.87 | 2,04.87 | 2,47.23 | 45,04.21 | (-) 17.13 |
| योग -02 | .. | 2,04.87 | 2,04.87 | 2,47.23 | 45,04.21 | (-) 17.13 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः) | | | | | | |
| 03. पारबती परियोजना (धौलपुर) (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 4,81.69 | 4,81.69 | 47.48 | 69,46.00 | (+) 914.51 |
| योग -03 | .. | 4,81.69 | 4,81.69 | 47.48 | 69,46.00 | (+) 914.51 |
| 04. गुढ़ा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 1,63.29 | .. |
| योग -04 | .. | .. | .. | .. | 1,63.29 | .. |
| 05. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 2,35.54 | .. |
| योग -05 | .. | .. | .. | .. | 2,35.54 | .. |
| 06. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 1,95.06 | .. |
| योग -06 | .. | .. | .. | .. | 1,95.06 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 07. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 67.03 | .. |
| योग -07 | .. | .. | .. | .. | 67.03 | .. |
| 08. बल्लभ नगर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 86.37 | .. |
| योग -08 | .. | .. | .. | .. | 86.37 | .. |
| 09. बड़गांव परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 76.02 | .. |
| योग -09 | .. | .. | .. | .. | 76.02 | .. |
| 10. ओराई सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 63.42 | .. |
| योग -10 | .. | .. | .. | .. | 63.42 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 11. जैतपुरा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 1,82.16 | .. |
| योग -11 | .. | .. | .. | .. | 1,82.16 | .. |
| 12. गोपालपुरा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 2,52.18 | .. |
| योग -12 | .. | .. | .. | .. | 2,52.18 | .. |
| 21. फसल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 7.09 | .. |
| योग -21 | .. | .. | .. | .. | 7.09 | .. |
| 23. पांचना परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 1,24,21.45 | .. |
| 799. उच्चंत | .. | .. | .. | .. | (-) 43.42 (क) | .. |
| योग -23 | .. | .. | .. | .. | 1,23,78.03 | .. |

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः) | | | | | | |
| 24. सोम कमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 1,05.51 | 1,05.51 | 1,38.71 | 2,44.22 | (-) 23.93 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 28.72 | 28.72 | 1,85.64 | 2,14.36 | (-) 84.53 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 36.02 | 36.02 | 1,22.10 | 2,13,45.01 | (-) 70.50 |
| योग -24 | .. | 1,70.25 | 1,70.25 | 4,46.45 | 2,18,03.59 | (-) 61.87 |
| 25. डया परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 1,40.06 | .. |
| योग -25 | .. | .. | .. | .. | 1,40.06 | .. |
| 26. झाडोल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 93.64 | .. |
| योग -26 | .. | .. | .. | .. | 93.64 | .. |
| 27. वागन डाइवर्शन परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 13,96.62 | .. |
| योग -27 | .. | .. | .. | .. | 13,96.62 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः) | | | | | | |
| 28. लसाडिया परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 2,35.78 | 2,35.78 | 3,64.02 | 7,37.20 | (-) 35.23 |
| योग -28 | .. | 2,35.78 | 2,35.78 | 3,64.02 | 7,37.20 | (-) 35.23 |
| 29. सोम कागदर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 6,29.86 | 6,29.86 | 1,40.17 | 30,88.77 | (+) 349.35 |
| योग -29 | .. | 6,29.86 | 6,29.86 | 1,40.17 | 30,88.77 | (+) 349.35 |
| 30. भीम सागर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 23,94.13 | .. |
| योग -30 | .. | .. | .. | .. | 23,94.13 | .. |
| 31. कोठारी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 11,19.79 | .. |
| योग -31 | .. | .. | .. | .. | 11,19.79 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 32. गौसुन्दा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 99.21 | .. |
| योग -32 | .. | .. | .. | .. | 99.21 | .. |
| 33. बस्सी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 2.11 | 2.11 | 33.56 | 11,63.34 | (-) 93.71 |
| योग -33 | .. | 2.11 | 2.11 | 33.56 | 11,63.34 | (-) 93.71 |
| 34. खारी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 9,68.92 | .. |
| योग -34 | .. | .. | .. | .. | 9,68.92 | .. |
| 35. छापी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 1,07,04.84 | .. |
| योग -35 | .. | .. | .. | .. | 1,07,04.84 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 37. बिलास परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 21,88.89 | .. |
| योग -37 | .. | .. | .. | .. | 21,88.89 | .. |
| 38. सावन भादों परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 41,06.18 | .. |
| 799. उच्चंत | .. | .. | .. | .. | (-) 25.06 (क) | .. |
| योग -38 | .. | .. | .. | .. | 40,81.12 | .. |
| 40. सुकली परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 44,48.76 | .. |
| योग -40 | .. | .. | .. | .. | 44,48.76 | .. |

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 41. बांदी सेदरा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | 2.75 | 33,66.63 | (-) 100.00 |
| योग -41 | .. | .. | .. | 2.75 | 33,66.63 | (-) 100.00 |
| 42. कानोता परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 1.60 | .. |
| योग -42 | .. | .. | .. | .. | 1.60 | .. |
| 43. चंवली परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 1,02,03.64 | .. |
| 799. उचंत | .. | .. | .. | .. | (-) 32.91 (क) | .. |
| योग -43 | .. | .. | .. | .. | 1,01,70.73 | .. |
| 44. गंभीरी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 14,66.18 | .. |
| योग -44 | .. | .. | .. | .. | 14,66.18 | .. |

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 45. जय समन्द परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 14,58.62 | .. |
| योग -45 | .. | .. | .. | .. | 14,58.62 | .. |
| 46. माषी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 61.16 | .. |
| योग -46 | .. | .. | .. | .. | 61.16 | .. |
| 47. गलवा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 17,91.95 | .. |
| योग -47 | .. | .. | .. | .. | 17,91.95 | .. |
| 49. छापस्वाड़ा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 2.84 | .. |
| योग -49 | .. | .. | .. | .. | 2.84 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 50. कालख परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 0.96 | .. |
| योग -50 | .. | .. | .. | .. | 0.96 | .. |
| 53. पारबती परियोजना (कोटा) (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 7.00 | .. |
| योग -53 | .. | .. | .. | .. | 7.00 | .. |
| 55. टैंक परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 28.44 | .. |
| योग -55 | .. | .. | .. | .. | 28.44 | .. |
| 56. कालीसिल परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 29.54 | .. |
| योग -56 | .. | .. | .. | .. | 29.54 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 57. मातृ कुण्डिया परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 3,23.95 | .. |
| योग -57 | .. | .. | .. | .. | 3,23.95 | .. |
| 58. नारायण सागर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 61.55 | .. |
| योग -58 | .. | .. | .. | .. | 61.55 | .. |
| 59. अन्य परियोजनाएं (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 3,38.38 | .. |
| योग -59 | .. | .. | .. | .. | 3,38.38 | .. |
| 60. बेथली परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 52,13.61 | .. |
| योग -60 | .. | .. | .. | .. | 52,13.61 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः) | | | | | | |
| 62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/ उन्नयन/आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 9,38.71 | 9,38.71 | 14,80.68 | 89,62.25 | (-) 36.60 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 4,13.74 | 4,13.74 | 4,21.36 | 11,18.70 | (-) 1.81 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 2,99.64 | 2,99.64 | 91.79 | 7,03.33 | (+) 226.44 |
| योग -62 | .. | 16,52.09 | 16,52.09 | 19,93.83 | 1,07,84.28 | (-) 17.14 |
| 63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 1,82.75 | 1,82.75 | (-) 1,56.12 | 1,23,01.51 | (-) 217.06 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 14.56 | 14.56 | .. | 14.56 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 16.50 | 16.50 | .. | 16.50 | .. |
| योग -63 | .. | 2,13.81 | 2,13.81 | (-) 1,56.12 | 1,23,32.57 | (-) 236.95 |
| 64. परवन लिफ्ट योजना (अवाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 39,86.38 | .. |
| योग -64 | .. | .. | .. | .. | 39,86.38 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः) | | | | | | |
| 65. हरिश्चन्द्र सागर परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | 12,13.20 | .. |
| योग -65 | .. | .. | .. | .. | 12,13.20 | .. |
| 66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 10,87.15 | 10,87.15 | 11,29.67 | 1,03,63.82 | (-) 3.76 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 2,45.71 | 2,45.71 | 1,20.54 | 7,66.25 | (+) 103.84 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 3,66.69 | 3,66.69 | 60.94 | 4,27.63 | (+) 501.72 |
| योग -66 | .. | 16,99.55 | 16,99.55 | 13,11.15 | 1,15,57.70 | (+) 29.62 |
| 67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 4,79.33 | 4,79.33 | 16,43.18 | 1,06,71.79 | (-) 70.83 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 6.13 | 6.13 | 2,72.00 | 7,78.13 | (-) 97.75 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 97.76 | 97.76 | 84.00 | 1,81.76 | (+) 16.38 |
| योग -67 | .. | 5,83.22 | 5,83.22 | 19,99.18 | 1,16,31.68 | (-) 70.83 |
| 68. मनोहर थाना परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 1.07 | 1.07 | .. | 27.84 | .. |
| योग -68 | .. | 1.07 | 1.07 | .. | 27.84 | .. |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 12,82.12 | 12,82.12 | 17,14.92 | 30,44.65 | (-) 25.24 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 2,75.72 | 2,75.72 | 2,80.50 | 5,56.22 | (-) 1.70 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 3,00.00 | 3,00.00 | 1,15.51 | 4,15.51 | (+) 159.72 |
| योग -69 | .. | 18,57.84 | 18,57.84 | 21,10.93 | 40,16.38 | (-) 11.99 |
| 71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 61.27 | 61.27 | 5,36.22 | 65,27.15 | (-) 88.57 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 17.00 | 17.00 | .. | 3,17.00 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 18.00 | 18.00 | 70.00 | 88.00 | (-) 74.29 |
| योग -71 | .. | 96.27 | 96.27 | 6,06.22 | 69,32.15 | (-) 84.12 |
| 72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक) | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 7,82.15 | 7,82.15 | 6,55.19 | 89,77.44 | (+) 19.38 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 3,83.00 | 3,83.00 | 1,91.25 | 7,54.25 | (+) 100.26 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 2,08.00 | 2,08.00 | 1,05.00 | 3,13.00 | (+) 98.10 |
| योग -72 | .. | 13,73.15 | 13,73.15 | 9,51.44 | 1,00,44.69 | (+) 44.32 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 002. आंकड़ा संग्रहण | .. | .. | .. | .. | 27.33 | .. |
| 005. सर्वेक्षण तथा अन्वेषण | .. | .. | .. | .. | 13.84 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 4,07.33 | .. |
| योग -80 | .. | .. | .. | .. | 4,48.50 | .. |
| योग -4701 | .. | 92,01.56 | 92,01.56 | 1,00,98.29 | 17,75,81.15 | (-) 8.88 |
| 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101. सतही जल | .. | 2,24,23.17 | 2,24,23.17 | 55,03.88 | 12,89,01.75 | (+) 307.41 |
| 102. भू-जल | .. | 51.26 | 51.26 | 5.77 | 29,47.44 (क) | (+) 788.39 |

(क) राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (नलकूप निगम), जयपुर (₹ 1,27,00, 000) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 55,45.97 | 55,45.97 | 45,60.08 | 1,74,22.59 | (+) 21.62 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,36,26.87 | 1,36,26.87 | 1,02,12.39 | 7,13,87.33 | (+) 33.43 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 19,09.35 | 19,09.35 | 1,46,95.60 | 8,46,60.19 | (-) 87.01 |
| | योग -4702 | 4,35,56.62 | 4,35,56.62 | 3,49,77.72 | 30,53,19.30 | (+) 24.53 |
| 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास | .. | 67.87 | 67.87 | 1,02.04 | 12,10,12.61 (क) | (-) 33.49 |
| 102. चम्बल क्षेत्र का विकास | .. | 0.40 9,47.79 | 9,48.19 | 13,10.05 | 1,97,83.51 (ख) | (-) 27.62 |
| 103. भाखड़ा और गंग क्षेत्र का विकास | .. | 13.43 | 13.43 | 44.10 | 75,12.88 | (-) 69.55 |
| 104. माही बजाज सागर | .. | .. | .. | .. | 3,93.93 | .. |
| 105. सिद्धमुख नोहर परियोजना | .. | 59.11 | 59.11 | 1,71.60 | 1,27,57.98 | (-) 65.55 |
| 106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास | .. | 8,15.54 | 8,15.54 | 11,21.34 | 1,00,76.62 | (-) 27.27 |

(क) राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर (₹ 19,36.45 लाख) में निवेश सम्मिलित है ।

(ख) राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर (₹ 0.65 लाख) में निवेश सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 107. गंग नहर परियोजना | .. | 0.93 47,12.85 | 47,13.78 | 50,79.36 | 1,50,58.64 | (-) 7.20 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 10,85.81 | 10,85.81 | 20,01.36 | 58,79.52 | (-) 45.75 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 91.63 | 91.63 | 66.87 | 4,57.54 | (+) 37.03 |
| योग -4705 | .. | 1.33 77,94.03 | 77,95.36 | 98,96.72 | 19,29,33.23 | (-) 21.23 |
| 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. बाढ़ नियंत्रण | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 27.30 | 27.30 | 34.16 | 9,74.38 | (-) 20.08 |
| 052. मशीनरी एवं उपस्कर | .. | .. | .. | .. | 3.32 | .. |
| 103. सिविल निर्माण-कार्य | .. | 2,29.57 | 2,29.57 | 6,85.09 | 1,85,87.82 | (-) 66.49 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | .. | .. | 1,62.24 | 2,54.78 | (-) 100.00 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | |
| 4711. बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | |
| 799. उच्चत | .. | .. | .. | .. | 77.82 | .. |
| योग -4711 | .. | 2,56.87 | 2,56.87 | 8,81.49 | 1,98,98.12 | (-) 70.86 |
| योग - (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा | .. | 12,70,59.18 | 12,70,60.51 | 10,76,50.84 | 1,78,54,88.20 | (+) 18.03 |
| (ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 02. ताप विद्युत शक्ति उत्पादन | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 45.00 (क) | .. |
| योग -02 | .. | .. | .. | .. | 45.00 | .. |
| 04. डीजल / गैस शक्ति उत्पादन | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 5.00 (क) | .. |
| योग -04 | .. | .. | .. | .. | 5.00 | .. |

(क) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड), जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| | (₹ लाख में) | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः) | | | | | | |
| 06. ग्रामीण विद्युतीकरण | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 66.25 (क) | .. |
| योग -06 | .. | .. | .. | .. | 66.25 | .. |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 101. राज्य विद्युत् बोर्ड में निवेश | .. | .. | .. | .. | 5.00 (ख) | .. |
| योग -101 | .. | .. | .. | .. | 5.00 | .. |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| (01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड) | .. | .. | .. | .. | 2,00.00 | .. |
| (02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 5,86,19.75 | 5,86,19.75 | 5,20,07.19 | 67,28,00.90 | (+) 12.71 |

(क) इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति लिमिटेड, टोडाभीम (₹ 50.00 लाख), महुआ ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति लिमिटेड, महुआ, सवाई माधोपुर (₹ 15.00 लाख) तथा आबूरोड़ इलैक्ट्रीसिटी एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबूरोड़ (₹ 1.25 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) राजस्थान राज्य विद्युत् निगम, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ड) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः) | | | | | | |
| 80. सामान्य -(क्रमशः) | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त) | | | | | | |
| (03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 2,46,05.00 | 2,46,05.00 | 2,29,10.48 | 28,15,83.20 | (+) 7.40 |
| (04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 6,92,32.95 | 6,92,32.95 | 7,38,26.73 | 39,30,63.91 | (-) 6.22 |
| (05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 6,43,81.96 | 6,43,81.96 | 8,04,79.95 | 35,91,64.99 | (-) 20.00 |
| (06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 6,57,33.09 | 6,57,33.09 | 7,71,38.77 | 37,30,80.15 | (-)14.79 |
| (07) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश (मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट-ई.ए.पी.) | .. | .. | .. | .. | 4,35.68 | .. |
| (08) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश | .. | .. | .. | .. | 4,93.43 | .. |
| (09) राजस्थान राज्य पावर वित्त निगम लिमिटेड, जयपुर | .. | .. | .. | 75,00.00 | 90,00.00 | (-) 100.00 |
| योग - 190 | .. | 28,25,72.75 | 28,25,72.75 | 31,38,63.12 | 2,08,98,22.26 | (-) 9.97 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | | | | | | |
| (02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 1,76,30.00 | 1,76,30.00 | 1,26,98.40 | 5,01,82.11 | (+) 38.84 |
| (03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 74,00.00 | 74,00.00 | 55,94.56 | 2,75,63.42 | (+) 32.27 |
| (04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 2,08,22.00 | 2,08,22.00 | 95,40.80 | 4,10,33.20 | (+) 118.24 |
| (05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 1,93,62.80 | 1,93,62.80 | 1,14,05.65 | 3,94,76.21 | (+) 69.76 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | |
| 80. सामान्य -(समाप्त) | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना-(समाप्त) | | | | | | |
| (06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 1,97,69.20 | 1,97,69.20 | 81,07.40 | 3,51,93.68 | (+) 143.84 |
| योग -789 | .. | 8,49,84.00 | 8,49,84.00 | 4,73,46.81 | 19,34,48.62 | (+) 79.49 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | |
| (02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 1,19,00.25 | 1,19,00.25 | 92,94.41 | 3,57,25.99 | (+) 28.04 |
| (03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 49,95.00 | 49,95.00 | 40,94.96 | 1,97,53.38 | (+) 21.98 |
| (04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 1,40,54.85 | 1,40,54.85 | 67,89.80 | 2,86,54.69 | (+) 107.00 |
| (05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 1,30,69.94 | 1,30,69.94 | 81,39.05 | 2,75,82.50 | (+) 60.58 |
| (06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | .. | 1,33,44.21 | 1,33,44.21 | 57,71.85 | 2,44,71.67 | (+) 131.19 |
| योग -796 | .. | 5,73,64.25 | 5,73,64.25 | 3,40,90.07 | 13,61,88.23 | (+) 68.27 |
| योग -80 | .. | 42,49,21.00 | 42,49,21.00 | 39,53,00.00 | 2,41,94,64.11 | (+) 7.49 |
| योग -4801 | .. | 42,49,21.00 | 42,49,21.00 | 39,53,00.00 | 2,41,95,80.36 | (+) 7.49 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (ड) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | |
| 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | (-) 5,00.00 | (-) 5,00.00 (क) | 1.30 | 1.30 (ख) | (-) 38561.54 |
| योग - 4802 | .. | (-) 5,00.00 | (-) 5,00.00 | 1.30 | 1.30 | (-) 38561.54 |
| 4810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 102. सौर ऊर्जा | .. | .. | .. | .. | 1,15.00 (ग) | .. |
| योग - 4810 | .. | .. | .. | .. | 1,15.00 | .. |
| योग -(ड) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा | .. | 42,44,21.00 | 42,44,21.00 | 39,53,01.30 | 2,41,96,96.66 | (+) 7.37 |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101. औद्योगिक क्षेत्र | .. | .. | .. | .. | 1,85.26 | .. |
| 102. लघु उद्योग | .. | .. | .. | .. | 5,21.89 (घ) | .. |
| 103. हथकरघा उद्योग | .. | .. | .. | .. | 10,77.19 (ङ) | .. |

(क) ऋण आंकड़े, राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड, जयपुर से वापसी होने के कारण हैं।

(ख) राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड, जयपुर (₹ 1.30 लाख) में निवेश।

(ग) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड), जयपुर में निवेश।

(घ) इसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 4,63.56 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ङ) इसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 50,83,200), हथकरघा समितियों (₹ 2,50,000) तथा राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,60,00,000) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (घ) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | 23,65.98 | 41,40.98 (क) | (-) 100.00 |
| 200. अन्य ग्रामोद्योग | .. | 7.43 | 7.43 | 57.96 | 13,95.17 | (-) 87.18 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 12.61 | .. |
| योग -4851 | .. | 7.43 | 7.43 | 24,23.94 | 73,33.10 | (-) 99.69 |
| 4852. लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. खनन | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 1.62 (ख) | .. |
| योग -4852 | .. | .. | .. | .. | 1.62 | .. |
| 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. खनिज अन्वेषण तथा विकास | | | | | | |
| 004. अनुसंधान तथा विकास | .. | 5,86.06 | 5,86.06 | 5,02.05 | 78,90.06 (ग) | (+) 16.73 |

(क) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,50.00 लाख) तथा राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 39,90.98 लाख) में निवेश।

(ख) इसमें टाटा स्टील लिमिटेड (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड) मुम्बई (₹ 0.25 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ग) इसमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 30.50 लाख) तथा मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता (₹ 25.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 01. खनिज अन्वेषण तथा विकास - (समाप्त) | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 31,81.97 (क) | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 2,31.25 | 2,31.25 | 2,65.63 | 67,13.95 (ख) | (-) 12.94 |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 1.95 | .. |
| योग -01 | .. | 8,17.31 | 8,17.31 | 7,67.68 | 1,77,87.93 | (+) 6.46 |
| 60. अन्य खनन तथा धातुकर्म उद्योग | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | (-) 6,06.34 (ग) | .. |
| योग -60 | .. | .. | .. | .. | (-) 6,06.34 | .. |
| योग -4853 | .. | 8,17.31 | 8,17.31 | 7,67.68 | 1,71,81.59 | (+) 6.46 |

- (क) इसमें राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 13,78,66,000), राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर (₹ 15,23,50,000) तथा अन्य पूंजीगत व्यय (₹ 2,79,80,715) सम्मिलित है।
- (ख) इसमें राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,44,25,000) तथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर (₹ 56,60,79,634) में निवेश सम्मिलित है।
- (ग) इसमें राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश (₹ 10,00,000) तथा ₹ 6,16,34,359 का ऋण व्यय जो कि झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट योजना से सम्बन्धित प्राप्ति एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है, सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4857. रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. रसायन तथा पेस्टीसाईड उद्योग | | | | | | |
| 004. अनुसंधान तथा विकास | .. | .. | .. | .. | 1,15.59 | .. |
| | | | | | | |
| | योग -4857 | .. | .. | .. | 1,15.59 | .. |
| | | | | | | |
| 4858. इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. विद्युत् इंजीनियरी उद्योग | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 7.50 (क) | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 16.40 (ख) | .. |
| | | | | | | |
| | योग -4858 | .. | .. | .. | 23.90 | .. |

(क) जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर में निवेश ।

(ख) इसमें मान इण्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर तथा ओरियन्टल पॉवर केबल्स लिमिटेड, कोटा में क्रमशः ₹ 15,00,000 तथा ₹ 3,66,500 की राशि का निवेश सम्मिलित है । इसमें अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड से सम्बन्धित ₹ 2,26,250 के ऋण आंकड़े भी सम्मिलित हैं, जो विचाराधीन हैं ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. वस्त्रोद्योग | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 32,76.87 (क) | .. |
| योग -01 | .. | .. | .. | .. | 32,76.87 | .. |
| 04. चीनी | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | 42,57.00 | 42,57.00 | 43,00.00 | 1,28,79.49 (ख) | (-) 1.00 |
| योग -04 | .. | 42,57.00 | 42,57.00 | 43,00.00 | 1,28,79.49 | (-) 1.00 |
| 60. अन्य | | | | | | |
| 214. प्रसाधन उपक्रम | .. | .. | .. | .. | 7.60 (ग) | .. |
| 218. नमक | .. | .. | .. | .. | 1,23.08 | .. |

(क) इसमें सहकारी स्पिनिंग मिल्स (₹ 20,48,57,000), राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा (₹ 2,96,22,900), श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, हनुमानगढ़ (₹ 3,48,05,000), गंगापुर-भीलवाड़ा सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा (₹ 4,54,50,000), मेवाड़ टैक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा (₹ 50,00,000), नेशनल टेक्सटाईल्स कॉरपोरेशन, नई दिल्ली (₹ 45,85,000), जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर (₹ 17,45,800), आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़, अजमेर (₹ 16,00,000) तथा कॉटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज, किशनगढ़ (₹ 20,833) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,22,23,60,786) तथा सहकारी चीनी मिल्स (₹ 6,55,88,000) में निवेश।

(ग) हाईटेक प्रैसीसन ग्लास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर में निवेश जिसका राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में विलय कर दिया गया है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) (घ) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) 60. अन्य - (समाप्त) | | | | | | |
| 600. अन्य | .. | .. | .. | .. | 1,16.62 (क) | .. |
| योग -60 | .. | .. | .. | .. | 2,47.30 | .. |
| योग -4860 | .. | 42,57.00 | 42,57.00 | 43,00.00 | 1,64,03.66 | (-) 1.00 |
| 4875. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 60. अन्य उद्योग | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 11.40 (ख) | .. |
| योग -4875 | .. | .. | .. | .. | 11.40 | .. |
| 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय 01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | 25,00.00 | 1,26,27.70 (ग) | (-) 100.00 |
| योग -190 | .. | .. | .. | 25,00.00 | 1,26,27.70 | (-) 100.00 |

- (क) इसमें जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर (₹ 75,00,000), स्टोन वेअर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर (₹ 12,500) तथा औद्योगिक सहकारी समितियों (₹ 4,71,013) में निवेश सम्मिलित है।
- (ख) इसमें राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली (₹ 10,00,000), श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर (₹ 1,30,000) तथा न्यूज पेपर लिमिटेड, इलाहाबाद (₹ 10,000) में निवेश सम्मिलित है।
- (ग) राजस्थान वित्त निगम, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः) | | | | | | |
| 01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश-(समाप्त) | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 18,05.50 (क) | .. |
| योग -796 | .. | .. | .. | .. | 18,05.50 | .. |
| योग -01 | .. | .. | .. | 25,00.00 | 1,44,33.20 | (-) 100.00 |
| 60. अन्य | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | .. | .. | 26.38 | 26.38 | .. |
| योग - 789 | .. | .. | .. | 26.38 | 26.38 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | 17.18 | 92.18 | (-) 100.00 |
| योग -796 | .. | .. | .. | 17.18 | 92.18 | (-) 100.00 |
| 800. अन्य व्यय | | | | | | |
| (01) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड में निवेश | .. | .. | .. | .. | 1,77,38.58 | .. |

(क) इसमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 15,99.50 लाख) तथा राजस्थान वित्त निगम, जयपुर (₹ 2,03.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः) | | | | | | |
| 60. अन्य -(क्रमशः) | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय -(क्रमशः) | | | | | | |
| (02) जिला उद्योग केन्द्रों हेतु भवन निर्माण | .. | .. | .. | 1,87.31 | 7,02.39 | (-) 100.00 |
| (06) परियोजना विकास निगम का निवेश आयोजना विभाग के माध्यम से | .. | .. | .. | .. | 99.00 | .. |
| (11) नगरीय हाट का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 5,15.00 | .. |
| (12) सी.आई.पी.ई.टी. | .. | .. | .. | .. | 10,25.00 | .. |
| (13) क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट | .. | .. | .. | .. | 13,41.82 | .. |
| (14) सेरेमिक टेस्टिंग लैब | .. | .. | .. | .. | 7,10.78 | .. |
| (15) क्लस्टर डवलपमेंट | .. | 10.69 | 10.69 | 38.00 | 6,39.44 | (-) 71.87 |
| (16) सिकन्दरा स्टोन पार्क की स्थापना | .. | (-) 1,74.94 | (-) 1,74.94 (क) | .. | .. | .. |
| (18) उद्योग भवन | .. | .. | .. | 22.55 | 2,61.07 | (-) 100.00 |
| (19) आर.आर.बी.एस.एस. में निवेश | .. | .. | .. | .. | 50.00 | .. |
| (20) अनुसंधान तथा विकास केन्द्र | .. | .. | .. | .. | 25.40 | .. |
| (21) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी | .. | .. | .. | .. | 9,56.99 | .. |
| (23) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम | .. | (-) 80,00.00 | (-) 80,00.00 (ख) | 20,00.00 | .. | (-) 500.00 |

(क) ऋण व्यय, सिकन्दरा स्टोन पार्क-2007-08 बाबत रीको द्वारा अनुपयोजित राशि जमा कराने के कारण है।

(ख) ऋण व्यय, दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरीडोर की रीको द्वारा अनुपयोजित राशि जमा कराने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | |
| 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त) | | | | | | |
| 60. अन्य -(समाप्त) | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय-(समाप्त) | | | | | | |
| अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक 1 करोड़ रुपये और कम लागत का | .. | .. | .. | .. | 2,54.75 (क) | .. |
| योग -800 | .. | (-) 81,64.25 | (-) 81,64.25 | 22,47.86 | 2,43,20.22 | (-) 463.20 |
| योग -60 | .. | (-) 81,64.25 | (-) 81,64.25 | 22,91.42 | 2,44,38.78 | (-) 456.30 |
| योग -4885 | .. | (-) 81,64.25 | (-) 81,64.25 | 47,91.42 | 3,88,71.98 | (-) 270.39 |
| योग -(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा | .. | (-) 30,82.51 | (-) 30,82.51 | 1,22,83.04 | 7,99,42.84 | (-) 125.10 |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 5002. भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 02. यातायात सुविधाएं | | | | | | |
| 200. अन्य यातायात सुविधाएं | .. | .. | .. | .. | 0.24 (ख) | .. |
| योग -5002 | .. | .. | .. | .. | 0.24 | .. |

(क) इसमें भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण (₹ 5,00,000) तथा अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड (₹ 1,65,000) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) सेन्ट्रल प्रोविन्सेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (₹ 7,600), फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (₹ 9,500) तथा छपरमुख सिलीघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (₹ 6,365) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 5053. नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01. हवाई सेवाएं | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 4,49.27 (क) | .. |
| योग-5053 | .. | .. | .. | .. | 4,49.27 | .. |
| 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें | | | | | | |
| 337. सड़क निर्माण-कार्य | .. | 43,14.13 | 43,14.13 | 53,79.85 | 6,75,92.98 | (-) 19.81 |
| योग -02 | .. | 43,14.13 | 43,14.13 | 53,79.85 | 6, 75,92.98 | (-) 19.81 |
| 03. राज्य राज-मार्ग | | | | | | |
| 337. सड़क निर्माण-कार्य | .. | 5,14,89.25 | 5,14,89.25 | 5,34,12.72 | 40,28,86.98 | (-) 3.60 |
| घटाइये- शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि | .. | (-) 1,62,02.49 | (-) 1,62,02.49 | (-) 1,99,22.27 | (-) 15,92,22.87 | (-) 18.67 |
| घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि | .. | (-) 1,02,87.16 | (-) 1,02,87.16 | (-) 1,21,38.76 | (-) 8,93,35.30 | (-) 15.25 |
| निवल - 337 | .. | 2,49,99.60 | 2,49,99.60 | 2,13,51.69 | 15,43,28.81 | (+) 17.08 |

(क) राजस्थान राज्य नागरिक विमानन निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः) | | | | | | |
| 03. राज्य राज-मार्ग-(समाप्त) | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 72,84.47 | 72,84.47 | 82,59.45 | 3,67,09.93 | (-) 11.80 |
| घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि | .. | (-) 13,00.00 | (-) 13,00.00 | (-) 29,25.82 | (-) 53,38.86 | (-) 55.57 |
| घटाइये- शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि | .. | (-) 20,77.67 | (-) 20,77.67 | (-) 14,65.83 | (-) 1,14,69.41 | (+) 41.74 |
| निवल - 789 | .. | 39,06.80 | 39,06.80 | 38,67.80 | 1,99,01.66 | (-) 1.01 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 48,27.44 | 48,27.44 | 89,70.55 | 2,20,21.83 | (-) 46.19 |
| घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि | .. | (-) 20,68.80 | (-) 20,68.80 | (-) 39,86.89 | (-) 60,55.69 | (-) 48.11 |
| घटाइये- शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि | .. | (-) 11,62.06 | (-) 11,62.06 | (-) 17,55.85 | (-) 58,85.73 | (-) 33.82 |
| निवल - 796 | .. | 15,96.58 | 15,96.58 | 32,27.81 | 1,00,80.41 | (-) 50.54 |
| 799. उर्ध्व | .. | .. | .. | .. | 5,92.13 | .. |
| योग -799 | .. | .. | .. | .. | 5,92.13 | .. |
| योग -03 | .. | 3,05,02.98 | 3,05,02.98 | 2,84,47.30 | 18,49,03.01 | (+) 7.23 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः) | | | | | | |
| 04. जिला तथा अन्य सड़कें | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 2,84,62.04 | 2,84,62.04 | 2,65,06.80 | 8,12,21.22 | (+) 7.38 |
| घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि | .. | .. | .. | .. | (-) 12,32.63 | .. |
| निवल - 789 | .. | 2,84,62.04 | 2,84,62.04 | 2,65,06.80 | 7,99,88.59 | (+) 7.38 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,99,21.94 | 1,99,21.94 | 1,72,08.33 | 6,09,20.62 | (+) 15.77 |
| योग -796 | .. | 1,99,21.94 | 1,99,21.94 | 1,72,08.33 | 6,09,20.62 | (+) 15.77 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 16,72,21.35 | 16,72,21.35 | 11,30,59.61 | 76,91,06.54 | (+) 47.91 |
| घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि | .. | (-) 20,15.46 | (-) 20,15.46 | (-) 29,75.74 | (-) 4,82,86.48 | (-) 32.27 |
| निवल - 800 | .. | 16,52,05.89 | 16,52,05.89 | 11,00,83.87 | 72,08,20.06 | (+) 50.07 |
| योग -04 | .. | 21,35,89.87 | 21,35,89.87 | 15,37,99.00 | 86,17,29.27 | (+) 38.88 |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त) | | | | | | |
| 05. सड़कें | | | | | | |
| 337. सड़क निर्माण-कार्य | .. | 9,33.49 | 9,33.49 | 53,83.72 | 1,63,11.92 | (-) 82.66 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 27.62 | 27.62 | .. | 27.62 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 62.70 | 62.70 | .. | 62.70 | .. |
| योग -05 | .. | 10,23.81 | 10,23.81 | 53,83.72 | 1,64,02.24 | (-) 80.98 |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | .. | 1,58,24.21 | 1,58,24.21 | 1,83,60.10 | 8,49,55.35 | (-) 13.81 |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | 25,00.00 | 25,00.00 | 80,00.00 | 2,37,50.00 (क) | (-) 68.75 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | .. | .. | .. | 6,75.02 | .. |
| 800. अन्य व्यय | .. | 28,77.13 | 28,77.13 | 33,38.20 | 1,79,20.65 | (-) 13.81 |
| योग -80 | .. | 2,12,01.34 | 2,12,01.34 | 2,96,98.30 | 12,73,01.02 | (-) 28.61 |
| योग -5054 | .. | 27,06,32.13 | 27,06,32.13 | 22,27,08.17 | 1,25,79,28.52 | (+) 21.52 |
| 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 050. भूमि तथा भवन | .. | .. | .. | .. | 35.29 | .. |

(क) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,00,00,00,000) एवं सड़क आधारभूत विकास कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,37,49,99,970) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः) | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | |
| 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त) | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | 80,00.00 | 80,00.00 | 1,50,00.00 | 6,12,81.43 (क) | (-) 46.67 |
| योग -5055 | .. | 80,00.00 | 80,00.00 | 1,50,00.00 | 6,13,16.72 | (-) 46.67 |
| योग -(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा | .. | 27,86,32.13 | 27,86,32.13 | 23,77,08.17 | 1,31,96,94.75 | (+) 17.22 |
| (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 800. अन्य व्यय | .. | 11.42 | 11.42 | 1,23.59 | 11,74.91 | (-) 90.76 |
| योग -5425 | .. | 11.42 | 11.42 | 1,23.59 | 11,74.91 | (-) 90.76 |
| योग -(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा | .. | 11.42 | 11.42 | 1,23.59 | 11,74.91 | (-) 90.76 |

(क) इसमें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर (₹ 6,12,13,50,000), कोटा परिवहन कम्पनी लिमिटेड, कोटा (₹ 2,00,000), बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, बूंदी (₹ 12,423) तथा झालावाड़ परिवहन सर्विस लिमिटेड, झालावाड़ (₹ 10,000) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 105. पर्यटन यातायात | .. | .. | .. | .. | 4,75.00 | .. |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 23,37.04 (क) | .. |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 61.80 | 61.80 | 83.03 | 2,83.52 | (-) 25.57 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 1,23.22 | 1,23.22 | 1,95.40 | 25,10.07 (ख) | (-) 36.94 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 24,50.86 | 24,50.86 | 21,93.91 | 2,50,60.29 | (+) 11.71 |
| योग - 5452 | .. | 26,35.88 | 26,35.88 | 24,72.34 | 3,06,65.92 | (+) 6.61 |
| 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | | | | | | |
| 01. सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश | .. | .. | .. | .. | 73,69.39 (ग) | .. |
| योग -01 | .. | .. | .. | .. | 73,69.39 | .. |

(क) इसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 21,12.61 लाख), राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,74.43 लाख) में निवेश तथा ₹ 50.00 लाख पूंजीगत व्यय के सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 81.76 लाख) में निवेश सम्मिलित हैं।

(ग) इसमें मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर (₹ 24,17,20,890), बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर (₹ 46,40,07,150) तथा मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर (₹ 3,12,11,440) में निवेश सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|--|----------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| (अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश - (समाप्त) | | | | | | |
| 02. व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 2,41.79 (क) | .. |
| योग -02 | .. | .. | .. | .. | 2,41.79 | .. |
| योग -5465 | .. | .. | .. | .. | 76,11.18 | .. |
| 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101. भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर) | .. | .. | .. | .. | 1,29.84 | .. |
| 102. नागरिक आपूर्ति | .. | .. | .. | 1.43 | 15,72.12 (ख) | (-) 100.00 |
| 103. कृषि के लिए भूमि सीमा | 0.68 | .. | 0.68 | .. | 2,15.34 | .. |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 55,60.00 (ग) | .. |

(क) इसमें राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर, (₹ 41.79 लाख) तथा राजस्थान राज्य बीवरेज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,00.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं (₹ 3,41,48,709), उपभोक्ता सहकारी भण्डार के राज्य संघ (₹ 2,83,52,865) तथा उपभोक्ता सहकारी भण्डार [₹ 36,88,096 (निवल)] में निवेश सम्मिलित है।

(ग) राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (₹ 60.00 लाख), राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 50,00.00 लाख) तथा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,00.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

| व्यय के प्रकार | वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय | | | 2013-14 के दौरान व्यय | वर्ष 2014-15 के अंत तक व्यय | वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (के.प्र.यो. तथा के. आ. यो. सहित) | योग | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त) | | | | | | |
| 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) | | | | | | |
| 202. जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को मुआवजा | .. | .. | .. | .. | 46,16.91 | .. |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | .. | 33,65.03 | 33,65.03 | 7,24.45 | 56,90.82 | (+) 364.49 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | .. | 25,65.90 | 25,65.90 | 4,94.84 | 41,13.26(क) | (+) 418.53 |
| 800. अन्य व्यय | .. | 1,07,75.34 | 1,07,75.34 | 32,63.26 | 4,58,80.70 | (+) 230.20 |
| योग -5475 | 0.68 | 1,67,06.27 | 1,67,06.95 | 44,83.98 | 6,77,78.99 | (+) 272.59 |
| योग - (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 0.68 | 1,93,42.15 | 1,93,42.83 | 69,56.32 | 10,60,56.09 | (+) 178.06 |
| योग - ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 40.68 | 97,30,40.85 | 97,30,82.86 | 87,78,97.64 | 6,68,44,52.80 | (+) 10.84 |
| कुल योग | 15,31.36 | 1,60,87,36.05 | 1,61,02,68.74 (ख) | 1,36,64,66.08 | 10,89,71,28.69 (ग) | (+) 17.84 |

(क) इसमें जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न समितियों (₹ 10.40 लाख) तथा कमजोर उपभोक्ता सहकारी भंडारों (₹ 4.50 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें स्थानीय निकायों को जारी निधियों से संबंधित ₹ 5,81,79.43 लाख का व्यय सम्मिलित है।

(ग) देखिये पाद टिप्पणी (क)(ii) पृष्ठ क्रमांक 246, (क)(ii) पृष्ठ क्रमांक 250, (क) (ii) तथा (घ) (ii) पृष्ठ क्रमांक 253 तथा (ख) (ii) पृष्ठ क्रमांक 255।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूंजीगत लेखा पर व्यय :- वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 1,61,02,68.74 लाख) गत वर्ष (₹ 1,36,64,66.08 लाख) की तुलना में ₹ 24,38,02.66 लाख से बढ़ा। वृद्धि/कमी मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत थी :-

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राशि | टिप्पणी |
|---|-------------|--|
| (₹ लाख में) | | |
| वृद्धि | | |
| 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | 17,36,62.52 | विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर कार्यों के निष्पादन के कारण । |
| 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 4,79,23.96 | मुख्यतः विश्व बैंक द्वारा पोषित ग्रामीण सड़कों तथा राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना पर अधिक व्यय के कारण। |
| 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 2,96,21.00 | मुख्यतः जनजाति उपयोगिता तथा अनुसूचित जाति संघटक योजना क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत् कम्पनियों में अधिक निवेश के कारण । |
| 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | 2,00,93.34 | मुख्यतः कृषि सेवा केन्द्र तथा ग्राम नॉलेज केन्द्र, राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना, जनजाति क्षेत्र उपयोगिता तथा अनुसूचित जाति संघटक योजना क्षेत्र के लिए भवन निर्माण पर व्यय के कारण । |
| 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 1,55,13.84 | विद्यमान अपूर्ण कार्यों की त्वरित गति तथा नये कार्यों पर व्यय के कारण । |
| 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 1,47,09.46 | मुख्यतः अस्पतालों तथा औषधालयों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन, नाबार्ड ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण के कारण । |
| 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 1,44,53.48 | विभिन्न मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण |
| 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 1,22,22.97 | सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार पर अधिक व्यय के कारण । |
| 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 85,78.90 | जल संसाधन ढाँचा तथा लघु सिंचाई योजनाओं के पुर्नवास पर व्यय के कारण । |
| 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 23,94.14 | मुख्यतः अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आई टी आई भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण । |
| 4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय | 11,47.76 | पशु चिकित्सा सेवाओं तथा पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत अधिक व्यय के कारण । |
| 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 10,48.78 | धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्रों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण । |

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (क्रमशः)

1. पूंजीगत लेखा पर व्यय - (क्रमशः)

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राशि | टिप्पणी |
|---|------------|--|
| (₹ लाख में) | | |
| वृद्धि - (समाप्त) | | |
| 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 9,71.94 | पुलिस आवासों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण। |
| 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 3,59.12 | सामान्य आवासीय भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण। |
| 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 2,52.82 | हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन इन्स्टीट्यूट पर कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण। |
| 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 1,63.54 | पर्यटक भवनों के निर्माण के कारण। |
| कमी | | |
| 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 5,43,48.95 | राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम पर कम व्यय तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना निगम लिमिटेड में गत वर्ष की तुलना में निवेश नहीं करने के कारण। |
| 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय | 1,29,55.67 | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लिमिटेड द्वारा सरकारी लेखों में ₹ 80,00.00 लाख जमा कराने तथा राजस्थान वित्त निगम में निवेश नहीं होने के कारण। |
| 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | 70,00.00 | गत वर्ष की तुलना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कम निवेश के कारण। |
| 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय | 52,92.76 | इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय नहीं होने तथा नाबार्ड के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण सरकारी लेखों में ₹ 9,25.52 लाख जमा कराने के कारण। |
| 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 41,55.71 | मुख्यतः गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के अंतर्गत कम व्यय होने के कारण। |
| 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 35,02.05 | सीमा क्षेत्र विकास के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में कम व्यय होने के कारण। |

विवरण संख्या 16 - (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (समाप्त)

1. पूंजीगत लेखा पर व्यय - (समाप्त)

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राशि | टिप्पणी |
|--|----------|--|
| (₹ लाख में) | | |
| कमी - (समाप्त) | | |
| 4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 31,58.37 | अनुसूचित जनजाति के कल्याण के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में कम व्यय होने के कारण। |
| 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय | 25,05.99 | वानिकी पर गत वर्ष की तुलना में कम व्यय होने के कारण। |
| 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 24,16.51 | सार्वजनिक क्षेत्रों में गत वर्ष की तुलना में निवेश नहीं होने के कारण। |
| 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | 21,72.02 | गत वर्ष की तुलना में अन्य सहकारी समितियों में कम निवेश के कारण। |
| 4705. सिंचित क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 21,01.36 | अनुसूचित जाति संघटक योजना तथा अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में कम व्यय होने के कारण। |

विवरण संख्या 17 –उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) | | ब्याज अदायगी |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | ₹ में | प्रतिशत में | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| डः लोक ऋण | | | | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण * | | | | | | | |
| 101. बाजार कर्ज | | | | | | | |
| (01) ब्याज वाले बाजार कर्ज | 2,28,62,88.34 | .. | 22,97,86.70 | 2,05,65,01.64 | (-) 22,97,86.70 | 10.05 | 17,28,37.15 |
| (02) बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज | 19.03 # | .. | 0.50 | 18.53 | (-) 0.50 | 2.63 | 0.13 |
| (04) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2020 | 55,00,00.00 | .. | .. | 55,00,00.00 | .. | .. | 4,53,80.00 |
| (05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 | 2,30,21,10.00 | 1,23,00,00.00 | .. | 3,53,21,10.00 | (+) 1,23,00,00.00 | 53.43 | 23,42,42.95 |
| योग - 101 | 5,13,84,17.37 | 1,23,00,00.00 | 22,97,87.20 | 6,13,86,30.17 | (+) 1,00,02,12.80 | 19.47 | 45,24,60.23 |
| 103. भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज | 41,03.46 | .. | 5,26.42 | 35,77.04 | (-) 5,26.42 | 12.83 | 3,07.95 |
| 104. भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज | 47,91.12 | .. | 4,46.56 | 43,44.56 | (-) 4,46.56 | 9.32 | 4,36.01 |
| 105. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज | 54,21,67.98 | 18,77,00.39 | 8,16,61.20 | 64,82,07.17 | (+) 10,60,39.19 | 19.56 | 4,01,89.86 |
| 106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र | 33,95,31.73 | 18,06,00.00 | 18,43.91 | 51,82,87.82 | (+) 17,87,56.09 | 52.65 | 2,02,78.91 |
| 108. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज | 2,20,82.02 | 14,28.58 | 42,77.42 | 1,92,33.18 | (-) 28,48.84 | 12.90 | 27,91.53 |
| 109. अन्य संस्थाओं से कर्ज | 48,02.99 # | 1,69.00 | 21,82.08 | 27,89.91 | (-) 20,13.08 | 41.91 | 3,55.57 |
| 111. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 2,00,21,96.75 | 13,47,49.00 | 12,43,71.40 | 2,01,25,74.35 | (+) 1,03,77.60 | 0.52 | 19,65,62.45 |
| योग - 6003 | 8,05,80,93.42 | 1,73,46,46.97 | 44,50,96.19 | 9,34,76,44.20 | (+) 1,28,95,50.78 | 16.00 | 71,33,82.51 |

* कर्जों का ब्यौरा इस विवरण के अनुबन्ध में दिया गया है।

प्रारम्भिक शेष में 1 की वृद्धि/कमी पूर्णांक के कारण है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में | | ब्याज अदायगी |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------|-----------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| ड लोक ऋण- (क्रमशः) | | | | | | | |
| 6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | | | | | | |
| <i>01. योजनेतर कर्ज</i> | | | | | | | |
| 201. आवास निर्माण अग्रिम | | | | | | | |
| (01) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को गृह निर्माण हेतु अग्रिम | 9.14 | .. | 5.58 | 3.56 | (-) 5.58 | 61.05 | 0.92 |
| योग - 201 | 9.14 | .. | 5.58 | 3.56 | (-) 5.58 | 61.05 | 0.92 |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | |
| (01) पुलिस-पुलिस दल का आधुनिकीकरण | 34,28.49 | .. | 2,98.88 | 31,29.61 | (-) 2,98.88 | 8.72 | 4,16.00 |
| (02) मल व्ययन और जल प्रदाय-नल जल प्रदाय योजनाएं | 14,16.94 | .. | 2,31.14 | 11,85.80 | (-) 2,31.14 | 16.31 | 1,30.32 |
| (03) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा- छात्रवृत्तियां | 70.15 | .. | .. | 70.15 | .. | .. | .. |
| (04) विस्थापितों को पुनर्वास हेतु कर्ज | 0.02 | .. | 0.01 | 0.01 | (-) 0.01 | 50.00 | .. * |
| (05) सीमान्त क्षेत्रों में परिचय पत्रों के लिए कर्ज | .. @ | .. | .. | .. @ | .. | .. | .. |
| योग - 800 | 49,15.60 | .. | 5,30.03 | 43,85.57 | (-) 5,30.03 | 10.78 | 5,46.32 |
| योग - 01 | 49,24.74 | .. | 5,35.61 | 43,89.13 | (-) 5,35.61 | 10.88 | 5,47.24 |
| <i>02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज</i> | | | | | | | |
| 101. एक मुश्त कर्ज | | | | | | | |
| (01) वर्ष 2006-07 तक आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्ज | 14,11,01.55 | .. | 1,25,09.88 | 12,85,91.67 | (-) 1,25,09.88 | 8.87 | 1,27,35.27 |
| (02) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु कर्ज | 21,46,06.18 | 7,94,34.60 | 69,92.43 | 28,70,48.35 | (+) 7,24,42.17 | 33.76 | 1,06,31.96 |
| योग- 101 | 35,57,07.73 | 7,94,34.60 | 1,95,02.31 | 41,56,40.02 | (+) 5,99,32.29 | 16.85 | 2,33,67.23 |

* मात्र ₹ 306 ।

@ मात्र ₹ 61 ।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में | | ब्याज अदायगी |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|------|-----------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| डः लोक ऋण - (क्रमशः) | | | | | | | |
| 6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम - (क्रमशः) | | | | | | | |
| 02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | |
| 105. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्ज | 31,32,53.56 | .. | 3,08,70.27 | 28,23,83.29 | (-) 3,08,70.27 | 9.85 | 2,34,94.01 |
| योग - 105 | 31,32,53.56 | .. | 3,08,70.27 | 28,23,83.29 | (-) 3,08,70.27 | 9.85 | 2,34,94.01 |
| योग - 02 | 66,89,61.29 | 7,94,34.60 | 5,03,72.58 | 69,80,23.31 | (+) 2,90,62.02 | 4.34 | 4,68,61.24 |
| 03. केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | |
| (02) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष योजना | 3.69 | .. | .. | 3.69 | .. | .. | .. |
| (03) पुनर्वास-अन्य पुनर्वास योजनाएं | ..* | .. | .. | ..* | .. | .. | .. |
| (04) सहकारिता-अन्य उधार | 1.21 | .. | .. | 1.21 | .. | .. | .. |
| (06) भू-संरक्षण योजनाएं | (-) 1.17 | .. | .. | (-) 1.17 (क) | .. | .. | .. |
| (07) कमान क्षेत्र विकास-आयकट विकास | 25.06 | .. | .. | 25.06 | .. | .. | .. |
| योग - 03 | 28.79 | .. | .. | 28.79 | .. | .. | .. |

* मात्र ₹ 500 ।

(क) ऋण आंकड़े, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त मंत्रालय के अलावा मंत्रालयों द्वारा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को अग्रिम दिये गये केन्द्रीय कर्जों को अपलिखित करने के कारण हैं। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान सी.पी.एस. तथा सी.एस.पी.एस. योजनाओं की पुर्नःभुगतान राशि को वित्त मंत्रालय कर्जों में समायोजित किया गया है। कुछ मामलों में, राज्य सरकार द्वारा 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ऋणों का पुर्नःभुगतान अभी तक असमायोजित है जिसके कारण इन शीर्षों के अन्तर्गत ऋण शेष प्रदर्शित हो रहे हैं।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में | | ब्याज अदायगी |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----|-----------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| डः लोक ऋण - (क्रमशः) | | | | | | | |
| 6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम - (क्रमशः) | | | | | | | |
| 04. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 284. सामान्य (शहरी विकास) - अन्य उधार | 3,01.72 | .. | .. | 3,01.72 | .. | .. | .. |
| योग - 284 | 3,01.72 | .. | .. | 3,01.72 | .. | .. | .. |
| 298. सहकारिता | | | | | | | |
| (01) ऋण सहकारी समितियां | (-) 9.00 | .. | .. | (-) 9.00 (क) | .. | .. | .. |
| योग - 298 | (-) 9.00 | .. | .. | (-) 9.00 | .. | .. | .. |
| 305. कृषि कार्य | (-) 6,07.31 | .. | .. | (-) 6,07.31 (क) | .. | .. | .. |
| योग - 305 | (-) 6,07.31 | .. | .. | (-) 6,07.31 | .. | .. | .. |
| 307. भू और जल संरक्षण | | | | | | | |
| (01) भू संरक्षण योजनाएं | 12,01.69 | .. | .. | 12,01.69 | .. | .. | .. |
| (02) जल संरक्षण योजनाएं | (-) 5,74.93 | .. | .. | (-) 5,74.93 (क) | .. | .. | .. |
| योग - 307 | 6,26.76 | .. | .. | 6,26.76 | .. | .. | .. |
| 321. ग्राम और लघु उद्योग | | | | | | | |
| (01) हथ करघा उद्योग | .. * | .. | .. | .. * | .. | .. | .. |
| योग - 321 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

* मात्र ₹ 105 ।

(क) पृष्ठ संख्या 314 पर पाद टिप्पणी (क) देखें ।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में | प्रतिशत में | ब्याज अदायगी |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| डः लोक ऋण - (क्रमशः) | | | | | | | |
| 6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम - (क्रमशः) | | | | | | | |
| 04. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | |
| 334. पारेषण और वितरण | | | | | | | |
| अन्य उधार | 3.56 | .. | .. | 3.56 | .. | .. | .. |
| योग - 334 | 3.56 | .. | .. | 3.56 | .. | .. | .. |
| 337. अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें | | | | | | | |
| अन्य उधार | 1,43.97 | .. | .. | 1,43.97 | .. | .. | .. |
| योग - 337 | 1,43.97 | .. | .. | 1,43.97 | .. | .. | .. |
| 800. अन्य उधार | | | | | | | |
| (03) कमान क्षेत्र विकास-आयकट विकास | (-) 31.22 | .. | .. | (-) 31.22 (क) | .. | .. | .. |
| (04) मशीनें और उपकरण | ..* | .. | .. | ..* | .. | .. | .. |
| (05) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजना | ..# | .. | .. | ..# | .. | .. | .. |
| योग -800 | (-) 31.22 | .. | .. | (-) 31.22 | .. | .. | .. |
| योग - 04 | 4,28.48 | .. | .. | 4,28.48 | .. | .. | .. |
| 07. 1984-85 पूर्व के कर्ज | | | | | | | |
| 102. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कर्ज स्कीम | | | | | | | |
| (01) 1974 से पूर्व की उधार | 2,11.37 | .. | .. | 2,11.37 | .. | .. | .. |
| 105. लघु बचत कर्ज | 33.59 | .. | .. | 33.59 | .. | .. | .. |

(क) पृष्ठ संख्या 314 पर पाद टिप्पणी (क) देखें ।

* मात्र ₹ 399 ।

मात्र ₹ (-) 334 ।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में | प्रतिशत में | ब्याज अदायगी |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| लोक ऋण - (समाप्त) | | | | | | | |
| 6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम - (समाप्त) | | | | | | | |
| <i>07. 1984-85 पूर्व के कर्ज - (समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 107. 25 वर्ष तथा 30 वर्ष के कर्ज में पुनः समेकित किए गए 1979-80 पूर्व के समेकित कर्ज | 2,95.08 | .. | .. | 2,95.08 | .. | .. | .. |
| योग - 07 | 5,40.04 | .. | .. | 5,40.04 | .. | .. | .. |
| योग - 6004 | 67,48,83.34 | 7,94,34.60 | 5,09,08.19 | 70,34,09.75 | (+) 2,85,26.41 | 4.23 | 4,74,08.48 |
| योग - ङ लोक ऋण | 8,73,29,76.76 | 1,81,40,81.57 | 49,60,04.38 | 10,05,10,53.95 | (+) 1,31,80,77.19 | 15.09 | 76,07,90.99 |
| लोक लेखा * | | | | | | | |
| झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि | | | | | | | |
| (ख) राज्य भविष्य निधियां | | | | | | | |
| 8009. राज्य भविष्य निधि | 1,98,23,07.61 | 42,48,54.40 | 21,70,53.45 | 2,19,01,08.56 | (+)20,78,00.95 | 10.48 | 18,53,13.67 |
| योग-(ख) राज्य भविष्य निधियां | 1,98,23,07.61 | 42,48,54.40 | 21,70,53.45 | 2,19,01,08.56 | (+)20,78,00.95 | 10.48 | 18,53,13.67 |
| (ग) अन्य लेखा | | | | | | | |
| 8011. बीमा तथा पेंशन निधि | 94,42,59.01 | 28,33,30.03 | 19,29,55.80 | 1,03,46,33.24 | (+) 9,03,74.23 | 9.57 | 8,54,83.02 |
| योग-(ग) अन्य लेखा | 94,42,59.01 | 28,33,30.03 | 19,29,55.80 | 1,03,46,33.24 | (+) 9,03,74.23 | 9.57 | 8,54,83.02 |
| योग - झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि | 2,92,65,66.62 | 70,81,84.43 | 41,00,09.25 | 3,22,47,41.80 | (+) 29,81,75.18 | 10.19 | 27,07,96.69 |

* विस्तृत लेखा विवरण संख्या 21 में दिया गया है ।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में | | ब्याज अदायगी |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------|-----------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| लोक लेखा - (क्रमशः) | | | | | | | |
| ज. आरक्षित निधि | | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | | | | | | |
| 8115. मूल्य हास / नवीकरण आरक्षित निधि | 95,59.32 | (-) 6,01.48 (क) | 15,43.16 | 74,14.68 | (-) 21,44.64 | 22.44 | .. |
| 8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां | 1,14,74.22 * | 17,43,85.03 | 15,70,56.88 | 2,88,02.37 | (+) 1,73,28.15 | 151.02 | .. |
| योग - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 2,10,33.54 | 17,37,83.55 | 15,86,00.04 | 3,62,17.05 | (+) 1,51,83.51 | 72.19 | .. |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | | | | | | |
| 8225. सड़क तथा सेतु निधि | 98,00.25 | 2,80,00.00 | 1,56,71.42 | 2,21,28.83 | (+) 1,23,28.58 | 125.80 | .. |
| 8229. विकास तथा कल्याण निधि | 72,78.21 | 1,89.48 | 7,93.03 | 66,74.66 | (-) 6,03.55 | 8.29 | .. |
| 8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां | 7,79,61.18 * | 3,41,85.92 | 4,86,22.10 | 6,35,25.00 | (-) 1,44,36.18 | 18.52 | .. |
| योग - (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 9,50,39.64 | 6,23,75.40 | 6,50,86.55 | 9,23,28.49 | (-) 27,11.15 | 2.85 | .. |
| योग-ज. आरक्षित निधि | 11,60,73.18 | 23,61,58.95 | 22,36,86.59 | 12,85,45.54 | (+) 1,24,72.36 | 10.75 | .. |

(क) ऋण आंकड़े, पांच अप्रचलित आरक्षित निधियों, राज्य सरकार द्वारा इन निधियों के बंद करने के पश्चात् अवशेष राशि को राजस्व प्राप्ति में अंतरण के कारण हैं।

* प्रारम्भिक शेष में 1 की कमी/वृद्धि पूर्णांक के कारण है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (समाप्त)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) | | ब्याज अदायगी |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | ₹ में | प्रतिशत में | |
| | (₹ लाख में) | | | | | | |
| लोक लेखा - (समाप्त) | | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम | | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली जमा | | | | | | | |
| 8338. स्थानीय निधियों की जमा | 26,38,09.67 | 8,60,10.47 | 5,33,06.36 | 29,65,13.78 | (+) 3,27,04.11 | 12.40 | .. |
| 8342. अन्य जमा | 11,24,83.46 | 5,43,08.85 | 5,24,79.01 | 11,43,13.30 | (+) 18,29.84 | 1.63 | .. |
| योग- (क) ब्याज वाली जमा | 37,62,93.13 | 14,03,19.32 | 10,57,85.37 | 41,08,27.08 | (+) 3,45,33.95 | 9.18 | .. |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा | | | | | | | |
| 8443. सिविल जमा | 55,01,17.66 | 2,36,26,87.00 | 2,29,94,98.03 | 61,33,06.63 | (+) 6,31,88.97 | 11.49 | .. |
| 8448. स्थानीय निधियों की जमा | 28,33,82.70 | 6,94,40,90.92 | 6,90,97,06.32 | 31,77,67.30 | (+) 3,43,84.60 | 12.13 | .. |
| 8449. अन्य जमा | 56,03.34 | 1,25,88,52.80 | 1,24,98,46.88 | 1,46,09.26 | (+) 90,05.92 | 160.72 | .. |
| योग-(ख) बिना ब्याज वाली जमा | 83,91,03.70 | 10,56,56,30.72 | 10,45,90,51.23 | 94,56,83.19 | (+) 10,65,79.49 | 12.70 | .. |
| योग - ट. जमा तथा अग्रिम | 1,21,53,96.83 | 10,70,59,50.04 | 10,56,48,36.60 | 1,35,65,10.27 | (+) 14,11,13.44 | 11.61 | .. |
| कुल योग | 12,99,10,13.39 | 13,46,43,74.99 | 11,69,45,36.82 | 14,76,08,51.56 | (+) 1,76,98,38.17 | 13.62 | 1,03,15,87.68 |

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि

(i) घरेलू मुद्रा में भुगतान योग्य आंतरिक ऋणों की परिपक्व रूप रेखा

| वर्ष | बाजार कर्ज (राजस्थान राज्य विकास ऋण अथवा राजस्थान सरकार स्टॉक) | कर्ज जहाँ से | | | क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र | अर्थोपाय अग्रिम | केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज | अन्य संस्थाओं से कर्ज | योग |
|---------------|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|---------------|
| | | जीवन बीमा निगम | सामान्य बीमा निगम | नाबार्ड | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| 2014-15 तक | 18.53 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18.53 |
| 2015-16 | 19,93,25.24 | .. | .. | 9,46,63.16 | 18,43.91 | .. | 12,50,91.95 | .. | .. | 42,09,24.26 |
| 2016-17 | 17,29,00.60 | .. | .. | 11,16,44.85 | 18,43.91 | .. | 12,71,03.90 | .. | .. | 41,34,93.26 |
| 2017-18 | 39,86,95.80 | .. | .. | 13,21,56.80 | .. | .. | 12,71,03.90 | .. | .. | 65,79,56.50 |
| 2018-19 | 63,55,80.00 | .. | .. | 11,21,56.80 | .. | .. | 12,95,23.90 | .. | .. | 87,72,60.70 |
| 2019-20 | 75,00,00.00 | .. | .. | 9,15,23.72 | .. | .. | 13,20,03.85 | .. | .. | 97,35,27.57 |
| 2020-21 | 61,80,00.00 | .. | .. | 6,85,21.76 | .. | .. | 13,87,41.30 | .. | .. | 82,52,63.06 |
| 2021-22 | 45,00,00.00 | .. | .. | 3,75,40.08 | .. | .. | 13,87,41.30 | .. | .. | 62,62,81.38 |
| 2022-23 | 80,41,10.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 13,87,41.30 | .. | .. | 94,28,51.30 |
| 2023-24 | 88,00,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 13,87,41.30 | .. | .. | 1,01,87,41.30 |
| 2024-25 | 1,23,00,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 13,87,41.30 | .. | .. | 1,36,87,41.30 |
| 2025-26 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13,02,14.60 | .. | .. | 13,02,14.60 |
| 2026-27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11,91,95.50 | .. | .. | 11,91,95.50 |
| 2027-28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10,60,03.45 | .. | .. | 10,60,03.45 |
| 2028-29 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,90,13.80 | .. | .. | 8,90,13.80 |

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि - (क्रमशः)

(i) घरेलू मुद्रा में भुगतान योग्य आंतरिक ऋणों की परिपक्व रूप रेखा - (समाप्त)

| वर्ष | बाजार कर्ज (राजस्थान राज्य विकास ऋण अथवा राजस्थान सरकार स्टॉक) | कर्ज जहाँ से | | | क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र | अर्थोपाय अग्रिम | केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज | अन्य संस्थाओं से कर्ज | योग |
|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|
| | | जीवन बीमा निगम | सामान्य बीमा निगम | नाबार्ड | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| 2029-30 | .. | .. | .. | .. | 51,46,00.00 | .. | 6,83,86.25 | .. | .. | 58,29,86.25 |
| 2030-31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,31,72.00 | .. | .. | 4,31,72.00 |
| 2031-32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,49,10.15 | .. | .. | 2,49,10.15 |
| 2032-33 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,52,09.60 | .. | .. | 1,52,09.60 |
| 2033-34 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,46,86.10 | .. | .. | 1,46,86.10 |
| 2034-35 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,43,69.90 | .. | .. | 1,43,69.90 |
| 2035-36 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,36,49.35 | .. | .. | 1,36,49.35 |
| 2036-37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,16,37.40 | .. | .. | 1,16,37.40 |
| 2037-38 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,16,37.40 | .. | .. | 1,16,37.40 |
| 2038-39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92,17.40 | .. | .. | 92,17.40 |
| 2039-40 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 67,37.45 | .. | .. | 67,37.45 |
| * | .. | 35,77.04 | 43,44.56 | .. | .. | .. | .. | 1,92,33.18 | 27,89.91 | 2,99,44.69 |
| योग | 6,13,86,30.17 | 35,77.04 | 43,44.56 | 64,82,07.17 | 51,82,87.82 | .. | 2,01,25,74.35 | 1,92,33.18 | 27,89.91 | 9,34,76,44.20 |

* सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि - (समाप्त)

(ii) भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की परिपक्व रूपरेखा

| वर्ष | योजनेत्तर कर्ज | संघ/राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज | केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज | केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज | 1984-85 से पूर्व के कर्ज | योग |
|---------------|-----------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| 2015-16 | 5,20.07 | .. | .. | .. | .. | 5,20.07 |
| 2016-17 | 5,05.29 | .. | .. | .. | .. | 5,05.29 |
| 2017-18 | 5,01.07 | .. | .. | .. | .. | 5,01.07 |
| 2018-19 | 4,71.49 | .. | .. | .. | .. | 4,71.49 |
| 2019-20 | 4,45.03 | .. | .. | .. | .. | 4,45.03 |
| 2020-21 | 3,91.23 | .. | .. | .. | .. | 3,91.23 |
| 2021-22 | 3,08.33 | .. | .. | .. | .. | 3,08.33 |
| 2022-23 | 2,50.24 | .. | .. | .. | .. | 2,50.24 |
| 2023-24 | 2,47.14 | .. | .. | .. | .. | 2,47.14 |
| 2024-25 | 2,45.59 | .. | .. | .. | .. | 2,45.59 |
| 2025-26 | 2,45.59 | .. | .. | .. | .. | 2,45.59 |
| 2026-27 | 1,54.54 | .. | .. | .. | .. | 1,54.54 |
| 2027-28 | 32.34 | .. | .. | .. | .. | 32.34 |
| 2028-29 | 1.03 | .. | .. | .. | .. | 1.03 |
| * | 70.15 | 69,80,23.31 | 28.79 | 4,28.48 | 5,40.04 | 69,90,90.77 |
| योग | 43,89.13 | 69,80,23.31 | 28.79 | 4,28.48 | 5,40.04 | 70,34,09.75 |

* सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा

(i) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

| ब्याज की दर (प्रतिशत) | ब्याज वाले बाजार कर्ज | क्षतिपूर्ति तथा अन्य बंध पत्र | भारत सरकार की राष्ट्रीय अल्पबचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | जीवन बीमा निगम बीमा | सामान्य बीमा निगम | नाबार्ड | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम | 31 मार्च 2015 को बकाया राशि | | योग में हिस्सा |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | अन्य | योग | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| 05.00 से 05.99 | 8,01,19.05 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,01,19.05 | 0.86 |
| 06.00 से 06.99 | 15,43,22.89 | .. | .. | .. | .. | 33,84,64.81 | .. | .. | 49,27,87.70 | 5.27 |
| 07.00 से 07.99 | 96,34,17.20 | .. | .. | .. | .. | 30,97,42.36 | .. | .. | 1,27,31,59.56 | 13.62 |
| 08.00 से 08.99 | 3,77,24,52.50 | 8,42,87.82 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,85,67,40.32 | 41.26 |
| 09.00 से 09.99 | 1,16,83,00.00 | 13,40,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,30,23,00.00 | 13.93 |
| 10.00 से 10.99 | .. | 30,00,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,00,00.00 | 3.21 |
| * | .. | .. | 2,01,25,74.35 | 35,77.04 | 43,44.56 | .. | 1,92,33.18 | 27,89.91 | 2,04,25,19.04 | 21.85 |
| योग | 6,13,86,11.64 | # 51,82,87.82 | 2,01,25,74.35 | 35,77.04 | 43,44.56 | 64,82,07.17 | 1,92,33.18 | 27,89.91 | 9,34,76,25.67 | # 100.00 |

* ब्याज की दर से सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

इसमें बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज से सम्बन्धित ₹ 18.53 लाख सम्मिलित नहीं है {शीर्ष 6003-101(02)}।

विवरण संख्या 17 - (समाप्त)

(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा - (समाप्त)

(ii) भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

| ब्याज की दर (प्रतिशत) | 31 मार्च 2015 को बकाया राशि | | योग में हिस्सा |
|--------------------------|-------------------------------|--|----------------|
| | भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | |
| | (₹ लाख में) | | |
| 9.99 | 11,85.80 | | 0.17 |
| 10 से 10.99 | 5.42 | | .. |
| 11 से 11.99 | 4,63.60 | | 0.07 |
| 12 से 12.99 | 26,08.38 | | 0.37 |
| 13 से 13.99 | 55.77 | | 0.01 |
| * | 69,90,90.78 | | 99.38 |
| योग | 70,34,09.75 | | 100.00 |

* ब्याज की दर से सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | (₹ लाख में) | | | |
| ड. लोक ऋण | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण | | | | |
| 101. बाजार कर्ज | | | | |
| (01) ब्याज वाले बाजार कर्ज | | | | |
| [35] 6.20% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2015 | 25.08.2003 | 3,81,22.89 | .. | 3,81,22.89 |
| [36] 5.85% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2015 | 13.10.2003 | 5,71,19.15 | .. | 5,71,19.15 |
| [37] 5.90% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2017 | 19.01.2004 | 2,29,99.90 | .. | 2,29,99.90 |
| [38] 5.85% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2015 (द्वितीय श्रृंखला) | 19.02.2004 | 3,00,02.90 | .. | 3,00,02.90 |
| [40] 5.60% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2014 | 21.04.2004 | 5,12,84.00 | .. | 5,12,84.00 |
| [41] 5.70% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2014 | 26.05.2004 | 4,95,32.70 | .. | 4,95,32.70 |
| [43] 7.36% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2014 | 06.11.2004 | 5,04,86.00 | .. | 5,04,86.00 |
| [44] 7.32% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2014 | 08.12.2004 | 2,17,06.10 | .. | 2,17,06.10 |
| [45] 7.02% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2015 | 11.01.2005 | 2,67,75.00 | .. | 2,67,75.00 |
| [46] 7.77% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2015 | 17.05.2005 | 5,40,83.20 | .. | 5,40,83.20 |
| [47] 7.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2016 | 28.02.2006 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [48] 8.62% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2016 | 14.07.2006 | 2,25,00.00 | .. | 2,25,00.00 |
| [49] 8.11% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2016 | 28.08.2006 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [50] 7.74% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2016 | 17.11.2006 | 2,74,01.00 | .. | 2,74,01.00 |
| [51] 7.81% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2016 | 15.12.2006 | 3,00,00.00 | .. | 3,00,00.00 |
| [52] 8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2017 | 14.03.2007 | 1,99,99.70 | .. | 1,99,99.70 |
| [53] 8.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2017 | 20.04.2007 | 7,50,00.00 | .. | 7,50,00.00 |
| [54] 8.46% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2017 | 20.06.2007 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [55] 8.32% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2017 | 09.10.2007 | 9,50,00.00 | .. | 9,50,00.00 |
| [56] 8.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2017 | 03.12.2007 | 2,15,00.00 | .. | 2,15,00.00 |

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | (₹ लाख में) | | |
| ड. लोक ऋण – (क्रमशः) | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 101. बाजार कर्ज –(क्रमशः) | | | | |
| (01) ब्याज वाले बाजार कर्ज –(क्रमशः) | | | | |
| [57] 8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018 | 08.01.2008 | 6,00,00.00 | .. | 6,00,00.00 |
| [58] 7.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018 | 25.01.2008 | 5,49,33.00 | .. | 5,49,33.00 |
| [59] 7.93% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018 | 18.02.2008 | 2,20,00.00 | .. | 2,20,00.00 |
| [60] 8.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018 | 27.03.2008 | 2,02,62.80 | .. | 2,02,62.80 |
| [61] 8.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018 | 26.09.2008 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [62] 8.26% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018 | 12.11.2008 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [63] 7.80% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018 | 21.11.2008 | 10,00,00.00 | .. | 10,00,00.00 |
| [64] 6.41% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018 | 24.12.2008 | 11,62,00.00 | .. | 11,62,00.00 |
| [65] 7.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 06.02.2009 | 10,00,00.00 | .. | 10,00,00.00 |
| [66] 7.77% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 02.03.2009 | 12,50,00.00 | .. | 12,50,00.00 |
| [67] 8.46% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 18.03.2009 | 5,92,61.00 | .. | 5,92,61.00 |
| [68] 8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 25.03.2009 | 3,51,19.00 | .. | 3,51,19.00 |
| [69] 7.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 27.05.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [70] 7.83% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 24.06.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [71] 7.77% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 (द्वितीय श्रृंखला) | 30.07.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [72] 7.95% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 04.08.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [73] 8.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 26.08.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [74] 8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 09.09.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [75] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 23.09.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [76] 8.21% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 07.10.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | (₹ लाख में) | | | |
| ड. लोक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 101. बाजार कर्ज –(क्रमशः) | | | | |
| (01) ब्याज वाले बाजार कर्ज –(समाप्त) | | | | |
| [77] 8.10% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 30.10.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [78] 8.11% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 11.11.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [79] 8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 25.11.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [80] 8.26% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 09.12.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [81] 8.35% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 | 23.12.2009 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| | योग- (01) | 2,28,62,88.34 | .. | 2,05,65,01.64 |
| (02) बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज – कालातीत ऋण: | | | | |
| [21] 7.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 1997 | 14.07.1982 | 2.38 | .. | 2.38 |
| [22] 9.75% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 1998 | 20.08.1985 | 2.05 | .. | 2.05 |
| [23] 9.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 1999 | 23.08.1984 | 0.03 | .. | 0.03 |
| [24] 8.75% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2000 | 28.08.1983 | 2.96 | .. | 2.96 |
| [25] 11.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2001 | 01.09.1986 | 0.94 * | .. | 0.94 |
| [26] 11.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2002 | 17.08.1987 | 1.00 | .. | 1.00 |
| [27] 13.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2003 | 15.07.1993 | 0.50 | .. | 0.50 |
| [28] 12.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2004 | 25.04.1994 | 0.20 | .. | 0.20 |
| [29] 14.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2005 | 22.05.1995 | 1.00 | .. | 1.00 |
| [30] 13.85% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2006 | 15.05.1996 | 0.60 | .. | 0.60 |

* प्रारम्भिक शेष में 1 की वृद्धि पूर्णांक के कारण है।

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | (₹ लाख में) | | | |
| ड. लोक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 101. बाजार कर्ज –(क्रमशः) | | | | |
| (02) बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज – (समाप्त) | | | | |
| कालातीत ऋण –(समाप्त) | | | | |
| [32] 13.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2007 | 20.07.1992 | 0.82 | .. | 0.82 |
| [33] 13.05% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2007 | 30.04.1997 | 2.00 | .. | 2.00 |
| [37] 11.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2009 | 06.09.1989 | 0.05 | .. | 0.05 |
| [38] 12.25% राजस्थानराज्य विकास ऋण, 2009 | 21.04.1999 | 4.00 | .. | 4.00 |
| [43] 10.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2011 | 20.03.2001 | 0.50 | .. | 0.50 |
| | योग –(02) | 19.03 | .. | 0.50 |
| | | | | 18.53 |
| (04) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2020 | | | | |
| [01] 8.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 06.01.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [02] 8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 20.01.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [03] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 25.05.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [04] 8.11% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 09.06.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [05] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 23.06.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [06] 8.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 07.07.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [07] 8.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 21.07.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [08] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 25.08.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [09] 8.35% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 06.10.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| (₹ लाख में) | | | | |
| ड. लोक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 101. बाजार कर्ज –(क्रमशः) | | | | |
| (04) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2020 –(समाप्त) | | | | |
| [10] 8.51% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 27.10.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [11] 8.39% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020 | 24.11.2010 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| | योग –(04) | 55,00,00.00 | .. | 55,00,00.00 |
| (05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 | | | | |
| [01] 8.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021 | 02.02.2011 | 8,00,00.00 | .. | 8,00,00.00 |
| [02] 8.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021 | 17.02.2011 | 8,80,00.00 | .. | 8,80,00.00 |
| [03] 8.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021 | 21.09.2011 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [04] 8.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021 | 05.10.2011 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [05] 9.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021 | 12.10.2011 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [06] 9.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021 | 09.11.2011 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [07] 9.02% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021 | 07.12.2011 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [08] 9.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021 | 24.11.2011 | 3,83,00.00 | .. | 3,83,00.00 |
| [09] 8.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021 | 21.12.2011 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [10] 8.74% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 | 11.01.2012 | 6,17,00.00 | .. | 6,17,00.00 |
| [11] 9.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 | 30.03.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [12] 9.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 | 23.05.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [13] 8.87% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 | 06.06.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [14] 8.89% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 | 04.07.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [15] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 | 18.07.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | (₹ लाख में) | | |
| ड. लोक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 101. बाजार कर्ज –(क्रमशः) | | | | |
| (05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 –(क्रमशः) | | | | |
| [16] 8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 | 08.08.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [17] 8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला) | 22.08.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [18] 8.91% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 | 05.09.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [19] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 | 19.09.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [20] 8.85% राजस्थान सरका स्टॉक, 2022 | 03.10.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [21] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला) | 17.10.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [22] 8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (तृतीय श्रृंखला) | 21.11.2012 | 10,00,00.00 | .. | 10,00,00.00 |
| [23] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला) | 19.12.2012 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [24] 8.56% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 23.01.2013 | 10,00,00.00 | .. | 10,00,00.00 |
| [25] 8.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 20.03.2013 | 5,41,10.00 | .. | 5,41,10.00 |
| [26] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 08.05.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [27] 7.58% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 22.05.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [28] 7.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 05.06.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [29] 7.74% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 19.06.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [30] 7.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 03.07.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [31] 9.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 01.08.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [32] 9.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 14.08.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [33] 9.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 28.08.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [34] 9.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 11.09.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [35] 9.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला) | 25.09.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | (₹ लाख में) | | |
| ड. लोक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 101. बाजार कर्ज –(क्रमशः) | | | | |
| (05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 –(क्रमशः) | | | | |
| [36] 9.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 09.10.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [37] 9.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला) | 23.10.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [38] 9.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 06.11.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [39] 9.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 20.11.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [40] 9.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला) | 04.12.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [41] 9.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 | 18.12.2013 | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 |
| [42] 9.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 26.03.2014 | 8,00,00.00 | .. | 8,00,00.00 |
| [43] 9.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 10.04.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [44] 9.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 23.04.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [45] 9.21% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 15.05.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [46] 9.11% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 28.05.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [47] 8.79% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 11.06.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [48] 8.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 25.06.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [49] 8.96% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 09.07.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [50] 8.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 23.07.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [51] 9.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 13.08.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [52] 8.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 (द्वितीय श्रृंखला) | 27.08.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [53] 8.99% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 10.09.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [54] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 24.09.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |
| [55] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 16.10.2014 | .. | 5,00,00.00 | 5,00,00.00 |

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | (₹ लाख में) | | | | | |
| ड. लोक ऋण –(क्रमशः) | | | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः) | | | | | | |
| 101. बाजार कर्ज –(समाप्त) | | | | | | |
| (05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 –(समाप्त) | | | | | | |
| [56] 8.71% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 29.10.2014 | .. | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 | |
| [57] 8.42% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 12.11.2014 | .. | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 | |
| [58] 8.43% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 26.11.2014 | .. | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 | |
| [59] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 10.12.2014 | .. | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 | |
| [60] 8.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 | 24.12.2014 | .. | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 | |
| [61] 8.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 | 14.01.2015 | .. | 5,00,00.00 | .. | 5,00,00.00 | |
| [62] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 | 28.01.2015 | .. | 10,00,00.00 | .. | 10,00,00.00 | |
| [63] 8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 | 11.02.2015 | .. | 7,50,00.00 | .. | 7,50,00.00 | |
| [64] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (द्वितीय श्रृंखला) | 25.02.2015 | .. | 7,50,00.00 | .. | 7,50,00.00 | |
| [65] 8.02% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 | 25.03.2015 | .. | 3,00,00.00 | .. | 3,00,00.00 | |
| | योग –(05) | | 2,30,21,10.00 | 1,23,00,00.00 | .. | 3,53,21,10.00 |
| | योग –101 | | 5,13,84,17.37 | 1,23,00,00.00 | 22,97,87.20 | 6,13,86,30.17 |
| 103. भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज | | | 41,03.46 | .. | 5,26.42 | 35,77.04 |
| | योग –103 | | 41,03.46 | .. | 5,26.42 | 35,77.04 |
| 104. भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज | | | 47,91.12 | .. | 4,46.56 | 43,44.56 |
| | योग –104 | | 47,91.12 | .. | 4,46.56 | 43,44.56 |

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | (₹ लाख में) | | | |
| ड. लोक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः) | | | | |
| 105. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज | | | | |
| (01) राष्ट्रीय ग्रामीण साख (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि के अन्तर्गत उधार | 2,39.37 | .. | 59.12 | 1,80.25 |
| (02) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत उधार | 54,19,28.61 | 18,77,00.39 | 8,16,02.08 | 64,80,26.92 |
| योग - 105 | 54,21,67.98 | 18,77,00.39 | 8,16,61.20 | 64,82,07.17 |
| 106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र | | | | |
| (02) विशेष बॉण्ड (पावर बॉण्ड्स) | | | | |
| [18] 8.50% टैक्स फ्री राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स अप्रैल, 2015 | 18.08.2003 | 18,43.91 | .. | 18,43.91 |
| [19] 8.50% टैक्स फ्री राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स अक्टूबर, 2015 (द्वितीय श्रेणी) | 18.08.2003 | 18,43.91 | .. | 18,43.91 |
| [20] 8.50% टैक्स फ्री राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स अप्रैल, 2016 | 18.08.2003 | 18,43.91 | .. | 18,43.91 |
| योग -02 | 55,31.73 | .. | 18,43.91 | 36,87.82 |
| (03) विद्युत् वितरण निगम से बन्ध पत्रों का क्रय | | | | |
| [01] 10.03% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित) | 29.03.2014 | 33,40,00.00 | (-) 3,40,00.00 (क) | .. |
| [02] 9.99% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित) | 29.03.2014 | .. | 3,40,00.00 | .. |
| [03] 9.16% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित) | 17.10.2014 | .. | 10,00,00.00 | .. |
| [04] 8.45% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित) | 15.01.2015 | .. | 8,06,00.00 | .. |
| योग -(03) | 33,40,00.00 | 18,06,00.00 | .. | 51,46,00.00 |
| योग -106 | 33,95,31.73 | 18,06,00.00 | 18,43.91 | 51,82,87.82 |

(क) ऋण आंकड़े, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित करने के पश्चात् प्रारम्भिक शेष ₹ 33,40.00 लाख को दो कर्जों में विभक्त करने के कारण हैं।

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध – (समाप्त)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान चुकारे | 31 मार्च 2015 को शेष |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | (₹ लाख में) | | | |
| ड. लोक ऋण – (समाप्त) | | | | |
| 6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण – (समाप्त) | | | | |
| 108. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज | 2,20,82.02 | 14,28.58 | 42,77.42 | 1,92,33.18 |
| योग - 108 | 2,20,82.02 | 14,28.58 | 42,77.42 | 1,92,33.18 |
| 109. अन्य संस्थाओं से कर्ज | | | | |
| (01) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से उधार | 1.45 | .. | .. | 1.45 |
| (04) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से उधार | 38.51 | .. | .. | 38.51 |
| (05) आवासन तथा शहरी विकास निगम से उधार | 1,76.10 | .. | .. | 1,76.10 |
| (06) हाउसिंग डवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण हेतु उधार | 45,86.93 * | .. | 21,82.08 | 24,04.85 |
| (08) राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र योजना बोर्ड | .. | 1,69.00 | .. | 1,69.00 |
| योग - 109 | 48,02.99 | 1,69.00 | 21,82.08 | 27,89.91 |
| 111. केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | | | | |
| (01) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 2,00,21,96.75 | 13,47,49.00 | 12,43,71.40 | 2,01,25,74.35 |
| योग - 111 | 2,00,21,96.75 | 13,47,49.00 | 12,43,71.40 | 2,01,25,74.35 |
| योग - 6003 | 8,05,80,93.42 | 1,73,46,46.97 | 44,50,96.19 | 9,34,76,44.20 |

* प्रारम्भिक शेष में 1 की कमी पूर्णांक के कारण है।

विवरण संख्या 18 – सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण

(कुल संवितरण में से, आयोजना प्रयोजन हेतु राशि प्रत्येक मुख्य शीर्ष के लिए संवितरण की कुल राशि के नीचे कोष्ठक में दर्शायी गई है)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल | वर्ष के | योग | वर्ष के | अवसूली योग्य | 31 मार्च | वर्ष के दौरान | | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
| | 2014 | दौरान | | दौरान | उधार तथा अग्रिम | 2015 | निवल वृद्धि (+)/कमी (-) | राशि प्रतिशत | |
| | को शेष | अग्रिम | | पुनर्भुगतान | का अपलेखन | को शेष | | | |
| <i>(₹ लाख में)</i> | | | | | | | | | |
| 1. सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | | | |
| 6075. विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | | |
| (01) हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान के मैस फण्ड को उधार | 11.26 | .. | 11.26 | 5.00 | .. | 6.26 | (-) 5.00 | 44.40 | .. |
| योग- 6075 | 11.26 | .. | 11.26 | 5.00 | .. | 6.26 | (-) 5.00 | 44.40 | .. |
| योग- 1. सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज | 11.26 | .. | 11.26 | 5.00 | .. | 6.26 | (-) 5.00 | 44.40 | .. |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | | | |
| <i>(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति</i> | | | | | | | | | |
| 6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज | | | | | | | | | |
| <i>01. सामान्य शिक्षा</i> | | | | | | | | | |
| 203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा | | | | | | | | | |
| (01) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति | 95.77 | .. | 95.77 | 0.13 | .. | 95.64 | (-) 0.13 | 0.14 | .. |
| योग - (01) | 95.77 | .. | 95.77 | 0.13 | .. | 95.64 | (-) 0.13 | 0.14 | .. |
| (02) विश्वविद्यालयों को उधार | | | | | | | | | |
| [01] जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर | 32,99.73 | .. | 32,99.73 | 4,00.00 | .. | 28,99.73 | (-) 4,00.00 | 12.12 | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 01. सामान्य शिक्षा - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - (समाप्त) | | | | | | | | |
| (02) विश्वविद्यालयों को उधार - (समाप्त) | | | | | | | | |
| [02] मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को उधार | 7,20.00 | .. | 7,20.00 | 80.00 | .. | 6,40.00 | (-) 80.00 11.11 | .. |
| योग - (02) | 40,19.73 | .. | 40,19.73 | 4,80.00 | .. | 35,39.73 | (-) 4,80.00 11.94 | .. |
| योग - 01 | 41,15.50 | .. | 41,15.50 | 4,80.13 | .. | 36,35.37 | (-) 4,80.13 11.67 | .. |
| 02. तकनीकी शिक्षा | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) अध्ययन के लिये छात्रों को उधार | 3.98 * | .. | 3.98 | .. | .. | 3.98 | | .. |
| योग - 02 | 3.98 | .. | 3.98 | .. | .. | 3.98 | | .. |
| योग - 6202 | 41,19.48 | .. | 41,19.48 | 4,80.13 | .. | 36,39.35 | (-) 4,80.13 11.66 | .. |
| योग - (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 41,19.48 | .. | 41,19.48 | 4,80.13 | .. | 36,39.35 | (-) 4,80.13 11.66 | .. |

* पूर्णांक के कारण प्रारम्भिक शेष में 1 से वृद्धि की गयी।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे- (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण | | | | | | | | |
| 6210. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | | | | | | | | |
| 105. ऐलोपैथी | | | | | | | | |
| (01) चिकित्सा विश्वविद्यालयों को उधार | | | | | | | | |
| [01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को उधार | | | | | | | | |
| | 5,00.00 | .. | 5,00.00 | .. | .. | 5,00.00 | .. | .. |
| योग -03 | 5,00.00 | .. | 5,00.00 | .. | .. | 5,00.00 | .. | .. |
| 80. सामान्य | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य उपक्रम को कर्जे | | | | | | | | |
| (01) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को कर्जे | | | | | | | | |
| | 40,45.99 * | 5,00.00 | 45,45.99 | 1,95.61 | .. | 43,50.38 | (+) 3,04.39 | 7.52 |
| योग - 80 | 40,45.99 | 5,00.00 | 45,45.99 | 1,95.61 | .. | 43,50.38 | (+) 3,04.39 | 7.52 |
| योग - 6210 | 45,45.99 | 5,00.00 (5,00.00) | 50,45.99 | 1,95.61 | .. | 48,50.38 | (+) 3,04.39 | 6.70 |
| योग - (ख) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण | 45,45.99 | 5,00.00 | 50,45.99 | 1,95.61 | .. | 48,50.38 | (+) 3,04.39 | 6.70 |

* पूर्णांक के कारण प्रारम्भिक शेष में 1 से कमी की गयी।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | | | | | | | | |
| 6215. जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 01. जलपूर्ति | | | | | | | | |
| 192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज | | | | | | | | |
| (01) नगरपालिकाओं को उधार-सीधे उधार | 3,06.70 | .. | 3,06.70 | .. | .. | 3,06.70 | .. | .. |
| (02) नगरपालिकाओं को उधार - जीवन बीमा निगम से गारन्टीड उधार | 34,59.99 | .. | 34,59.99 | .. | .. | 34,59.99 | .. | 13,08.75 |
| योग - 192 | 37,66.69 | .. | 37,66.69 | .. | .. | 37,66.69 | .. | 13,08.75 |
| योग - 01 | 37,66.69 | .. | 37,66.69 | .. | .. | 37,66.69 | .. | 13,08.75 |
| 02. मल-जल तथा सफाई | | | | | | | | |
| 192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज | 2.53 | .. | 2.53 | .. | .. | 2.53 | .. | .. |
| योग - 192 | 2.53 | .. | 2.53 | .. | .. | 2.53 | .. | .. |
| योग - 02 | 2.53 | .. | 2.53 | .. | .. | 2.53 | .. | .. |
| योग - 6215 | 37,69.22 | .. | 37,69.22 | .. | .. | 37,69.22 | .. | 13,08.75 |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 | वर्ष के दौरान | योग | वर्ष के दौरान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम | 31 मार्च 2015 | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व |
|---|------------------|------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | को शेष | अग्रिम | | पुनर्भुगतान | का अपलेखन | को शेष | राशि प्रतिशत | को जमा |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6216. आवास के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| <i>02. शहरी आवास</i> | | | | | | | | |
| 192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज | | | | | | | | |
| (01) नगर विकास न्यास/ नगर पालिकाओं को उधार | 0.09 | .. | 0.09 | .. | .. | 0.09 | .. | .. |
| योग - 192 | 0.09 | .. | 0.09 | .. | .. | 0.09 | .. | .. |
| 201. आवास बोर्डों को कर्ज | | | | | | | | |
| (01) राजस्थान आवासन मण्डल | 15.63 | .. | 15.63 | .. | .. | 15.63 | .. | 0.04 |
| (02) राजस्थान आवास विकास एवं आधारभूत लिमिटेड | 4,15,00.00 | .. | 4,15,00.00 | 74,19.12 | .. | 3,40,80.88 | (-) 74,19.12 | 17.88 |
| योग - 201 | 4,15,15.63 | .. | 4,15,15.63 | 74,19.12 | .. | 3,40,96.51 | (-) 74,19.12 | 17.88 |
| योग - 02 | 4,15,15.72 | .. | 4,15,15.72 | 74,19.12 | .. | 3,40,96.60 | (-) 74,19.12 | 17.88 |
| <i>80. सामान्य</i> | | | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | | | |
| (01) जनजातीय क्षेत्र में अल्प आय वर्ग आवास योजना | 22.45 | .. | 22.45 | .. | .. | 22.45 | .. | .. |
| (02) जनजातीय क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग आवास योजना | 84.45 | .. | 84.45 | .. | .. | 84.45 | .. | .. |
| योग - 796 | 1,06.90 | .. | 1,06.90 | .. | .. | 1,06.90 | .. | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6216. आवास के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 80. सामान्य - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) औद्योगिक आवास योजना | 2.26 | .. | 2.26 | .. | .. | 2.26 | .. | .. |
| (02) अल्प आय वर्ग आवास योजना | 2.16 | .. | 2.16 | 3.33 | .. | (-) 1.17 (क) | (-) 3.33 | 154.17 |
| (03) मध्यम आय वर्ग आवास योजना | 3,38.27 | .. | 3,38.27 | 3.33 | .. | 3,34.94 | (-) 3.33 | 0.98 |
| (04) गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना | 15.15 | .. | 15.15 | .. | .. | 15.15 | .. | .. |
| (05) मेहतरों के लिये आवास योजना | 15.22 | .. | 15.22 | .. | .. | 15.22 | .. | .. |
| योग - 800 | 3,73.06 | .. | 3,73.06 | 6.66 | .. | 3,66.40 | (-) 6.66 | 1.79 |
| योग - 80 | 4,79.96 | .. | 4,79.96 | 6.66 | .. | 4,73.30 | (-) 6.66 | 1.39 |
| योग - 6216 | 4,19,95.68 | .. | 4,19,95.68 | 74,25.78 | .. | 3,45,69.90 | (-) 74,25.78 | 17.68 |

(क) ऋण शेष पत्राचाराधीन हैं ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 | वर्ष के दौरान | योग | वर्ष के दौरान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम | 31 मार्च 2015 | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व |
|---|------------------------------------|------------------|-----|------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | को शेष | अग्रिम | | पुनर्भुगतान | का अपलेखन | को शेष | राशि प्रतिशत | को जमा |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6217. शहरी विकास के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास | | | | | | | | |
| 191. नगर निगम को उधार | | | | | | | | |
| (01) नगर निगम को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फेज - I | | | | | | | | |
| [01] | नगर निगम, अजमेर | 5,85.31 | .. | 5,85.31 | 31.86 | .. | 5,53.45 | (-) 31.86 5.44 .. |
| [02] | नगर निगम, बीकानेर | 1,73.17 | .. | 1,73.17 | 9.90 | .. | 1,63.27 | (-) 9.90 5.72 .. |
| [03] | नगर निगम, जयपुर | 9,95.10 | .. | 9,95.10 | 54.16 | .. | 9,40.94 | (-) 54.16 5.44 .. |
| [04] | नगर निगम, जोधपुर | 14,60.36 | .. | 14,60.36 | 79.48 | .. | 13,80.88 | (-) 79.48 5.44 .. |
| [05] | नगर निगम, कोटा | 15,46.47 | .. | 15,46.47 | 84.17 | .. | 14,62.30 | (-) 84.17 5.44 .. |
| | योग -191 | 47,60.41 | .. | 47,60.41 | 2,59.57 | .. | 45,00.84 | (-) 2,59.57 5.45 16,73.45* |
| 192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज | | | | | | | | |
| (01) आर. यू. आई. डी. पी. - फेज - II | | | | | | | | |
| [01] | नगर पालिका/नगर परिषद, अलवर | 6,35.66 | .. | 6,35.66 | .. | .. | 6,35.66 | |
| [02] | नगर पालिका/नगर परिषद, भरतपुर | 8,73.31 | .. | 8,73.31 | .. | .. | 8,73.31 | |
| [03] | नगर पालिका/नगर परिषद, धौलपुर | 5,24.44 | .. | 5,24.44 | .. | .. | 5,24.44 | |
| [04] | नगर पालिका/नगर परिषद, सवाई माधोपुर | 3,72.25 | .. | 3,72.25 | .. | .. | 3,72.25 | |

* नगर निगम वाइज ब्याज के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| (01) आर. यू. आई. डी. पी.-फैज-II - (समाप्त) | | | | | | | | |
| [05] नगर पालिका/नगर परिषद, करौली | 1,27.75 | .. | 1,27.75 | .. | .. | 1,27.75 | .. | .. |
| [06] नगर पालिका/नगर परिषद, झालावाड़ | 2,16.15 | .. | 2,16.15 | .. | .. | 2,16.15 | .. | .. |
| [07] नगर पालिका/नगर परिषद, राजसमंद | 10,28.97 | .. | 10,28.97 | .. | .. | 10,28.97 | .. | .. |
| [08] नगर पालिका/नगर परिषद, बांरा | 1,71.04 | .. | 1,71.04 | .. | .. | 1,71.04 | .. | .. |
| [09] नगर पालिका/नगर परिषद, बूंदी | 3,56.68 | .. | 3,56.68 | .. | .. | 3,56.68 | .. | .. |
| [10] नगर पालिका/नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ | 1,48.05 | .. | 1,48.05 | .. | .. | 1,48.05 | .. | .. |
| [11] नगर पालिका/नगर परिषद, जैसलमेर | 4,33.12 | .. | 4,33.12 | .. | .. | 4,33.12 | .. | .. |
| [12] नगर पालिका/नगर परिषद, बाड़मेर | 1,71.47 | .. | 1,71.47 | .. | .. | 1,71.47 | .. | .. |
| [13] नगर पालिका/नगर परिषद, सीकर | 28,29.86 | .. | 28,29.86 | .. | .. | 28,29.86 | .. | .. |
| [14] नगर पालिका/नगर परिषद, नागौर | 1,09.25 | .. | 1,09.25 | .. | .. | 1,09.25 | .. | .. |
| [15] नगर पालिका/नगर परिषद, चूरू | 24,64.01 | .. | 24,64.01 | .. | .. | 24,64.01 | .. | .. |
| योग - 192 | 1,04,62.01 | .. | 1,04,62.01 | .. | .. | 1,04,62.01 | .. | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|--|----------------------------|--|--------|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | | |
| (01) नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों को लघु एवं मध्यम कस्बे के विकास योजना के तहत उधार | | | | | | | | | |
| | 41.90 | .. | 41.90 | .. | .. | 41.90 | .. | .. | 13.39 |
| योग -(01) | 41.90 | .. | 41.90 | .. | .. | 41.90 | .. | .. | 13.39 |
| (02) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.-फेज- II) | | | | | | | | | |
| [04] नगर सुधार न्यास, अलवर | 0.01 | .. | 0.01 | .. | .. | 0.01 | .. | .. | .. |
| [05] नगर सुधार न्यास, भरतपुर | 0.01 | .. | 0.01 | .. | .. | 0.01 | .. | .. | .. |
| योग -(02) | 0.02 | .. | 0.02 | .. | .. | 0.02 | .. | .. | .. |
| (03) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.-फेज- I) | | | | | | | | | |
| [01] नगर सुधार न्यास, अजमेर | 6,55.67 | .. | 6,55.67 | 7.61 | .. | 6,48.06 | (-) 7.61 | 1.16 | .. |
| [02] जयपुर विकास प्राधिकरण | 33,73.56 | .. | 33,73.56 | 33,73.56 | .. | .. | (-) 33,73.56 | 100.00 | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 | वर्ष के दौरान | योग | वर्ष के दौरान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम | 31 मार्च 2015 | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व | | |
|---|---|------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------|----------|
| | को शेष | अग्रिम | | पुनर्भुगतान | का अपलेखन | को शेष | राशि प्रतिशत | को जमा | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास - (समाप्त) | | | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | | | |
| (03) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.-फेज- I) - (समाप्त) | | | | | | | | | | |
| [03] | जोधपुर विकास प्राधिकरण | 19,54.57 | .. | 19,54.57 | 56.36 | .. | 18,98.21 | (-) 56.36 | 2.88 | .. |
| [04] | नगर सुधार न्यास, कोटा | 28,95.86 | .. | 28,95.86 | 1,23.55 | .. | 27,72.31 | (-) 1,23.55 | 4.27 | .. |
| | योग -(03) | 88,79.66 | .. | 88,79.66 | 35,61.08 | .. | 53,18.58 | (-) 35,61.08 | 40.10 | .. |
| | योग -800 | 89,21.58 | .. | 89,21.58 | 35,61.08 | .. | 53,60.50 | (-) 35,61.08 | 39.92 | 13.39 |
| | योग -03 | 2,41,44.00 | .. | 2,41,44.00 | 38,20.65 | .. | 2,03,23.35 | (-) 38,20.65 | 15.82 | 16,86.84 |
| 60. अन्य शहरी विकास योजनाएं | | | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | | | | |
| (01) मेट्रो रेल परियोजना | | | | | | | | | | |
| [01] | जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को कर्ज | .. | 1,37,00.00 | 1,37,00.00 | .. | .. | 1,37,00.00 | (+) 1,37,00.00 | .. | .. |
| | योग -(01) | .. | 1,37,00.00 | 1,37,00.00 | .. | .. | 1,37,00.00 | (+) 1,37,00.00 | .. | .. |
| (02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि | | | | | | | | | | |
| [02] | जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड | 48,00.00 | 50,65.00 | 98,65.00 | .. | .. | 98,65.00 | (+) 50,65.00 | 105.52 | .. |
| | योग - (02) | 48,00.00 | 50,65.00 | 98,65.00 | .. | .. | 98,65.00 | (+) 50,65.00 | 105.52 | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 60. अन्य शहरी विकास योजनाएं - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| (03) जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को कर्ज | | | | | | | | |
| [01] एशियन विकास बैंक से कर्ज | .. | 67,34.12 | 67,34.12 | .. | .. | 67,34.12 | (+) 67,34.12 | .. |
| [02] राज्य सरकार का कर्ज | .. | 12,00.00 | 12,00.00 | .. | .. | 12,00.00 | (+) 12,00.00 | .. |
| योग -(03) | .. | 79,34.12 | 79,34.12 | .. | .. | 79,34.12 | (+) 79,34.12 | .. |
| योग - 190 | 48,00.00 | 2,66,99.12 | 3,14,99.12 | .. | .. | 3,14,99.12 | (+) 2,66,99.12 | 556.23 |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (02) नगर सुधार न्यास को उधार | 4,00.10 | .. | 4,00.10 | 50.00 | .. | 3,50.10 | (-) 50.00 | 12.50 |
| योग - 800 | 4,00.10 | .. | 4,00.10 | 50.00 | .. | 3,50.10 | (-) 50.00 | 12.50 |
| योग - 60 | 52,00.10 | 2,66,99.12 | 3,18,99.22 | 50.00 | .. | 3,18,49.22 | (+) 2,66,49.12 | 512.47 |
| योग - 6217 | 2,93,44.10 | 2,66,99.12 (2,66,99.12) | 5,60,43.22 | 38,70.65 | .. | 5,21,72.57 | (+) 2,28,28.47 | 77.80 |
| योग - (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 7,51,09.00 | 2,66,99.12 | 10,18,08.12 | 1,12,96.43 | .. | 9,05,11.69 | (+) 1,54,02.69 | 20.51 |
| | | | | | | | | 30,05.70 |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | | | | | | | | |
| 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 01. अनुसूचित जातियों का कल्याण | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार | 0.80 | .. | 0.80 | 0.12 | .. | 0.68 | (-) 0.12 | 15.00 |
| योग - 01 | 0.80 | .. | 0.80 | 0.12 | .. | 0.68 | (-) 0.12 | 15.00 |
| 03. पिछड़े वर्गों का कल्याण | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार | 2,78.10 | .. | 2,78.10 | 5.74 | .. | 2,72.36 | (-) 5.74 | 2.06 |
| (02) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार | 2,49.97 | .. | 2,49.97 | 0.37 | .. | 2,49.60 | (-) 0.37 | 0.15 |
| योग - 03 | 5,28.07 | .. | 5,28.07 | 6.11 | .. | 5,21.96 | (-) 6.11 | 1.16 |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 04. अल्पसंख्यकों का कल्याण | | | | | | | | |
| 800 अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) राजस्थान अल्पसंख्यकों वित्त तथा विकास सहकारिता निगम को कर्ज | | | | | | | | |
| | .. | 2,50.00 | 2,50.00 | .. | .. | 2,50.00 | (+) 2,50.00 | .. |
| योग -04 | .. | 2,50.00 | 2,50.00 | .. | .. | 2,50.00 | (+) 2,50.00 | .. |
| योग - 6225 | 5,28.87 | 2,50.00 (2,50.00) | 7,78.87 | 6.23 | .. | 7,72.64 | (+) 2,43.77 | 46.09 |
| योग - (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 5,28.87 | 2,50.00 | 7,78.87 | 6.23 | .. | 7,72.64 | (+) 2,43.77 | 46.09 |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण | | | | | | | | |
| 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 02. समाज कल्याण | | | | | | | | |
| 800 अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को कर्ज | | | | | | | | |
| | 6.34 | .. | 6.34 | .. | .. | 6.34 | .. | .. |
| योग - (01) | 6.34 | .. | 6.34 | .. | .. | 6.34 | .. | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 02. समाज कल्याण - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| (02) राजस्थान के राजनीतिक पीड़ितों को उधार तथा अग्रिम | | | | | | | | |
| | .. * | .. | .. | .. | .. | ..* | .. | .. |
| योग - (02) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| योग - 800 | 6.34 | .. | 6.34 | .. | .. | 6.34 | .. | .. |
| योग - 02 | 6.34 | .. | 6.34 | .. | .. | 6.34 | .. | .. |
| 60. अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) भूमि धारकों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों को उधार | | | | | | | | |
| [01] जागीरदारों को उधार | 10.83 | .. | 10.83 | .. | .. | 10.83 | .. | 0.70 |
| योग - (01) | 10.83 | .. | 10.83 | .. | .. | 10.83 | .. | 0.70 |
| (02) विविध कर्ज | | | | | | | | |
| [01] जागीरदारों का पुनर्वास | 1.51 | .. | 1.51 | .. | .. | 1.51 | .. | .. |

* ₹ 96 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण- (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 60. अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज- (समाप्त) | | | | | | | | |
| (02) विविध कर्ज- (समाप्त) | | | | | | | | |
| [02] पाकिस्तान से आये विस्थापितों को उधार | 1,97.50 | .. | 1,97.50 | 1.43 | .. | 1,96.07 | (-) 1.43 0.72 | .. |
| [03] बर्मा से लौटे हुए विस्थापितों को उधार | 3.06 | .. | 3.06 | .. | .. | 3.06 | | .. |
| [04] वृत्तिहीन स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम | 49.79 | .. | 49.79 | .. | .. | 49.79 | | 0.10 |
| योग- (02) | 2,51.86 | .. | 2,51.86 | 1.43 | .. | 2,50.43 | (-) 1.43 0.57 | 0.10 |
| योग - 800 | 2,62.69 | .. | 2,62.69 | 1.43 | .. | 2,61.26 | (-) 1.43 0.54 | 0.80 |
| योग - 60 | 2,62.69 | .. | 2,62.69 | 1.43 | .. | 2,61.26 | (-) 1.43 0.54 | 0.80 |
| योग - 6235 | 2,69.03 | .. | 2,69.03 | 1.43 | .. | 2,67.60 | (-) 1.43 0.53 | 0.80 |
| 6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 01. सूखा | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (02) कृषकों को उधार- दुर्भिक्ष अग्रिम | 46.83 | .. | 46.83 | .. | .. | 46.83 | | 0.32 |
| (03) सहायता आयुक्त के माध्यम द्वारा चारा आदि के लिए गौ सेवा संघ को उधार | 5.94 | .. | 5.94 | .. * | .. | 5.94 | | .. |
| (04) पशुपालन विभाग के माध्यम द्वारा चारा आदि के लिए गौ सेवा संघ को उधार | 11.82 | .. | 11.82 | .. | .. | 11.82 | | .. |

* ₹ 224 मात्र।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि | प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|--------------|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जें - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्जें - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 01. सूखा - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्जें - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (05) नगरपालिकाओं / नगर विकास न्यास को उधार | 0.04 | .. | 0.04 | .. | .. | 0.04 | .. | .. | .. |
| (06) अन्य उधार | 7.02 | .. | 7.02 | .. | .. | 7.02 | .. | .. | 1.14 |
| (07) अन्य संस्थाओं को उधार - दुर्भिक्ष अग्रिम | 25.52 | .. | 25.52 | 20.67 | .. | 4.85 | (-) 20.67 | 81.00 | 1.69 |
| योग - 6245 | 97.17 | .. | 97.17 | 20.67 | .. | 76.50 | (-) 20.67 | 21.27 | 3.15 |
| योग - (छ) समाज कल्याण तथा पोषण | 3,66.20 | .. | 3,66.20 | 22.10 | .. | 3,44.10 | (-) 22.10 | 6.03 | 3.95 |
| (ज) अन्य | | | | | | | | | |
| 6250. अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्जें | | | | | | | | | |
| 60. अन्य | | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्जें | | | | | | | | | |
| (01) बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों को उधार | 0.70 | .. | 0.70 | .. | .. | 0.70 | .. | .. | .. |
| (02) राजस्थान चिकित्सा स्नातकों की स्वः रोजगार प्रोत्साहन समिति को उधार | 0.17 | .. | 0.17 | .. | .. | 0.17 | .. | .. | .. |
| (05) वन श्रम सहकारी समितियों को उधार - मुख्य वन संरक्षक के माध्यम द्वारा | 0.42 | .. | 0.42 | .. | .. | 0.42 | .. | .. | .. |
| (06) राज कौशल सोसायटी को उधार | 1,37.64 | .. | 1,37.64 | .. | .. | 1,37.64 | .. | .. | .. |
| योग - 6250 | 1,38.93 | .. | 1,38.93 | .. | .. | 1,38.93 | .. | .. | .. |
| योग - (ज) अन्य | 1,38.93 | .. | 1,38.93 | .. | .. | 1,38.93 | .. | .. | .. |
| योग - 2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जें | 8,48,08.47 | 2,74,49.12 | 11,22,57.59 | 1,20,00.50 | .. | 10,02,57.09 | (+) 1,54,48.62 | 18.22 | 31,95.15 |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 | वर्ष के दौरान | योग | वर्ष के दौरान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम | 31 मार्च 2015 | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व |
|---|------------------|------------------|----------|------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | को शेष | अग्रिम | | पुनर्भुगतान | का अपलेखन | को शेष | राशि प्रतिशत | को जमा |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप | | | | | | | | |
| 6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 103. बीज | | | | | | | | |
| (01) पंचायती राज संस्थाओं को उधार | 1,73.17 | .. | 1,73.17 | .. | .. | 1,73.17 | .. | .. |
| (02) राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार | 17,10.75 | 20.00 | 17,30.75 | .. | .. | 17,30.75 | (+) 20.00 | 1.17 |
| (03) राजस्थान बीज निगम को उधार | 64.36 | .. | 64.36 | .. | .. | 64.36 | .. | .. |
| योग - 103 | 19,48.28 | 20.00 | 19,68.28 | .. | .. | 19,68.28 | (+) 20.00 | 1.03 |
| 105. खाद तथा उर्वरक | | | | | | | | |
| (01) पंचायती राज संस्थाओं को उधार | ..* | .. | .. | .. | .. | ..* | .. | .. |
| योग-(01) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (02) नगर पालिकाओं को उधार | | | | | | | | |
| [01] खाद्य परिवहन | 0.03 | .. | 0.03 | .. | .. | 0.03 | .. | .. |
| [02] विशेष विकास कार्यक्रम | 0.13 | .. | 0.13 | .. | .. | 0.13 | .. | .. |
| योग-(02) | 0.16 | .. | 0.16 | .. | .. | 0.16 | .. | .. |

* ₹ 112 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा | |
|--|----------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|----|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज- (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 105. खाद तथा उर्वरक- (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (03) जिला तथा अन्य स्थानीय निधि समितियों को उधार | | | | | | | | | |
| [01] स्थानीय खादों के संसाधनों का विकास | 0.55 | .. | 0.55 | 0.02 | .. | 0.53 | (-) 0.02 | 3.64 | .. |
| योग-(03) | 0.55 | .. | 0.55 | 0.02 | .. | 0.53 | (-) 0.02 | 3.64 | .. |
| योग - 105 | 0.71 | .. | 0.71 | 0.02 | .. | 0.69 | (-) 0.02 | 2.82 | .. |
| 195. कृषि सहकारिताओं को कर्ज | | | | | | | | | |
| (03) अन्य क्षेत्रों में स्थित कृषि सहकारी समितियों को उधार | | | | | | | | | |
| [01] तकावी अग्रिम - राजस्व विभाग के माध्यम द्वारा | 0.21 | .. | 0.21 | .. | .. | 0.21 | .. | .. | .. |
| योग - 195 | 0.21 | .. | 0.21 | .. | .. | 0.21 | .. | .. | .. |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | | |
| (02) कृषकों को उधार | | | | | | | | | |
| [01] तकावी अग्रिम - राजस्व विभाग के माध्यम द्वारा | 0.01 | .. | 0.01 | 0.02 | .. | (-) 0.01 (क) | (-) 0.02 | 200.00 | .. |

(क) ऋण शेष पत्राचाराधीन हैं ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 | वर्ष के दौरान | योग | वर्ष के दौरान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम | 31 मार्च 2015 | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व |
|---|------------------|------------------|----------|------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | को शेष | अग्रिम | | पुनर्भुगतान | का अपलेखन | को शेष | राशि प्रतिशत | को जमा |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (02) कृषकों को उधार - (समाप्त) | | | | | | | | |
| [04] भूमि विकास | ..* | .. | .. | .. | .. | ..* | .. | .. |
| [06] बैलों व ऊँटों के लिए उधार | ..# | .. | .. | .. | .. | ..# | .. | .. |
| [07] विविध कार्यक्रम | ..\$ | .. | .. | ..@ | .. | ..% | .. | .. |
| योग- (02) | 0.01 | .. | 0.01 | 0.02 | .. | (-) 0.01 | (-) 0.02 | 200.00 |
| (04) एकीकृत शुष्क कृषि भूमि के विकास हेतु उधार | 14.40 (क) | .. | 14.40 | .. | .. | 14.40 | .. | .. |
| योग- (04) | 14.40 | .. | 14.40 | .. | .. | 14.40 | .. | .. |
| (05) राजस्थान आधारभूत विकास निधि- पंचम के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित सम्पर्क सड़कों का निर्माण | | | | | | | | |
| [01] राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड को उधार | 23,63.51 (क) | .. | 23,63.51 | 23,63.51 | .. | .. | (-) 23,63.51 | 100.00 |
| योग- (05) | 23,63.51 | .. | 23,63.51 | 23,63.51 | .. | .. | (-) 23,63.51 | 100.00 |

* ₹ 129 मात्र ।

₹ 119 मात्र ।

\$ ₹ 275 मात्र ।

@ ₹ 250 मात्र ।

% ₹ 25 मात्र ।

(क) पूर्णांक के कारण प्रारम्भिक शेष में 1 से वृद्धि/कमी की गयी ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा | |
|--|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|-------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (06) कृषि विश्वविद्यालय को कर्ज | | | | | | | | | |
| [01] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को उधार | 38,29.46 | .. | 38,29.46 | 1,63.35 | .. | 36,66.11 | (-) 1,63.35 | 4.27 | .. |
| [02] स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को उधार | 74,30.65 | 8,00.00 | 82,30.65 | .. | .. | 82,30.65 | (+) 8,00.00 | 10.77 | .. |
| योग - (06) | 1,12,60.11 | 8,00.00 | 1,20,60.11 | 1,63.35 | .. | 1,18,96.76 | (+) 6,36.65 | 5.65 | .. |
| योग - 800 | 1,36,38.03 | 8,00.00 | 1,44,38.03 | 25,26.88 | .. | 1,19,11.15 | (-) 17,26.88 | 12.66 | 74.64 |
| योग- 6401 | 1,55,87.23 | 8,20.00 | 1,64,07.23 | 25,26.90 | .. | 1,38,80.33 | (-) 17,06.90 | 10.95 | 74.64 |
| 6402. मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज | | | | | | | | | |
| 102. मृदा संरक्षण | | | | | | | | | |
| (02) कृषकों को उधार | | | | | | | | | |
| [01] कृषि विभाग के माध्यम द्वारा | 7.76 | .. | 7.76 | .. | .. | 7.76 | .. | .. | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा | |
|--|----------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|----|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 6402. मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज- (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 102. मृदा संरक्षण- (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (02) कृषकों को उधार- (समाप्त) | | | | | | | | | |
| [02] वन विभाग के माध्यम द्वारा | 0.51 | .. | 0.51 | 0.39 | .. | 0.12 | (-) 0.39 | 76.47 | .. |
| [03] केंद्रा उदयीकरण | 0.96 | .. | 0.96 | .. | .. | 0.96 | .. | .. | .. |
| योग - 6402 | 9.23 | .. | 9.23 | 0.39 | .. | 8.84 | (-) 0.39 | 4.23 | .. |
| 6403. पशुपालन के लिए कर्ज | | | | | | | | | |
| 102. पशु तथा भैंस विकास | | | | | | | | | |
| (02) गहन पशु विकास योजना | | | | | | | | | |
| योग - 102 | 7.68 | .. | 7.68 | .. | .. | 7.68 | .. | .. | .. |
| 103. कुक्कुट विकास | | | | | | | | | |
| योग - 103 | 0.01 | .. | 0.01 | .. | .. | 0.01 | .. | .. | .. |
| 104. भेड़ तथा ऊन विकास | | | | | | | | | |
| (01) भेड़ पालकों को उधार | | | | | | | | | |
| योग - 104 | 0.02 | .. | 0.02 | .. | .. | 0.02 | .. | .. | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6403. पशुपालन के लिए कर्ज- (समाप्त) | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (02) पशुपालन विश्वविद्यालयों को उधार | | | | | | | | |
| [01] राजस्थान पशु स्वास्थ्य एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर | 6,99.00 | .. | 6,99.00 | 50.69 | .. | 6,48.31 | (-) 50.69 | 7.25 |
| योग -800 | 6,99.00 | .. | 6,99.00 | 50.69 | .. | 6,48.31 | (-) 50.69 | 7.25 |
| योग - 6403 | 7,06.71 | .. | 7,06.71 | 50.69 | .. | 6,56.02 | (-) 50.69 | 7.17 |
| 6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | | |
| (01) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को उधार | 3,09.71 | .. | 3,09.71 | .. | .. | 3,09.71 | .. | .. |
| (02) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम- डेयरी इकाइयों की स्थापना | 0.18 | .. | 0.18 | .. | .. | 0.18 | .. | .. |
| (03) राजस्थान डेयरी विकास निगम को उधार | ..* | .. | ..* | ..* | .. | .. | .. # | 100.00 |
| (04) राजस्थान राज्य सहकारिता डेयरी महासंघ लिमिटेड को उधार | 79,00.00 | .. | 79,00.00 | .. | .. | 79,00.00 | .. | .. |
| योग -190 | 82,09.89 | .. | 82,09.89 | .. | .. | 82,09.89 | .. | .. |
| योग - 6404 | 82,09.89 | .. | 82,09.89 | .. | .. | 82,09.89 | .. | .. |

* ₹ (-)12 मात्र ।

₹ 12 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6405. मछली पालन के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) मत्स्य किसान विकास अभिकरण को कर्ज-निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से | 0.33 | .. | 0.33 | .. | .. | 0.33 | .. | .. |
| योग - 800 | 0.33 | .. | 0.33 | .. | .. | 0.33 | .. | .. |
| योग - 6405 | 0.33 | .. | 0.33 | .. | .. | 0.33 | .. | .. |
| 6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| <i>02. भण्डारण तथा भाण्डागार</i> | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | | |
| (01) गोदामों का निर्माण | 70,00.00 | 90,00.00 | 1,60,00.00 | .. | .. | 1,60,00.00 | (+) 90,00.00 | 128.57 |
| 195. सहकारिताओं को कर्ज | | | | | | | | |
| (01) ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम निर्माण हेतु उधार | 2,55.92 | .. | 2,55.92 | 1,57.89 | .. | 98.03 | (-) 1,57.89 | 61.70 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | | | |
| (01) गोदाम निर्माण हेतु उधार | 2.54 | .. | 2.54 | .. | .. | 2.54 | .. | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि | प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज- (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 02. भण्डारण तथा भाण्डागार- (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | | |
| (01) निदेशक, कृषि विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड को उधार | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.32 |
| (03) ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम निर्माण हेतु उधार | 1.51 | .. | 1.51 | 0.02 | .. | 1.49 | (-) 0.02 | 1.32 | .. |
| (04) यातायात वाहन क्रय हेतु उधार | 0.75 | .. | 0.75 | .. | .. | 0.75 | .. | .. | .. |
| योग - 800 | 2.26 | .. | 2.26 | 0.02 | .. | 2.24 | (-) 0.02 | 0.88 | .. |
| योग - 02 | 72,60.72 | 90,00.00 | 1,62,60.72 | 1,57.91 | .. | 1,61,02.81 | (+) 88,42.09 | 121.78 | 3.32 |
| योग - 6408 | 72,60.72 | 90,00.00 (90,00.00) | 1,62,60.72 | 1,57.91 | .. | 1,61,02.81 | (+) 88,42.09 | 121.78 | 13,63.96 |
| 6425. सहकारिता के लिए कर्ज | | | | | | | | | |
| 107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज | | | | | | | | | |
| (02) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को उधार | 37,91.26 * | 9,03.75 | 46,95.01 | 4,98.25 | .. | 41,96.76 | (+) 4,05.50 | 10.70 | .. |

* पूर्णांक के कारण प्रारम्भिक शेष में 1 से वृद्धि की गयी।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 6425. सहकारिता के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (03) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों की खरीद | | | | | | | | | |
| [02] ए.आर.सी. की विशिष्ट योजनाओं के ऋणपत्र | 37,49.03 | 2,38.33 | 39,87.36 | 5,66.98 | .. | 34,20.38 | (-) 3,28.65 | 8.77 | 2,96.90 |
| (06) राजस्थान राज्य सहकारी नवीनीकरण कोष की स्थापना हेतु ब्याज ऋण देने हेतु उधार | 3,90.00 | .. | 3,90.00 | .. | .. | 3,90.00 | .. | .. | .. |
| (07) राजस्थान राज्य सहकारी सुदृढीकरण कोष की स्थापना हेतु उधार | 1,61.18 | .. | 1,61.18 | .. | .. | 1,61.18 | .. | .. | .. |
| (09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर सहकारी समितियों के सुदृढीकरण हेतु उधार | 0.10 | .. | 0.10 | .. | .. | 0.10 | .. | .. | .. |
| (10) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) को स्टेट रिवाइल्विंग फण्ड हेतु उधार | | | | | | | | | |
| [01] महिला सहकारी समितियों एवं कैम्पस को ऋण देने हेतु | 6,00.00 | .. | 6,00.00 | .. | .. | 6,00.00 | .. | .. | .. |
| योग - 107 | 86,91.57 | 11,42.08 | 98,33.65 | 10,65.23 | .. | 87,68.42 | (+) 76.85 | 0.88 | 2,96.90 |
| 108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज | | | | | | | | | |
| (01) विधायन इकाइयों को अवशोधित पूंजी हेतु उधार | 1,09.87 | .. | 1,09.87 | .. | .. | 1,09.87 | .. | .. | .. |
| (03) सहकारी खाद्य तेल मिलों को उधार | 22,36.30 | .. | 22,36.30 | 4,61.93 | .. | 17,74.37 | (-) 4,61.93 | 20.66 | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 | वर्ष के दौरान | योग | वर्ष के दौरान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम | 31 मार्च 2015 | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व | |
|---|------------------|------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------------------|----|
| | को शेष | अग्रिम | | पुनर्भुगतान | का अपलेखन | को शेष | राशि प्रतिशत | को जमा | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 6425. सहकारिता के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (04) समग्र सहकारिता विकास परियोजना हेतु उधार | 98,00.24 * | 2,47.90 | 1,00,48.14 | 8,29.98 | .. | 92,18.16 | (-) 5,82.08 | 5.94 | .. |
| (05) राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (तिलम संघ) को उधार | 52,41.61 | 35,00.00 | 87,41.61 | 35,00.00 | .. | 52,41.61 | .. | .. | .. |
| (06) महिला सहकारी समितियों को उधार | 1.20 | .. | 1.20 | .. | .. | 1.20 | .. | .. | .. |
| (07) स्पिन फैड/कॉटन कॉम्प्लैक्स को उधार | 69,45.85 | .. | 69,45.85 | .. | .. | 69,45.85 | .. | .. | .. |
| (08) राजस्थान सहकारी आवासन संघ को उधार | 2,13.89 | .. | 2,13.89 | .. | .. | 2,13.89 | .. | .. | .. |
| योग - 108 | 2,45,48.96 | 37,47.90 | 2,82,96.86 | 47,91.91 | .. | 2,35,04.95 | (-) 10,44.01 | 4.25 | .. |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | | | | |
| (06) समग्र सहकारिता विकास परियोजना हेतु उधार | 13,12.01 | 82.08 | 13,94.09 | 14.45 | .. | 13,79.64 | (+) 67.63 | 5.15 | .. |
| योग-796 | 13,12.01 | 82.08 | 13,94.09 | 14.45 | .. | 13,79.64 | (+) 67.63 | 5.15 | .. |

* पूर्णांक के कारण प्रारम्भिक शेष में 1 से कमी की गयी।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 6425. सहकारिता के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) कार्य योजना | 61.43 | .. | 61.43 | 10.81 | .. | 50.62 | (-) 10.81 | 17.60 |
| योग - 800 | 61.43 | .. | 61.43 | 10.81 | .. | 50.62 | (-) 10.81 | 17.60 |
| योग - 6425 | 3,46,13.97 | 49,72.06 (14,72.06) | 3,95,86.03 | 58,82.40 | .. | 3,37,03.63 | (-) 9,10.34 | 2.63 |
| योग - (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप | 6,63,88.08 | 1,47,92.06 | 8,11,80.14 | 86,18.29 | .. | 7,25,61.85 | (+) 61,73.77 | 9.30 |
| (ख) ग्राम विकास | | | | | | | | |
| 6506. भूमि सुधार के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 104. फालतू भूमि के आवंटियों के लिए कर्ज | 5.99 | .. | 5.99 | 0.02 | .. | 5.97 | (-) 0.02 | 0.33 |
| योग - 6506 | 5.99 | .. | 5.99 | 0.02 | .. | 5.97 | (-) 0.02 | 0.33 |
| योग - (ख) ग्राम विकास | 5.99 | .. | 5.99 | 0.02 | .. | 5.97 | (-) 0.02 | 0.33 |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण | | | | | | | | |
| 6702. लघु सिंचाई के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 102. भू - जल | | | | | | | | |
| (02) कृषकों को उधार | (-) 0.01 | .. | (-) 0.01 | (-) 0.01 (क) | .. | .. | (+) 0.01 100.00 | .. |
| योग - 6702 | (-) 0.01 | .. | (-) 0.01 | (-) 0.01 | .. | .. | (+) 0.01 100.00 | .. |
| 6705. कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) मृदा संरक्षण | 9.47 | .. | 9.47 | .. | .. | 9.47 | | .. |
| (02) विश्व खाद्य कार्यक्रम सं. 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार | 1.00 | .. | 1.00 | .. | .. | 1.00 | | .. |
| (03) राजस्थान भूमि विकास निगम | ..* | .. | .. | .. | .. | ..* | | .. |
| (04) अपेक्स केन्द्रीय सहकारी बैंकों की उनकी अवधिपार बकाया के संबंध में उधार | 1.12 | .. | 1.12 | .. | .. | 1.12 | | .. |
| योग - 6705 | 11.59 | .. | 11.59 | .. | .. | 11.59 | | .. |
| योग - (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण | 11.58 | .. | 11.58 | (-) 0.01 | .. | 11.59 | (+) 0.01 0.09 | .. |

(क) ऋण आंकड़े गत वर्ष के गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण हैं।

* ₹ 36 मात्र।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ड) ऊर्जा | | | | | | | | |
| 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | | |
| (02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार | | | | | | | | |
| [01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.) | .. | 4,25.26 | 4,25.26 | .. | .. | 4,25.26 | (+) 4,25.26 | .. |
| [02] राजस्थान इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.) | .. | 89.79 | 89.79 | .. | .. | 89.79 | (+) 89.79 | .. |
| योग - 190 | .. | 5,15.05 | 5,15.05 | .. | .. | 5,15.05 | (+) 5,15.05 | .. |
| 800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार | 4,66,71.24 | .. | 4,66,71.24 | 7,66.47 | .. | 4,59,04.77 | (-) 7,66.47 | 1.64 |
| (03) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड को उधार | 1,38,20.57 | .. | 1,38,20.57 | 1.73 | .. | 1,38,18.84 | (-) 1.73 | 0.01 |
| (04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार | 8,96,54.31 | 94,50.00 | 9,91,04.31 | 2,49,95.76 | .. | 7,41,08.55 | (-) 1,55,45.76 | 17.34 |
| (05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार | 7,78,66.85 | 70,87.00 | 8,49,53.85 | 2,41,17.88 | .. | 6,08,35.97 | (-) 1,70,30.88 | 21.87 |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| (ड) ऊर्जा - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार | 8,24,41.33 | 70,88.00 | 8,95,29.33 | 2,87,19.38 | .. | 6,08,09.95 | (-) 2,16,31.38 | 26.24 | 16,09.08 |
| योग - 800 | 31,04,54.30 | 2,36,25.00 | 33,40,79.30 | 7,86,01.22 | .. | 25,54,78.08 | (-) 5,49,76.22 | 17.71 | 78,43.40 |
| योग - 6801 | 31,04,54.30 | 2,41,40.05 (2,41,40.05) | 33,45,94.35 | 7,86,01.22 | .. | 25,59,93.13 | (-) 5,44,61.17 | 17.54 | 78,43.40 |
| योग - (ड) ऊर्जा | 31,04,54.30 | 2,41,40.05 | 33,45,94.35 | 7,86,01.22 | .. | 25,59,93.13 | (-) 5,44,61.17 | 17.54 | 78,43.40 |
| (च) उद्योग तथा खनिज | | | | | | | | | |
| 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज | | | | | | | | | |
| 102. लघु उद्योग | | | | | | | | | |
| (01) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को उधार | 3,32.66 | .. | 3,32.66 | .. | .. | 3,32.66 | .. | .. | .. |
| (02) कुटीर घरेलू उद्योगों के लिए उधार निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम से | 2.92 | .. | 2.92 | 0.18 | .. | 2.74 | (-) 0.18 | 6.16 | .. |
| (03) नई यूनिट की स्थापना हेतु शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनी हेतु उधार निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम से | 16.39 | .. | 16.39 | .. | .. | 16.39 | .. | .. | .. |
| योग - 102 | 3,51.97 | .. | 3,51.97 | 0.18 | .. | 3,51.79 | (-) 0.18 | 0.05 | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 103. हाथकरघा उद्योग | | | | | | | | |
| (06) राजस्थान राज्य बुनकर संघ को अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत मार्जिन मनी हेतु उधार | 0.52 | .. | 0.52 | .. | .. | 0.52 | .. | .. |
| योग - 103 | 0.52 | .. | 0.52 | .. | .. | 0.52 | .. | .. |
| 109. सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां | | | | | | | | |
| (01) हाथकरघा समितियां | 38.89 | .. | 38.89 | 0.06 | .. | 38.83 | (-) 0.06 | 0.15 |
| (02) अनुसूचित जाति तथा जनजाति हथकरघा बुनकरों के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष पैकेज योजना | 15.00 | .. | 15.00 | .. | .. | 15.00 | .. | .. |
| (04) औद्योगिक सहकारी समितियों को उधार | 2.48 | .. | 2.48 | 0.15 | .. | 2.33 | (-) 0.15 | 6.05 |
| योग- 109 | 56.37 | .. | 56.37 | 0.21 | .. | 56.16 | (-) 0.21 | 0.37 |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 200. अन्य ग्राम उद्योग | | | | | | | | |
| (02) ग्राम औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के लिए उधार | 17.12 | .. | 17.12 | 0.01 | .. | 17.11 | (-) 0.01 | 0.06 |
| (03) बन्द इकाइयों को पुनःजीवित होने पर ऋण सुविधा | 9.35 | .. | 9.35 | .. | .. | 9.35 | .. | .. |
| (04) बिक्री कर के एवज में ब्याज मुक्त ऋण | 0.34 | .. | 0.34 | 0.28 | .. | 0.06 | (-) 0.28 | 82.35 |
| (05) वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण | 1,54.50 | .. | 1,54.50 | .. | .. | 1,54.50 | .. | .. |
| योग - 200 | 1,81.31 | .. | 1,81.31 | 0.29 | .. | 1,81.02 | (-) 0.29 | 0.16 |
| योग - 6851 | 5,90.17 | .. | 5,90.17 | 0.68 | .. | 5,89.49 | (-) 0.68 | 0.12 |
| 6853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 60. अन्य खनन तथा धातु कर्म उद्योग | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) लघु खनन धारकों को उधार | (-) 4.38 | .. | (-) 4.38 | (-) 1.14 (क) | .. | (-) 3.24 (ख) | (+) 1.14 | 26.03 |
| योग - 6853 | (-) 4.38 | .. | (-) 4.38 | (-) 1.14 | .. | (-) 3.24 | (+) 1.14 | 26.03 |

(क) ऋण आंकड़े गत वर्षों के सुधार के कारण हैं।

(ख) ऋण शेष पत्राचाराधीन हैं।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 01. वस्त्र उद्योग | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) मेवाड़ टेक्सटाईल्स लिमिटेड को उधार | 5,92.69 | .. | 5,92.69 | .. | .. | 5,92.69 | .. | .. |
| योग - 01 | 5,92.69 | .. | 5,92.69 | .. | .. | 5,92.69 | .. | .. |
| 04. चीनी | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | | |
| (01) सरकारी कम्पनियों को उधार | | | | | | | | |
| [01] मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को उधार | 10.54 | .. | 10.54 | .. | .. | 10.54 | .. | 0.01 |
| योग - 04 | 10.54 | .. | 10.54 | .. | .. | 10.54 | .. | 0.01 |
| 60. अन्य | | | | | | | | |
| 600. अन्य | | | | | | | | |
| (01) सरकारी कम्पनियों को उधार | | | | | | | | |
| [02] मैसर्स जयपुर मैटल एवं इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर को उधार | 10,31.18 | 1,80.00 | 12,11.18 | .. | .. | 12,11.18 | (+) 1,80.00 | 17.46 |
| [03] मैसर्स इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को उधार | 1,25,87.58 | 10,16.68 | 1,36,04.26 | 2,16.68 | .. | 1,33,87.58 | (+) 8,00.00 | 6.36 |
| योग - 60 | 1,36,18.76 | 11,96.68 | 1,48,15.44 | 2,16.68 | .. | 1,45,98.76 | (+) 9,80.00 | 7.20 |
| योग - 6860 | 1,42,21.99 | 11,96.68 | 1,54,18.67 | 2,16.68 | .. | 1,52,01.99 | (+) 9,80.00 | 6.89 |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|-------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| 6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज | | | | | | | | | |
| 01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज | | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | | | |
| (01) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम लिमिटेड को उधार | 5,45.21 | .. | 5,45.21 | 6.22 | .. | 5,38.99 | (-) 6.22 | 1.14 | 33.67 |
| (02) राजस्थान वित्त निगम को उधार | 1,26.27 | .. | 1,26.27 | .. | .. | 1,26.27 | .. | .. | .. |
| योग - 01 | 6,71.48 | .. | 6,71.48 | 6.22 | .. | 6,65.26 | (-) 6.22 | 0.93 | 33.67 |
| 02. पिछड़े क्षेत्रों का विकास | | | | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | | | | |
| (01) जनजातीय क्षेत्र में उद्योगों को उधार | 9.05 | .. | 9.05 | 0.01 | .. | 9.04 | (-) 0.01 | 0.11 | .. |
| (02) ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को उधार | 7.82 | .. | 7.82 | .. | .. | 7.82 | .. | .. | .. |
| (03) राज्य अनुदान की एवज में ब्याज मुक्त ऋण | 9.55 | .. | 9.55 | .. | .. | 9.55 | .. | .. | .. |
| योग - 02 | 26.42 | .. | 26.42 | 0.01 | .. | 26.41 | (-) 0.01 | 0.04 | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 60. अन्य | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) उद्योग व उद्योगपतियों को उधार | | | | | | | | |
| [01] सचिव, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा | 97.37 | .. | 97.37 | .. | .. | 97.37 | .. | .. |
| [02] निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा | 13,36.54 | .. | 13,36.54 | 0.06 | .. | 13,36.48 | (-) 0.06 | 8.52 |
| [03] ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को उधार | 1.39 | .. | 1.39 | 0.02 | .. | 1.37 | (-) 0.02 | 1.44 |
| [04] राज्य अनुदान की एवज में ब्याज मुक्त उधार | 47.59 | .. | 47.59 | .. | .. | 47.59 | .. | .. |
| [05] अन्य निजी कम्पनियों को उधार | 5,77.62 | .. | 5,77.62 | .. | .. | 5,77.62 | .. | .. |
| योग - 60 | 20,60.51 | .. | 20,60.51 | 0.08 | .. | 20,60.43 | (-) 0.08 | 8.52 |
| योग - 6885 | 27,58.41 | .. | 27,58.41 | 6.31 | .. | 27,52.10 | (-) 6.31 | 0.23 |
| योग - (च) उद्योग तथा खनिज | 1,75,66.19 | 11,96.68 | 1,87,62.87 | 2,22.53 | .. | 1,85,40.34 | (+) 9,74.15 | 5.55 |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (छ) परिवहन | | | | | | | | |
| 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | | |
| (01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि | | | | | | | | |
| [01] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड | 35,00.00 | 25,00.00 | 60,00.00 | .. | .. | 60,00.00 | (+) 25,00.00 | 71.43 |
| (02) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को उधार | 1,12,90.00 | .. | 1,12,90.00 | .. | .. | 1,12,90.00 | .. | .. |
| योग - 7055 | 1,47,90.00 | 25,00.00 (25,00.00) | 1,72,90.00 | .. | .. | 1,72,90.00 | (+) 25,00.00 | 16.90 |
| 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 01. सड़क तथा पुल | | | | | | | | |
| 800. अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (01) युद्धावश्यक सड़कों के ठेकेदारों को उधार | 0.82 | .. | 0.82 | .. | .. | 0.82 | .. | .. |
| योग - 7075 | 0.82 | .. | 0.82 | .. | .. | 0.82 | .. | .. |
| योग - (छ) परिवहन | 1,47,90.82 | 25,00.00 | 1,72,90.82 | .. | .. | 1,72,90.82 | (+) 25,00.00 | 16.90 |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (अ) सामान्य आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | |
| 7452. पर्यटन के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 60. अन्य | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | | |
| (04) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उधार | 15,00.00 | .. | 15,00.00 | .. | .. | 15,00.00 | .. | .. |
| (05) राजस्थान स्टेट होटल निगम लिमिटेड को उधार | 10,00.00 | .. | 10,00.00 | .. | .. | 10,00.00 | .. | .. |
| योग - 7452 | 25,00.00 | .. | 25,00.00 | .. | .. | 25,00.00 | .. | .. |
| 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 103. सिविल आपूर्ति | | | | | | | | |
| (01) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार | 2.00 | .. | 2.00 | .. | .. | 2.00 | .. | .. |
| (03) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उधार | 2.89 | .. | 2.89 | .. | .. | 2.89 | .. | .. |
| (05) विश्वविद्यालय एवं कॉलेज उपभोक्ता भण्डारों को उधार | 0.07 | .. | 0.07 | .. | .. | 0.07 | .. | .. |
| योग - 103 | 4.96 | .. | 4.96 | .. | .. | 4.96 | .. | .. |

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | | | |
| (01) राजस्थान राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को उधार | 39,88.32 | .. | 39,88.32 | 9,88.32 | .. | 30,00.00 | (-) 9,88.32 | 24.78 | .. |
| योग - 190 | 39,88.32 | .. | 39,88.32 | 9,88.32 | .. | 30,00.00 | (-) 9,88.32 | 24.78 | .. |
| योग - 7475 | 39,93.28 | .. | 39,93.28 | 9,88.32 | .. | 30,04.96 | (-) 9,88.32 | 24.75 | .. |
| योग - (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएँ | 64,93.28 | .. | 64,93.28 | 9,88.32 | .. | 55,04.96 | (+) 9,88.32 | 15.22 | .. |
| योग- 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | 41,57,10.24 | 4,26,28.79 | 45,83,39.03 | 8,84,30.37 | .. | 36,99,08.66 | (-) 4,58,01.58 | 11.02 | 96,21.10 |
| 4. सरकारी कर्मचारियों को कर्ज | | | | | | | | | |
| 7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज | | | | | | | | | |
| 201. भवन निर्माण अग्रिम | 0.52 | .. | 0.52 | 0.11 | .. | 0.41 | (-) 0.11 | 21.15 | 3.66 |
| 202. मोटर वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम | (-) 2,17.30 | .. | (-) 2,17.30 | 7.46 | .. | (-) 2,24.76 (क) | (-) 7.46 | 3.43 | 79.66 |
| 203. अन्य वाहनों का क्रय करने के लिए अग्रिम | 18.47 | .. | 18.47 | 0.06 | .. | 18.41 | (-) 0.06 | 0.32 | 3.31 |

(क) ऋण शेष जांच के अधीन हैं।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (समाप्त)

| मुख्य लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को शेष | वर्ष के दौरान अग्रिम | योग | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन | 31 मार्च 2015 को शेष | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत | प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 4. सरकारी कर्मचारियों को कर्जे- (समाप्त) | | | | | | | | |
| 7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे- (समाप्त) | | | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | (-) 0.03 | .. | (-) 0.03 | 0.87 | .. | (-) 0.90 (क) | (-) 0.87 2900.00 | .. |
| 800. अन्य अग्रिम | 38.36 | .. | 38.36 | .. * | .. | 38.36 | | 0.03 |
| योग- 7610 | (-) 1,59.98 | .. | (-) 1,59.98 | 8.50 | .. | (-) 1,68.48 | (-) 8.50 5.31 | 86.66 |
| योग- 4. सरकारी कर्मचारियों को कर्जे | (-) 1,59.98 | .. | (-) 1,59.98 | 8.50 | .. | (-) 1,68.48 | (-) 8.50 5.31 | 86.66 |
| 5. विविध उद्देश्यों के लिए कर्जे | | | | | | | | |
| 7615. विविध कर्ज | | | | | | | | |
| 200. विविध कर्ज | 32.19 | .. | 32.19 | .. | .. | 32.19 | | .. |
| योग - 7615 | 32.19 | .. | 32.19 | .. | .. | 32.19 | | .. |
| योग-5. विविध उद्देश्यों के लिए कर्जे | 32.19 | .. | 32.19 | .. | .. | 32.19 | | .. |
| कुल योग | 50,04,02.18 | 7,00,77.91 | 57,04,80.09 | 10,04,44.37 | .. | 47,00,35.72 | (-) 3,03,66.46 6.07 | 1,29,02.91 |

(क) ऋण शेष जांच के अधीन है।

* ₹ 36 मात्र।

विवरण संख्या 18 – (क्रमशः)

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण

वर्ष के दौरान दिये गये नये ऋण तथा अग्रिम : *

| ऋणी इकाई | ऋणों की संख्या | ऋणों की कुल राशि (₹ लाख में) | नियम एवं शर्तें | |
|--|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | ब्याज दर | अधिस्थगत अवधि, यदि कोई हो |
| राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम | 1 | 5,00.00 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| जयपुर मेट्रो रेल निगम | 2 | 1,37,00.00 | 10.00 | .. |
| | 2 | 67,34.12 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| | 1 | 12,00.00 | 10.00 | उपलब्ध नहीं |
| जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड | 3 | 50,65.00 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम | 2 | 2,50.00 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| राज्य एगो उद्योग निगम लिमिटेड | 1 | 20.00 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर | 1 | 8,00.00 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| राजस्थान राज्य भांडागार निगम | 4 | 90,00.00 | 7.50 | 3 वर्ष |
| राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 1 | 9,03.75 | 7.35 | .. |
| राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर | 3 | 46.57 | 7.85 | .. |
| | 2 | 44.90 | 9.40 | .. |
| | 2 | 1,46.86 | 9.60 | .. |
| सूक्ष्म सहकारी विकास परियोजना | 2 | 2,47.90 | 10.00 | .. |
| | 2 | 82.08 | 10.00 | .. |
| राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ (तिलम संघ) | 1 | 35,00.00 | 10.00 | .. |

* इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ।

विवरण संख्या 18 – (समाप्त)

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण – (समाप्त)

वर्ष के दौरान ऋणी इकाईयों को जारी किये गये नवीन ऋण तथा अग्रिम जिनसे पूर्व ऋणों का पुर्नभुगतान बकाया है: *

| ऋणी संस्थाओं का नाम | चालू वर्ष के दौरान वितरित ऋण | | 31 मार्च 2015 को बकाया राशि | | | बकाया की प्रारम्भिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है | चालू वर्ष के दौरान वितरण के लिए कारण |
|---|---------------------------------|---------|--------------------------------|-------|----------|--|---|
| | ब्याज दर | मूल | मूल | ब्याज | योग | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| जयपुर मेटल्स एवं इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर | 09.50% | 1,80.00 | 12,11.18 | .. | 12,11.18 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |

* इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ।

विवरण संख्या 19 – सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण

| क्र.सं | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|---|---|--------------|---|
| | | | प्रकार | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | | | | | निवेशित राशि |
| | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| I. सांविधिक निगम प्रचलित निगम | | | | | | | | | | |
| 01. | राजस्थान वित्त निगम, जयपुर | 2013-14 तक | विशेष शेयरों का वर्ग इक्विटी | 1,75,000 1,26,55,700 | 100 100 | 1,75.00 1,26,55.70 | 79.83 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 5,05.41 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया। वर्ष 2013-14 तक ₹ 1,29,31.75 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |
| | | | | | | 1,28,30.70 | | | | |
| 02. | राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर | 1998-99 तक | इक्विटी | 3,92,630 | 100 | 3,92.63 | 50.00 | 1,17.79 (क) | .. | वर्ष 2013-14 का लाभांश है। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 30.44 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। |
| 03. | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर | 2013-14 तक 2014-15 | हिस्सा पूंजी इक्विटी इक्विटी | (ख) (ख) (ख) | (ख) (ख) (ख) | 3,82,13.50 1,50,00.00 80,00.00 | 95.20 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 4,87.86 लाख की हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 21,38.42 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |
| | | | | | | 6,12,13.50 | | | | |
| 04. | राजस्थान नॉलेज निगम लिमिटेड, जयपुर | 2007-08 | इक्विटी | 6,00,000 | 10 | 60.00 | 30.00 | 18.00 | .. | वर्ष 2013-14 का लाभांश है। 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 13.14 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |

(क) वास्तविक लाभांश ₹ 1,17,78,900।

(ख) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------------|---------------------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | निवेशित राशि | | | | |
| I. सांविधिक निगम- (समाप्त) | | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | |
| अप्रचलित निगम | | | | | | | | | | |
| 05. | राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर | 1992-93 तक | इक्विटी | 18,114.5 | 10,000 | 19,36.45 (क) | 88.30 | .. | .. | वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 06. | राजस्थान राज्य मंडी विकास निगम, जयपुर | 1977-78 तक | (ख) | (ख) | (ख) | 0.65 | .. | .. | .. | निगम अभी बनाया नहीं गया है और राशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास रखी हुई है। |
| 07. | राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर | 1980-81 तक | (ख) | (ख) | (ख) | 0.08 (ग) | .. | .. | .. | राज्य सरकार द्वारा निगम को बंद करने के निर्णय के कारण ₹ 10.00 लाख के कुल निवेश में से ₹ 9,92,200 अप्रैल 1980 में जमा करा दिये गये। |
| योग- I | | | | 7,64,34.01 (घ) | | | 1,35.79 (ङ) | | .. | |
| II. ग्रामीण बैंक | | | | | | | | | | |
| 08. | मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर * | 2012-13 तक | इक्विटी इक्विटी | 2,39,214 (ख) | 100 (ख) | 2,39.21 (च) 24,90.11 (च) 27,29.32 (च) | 15.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 83,73.80 लाख का लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। |
| 09. | बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर | 2012-13 तक | इक्विटी इक्विटी | 8,66,699 (ख) | 100 (ख) | 8,66.70 (च) 37,73.37 (च) 46,40.07 (च) 73,69.39 (च) | 15.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 83,76.44 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया (अगस्त 2015)। |
| योग - II | | | | 73,69.39 (च) | | | | | | |

(क) इसमें 31 मार्च 1978 तक भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में से ₹ 1,25.00 लाख का निवेश सम्मिलित है।

(ख) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है। (ग) वास्तविक निवेश ₹ 7,800। (घ) वास्तविक निवेश ₹ 7,64,34,00.800।

(ङ) वास्तविक लाभांश ₹ 1,35,78,900। (च) वास्तविक निवेश क्रमशः ₹ 2,39,21,400; ₹ 24,90,10,930; ₹ 27,29,32,330; ₹ 8,66,69,900; ₹ 37,73,37,250; ₹ 46,40,07,150 तथा ₹ 73,69,39,480।

* मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर का मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर में विलय।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------|--|---|---|--|
| | | | | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | निवेशित राशि | | | | |
| | | | | | | | (₹ लाख में) | (₹ लाख में) | | |
| III. सरकारी कम्पनियां | | | | | | | | | | |
| प्रचलित कम्पनियां | | | | | | | | | | |
| 10. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर | 2013-14 तक | इक्रिटी संचयी पूर्वाधिकार | 3,81,049 | 50 | 1,84.80 (क) | 97.22 | 10.13 (ड) | .. | वर्ष 2013-14 का लाभांश है। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 10,44.25 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। |
| | | | पूर्वाधिकार | 3,09,613 | 50 | 1,54.81 (ख) | | | | |
| | | | इक्रिटी | 30,00,000 | 50 | 15,00.00 | | | | |
| | | | पूर्वाधिकार | 1,22,24,000 | 50 | 61,12.00 | | | | |
| | | | हिस्सा इक्रिटी | 15,199 | 50 | 7.60* | | | | |
| | | 2014-15 | पूर्वाधिकार इक्रिटी | (ग) | (ग) | 42,57.00 | | | | |
| | | | | | | 1,22,31.21 (घ) | | | | |
| 11. | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर | 2010-11 तक | इक्रिटी | 6,64,387 | 100 | 6,64.39 (च) | 94.14 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 2,09.49 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 32,76.84 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |
| 12. | राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर | 2012-13 तक | इक्रिटी | 21,622 | 1,000 | 2,16.22 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 72.07 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 7,30.34 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |

(क) ₹ 1,84,80,136 के कुल निवेश में 36,461 शेयर सम्मिलित हैं जिन्हें पूर्ण प्रदत्त राशि ₹ 18,23,050 के विरुद्ध ₹ 12,50,736 में खरीदा गया।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 1,54,80,650।

(ग) इक्रिटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 1,22,31,20,786।

(ड) वास्तविक लाभांश ₹ 10,12,872।

* हाईटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर का विलय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में कर दिया गया है जैसा कि वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र सं. P.1(4)Fin. (Exp.-4 P1)/93-IV दिनांक 24.07.2014 द्वारा सूचित किया है। ₹ 7,60,000 के निवेश के विरुद्ध कम्पनी ने ₹ 7,59,950 की राशि के 15,199 अंश ₹ 50 की दर से जारी किये। यद्यपि, ₹ 50 की शेष अन्तर राशि के समायोजन से संबंधित मामला राज्य सरकार के साथ पत्राचाराधीन है।

(च) वास्तविक निवेश ₹ 6,64,38,700।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | निवेशित राशि | | | | |
| | | | | | | | (₹ लाख में) | (₹ लाख में) | | |
| III सरकारी कम्पनियों- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| प्रचलित कम्पनियों- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 13. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर | 2008-09 तक | इक्विटी | 19,36,858 | 1,000 | 1,93,68.58 (क) | 100.00 | 13,76.33 (च) | .. | वर्ष 2013-14 का लाभांश है। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,32,63.51 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। |
| 14. | राजस्थान राज्य एगो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर | 1995-96 तक | इक्विटी | 6,00,733 | 100 | 4,12.97 (ख) | 68.74 | .. | .. | 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,42.68 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2012-13 तक ₹ 51,93.46 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2013-14 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 15. | राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर | 1993-94 तक 2002-03 2003-04 | इक्विटी इक्विटी इक्विटी | 6,17,15,978 57,15,500 1,01,10,000 | 10 10 10 | 61,73.29 (ग) 5,71.55 (घ) 10,11.00 | 99.99 | 38,77.07 (छ) | .. | वर्ष 2012-13 का लाभांश है। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 3,49,00.18 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। |
| | | | | | | 77,55.84 (ङ) | | | | |

(क) वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 में भारत सरकार द्वारा ₹ 16,50.00 लाख का निवेश रीको में किया गया जो इस कार्यालय के लेखों में प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि, वित्त विभाग के पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2007 द्वारा ₹ 16,50.00 लाख के निवेश को राज्य सरकार के निवेश के रूप में शामिल कर लिया गया, रीको द्वारा उक्त राशि के शेयर राजस्थान के राज्यपाल के नाम जारी किये गये।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 4,12,96,700। 1995-96 के दौरान ₹ 1,000 की टोकन राशि के भुगतान के विरुद्ध (₹ 1,87,776 अंश हेतु ₹ 1,87.78 लाख निवेश) केन्द्रीय सरकार के अंश विनिवेश किये गये तथा राज्य सरकार को अन्तरण किये गये। इनके सरकारी लेखों में समायोजन से संबंधित मामला सरकार के साथ पत्राचारधीन है।

(ग) ₹ 61,73,29,634 के निवेश में ₹ 11,32,360 के अंकित मूल्य के 1,13,236 शेयर की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाये गये ₹ 1,69,854 सम्मिलित है।

(घ) क्र.स. 52 पर टिप्पणी देखें।

(ङ) वास्तविक निवेश ₹ 77,55,84,634।

(च) वास्तविक लाभांश ₹ 13,76,32,406।

(छ) वास्तविक लाभांश ₹ 38,77,07,390।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां | | |
|--|---|---------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|---|--------------|---|--|
| | | | प्रकार | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | | | | | निवेशित राशि | |
| | | | | | (₹ लाख में) | | | | | (₹ लाख में) | |
| III सरकारी कम्पनियां- प्रचलित कम्पनियां- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| 16. | राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर | 1977-78 तक | इक्विटी पूर्वाधिकार | 1,019 550 | 1,000 1,000 | 10.19 5.50 | 5.46 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 0.31 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 21.21 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। | |
| | | | | | | 15.69 | | | | | |
| 17. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर | 1998-99 तक | इक्विटी पूर्वाधिकार | 5,68,250 64,750 | 100 100 | 5,68.25 64.75 | 83.58 | 63.30 | .. | वर्ष 2013-14 का लाभांश है। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 21,80.69 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। | |
| | | | | | | 6,33.00 | | | | | |
| 18. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर | 2013-14 तक | इक्विटी | 1,00,00,000 | 100 | 1,00,00.00 | 100.00 | 5,54.52 (ख) | .. | वर्ष 2013-14 का लाभांश है। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 12,22.88 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। | |
| 19. | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर | 2004-05 तक | इक्विटी | 1,84,437 | 1,000 | 18,44.37 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 24,29.75 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 1,07,91.21 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। | |
| | | | | | | (क) | (क) | (क) | 3,50.00 | | |
| | | | | | | 21,94.37 | | | | | |

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ख) वास्तविक लाभांश ₹ 5,54,52,055।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)
खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां | |
|---------------------------------------|---|---------------|----------------|---------------------------|---|--|---|---|--------------|--|
| | | | प्रकार | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | | | | | निवेशित राशि |
| | | | | | (₹ लाख में) | | | | | (₹ लाख में) |
| III सरकारी कम्पनियों- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| प्रचलित कम्पनियों- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 20. | राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, (राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड), नई दिल्ली | 1957-58 तक | इक्विटी | 1,000 | 1,000 | 10.00 | 0.33 | .. | .. | वर्ष 2005-06 तक ₹ 6,84,89.66 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2006-07 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 21. | सांभर साल्ट लिमिटेड, जयपुर | 1961-62 | इक्विटी | 4,000 | 1,000 | 40.00 | 40.00 | .. | .. | 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में कर के बाद ₹ 1,57.00 लाख का लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2009-10 तक ₹ 12,70.13 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 22. | राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली | 1975-76 | इक्विटी | 4,585 | 1,000 | 45.85 | 1.61 | .. | .. | वर्ष 2002-03 तक ₹ 5,72,39.94 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 23. | राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (ट्यूब वेल कॉरपोरेशन) | 1992-93 तक | इक्विटी | 1,27,000 | 100 | 1,27.00 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 47.45 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 1,84.15 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|
| | | | | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित | निवेशित राशि | | | | |
| | | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | |
| III सरकारी कम्पनियां- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| प्रचलित कम्पनियां- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 24. | राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर | 2013-14 तक | इक्रिटी | 4,55,098 | 1,000 | 45,50.98 | 91.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 70.98 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया। वर्ष 2013-14 तक ₹ 52,80.92 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |
| 25. | राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड | 13-14 तक 2014-15 | इक्रिटी इक्रिटी | 6,70,55,90,000 88,15,00,000 | 10 10 | 67,05,59.00 8,81,50.00 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 3,12,85.88 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 13,77,25.05 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |
| | | | | | | <u>75,87,09.00</u> | | | | |
| 26. | राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड | 13-14 तक 2014-15 | इक्रिटी इक्रिटी | 2,91,90,00,000 37,00,00,000 | 10 10 | 29,19,00.00 3,70,00.00 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में कर से पहले ₹ 45,56.72 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2013-14 तक ₹ 15,84,52.73 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |
| | | | | | | <u>32,89,00.00</u> | | | | |
| 27. | जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | 13-14 तक 2014-15 | इक्रिटी इक्रिटी | 3,58,64,20,000 1,04,10,98,000 | 10 10 | 35,86,42.00 10,41,09.80 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 55,03,12.90 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 2,30,96,51.40 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |
| | | | | | | <u>46,27,51.80</u> | | | | |

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|---|
| | | | | हिरसा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिरसा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | निवेशित राशि | | | | |
| | | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | |
| III सरकारी कम्पनियों- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| प्रचलित कम्पनियों- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 28. | जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | 13-14 तक 2014-15 | इक्विटी इक्विटी | 3,29,40,90,000 96,81,47,000 | 10 10 | 32,94,09.00 9,68,14.70 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 52,98,90.85 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 2,25,90,32.85 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |
| | | | | 42,62,23.70 | | | | | | |
| 29. | अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | 13-14 तक 2014-15 | इक्विटी इक्विटी | 3,33,89,90,000 98,84,65,000 | 10 10 | 33,38,99.00 9,88,46.50 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 48,42,99.12 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 2,32,50,86.95 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |
| | | | | 43,27,45.50 | | | | | | |
| 30. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड) | 06-07 तक | इक्विटी | 1,29,41,078 | 10 | 12,94.11 (क) | 100.00 | 1,29.41 (ख) | .. | वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश है। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 18,77.66 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। |
| 31. | राजस्थान राज्य बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर | 2004-05 | इक्विटी | 2,00,000 | 100 | 2,00.00 | 100.00 | 20.00 | .. | वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश है। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 10,59.37 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। |
| 32. | राजस्थान शहरी आधारभूत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर | 09-10 तक | इक्विटी | 3,30,00,000 | 10 | 33,00.00 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 61.12 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया। (अगस्त 2015)। |

(क) वास्तविक निवेश ₹ 12,94,10,780। (ख) वास्तविक लाभांश ₹ 1,29,41,078।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|--|---|---------------|---------|---------------------------|--|--------------|--|---|---|--|
| | | | | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | निवेशित राशि | | | | |
| | | | | | | | | | | (₹ लाख में) |
| | | | | | | | | | | (₹ लाख में) |
| III सरकारी कम्पनियां - (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| प्रचलित कम्पनियां - (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 33. | राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर | 12-13 तक | इक्विटी | 41,100 | 1,000 | 4,11.00 | 100.00 | .. | .. | वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015) । |
| 34. | राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर * | 11-12 तक | इक्विटी | 26,000 | 1,000 | 2,60.00 | 100.00 | .. | .. | निगम की स्थापना के वर्ष की सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2015) । |
| 35. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड * | 11-12 तक | इक्विटी | 1,17,133 | 1,000 | 11,71.33 | .. | .. | .. | कम्पनी की स्थापना 13 सितम्बर 1994 को हुई है। लेखे प्रतीक्षित है (अगस्त 2015) । |
| 36. | राजस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड* | 2005-06 | (क) | (क) | (क) | 2,67.66 | .. | .. | .. | निगम की स्थापना 28 मार्च 1980 को हुई है। लेखे प्रतीक्षित है (अगस्त 2015) । |

* संस्था का प्रकार राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां | |
|--|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| | | | | हिरसा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिरसा/ ऋण पत्रों का अंकित | निवेशित राशि | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| | | | | | | (₹ लाख में) | | | | | |
| | | | | | | (₹ लाख में) | | | | | |
| III. सरकारी कम्पनियों- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| प्रचलित कम्पनियों- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| 37. | राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ * | 2005-06 | इक्विटी | 1,00,000 | 50 | 50.00 | .. | .. | .. | निगम की स्थापना 26 अगस्त 1957 को हुई है। लेखे प्रतिक्षित है (अगस्त 2015)। | |
| 38. | राजस्थान राज्य नागरिक विमानन निगम लिमिटेड, जयपुर | 12-13 तक | इक्विटी | 44,92,700 | 10 | 4,49.27 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 2,84.01 लाख की हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2011-12 तक ₹ 5,74.17 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लेखे प्रतिक्षित है (अगस्त 2015)। | |
| 39. | राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर | 2010-11 | इक्विटी | 50,00,000 | 10 | 5,00.00 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 25,61.10 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। | |
| 40. | जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर | 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 | इक्विटी इक्विटी इक्विटी इक्विटी | 17,89,998 (क) (क) (क) | 1,000 (क) (क) (क) | 1,78,99.98 3,07,03.59 5,60,99.97 4,47,00.00 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 13,27.40 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक ₹ 7,34.26 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। | |
| | | | | | | 14,94,03.54 | | | | | |
| 41. | राजस्थान राज्य खाद्य और सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर | 2010-11 | इक्विटी | 5,00,00,000 | 10 | 50,00.00 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 9,03.54 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया (अगस्त 2015)। | |

* संस्था का प्रकार राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | निवेशित राशि | | | | |
| | | | | | | (₹ लाख में) | | (₹ लाख में) | | |
| III. सरकारी कम्पनियां- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| प्रचलित कम्पनियां- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 42. | राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर | 2011-12 | इक्विटी | 5,00,000 | 100 | 5,00.00 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 50.33 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गई। वर्ष 2013-14 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 43. | राजस्थान आवास विकास तथा ढांचागत लिमिटेड, जयपुर * | 2011-12 | इक्विटी | 5,10,000 | 10 | 51.00 | 51.00 | .. | .. | 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 4,08.30 लाख का लाभ दर्शाया गया (अगस्त 2015)। |
| 44. | राजस्थान मिशन ऑन स्क्वि एंड लिवलीहुड कम्पनी लिमिटेड, जयपुर | 2011-12 | इक्विटी | (क) | (क) | 5.00 | .. | .. | .. | 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,18.62 लाख का लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2013-14 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 45. | राजस्थान राज्य पावर वित्त निगम लिमिटेड, जयपुर | 13-14 तक | इक्विटी | 9,00,000 | 1,000 | 90,00.00 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 2,74.24 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2013-14 तक में ₹ 2,18.22 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2015)। |
| 46. | राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड जयपुर | 2012-13 2013-14 2014-15 | इक्विटी इक्विटी वापसी | (क) 13,000 | (क) 10 | 5,00.00 1.30 <u>(-) 5,00.00</u> | | .. | .. | कम्पनी की स्थापना 14 सितम्बर, 2012 को हुई है। |
| | | | | | | 1.30 | | | | |

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मागे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

* राजस्थान आवास विकास लिमिटेड का नाम भारत सरकार, कम्पनी मामलात विभाग, नई दिल्ली के नोटिफिकेशन न. जी एस आर 507 (ई) दिनांक 24.06.1985 द्वारा एस आर एन बी 39322284 दिनांक 21.05.2012 के द्वारा परिवर्तित किया गया।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां | |
|--|---|---------------------|----------------|---------------------------|---|--|---|---|--------------|---|
| | | | प्रकार | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | | | | | निवेशित राशि |
| | | | | | (₹ लाख में) | | | | | |
| III. सरकारी कम्पनियां- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| प्रचलित कम्पनियां- (समाप्त) | | | | | | | | | | |
| 47. | राजस्थान एक्स-सर्विस मैन निगम लिमिटेड, जयपुर | 2012-13 | इक्विटी | 50,000 | 100 | 5,00.00 | 100.00 | .. | .. | 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 19.14 लाख की हानि दर्शायी गई। 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 48. | राजस्थान पुलिस आवास और निर्माण निगम लिमिटेड | 2013-14 | इक्विटी | 50,000 | 100 | 50.00 | 100.00 | .. | .. | कम्पनी की स्थापना 22 जून 2013 को हुई है। |
| 49. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड | 2013-14 | इक्विटी | (क) | (क) | 12,50.00 | .. | .. | .. | कम्पनी की स्थापना 21 अगस्त 2013 को हुई है। |
| अप्रचलित कम्पनियां | | | | | | | | | | |
| 50. | राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर | 94-95 तक 2002-03 | इक्विटी | 16,33,000 | 100 | 16,33.00 (-) 5,71.55 <u>10,61.45</u> | .. | .. | .. | कम्पनी का 19/02/2003 से राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर में विलय हो चुका है, जिसके पश्चात् इस कम्पनी ने ₹ 5,71,55,000 के 35:10 के शेयर विनिमय अनुपात में शेयर जारी किये। यद्यपि, ₹ 10,61,45,000 की शेष राशि के समायोजन के संबंध में मामला राज्य सरकार से पत्राचाराधीन है। (अगस्त 2015) |

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित हैं।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|---|--|--|---|---|--|
| | | | | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | निवेशित राशि | | | | |
| | | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | |
| III. सरकारी कम्पनियों- (समाप्त) | | | | | | | | | | |
| अप्रचलित कम्पनियों- (समाप्त) | | | | | | | | | | |
| 51. | राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर | 1990-91 तक 2002-03 | इक्रिटी वापसी | 19,000 | 100 | 19.00 <u>(-) 2.25</u> <u>16.75</u> | 100.00 | .. | .. | वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 52. | राजस्थान राज्य विद्युत् निगम, जयपुर | 1997-98 | इक्रिटी | 50,000 | 10 | 5.00 | 100.00 | .. | .. | वर्ष 2002-03 तक ₹ 0.36 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| योग - III | | | | 2,64,23,43.51 (क) | | | 60,30.76 (ग) | | .. | |
| IV. संयुक्त पूंजी कम्पनियों | | | | | | | | | | |
| 53. | अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड (केल्वीनेटर ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली में सम्मिलित) | 1998-99 तक | इक्रिटी | .. | .. | (-) 0.61 (ख) | .. | .. | .. | 30 जून 1988 को समाप्त हुए वर्ष तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 54. | जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर | 1948-49 | संचयी पूर्वाधिकार | 75,000 | 100 | 75.00 | .. | .. | .. | 30 जून 1985 तक ₹ 24,63.62 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 1985-86 तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |

(क) वास्तविक निवेश ₹ 2,64,23,43,50,600। (ख) वास्तविक राशि ₹ 61,250। अधिक वापसी से संबंधित मामले को निपटारे हेतु राज्य सरकार के पास भेजा जा चुका है।

(ग) वास्तविक लाभांश ₹ 60,30,75,801।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां | |
|---|--|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|---|---|--------------|---|
| | | | प्रकार | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | | | | | निवेशित राशि |
| | | | | | (₹ लाख में) | | | | | (₹ लाख में) |
| IV संयुक्त पूंजी कम्पनियां- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 55. | मान औद्योगिक निगम लिमिटेड, जयपुर | 1951-52 | इक्विटी संचयी पूर्वाधिकार | 5,000 10,000 | 100 100 | 5.00 10.00 <u>15.00</u> | .. | .. | .. | वर्ष 2003-04 तक समायोजन के बाद ₹ 3,60.40 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2004-05 तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 56. | न्यूज पेपर लिमिटेड, इलाहाबाद | 1929-30 | इक्विटी | 1,000 | 10 | 0.10 | .. | .. | .. | 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 0.59 लाख की हानि दर्शायी गयी। 2008-09 तक ₹ 48.80 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 57. | डी सेन्ट्रल प्रोविंसेज रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई | 1910-11 | इक्विटी | 76 | 100 | 0.08 (क) | .. | .. | .. | वर्ष 2003-04 तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 58. | रामपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामपुर | 1946-47 | इक्विटी | 300 | 10 | 0.07 (ख) | .. | .. | .. | 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में कर पश्चात् ₹ 4.99 लाख की हानि दर्शायी गयी है। वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 59. | टाटा स्टील लिमिटेड, मुम्बई (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई) | 1998-99 तक | पूर्वाधिकार/ बॉण्ड्स/ इक्विटी अंश | .. | .. | 0.25 (ग) | 13.33 | .. (घ) | .. | वर्ष 2013-14 का लाभांश है। 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में कर पश्चात् ₹ 68,61.15 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |

(क) वास्तविक निवेश ₹ 7,600 ।

(ख) ₹ 6,960 की राशि के ₹ 23.20 प्रति अंश की दर से 300 शेयर क्रय किये गये ।

(ग) पूर्वाधिकार/बॉण्ड्स/इक्विटी शेयरों में कुल निवेश ₹ 1,27,500, जिसमें 1907-08 से 1995-96 तक खरीदे गये 255 पूर्वाधिकार शेयर ₹ 158.08 प्रत्येक सम्मिलित है में से ₹ 25,000 का शेष छोड़ते हुए वर्ष 1998-99 तक विभिन्न वर्षों में ₹ 1,02,500 की सीमा तक की राशि वापस प्राप्त हुई ।

(घ) वास्तविक लाभांश ₹ 270 ।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|--|--|---------------|---------------------|--------------------------|--|----------------|--|---|---|--|
| | | | | हिरसा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिरसा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | निवेशित राशि | | | | |
| | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| | | | | | | | (₹ लाख में) | | | |
| IV. संयुक्त पूंजी कम्पनियों- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 60. | आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़, अजमेर | 1980-81 तक | इक्विटी | 1,60,000 | 10 | 16.00 | .. | .. | .. | 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में कर पश्चात् ₹ 23.87 लाख की हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2008-09 तक ₹ 15,66.96 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 61. | ओरियन्टल पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा | 1962-63 | इक्विटी | 3,665 | 100 | 3.66 (क) | .. | .. | .. | 30 जून 1985 को समाप्त हुए वर्ष तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 62. | एसोसिएटेड आयर्न एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मंडी (कोटा) | 1963-64 | इक्विटी | 1,000 | 100 | 1.00 | .. | .. | .. | 31 दिसम्बर 1984 तक ₹ 16.70 लाख की संचित हानि थी। 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 63. | जयपुर मैटल एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर | 1987-88 | इक्विटी | 7,500 | 100 | 7.50 | .. | .. | .. | वर्ष 1996-97 तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 64. | मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा | 1996-97 तक | पूर्वाधिकार इक्विटी | 10,000 40,000 | 100 100 | 10.00 40.00 | .. | .. | .. | वर्ष 2003-04 तक ₹ 21,89.42 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2004-05 तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| | | | | | | 50.00 | | | | |

(क) वास्तविक निवेश ₹ 3,66,500।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | निवेशित राशि | | | | |
| | | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | |
| IV संयुक्त पूंजी कम्पनियां- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 65. | मैटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता | 1960-61 | इक्रिटी | 2,50,000 | 10 | 25.00 | .. | .. | .. | लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 66. | परियोजना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर | 2006-07 तक | इक्रिटी | 9,90,000 | 10 | 99.00 | 50.00 | .. | .. | 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में कर पश्चात ₹ 92.83 लाख की हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2015)। |
| 67. | राजस्थान सड़क ढांचागत विकास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर | 12-13 तक 2014-15 | इक्रिटी इक्रिटी | 11,25,00,000 | 10 | 1,12,50.00 (क) 25,00.00 <u>1,37,50.00 (ख)</u> | .. | .. | .. | कम्पनी की स्थापना के वर्ष की सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2015)। |
| परिसमापनाधीन कम्पनियां | | | | | | | | | | |
| 68. | बूंदी विद्युत् आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, बूंदी | 1936-37 | इक्रिटी | 4,141* | 10 | 0.12 (ग) | .. | .. | .. | कम्पनी 1965-66 से परिसमापनाधीन है। |
| 69. | झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, झालावाड़ | 1946-47 | इक्रिटी | 500* | 100 | 0.10 (घ) | .. | .. | .. | कम्पनी नवम्बर 1973 से परिसमापनाधीन है। |
| 70. | स्टोन वेयर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर | (ङ) | इक्रिटी | 1,250 | 10 | 0.12 (च) | .. | .. | .. | कम्पनी अगस्त 1961 से परिसमापनाधीन है। |

(क) वास्तविक निवेश ₹ 1,12,49,99,970। (ख) वास्तविक निवेश ₹ 1,37,49,99,970। (ग) ₹ 41,410 के कुल निवेश में से राशि ₹ 20,705 तथा ₹ 8,282 क्रमशः वर्ष 1976-77 व 1977-78 में वापस प्राप्त हुई।
(घ) ₹ 50,000 के कुल निवेश में से सितम्बर 1974 में राशि ₹ 40,000 वापस प्राप्त हुई। (ङ) सूचना जयपुर रियासत के शामिल होने से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है। सरकारी अभिलेखों में निवेश का सही वर्ष उपलब्ध नहीं है।
(च) वास्तविक निवेश ₹ 12,500। * शेयर की राशि की वापसी के पश्चात् वास्तविक संख्या से संबंधित सूचना प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां | |
|---|--|---------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|---|---|--------------|--|
| | | | प्रकार | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | | | | | निवेशित राशि |
| | | | | | (₹ लाख में) | | | | | |
| | | | | | (₹ लाख में) | | | | | |
| IV संयुक्त पूंजी कम्पनियां- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| परिसमापनाधीन कम्पनियां - (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 71. | श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर | 1947-48 | इक्विटी पूर्वाधिकार विलम्बित | 4,000 400 5,000 | 10 100 10 | 1.30 | .. | .. | .. | कम्पनी जनवरी 1960 से परिसमापनाधीन है। |
| 72. | आबू रोड इलैक्ट्रिसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबू रोड | 1945-46 | इक्विटी | 1,250 | 100 | 1.25 | .. | .. | .. | कम्पनी परिसमापनाधीन है तथा वर्ष 1975-76 के दौरान पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है। |
| 73. | कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा | 1946-47 | इक्विटी पूर्वाधिकार विलम्बित | 11,000 800 2,000 | 10 100 5 | 2.00 | .. | .. | .. | कम्पनी परिसमापनाधीन है। |
| 74. | जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर। | 1943-44 | इक्विटी पूर्वाधिकार | 4,987 12,471 | 100 100 | 17.46 (क) | .. | .. | .. | कम्पनी परिसमापनाधीन है। |
| 75. | फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता | 1927-28 | इक्विटी | 95 | 100 | 0.10 (ख) | .. | .. | .. | कम्पनी परिसमापनाधीन है। |

(क) वास्तविक निवेश ₹ 17,45,800।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 9,500।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां | |
|--|---|---------------|---|---------------------------|--|--|---|---|--------------|--|
| | | | प्रकार | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | | | | | निवेशित राशि |
| | | | | | | (₹ लाख में) | (₹ लाख में) | | | |
| IV. संयुक्त पूंजी कम्पनियां- (समाप्त) | | | | | | | | | | |
| परिसमापनाधीन कम्पनियां - (समाप्त) | | | | | | | | | | |
| 76. | दी चपरमुख सिलीघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता | 1990-91 तक | इक्विटी | 95 (क) | 100 | 0.06 (ख) | .. | .. | .. | कम्पनी परिसमापनाधीन है। |
| योग -IV | | | | | | 1,40,64.56 (ग) | .. (घ) | .. | | |
| V. साझेदारी व्यापार संस्थाएं | | | | | | | | | | |
| 77. | कॉटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज, किशनगढ़ | 1900-01 | रुपये में 26 पैसे या कुल पूंजी का 25/96 | | | 0.21 (ङ) | .. | 1.00 | .. | वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश हैं। वर्ष 1996-97 तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित है (अगस्त 2015)। |
| योग -V | | | | | | 0.21 | 1.00 | .. | | |
| VI. सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश | | | | | | | | | | |
| 01. | क्रेडिट-सहकारी समितियां * | 12-13 तक | (च) | (च) | (च) | 1,10,21.27 (छ) | .. | 73.04 (झ) | .. | |
| | | 2014-15 | वापसी | | | (-) 1.25 | | | | |
| | | | | | | 1,10,20.02 (ज) | | | | |

* सहकारी बैंको तथा समितियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य सरकार से बार-बार माँगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(क) 1990-91 में पूर्व में वापस किये गये शेयरों की संख्या राज्य सरकार से विवरण के अभाव में कम नहीं की जा सकी।

(घ) वास्तविक लाभांश ₹ 270।

(च) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(छ) वास्तविक निवेश ₹ 1,10,21,26,276।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 6,365।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 1,40,64,56,368।

(ङ) वास्तविक निवेश ₹ 20,833।

(ज) वास्तविक निवेश ₹ 1,10,20,01,276।

(झ) वास्तविक लाभांश ₹ 73,04,127।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | प्रकार | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभों तथा सरकार को जमा | घोषित लाभों परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|--|--------------------------------------|---------------|--------|--------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|
| | | | | हिससा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | निवेशित राशि | | | | |
| | | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | |
| VI. सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश - (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 02. | आवास सहकारी समितियां * | 2013-14 तक | (क) | (क) | (क) | 1,71.90 (ख) | .. | .. | .. | |
| 03. | श्रम सहकारी समितियां * | 2011-12 तक | (क) | (क) | (क) | 6.34 (ग) | .. | .. | .. | |
| 04. | कृषि सहकारी समितियां * | 2011-12 तक | (क) | (क) | (क) | 1.73 (घ) | .. | .. | .. | |
| | | 2014-15 | वापसी | | | (-) 0.02 | | | | |
| | | | | | | 1.71 (ङ) | | | | |
| 05. | भाण्डागार और विपणन सहकारी समितियां * | 2011-12 तक | (क) | (क) | (क) | 31,87.70 (च) | .. | 92.36 (द) | .. | |
| | | 2014-15 | वापसी | | | (-) 2.69 (छ) | | | | |
| | | | | | | 31,85.01 (ज) | | | | |
| 06. | प्रक्रिया सहकारी समितियां * | 2013-14 तक | (क) | (क) | (क) | 76,75.14 (झ) | .. | .. | .. | |
| 07. | डेयरी सहकारी समितियां * | 2012-13 तक | (क) | (क) | (क) | 6,50.24 (ञ) | .. | .. | .. | |
| | | 2014-15 | वापसी | | | (-) 5.09 (ट) | | | | |
| | | | | | | 6,45.15 (ठ) | | | | |
| 08. | सहकारी कताई मिलें * | 2012-13 तक | (क) | (क) | (क) | 64,22.31 | .. | .. | .. | |
| 09. | उपभोक्ता सहकारी समितियां * | 2011-12 तक | (क) | (क) | (क) | 11,24.99 (ड) | .. | .. | .. | |

* सहकारी बैंकों और समितियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 1,72,395 । (ङ) वास्तविक निवेश ₹ 1,70,395 । (च) वास्तविक निवेश ₹ 31,87,70,490 ।

(झ) वास्तविक निवेश ₹ 76,75,13,856 । (ञ) वास्तविक निवेश ₹ 6,50,24,020 । (ट) वास्तविक वापसी ₹ 5,09,250 ।

(द) वास्तविक लाभांश ₹ 92,35,727 ।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 1,71,90,480 ।

(छ) वास्तविक लाभांश ₹ 2,68,750 ।

(द) वास्तविक निवेश ₹ 6,45,14,770 ।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 6,33,983 ।

(ज) वास्तविक निवेश ₹ 31,85,01,740 ।

(ड) वास्तविक निवेश ₹ 11,24,98,691 ।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)
खण्ड 1 : 2014-15 तक निवेशों का विवरण- (समाप्त)

| क्र.स. | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा | घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ | अभ्युक्तियां |
|--|---|---------------|----------------|---------------------------|---|--|---|---|--------------|
| | | | प्रकार | हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या | प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य | | | | |
| | | | | | | (₹ लाख में) | | | |
| | | | | | | (₹ लाख में) | | | |
| VI. सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 10. | राजस्थान सहकारी वित्त और विकास निगम # | 2013-14 | (क) | (क) | (क) | 10,00.00 | .. | .. | .. |
| 11. | औद्योगिक सहकारी समितियां * | 2003-04 तक | (क) | (क) | (क) | 78.76 (ख) | .. | .. | .. |
| 12. | जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत विविध समितियां * | 2011-12 तक | (क) | (क) | (क) | 30,55.44 (ग) | .. | .. | .. |
| | | 2012-13 | (क) | (क) | (क) | 8,04.83 | | | |
| | | 2013-14 | (क) | (क) | (क) | 8,90.33 | | | |
| | | 2014-15 | (क) | (क) | (क) | 3,48.51 | | | |
| | | | | | 50,99.11 (घ) | | | | |
| 13. | अन्य सहकारी समितियां * | 2013-14 तक | (क) | (क) | (क) | 1,46,75.46 (ङ) | .. | .. | .. |
| | | 2014-15 | (क) | (क) | (क) | 10,89.06 | | | |
| | | 2014-15 | वापसी | | | (-) 14,47.99 (च) | | | |
| | | | | | 1,43,16.53 (छ) | | | | |
| योग | | | | | 5,07,46.97 (ज) | | | | |
| घटाएं - वापसियां | | | | | (-) 0.08 (झ) | | | | |
| योग - VI | | | | | 5,07,46.89 (ञ) | | 1,65.40 (ट) | .. | |
| कुल योग | | | | | 2,79,09,58.57 (ठ) | | 63,32.95 (ड) | .. | |

* सहकारी बैंकों और समितियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

संस्था का प्रकार राज्य सरकार से प्रतीक्षित है ।

(क) इकट्टी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 78,76,061 । (ग) वास्तविक निवेश ₹ 30,55,44,507 ।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 50,99,11,507 ।

(ङ) वास्तविक निवेश ₹ 1,46,75,46,178 ।

(च) वास्तविक वापसी ₹ 14,47,98,971 । (छ) वास्तविक निवेश ₹ 1,43,16,53,207 ।

(ज) वास्तविक निवेश ₹ 5,07,46,96,966 ।

(झ) वापसियों के समितिवार विवरण (वर्ष 1976-77 के ₹ 4,500 और 1977-78 के ₹ 3,650) विभाग/कोषाधिकारी से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(ञ) वास्तविक निवेश ₹ 5,07,46,88,816 ।

(ट) वास्तविक लाभांश ₹ 1,65,39,854 ।

(ठ) वास्तविक निवेश ₹ 2,79,09,58,56,897 ।

(ड) वास्तविक लाभांश ₹ 63,32,94,825 । इसमें आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड, भीलवाड़ा से प्राप्त लाभांश ₹ 21,650 की राशि शामिल नहीं है जो कि वित्त विभाग से पत्राचाराधीन है ।

विवरण संख्या 19 - (समाप्त)

खण्ड 2 : वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण

(मात्र वही मामले सम्मिलित करने हैं जिनसे विवरण संख्या 19 में दर्शायी राशियां मिलान नहीं करती हैं)

| विवरण संख्या 19 की क्रम संख्या | मुख्य / लघु शीर्ष | गत वर्ष के अंत में | वर्ष के दौरान निवेश | वर्ष के दौरान | वर्ष के अंत में | प्राप्त लाभांश/ ब्याज |
|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| | | निवेश | | विनिवेश | निवेश | |
| <i>(₹ लाख में)</i> | | | | | | |
| सरकारी कम्पनियां | | | | | | |
| <i>प्रचलित कम्पनियां</i> | | | | | | |
| 21. | सांभर साल्ट लिमिटेड, जयपुर वित्त लेखे के विवरण संख्या 16 में नहीं पाया गया | 40.00 | .. | .. | 40.00 | .. |
| <i>अप्रचलित कम्पनियां</i> | | | | | | |
| 50. | राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर | 16,33.00 | .. | .. | 16,33.00 | .. |
| | 4853-01-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | 13,78.66 | .. | .. | 13,78.66 | .. |
| | 4853-01-796 जनजातिय क्षेत्र उप-योजना | 2,44.25 | .. | .. | 2,44.25 | .. |
| | 4853-60-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | 10.00 | .. | .. | 10.00 | .. |
| संयुक्त पूंजी कम्पनियां | | | | | | |
| 58. | रामपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामपुर वित्त लेखे के विवरण संख्या 16 में नहीं पाया गया | 0.07 | .. | .. | 0.07 | .. |
| 62. | एसोसिएटेड आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मण्डी, कोटा वित्त लेखे के विवरण संख्या 16 में नहीं पाया गया | 1.00 | .. | .. | 1.00 | .. |

विवरण संख्या - 20 सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण

(क) वर्गवार गारन्टियों का विवरण

| वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या) | गारन्टी की गई अधिकतम राशि* | वर्ष | वर्ष के | घटत* | वर्ष के दौरान | | वर्ष | गारन्टी कमीशन | | अन्य आवश्यक विवरण |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 2014-15 | दौरान | (वर्ष के दौरान की गई | याचिका | 2014-15 | अथवा फीस | | | |
| | | के | बढ़त* | याचिका के अतिरिक्त) | चुकाई गई | नहीं चुकाई | के अन्त में | प्राप्त होने योग्य | प्राप्त | |
| | | प्रारम्भ में बकाया* | | | | | में बकाया* | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं को मूलधन के पुर्नभुगतान एवं ब्याज के भुगतान, नगद जमा सुविधा, वित्तीय मौसमी कृषि कार्य तथा कम्पनियों, निगमों एवं सहकारी समितियों तथा बैंको को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए गारन्टी | 16,19,17,97.12 | 8,59,11,24.95 | 1,52,77,93.80 | 66,11,37.84 | .. | .. | 9,45,77,80.91 | 6,18,82.10 | 6,17,89.04 | .. |
| कुल योग- | 16,19,17,97.12 | 8,59,11,24.95 | 1,52,77,93.80 | 66,11,37.84 | .. | .. | 9,45,77,80.91 | 6,18,82.10 | 6,17,89.04 | .. |

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

(ख) गारन्टियों का विवरण

| वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या) | गारन्टी की गई अधिकतम राशि * | वर्ष | वर्ष के | घटत* | वर्ष के दौरान | | वर्ष | गारन्टी कमीशन | | अन्य आवश्यक विवरण |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया* | दौरान बढ़त* | (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त) | याचिका | चुकाई गई नहीं चुकाई | 2014-15 के अन्त में बकाया * | अथवा फीस | प्राप्त होने योग्य प्राप्त | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| वर्ग (1) | | | | | | | | | | |
| ऊर्जा (5) | | | | | | | | | | |
| <i>कर्ज/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण-पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर राष्ट्रीय बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी</i> | | | | | | | | | | |
| राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 2,75,67,56.31 | 78,16,04.23 | 13,61,11.03 | 6,07,72.27 | .. | .. | 85,69,42.99 | 49,97.10 | 49,97.10 | .. |
| राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 61,86,86.00 | 15,80,36.76 | 33,18,00.00 | 11,43,83.72 | .. | .. | 37,54,53.04 | 18,11.94 | 18,11.94 | .. |
| जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 4,23,23,48.78 | 2,33,99,95.80 | 40,56,64.01 | 13,53,19.88 | .. | .. | 2,61,03,39.93 | 1,68,61.84 | 1,68,61.84 | .. |
| अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 3,83,96,20.79 | 2,38,28,46.90 | 24,97,51.94 | 13,08,05.66 | .. | .. | 2,50,17,93.18 | 1,78,24.62 | 1,78,24.62 | .. |
| जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 3,56,34,55.87 | 2,23,82,46.41 | 21,85,47.14 | 10,33,75.32 | .. | .. | 2,35,34,18.23 | 1,70,21.92 | 1,70,21.92 | .. |
| योग-ऊर्जा | 15,01,08,67.75 | 7,90,07,30.10 | 1,34,18,74.12 | 54,46,56.85 | .. | .. | 8,69,79,47.37 | 5,85,17.42 | 5,85,17.42 | .. |
| सहकारी समितियाँ (7) | | | | | | | | | | |
| राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 6,50,00.00 | 80,96.42 | .. | 28,61.34 | .. | .. | 52,35.08 | 7.11 | 7.11 | .. |
| <i>कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी</i> | | | | | | | | | | |

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

(ख) गारन्टियों का विवरण - (क्रमशः)

| वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या) | गारन्टी की गई अधिकतम राशि | वर्ष | वर्ष के | घटत | वर्ष के दौरान | | वर्ष | गारन्टी कमीशन | | अन्य आवश्यक विवरण |
|---|------------------------------------|--|---------------|---|---------------|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया | दौरान बढ़त | (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त) | याचिका | चुकाई गई नहीं चुकाई | 2014-15 के अन्त में बकाया | अथवा फीस | प्राप्त होने योग्य प्राप्त | |

(₹ लाख में)

सहकारी समितियाँ (7) - (क्रमशः)

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|----|----|-------------|---------|---------|----|
| राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी | 13,00,00.00 | 11,62,56.49 | 1,71,00.00 | 2,05,43.04 | .. | .. | 11,28,13.45 | 73.68 | 73.68 | .. |
| राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी | 6,10,00.00 | 2,00,00.00 | 2,04,00.00 | 3,17,55.00 | .. | .. | 86,45.00 | 1,20.48 | 1,20.48 | .. |
| राजस्थान राज्य सहकारी आवासन फेडरेशन लिमिटेड राजस्थान राज्य सहकारी आवास फेडरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम/हुडको को दी गई गारन्टी | 10,00.00 | 2,99.98 | .. | 1,33.33 | .. | .. | 1,66.65 | 6.38 | 6.38 | .. |
| राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड विभिन्न निगमों से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिये गारन्टी | 79,34.62 | 66,63.72 | 33,37.07 | 24,76.21 | .. | .. | 75,24.58 | 14.32 | 14.32 | .. |

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

(ख) गारन्टियों का विवरण - (क्रमशः)

| वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या) | गारन्टी की गई अधिकतम राशि | वर्ष | वर्ष के | घटत | वर्ष के दौरान | | वर्ष | गारन्टी कमीशन | | अन्य आवश्यक विवरण |
|--|------------------------------------|--|-------------------|---|---------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया | दौरान बढ़त | (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त) | याचिका | चुकाई गई नहीं चुकाई | 2014-15 के अन्त में बकाया | अथवा फीस | प्राप्त होने योग्य प्राप्त | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| सहकारी समितियाँ (7) - (समाप्त) | | | | | | | | | | |
| राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड <i>राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी</i> | 70,00.00 | 70,65.06 | 20,00.00 | 20,75.34 | .. | .. | 69,89.72 | 7.50 | 7.50 | .. |
| राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड <i>राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से प्राप्त कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी</i> | 44,66.00 | 32,26.38 | .. | 4,04.95 | .. | .. | 28,21.43 | 11.07 | 11.07 | .. |
| योग - सहकारी समितियाँ | 27,64,00.62 | 16,16,08.05 | 4,28,37.07 | 6,02,49.21 | .. | .. | 14,41,95.91 | 2,40.54 | 2,40.54 | .. |
| सड़क तथा परिवहन (1) | | | | | | | | | | |
| राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम लिमिटेड <i>हुड़को से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी</i> | 27,29,94.00 | 12,44,79.71 | 5,10,59.88 | 28,14.74 | .. | .. | 17,27,24.85 | 14,58.51 | 14,58.51 | .. |
| योग - सड़क तथा परिवहन | 27,29,94.00 | 12,44,79.71 | 5,10,59.88 | 28,14.74 | .. | .. | 17,27,24.85 | 14,58.51 | 14,58.51 | .. |

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

(ख) गारन्टियों का विवरण- (क्रमशः)

| वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या) | गारन्टी की गई अधिकतम राशि | वर्ष | वर्ष के | घटत | वर्ष के दौरान | | वर्ष | गारन्टी कमीशन | | अन्य आवश्यक विवरण |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------|--|---------------|---------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| | | 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया | दौरान बढ़त | (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त) | याचिका | चुकाई गई नहीं चुकाई | 2014-15 के अन्त में बकाया | अथवा फीस | प्राप्त होने योग्य प्राप्त | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| राज्य वित्तीय निगम (1) | | | | | | | | | | |
| राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड कर्जें/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण-पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर राष्ट्रीय बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी | 3,00,00.00 | 3,00,00.00 | .. | .. | .. | .. | 3,00,00.00 | 3,00.00 | 3,00.00 | .. |
| योग - राज्य वित्तीय निगम | 3,00,00.00 | 3,00,00.00 | .. | .. | .. | .. | 3,00,00.00 | 3,00.00 | 3,00.00 | .. |
| नगरीय विकास एवं आवासन (2) | | | | | | | | | | |
| आवास विकास लिमिटेड आवासन तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी | 6,63,61.00 | 3,78,31.00 | 60,00.00 | 65,91.68 | .. | .. | 3,72,39.32 | 4,51.50 | 3,58.44 | .. |
| विभिन्न जिला परिषदें ग्रामीण क्षेत्रों में इडब्ल्यूएस परिवारों के लिए रहने योग्य युनिटों के निर्माण हेतु आवासन तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड से लिये गये कर्जों तथा उन पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी | 39,48,66.30 | 25,20,43.93 | 6,00,63.92 | 2,50,99.86 | .. | .. | 28,70,07.99 | .. | .. | .. |
| योग - नगरीय विकास एवं आवासन | 46,12,27.30 | 28,98,74.93 | 6,60,63.92 | 3,16,91.54 | .. | .. | 32,42,47.31 | 4,51.50 | 3,58.44 | .. |

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

(ख) गारन्टियों का विवरण- (क्रमशः)

| वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या) | वर्ष गारन्टी की गई अधिकतम राशि | वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया | वर्ष के दौरान बढ़त | घटत (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त) | वर्ष के दौरान | | | वर्ष 2014-15 में प्राप्त होने योग्य | गारन्टी कमीशन अथवा फीस आवश्यक विवरण | अन्य |
|--|--|--|--------------------------|--|--------------------|------------|-------------------------|---|--|------|
| | | | | | याचिका चुकाई गई | नहीं चुकाई | के अन्त में बकाया | | | |

(₹ लाख में)

अन्य आधारभूत (1)

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----------|
| राजस्थान शहरी आधारभूत वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड आवासन तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी | 3,50,00.00 | 1,30,38.39 | 85,00.00 | 44,23.13 | .. | .. | 1,71,15.26 | 1,74.40 | 1,74.40 | .. |
| योग - अन्य आधारभूत | 3,50,00.00 | 1,30,38.39 | 85,00.00 | 44,23.13 | .. | .. | 1,71,15.26 | 1,74.40 | 1,74.40 | .. |

अन्य कोई (6)

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----|---------|----|----|----------|-------|-------|----|
| राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कर्जों/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण-पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी | 37,40.00 | 6,75.71 | .. | 8.53 | .. | .. | 6,67.18 | 0.67 | 0.67 | .. |
| राजस्थान राज्य जलपूर्ति तथा मल निकासी निगम भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी | 1,32,10.89 | 30,56.23 | .. | 5,43.27 | .. | .. | 25,12.96 | 18.67 | 18.67 | .. |

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

(ख) गारन्टियों का विवरण- (समाप्त)

| वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या) | वर्ष गारन्टी की गई अधिकतम राशि | वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया | घटत (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त) | वर्ष के दौरान याचिका | | | वर्ष 2014-15 के अन्त में प्राप्त होने योग्य बकाया | गारन्टी कमीशन अथवा फीस आवश्यक विवरण | | अन्य |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | चुकाई गई | नहीं चुकाई | के अन्त में प्राप्त | | प्राप्त | विवरण | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| अन्य कोई (6) - (समाप्त) | | | | | | | | | | |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा जारी किये गये बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान तथा मूलधन के पुनर्भुगतान की गारन्टी | 6,75,00.00 | | 6,75,00.00 | .. | .. | .. | 6,75,00.00 | 6,75.00 | 6,75.00 | .. |
| राजस्थान पर्यटन विकास निगम रीको से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी | 8,45.00 | | 1,28.00 | .. | 1,28.00 | .. | .. | 0.80 | 0.80 | .. |
| राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राष्ट्रीयकृत बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गये कर्जों के पुनर्भुगतान की गारन्टी | 2,00,00.00 | | .. | 1,74,58.81 | 1,66,22.57 | .. | 8,36.24 | 44.59 | 44.59 | .. |
| खारवाल राजस्थान वित्त निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान हेतु गारन्टी | 11.56 | | 33.83 | .. | .. | .. | 33.83 | .. | .. | .. |
| योग - अन्य कोई | 10,53,07.45 | | 7,13,93.77 | 1,74,58.81 | 1,73,02.37 | .. | 7,15,50.21 | 7,39.73 | 7,39.73 | .. |
| कुल योग | 16,19,17,97.12 | | 8,59,11,24.95 | 1,52,77,93.80 | 66,11,37.84 | .. | 9,45,77,80.91 | 6,18,82.10 | 6,17,89.04 | .. |

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(क) गारन्टी मोचन निधि : राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में गारन्टी मोचन निधि की स्थापना की गई थी । निधि का विस्तृत लेखा नीचे दर्शाया जा रहा है :-

| | | (₹ लाख में) |
|-------|--|-----------------|
| (i) | प्रारंभिक शेष | 10,02,31.59 (क) |
| (ii) | जोड़िये- वर्ष के दौरान निधि में राशि का हस्तान्तरण | 6,15,82.60 |
| (iii) | योग | 16,18,14.19 |
| (iv) | घटाइये- याचिका की गई गारन्टी के चुकारे के लिए निधि से प्राप्त राशि | .. |
| (v) | अन्तिम शेष | 16,18,14.19 (ख) |
| (vi) | गारन्टी मोचन निधि में से निवेश की गई राशि | 11,05,28.03 |

राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के दृष्टिगत कुछ मामलों में, संस्थाओं द्वारा गारन्टी कमीशन का भुगतान आवश्यक है। प्राप्त होने योग्य गारन्टी फीस ₹ 6,18,82.10 लाख के विरुद्ध ₹ 6,17,89.04 लाख शीर्ष "0075-108" के अन्तर्गत प्राप्त हुई । वर्ष के दौरान ₹ 4,26.55 लाख का शेष छोड़ते हुए ₹ 6,15,82.60 लाख (2013-14 से संबंधित ₹ 2,20.11 लाख सम्मिलित) निधि को हस्तान्तरित किये गये।

(ख) वर्ष 2014-15 के दौरान कोई गारन्टी याचिका नहीं की गई ।

1. मै. जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को गारण्टी दी गई जो 30 जून 1988 को मांगी गई तथा राज्य सरकार को गारण्टी के ₹ 2,74.14 लाख तथा भुगतान होने की दिनांक तक 16.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने को कहा गया। तदनुसार राज्य सरकार ने बैंक को दिनांक 31 मार्च 1995 को ₹ 2,96.06 लाख का भुगतान किया। कम्पनी समापनाधीन है तथा प्रकरण न्यायालय में लम्बित है (जून, 2015)।
2. मै जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड को गारण्टी दी गई जो 23 फरवरी 1984 को मांगी गई तथा राज्य सरकार को गारण्टी के ₹ 5,04.76 लाख तथा भुगतान होने की दिनांक तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने को कहा गया। मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट के आदेशानुसार ₹ 5,04.76 लाख ऋण वसूली के अधिकरण को जमा कराये गये। गारन्टर से राशि वसूल करने के लिये मामला जयपुर जिला न्यायालय में अप्रैल 2003 में दायर किया गया (जून, 2015)।
3. मै मेवाड़ टैक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा के पक्ष में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को दी गई ₹ 3,85.00 लाख की गारण्टी के विरुद्ध राज्य सरकार ने गारन्टी का सम्मान करने के लिये दिनांक 28 जनवरी 2002 को ₹ 3,72.41 लाख का ऋण स्वीकृत किया जिसमें से ₹ 2,07.41 लाख चार वित्तीय संस्थाओं को वर्ष 2001-02 में चुकाए गये। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा चुकाई गई राशि को बैंकों [आई सी आई सी आई बैंक (भूतपूर्व दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया] द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तथा वसूली हेतु न्यायालय में गये। कम्पनी का समापनाधीन प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। समापनाधीन अधिकारी की नियुक्ति अभी की जानी है (जून, 2015)।

(क) गारन्टी मोचन निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 58,10.51 लाख सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) गारन्टी मोचन निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 1,05,64.41 लाख सम्मिलित नहीं हैं।

विवरण संख्या 20- (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ- (समाप्त)

4. राजस्थान राज्य हथकर्घा विकास निगम को दी गई गारन्टी की माँग वर्ष 2003-04 में की गई तथा राज्य सरकार को गारन्टी के ₹ 1.80 करोड़ तथा भुगतान होने की तिथि तक ब्याज देने को कहा गया। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य हथकर्घा विकास निगम को ₹ 1.08 करोड़ का ऋण स्वीकृत कर वर्ष 2003-04 के दौरान आई.सी.आई.सी.आई.बैंक को (भूतपूर्व दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड) को ₹ 1.08 करोड़ चुकाये। कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण निगम द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया गया (जून 2015)।

(ग) वर्ष 2014-15 के दौरान "लेटर ऑफ कम्फर्ट" जारी नहीं किये गये।

(घ) राज्य सरकार के बजट दस्तावेज में गारण्टी का विवरण सम्मिलित है।

(ङ.) वर्तमान में वित्त (बजट) विभाग सरकार में गारण्टी के लिए ट्रेकिंग इकाई के रूप में कार्यरत है।

(च) वित्तीय विवरण में गारण्टी मोचन निधि का ब्यौरा सम्मिलित है।

विवरण संख्या 21 – आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | |
| <i>(₹ लाख में)</i> | | | | | | | |
| भाग II. आकस्मिकता निधि | | | | | | | |
| 8000. आकस्मिकता निधि | | | | | | | |
| 201. समेकित निधि से विनियोजन | जमा | 2,00,00.00 | 3,00,00.00 | .. | जमा | 5,00,00.00 | (+) 3,00,00.00 150.00 |
| योग - भाग II. आकस्मिकता निधि | जमा | 2,00,00.00 | 3,00,00.00 | .. | जमा | 5,00,00.00 | (+) 3,00,00.00 150.00 |
| भाग III . लोक लेखा | | | | | | | |
| झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि | | | | | | | |
| (ख) राज्य भविष्य निधियां | | | | | | | |
| 8009. राज्य भविष्य निधि | | | | | | | |
| 01. सिविल | | | | | | | |
| 101. सामान्य भविष्य निधि | जमा | 1,85,95,76.85 | 41,51,24.76 | 21,58,18.19 | जमा | 2,05,88,83.42 | (+) 19,93,06.57 10.72 |
| 102. अंशदायी भविष्य निधि | जमा | 4,79.17 | 15.92 | .. | जमा | 4,95.09 | (+) 15.92 3.32 |
| 104. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि | जमा | 57,98.31 | 11,89.87 | 11,98.89 | जमा | 57,89.29 | (-) 9.02 0.16 |
| योग - 01 | जमा | 1,86,58,54.33 | 41,63,30.55 | 21,70,17.08 | जमा | 2,06,51,67.80 | (+) 19,93,13.47 10.68 |
| 02. रक्षा | | | | | | | |
| 101. रक्षा बचत भविष्य निधि | जमा | 0.23 | .. | .. | जमा | 0.23 | |
| योग - 02 | जमा | 0.23 | .. | .. | जमा | 0.23 | |

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | |
|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| भाग III . लोक लेखा- (क्रमशः) | | | | | | | |
| झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि - (समाप्त) | | | | | | | |
| (ख) राज्य भविष्य निधियां - (समाप्त) | | | | | | | |
| 8009. राज्य भविष्य निधि - (समाप्त) | | | | | | | |
| 60. अन्य भविष्य निधियां | | | | | | | |
| 101. कामगार अंशदायी भविष्य निधि | जमा | 8,02,04.09 | 55,32.48 | .. | जमा | 8,57,36.57 | (+) 55,32.48 6.90 |
| 103. अन्य विविध भविष्य निधियां | जमा | 3,62,48.96 | 29,91.37 | 36.37 | जमा | 3,92,03.96 | (+) 29,55.00 8.15 |
| | योग - 60 | जमा 11,64,53.05 | 85,23.85 | 36.37 | जमा 12,49,40.53 | (+) 84,87.48 | 7.29 |
| | योग - 8009 | जमा 1,98,23,07.61 | 42,48,54.40 | 21,70,53.45 | जमा 2,19,01,08.56 | (+) 20,78,00.95 | 10.48 |
| | योग-(ख) राज्य भविष्य निधियां | जमा 1,98,23,07.61 | 42,48,54.40 | 21,70,53.45 | जमा 2,19,01,08.56 | (+) 20,78,00.95 | 10.48 |
| (ग) अन्य लेखा | | | | | | | |
| 8011. बीमा तथा पेंशन निधि | | | | | | | |
| 105. राज्य सरकार बीमा निधि | जमा | 90,10,89.57 | 22,85,56.75 | 11,60,26.64 | जमा 1,01,36,19.68 | (+) 11,25,30.11 | 12.49 |
| 106. अन्य बीमा तथा पेंशन निधियां | जमा | 3,53,05.83 | 5,21,98.41 | 7,62,36.03 | जमा 1,12,68.21 | (-) 2,40,37.62 | 68.08 |
| 107. राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना | जमा | 78,63.61 | 25,74.87 | 6,93.13 | जमा 97,45.35 | (+) 18,81.74 | 23.93 |
| | योग - 8011 | जमा 94,42,59.01 | 28,33,30.03 | 19,29,55.80 | जमा 1,03,46,33.24 | (+) 9,03,74.23 | 9.57 |
| | योग-(ग) अन्य लेखा | जमा 94,42,59.01 | 28,33,30.03 | 19,29,55.80 | जमा 1,03,46,33.24 | (+) 9,03,74.23 | 9.57 |
| | योग - झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि | जमा 2,92,65,66.62 | 70,81,84.43 | 41,00,09.25 | जमा 3,22,47,41.80 | (+) 29,81,75.18 | 10.19 |

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | |
|--|------------------|--------------|-----------------|------------------|------|------------|-------------------------|--------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| भाग III . लोक लेखा- (क्रमशः) | | | | | | | | |
| ज. आरक्षित निधि | | | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | | | | | | | |
| 8115. मूल्य हास / नवीकरण आरक्षित निधि | | | | | | | | |
| 103. मूल्य हास आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम | जमा | 95,59.32 | (-) 6,01.48 (क) | 15,43.16 | जमा | 74,14.68 | (-) 21,44.64 | 22.44 |
| योग - 8115 | जमा | 95,59.32 | (-) 6,01.48 | 15,43.16 | जमा | 74,14.68 | (-) 21,44.64 | 22.44 |
| 8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां | | | | | | | | |
| 122. राज्य आपदा मोचन निधि | जमा | 1,14,74.22 # | 17,43,85.03 (ख) | 15,70,56.88 | जमा | 2,88,02.37 | (+) 1,73,28.15 | 151.02 |
| योग - 8121 | जमा | 1,14,74.22 | 17,43,85.03 | 15,70,56.88 | जमा | 2,88,02.37 | (+) 1,73,28.15 | 151.02 |
| योग - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां | जमा | 2,10,33.54 | 17,37,83.55 | 15,86,00.04 | जमा | 3,62,17.05 | (+) 1,51,83.51 | 72.19 |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | | | | | | | |
| 8225. सड़क तथा सेतु निधि | | | | | | | | |
| 02. राज्य सड़क तथा सेतु निधि | | | | | | | | |
| 101. राज्य सड़क तथा सेतु निधि | जमा | 98,00.25 | 2,80,00.00 | 1,56,71.42 | जमा | 2,21,28.83 | (+) 1,23,28.58 | 125.80 |
| योग - 8225. | जमा | 98,00.25 | 2,80,00.00 | 1,56,71.42 | जमा | 2,21,28.83 | (+) 1,23,28.58 | 125.80 |

(क) ऋण आंकड़े, राज्य सरकार द्वारा पांच अप्रचलित आरक्षित निधियों के बकाया शेषों को इन निधियों के बंद होने के पश्चात् राजस्व प्राप्तियों (0075) में अंतरण के कारण हैं।

पूर्णांक के कारण प्रारम्भिक शेष में 1 से कमी की गयी।

(ख) इसमें (i) राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र तथा राज्य दोनों का अंशदान (₹ 7,30,10.00 लाख), (ii) भारत सरकार द्वारा शुद्धि पर्ची सं. 773 से शीर्ष 8235-111 को बंद करने के पश्चात् इस शीर्ष से (₹ 9,54,07.57 लाख) अंतरण (iii) राज्य सरकार द्वारा अनिवेशित राशि पर दिया गया ब्याज (₹ 31,10.18 लाख) तथा (iv) निधि से निवेश पर ब्याज (₹ 28,57.28 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|--|------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| भाग III लोक लेखा - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| ज. आरक्षित निधि- (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां- (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 8229. विकास तथा कल्याण निधि | | | | | | | | |
| 103. कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि | जमा | 0.74 | .. | .. | जमा | 0.74 | | |
| 104. पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि | जमा | 0.95 | .. | .. | जमा | 0.95 | | |
| 106. औद्योगिक विकास निधि | जमा | 18,72.95 | 25.50 | .. | जमा | 18,98.45 | (+) 25.50 1.36 | |
| 109. सहकारी विकास निधि | जमा | 19.58 | (-) 19.58 (क) | .. | .. | .. | (-) 19.58 100.00 | |
| 200. अन्य विकास तथा कल्याण निधि | जमा | 53,83.99 | 1,83.56 | 7,93.03 | जमा | 47,74.52 | (-) 6,09.47 11.32 | |
| | योग - 8229 | जमा | 72,78.21 | 1,89.48 | 7,93.03 | जमा | 66,74.66 | (-) 6,03.55 8.29 |
| 8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां | | | | | | | | |
| 111. राज्य आपदा मोचन निधि | जमा | 9,54,07.57 | (-) 9,54,07.57 (ख) | .. | .. | .. | (-) 9,54,07.57 100.00 | |
| 112. राज्य आपदा मोचन निधि-निवेश लेखा | नामे | 6,13,99.54 # | .. | (-) 6,13,99.54 (ग) | .. | .. | (+) 6,13,99.54 100.00 | |
| 117. गांरटी मोचन निधि | जमा | 10,60,42.10 | 6,63,36.50 | .. | जमा | 17,23,78.60 | (+) 6,63,36.50 62.56 | |
| 120. गांरटी मोचन निधि-निवेश लेखा | नामे | 6,37,46.10 | 6,37,46.10 | 11,05,28.03 | नामे | 11,05,28.03 | (-) 4,67,81.93 73.39 | |

(क) ऋण आंकड़े, राज्य सरकार द्वारा निधि को बंद करने के पश्चात् शेष राशि को राजस्व प्राप्ति (0075) में अंतरण के कारण हैं।

(ख) ऋण आंकड़े, मुख्य शीर्ष 8121 में शेष को अंतरण करने के कारण है पाद टिप्पणी ख (ii) भी देखें।

(ग) ऋण आंकड़े, निवेश के परिपक्व होने पर प्राप्त राशि के समायोजन के कारण हैं।

पूर्णांक के कारण प्रारम्भिक शेष में 1 से कमी की गयी।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| भाग III लोक लेखा - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| ज. आरक्षित निधि- (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां- (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 200. अन्य निधियां | | | | | | | | | |
| सकल | जमा | 2,03,05.44 | (-) 4,89.11 (क) | 1,52.07 | जमा | 1,96,64.26 | (-) 6,41.18 | 3.16 | |
| निवेश | नामे | 1,70,54.81 | .. | .. | नामे | 1,70,54.81 | .. | .. | |
| | निवल-200 | जमा | 32,50.63 | (-) 4,89.11 | 1,52.07 | जमा | 26,09.45 | (-) 6,41.18 | 19.72 |
| 201. अन्य निधियां - निवेश लेखा | | | | | | | | | |
| निवेश | नामे | 15,93.48 | .. | (-) 6,58.46(ख) | नामे | 9,35.02 | (+) 6,58.46 | 41.32 | |
| | निवल-201 | नामे | 15,93.48 | .. | (-) 6,58.46 | नामे | 9,35.02 | (+) 6,58.46 | 41.32 |
| | योग - 8235. | जमा | 7,79,61.18 | 3,41,85.92 | 4,86,22.10 | जमा | 6,35,25.00 | (-) 1,44,36.18 | 18.52 |
| | योग - (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | जमा | 9,50,39.64 | 6,23,75.40 | 6,50,86.55 | जमा | 9,23,28.49 | (-) 27,11.15 | 2.85 |
| | योग-ज. आरक्षित निधि | जमा | 11,60,73.18 | 23,61,58.95 | 22,36,86.59 | जमा | 12,85,45.54 | (+) 1,24,72.36 | 10.75 |

(क) ऋण आंकड़े ₹ 6,58.46 लाख का पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्ष (4047) में हस्तान्तरण के कारण हैं।

(ख) ऋण आंकड़े, राजस्थान राज्य निवेश निधि के अन्तर्गत प्रतिभूति के परिपक्वता पर प्राप्त राशि के समायोजन के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|------|-------------------------|----------------------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः) | | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम | | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली जमा | | | | | | | |
| 8338. स्थानीय निधियों की जमा | | | | | | | |
| 103. राज्य आवासन मण्डल की जमा | जमा | 3,97.71 | .. | .. | जमा | 3,97.71 | |
| 104. अन्य स्वायत्त निकायों की जमा | जमा | 26,34,11.96 | 8,60,10.47 | 5,33,06.36 | जमा | 29,61,16.07 | (+) 3,27,04.11 12.42 |
| योग - 8338. | जमा | 26,38,09.67 | 8,60,10.47 | 5,33,06.36 | जमा | 29,65,13.78 | (+) 3,27,04.11 12.40 |
| 8342. अन्य जमा | | | | | | | |
| 103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा | जमा | 7,48,01.70 | 2,26,13.16 | 2,18,80.00 | जमा | 7,55,34.86 | (+) 7,33.16 0.98 |
| 117. सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना | जमा | 9.79 | 74.14 | 70.37 | जमा | 13.56 | (+) 3.77 38.51 |
| 120. विविध जमा | जमा | 3,76,71.97 | 3,16,21.55 | 3,05,28.64 | जमा | 3,87,64.88 | (+) 10,92.91 2.90 |
| योग - 8342. | जमा | 11,24,83.46 | 5,43,08.85 | 5,24,79.01 | जमा | 11,43,13.30 | (+) 18,29.84 1.63 |
| योग- (क) ब्याज वाली जमा | जमा | 37,62,93.13 | 14,03,19.32 | 10,57,85.37 | जमा | 41,08,27.08 | (+) 3,45,33.95 9.18 |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा | | | | | | | |
| 8443. सिविल जमा | | | | | | | |
| 101. राजस्व जमा | जमा | 87,58.77 | 4,39.68 | 28,72.23 | जमा | 63,26.22 | (-) 24,32.55 27.77 |
| 103. प्रतिभूति जमा | जमा | 3,16,16.21 | 1,07,36.60 | 1,70,57.61 | जमा | 2,52,95.20 | (-) 63,21.01 19.99 |

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|---|------------------|-------------|---------------|------------------|------|-------------------------|----------------|-------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 8443. सिविल जमा - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 104. सिविल न्यायालय जमा | जमा | 53,89.59 | 16,93.60 | 16,37.33 | जमा | 54,45.86 | (+) 56.27 | 1.04 |
| 105. आपराधिक न्यायालय जमा | जमा | 74.58 | (-) 7.89 (क) | .. | जमा | 66.69 | (-) 7.89 | 10.58 |
| 106. व्यक्तिगत जमा | जमा | 28,61,89.97 | 2,15,04,36.61 | 2,15,27,41.25 | जमा | 28,38,85.33 | (-) 23,04.64 | 0.81 |
| 108. लोक निर्माण कार्य - जमा | जमा | 20,80,15.07 | 19,42,18.06 | 12,08,54.91 | जमा | 28,13,78.22 | (+) 7,33,63.15 | 35.27 |
| 109. वन जमा | जमा | 4,51.67 | 1,67.43 | 1,41.21 | जमा | 4,77.89 | (+) 26.22 | 5.81 |
| 111. अन्य विभागीय जमा | जमा | 5,06.08 | 1,02.03 | .. | जमा | 6,08.11 | (+) 1,02.03 | 20.16 |
| 116. विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा | जमा | 1,59.42 | 2,80.61 | 2,30.81 | जमा | 2,09.22 | (+) 49.80 | 31.24 |
| 117. सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिये किये गये कार्य के लिये जमा | जमा | 20.79 | 0.28 | (-) 0.08 (ख) | जमा | 21.15 | (+) 0.36 | 1.73 |
| 118. गैर - सरकारी निकायों के लिये किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों की जमा | नामे | 5.06 | 0.10 | .. | नामे | 4.96 (ग) | (+) 0.10 | 1.98 |
| 119. कम्पनी परिसमापन लेखा | जमा | .. * | .. | .. | जमा | .. * | .. | .. |
| 121. चुनावों के संबंध में जमा | जमा | 5.89 | 3.98 | 1.25 | जमा | 8.62 | (+) 2.73 | 46.35 |

(क) ऋण आंकड़े व्यपगत जमाओं को राजस्व मुख्य शीर्ष (0075) में हस्तान्तरण के कारण हैं।

* ₹ 373 मात्र।

(ख) ऋण आंकड़े गत वर्षों के गलत वर्गीकरण के सुधार के कारण हैं।

(ग) नामे शेष जाँच के अधीन है।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|---|------------------|-------------|---------------|------------------|------|-------------------------|----------------|--------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| 8443. सिविल जमा- (समाप्त) | | | | | | | | |
| 123. शैक्षणिक संस्थाओं की जमा | जमा | 80,89.84 | 43,51.83 | 39,61.46 | जमा | 84,80.21 | (+) 3,90.37 | 4.83 |
| 800. अन्य जमा | जमा | 8,44.84 | 2,64.08 | 0.05 | जमा | 11,08.87 | (+) 2,64.03 | 31.25 |
| योग - 8443. | जमा | 55,01,17.66 | 2,36,26,87.00 | 2,29,94,98.03 | जमा | 61,33,06.63 | (+) 6,31,88.97 | 11.49 |
| 8448. स्थानीय निधियों की जमा | | | | | | | | |
| 102. नगरपालिका संबंधी निधियां | जमा | 5,47,97.91 | 18,41,45.14 | 17,72,49.47 | जमा | 6,16,93.58 | (+) 68,95.67 | 12.58 |
| 107. राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यकारी निधियां | जमा | 0.30 | 6,34,11,76.33 | 6,32,62,77.33 | जमा | 1,48,99.30 | (+) 1,48,99.00 | .. |
| 109. पंचायत निकाय निधियां | जमा | 22,01,55.67 | 40,21,68.08 | 38,93,93.74 | जमा | 23,29,30.01 | (+) 1,27,74.34 | 5.80 |
| 110. शिक्षा निधियां | जमा | 18,40.88 | 7,65.89 | 7,14.10 | जमा | 18,92.67 | (+) 51.79 | 2.81 |
| 111. चिकित्सा तथा धर्मार्थ निधियां | जमा | 1,89.33 | 1,13.10 | 1,43.14 | जमा | 1,59.29 | (-) 30.04 | 15.87 |
| 120. अन्य निधियां | जमा | 63,98.61 | 1,57,22.38 | 1,59,28.54 | जमा | 61,92.45 | (-) 2,06.16 | 3.22 |
| योग -8448. | जमा | 28,33,82.70 | 6,94,40,90.92 | 6,90,97,06.32 | जमा | 31,77,67.30 | (+) 3,43,84.60 | 12.13 |
| 8449. अन्य जमा | | | | | | | | |
| 103. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | जमा | 15,38.85 | 2,86,44.40 | 1,94,42.22 | जमा | 1,07,41.03 | (+) 92,02.18 | 597.99 |
| 105. बाजार कर्ज की जमा राशि | | .. | 1,23,00,00.00 | 1,23,00,00.00 | जमा | .. | .. | .. |

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|---|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम - (समाप्त) | | | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 8449. अन्य जमा - (समाप्त) | | | | | | | | |
| 120. विविध जमा | जमा | 40,64.49 | 2,08.40 | 4,04.66 | जमा | 38,68.23 | (-) 1,96.26 4.83 | |
| | योग- 8449 | जमा | 56,03.34 | 1,25,88,52.80 | 1,24,98,46.88 | जमा | 1,46,09.26 | (+) 90,05.92 160.72 |
| | योग-(ख) बिना ब्याज वाली जमा | जमा | 83,91,03.70 | 10,56,56,30.72 | 10,45,90,51.23 | जमा | 94,56,83.19 | (+) 10,65,79.49 12.70 |
| (ग) अग्रिम | | | | | | | | |
| 8550. सिविल अग्रिम | | | | | | | | |
| 101. वन अग्रिम | नामे | 90.70 | 7,29.56 | 10,09.34 | नामे | 3,70.48 | (-) 2,79.78 308.47 | |
| 103. अन्य विभागीय अग्रिम | नामे | 1,42.51 | 0.83 | 6.40 | नामे | 1,48.08 | (-) 5.57 3.91 | |
| 104. अन्य अग्रिम | नामे | 55.82 | .. | .. | नामे | 55.82 | | |
| | योग- 8550. | नामे | 2,89.03 | 7,30.39 | 10,15.74 | नामे | 5,74.38 | (-) 2,85.35 98.73 |
| | योग - (ग) अग्रिम | नामे | 2,89.03 | 7,30.39 | 10,15.74 | नामे | 5,74.38 | (-) 2,85.35 98.73 |
| | योग - ट. जमा तथा अग्रिम | जमा | 1,21,51,07.80 | 10,70,66,80.43 | 10,56,58,52.34 | जमा | 1,35,59,35.89 | (+) 14,08,28.09 11.59 |

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------|-------------------------|--------------|--------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः) | | | | | | | | |
| ठ. उचन्त तथा विविध | | | | | | | | |
| (ख) उचन्त | | | | | | | | |
| 8658. उचन्त लेखा | | | | | | | | |
| 101. वेतन तथा लेखा कार्यालय-उचन्त | नामे | 25,71.54 | 47.09 | 20,38.21 | नामे | 45,62.66 | (-) 19,91.12 | 77.43 |
| 102. उचन्त लेखा (सिविल) | नामे | 2,02.56 | 21.82 | 26.37 | नामे | 2,07.11 | (-) 4.55 | 2.25 |
| 106. दूरसंचार लेखा कार्यालय उचन्त | नामे | 0.01 | .. | .. | नामे | 0.01 | .. | .. |
| 112. स्रोत स्तर पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचन्त | जमा | 52,02.83 | (-) 12,62.74 (क) | .. | जमा | 39,40.09 | (-) 12,62.74 | 24.27 |
| 123. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना | जमा | 16.29 | 5.61 | 5.45 | जमा | 16.45 | (+) 0.16 | 0.98 |
| 129. सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचन्त लेखा | जमा | 2,22.95 | 33,66.34 | 39,02.36 | नामे | 3,13.07 | (-) 5,36.02 | 240.42 |
| योग - 8658 | जमा | 26,67.96 | 21,78.12 | 59,72.39 | नामे | 11,26.31 | (-) 37,94.27 | 142.22 |
| योग- (ख) उचन्त | जमा | 26,67.96 | 21,78.12 | 59,72.39 | नामे | 11,26.31 | (-) 37,94.27 | 142.22 |
| (ग) अन्य लेखा | | | | | | | | |
| 8671. विभागीय शेष | | | | | | | | |
| 101. सिविल | नामे | 1,06.97 | 5,14.63 | 5,07.93 | नामे | 1,00.27 | (-) 6.70 | 6.26 |
| योग - 8671 | नामे | 1,06.97 | 5,14.63 | 5,07.93 | नामे | 1,00.27 | (-) 6.70 | 6.26 |
| 8672. स्थायी रोकड़ अग्रदाय | | | | | | | | |
| 101. सिविल | नामे | 3,51.98 | 31.46 | 5.01 | नामे | 3,25.53 | (-) 26.45 | 7.51 |
| योग - 8672 | नामे | 3,51.98 | 31.46 | 5.01 | नामे | 3,25.53 | (-) 26.45 | 7.51 |

(क) ऋण आंकड़े, टी.डी.एस. उचन्त के निस्तारण के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
|--|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः) | | | | | | | | | |
| ठ. उचन्त तथा विविध - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| (ग) अन्य लेखा - (समाप्त) | | | | | | | | | |
| 8673. रोकड़ शेष निवेश लेखा | | | | | | | | | |
| 101. रोकड़ शेष निवेश लेखा | नामे | 89,97,55.68 | 12,70,72,29.00 | 12,57,03,31.00 | नामे | 76,28,57.68 | (-) 13,68,98.00 | 15.22 | |
| | योग - 8673 | नामे | 89,97,55.68 | 12,70,72,29.00 | 12,57,03,31.00 | नामे | 76,28,57.68 | (-) 13,68,98.00 | 15.22 |
| 8674. सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा | | | | | | | | | |
| 101. सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा | नामे | 49,29.36 | 0.59 | 2,06.19 | नामे | 51,34.96 | (+) 2,05.60 | 4.17 | |
| | योग - 8674 | नामे | 49,29.36 | 0.59 | 2,06.19 | नामे | 51,34.96 | (+) 2,05.60 | 4.17 |
| | योग - (ग) अन्य लेखा | नामे | 90,51,43.99 | 12,70,77,75.68 | 12,57,10,50.13 | नामे | 76,84,18.44 | (-) 13,67,25.55 | 15.11 |
| (घ) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे | | | | | | | | | |
| 8679. अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे | | | | | | | | | |
| 105. पाकिस्तान | नामे | 10.35 | .. | .. | नामे | 10.35 | .. | .. | |
| 106. सिंगापुर | नामे | 0.03 | .. | .. | नामे | 0.03 | .. | .. | |
| | योग- 8679 | नामे | 10.38 | .. | .. | नामे | 10.38 | .. | .. |
| | योग-(घ) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे | नामे | 10.38 | .. | .. | नामे | 10.38 | .. | .. |
| | योग-ठ. उचन्त तथा विविध | नामे | 90,24,86.41 | 12,70,99,53.80 | 12,57,70,22.52 | नामे | 76,95,55.13 | (+) 13,29,31.28 | 14.73 |

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2014 को | | | 31 मार्च 2015 को | | निवल वृद्धि (+) कमी (-) | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----|
| | आदि शेष | प्राप्तियां | संवितरण | अन्त शेष | राशि | प्रतिशत | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| भाग III. लोक लेखा - (समाप्त) | | | | | | | |
| ड. प्रेषण | | | | | | | |
| (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण | | | | | | | |
| 8782. उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन | | | | | | | |
| 101. खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच नकद प्रेषण | .. | 1,69,84.36 | 1,69,84.36 | .. | .. | .. | .. |
| 102. लोक निर्माण प्रेषण | जमा 3,22.65 | 99,92,58.58 | 99,91,43.92 | जमा 4,37.31 | (+) 1,14.66 | 35.54 | |
| 103. वन प्रेषण | नामे 18.31 | 3,25,21.25 | 3,26,77.22 | नामे 1,74.28 | (-) 1,55.97 | 851.83 | |
| 108. अन्य विभागीय प्रेषण | नामे 2.73 | .. | .. | नामे 2.73 | .. | .. | |
| 129. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत अन्तरण | नामे 74.29 | .. | .. | नामे 74.29 | .. | .. | |
| योग - 8782 | जमा 2,27.32 | 1,04,87,64.19 | 1,04,88,05.50 | जमा 1,86.01 | (-) 41.31 | 18.17 | |
| योग- (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण | जमा 2,27.32 | 1,04,87,64.19 | 1,04,88,05.50 | जमा 1,86.01 | (-) 41.31 | 18.17 | |
| (ख) अन्तः सरकार समायोजन लेखा | | | | | | | |
| 8793. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा | नामे 7.48 | (-) 0.50 (क) | .. | नामे 7.98 | (-) 0.50 | 6.68 | |
| योग - 8793 | नामे 7.48 | (-) 0.50 | .. | नामे 7.98 | (-) 0.50 | 6.68 | |
| योग-(ख) अन्तः सरकार समायोजन लेखा | नामे 7.48 | (-) 0.50 | .. | नामे 7.98 | (-) 0.50 | 6.68 | |
| योग-ड. प्रेषण | जमा 2,19.84 | 1,04,87,63.69 | 1,04,88,05.50 | जमा 1,78.03 | (-) 41.81 | 19.02 | |
| योग - भाग III. लोक लेखा | जमा 3,35,54,81.03 | 25,40,97,41.30 | 24,82,53,76.20 | जमा 3,93,98,46.13 | (+) 58,43,65.10 | 17.42 | |

(क) ऋण आंकड़े गत वर्षों के शेषों के निस्तारण के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 का अनुबंध - उच्च तथा प्रेषण शेषों का विश्लेषण

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया | 31 मार्च 2015 को शेष | | संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति | पूर्व के वर्ष से बकाया | बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव |
|---|---|----------------------|-------|---|------------------------|--|
| | | नामे | जमा | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. उच्च शेष | | | | | | |
| 8658. उच्च लेखा | | | | | | |
| 101. वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्च | | | | | | |
| | वेतन तथा लेखा कार्यालय आई.ए.डी. जयपुर | 0.44 | .. | केन्द्रीय सरकार आई.ए.डी. विभाग पर व्यय | 2014-15 | केन्द्रीय सरकार आई.ए.डी. विभाग पर व्यय का पुनर्भरण मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | वेतन तथा लेखा कार्यालय केन्द्रीय पेंशन लेखाधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली | | | | | |
| | अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान | 27,30.80 | .. | केन्द्र सरकार के पेंशनर्स पर व्यय | 2013-14 | राज्य में रहने वाले पेंशनर्स के लिए केन्द्रीय पेंशन का पुनर्भरण मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | अन्य भुगतान तथा प्राप्ति | 0.46 | 0.50 | केन्द्र सरकार के अन्य विभागों पर व्यय | 2013-14 | मंत्रालय को भुगतान योग्य है वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है। |
| | वेतन तथा लेखा कार्यालय (पूर्ति) नई दिल्ली | .. | 0.43 | केन्द्रीय सरकार व्यवहार | 2013-14 | मंत्रालय को भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है। |
| | वेतन तथा लेखा कार्यालय (एन एच), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर (0550) | 18,99.35 | 16.02 | राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यय/प्राप्ति | 2012-13 | राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यय का पुनर्भरण मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | वेतन तथा लेखा कार्यालय (डी ए डी) रक्षा मंत्रालय (सिविल), नई दिल्ली | 0.14 | .. | रक्षा मंत्रालय पर व्यय | 2014-15 | परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | वेतन तथा लेखा कार्यालय (ई आर आई एस तथा बैंकिंग) आर्थिक मामलात विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (0559) | 47.22 | .. | केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां तथा उन पर ब्याज | 1999-2000 से पूर्व | परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |

विवरण संख्या 21 का अनुबंध - (क्रमशः)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया | 31 मार्च 2015 को शेष | | संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति | पूर्व के वर्ष से बकाया | बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव |
|---|---|----------------------|----------------|---|--|--|
| | | नामे | जमा | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. उचन्त शेष - (क्रमशः) | | | | | | |
| 8658. उचन्त लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 101. वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त - (समाप्त) | | | | | | |
| | मुख्य लेखाधिकारी/वेतन तथा लेखा कार्यालय खाद एवं रसायन, नई दिल्ली | 0.48 | .. | खाद तथा रसायन पर व्यय | 2014-15 | परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | वेतन तथा लेखा कार्यालय निर्वाचन कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली (0726) | .. | 1,06.19 | वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा समायोजित जमा राशि | 2014-15 | परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में कमी होती। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है। |
| | वेतन तथा लेखा कार्यालय (विधिक मामले), विधि तथा न्याय मंत्रालय एवं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (0533) | 20.01 | 14.34 | प्रावधानी निधि उचन्त शेष | 2014-15 (₹ 2.01 लाख की नामे राशि 1997-98 से बकाया है) | परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | वेतन तथा लेखा कार्यालय- III (पेंशन) नई दिल्ली | 0.14 | .. | केन्द्रीय पेंशनरों पर व्यय | 2014-15 | परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | वेतन तथा लेखा कार्यालय (सचिवालय), शहरी तथा विकास मंत्रालय, नई दिल्ली | 0.98 | .. | शहरी क्षेत्रों पर व्यय | 2014-15 | परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | 1960 के पहले आर.आर. कर्जे (आवक) (1701) | .. | (-) 0.02 | 1960 के पूर्व आर आर कर्जे | 1960 से पूर्व | परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | 1960 के पहले आर.आर. कर्जे (आवक) (1702) | 0.13 | 0.03 | 1960 के पूर्व आर आर कर्जे | 1960 से पूर्व | परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| योग 101 - वेतन तथा लेखा कार्यालय- उचन्त | | 47,00.15 | 1,37.49 | शुद्ध नामे | 45,62.66 | |

विवरण संख्या 21 का अनुबंध - (क्रमशः)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया | 31 मार्च 2015 को शेष | | संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति | पूर्व के वर्ष से बकाया | बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव |
|------------------------------------|---|----------------------|----------|---|------------------------|---|
| | | नामे | जमा | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. उचन्त शेष - (क्रमशः) | | | | | | |
| 8658. उचन्त लेखा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 102. उचन्त लेखा (सिविल) | | | | | | |
| | आपत्ति पुस्तिका उचन्त (02) | .. | (-) 1.52 | सक्षम प्राधिकृति के अलावा प्राप्ति की वापसी | 2012-13 | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं तथा केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है। |
| | अन्य उचन्त (अवर्गीकृत उचन्त) (03) | 19.95 | 21.03 | वाऊचर/चालानों का प्राप्त न होना | 2013-14 | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं तथा केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है। |
| रेलवे लेखा (04) | | | | | | |
| | केन्द्रीय रेलवे, (0605) | 0.03 | .. | रेलवे पेंशनर्स पर व्यय | 1997-98 एवं 2005-06 | राज्य में रहने वाले रेलवे पेंशनर्स का पुनर्भरण केन्द्रीय रेलवे द्वारा भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | उत्तर - पश्चिम रेलवे, (0623) | 0.14 | .. | रेलवे पेंशनर्स पर व्यय | 2011-12 | राज्य में रहने वाले रेलवे पेंशनर्स का पुनर्भरण उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| रक्षा लेखा (05) | | | | | | |
| | सी.डी.ए. (पेंशन) इलाहाबाद (1801) | 1,02.22 | 1.22 | रक्षा पेंशन के संदर्भ में व्यय | 1979-80 | राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति योग्य तथा दावों को पुनर्भरण हेतु चुना गया। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| | सी.डी.ए. (एस सी) पुणे (1813) | 33.88 | .. | भूमि अधिग्रहण पर व्यय | 1977-78 | राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति योग्य तथा दावों को पुनर्भरण हेतु चुना गया। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| डाक तार लेखा उचन्त (06) | | | | | | |
| | पी.एल.आई. निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता (1917) | .. | 0.06 | पी.एल.आई. प्रीमियम से सम्बन्धित | 2013-14 | निदेशक पी.एल. आई. को बीमा प्रीमियम हेतु भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है। |
| | अन्य विविध उचन्त (07) | .. | 0.47 | मिलिट्री पेंशन | 2012-13 | राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है। |

विवरण संख्या 21 का अनुबंध - (क्रमशः)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया | 31 मार्च 2015 को शेष | | संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति | पूर्व के वर्ष से बकाया | बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------|---|------------------------|--|
| | | नामे | जमा | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. उचन्त शेष -(समाप्त) | | | | | | |
| 8658. उचन्त लेखा शेष -(समाप्त) | | | | | | |
| 102. उचन्त लेखा (सिविल) -(समाप्त) | | | | | | |
| डाक तार लेखा उचन्त(06) -(समाप्त) | | | | | | |
| | एच.बी.ए. उचन्त (08) | 69.85 | (-) 2.18 | एच.बी.ए. से सम्बन्धित | 1969-70 | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं तथा केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित हैं। |
| | एम.सी.ए. उचन्त (09) | .. | (-) 0.12 | एम.सी.ए. से सम्बन्धित | 2009-10 | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं तथा केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित हैं। |
| योग 102 - उचन्त लेखा (सिविल) | | 2,26.07 | 18.96 | शुद्ध नामे | 2,07.11 | |
| 106. | दूर संचार लेखा कार्यालय उचन्त | 0.01 | .. | | | परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है। |
| 112. | स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) उचन्त | .. | 39,40.09 | आयकर प्राप्ति | 2014-15 | राज्य सरकार द्वारा स्त्रोत पर कर की कटौती को राज्य के अंतर्गत संग्रहित कर केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर को भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है। |
| 123. | अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना | .. | 16.45 | अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना | 2013-14 | राज्य में भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का अंशदान राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है। |
| 129. | सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा | .. | (-) 3,13.07 | उचन्त | 1994 से पूर्व | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों से भंडार के क्रय के लेखागत समायोजन प्रतीक्षित हैं। |
| योग 8658 उचन्त लेखा | | 49,26.23 | 37,99.92 | शुद्ध नामे | 11,26.31 | |
| योग क उचन्त लेखा | | 49,26.23 | 37,99.92 | शुद्ध नामे | 11,26.31 | |

विवरण संख्या 21 का अनुबंध - (क्रमशः)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया | 31 मार्च 2015 को शेष | | संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति | पूर्व के वर्ष से बकाया | बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------|---|------------------------|--|
| | | नामे | जमा | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. प्रेषण शेष | | | | | | |
| 8782. | उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन | | | | | |
| 102. | लोक निर्माण प्रेषण | | | | | |
| | खजानों में प्रेषण | 18.37 | .. | प्रेषण | 1994 से पूर्व | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। कोषालयों से प्रेषण की केवल पावती प्रतीक्षित है। |
| | लोक निर्माण कार्य चैक | .. | 44,98.05 | प्रेषण | 2014-15 तक | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों द्वारा जारी चैकों की कोषालयों से केवल पावती प्रतीक्षित है। |
| | अन्य प्रेषण | 38,65.85 | (-) 3.62 | प्रेषण | 1994 से पूर्व | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों के मध्य केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है। |
| | लोक निर्माण अधिकारियों के बीच लेन- देन | 1,72.90 | .. | प्रेषण | 1994 से पूर्व | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों के मध्य केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है। |
| योग 102 - लोक निर्माण प्रेषण | | 40,57.12 | 44,94.43 | शुद्ध जमा | 4,37.31 | |
| 103. | वन प्रेषण | | | | | |
| | खजानों में प्रेषण | 1,80.52 | .. | खण्ड द्वारा चालान का प्रेषण तथा खजाना अधिकारी द्वारा उनकी पावती | 2014-15 तक | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। कोषालयों से प्रेषण की केवल पावती प्रतीक्षित है। |
| | वन चैक | .. | 6.24 | वन खण्ड द्वारा जारी चैक तथा खजाना अधिकारी द्वारा उनकी पावती | 2014-15 तक | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों द्वारा जारी चैकों की कोषालयों से केवल पावती प्रतीक्षित है। |
| योग 103 - वन प्रेषण | | 1,80.52 | 6.24 | शुद्ध नामे | 1,74.28 | |

विवरण संख्या 21 का अनुबंध - (समाप्त)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया | 31 मार्च 2015 को शेष | | संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति | पूर्व के वर्ष से बकाया | बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव |
|--------------------------|---|----------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | नामे | जमा | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ख. प्रेषण शेष - (समाप्त) | | | | | | |
| 8782. | उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन - (समाप्त) | | | | | |
| 108. | अन्य विभागीय प्रेषण | 2.73 | .. | अन्य प्रेषण | 1990 से पूर्व | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। |
| | योग 108 अन्य विभागीय प्रेषण | 2.73 | .. | शुद्ध नामे | 2.73 | |
| 129. | इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत अंतरण | 77,40.99 | 76,66.70 | प्रेषण | 1994 से पूर्व | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। |
| | योग 129 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत अंतरण | 77,40.99 | 76,66.70 | शुद्ध नामे | 74.29 | |
| | योग 8782. उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन | 1,19,81.36 | 1,21,67.37 | शुद्ध जमा | 1,86.01 | |
| 8793. | अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा | 7.98 | .. | अन्तर्राज्यीय लेन देन | 2014-15 तक | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। |
| | योग 8793. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा | 7.98 | .. | शुद्ध नामे | 7.98 | |
| | योग ख प्रेषण शेष | 1,19,89.34 | 1,21,67.37 | शुद्ध जमा | 1,78.03 | |
| | वृहद योग | 1,69,15.57 | 1,59,67.29 | शुद्ध नामे | 9,48.28 | |

विवरण संख्या 22 - पृथक् आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|---|----------------------|-------|------------|----------------------|-------|------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| <i>(₹ लाख में)</i> | | | | | | |
| ज. आरक्षित निधि | | | | | | |
| <i>(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां</i> | | | | | | |
| 8115. मूल्यहास/ नवीकरण आरक्षित निधि | | | | | | |
| 103. मूल्यहास आरक्षित निधि -सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम | | | | | | |
| (01) जलदाय विभाग | 73,94.23 | .. | 73,94.23 | 89,37.39 | .. | 89,37.39 |
| (02) सोडियम सल्फेट | .. | .. | .. | 2,40.86 | .. | 2,40.86 |
| (03) खनिज विभाग | .. | .. | .. | 6.17 | .. | 6.17 |
| (06) नमक के व्यापार की योजना | .. | .. | .. | 52.95 | .. | 52.95 |
| (07) झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना | 20.45 | .. | 20.45 | 20.45 | .. | 20.45 |
| (08) फोरेस्ट कूप्स की विभागीय प्रबन्धन योजना | .. | .. | .. | 2,11.62 | .. | 2,11.62 |
| (09) बांस समुपयोजन योजना | .. | .. | .. | 89.88 | .. | 89.88 |
| योग - 8115 | 74,14.68 | .. | 74,14.68 | 95,59.32 | .. | 95,59.32 |
| 8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां | | | | | | |
| 122. राज्य आपदा मोचन निधि | | | | | | |
| (01). राजस्व लेखों से/को स्थानान्तरण | 2,88,02.37 | .. | 2,88,02.37 | 1,14,74.23 | .. | 1,14,74.23 |
| योग - 8121 | 2,88,02.37 | .. | 2,88,02.37 | 1,14,74.23 | .. | 1,14,74.23 |
| योग - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 3,62,17.05 | .. | 3,62,17.05 | 2,10,33.55 | .. | 2,10,33.55 |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|-------|------------|----------------------|-------|----------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ज. आरक्षित निधि - (क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | | | | | |
| 8225. सड़क तथा सेतु निधि | | | | | | |
| 02. राज्य सड़क तथा सेतु निधि | | | | | | |
| 101. राज्य सड़क तथा सेतु निधि | 2,21,28.83 | .. | 2,21,28.83 | 98,00.25 | .. | 98,00.25 |
| योग - 8225 | 2,21,28.83 | .. | 2,21,28.83 | 98,00.25 | .. | 98,00.25 |
| 8229. विकास तथा कल्याण निधि | | | | | | |
| 103. कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि | | | | | | |
| (01) कृषक सुधार निधि | 0.74 | .. | 0.74 | 0.74 | .. | 0.74 |
| योग - 103 | 0.74 | .. | 0.74 | 0.74 | .. | 0.74 |
| 104. पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि | | | | | | |
| (01) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से गहन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि | 0.95 | .. | 0.95 | 0.95 | .. | 0.95 |
| योग - 104 | 0.95 | .. | 0.95 | 0.95 | .. | 0.95 |
| 106. औद्योगिक विकास निधि | | | | | | |
| (01) राज्य नवीनीकरण सलाहकार निधि | 18,98.45 | .. | 18,98.45 | 18,72.95 | .. | 18,72.95 |
| योग - 106 | 18,98.45 | .. | 18,98.45 | 18,72.95 | .. | 18,72.95 |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|-------|----------|----------------------|-------|----------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ज. आरक्षित निधि - (क्रमशः) | | | | | | |
| <i>(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां - (क्रमशः)</i> | | | | | | |
| 8229. विकास तथा कल्याण निधि - (समाप्त) | | | | | | |
| 109. सहकारी विकास निधि | | | | | | |
| (02) क्रय- विक्रय सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु रिवोल्विंग निधि | .. | .. | .. | 19.58 | .. | 19.58 |
| योग - 109 | .. | .. | .. | 19.58 | .. | 19.58 |
| 200. अन्य विकास तथा कल्याण निधि | | | | | | |
| (01) मण्डी विकास निधि | 3.12 | .. | 3.12 | 3.12 | .. | 3.12 |
| (02) राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड निधि | 0.18 | .. | 0.18 | 27.68 | .. | 27.68 |
| (03) रूपान्तरित आबादी भूमि के विकास के लिए विशेष शुल्क (पैराफेरिल) की जमा | 3,24.59 | .. | 3,24.59 | 3,24.59 | .. | 3,24.59 |
| (04) राजस्थान कारागार कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि | 60.95 | .. | 60.95 | 44.07 | .. | 44.07 |
| (05) नगरीय नवीनीकरण निधि | 14,91.65 | .. | 14,91.65 | 13,78.52 | .. | 13,78.52 |
| (06) राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि | 0.01 | .. | 0.01 | 0.01 | .. | 0.01 |
| (07) पर्यावरण खनिज क्षेत्र में सुधार | 3,94.02 | .. | 3,94.02 | 11,06.00 | .. | 11,06.00 |
| (08) आर. आई. पी. डी. एफ. | 25,00.00 | .. | 25,00.00 | 25,00.00 | .. | 25,00.00 |
| योग - 200 | 47,74.52 | .. | 47,74.52 | 53,83.99 | .. | 53,83.99 |
| योग - 8229 | 66,74.66 | .. | 66,74.66 | 72,78.21 | .. | 72,78.21 |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|-------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ज. आरक्षित निधि - (क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां - (क्रमशः) | | | | | | |
| 8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां | | | | | | |
| 111. राज्य आपदा मोचन निधि | | | | | | |
| (01) राजस्व लेखे से/ को स्थानान्तरण | .. | .. | .. | 9,54,07.57 | .. | 9,54,07.57 |
| योग - 111 | .. | .. | .. | 9,54,07.57 | .. | 9,54,07.57 |
| 112. राज्य आपदा मोचन निधि-निवेश लेखा | | | | | | |
| (01) प्रतिभूतियों का क्रय | .. | .. | .. | (-) 6,13,99.55 | 6,13,99.55 | .. |
| योग - 112 | .. | .. | .. | (-) 6,13,99.55 | 6,13,99.55 | .. |
| 117. गारंटी मोचन निधि | | | | | | |
| (01) राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि | 17,23,78.60 | .. | 17,23,78.60 | 10,60,42.10 | .. | 10,60,42.10 |
| योग - 117 | 17,23,78.60 | .. | 17,23,78.60 | 10,60,42.10 | .. | 10,60,42.10 |
| 120. गारन्टी मोचन निधि-निवेश लेखा | | | | | | |
| (01) प्रतिभूतियों में निवेश | (-) 11,05,28.03 | 11,05,28.03 | .. | (-) 6,37,46.10 | 6,37,46.10 | .. |
| योग - 120 | (-) 11,05,28.03 | 11,05,28.03 | .. | (-) 6,37,46.10 | 6,37,46.10 | .. |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ज. आरक्षित निधि - (समाप्त) | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां - (समाप्त) | | | | | | |
| 8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां- (समाप्त) | | | | | | |
| 200. अन्य निधियां | | | | | | |
| (02) जलपूर्ति योजना पी एम सी, चूरु हेतु के. एफ. डब्ल्यू जर्मनी से प्राप्त राशि का पूंजी लेखे से/को अंतरण | 2.22 | .. | 2.22 | 2.22 | .. | 2.22 |
| (03) राज्य सड़क विकास निधि | 4,02.08 | .. | 4,02.08 | 4,02.08 | .. | 4,02.08 |
| (04) संसाधन विकास निधि | 10,33.64 | 1,70,54.81 | 1,80,88.45 | 10,33.64 | 1,70,54.81 | 1,80,88.45 |
| (05) राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि | 0.18 | .. | 0.18 | 0.18 | .. | 0.18 |
| (06) राजस्थान फोरेस्ट्री एवं बायो-डायवर्सिटी निधि | 2,36.30 | .. | 2,36.30 | 2,19.02 | .. | 2,19.02 |
| (08) राजस्थान राज्य निवेश निधि | 9,35.03 | .. | 9,35.03 | 15,93.49 | .. | 15,93.49 |
| योग - 200 | 26,09.45 | 1,70,54.81 | 1,96,64.26 | 32,50.63 | 1,70,54.81 | 2,03,05.44 |
| 201. अन्य निधियां- निवेश लेखा | (-) 9,35.02 | 9,35.02 | .. | (-) 15,93.48 | 15,93.48 | .. |
| योग - 201 | (-) 9,35.02 | 9,35.02 | .. | (-) 15,93.48 | 15,93.48 | .. |
| योग - 8235 | 6,35,25.00 | 12,85,17.86 | 19,20,42.86 | 7,79,61.17 | 14,37,93.94 | 22,17,55.11 |
| योग - (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 9,23,28.49 | 12,85,17.86 | 22,08,46.35 | 9,50,39.63 | 14,37,93.94 | 23,88,33.57 |
| योग -ज. आरक्षित निधियां | 12,85,45.54 | 12,85,17.86 | 25,70,63.40 | 11,60,73.18 | 14,37,93.94 | 25,98,67.12 |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|-------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली जमा | | | | | | |
| 8338. स्थानीय निधियों की जमा | | | | | | |
| 103. राज्य आवास बोर्ड की जमा | 3,97.71 | .. | 3,97.71 | 3,97.71 | .. | 3,97.71 |
| योग - 103 | 3,97.71 | .. | 3,97.71 | 3,97.71 | .. | 3,97.71 |
| 104. अन्य स्वायत्त निकायों की जमा | | | | | | |
| (01) सामान्य प्रावधायी निधियों की जमा | 4,73,12.36 | .. | 4,73,12.36 | 4,39,88.92 | .. | 4,39,88.92 |
| (02) अंशदायी प्रावधायी निधियों की जमा | 7,58,16.72 | .. | 7,58,16.72 | 6,83,00.78 | .. | 6,83,00.78 |
| (03) उपदान (ग्रेच्युटी) की जमा | 33,87.43 | .. | 33,87.43 | 35,08.96 | .. | 35,08.96 |
| (04) पेंशन निधियों की जमा | 3,84,89.87 | .. | 3,84,89.87 | 2,55,04.70 | .. | 2,55,04.70 |
| (05) अन्य निधियों की जमा | 13,10,30.69 | .. | 13,10,30.69 | 12,20,31.17 | .. | 12,20,31.17 |
| (06) जोखिम निधि की जमा | 79.00 | .. | 79.00 | 77.43 | .. | 77.43 |
| योग - 104 | 29,61,16.07 | .. | 29,61,16.07 | 26,34,11.96 | .. | 26,34,11.96 |
| योग - 8338 | 29,65,13.78 | .. | 29,65,13.78 | 26,38,09.67 | .. | 26,38,09.67 |
| 8342. अन्य जमा | | | | | | |
| 103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा | | | | | | |
| (03) राजस्थान एग्री इण्डस्ट्रीज की जमा | 0.14 | .. | 0.14 | 0.14 | .. | 0.14 |
| (04) राजस्थान लघु उद्योग निगम की जमा | 1.88 | .. | 1.88 | 1.88 | .. | 1.88 |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|---|----------------------|-------|------------|----------------------|-------|------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम-(क्रमशः) | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली जमा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 8342. अन्य जमा-(क्रमशः) | | | | | | |
| 103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| (05) राजस्थान भूमि विकास निगम की जमा | 16,36.36 | .. | 16,36.36 | 16,36.36 | .. | 16,36.36 |
| (07) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की जमा | 13,99.55 | .. | 13,99.55 | 12,99.55 | .. | 12,99.55 |
| (08) राजस्थान स्टेट बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी की जमा | 20.00 | .. | 20.00 | 20.00 | .. | 20.00 |
| (09) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की जमा | 50.63 | .. | 50.63 | 50.63 | .. | 50.63 |
| (10) राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल की जमा | 1.55 | .. | 1.55 | 1.55 | .. | 1.55 |
| (12) राजस्थान राज्य सड़क तथा निर्माण निगम की जमा | 0.39 | .. | 0.39 | 0.19 | .. | 0.19 |
| (13) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जमा | 35.57 | .. | 35.57 | 35.57 | .. | 35.57 |
| (14) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम की जमा | 0.05 | .. | 0.05 | 0.05 | .. | 0.05 |
| (15) राजस्थान जल स्रोत विकास निगम की जमा | 3.37 | .. | 3.37 | 3.23 | .. | 3.23 |
| (16) राजस्थान वित्त निगम की जमा | .. | .. | .. | .. * | .. | .. * |
| (17) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की जमा | 0.93 | .. | 0.93 | 0.93 | .. | 0.93 |
| (18) राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल की जमा | 11,64.68 | .. | 11,64.68 | 11,64.68 | .. | 11,64.68 |
| (19) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जमा | .. # | .. | .. # | .. # | .. | .. # |
| (20) राजस्थान राज्य होटल निगम की जमा | 0.06 | .. | 0.06 | 0.06 | .. | 0.06 |
| (21) राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ की जमा | 0.44 | .. | 0.44 | 0.38 | .. | 0.38 |
| (24) राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल की जमा | 10.30 | .. | 10.30 | 10.30 | .. | 10.30 |
| (25) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड | 6,50,62.02 | .. | 6,50,62.02 | 7,02,06.07 | .. | 7,02,06.07 |
| (29) अरावली | 10.00 | .. | 10.00 | 10.00 | .. | 10.00 |

* ₹ 100 मात्र ।

₹ 344 मात्र ।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|-------|------------|----------------------|-------|------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 8342. अन्य जमा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा- (समाप्त) | | | | | | |
| (31) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड | .. | .. | .. | 4.01 | .. | 4.01 |
| (33) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान | 5.01 | .. | 5.01 | 5.01 | .. | 5.01 |
| (35) जयपुर सीटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड | 47,65.02 | .. | 47,65.02 | .. | .. | .. |
| (37) अजमेर सीटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड | 13,66.91 | .. | 13,66.91 | 3,51.11 | .. | 3,51.11 |
| योग - 103 | 7,55,34.86 | .. | 7,55,34.86 | 7,48,01.70 | .. | 7,48,01.70 |
| 117. सरकारी कर्मचारी के लिए निर्धारित पेंशन योजना | | | | | | |
| (01) अखिल भारतीय सेवा के लिए अनिवार्य-टीयर 1 | 13.24 | .. | 13.24 | 9.47 | .. | 9.47 |
| (02) अखिल भारतीय सेवा के लिए वैकल्पिक-टीयर 2 | 0.32 | .. | 0.32 | 0.32 | .. | 0.32 |
| योग - 117 | 13.56 | .. | 13.56 | 9.79 | .. | 9.79 |
| 120. विविध जमा | | | | | | |
| (01) प्रन्यास निधि | 41,69.07 | .. | 41,69.07 | 43,22.44 | .. | 43,22.44 |
| (02) राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा सहायता निधि | 95,43.21 | .. | 95,43.21 | 99,79.62 | .. | 99,79.62 |
| (03) पत्रकार कल्याण निधि | 9,94.63 | .. | 9,94.63 | 9,15.23 | .. | 9,15.23 |
| (04) राजस्थान राज्य फसल बीमा निधि | 13.36 | .. | 13.36 | 13.36 | .. | 13.36 |
| (05) विश्व खाद्य कार्यक्रम की जमा | 14.37 | .. | 14.37 | 17.35 | .. | 17.35 |
| (06) प्रन्यास और विविध निधि विनियोजन लेखा | 61,78.45 | .. | 61,78.45 | 55,46.74 | .. | 55,46.74 |
| (11) गौ सेवा आयोग | 7.60 | .. | 7.60 | 7.57 | .. | 7.57 |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|-------|----------|----------------------|-------|----------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 8342. अन्य जमा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 120. विविध जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| (12) जिला बाल पुर्नस्थापन समिति | 2,09.81 | .. | 2,09.81 | 2,02.76 | .. | 2,02.76 |
| (13) राजस्थान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष सोसायटी | 0.02 | .. | 0.02 | 0.02 | .. | 0.02 |
| (14) राज्य महिला आयोग | 11.50 | .. | 11.50 | 11.50 | .. | 11.50 |
| (15) राजस्थान राज्य पुस्तकालय विकास समिति | 29,39.94 | .. | 29,39.94 | 24,80.99 | .. | 24,80.99 |
| (18) सैक्टर रिफोर्म्स पायलेट प्रोजेक्ट पी.एच.ई.डी. | .. | .. | .. | 0.08 | .. | 0.08 |
| (19) कृषि उपज मण्डी समिति, झुन्झुनू | 2,77.45 | .. | 2,77.45 | 2,05.83 | .. | 2,05.83 |
| (20) कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर | (-) 1.80 (क) | .. | (-) 1.80 | 95.14 | .. | 95.14 |
| (21) कृषि उपज मण्डी समिति, सांचोर (जालौर) | 1,88.20 | .. | 1,88.20 | 1,80.03 | .. | 1,80.03 |
| (22) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर (भीलवाड़ा) | 9.24 | .. | 9.24 | 9.24 | .. | 9.24 |
| (23) कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल | 71.07 | .. | 71.07 | 1,63.93 | .. | 1,63.93 |
| (24) कृषि उपज मण्डी समिति, जालौर | 1,53.98 | .. | 1,53.98 | 1,71.54 | .. | 1,71.54 |
| (25) कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीमाधोपुर | 1,47.27 | .. | 1,47.27 | 2,20.87 | .. | 2,20.87 |
| (27) कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (फल सब्जी) | 18,25.50 | .. | 18,25.50 | 22,25.98 | .. | 22,25.98 |
| (28) कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ | 14.75 | .. | 14.75 | 44.41 | .. | 44.41 |
| (31) ग्रास रूट्स इनोवेशन आगमेटेशन नेटवर्क (नोर्थ) | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | 1,00.00 |
| (32) राजकीय कुक्कुट शाला | 39.43 | .. | 39.43 | 38.04 | .. | 38.04 |
| (33) पुलिस कल्याण निधि | 2,00.31 | .. | 2,00.31 | 2,00.31 | .. | 2,00.31 |
| (35) रिटनन्द बलदेव शिक्षा फाउण्डेशन | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | 1,00.00 |
| (37) सिंघानियां फाउण्डेशन शिक्षा समिति पचेरी बड़ी (झुन्झुनू) | 1,42.00 | .. | 1,42.00 | 1,37.50 | .. | 1,37.50 |
| (38) जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय | 2,00.00 | .. | 2,00.00 | 2,00.00 | .. | 2,00.00 |

(क) ऋण शेष, राज्य सरकार से पत्राचाराधीन है।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|-------|----------|----------------------|-------|----------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 8342. अन्य जमा - (क्रमशः) | | | | | | |
| 120. विविध जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| (39) राय फाउण्डेशन | 1,36.79 | .. | 1,36.79 | 1,30.90 | .. | 1,30.90 |
| (40) इण्डियन मेडिकल ट्रस्ट, जयपुर | 1,40.33 | .. | 1,40.33 | 1,35.83 | .. | 1,35.83 |
| (41) डा.एम.पी.खूटेटा होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र समिति | 2,00.00 | .. | 2,00.00 | 2,00.00 | .. | 2,00.00 |
| (42) मेवाड़ शिक्षा समिति, चित्तौड़गढ़ | 1,10.70 | .. | 1,10.70 | 1,05.94 | .. | 1,05.94 |
| (43) श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबरेवाल निजी विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं | 1,04.68 | .. | 1,04.68 | 1,04.57 | .. | 1,04.57 |
| (44) भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर | 2,87.16 | .. | 2,87.16 | 2,74.79 | .. | 2,74.79 |
| (45) श्री पदमपत सिद्धानियां विश्वविद्यालय, उदयपुर | 2,00.00 | .. | 2,00.00 | 2,00.00 | .. | 2,00.00 |
| (46) ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जयपुर | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | 1,00.00 |
| (47) जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल शिक्षा समिति, दिल्ली | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | 1,00.00 |
| (48) सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर | 2,00.00 | .. | 2,00.00 | 2,00.00 | .. | 2,00.00 |
| (49) राफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर | 1,28.54 | .. | 1,28.54 | 1,23.01 | .. | 1,23.01 |
| (50) जोधपुर निजी विश्वविद्यालय, जोधपुर | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | 1,00.00 |
| (51) कृषि उपज मण्डी समिति | 9,23.75 | .. | 9,23.75 | 5,03.09 | .. | 5,03.09 |
| (53) विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना | 3,42.20 | .. | 3,42.20 | 3,44.24 | .. | 3,44.24 |
| (54) निजी विश्वविद्यालय | 57,72.28 | .. | 57,72.28 | 56,56.79 | .. | 56,56.79 |
| (55) नगर विकास न्यास | 82.75 | .. | 82.75 | 1,42.93 | .. | 1,42.93 |
| (56) पंचायत समितियां | 0.24 | .. | 0.24 | .. | .. | .. |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|-------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः) | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली जमा- (समाप्त) | | | | | | |
| 8342. अन्य जमा - (समाप्त) | | | | | | |
| 120. विविध जमा- (समाप्त) | | | | | | |
| (57) अराजकीय मंदिरों की सम्पत्तियों से प्राप्त मुआवजा तथा अमानत राशि | 20,02.43 | .. | 20,02.43 | 13,84.03 | .. | 13,84.03 |
| (58) महाविद्यालय | 2,06.18 | .. | 2,06.18 | 2,06.18 | .. | 2,06.18 |
| (59) राजस्थान राज्य जैव विविधता मण्डल | 77.49 | .. | 77.49 | 69.19 | .. | 69.19 |
| योग - 120 | 3,87,64.88 | .. | 3,87,64.88 | 3,76,71.97 | .. | 3,76,71.97 |
| योग - 8342 | 11,43,13.30 | .. | 11,43,13.30 | 11,24,83.46 | .. | 11,24,83.46 |
| योग - (क) ब्याज वाली जमा | 41,08,27.08 | .. | 41,08,27.08 | 37,62,93.13 | .. | 37,62,93.13 |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा | | | | | | |
| 8443. सिविल जमा | | | | | | |
| 101. राजस्व जमा | 63,26.22 | .. | 63,26.22 | 87,58.77 | .. | 87,58.77 |
| 103. प्रतिभूति जमा | 2,52,95.20 | .. | 2,52,95.20 | 3,16,16.21 | .. | 3,16,16.21 |
| 104. सिविल न्यायालय जमा | 54,45.86 | .. | 54,45.86 | 53,89.59 | .. | 53,89.59 |
| 105. आपराधिक न्यायालय जमा | 66.69 | .. | 66.69 | 74.58 | .. | 74.58 |
| 106. व्यक्तिगत जमा | 28,38,85.33 | .. | 28,38,85.33 | 28,61,89.97 | .. | 28,61,89.97 |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|-------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 8443. सिविल जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 108. लोक निर्माण कार्य जमा | 28,13,78.22 | .. | 28,13,78.22 | 20,80,15.07 | .. | 20,80,15.07 |
| 109. वन जमा | 4,77.89 | .. | 4,77.89 | 4,51.67 | .. | 4,51.67 |
| 111. अन्य विभागीय जमा | | | | | | |
| (01) उद्योग तथा रसद विभाग की जमा | 40.61 | .. | 40.61 | 39.81 | .. | 39.81 |
| (02) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जमा | 5,67.50 | .. | 5,67.50 | 4,66.27 | .. | 4,66.27 |
| योग - 111 | 6,08.11 | .. | 6,08.11 | 5,06.08 | .. | 5,06.08 |
| 116. विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा | | | | | | |
| (01) मिनीमम वेजेज एक्ट, 1948 के अधीन धारा 22-डी की जमा | 94.22 | .. | 94.22 | 74.03 | .. | 74.03 |
| (02) सेन्ट्रल लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट, 1970 की जमा | 1,15.00 | .. | 1,15.00 | 85.39 | .. | 85.39 |
| योग - 116 | 2,09.22 | .. | 2,09.22 | 1,59.42 | .. | 1,59.42 |
| 117. सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किये गये कार्य के लिये जमा | 21.15 | .. | 21.15 | 20.79 | .. | 20.79 |
| 118. गैर सरकारी निकायों के लिये किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों की जमा | (-) 4.96 (क) | .. | (-) 4.96 | (-) 5.06 (क) | .. | (-) 5.06 |
| 119. कम्पनी लिक्विडेशन एकाउण्ट | ..* | .. | ..* | ..* | .. | ..* |

(क) ऋण शेष विचाराधीन है।

* ₹ 373 मात्र।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|--|----------------------|-------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 8443. सिविल जमा- (समाप्त) | | | | | | |
| 121. चुनावों के सम्बन्ध में जमा | | | | | | |
| (01) राजस्थान विधान मण्डल के अभ्यर्थियों द्वारा किये गये जमा | 6.41 | .. | 6.41 | 5.89 | .. | 5.89 |
| (02) निर्वाचन याचिका के लिए किए गए जमा | 2.19 | .. | 2.19 | .. | .. | .. |
| (03) निर्वाचन अपील के लिए किए गए जमा | 0.02 | .. | 0.02 | .. # | .. | ..# |
| योग - 121 | 8.62 | .. | 8.62 | 5.89 | .. | 5.89 |
| 123. शैक्षणिक संस्थाओं की जमा | 84,80.21 | .. | 84,80.21 | 80,89.84 | .. | 80,89.84 |
| 800. अन्य जमा | | | | | | |
| (02) राजस्थान भूमि विकास निगम के जमा (मशीनों तथा उपकरणों के आनुपातिक व्यय सहित) | 49.79 | .. | 49.79 | 49.79 | .. | 49.79 |
| (03) अन्य विविध निधियां | 31.85 | .. | 31.85 | 10.94 | .. | 10.94 |
| (04) ओ.एफ.डी. वर्क्स के अन्तर्गत कृषकों का अंशदान | 10,27.23 | .. | 10,27.23 | 7,84.11 | .. | 7,84.11 |
| योग - 800 | 11,08.87 | .. | 11,08.87 | 8,44.84 | .. | 8,44.84 |
| योग - 8443 | 61,33,06.63 | .. | 61,33,06.63 | 55,01,17.66 | .. | 55,01,17.66 |

₹ 128 मात्र ।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|---|----------------------|-------|------------|----------------------|-------|----------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 8448. स्थानीय निधियों की जमा | | | | | | |
| 102. नगरपालिका सम्बन्धी निधियां | 6,16,93.58 | .. | 6,16,93.58 | 5,47,97.91 | .. | 5,47,97.91 |
| योग - 102 | 6,16,93.58 | .. | 6,16,93.58 | 5,47,97.91 | .. | 5,47,97.91 |
| 107. राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियां | | | | | | |
| (04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. के खातों की प्राप्ति | 11,66.00 | .. | 11,66.00 | .. | .. | .. |
| (05) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खातों की प्राप्ति | 81,01.00 | .. | 81,01.00 | .. | .. | .. |
| (06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खातों की प्राप्ति | .. | .. | .. | (-) 71,18.75 | .. | (-) 71,18.75 |
| (07) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खातों की प्राप्ति | 56,32.00 | .. | 56,32.00 | .. | .. | .. |
| (08) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का वितरण (शुद्ध) | 0.30 | .. | 0.30 | (-) 1,01,26.70 | .. | (-) 1,01,26.70 |
| (09) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का वितरण (शुद्ध) | .. | .. | .. | (-) 12,16.00 | .. | (-) 12,16.00 |
| (10) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का वितरण (शुद्ध) | .. | .. | .. | 1,13,43.00 | .. | 1,13,43.00 |
| (11) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का वितरण (शुद्ध) | .. | .. | .. | 71,18.75 | .. | 71,18.75 |
| योग - 107 | 1,48,99.30 | .. | 1,48,99.30 | 0.30 | .. | 0.30 |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|---|----------------------|-------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 8448. स्थानीय निधियों की जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 109. पंचायत निकाय निधियां | | | | | | |
| (01) ग्राम पंचायत निधि | 0.17 | .. | 0.17 | .. | .. | .. |
| (02) पंचायत समिति निधि | 8,93,09.68 | .. | 8,93,09.68 | 7,44,28.56 | .. | 7,44,28.56 |
| (03) जिला परिषद निधि | 14,36,20.16 | .. | 14,36,20.16 | 14,57,27.11 | .. | 14,57,27.11 |
| योग - 109 | 23,29,30.01 | .. | 23,29,30.01 | 22,01,55.67 | .. | 22,01,55.67 |
| 110. शिक्षा निधियां | 18,92.67 | .. | 18,92.67 | 18,40.88 | .. | 18,40.88 |
| योग - 110 | 18,92.67 | .. | 18,92.67 | 18,40.88 | .. | 18,40.88 |
| 111. चिकित्सा तथा धर्मार्थ निधियां | 1,59.29 | .. | 1,59.29 | 1,89.33 | .. | 1,89.33 |
| योग - 111 | 1,59.29 | .. | 1,59.29 | 1,89.33 | .. | 1,89.33 |
| 120. अन्य निधियां | | | | | | |
| (02) मुख्यमंत्री सहायता निधि | 0.29 | .. | 0.29 | 0.31 | .. | 0.31 |
| (03) कृषि उपज मण्डी निधि | 41,99.11 | .. | 41,99.11 | 42,45.30 | .. | 42,45.30 |
| (04) नगर सुधार न्यास की जमा | 17,04.94 | .. | 17,04.94 | 18,56.30 | .. | 18,56.30 |
| (05) राजस्थान मुख्यमंत्री बाल कल्याण कोष | 0.24 | .. | 0.24 | 0.02 | .. | 0.02 |
| (06) प्राकृतिक आपदा निधि | 7.93 | .. | 7.93 | 6.83 | .. | 6.83 |

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|---|----------------------|-------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः) | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः) | | | | | | |
| 8448. स्थानीय निधियों की जमा- (समाप्त) | | | | | | |
| 120. अन्य निधियां - (समाप्त) | | | | | | |
| (07) राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष | 2,42.94 | .. | 2,42.94 | 2,45.15 | .. | 2,45.15 |
| (08) कर्मकार प्रतिकार क्षतिपूर्ति | 37.00 | .. | 37.00 | 44.70 | .. | 44.70 |
| योग - 120 | 61,92.45 | .. | 61,92.45 | 63,98.61 | .. | 63,98.61 |
| योग - 8448 | 31,77,67.30 | .. | 31,77,67.30 | 28,33,82.70 | .. | 28,33,82.70 |
| 8449. अन्य जमा | | | | | | |
| 103. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | 1,07,41.03 | .. | 1,07,41.03 | 15,38.85 | .. | 15,38.85 |
| योग - 103 | 1,07,41.03 | .. | 1,07,41.03 | 15,38.85 | .. | 15,38.85 |
| 120. विविध जमा | | | | | | |
| (01) प्रन्यास और अन्य विविध निधियां (राजस्थान) | 46.44 | .. | 46.44 | 46.44 | .. | 46.44 |
| (04) विदेशों में दुर्घटना ग्रस्त भारतीय परिवारों के मुआवजे व अन्य बकाया भुगतानों की जमा | 74.16 | .. | 74.16 | 1,15.08 | .. | 1,15.08 |

विवरण संख्या 22 - (समाप्त)

| आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम | 31 मार्च 2015 को शेष | | | 1 अप्रैल 2014 को शेष | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट. जमा तथा अग्रिम- (समाप्त) | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा- (समाप्त) | | | | | | |
| 8449. अन्य जमा- (समाप्त) | | | | | | |
| 120. विविध जमा- (समाप्त) | | | | | | |
| (09) 2011 की जनगणना के अंतर्गत लिपिकीय/एमुनरेशन स्टॉफ तथा अन्यो के लिए वेतन, भत्तों, मानदेय, प्रशिक्षण एवं अन्य व्ययों के लिए | 0.15 | .. | 0.15 | 1,55.49 | .. | 1,55.49 |
| (10) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने हेतु भारत सरकार से जमा राशि | 37,47.48 | .. | 37,47.48 | 37,47.48 | .. | 37,47.48 |
| योग - 120 | 38,68.23 | .. | 38,68.23 | 40,64.49 | .. | 40,64.49 |
| योग - 8449 | 1,46,09.26 | .. | 1,46,09.26 | 56,03.34 | .. | 56,03.34 |
| योग - (ख) बिना ब्याज वाली जमा | 94,56,83.19 | .. | 94,56,83.19 | 83,91,03.70 | .. | 83,91,03.70 |
| योग - ट. जमा तथा अग्रिम | 1,35,65,10.27 | .. | 1,35,65,10.27 | 1,21,53,96.83 | .. | 1,21,53,96.83 |
| योग - पृथक् आरक्षित निधियां | 1,48,50,55.81 | 12,85,17.86 | 1,61,35,73.67 | 1,33,14,70.01 | 14,37,93.94 | 1,47,52,63.95 |

भाग II

(परिशिष्ट)

परिशिष्ट संख्या I - संवेतन पर तुलनात्मक व्यय*

तिरछे अंक प्रभारित खर्च के द्योतक हैं

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|-------------|---|----------------------------|--|----------|----------------------------|--------|---|----------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर | 2011. | संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल | 8.53 33,48.58 | .. | 33,57.11 | 11.93 26,25.27 | .. | .. | 26,37.20 |
| प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल सचिवालय राजस्थान, जयपुर | 2012. | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | 7,04.94 | .. | 7,04.94 | 6,34.46 | .. | .. | 6,34.46 |
| | 2075. | विविध सामान्य सेवाएं | 6.46 | .. | 6.46 | 5.64 | .. | .. | 5.64 |
| | | राज्यपाल सचिवालय के वेतन पर कुल व्यय | 7,04.94 6.46 | .. | 7,11.40 | 6,34.46 5.64 | .. | .. | 6,40.10 |
| शासन सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग (ग्रुप-4), जयपुर | 2013. | मंत्रि परिषद् | 1,21.62 | .. | 1,21.62 | 2,34.18 | .. | .. | 2,34.18 |
| | 2052. | सचिवालय- सामान्य सेवाएं | 2,10.65 | .. | 2,10.65 | 1,83.40 | .. | .. | 1,83.40 |
| | 2070. | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 41,85.68 | .. | 41,85.68 | 38,35.41 | .. | .. | 38,35.41 |
| | | सामान्य प्रशासनिक विभाग (ग्रुप-4) के वेतन पर कुल व्यय | 45,17.95 | .. | 45,17.95 | 42,52.99 | .. | .. | 42,52.99 |

* आंकड़े लेखों के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष "01-संवेतन" में दर्ज व्यय को प्रदर्शित करते हैं ।

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------|--|------------|----------------------------|----------|---|------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| महा पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर | 2014. | न्याय प्रशासन | 54,08.61 3,96,30.53 | 13,16.66 | 4,63,55.80 | 48,04.40 3,38,15.77 | 10,61.57 | 1,39.14 | 3,98,20.88 |
| निदेशक, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर | 2014. | न्याय प्रशासन | 20,98.51 | .. | 20,98.51 | 18,72.01 | .. | .. | 18,72.01 |
| निदेशक, गृह (अभियोजन) विभाग, जयपुर | 2014. | न्याय प्रशासन | 52,93.50 | .. | 52,93.50 | 49,48.10 | .. | .. | 49,48.10 |
| उपशासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर | 2014. | न्याय प्रशासन | 6,76.13 | .. | 6,76.13 | 9,53.13 | .. | .. | 9,53.13 |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर | 2015. | निर्वाचन | 16,66.63 | .. | 16,66.63 | 15,12.30 | .. | .. | 15,12.30 |
| आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग, जयपुर | 2029. | भू-राजस्व | 55,24.93 | .. | 55,24.93 | 54,72.35 | .. | .. | 54,72.35 |
| पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर | 2029. | भू-राजस्व | 4,56,40.66 | .. | 4,56,40.66 | 3,95,53.46 | .. | .. | 3,95,53.46 |
| | 2052. | सचिवालय- सामान्य सेवाएं | 18,94.59 | .. | 18,94.59 | 17,18.35 | .. | .. | 17,18.35 |
| | 2053. | जिला प्रशासन | 3,23,88.25 | .. | 3,23,88.25 | 2,92,44.28 | .. | .. | 2,92,44.28 |
| | 2401. | फसल कृषि-कर्म | .. | .. | .. | .. | .. | 26.02 | 26.02 |
| | | राजस्व मण्डल के वेतन पर कुल व्यय | 7,99,23.50 | .. | 7,99,23.50 | 7,05,16.09 | .. | 26.02 | 7,05,42.11 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------------|--|------------|----------------------------|--------|---|------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर | 2029. | भू-राजस्व | 15,78.67 | .. | 15,78.67 | 5,81.78 | .. | .. | 5,81.78 |
| संयुक्त निदेशक (ओ.एस.डी.), कृषि गणना, जयपुर | 2029. | भू-राजस्व | .. | 53.62 | 53.62 | .. | .. | 44.18 | 44.18 |
| | 2701. | मध्यम सिंचाई | .. | 20.91 | 20.91 | .. | .. | 17.89 | 17.89 |
| | | कृषि गणना के वेतन पर कुल व्यय | .. | 74.53 | 74.53 | .. | .. | 62.07 | 62.07 |
| पंजीयक, कर नियामक बोर्ड, जयपुर | 2040. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | .. | .. | .. | 59.90 | .. | .. | 59.90 |
| महानिरीक्षक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, अजमेर | 2030. | स्टाम्प तथा पंजीकरण | 21,33.39 | .. | 21,33.39 | 18,13.72 | .. | .. | 18,13.72 |
| आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर | 2039. | राज्य उत्पाद शुल्क | 90,73.40 | .. | 90,73.40 | 72,68.62 | .. | .. | 72,68.62 |
| आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर | 2040. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 1,27,33.17 | .. | 1,27,33.17 | 1,15,15.40 | .. | .. | 1,15,15.40 |
| आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर | 2041. | वाहन कर | 46,14.87 | .. | 46,14.87 | 39,84.87 | .. | .. | 39,84.87 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|--|------------|----------------------------|----------|---|------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| सदस्य, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर | 2041. | वाहन कर | 19.87 | .. | 19.87 | 11.59 | .. | .. | 11.59 |
| मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर | 2045. | वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 4,86.56 | .. | 4,86.56 | 4,51.03 | .. | .. | 4,51.03 |
| निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर | 2054. | खजाना तथा लेखा प्रशासन | 1,06,71.49 | .. | 1,06,71.49 | 91,25.50 | .. | .. | 91,25.50 |
| वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर | 2705. | कमान क्षेत्र विकास | 44.72 | 8,36.75 | 8,81.47 | 54.95 | 5,77.48 | 3,00.95 | 9,33.38 |
| | 4705. | कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 21,12.36 | 21,12.36 | .. | 11,43.52 | 10,54.03 | 21,97.55 |
| | | सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के वेतन पर कुल व्यय | 44.72 | 29,49.11 | 29,93.83 | 54.95 | 17,21.00 | 13,54.98 | 31,30.93 |
| निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर | 2055. | पुलिस | 11,81.21 | .. | 11,81.21 | 10,16.47 | .. | .. | 10,16.47 |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर | 2402. | मृदा तथा जल संरक्षण | 3,82.61 | .. | 3,82.61 | 3,60.08 | .. | .. | 3,60.08 |
| | 2406. | वानिकी तथा वन्य प्राणी | 2,66,85.94 | .. | 2,66,85.94 | 2,37,30.30 | .. | .. | 2,37,30.30 |
| | | वन विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 2,70,68.55 | .. | 2,70,68.55 | 2,40,90.38 | .. | .. | 2,40,90.38 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|-------------|---|----------------------------|--|-------------|----------------------------|----------|---|-------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर | 2054. | खजाना तथा लेखा प्रशासन | 13,32.32 | .. | 13,32.32 | 11,24.83 | .. | .. | 11,24.83 |
| निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग, जयपुर | 2235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 76,03.34 | .. | 76,03.34 | 69,36.89 | .. | .. | 69,36.89 |
| प्रमुख शासन सचिव, राज्य उपक्रम विभाग, जयपुर | 2852. | उद्योग | 1,02.35 | .. | 1,02.35 | 99.78 | .. | .. | 99.78 |
| मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर | 2215. | जलपूर्ति तथा सफाई | 11,47,09.45 | 56,33.39 | 12,03,42.84 | 10,52,69.89 | 28,53.92 | 55.92 | 10,81,79.73 |
| सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर | 2051. | लोक सेवा आयोग | 10,58.93 | .. | 10,58.93 | 9,75.89 | .. | .. | 9,75.89 |
| शासन सचिव, कार्मिक विभाग (ग्रुप-1), जयपुर | 2014. | न्याय प्रशासन | 11.94 | .. | 11.94 | 11.92 | .. | .. | 11.92 |
| | 2052. | सचिवालय- सामान्य सेवाएं | 91,66.17 | .. | 91,66.17 | 85,21.95 | .. | .. | 85,21.95 |
| | 2251. | सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 19,29.04 | .. | 19,29.04 | 17,18.83 | .. | .. | 17,18.83 |
| | 3451. | सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | 22,18.93 | 1,56.69 | 23,75.62 | 18,71.31 | 1,74.77 | .. | 20,46.08 |
| | | कार्मिक विभाग (ग्रुप-1) के वेतन पर कुल व्यय | 1,33,26.08 | 1,56.69 | 1,34,82.77 | 1,21,24.01 | 1,74.77 | .. | 1,22,98.78 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------------|--|-------------|----------------------------|---------|---|-------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण, जयपुर | 2052. | सचिवालय- सामान्य सेवाएं | 2,38.34 | .. | 2,38.34 | 2,09.39 | .. | .. | 2,09.39 |
| निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर | 3454. | जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी | 3,74.80 | 10,83.11 | 14,57.91 | 3,41.90 | 6,53.24 | .. | 9,95.14 |
| निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर | 2054. | खजाना तथा लेखा प्रशासन | 21,90.76 | .. | 21,90.76 | 20,15.82 | .. | .. | 20,15.82 |
| निदेशक, एच.सी.एम. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर | 2070. | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 8,69.12 | .. | 8,69.12 | 7,95.68 | .. | .. | 7,95.68 |
| निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर | 2054. | खजाना तथा लेखा प्रशासन | 7,25.38 | .. | 7,25.38 | 6,88.26 | .. | .. | 6,88.26 |
| महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग, जयपुर | 2055. | पुलिस | 32,50,35.77 | .. | 32,50,35.77 | 27,14,65.67 | .. | 42.81 | 27,15,08.48 |
| महानिदेशक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर | 2055. | पुलिस | 46,68.05 | .. | 46,68.05 | 39,15.96 | .. | .. | 39,15.96 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|--|-------------|----------------------------|----------|---|-------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| महानिदेशक कारागार, कारागार विभाग, जयपुर | 2056. | जेल | 77,79.56 | .. | 77,79.56 | 70,90.97 | .. | .. | 70,90.97 |
| निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर | 2058. | लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 26,36.58 | .. | 26,36.58 | 24,79.02 | .. | .. | 24,79.02 |
| मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), जयपुर | 2059. | लोक निर्माण कार्य | 2,74,57.23 | .. | 2,74,57.23 | 2,48,80.18 | .. | .. | 2,48,80.18 |
| | 2070. | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 1,33.65 | .. | 1,33.65 | 1,22.81 | .. | .. | 1,22.81 |
| | 2406. | वानिकी तथा वन्य प्राणी | 13,20.44 | .. | 13,20.44 | 12,50.09 | .. | .. | 12,50.09 |
| | | सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के वेतन पर कुल व्यय | 2,89,11.32 | .. | 2,89,11.32 | 2,62,53.08 | .. | .. | 2,62,53.08 |
| निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर | 2202. | सामान्य शिक्षा | 36,89,31.24 | 57,44.68 | 37,46,75.92 | 33,63,44.68 | 14,65.20 | 23,59.35 | 34,01,69.23 |
| | 2235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 23.84 | .. | 23.84 | 24.19 | .. | .. | 24.19 |
| | | प्राथमिक शिक्षा विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 36,89,55.08 | 57,44.68 | 37,46,99.76 | 33,63,68.87 | 14,65.20 | 23,59.35 | 34,01,93.42 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------|------------|---|-------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर | 2202. | सामान्य शिक्षा | 46,16,71.46 | 7,48,24.13 | 53,64,95.59 | 41,72,54.66 | 4,34,59.92 | 1,14.80 | 46,08,29.38 |
| | 2204. | खेलकूद तथा युवा सेवाएं | 5,62.35 | .. | 5,62.35 | 5,34.32 | .. | .. | 5,34.32 |
| | 2235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 4,96.92 | .. | 4,96.92 | 4,43.23 | .. | .. | 4,43.23 |
| | | माध्यमिक शिक्षा विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 46,27,30.73 | 7,48,24.13 | 53,75,54.86 | 41,82,32.21 | 4,34,59.92 | 1,14.80 | 46,18,06.93 |
| आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर | 2401. | फसल कृषि-कर्म | 3,03,08.06 | 13,64.08 | 3,16,72.14 | 2,87,76.19 | 2,00.47 | 2,22.53 | 2,91,99.19 |
| निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर | 2403. | पशु-पालन | 4,04,82.27 | 39,65.51 | 4,44,47.78 | 3,67,50.05 | 16,24.30 | 1,07.26 | 3,84,81.61 |
| आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर | 2225. | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | 51,33.19 | 9,38.35 | 60,71.54 | 46,20.59 | 8,12.01 | .. | 54,32.60 |
| | 2235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 3,46.48 | 12.93 | 3,59.41 | 3,17.12 | 17.69 | .. | 3,34.81 |
| | | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 54,79.67 | 9,51.28 | 64,30.95 | 49,37.71 | 8,29.70 | .. | 57,67.41 |
| निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर | 2210. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 15,27,63.39 | 2,51,18.85 | 17,78,82.24 | 13,31,59.63 | 1,18,94.03 | .. | 14,50,53.66 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|----------------------------|--|------------|----------------------------|---------|---|------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर | 2210. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 4,71,44.40 | 5,22.09 | 4,76,66.49 | 4,23,90.23 | 2,38.62 | .. | 4,26,28.85 |
| निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर | 2205. | कला एवं संस्कृति | 9,04.16 | .. | 9,04.16 | 8,20.30 | .. | .. | 8,20.30 |
| निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर | 2202. | सामान्य शिक्षा | 2,41,54.95 | 27,59.65 | 2,69,14.60 | 2,15,08.27 | 8,75.88 | .. | 2,23,84.15 |
| आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर | 2202. | सामान्य शिक्षा | 6,74,69.78 | 17,45.92 | 6,92,15.70 | 7,39,10.40 | 4,75.92 | .. | 7,43,86.32 |
| निदेशक, उद्यान विभाग, जयपुर | 2401. | फसल कृषि-कर्म | 24,69.20 | 3,53.54 | 28,22.74 | 22,55.60 | 72.37 | .. | 23,27.97 |
| सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर | 2062. | सर्तकता | 3,37.62 | .. | 3,37.62 | .. | .. | .. | .. |
| | 2070. | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | .. | .. | .. | 2,24.95 | .. | .. | 2,24.95 |
| | | लोकायुक्त सचिवालय के वेतन पर कुल व्यय | 3,37.62 | .. | 3,37.62 | 2,24.95 | .. | .. | 2,24.95 |
| प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर | 2070. | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 61.20 | .. | 61.20 | 58.27 | .. | .. | 58.27 |
| निदेशक, सिविल रक्षा एवं गृह सुरक्षा विभाग, जयपुर | 2070. | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 39,26.44 | .. | 39,26.44 | 36,93.70 | .. | .. | 36,93.70 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------|--|----------|----------------------------|---------|---|----------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर | 2851. | ग्राम तथा लघु उद्योग | 87.32 | .. | 87.32 | 86.89 | .. | 3.12 | 90.01 |
| | 2852. | उद्योग | 34,37.16 | .. | 34,37.16 | 31,86.89 | .. | .. | 31,86.89 |
| | 3475. | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 2,48.02 | .. | 2,48.02 | 2,37.16 | .. | .. | 2,37.16 |
| | | उद्योग विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 37,72.50 | .. | 37,72.50 | 35,10.94 | .. | 3.12 | 35,14.06 |
| परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर | 4217. | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 7,41.56 | 7,41.56 | .. | 7,66.72 | .. | 7,66.72 |
| निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर | 2235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 6,55.41 | .. | 6,55.41 | 5,56.10 | .. | .. | 5,56.10 |
| निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर | 2202. | सामान्य शिक्षा | 7,65.14 | 1,17.26 | 8,82.40 | 7,22.45 | 66.47 | .. | 7,88.92 |
| निदेशक, भाषा विभाग, जयपुर | 2202. | सामान्य शिक्षा | 96.82 | .. | 96.82 | 91.51 | .. | .. | 91.51 |
| | 2205. | कला एवं संस्कृति | 8,24.97 | 6.56 | 8,31.53 | 7,66.43 | 5.73 | .. | 7,72.16 |
| | | भाषा विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 9,21.79 | 6.56 | 9,28.35 | 8,57.94 | 5.73 | .. | 8,63.67 |
| कार्यालय अधीक्षक, गैर राजकीय शिक्षण संस्थान अभिकरण, जयपुर | 2202. | सामान्य शिक्षा | 53.26 | .. | 53.26 | 38.06 | .. | .. | 38.06 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|--|------------|----------------------------|---------|---|------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर | 2203. | तकनीकी शिक्षा | 1,00,52.68 | 6,22.90 | 1,06,75.58 | 1,01,61.15 | 3,90.43 | .. | 1,05,51.58 |
| | 2230. | श्रम तथा रोजगार | 74,45.28 | 4,41.13 | 78,86.41 | 69,05.07 | 1,03.95 | 99.39 | 71,08.41 |
| | | तकनीकी शिक्षा विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 1,74,97.96 | 10,64.03 | 1,85,61.99 | 1,70,66.22 | 4,94.38 | 99.39 | 1,76,59.99 |
| निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर | 2204. | खेलकूद तथा युवा सेवाएं | 18,44.34 | .. | 18,44.34 | 16,69.87 | .. | .. | 16,69.87 |
| निदेशक, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर | 2205. | कला एवं संस्कृति | 1,88.93 | .. | 1,88.93 | 1,76.20 | .. | .. | 1,76.20 |
| निदेशक, अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक | 2205. | कला एवं संस्कृति | 1,57.45 | .. | 1,57.45 | 1,61.78 | .. | .. | 1,61.78 |
| संभागीय आयुक्त, क्षेत्रीय विकास विभाग, अजमेर | 4705. | कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 4,11.67 | 4,11.67 | .. | 3,83.91 | 74.51 | 4,58.42 |
| निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर | 2205. | कला एवं संस्कृति | 3,91.70 | .. | 3,91.70 | 3,41.63 | .. | .. | 3,41.63 |
| निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर | 3452. | पर्यटन | 6,70.70 | 0.07 | 6,70.77 | 6,11.45 | 3.00 | .. | 6,14.45 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|----------------------------|----------------------------|--|------------|----------------------------|---------|---|------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर | 22 10. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 59,12.40 | 7,88.43 | 67,00.83 | 53,30.38 | 4,39.18 | .. | 57,69.56 |
| प्राचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर | 22 10. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 2,25,53.50 | 18,85.99 | 2,44,39.49 | 2,04,81.35 | 5,14.20 | .. | 2,09,95.55 |
| प्राचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर | 22 10. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 65,07.34 | 7,95.82 | 73,03.16 | 58,28.17 | 3,97.12 | .. | 62,25.29 |
| प्राचार्य, डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर | 22 10. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 98,73.28 | 11,81.01 | 1,10,54.29 | 89,40.14 | 6,28.86 | .. | 95,69.00 |
| प्राचार्य, रविन्द्र नाथ मेडिकल कॉलेज, उदयपुर | 22 10. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 70,89.69 | 8,69.18 | 79,58.87 | 63,62.26 | 4,79.40 | .. | 68,41.66 |
| निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थे (ई.एस.आई.), जयपुर | 22 10. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 55,55.19 | .. | 55,55.19 | 48,67.31 | .. | .. | 48,67.31 |
| प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज, उदयपुर | 22 10. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 8,05.52 | 4.85 | 8,10.37 | 7,09.96 | .. | .. | 7,09.96 |
| निदेशक, भ्रमणशील चिकित्सा इकाई, जयपुर | 22 10. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 6,67.40 | 5,97.57 | 12,64.97 | 6,18.86 | 5,33.31 | .. | 11,52.17 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|-------------|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|---------|---|------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, कोटा | 2210. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 56,84.86 | 8,88.19 | 65,73.05 | 47,85.79 | 4,97.70 | .. | 52,83.49 |
| निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर | 2211. | परिवार कल्याण | 22,46.62 | 4,63,47.09 | 4,85,93.71 | 19,81.15 | 21.44 | 4,00,86.45 | 4,20,89.04 |
| निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर | 2217. | शहरी विकास | 7,12.31 | 81.22 | 7,93.53 | 5,93.12 | 34.79 | .. | 6,27.91 |
| | 3475. | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | .. | 88.89 | 88.89 | .. | 26.55 | 81.84 | 1,08.39 |
| | 4217. | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 32.80 | 32.80 | .. | 1,31.19 | .. | 1,31.19 |
| | | स्थानीय निकाय विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 7,12.31 | 2,02.91 | 9,15.22 | 5,93.12 | 1,92.53 | 81.84 | 8,67.49 |
| सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, जयपुर | 2216. | आवास | 18.36 | .. | 18.36 | 19.37 | .. | .. | 19.37 |
| निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर | 2515. | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 18,89.74 | 90.35 | 19,80.09 | 17,00.68 | 16.96 | 41.21 | 17,58.85 |
| आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर | 2202. | सामान्य शिक्षा | 20,42.71 | 1,90.19 | 22,32.90 | 17,22.60 | 61.25 | .. | 17,83.85 |
| | 2225. | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | 9,64.95 | 37.72 | 10,02.67 | 8,32.60 | 26.25 | .. | 8,58.85 |
| | | जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 30,07.66 | 2,27.91 | 32,35.57 | 25,55.20 | 87.50 | .. | 26,42.70 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|--------------------------------|----------------------------|--|----------|----------------------------|--------|---|----------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर | 2230. | श्रम तथा रोजगार | 19,82.27 | .. | 19,82.27 | 18,43.70 | .. | .. | 18,43.70 |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर | 25 15. | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 1,73.66 | .. | 1,73.66 | 1,60.23 | .. | .. | 1,60.23 |
| मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर | 22 17. | शहरी विकास | 10,21.62 | 1,68.73 | 11,90.35 | 9,89.45 | 55.31 | 77.80 | 11,22.56 |
| निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, जयपुर | 2220. | सूचना तथा प्रचार | 17,73.57 | .. | 17,73.57 | 16,36.13 | .. | .. | 16,36.13 |
| मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर विभाग, जयपुर | 2230. | श्रम तथा रोजगार | 7,51.59 | .. | 7,51.59 | 7,07.56 | .. | .. | 7,07.56 |
| सचिव, राजस्थान बिक्री कर बोर्ड, अजमेर | 2040. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 2,66.96 | .. | 2,66.96 | 2,55.81 | .. | .. | 2,55.81 |
| निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर | 2230. | श्रम तथा रोजगार | 13,80.60 | .. | 13,80.60 | 13,15.61 | .. | .. | 13,15.61 |
| उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) जयपुर | 22 10. | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | .. | 1,26.56 | 1,26.56 | .. | .. | .. | .. |
| प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर | 22 10. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | .. | .. | .. | .. | 72.04 | .. | 72.04 |
| शासन सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, जयपुर | 2245. | प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 5,37.31 | .. | 5,37.31 | 5,18.28 | .. | .. | 5,18.28 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|-------------|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|----------|---|------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर | 2235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | .. | 46.31 | 46.31 | .. | 48.62 | .. | 48.62 |
| | 2236. | पोषण | 3,00.58 | 1,28,63.20 | 1,31,63.78 | 2,71.15 | 13,34.56 | 94,99.10 | 1,11,04.81 |
| | | महिला अधिकारिता के वेतन पर कुल व्यय | 3,00.58 | 1,29,09.51 | 1,32,10.09 | 2,71.15 | 13,83.18 | 94,99.10 | 1,11,53.43 |
| सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर | 2235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 5,11.97 | .. | 5,11.97 | 3,31.12 | .. | .. | 3,31.12 |
| निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर | 2235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 19.64 | .. | 19.64 | 18.70 | .. | .. | 18.70 |
| | 2401. | फसल कृषि-कर्म | .. | 2,72.22 | 2,72.22 | .. | .. | 2,70.66 | 2,70.66 |
| | 3454. | जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी | 14,79.11 | 8,06.97 | 22,86.08 | 13,96.38 | 2,81.13 | 16.01 | 16,93.52 |
| | | आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 14,98.75 | 10,79.19 | 25,77.94 | 14,15.08 | 2,81.13 | 2,86.67 | 19,82.88 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|-------------|--|----------------------------|--|----------|----------------------------|---------|---|----------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर | 2515. | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | .. | 6,01.91 | 6,01.91 | .. | 5,83.53 | .. | 5,83.53 |
| | 2575. | अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | .. | 36.51 | 36.51 | .. | 45.80 | .. | 45.80 |
| | 2810. | नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा | 27.95 | .. | 27.95 | 25.94 | .. | .. | 25.94 |
| | | ग्रामीण विकास विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 27.95 | 6,38.42 | 6,66.37 | 25.94 | 6,29.33 | .. | 6,55.27 |
| आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर | 2250. | अन्य सामाजिक सेवाएं | 10,17.97 | .. | 10,17.97 | 9,54.36 | .. | .. | 9,54.36 |
| | 3604. | स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन | 3.04 | .. | 3.04 | 2.69 | .. | .. | 2.69 |
| | | देवस्थान विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 10,21.01 | .. | 10,21.01 | 9,57.05 | .. | .. | 9,57.05 |
| मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग, जोधपुर | 2702. | लघु सिंचाई | 37,23.18 | .. | 37,23.18 | 34,90.22 | .. | .. | 34,90.22 |
| | 3425. | अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 4,26.02 | 1,13.90 | 5,39.92 | 4,11.65 | 14.05 | 59.94 | 4,85.64 |
| निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, जयपुर | 2250. | अन्य सामाजिक सेवाएं | 37.62 | .. | 37.62 | 34.28 | .. | .. | 34.28 |
| पीठासीन अधिकारी, वक्फ बोर्ड, जयपुर | | | | | | | | | |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------|----------------------------|----------|---|------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| निदेशक, जल संग्रहण तथा मृदा संरक्षण विभाग, जयपुर | 2402. | मृदा तथा जल संरक्षण | 20,51.25 | 12,57.15 | 33,08.40 | 18,91.44 | 3,55.84 | .. | 22,47.28 |
| निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, जयपुर | 2405. | मछली पालन | 11,06.91 | 64.09 | 11,71.00 | 10,82.33 | 58.77 | 12.02 | 11,53.12 |
| मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर | 2700. | मुख्य सिंचाई | 11,03.86 | .. | 11,03.86 | 12,32.14 | .. | .. | 12,32.14 |
| | 2701. | मध्यम सिंचाई | 1,02,19.51 | 25,03.04 | 1,27,22.55 | 99,50.99 | 23,56.27 | .. | 1,23,07.26 |
| | 4700. | मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 7,74.67 | 7,74.67 | .. | 7,78.37 | .. | 7,78.37 |
| | 4701. | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 1,72.93 | 1,72.93 | .. | 1,83.12 | .. | 1,83.12 |
| | 4702. | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 6,01.99 | 6,01.99 | .. | 5,96.50 | .. | 5,96.50 |
| | | जल संसाधन विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 1,13,23.37 | 40,52.63 | 1,53,76.00 | 1,11,83.13 | 39,14.26 | .. | 1,50,97.39 |
| आयुक्त, खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग, जयपुर | 3456. | सिविल पूर्ति | 38,16.24 | 17.63 | 38,33.87 | 34,17.72 | .. | .. | 34,17.72 |
| पंजीयक, सहकारी विभाग, जयपुर | 2425. | सहकारिता | 61,19.10 | 13.46 | 61,32.56 | 56,87.61 | .. | 10.87 | 56,98.48 |
| परियोजना निदेशक, एमपावर विभाग, जोधपुर | 2402. | मृदा तथा जल संरक्षण | .. | 1,47.47 | 1,47.47 | .. | 1,44.11 | .. | 1,44.11 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|-------------|--|----------------------------|--|----------|----------------------------|---------|---|----------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर | 2435. | अन्य कृषि कार्यक्रम | 7,91.45 | .. | 7,91.45 | 7,17.95 | .. | .. | 7,17.95 |
| क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा | 2700. | मुख्य सिंचाई | 5,85.39 | 1,53.57 | 7,38.96 | 6,91.20 | 1,16.80 | .. | 8,08.00 |
| | 2705. | कमान क्षेत्र विकास | 4,54.21 | 3,70.34 | 8,24.55 | 4,64.86 | 3,00.89 | .. | 7,65.75 |
| | 4705. | कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 2,62.86 | 2,62.86 | .. | 1,64.01 | 1,02.70 | 2,66.71 |
| | | सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 10,39.60 | 7,86.77 | 18,26.37 | 11,56.06 | 5,81.70 | 1,02.70 | 18,40.46 |
| मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग, हनुमानगढ़ | 2700. | मुख्य सिंचाई | 55,10.42 | .. | 55,10.42 | 54,22.32 | .. | .. | 54,22.32 |
| | 2701. | मध्यम सिंचाई | 7,59.80 | .. | 7,59.80 | 7,11.13 | .. | .. | 7,11.13 |
| | 4711. | बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 24.91 | 24.91 | .. | 31.48 | .. | 31.48 |
| | | जल संसाधन (उत्तर) विभाग के वेतन पर कुल व्यय | 62,70.22 | 24.91 | 62,95.13 | 61,33.45 | 31.48 | .. | 61,64.93 |
| वित्तीय सलाहकार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान अंतर्राज्य नियंत्रण मंडल, (सिंचाई व विद्युत), कोटा | 2700. | मुख्य सिंचाई | 98.71 | .. | 98.71 | 98.09 | .. | .. | 98.09 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|--|----------|----------------------------|----------|---|----------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर | 2700. | मुख्य सिंचाई | 16,95.97 | .. | 16,95.97 | 18,28.39 | .. | .. | 18,28.39 |
| आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर | 2701. | मध्यम सिंचाई | 14,29.20 | .. | 14,29.20 | 13,84.33 | .. | .. | 13,84.33 |
| वित्तीय सलाहकार (प्री-चैक सेट अप) इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर | 2700. | मुख्य सिंचाई | 2,12.32 | .. | 2,12.32 | .. | .. | .. | .. |
| | 4700. | मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 24,44.02 | 24,44.02 | .. | 24,38.55 | .. | 24,38.55 |
| | | (प्री-चैक सेट अप) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के वेतन पर कुल व्यय | 2,12.32 | 24,44.02 | 26,56.34 | .. | 24,38.55 | .. | 24,38.55 |
| निदेशक, आयोजना (जन शक्ति) विभाग, जयपुर | 3454. | जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | .. | 1,52.30 | 1,52.30 | .. | 1,11.70 | .. | 1,11.70 |
| उप शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, जयपुर | 3451. | सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | .. | 1,01.22 | 1,01.22 | .. | 58.39 | 58.38 | 1,16.77 |
| निदेशक, खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर | 2853. | अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग | 50,47.68 | 7,60.95 | 58,08.63 | 48,21.60 | 2,43.97 | .. | 50,65.57 |
| निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, जयपुर | 2802. | पेट्रोलियम | 72.78 | .. | 72.78 | 74.67 | .. | .. | 74.67 |
| निदेशक, पर्यावरण विभाग, जयपुर | 3435. | परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण | 89.48 | (-) 2.88 (क) | 86.60 | 90.16 | 16.69 | .. | 1,06.85 |
| निदेशक, मूल्यांकन संगठन, जयपुर | 3454. | जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी | 3,55.00 | .. | 3,55.00 | 3,29.55 | .. | .. | 3,29.55 |

(क) ऋण आंकड़े राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना से सम्बन्धित गत वर्ष की अवशेष राशि जमा कराने के कारण हैं।

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|--|----------|----------------------------|---------|---|----------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| सचिव, इंदिरा गांधी नहर मंडल, जयपुर | 4700. | मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 4,32.22 | 4,32.22 | .. | 3,74.06 | .. | 3,74.06 |
| निदेशक, राजस्व आसूचना विभाग, जयपुर | 2047. | अन्य राजकोषीय सेवाएं | 1,39.11 | .. | 1,39.11 | 1,39.56 | .. | .. | 1,39.56 |
| मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर | 4700. | मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 7,94.44 | 7,94.44 | .. | 8,46.95 | .. | 8,46.95 |
| निदेशक, होम्योपेथी विभाग जयपुर | 2210. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 19,24.37 | 1,20.24 | 20,44.61 | 17,74.41 | 67.21 | .. | 18,41.62 |
| निदेशक, यूनानी विभाग, जयपुर | 2210. | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 13,31.45 | 1,21.23 | 14,52.68 | 12,51.49 | 95.14 | .. | 13,46.63 |
| अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, एस.डब्लू.आर.पी.डी., जयपुर | 2702. | लघु सिंचाई | .. | 3,21.45 | 3,21.45 | .. | 3,07.24 | .. | 3,07.24 |
| निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर | 2235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 8,66.32 | 2,16.65 | 10,82.97 | 7,12.02 | 2,05.15 | .. | 9,17.17 |
| मुख्य अभियन्ता गुण नियंत्रण तथा ई.ए.पी. जल संसाधन विभाग, जयपुर | 2702. | लघु सिंचाई | .. | 1,01.40 | 1,01.40 | .. | .. | .. | .. |
| | 4702. | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | .. | .. | 1,45.33 | .. | 1,45.33 |
| | | गुण नियंत्रण तथा ई.ए.पी. जल संसाधन विभाग के वेतन पर कुल व्यय | .. | 1,01.40 | 1,01.40 | .. | 1,45.33 | .. | 1,45.33 |

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|-------------|--|----------------------------|--|---------|----------------------------|--------|---|---------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| निदेशालय, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर | 2235. | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 2,37.57 | 1,04.15 | 3,41.72 | 2,27.50 | 72.31 | .. | 2,99.81 |
| निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर | 2225. | अजा,जजा, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | 5,19.70 | .. | 5,19.70 | 4,45.02 | .. | .. | 4,45.02 |
| निदेशक नागरिक विमानन विभाग स्टेट हेंगर, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर | 2070. | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 82.76 | .. | 82.76 | 65.73 | .. | .. | 65.73 |
| निदेशक, लोक सेवाएं, जयपुर | 2053. | जिला प्रशासन | 55.67 | .. | 55.67 | 17.61 | .. | .. | 17.61 |
| उपसचिव, अल्पसंख्यक मामलात, विभाग, जयपुर | 2225. | अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | 7.30 | .. | 7.30 | .. | .. | .. | .. |
| निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर | 2235. | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 22.96 | 49.87 | 72.83 | .. | .. | .. | .. |
| सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर | 2051. | लोक सेवा आयोग | 25.92 | .. | 25.92 | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या I - (समाप्त)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|-------------|----------|----------------------------|--|---------------|----------------------------|------------|---|---------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना योजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| गो सेवा आयोग | 2403. | पशु पालन | .. | 1,18.41 | 1,18.41 | .. | .. | .. | .. |
| संवेतन पर कुल व्यय (राजस्व) | | | 71,81.01 | 20,32,13.33 | 2,30,19,87.25 | 64,26.68 | 7,76,49.50 | 5,37,47.64 | 2,01,70,48.67 |
| संवेतन पर कुल व्यय (पूँजीगत) | | | .. | 88,06.43 | 88,06.43 | .. | 79,83.71 | 12,31.24 | 92,14.95 |
| संवेतन पर कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) | | | 71,81.01 | 21,20,19.76 | 2,31,07,93.68 | 64,26.68 | 8,56,33.21 | 5,49,78.88 | 2,02,62,63.62 |

परिशिष्ट संख्या II - सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|--|---|--|-------|----------------------------|---|-----|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य * | | | | | | |
| उप सचिव, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर | | | | | | |
| राजस्थान, जयपुर | | | | | | |
| 2852. उद्योग | | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 102. औद्योगिक उत्पादकता | | | | | | |
| (25) राजस्थान वित्त निगम | | | | | | |
| [01] | युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना | .. | 10.50 | 10.50 | .. | .. |
| योग- उद्योग (ग्रुप-1) विभाग को सहाय्य | | | | | | |
| | | .. | 10.50 | 10.50 | .. | .. |
| निदेशक, | | | | | | |
| वित्त विभाग, जयपुर | | | | | | |
| 2801. बिजली | | | | | | |
| 80. सामान्य | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | | | | | | |
| (06) | राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को ब्याज हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 3,21.68 | .. |
| (12) | राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड को ब्याज हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 18,99.01 | .. |
| (13) | जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को ब्याज हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 4,71.46 | .. |

* राज्य सरकार द्वारा दिये गये लेखों में सहाय्य शीर्ष के अंतर्गत पुस्तान्कित व्यय का द्योतक ।

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|----------------------------|--|-----|----------------------------|---|-----|-------------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | | |
| निदेशक, | | | | | | | |
| वित्त विभाग, जयपुर - (क्रमशः) | | | | | | | |
| 2801. बिजली - (क्रमशः) | | | | | | | |
| 80. सामान्य (क्रमशः) | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता - (क्रमशः) | | | | | | | |
| (14) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को ब्याज हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 3,68.00 | .. | .. | 3,68.00 |
| (15) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को ब्याज हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 4,34.08 | .. | .. | 4,34.08 |
| (16) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत् कर हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 2,51,11.33 | .. | .. | 2,51,11.33 |
| (17) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत् कर हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 1,55,61.42 | .. | .. | 1,55,61.42 |
| (18) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत् कर हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 2,17,18.81 | .. | .. | 2,17,18.81 |
| (23) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 16,41,04.36 | .. | .. | 16,41,04.36 |
| (24) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 23,91,15.69 | .. | .. | 23,91,15.69 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|--|----------------------------|--|----------|----------------------------|---|-------------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | |
| निदेशक, वित्त विभाग, जयपुर - (क्रमशः) | | | | | | |
| 2801. बिजली - (क्रमशः) | | | | | | |
| 80. सामान्य (क्रमशः) | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता - (क्रमशः) | | | | | | |
| (25) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान | .. | .. | .. | 12,29,22.95 | .. | 12,29,22.95 |
| (27) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | .. | .. | .. | .. | 39,60.00 | 39,60.00 |
| (28) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | .. | .. | .. | .. | 36,40.00 | 36,40.00 |
| (29) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | .. | .. | .. | .. | 44,00.00 | 44,00.00 |
| (32) ब्याज अनुदान | | | | | | |
| [01] राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लिमिटेड | 2,37.21 | .. | 2,37.21 | .. | .. | .. |
| [02] राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 18,98.95 | .. | 18,98.95 | .. | .. | .. |
| [03] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 4,32.46 | .. | 4,32.46 | .. | .. | .. |
| [04] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 3,36.00 | .. | 3,36.00 | .. | .. | .. |
| [05] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 3,93.00 | .. | 3,93.00 | .. | .. | .. |
| योग- (32) | 32,97.62 | .. | 32,97.62 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------|---|-----|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | |
| निदेशक, वित्त विभाग, जयपुर - (क्रमशः) | | | | | | |
| 2801. बिजली - (क्रमशः) | | | | | | |
| 80. सामान्य (क्रमशः) | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता - (क्रमशः) | | | | | | |
| (34) विद्युत कर हेतु अनुदान | | | | | | |
| [01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 5,00,55.40 | .. | 5,00,55.40 | .. | .. | .. |
| [02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 3,20,00.00 | .. | 3,20,00.00 | .. | .. | .. |
| [03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 3,54,45.00 | .. | 3,54,45.00 | .. | .. | .. |
| योग- (34) | 11,75,00.40 | .. | 11,75,00.40 | .. | .. | .. |
| (35) बॉण्ड्स के ब्याज हेतु अनुदान | | | | | | |
| [01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 2,47,34.00 | .. | 2,47,34.00 | .. | .. | .. |
| [02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 2,28,74.00 | .. | 2,28,74.00 | .. | .. | .. |
| [03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 2,84,65.00 | .. | 2,84,65.00 | .. | .. | .. |
| योग- (35) | 7,60,73.00 | .. | 7,60,73.00 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------|---|-----|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | |
| निदेशक, वित्त विभाग, जयपुर - (क्रमशः) | | | | | | |
| 2801. बिजली - (क्रमशः) | | | | | | |
| 80. सामान्य (क्रमशः) | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता - (क्रमशः) | | | | | | |
| (36) विद्युत दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान | | | | | | |
| [01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 16,60,36.00 | .. | 16,60,36.00 | .. | .. | .. |
| [02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 26,33,17.00 | .. | 26,33,17.00 | .. | .. | .. |
| [03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | 16,02,12.00 | .. | 16,02,12.00 | .. | .. | .. |
| योग- (36) | 58,95,65.00 | .. | 58,95,65.00 | .. | .. | .. |
| (37) वित्तीय पुर्नसंरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत नगद सहायता | | | | | | |
| [01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | .. | 1,76,40.00 | 1,76,40.00 | .. | .. | .. |
| [02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | .. | 1,32,30.00 | 1,32,30.00 | .. | .. | .. |
| [03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | .. | 1,32,30.00 | 1,32,30.00 | .. | .. | .. |
| योग- (37) | .. | 4,41,00.00 | 4,41,00.00 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|--|--|------------|----------------------------|-------------|---|-------------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | | |
| निदेशक, वित्त विभाग, जयपुर - (समाप्त) | | | | | | | |
| 2801. बिजली - (समाप्त) | | | | | | | |
| 80. सामान्य - (समाप्त) | | | | | | | |
| 190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता - (समाप्त) | | | | | | | |
| (38) स्टाम्प फीस की राशि के लिए अनुदान | | | | | | | |
| [01] | जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | 5,92.00 | .. | 5,92.00 | .. | .. | .. |
| [02] | जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | 7,36.28 | .. | 7,36.28 | .. | .. | .. |
| [03] | अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | 6,56.88 | .. | 6,56.88 | .. | .. | .. |
| [05] | राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड | 4,95.93 | .. | 4,95.93 | .. | .. | .. |
| | योग- (38) | 24,81.09 | .. | 24,81.09 | .. | .. | .. |
| | योग - 190 | 78,89,17.11 | 4,41,00.00 | 83,30,17.11 | 59,20,28.79 | 1,20,00.00 | 60,40,28.79 |
| 800. अन्य व्यय | | | | | | | |
| (26) वित्तीय पुनः संरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत नकद सहायता | | | | | | | |
| [01] | जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | .. | .. | .. | .. | 1,68,00.00 | 1,68,00.00 |
| [02] | जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | .. | .. | .. | .. | 1,26,00.00 | 1,26,00.00 |
| [03] | अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | .. | .. | .. | .. | 1,26,00.00 | 1,26,00.00 |
| | योग - 800 | .. | .. | .. | .. | 4,20,00.00 | 4,20,00.00 |
| | वित्त विभाग को कुल सहाय्य | 78,89,17.11 | 4,41,00.00 | 83,30,17.11 | 59,20,28.79 | 5,40,00.00 | 64,60,28.79 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|--|----------------------------|--|-------|----------------------------|---|---------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य -(क्रमशः) | | | | | | |
| निदेशक, | | | | | | |
| पशुपालन विभाग, जयपुर | | | | | | |
| 2403. पशुपालन | | | | | | |
| 001. निदेशन तथा प्रशासन | | | | | | |
| (01) पशुपालन | | | | | | |
| [05] गौ सेवा आयोग को सहायतार्थ अनुदान | .. | .. | .. | .. | 1,20.00 | 1,20.00 |
| योग - 001 | .. | .. | .. | .. | 1,20.00 | 1,20.00 |
| 101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य | | | | | | |
| (05) अस्पताल और चिकित्सालय | .. | .. | .. | .. | 3,56.43 | 3,56.43 |
| योग - 101 | .. | .. | .. | .. | 3,56.43 | 3,56.43 |
| 102. मवेशी एवं भैंस विकास | | | | | | |
| (17) कामधेनु योजना | .. | 27.10 | 27.10 | .. | .. | .. |
| योग - 102 | .. | 27.10 | 27.10 | .. | .. | .. |
| पशुपालन विभाग को कुल सहाय्य | .. | 27.10 | 27.10 | .. | 4,76.43 | 4,76.43 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|---|----------------------------|--|------------|----------------------------|---|----------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | |
| निदेशक, | | | | | | |
| उद्यान विभाग, जयपुर | | | | | | |
| 2401. फसल कृषि-कर्म | | | | | | |
| 119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें | | | | | | |
| (02) बागवानी का विकास | .. | .. | .. | .. | 13,66.61 | 13,66.61 |
| (25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन | .. | 36,08.65 | 36,08.65 | .. | 6,60.46 | 6,60.46 |
| (26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु | .. | 61,89.46 | 61,89.46 | .. | 17,79.25 | 17,79.25 |
| (29) फल बगीचे की स्थापना | .. | 6.88 | 6.88 | .. | 15.48 | 15.48 |
| (30) उद्यान फसलों की प्रदर्शनी | .. | 19.80 | 19.80 | .. | 21.17 | 21.17 |
| (31) संयंत्र सुरक्षा कार्य | .. | 18.59 | 18.59 | .. | 7.43 | 7.43 |
| (32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान | .. | 11,12.90 | 11,12.90 | .. | 3,62.33 | 3,62.33 |
| (33) अभिनव कार्यक्रम | .. | 1.80 | 1.80 | .. | 3.16 | 3.16 |
| योग - 119 | .. | 1,09,58.08 | 1,09,58.08 | .. | 42,15.89 | 42,15.89 |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना | | | | | | |
| (02) उद्यान विभाग के द्वारा | | | | | | |
| [01] बागवानी विकास | .. | .. | .. | .. | 1,27.50 | 1,27.50 |
| [04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन | .. | 3,06.88 | 3,06.88 | .. | 1,02.09 | 1,02.09 |
| [05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु | .. | 5,68.27 | 5,68.27 | .. | 2,86.82 | 2,86.82 |
| [07] फल बगीचे की स्थापना | .. | 0.40 | 0.40 | .. | 1.62 | 1.62 |
| [08] उद्यान फसलों की प्रदर्शनी | .. | 12.35 | 12.35 | .. | 12.57 | 12.57 |
| [09] संयंत्र सुरक्षा कार्य | .. | 1.31 | 1.31 | .. | 1.42 | 1.42 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|---|----------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | |
| निदेशक, | | | | | | |
| उद्यान विभाग, जयपुर - (समाप्त) | | | | | | |
| 2401. फसल कृषि-कर्म - (समाप्त) | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक - (समाप्त) | | | | | | |
| (02) उद्यान विभाग के द्वारा - (समाप्त) | | | | | | |
| [10] ग्रीन हाऊस पर अतिरिक्त अनुदान | .. | 1,08.47 | 1,08.47 | .. | 32.50 | 32.50 |
| [11] अभिनव कार्यक्रम | .. | 0.33 | 0.33 | .. | 0.45 | 0.45 |
| योग - 789 | .. | 9,98.01 | 9,98.01 | .. | 5,64.97 | 5,64.97 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| (51) उद्यान विभाग के माध्यम से | | | | | | |
| [01] बागवानी विकास | .. | .. | .. | .. | 45.52 | 45.52 |
| [03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन | .. | 3,34.14 | 3,34.14 | .. | 76.59 | 76.59 |
| [04] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु | .. | 5,44.36 | 5,44.36 | .. | 2,90.68 | 2,90.68 |
| [06] फल बगीचे की स्थापना | .. | 0.50 | 0.50 | .. | 1.17 | 1.17 |
| [07] उद्यान फसलों की प्रदर्शनी | .. | 8.80 | 8.80 | .. | 9.53 | 9.53 |
| [08] संयंत्र सुरक्षा कार्य | .. | 0.50 | 0.50 | .. | 0.26 | 0.26 |
| [09] ग्रीन हाऊस पर अतिरिक्त अनुदान | .. | 1,08.43 | 1,08.43 | .. | 20.00 | 20.00 |
| [10] अभिनव कार्यक्रम | .. | 0.12 | 0.12 | .. | 0.59 | 0.59 |
| योग - 796 | .. | 9,96.85 | 9,96.85 | .. | 4,44.34 | 4,44.34 |
| उद्यान विभाग को कुल सहाय्य | .. | 1,29,52.94 | 1,29,52.94 | .. | 52,25.20 | 52,25.20 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|----------------------------|--|---------|----------------------------|--------|---|-------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य -(क्रमशः) | | | | | | | |
| निदेशक, | | | | | | | |
| उद्योग विभाग, जयपुर | | | | | | | |
| 2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग | | | | | | | |
| 102. लघु उद्योग | | | | | | | |
| (13) माइक्रो एवं स्मॉल एन्टर प्राइजेज पॉलिसी पैकेज | .. | 1,10.00 | 1,10.00 | .. | .. | .. | .. |
| योग -102 | .. | 1,10.00 | 1,10.00 | .. | .. | .. | .. |
| 104. हस्तशिल्प उद्योग | | | | | | | |
| (08) कलाकारों को ब्याज अनुदान | .. | 6.16 | 6.16 | .. | 14.11 | .. | 14.11 |
| योग - 104 | .. | 6.16 | 6.16 | .. | 14.11 | .. | 14.11 |
| 111. बेरोजगार शिक्षित युवाओं हेतु रोजगार योजना | | | | | | | |
| (03) उद्योग स्थापना, विस्तार, विभक्तिकरण तथा आधुनिकीकरण | .. | 3,36.32 | 3,36.32 | .. | 12.79 | .. | 12.79 |
| [01] मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना | .. | 3,36.32 | 3,36.32 | .. | 12.79 | .. | 12.79 |
| योग - 111 | .. | 3,36.32 | 3,36.32 | .. | 12.79 | .. | 12.79 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|--|----------------------------|--|----------|----------------------------|---|-------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | |
| निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर - (समाप्त) | | | | | | |
| 2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग - (समाप्त) | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (06) कलाकारों को ब्याज की सहायता | .. | 0.59 | 0.59 | .. | 2.87 | 2.87 |
| (20) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन | .. | 83.00 | 83.00 | .. | .. | .. |
| (22) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधिकरण एवं आधुनिकीकरण | .. | 38.22 | 38.22 | .. | .. | .. |
| [01] मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना | .. | 38.22 | 38.22 | .. | .. | .. |
| योग - 789 | .. | 1,21.82 | 1,21.82 | .. | 2.87 | 2.87 |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (20) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन | .. | 54.20 | 54.20 | .. | .. | .. |
| (22) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण | .. | 11.49 | 11.49 | .. | 0.56 | 0.56 |
| [01] मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना | .. | 11.49 | 11.49 | .. | 0.56 | 0.56 |
| योग - 796 | .. | 65.69 | 65.69 | .. | 0.56 | 0.56 |
| 800. अन्य व्यय (01) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन | .. | 14,42.30 | 14,42.30 | .. | .. | .. |
| योग - 800 | .. | 14,42.30 | 14,42.30 | .. | .. | .. |
| उद्योग विभाग को कुल सहाय्य | .. | 20,82.28 | 20,82.28 | .. | 30.33 | 30.33 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|--|----------------------------|--|---------|----------------------------|---|---------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | |
| उप सचिव, उद्योग (ग्रुप-II) विभाग, जयपुर | | | | | | |
| 2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग | | | | | | |
| 105. खादी तथा ग्रामोद्योग | | | | | | |
| (03) खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट | 4,00.00 | .. | 4,00.00 | 4,00.00 | .. | 4,00.00 |
| उद्योग (ग्रुप-II) विभाग को कुल सहाय्य | | | | | | |
| | 4,00.00 | .. | 4,00.00 | 4,00.00 | .. | 4,00.00 |
| आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास, उदयपुर | | | | | | |
| 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण | | | | | | |
| 02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण | | | | | | |
| 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | |
| (09) जनजातीय क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम (अनुसूचित जनजाति कल्याण निधि) | | | | | | |
| [33] स्वरोजगार अनुदान | .. | .. | .. | .. | 80.00 | 80.00 |
| जनजातीय क्षेत्र विकास को कुल सहाय्य | | | | | | |
| | .. | .. | .. | .. | 80.00 | 80.00 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|-----|----------------------------|---|-----|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |

(₹ लाख में)

स्पष्ट सहाय्य -(क्रमशः)

शासन सचिव,

ग्राम विकास विभाग, जयपुर

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

06. स्वरोजगार कार्यक्रम

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

| | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|---------|----|---------|
| [01] अनुदान | .. | .. | .. | .. | 1,62.33 | .. | 1,62.33 |
| [02] अनुदान | .. | .. | .. | .. | 64.93 | .. | 64.93 |
| [03] अनुदान | .. | .. | .. | .. | 97.40 | .. | 97.40 |

ग्राम विकास विभाग को कुल सहाय्य

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|---------|----|---------|
| .. | .. | .. | .. | .. | 3,24.66 | .. | 3,24.66 |
|----|----|----|----|----|---------|----|---------|

आयुक्त,

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग,

जयपुर

3456. नागरिक आपूर्ति

102. नागरिक आपूर्ति योजना

(02) खाद्यान्न वितरण

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|----|------------|---------|----|------------|
| [01] अन्तोदय अन्न योजना | .. | .. | .. | 35,04.30 | 1,87.92 | .. | 36,92.22 |
| [02] बी.पी.एल. अन्न योजना | .. | .. | .. | 1,51,21.96 | .. | .. | 1,51,21.96 |
| [03] राज्य बी.पी.एल. अन्न योजना | .. | .. | .. | 80,11.13 | .. | .. | 80,11.13 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|----------------------------|--|----------|----------------------------|----------|---|------------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | | |
| आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर - (क्रमशः) | | | | | | | |
| 3456. नागरिक आपूर्ति - (क्रमशः) | | | | | | | |
| 102. नागरिक आपूर्ति योजना - (समाप्त) | | | | | | | |
| (02) खाद्यान्न वितरण - (समाप्त) | | | | | | | |
| [04] खाद्य स्टॉम्प योजना | 0.01 | .. | 0.01 | 0.03 | .. | .. | 0.03 |
| [07] विशिष्ट योग्यजनों के लिए खाद्य योजना | .. | .. | .. | .. | 1.19 | .. | 1.19 |
| [10] बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना | .. | 6,80.00 | 6,80.00 | .. | .. | .. | .. |
| [11] ए.पी.एल. परिवारों को आटा वितरण योजना | .. | 54.59 | 54.59 | .. | .. | .. | .. |
| योग - (02) | 0.01 | 7,34.59 | 7,34.60 | 2,66,37.42 | 1,89.11 | .. | 2,68,26.53 |
| (04) घरेलू गैस पर अनुदान | .. | 84,90.41 | 84,90.41 | .. | 79,90.95 | .. | 79,90.95 |
| योग - (04) | .. | 84,90.41 | 84,90.41 | .. | 79,90.95 | .. | 79,90.95 |
| योग-102 | 0.01 | 92,25.00 | 92,25.01 | 2,66,37.42 | 81,80.06 | .. | 3,48,17.48 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|--|----------------------------|--|------------|----------------------------|------------|---|------------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः) | | | | | | | |
| आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर - (समाप्त) | | | | | | | |
| 3456. नागरिक आपूर्ति - (समाप्त) | | | | | | | |
| 789. अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ट संघटक योजना | | | | | | | |
| (01) नागरिक आपूर्ति योजना | | | | | | | |
| [04] घरेलू गैस पर अनुदान | .. | 22,50.00 | 22,50.00 | .. | 21,44.67 | .. | 21,44.67 |
| [05] विशेष योग्यजनों के लिए खाद्यान्न योजना | .. | .. | .. | .. | 0.02 | .. | 0.02 |
| [09] बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना | .. | 1,80.00 | 1,80.00 | .. | .. | .. | .. |
| योग 789 | .. | 24,30.00 | 24,30.00 | .. | 21,44.69 | .. | 21,44.69 |
| 796. जन जाति उपयोगिता | | | | | | | |
| (01) नागरिक आपूर्ति योजना | | | | | | | |
| [04] घरेलू गैस पर अनुदान | .. | 17,50.00 | 17,50.00 | .. | 14,64.38 | .. | 14,64.38 |
| [05] विशेष योग्यजनों के लिए खाद्यान्न योजना | .. | .. | .. | .. | 0.03 | .. | 0.03 |
| [09] बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना | .. | 1,40.00 | 1,40.00 | .. | .. | .. | .. |
| योग 796 | .. | 18,90.00 | 18,90.00 | .. | 14,64.41 | .. | 14,64.41 |
| खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को कुल सहाय्य | 0.01 | 1,35,45.00 | 1,35,45.01 | 2,66,37.42 | 1,17,89.16 | .. | 3,84,26.58 |

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------|---|--------------------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| स्पष्ट सहाय्य -(समाप्त) | | | | | | | |
| निदेशालय, निःशक्तजन विभाग, जयपुर | | | | | | | |
| 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | | | | | | | |
| 02. समाज कल्याण | | | | | | | |
| 101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | | | | | | | |
| (38) निदेशालय विशेष योग्यजन | | | | | | | |
| [02] विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति/ जनजाति निगम के माध्यम से) | .. | 5,66.01 | 5,66.01 | .. | .. | .. | .. |
| निःशक्तजन विभाग को कुल सहाय्य | .. | 5,66.01 | 5,66.01 | .. | .. | .. | .. |
| गो सेवा राजस्थान, जयपुर | | | | | | | |
| 2403 पशु पालन | | | | | | | |
| 001 निदेशन तथा प्रशासन | | | | | | | |
| (01) पशु पालन | | | | | | | |
| [05] गो सेवा आयोग को सहायता | .. | 6.25 | 6.25 | .. | .. | .. | .. |
| गो सेवा विभाग को कुल सहाय्य | .. | 6.25 | 6.25 | .. | .. | .. | .. |
| स्पष्ट कुल सहाय्य | 78,93,17.12 | 7,32,90.08 | 86,26,07.20 | 61,90,66.21 | 7,19,25.78 | .. | 69,09,91.99 |

परिशिष्ट संख्या II – (समाप्त)

| लेखा विभाग व मुख्य विवरण सहित | 2014-15 के वास्तविक आंकड़े | | | 2013-14 के वास्तविक आंकड़े | | |
|--|----------------------------|--|-------------|----------------------------|---|-------------|
| | आयोजना भिन्न | आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय आयोजना सहित) | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| सन्निहित सहाय्य | | | | | | |
| आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर | | | | | | |
| 3456. नागरिक आपूर्ति | | | | | | |
| 102. नागरिक आपूर्ति योजना | | | | | | |
| (01) खाद्य भंडारण योजना | | | | | | |
| [02] वितरण | .. | .. | .. | .. | 30,00.00 | 30,00.00 |
| योग (01) | .. | .. | .. | .. | 30,00.00 | 30,00.00 |
| खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को कुल सहाय्य | .. | .. | .. | .. | 30,00.00 | 30,00.00 |
| सन्निहित कुल सहाय्य | .. | .. | .. | .. | 30,00.00 | 30,00.00 |
| कुल सहाय्य (स्पष्ट एवं सन्निहित) | 78,93,17.12 | 7,32,90.08 | 86,26,07.20 | 61,90,66.21 | 7,49,25.78 | 69,39,91.99 |

परिशिष्ट संख्या III –राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान (संस्थावार तथा योजनावार)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|------------|------------|---|--------------|----------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| नगर निगम | | | | | | | | | | | |
| | विशेष अनुदान | सामान्य | 5,76,33.14 | .. | 5,76,33.14 | .. | 5,09,33.12 | .. | .. | 5,09,33.12 | .. |
| | राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान | रा.वि.आ.(सा.) | .. | 1,48,73.97 | 1,48,73.97 | .. | .. | 66,35.39 | .. | 66,35.39 | .. |
| | | रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.) | .. | 33,15.62 | 33,15.62 | .. | .. | 15,13.66 | .. | 15,13.66 | .. |
| | | रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.) | .. | 29,38.04 | 29,38.04 | .. | .. | 12,53.92 | .. | 12,53.92 | .. |
| | सार्वजनिक रोशनी के बिजली बिलों का भुगतान | सामान्य | 88,34.71 | .. | 88,34.71 | .. | 83,85.70 | .. | .. | 83,85.70 | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान | वि.आ.(सा.) | 51,32.78 | .. | 51,32.78 | .. | 57,87.50 | .. | .. | 57,87.50 | .. |
| | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | सामान्य | .. | 16,84.31 | 16,84.31 | .. | .. | .. | 96.24 | 96.24 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 4,59.58 | 4,59.58 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,48.57 | 3,48.57 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | वित्तीय रूप से कमजोर नगर निगमों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान | सामान्य | 5,58.44 | .. | 5,58.44 | .. | 2.70 | .. | .. | 2.70 | .. |
| | स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना | सामान्य | .. | 1,51.32 | 1,51.32 | .. | .. | 33.23 | 3.45 | 36.68 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 12.88 | 12.88 | .. | .. | 7.78 | 23.34 | 31.12 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 10.60 | 10.60 | .. | .. | 6.35 | 19.05 | 25.40 | .. |

* इस परिशिष्ट में निम्नलिखित संकेत चिन्हों का प्रयोग उनके विस्तृत स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है :-

3. वि.आ.(सा.)- वित्त आयोग (सामान्य)

6. रा.वि.आ.(अ.जा.उ.यो.) - राज्य वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उप-योजना)

1. ज.जा.उ.यो. - जनजातीय उप-योजना

4. रा.वि.आ.(सा.) - राज्य वित्त आयोग (सामान्य)

7. ई.ए.पी- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

2. अ.जा.उ.यो. - अनुसूचित जाति उप-योजना

5. रा.वि.आ.(ज.जा.उ.यो.) - राज्य वित्त आयोग (जनजातीय उप-योजना)

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| नगर निगम – (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | सामान्य अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 38,56.76 | .. | 38,56.76 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,52.42 | .. | 8,52.42 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,34.97 | .. | 7,34.97 | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य निष्पादित अनुदान | वि.आ.(सा.) | .. | .. | .. | .. | 48,43.70 | .. | .. | 48,43.70 | .. |
| | योग-नगर निगम | | 7,21,59.07 | 2,37,94.89 | 9,59,53.96 | .. | 6,99,52.72 | 1,48,94.48 | 1,42.08 | 8,49,89.28 | .. |
| नगर पालिकाएं/ नगर परिषद | | | | | | | | | | | |
| | विशेष अनुदान | सामान्य | 5,91,10.95 | .. | 5,91,10.95 | .. | 5,51,97.19 | .. | .. | 5,51,97.19 | .. |
| | राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान | रा.वि.आ.(सा.) | .. | 3,40,02.82 | 3,40,02.82 | .. | .. | 1,61,89.06 | .. | 1,61,89.06 | .. |
| | | रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.) | .. | 79,87.13 | 79,87.13 | .. | .. | 40,22.11 | .. | 40,22.11 | .. |
| | | रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.) | .. | 61,05.35 | 61,05.35 | .. | .. | 27,69.54 | .. | 27,69.54 | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान | वि.आ.(सा.) | 1,48,31.20 | .. | 1,48,31.20 | .. | 1,24,77.61 | .. | .. | 1,24,77.61 | .. |
| | छोटे एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना | सामान्य | .. | 89,97.97 | 89,97.97 | .. | .. | 55,08.82 | .. | 55,08.82 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 23,59.55 | 23,59.55 | .. | .. | 14,21.24 | .. | 14,21.24 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 17,82.71 | 17,82.71 | .. | .. | 10,10.23 | .. | 10,10.23 | .. |
| | सार्वजनिक रोशनी के बिजली बिलों का भुगतान | सामान्य | 57,29.73 | .. | 57,29.73 | .. | 55,29.49 | .. | .. | 55,29.49 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|------------|--|--------------|----------|---------|---|--------------|---------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| नगर पालिकाएं/नगर परिषद – (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | सामान्य | .. | 19,62.48 | 19,62.48 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 5,40.90 | 5,40.90 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 4,10.23 | 4,10.23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| शहरी न्यास की जलपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव | सामान्य | 19,19.87 | .. | 19,19.87 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट | सामान्य | .. | 8,17.50 | 8,17.50 | 8,17.50 | .. | 35,15.50 | .. | 35,15.50 | 35,15.50 | 35,15.50 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 4,80.00 | 4,80.00 | 4,80.00 | .. | 8,33.50 | .. | 8,33.50 | 8,33.50 | 8,33.50 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,02.50 | 2,02.50 | 2,02.50 | .. | 6,51.00 | .. | 6,51.00 | 6,51.00 | 6,51.00 |
| स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना | सामान्य | .. | 6,91.64 | 6,91.64 | .. | .. | 1,41.57 | 4,24.71 | 5,66.28 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 2,20.44 | 2,20.44 | .. | .. | 45.09 | 1,35.27 | 1,80.36 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,71.08 | 1,71.08 | .. | .. | 34.94 | 1,04.82 | 1,39.76 | .. | .. |
| वित्तीय रूप से कमजोर नगर पालिकाएं/नगर परिषद को चुनाव हेतु विशेष अनुदान | सामान्य | 3,69.46 | .. | 3,69.46 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| सीवरेज योजना का रखरखाव | सामान्य | 3,22.28 | .. | 3,22.28 | .. | 9,60.00 | .. | .. | 9,60.00 | .. | .. |
| सामान्य अनुदान | सामान्य | .. | 25.00 | 25.00 | .. | .. | 1,54,85.43 | .. | 1,54,85.43 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 4.00 | 4.00 | .. | .. | 38,34.22 | .. | 38,34.22 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 4.22 | 4.22 | .. | .. | 27,20.35 | .. | 27,20.35 | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|---|--|--------------|-------------|-------------|---|--------------|------------|------------|-------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| नगर पालिकाएं/नगर परिषद – (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य निष्पादित अनुदान | वि.आ.(सा.) | .. | .. | .. | .. | 1,30,54.08 | .. | .. | 1,30,54.08 | .. |
| | राजस्थान शहरी विकास निधि को हस्तान्तरण | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 9,41.57 | .. | .. | 9,41.57 | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत विशेष बुनियादी क्षेत्र विकास के लिए अनुदान | वि.आ.(सा.) | .. | .. | .. | .. | 2,34.15 | .. | .. | 2,34.15 | .. |
| | बल्क जलपूर्ति के भुगतान हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 1,85.00 | .. | .. | 1,85.00 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 61.79 | .. | 61.79 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | योग-नगर पालिकाएं/नगर परिषद | | 8,23,45.28 | 6,67,65.52 | 14,91,10.80 | 15,00.00 | 8,85,79.09 | 5,81,82.60 | 6,64.80 | 14,74,26.49 | 50,00.00 |
| जिला परिषद् | | | | | | | | | | | |
| | महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना | सामान्य | .. | 22,39,80.72 | 22,39,80.72 | .. | .. | 1,05,42.00 | .. | 1,05,42.00 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 5,74,49.71 | 5,74,49.71 | .. | .. | 25,74.00 | .. | 25,74.00 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 4,15,59.34 | 4,15,59.34 | .. | .. | 18,84.00 | .. | 18,84.00 | .. |
| | इंदिरा आवास योजना | सामान्य | .. | 1,07,47.13 | 1,07,47.13 | .. | .. | 53,15.39 | .. | 53,15.39 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,17,54.27 | 1,17,54.27 | .. | .. | 67,51.70 | .. | 67,51.70 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,42,03.49 | 3,42,03.49 | .. | .. | 40,37.36 | .. | 40,37.36 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | |
|--|------------|--|--------------|------------|------------|---|--------------|--------|------------|----------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| जिला परिषद्- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| ग्रामीण बी.पी.एल.आवास | सामान्य | .. | 2,97,22.49 | 2,97,22.49 | 1,51,03.39 | .. | 1,91,87.56 | .. | 1,91,87.56 | 82,09.82 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,12,05.37 | 1,12,05.37 | 56,93.95 | .. | 72,16.62 | .. | 72,16.62 | 31,07.92 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 82,17.20 | 82,17.20 | 41,75.49 | .. | 52,91.35 | .. | 52,91.35 | 22,78.78 |
| एकीकृत जल संग्रहण विकास | सामान्य | .. | 2,94,13.20 | 2,94,13.20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 73,65.59 | 73,65.59 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 53,48.32 | 53,48.32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पिछड़ा जिला विकास कोष | सामान्य | .. | 1,31,41.00 | 1,31,41.00 | .. | .. | 47,58.00 | .. | 47,58.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 28,95.00 | 28,95.00 | .. | .. | 12,10.00 | .. | 12,10.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 54,69.00 | 54,69.00 | .. | .. | 24,52.00 | .. | 24,52.00 | .. |
| सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान | सामान्य | .. | 1,18,16.05 | 1,18,16.05 | .. | .. | 14,04.80 | .. | 14,04.80 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 45,70.68 | 45,70.68 | .. | .. | 3,44.00 | .. | 3,44.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 22,30.51 | 22,30.51 | .. | .. | 2,51.20 | .. | 2,51.20 | .. |
| अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना के अन्तर्गत सहायता | सामान्य | .. | 79,98.04 | 79,98.04 | .. | .. | 52,51.47 | .. | 52,51.47 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 36,98.88 | 36,98.88 | .. | .. | 12,76.55 | .. | 12,76.55 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 23,28.39 | 23,28.39 | .. | .. | 9,75.36 | .. | 9,75.36 | .. |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) | सामान्य | .. | 76,30.21 | 76,30.21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 15,15.88 | 15,15.88 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 9,01.73 | 9,01.73 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| जिला परिषद् – (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| राज्य वित्त आयोग की अनुशंषा के अन्तर्गत सहायता | रा.वि.आ.(सा.) रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.) रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.) | | 42,74.00 11,07.35 8,39.90 | 42,74.00 11,07.35 8,39.90 | | | 20,20.75 5,23.57 3,97.09 | | 20,20.75 5,23.57 3,97.09 | | |
| ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से नवाचार कार्यक्रम | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | | 42,46.36 10,48.28 7,60.65 | 42,46.36 10,48.28 7,60.65 | | | 1,67,61.78 40,92.66 29,95.56 | | 1,67,61.78 40,92.66 29,95.56 | 35,14.00 8,58.00 6,28.00 | |
| निर्बन्ध निधि | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | | 14,04.46 5,35.65 3,92.51 | 14,04.46 5,35.65 3,92.51 | | | 14,04.46 5,35.65 3,92.51 | | 14,04.46 5,35.65 3,92.51 | | |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ) | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | | 17,01.08 2,62.56 2,85.64 | 17,01.08 2,62.56 2,85.64 | | | | | | | |
| तदर्थ सहायता-स्थापना | सामान्य | 21,75.00 | .. | 21,75.00 | .. | 23,00.00 | 4,87.45 | .. | 27,87.45 | .. | |
| स्थापना व्यय के लिए अनुदान | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | | 7,40.73 7,44.10 5,66.28 | 7,40.73 7,44.10 5,66.28 | | | 14.86 2,19.30 1,60.65 | | 14.86 2,19.30 1,60.65 | | |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्र बुनियादी अनुदान | वि.आ.(सा.) | 19,75.22 | .. | 19,75.22 | .. | 18,07.14 | .. | .. | 18,07.14 | .. | |
| अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ स्टाफ | सामान्य | 17,97.35 | .. | 17,97.35 | .. | 6,65.74 | .. | .. | 6,65.74 | .. | |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|----------|----------|---|--------------|---------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| जिला परिषद्- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| | जनश्री बीमा योजना | सामान्य | .. | 8,33.87 | 8,33.87 | .. | .. | 7,99.58 | .. | 7,99.58 | .. |
| | बी.पी.एल.परिवारों के लिए | अ.जा.उ.यो. | .. | 4,33.23 | 4,33.23 | .. | .. | 4,20.98 | .. | 4,20.98 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 4,85.46 | 4,85.46 | .. | .. | 4,61.35 | .. | 4,61.35 | .. |
| | अर्न्तजातीय विवाह के प्रोत्साहन राशि | अ.जा.उ.यो. | .. | 16,83.00 | 16,83.00 | .. | .. | 2,33.50 | 4,92.50 | 7,26.00 | .. |
| | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(खाद्यान्न) | सामान्य | .. | 12,99.05 | 12,99.05 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 2,61.65 | 2,61.65 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 95.39 | 95.39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण अभियान | सामान्य | .. | 3,11.28 | 3,11.28 | 1,61.87 | .. | 2,91.81 | .. | 2,91.81 | 1,62.94 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 8,87.78 | 8,87.78 | 4,44.00 | .. | 70.28 | .. | 70.28 | 29.81 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,22.86 | 3,22.86 | 1,99.18 | .. | 51.82 | .. | 51.82 | .. |
| | राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन- कृषि विस्तार | सामान्य | .. | 7,10.34 | 7,10.34 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 2,35.61 | 2,35.61 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,87.49 | 1,87.49 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य निष्पादित अनुदान | वि.आ.(सा.) | 11,15.07 | .. | 11,15.07 | .. | 12,34.01 | .. | .. | 12,34.01 | .. |
| | नागरिक सुरक्षा के लिए सहायता | अ.जा.उ.यो. | .. | 8,47.36 | 8,47.36 | .. | .. | 2,37.47 | 2,45.80 | 4,83.27 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,97.58 | 1,97.58 | .. | .. | 45.10 | 63.12 | 1,08.22 | .. |
| | राष्ट्रीय तिलहन मिशन - तिलहन | सामान्य | .. | 7,85.21 | 7,85.21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 75.64 | 75.64 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 91.39 | 91.39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|---------|---------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| जिला परिषद्- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| | देवनारायण गुरुकुल योजना | सामान्य | .. | 8,64.99 | 8,64.99 | .. | .. | 8,21.06 | .. | 8,21.06 | .. |
| | सहयोग योजना के अन्तर्गत सहायता | सामान्य | .. | 7,90.55 | 7,90.55 | .. | .. | 8,18.60 | .. | 8,18.60 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 5,68.80 | 5,68.80 | .. | .. | 3,05.00 | .. | 3,05.00 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,02.93 | 2,02.93 | .. | .. | 1,66.85 | .. | 1,66.85 | .. |
| | सम्बल ग्राम का विकास | अ.जा.उ.यो. | .. | 7,17.20 | 7,17.20 | .. | .. | 60,00.00 | .. | 60,00.00 | .. |
| | शारीरिक तथा विमदित क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता | सामान्य | 6,89.15 | .. | 6,89.15 | .. | 6,35.02 | .. | .. | 6,35.02 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 5.15 | .. | 5.15 | .. | 4.00 | .. | .. | 4.00 | .. |
| | कार्यक्रम तथा गतिविधियों के लिए अनुदान (महिला तथा अधिकारिता विभाग) | सामान्य | .. | 3,82.97 | 3,82.97 | .. | .. | 2,89.70 | .. | 2,89.70 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 91.71 | 91.71 | .. | .. | 74.84 | .. | 74.84 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 39.14 | 39.14 | .. | .. | 22.91 | .. | 22.91 | .. |
| | संस्थापना व्यय के लिए अनुदान-मध्यम सिंचाई | सामान्य | 4,40.38 | .. | 4,40.38 | .. | 3,35.27 | .. | .. | 3,35.27 | .. |
| | देवनारायण बालिका स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना | सामान्य | .. | 4,37.68 | 4,37.68 | .. | .. | 4,79.96 | .. | 4,79.96 | .. |
| | नवजीवन योजना | सामान्य | .. | 2,39.34 | 2,39.34 | .. | .. | 1,83.95 | .. | 1,83.95 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,49.92 | 1,49.92 | .. | .. | 1,08.46 | .. | 1,08.46 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 18.05 | 18.05 | .. | .. | 23.60 | .. | 23.60 | .. |
| | राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन- कृषि अभियांत्रिकी | सामान्य | .. | 3,04.30 | 3,04.30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 21.11 | 21.11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 1.80 | 1.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------|---|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| जिला परिषद्- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| | अनुसूचित जाति कार्यक्रम तथा गतिविधियों का कल्याण | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 2,39.28 79.17 | | 2,39.28 79.17 | | 2,16.44 72.96 | | | 2,16.44 72.96 |
| | स्व सहायता संस्थाओं के माध्यम से वृद्धावस्था आश्रम की स्थापना तथा संचालन | सामान्य | .. | 1,79.69 | 1,79.69 | .. | .. | 32.99 | .. | 32.99 |
| | एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम-महिला अधिकारिता विभाग | सामान्य | .. | 1,57.41 | 1,57.41 | .. | .. | .. | 13.64 | 13.64 |
| | गाड़िया लुहारों के लिए एकीकृत योजना | सामान्य | .. | 1,42.78 | 1,42.78 | .. | .. | 1,61.15 | .. | 1,61.15 |
| | अनुदानित छात्रावासों का संधारण | सामान्य | 1,47.61 | .. | 1,47.61 | .. | 1,53.13 | .. | .. | 1,53.13 |
| | अपंगों की शादी के लिए शिविर | सामान्य ज.जा.उ.यो. | | 1,11.20 9.45 | 1,11.20 9.45 | | | 88.45 22.00 | | 88.45 22.00 |
| | कृषि प्रदर्शनी | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | | 78.16 18.75 14.76 | 78.16 18.75 14.76 | | | 51.75 12.60 9.30 | | 51.75 12.60 9.30 |
| | सुरक्षित कृषि मिशन बंजर एरिया विकास | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | | 86.03 2.17 14.43 | 86.03 2.17 14.43 | | | | | |
| | सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से नवाचार कार्यक्रम | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | | | | | | 4,88,39.44 1,29,70.00 93,70.00 | | 4,88,39.44 1,29,70.00 93,70.00 |
| | गांवों के मास्टर प्लान के लिए राशि | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 40,50.00 | .. | 40,50.00 |

परिशिष्ट संख्या III –(क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---|-------|--|--------------|-------------|-------------|---|--------------|-------------|------------|-------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| जिला परिषद्- (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 11,75.00 | .. | 11,75.00 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,05.00 | .. | 7,05.00 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,70.00 | .. | 4,70.00 | .. |
| तिलहन, दलहन, आइलपोम तथा मक्का की एकीकृत योजना | | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,71.48 | 5,14.14 | 6,85.62 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.92 | 89.75 | 1,19.67 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 48.60 | 1,45.81 | 1,94.41 | .. |
| संयुक्त सहायता के लिए अनुदान | | सामान्य | .. | 84.74 | 84.74 | .. | .. | 5,41.67 | .. | 5,41.67 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 9.41 | 9.41 | .. | .. | 30.97 | .. | 30.97 | .. |
| खनिजों पर रॉयल्टी में से समनुदेशन | | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 3,67.91 | .. | 3,67.91 | .. |
| स्टाम्प शुल्क पर अधिभार में से समनुदेशन | | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,48.50 | .. | 1,48.50 | .. |
| संयुक्त सहायता के लिए अनुदान (विश्वास योजना) | | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,47.22 | .. | 1,47.22 | .. |
| मरु विकास कार्यक्रम | | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 99.43 | .. | 99.43 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 22.72 | .. | 22.72 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 17.60 | .. | 17.60 | .. |
| निराश्रित सम्बल योजना के लिए अनुदान | | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,28.00 | .. | 1,28.00 | .. |
| एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | | सामान्य | 1,77.42 | 2,97.34 | 4,74.76 | .. | 1,86.86 | 2,32.90 | 8.62 | 4,28.38 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 13.80 | 13.80 | .. | .. | 11.59 | .. | 11.59 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 1.31 | 54.63 | 55.94 | .. | 3.31 | 23.28 | 4.41 | 31.00 | .. |
| योग- जिला परिषद् | | | 88,42.11 | 56,99,21.18 | 57,87,63.29 | 2,57,77.88 | 76,13.88 | 20,26,15.94 | 15,77.79 | 21,18,07.61 | 1,87,89.27 |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--------------|---|--|--------------|--------------|-------------|---|--------------|----------|------------|-------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| पंचायत समिति | | | | | | | | | | | |
| | प्राथमिक विद्यालयों के लिए सहायता | सामान्य | 29,56,56.00 | .. | 29,56,56.00 | .. | 26,49,97.36 | .. | .. | 26,49,97.36 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 1,75,43.71 | .. | 1,75,43.71 | .. | 1,61,00.00 | .. | .. | 1,61,00.00 | .. |
| | संस्थापना के लिए तदर्थ सहायता | सामान्य | 5,04,91.24 | (-) 4.95 (क) | 5,04,86.29 | .. | 4,19,00.00 | 4,20.83 | .. | 4,23,20.83 | .. |
| | राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान | रा.वि.आ.(सा.) | .. | 1,70,96.00 | 1,70,96.00 | .. | .. | 58,31.27 | .. | 58,31.27 | .. |
| | | रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.) | .. | 44,29.50 | 44,29.50 | .. | .. | 20,94.28 | .. | 20,94.28 | .. |
| | | रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.) | .. | 33,59.50 | 33,59.50 | .. | .. | 15,88.36 | .. | 15,88.36 | .. |
| | निर्बन्ध निधि | सामान्य | .. | 56,15.90 | 56,15.90 | .. | .. | 56,15.90 | .. | 56,15.90 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 21,43.57 | 21,43.57 | .. | .. | 21,43.57 | .. | 21,43.57 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 15,71.01 | 15,71.01 | .. | .. | 15,71.01 | .. | 15,71.01 | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान | वि.आ.(सा.) | 79,00.90 | .. | 79,00.90 | .. | 72,28.55 | .. | .. | 72,28.55 | .. |
| | हेण्ड पम्म श्रमिकों तथा फिटर्स के लिए तदर्थ अनुदान | सामान्य | 46,30.15 | .. | 46,30.15 | .. | 47,00.00 | .. | .. | 47,00.00 | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य निष्पादित अनुदान | वि.आ.(सा.) | 44,60.32 | .. | 44,60.32 | .. | 49,36.06 | .. | .. | 49,36.06 | .. |
| | अन्य सिंचाई निर्माण कार्यों का संस्थापन व्यय | सामान्य | 11,71.43 | .. | 11,71.43 | .. | 8,81.20 | .. | .. | 8,81.20 | .. |

(क) ऋण आंकड़े गत वर्ष की अनुपयोजित राशि को जमा कराने के कारण हैं।

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------|-------------|-------------|---|--------------|------------|------------|-------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| पंचायत समिति – (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | जनता जल योजना के अन्तर्गत रखरखाव | सामान्य | 4,72.66 | .. | 4,72.66 | .. | 51,33.94 | .. | .. | 51,33.94 | .. |
| | खनिजों पर रायल्टी में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 14,71.65 | .. | .. | 14,71.65 | .. |
| | स्टाम्प शुल्क पर अधिभार में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 5,94.00 | .. | .. | 5,94.00 | .. |
| | प्रवेश कर का हिस्सा में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 1,83.31 | .. | .. | 1,83.31 | .. |
| | प्रधानों को मानदेय/भत्ता | सामान्य | 59.52 | .. | 59.52 | .. | 1,78.56 | .. | .. | 1,78.56 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 14.54 | .. | 14.54 | .. | 15.18 | .. | .. | 15.18 | .. |
| | योग- पंचायत समिति | | 38,24,00.47 | 3,42,10.53 | 41,66,11.00 | .. | 34,60,70.85 | 2,15,14.18 | .. | 36,75,85.03 | .. |
| ग्राम पंचायत | | | | | | | | | | | |
| | राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान | रा.वि.आ. (सा.) | .. | 12,10,96.70 | 12,10,96.70 | .. | .. | 5,72,54.54 | .. | 5,72,54.54 | .. |
| | | रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.) | .. | 3,13,75.75 | 3,13,75.75 | .. | .. | 1,48,34.52 | .. | 1,48,34.52 | .. |
| | | रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.) | .. | 2,37,96.30 | 2,37,96.30 | .. | .. | 1,12,50.90 | .. | 1,12,50.90 | .. |
| | पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध निधि | सामान्य | .. | 3,97,75.73 | 3,97,75.73 | .. | .. | 3,97,75.73 | .. | 3,97,75.73 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,51,85.91 | 1,51,85.91 | .. | .. | 1,51,85.91 | .. | 1,51,85.91 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,11,29.26 | 1,11,29.26 | .. | .. | 1,11,29.26 | .. | 1,11,29.26 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| ग्राम पंचायत – (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| | राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम (मिड डे मिल) | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | .. | 3,68,25.25 | 3,68,25.25 | .. | .. | 63,31.31 | 2,19,94.01 | 2,83,25.32 | .. |
| | | | .. | 1,11,18.34 | 1,11,18.34 | .. | .. | 33,83.11 | 1,20,21.77 | 1,54,04.88 | .. |
| | | | .. | 86,14.20 | 86,14.20 | .. | .. | 26,73.72 | 92,30.06 | 1,19,03.78 | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान | वि.आ.(सा.) | 5,59,64.70 | .. | 5,59,64.70 | .. | 5,12,02.25 | .. | .. | 5,12,02.25 | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य निष्पादित अनुदान | वि.आ.(सा.) | 3,15,93.89 | .. | 3,15,93.89 | .. | 3,49,63.71 | .. | .. | 3,49,63.71 | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र निष्पादित अनुदान | वि.आ.(सा.) | 8,56.86 | .. | 8,56.86 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान | वि.आ.(सा.) | 3,42.36 | .. | 3,42.36 | .. | 3,42.36 | .. | .. | 3,42.36 | .. |
| | कर संग्रहण हेतु अनुदान | सामान्य | 2,78.70 | .. | 2,78.70 | .. | 3,41.00 | .. | .. | 3,41.00 | .. |
| | खनिजों पर रायल्टी में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,04,24.19 | .. | 1,04,24.19 | .. |
| | स्टाम्प शुल्क पर अधिभार में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 42,07.50 | .. | 42,07.50 | .. |
| | भू-रूपान्तरण शुल्क में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 22,00.00 | .. | 22,00.00 | .. |
| | राजीव गांधी सेवा केन्द्र की सुरक्षा हेतु संविदा कार्मिकों को मानदेय | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 19,02.02 | .. | .. | 19,02.02 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|---|--------------|-------------|------------|-------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| ग्राम पंचायत -(समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | माल के प्रवेश कर मे अंश में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 11,50.54 | .. | 11,50.54 | .. |
| | चारागाह भूमि पर अतिक्रमण पर पेनल्टी में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 11,00.00 | .. | 11,00.00 | .. |
| | सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर पेनल्टी में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 11,00.00 | .. | 11,00.00 | .. |
| | भू-राजस्व (रूपान्तरण शुल्क को छोड़कर) में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 11,00.00 | .. | 11,00.00 | .. |
| | तेदू पत्ता तथा अन्य वन्य लघु उत्पादों से आय में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 4,90.65 | .. | 4,90.65 | .. |
| | गैर कानूनी खनिज तथा खनिज क्षेत्र में अतिक्रमण पर पेनल्टी में से समनुदेशन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 2,65.10 | .. | 2,65.10 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 74.00 | .. | 74.00 | .. |
| | योग-ग्राम पंचायत | | 8,90,36.51 | 29,89,17.44 | 38,79,53.95 | .. | 8,87,51.34 | 18,39,30.98 | 4,32,45.84 | 31,59,28.16 | .. |
| सांविधिक निगम | | | | | | | | | | | |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनःभुगतान के लिए अनुदान | सामान्य | 1,54,19.95 | .. | 1,54,19.95 | .. | 1,50,00.00 | .. | .. | 1,50,00.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सांविधिक निगम- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | सुधार सम्बद्ध योजना | सामान्य | .. | 70,00.00 | 70,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जयपुर शहर परिवहन सेवाएं लिमिटेड | शहरी विकास योजना - | सामान्य | .. | 21,15.00 | 21,15.00 | .. | .. | 10,39.85 | .. | 10,39.85 | .. |
| | राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि | अ.जा.उ.यो. | .. | 6,55.00 | 6,55.00 | .. | .. | 9,99.00 | .. | 9,99.00 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,10.00 | 5,10.00 | .. | .. | 7,81.00 | .. | 7,81.00 | .. |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | वी.जी.एफ. के लिए अनुदान | सामान्य | .. | 29,84.98 | 29,84.98 | .. | .. | 5,63.00 | .. | 5,63.00 | .. |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | डीजल पर वेट के पुर्नभरण हेतु अनुदान | सामान्य | 19,05.28 | .. | 19,05.28 | .. | 13,78.95 | .. | .. | 13,78.95 | .. |
| अजमेर शहर परिवहन सेवाएं लिमिटेड | शहरी विकास योजना - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि | सामान्य | .. | 10,00.00 | 10,00.00 | .. | .. | 2,48.70 | .. | 2,48.70 | .. |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | शहरी विकास योजना - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि | अ.जा.उ.यो. | .. | 3,45.95 | 3,45.95 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,43.40 | 3,43.40 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम | लोक स्वास्थ्य के लिए अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 98,39.20 | .. | 98,39.20 | .. |
| राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम | निःशुल्क दवा वितरण योजना | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 24,02.40 | .. | 24,02.40 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 17,58.40 | .. | 17,58.40 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सांविधिक निगम- (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| राजस्थान वित्त निगम | युवा उपक्रम प्रोत्साहन योजना हेतु अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 6,00.00 | .. | 6,00.00 | .. |
| राजस्थान राज्य हेण्डलूम विकास निगम | अनुदान | सामान्य अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,97.49 | .. | 4,97.49 | .. |
| | | | .. | .. | .. | .. | .. | 72.49 | .. | 72.49 | .. |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 5,00.00 | .. | 5,00.00 | .. |
| राज्य मानवाधिकार आयोग | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 2,49.50 | .. | .. | 2,49.50 | .. |
| राज्य सूचना आयोग | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 1,37.24 | .. | .. | 1,37.24 | .. |
| योग- सांविधिक निगम | | | 1,73,25.23 | 1,49,54.33 | 3,22,79.56 | .. | 1,67,65.69 | 1,93,01.53 | .. | 3,60,67.22 | .. |
| सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | |
| अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान | सामान्य | 2,95,18.00 | .. | 2,95,18.00 | .. | 2,20,50.00 | .. | .. | 2,20,50.00 | .. |
| जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान | सामान्य | 2,58,99.00 | .. | 2,58,99.00 | .. | 2,20,50.00 | .. | .. | 2,20,50.00 | .. |
| जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान | सामान्य | 2,17,58.00 | .. | 2,17,58.00 | .. | 2,94,00.00 | .. | .. | 2,94,00.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---|---|--|--------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सरकारी कम्पनियाँ- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम | लोक स्वास्थ्य | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | .. | 1,28,99.93 | 1,28,99.93 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | .. | 32,00.00 | 32,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | | .. | 24,00.00 | 24,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड | अनुदान | सामान्य | .. | 1,00,00.00 | 1,00,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान | सामान्य | 6,56.83 | .. | 6,56.83 | .. | 5,85.05 | .. | .. | 5,85.05 | .. |
| अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान | सामान्य | 3,33.72 | .. | 3,33.72 | .. | 3,85.36 | .. | .. | 3,85.36 | .. |
| जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड | विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान | सामान्य | 2,57.36 | .. | 2,57.36 | .. | 2,35.24 | .. | .. | 2,35.24 | .. |
| राजस्थान लघु स्तरीय उद्योग निगम | औद्योगिक उत्पादकता | सामान्य | .. | 1,20.00 | 1,20.00 | .. | .. | 6,33.04 | .. | 6,33.04 | .. |
| राजस्थान राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,35,00.00 | .. | 1,35,00.00 | .. |
| राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम | ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अनुदान | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,74.00 | .. | 3,74.00 | .. |
| | | | .. | .. | .. | .. | .. | 1,26.00 | .. | 1,26.00 | .. |
| | | | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | .. |
| | अनुसूचित क्षेत्र निवासियों के विकास हेतु विशेष पैकेज अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,00.00 | .. | 3,00.00 | .. |
| राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम | राजस्थान ऊर्जा बचत निधि | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 2,00.00 | .. | 2,00.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | 2013-14 | | | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | |
|--|----------------------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | रूपरेखा से) | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सरकारी कम्पनियाँ- (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 2,00.00 | .. | 2,00.00 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 1,28.16 .. | 65.92 14.05 | 1,94.08 14.05 | | 3,09.96 .. | | | 3,09.96 .. | |
| | योग- सरकारी कम्पनियाँ | | 7,85,51.07 | 2,86,99.90 | 10,72,50.97 | .. | 7,50,15.61 | 1,54,33.04 | .. | 9,04,48.65 | .. |
| गैर सरकारी संगठन | | | | | | | | | | | |
| महाविद्यालय | अनुदान | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 8,54.85 .. | 50.00 81.17 | 9,04.85 81.17 | .. 80.00 | 3,53.04 .. | 1,50.00 .. | | 5,03.04 .. | |
| माध्यमिक विद्यालय | वेतन अनुदान | सामान्य | 9,38.88 | .. | 9,38.88 | .. | 33.35 | .. | .. | 33.35 | .. |
| प्राथमिक विद्यालय | लड़कों के उच्च प्राथमिक विद्यालय | सामान्य | 7,51.39 | .. | 7,51.39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय | अनुदान | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | | 2,93.13 78.04 67.12 | 2,93.13 78.04 67.12 | | | 33.27 7.11 5.49 | 1,16.00 24.47 18.49 | 1,49.27 31.58 23.98 | |
| सैनिक विद्यालय | अनुदान | सामान्य | 1,32.00 | 2,50.00 | 3,82.00 | 2,50.00 | 1,30.00 | 2,00.00 | .. | 3,30.00 | 2,00.00 |
| अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़ | तकनीकी शिक्षा | सामान्य | .. | 1,63.00 | 1,63.00 | 1,63.00 | .. | 50.00 | .. | 50.00 | 50.00 |
| संस्कृत संस्थान | अनुदान | सामान्य | 46.20 | 87.34 | 1,33.54 | .. | 90.06 | 68.17 | .. | 1,58.23 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------|------------|------------|---|--------------|---------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| गैर सरकारी संगठन - (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर | तकनीकी शिक्षा | सामान्य | .. | 1,20.00 | 1,20.00 | 1,20.00 | .. | 50.00 | .. | 50.00 | 50.00 |
| माणक लाल वर्मा टैक्सटাইल इंस्टीट्यूट, भीलवाड़ा | अनुदान | सामान्य | 1,20.00 | .. | 1,20.00 | .. | 2,16.60 | 50.00 | .. | 2,66.60 | 50.00 |
| अभियांत्रिकी तथा तकनीकी महाविद्यालय, बीकानेर | तकनीकी शिक्षा | सामान्य | .. | 1,10.00 | 1,10.00 | 1,10.00 | .. | 50.00 | .. | 50.00 | 50.00 |
| अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 1,59.60 | 1,00.00 | .. | 2,59.60 | 1,00.00 |
| विशिष्ट प्राथमिक विद्यालय | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 2,15.22 | .. | .. | 2,15.22 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 62.49 | 95.00 | 1,57.49 | 95.00 | .. | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | 1,00.00 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 18.00 | .. | 18.00 | .. |
| योग-गैर सरकारी संगठन | | | 29,05.81 | 13,94.80 | 43,00.61 | 8,18.00 | 11,97.87 | 8,82.04 | 1,58.96 | 22,38.87 | 6,00.00 |
| विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं | | | | | | | | | | | |
| सरकारी माध्यमिक विद्यालय | माध्यमिक शिक्षा अभियान | सामान्य | .. | 2,72,67.30 | 2,72,67.30 | 2,69,11.02 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 71,00.24 | 71,00.24 | 71,00.24 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 58,62.11 | 58,62.11 | 52,89.32 | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| सरकारी माध्यमिक विद्यालय | मॉडल स्कूल | सामान्य | .. | 77,96.02 | 77,96.02 | 77,96.02 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 19,77.31 | 19,77.31 | 19,77.31 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 15,25.33 | 15,25.33 | 15,25.33 | .. | .. | .. | .. | .. |
| जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर | अनुदान | सामान्य | 76,78.16 | .. | 76,78.16 | .. | 1,10,00.00 | .. | .. | 1,10,00.00 | .. |
| महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर | कृषि शिक्षा | सामान्य | 60,00.00 | 7,70.00 | 67,70.00 | 7,00.00 | 55,00.00 | 18,54.52 | .. | 73,54.52 | 6,00.00 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 66.60 | 66.60 | .. | .. | 57.86 | .. | 57.86 | .. |
| राजस्थान विश्वविद्यालय | अनुदान | सामान्य | 67,80.00 | .. | 67,80.00 | .. | 75,00.00 | .. | .. | 75,00.00 | .. |
| स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर | कृषि शिक्षा | सामान्य | 53,50.00 | 11,44.00 | 64,94.00 | 4,25.00 | 56,00.00 | 23,30.79 | .. | 79,30.79 | 6,65.00 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,00.00 | .. | 4,00.00 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,38.62 | .. | 2,38.62 | 85.00 |
| पशुपालन विश्वविद्यालय | अनुदान | सामान्य | .. | 34,47.49 | 34,47.49 | 5,83.00 | .. | 28,06.36 | .. | 28,06.36 | 5,30.00 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 11,30.95 | 11,30.95 | 4,02.20 | .. | 8,41.41 | .. | 8,41.41 | 2,45.00 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 7,91.55 | 7,91.55 | 1,64.95 | .. | 7,29.51 | .. | 7,29.51 | 37.00 |
| मदरसा विद्यालय | प्राथमिक शिक्षा | सामान्य | .. | 45,82.73 | 45,82.73 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर | अनुदान | सामान्य | .. | 19,37.92 | 19,37.92 | .. | .. | 7,50.00 | .. | 7,50.00 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 22,70.00 | 22,70.00 | .. | .. | 10,00.00 | .. | 10,00.00 | .. |
| सुखाड़िया विश्वविद्यालय | अनुदान | सामान्य | 31,35.00 | .. | 31,35.00 | .. | 29,99.99 | .. | .. | 29,99.99 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|---|--|--------------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| राजकीय माध्यमिक विद्यालय | लड़कियों का छात्रावास | सामान्य | .. | 18,70.40 | 18,70.40 | 13,98.90 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 5,18.58 | 5,18.58 | 3,87.87 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,80.58 | 3,80.58 | 2,84.64 | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर | अनुदान | सामान्य | .. | 23,18.39 | 23,18.39 | 22,90.00 | .. | 1,31,55.50 | .. | 1,31,55.50 | 1,31,41.00 |
| सरदार पटेल पुलिस सिक्योरिटी तथा क्राइम जस्टिस विश्वविद्यालय जोधपुर | उच्च शिक्षा | सामान्य | .. | 12,16.81 | 12,16.81 | 9,00.00 | .. | 11,93.48 | .. | 11,93.48 | 10,10.00 |
| राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर | शहरी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेद | सामान्य | 1,21.35 | 8,99.97 | 10,21.32 | 5,21.55 | 1,80.00 | 14,87.90 | .. | 16,67.90 | 11,81.32 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 90.00 | 90.00 | .. | .. | 4,57.90 | .. | 4,57.90 | 3,95.90 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 85.00 | 85.00 | .. | .. | 2,55.00 | .. | 2,55.00 | 1,95.00 |
| श्री करण नरेन्द्र विश्वविद्यालय, जोबनेर | कृषि शिक्षा | सामान्य | .. | 10,49.28 | 10,49.28 | 4,86.00 | .. | 2,90.00 | .. | 2,90.00 | 1,80.00 |
| राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | सामान्य | .. | 7,60.00 | 7,60.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,90.00 | 1,90.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| दंत महाविद्यालय तथा अस्पताल | चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-एलोपैथी | सामान्य | 5,05.20 | 1,98.20 | 7,03.40 | .. | 5,05.20 | 1,98.20 | .. | 7,03.40 | .. |
| राजकीय माध्यमिक विद्यालय | व्यावसायिक शिक्षा (आर ए एम एस ए) | सामान्य | .. | 3,88.70 | 3,88.70 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,31.74 | 1,31.74 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,02.77 | 1,02.77 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------|---------|---------|---|--------------|---------|------------|---------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| खुला विश्वविद्यालय कोटा | उच्च शिक्षा | सामान्य | 6,00.00 | .. | 6,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर | अनुसंधान | सामान्य | .. | 5,24.66 | 5,24.66 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| श्री कर्ण नरेन्द्र विश्वविद्यालय, जोबनेर | अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,03.81 | 5,03.81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर | अनुदान | सामान्य | 4,25.00 | .. | 4,25.00 | .. | 6,49.43 | .. | .. | 6,49.43 | .. |
| संस्कृत विश्वविद्यालय | अनुदान | सामान्य | 2,60.00 | 1,43.95 | 4,03.95 | 1,28.73 | 2,60.00 | 3,48.58 | .. | 6,08.58 | 3,37.58 |
| महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर | तकनीकी शिक्षा | सामान्य | .. | 3,00.00 | 3,00.00 | 3,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| कृषि विश्वविद्यालय, कोटा | कृषि शिक्षा | सामान्य | .. | 2,82.00 | 2,82.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर | अनुसंधान | सामान्य | .. | 2,48.54 | 2,48.54 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | सामान्य | .. | 2,44.00 | 2,44.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर | कृषि शिक्षा | सामान्य | .. | 2,11.05 | 2,11.05 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---|---------------------|--|--------------|---------|---------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान | उच्च शिक्षा | सामान्य | .. | 2,03.42 | 2,03.42 | .. | .. | 1,75.63 | .. | 1,75.63 | .. |
| बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर | उच्च शिक्षा | सामान्य | .. | 2,00.00 | 2,00.00 | 2,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| शेखावत विश्वविद्यालय, सीकर | उच्च शिक्षा | सामान्य | .. | 1,75.67 | 1,75.67 | 75.00 | 2,25.93 | 1,97.98 | .. | 4,23.91 | 50.00 |
| विधि विश्वविद्यालय | उच्च शिक्षा | सामान्य | .. | 1,55.00 | 1,55.00 | 1,55.00 | .. | 3,10.00 | .. | 3,10.00 | 3,10.00 |
| बीकानेर विश्वविद्यालय | उच्च शिक्षा | सामान्य | .. | 1,19.65 | 1,19.65 | 1,19.65 | .. | 1,66.00 | .. | 1,66.00 | 1,66.00 |
| राजीव गाँधी अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर | उच्च शिक्षा | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,08.00 | 1,08.00 | .. | .. | 53.52 | .. | 53.52 | .. |
| कोटा विश्वविद्यालय | उच्च शिक्षा | सामान्य | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | 1,00.00 |
| मछली पालन विश्वविद्यालय, अलवर | उच्च शिक्षा | सामान्य | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | 1,11.66 | .. | 1,11.66 | 30.00 |
| शिक्षा विभाग | सर्व शिक्षा अभियान* | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 7,65,83.05 | .. | 7,65,83.05 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,23,72.93 | .. | 2,23,72.93 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,39,43.99 | .. | 1,39,43.99 | .. |
| | | वि.आ.(सा.) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,75,38.60 | .. | 2,75,38.60 | .. |
| | | वि.आ.(अ.जा.उ.यो.) | .. | .. | .. | .. | .. | 68,95.00 | .. | 68,95.00 | .. |
| | | वि.आ.(ज.जा.उ.यो.) | .. | .. | .. | .. | .. | 49,66.40 | .. | 49,66.40 | .. |

* चालू वर्ष की राशियों को "शिक्षा" श्रेणी के अन्तर्गत दिखाया गया है।

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---|---|--|--------------|------------|-------------|---|--------------|-------------|------------|-------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| शिक्षा कर्मी बोर्ड | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 55,08.00 | .. | .. | 55,08.00 | .. |
| | महाविद्यालय स्तरीय लड़कों तथा लड़कियों को शिक्षा प्रोत्साहन हेतु अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 9,55.63 | .. | 9,55.63 | .. |
| साहित्य अकादमी | आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का उत्थान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 64.60 | 2,20.55 | .. | 2,85.15 | 1,75.58 |
| राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी | भारतीय भाषा में साहित्य के लिए अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 94.94 | 13.11 | .. | 1,08.05 | .. |
| डा.भीम राव अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय, जयपुर | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,06.55 | .. | 1,06.55 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 2,67.28 | 2,10.09 | 4,77.37 | .. | 1,09.35 | 3,78.89 | .. | 4,88.24 | 8.00 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 16.95 | .. | 16.95 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | योग-विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं | | 3,11,21.99 | 8,16,99.81 | 11,28,21.80 | 6,03,21.73 | 4,01,97.44 | 18,35,02.07 | .. | 22,36,99.51 | 1,94,42.38 |
| सहकारी संस्थाएं | | | | | | | | | | | |
| | सहकारी समितियों के अच्छे देनदारों को ब्याज अनुदान | सामान्य | .. | 2,60,04.00 | 2,60,04.00 | .. | .. | 1,46,83.94 | .. | 1,46,83.94 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 63,49.00 | 63,49.00 | .. | .. | 20,92.59 | .. | 20,92.59 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 46,47.00 | 46,47.00 | .. | .. | 15,23.08 | .. | 15,23.08 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सहकारी संस्थाएं-- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | ब्याज भुगतान के लिए सहायता | सामान्य | .. | 1,08,04.50 | 1,08,04.50 | .. | .. | 1,16,13.29 | .. | 1,16,13.29 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 26,26.50 | 26,26.50 | .. | .. | 30,33.39 | .. | 30,33.39 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 19,19.00 | 19,19.00 | .. | .. | 21,43.35 | .. | 21,43.35 | .. |
| राजफैड | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु अनुदान | सामान्य | .. | 13,20.00 | 13,20.00 | .. | .. | 8,20.00 | .. | 8,20.00 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 10,80.00 | 10,80.00 | .. | .. | 1,80.00 | .. | 1,80.00 | .. |
| दुग्ध सहकारी समिति | प्रोत्साहन अनुदान | सामान्य | .. | 12,05.50 | 12,05.50 | .. | .. | 1,45,00.00 | .. | 1,45,00.00 | .. |
| ग्राम सेवा सहकारी समिति | अनुदान | सामान्य | .. | 10,00.00 | 10,00.00 | 10,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| सहकारी संस्थाएं | एकीकृत सहकारी विकास | सामान्य | .. | 7,24.98 | 7,24.98 | .. | .. | 2,97.74 | 10,38.06 | 13,35.80 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 60.00 | 60.00 | .. | .. | 80.15 | .. | 80.15 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,08.26 | 2,08.26 | .. | .. | 89.22 | 2,04.01 | 2,93.23 | .. |
| | गैर सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण | सामान्य | 1,50.00 | .. | 1,50.00 | .. | 68.00 | .. | .. | 68.00 | .. |
| राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ | अनुदान | सामान्य | .. | 1,15.00 | 1,15.00 | .. | .. | .. | 1,50.00 | 1,50.00 | .. |
| ग्राम सेवा सहकारी समिति | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 15,00.00 | .. | 15,00.00 | .. |
| स्पिन फैड | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 5,00.00 | .. | 5,00.00 | .. |
| | के.वी.एस.एस. के लिए अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,02.83 | .. | 1,02.83 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सहकारी संस्थाएं – (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 71.00 | 1,19.63 | 1,90.63 | 74.12 | 32.50 | 31.98 | .. | 64.48 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 4.26 | 4.26 | .. | .. | 3.35 | .. | 3.35 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 3.35 | 3.35 | .. | .. | 2.17 | .. | 2.17 | .. |
| | योग-सहकारी संस्थाएं | | 2,21.00 | 5,81,90.98 | 5,84,11.98 | 10,74.12 | 1,00.50 | 5,31,97.08 | 13,92.07 | 5,46,89.65 | .. |
| विकास प्राधिकरण | | | | | | | | | | | |
| राजस्थान अ.जा./ज.जा. विकास निगम | अनुदान | अ.जा.उ.यो. | .. | 5,00.00 | 5,00.00 | .. | .. | 5,00.00 | .. | 5,00.00 | .. |
| बी.ए.आई.एफ. | अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,12.86 | 1,12.86 | .. | .. | 1,18.00 | .. | 1,18.00 | .. |
| | जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया विकास के लिए सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,00.00 | .. | 32,00.00 | .. |
| | कृषि विकास योजनाएं तथा उपकरण | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 23,27.80 | .. | 23,27.80 | .. |
| | अनुसूचित जन जाति की नयी योजनाओं के लिए अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 20,00.00 | .. | 20,00.00 | .. |
| राजस संघ | जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिए अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 15,46.87 | .. | 15,46.87 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------|--------|-----|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| विकास प्राधिकरण- (क्रमश) | | | | | | | | | | | |
| आवासीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय | संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के माध्यम से अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 12,30.60 | .. | 12,30.60 | .. |
| | लोक स्वास्थ्य हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 11,96.06 | .. | 11,96.06 | .. |
| | कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,80.00 | .. | 8,80.00 | .. |
| | सहरिया विकास के अन्तर्गत माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन (जन जाति कल्याण निधि) | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,26.56 | .. | 8,26.56 | .. |
| | माडा के अन्तर्गत आश्रम छात्रवासों का संचालन (जनजाति कल्याण निधि) | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,05.50 | .. | 5,05.50 | .. |
| राजस्थान वक्फ बोर्ड | अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | 10.00 | 4,27.73 | .. | 4,37.73 | .. |
| | सहरिया विकास के अन्तर्गत माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन (के.प्र.यो.) | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,29.60 | 4,29.60 | .. |
| | विद्युत्/डीजल पम्प सेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,00.00 | .. | 3,00.00 | .. |
| | पशुपालन परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,87.83 | .. | 2,87.83 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------|--------|-----|---|--------------|---------|------------|---------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| विकास प्राधिकरण- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| | जनजाति उपयोजना, माड़ा तथा सहरिया के अतिरिक्त विद्युत्/डीजल पम्प सेट वितरण, कुंओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाईप लाईन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,34.00 | .. | 2,34.00 | .. |
| | संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अन्तर्गत छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,00.00 | .. | 2,00.00 | .. |
| | अनुप्रति योजना के अन्तर्गत सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,51.92 | .. | 1,51.92 | .. |
| | केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत संचालित सहरिया विकास की सी सी डी योजना के अन्तर्गत सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी को मानदेय | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,43.84 | .. | 1,43.84 | .. |
| | माड़ा क्षेत्र विकास के अन्तर्गत आवासीय विद्यालय का संचालन (जनजाति कल्याण निधि) | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,41.10 | .. | 1,41.10 | .. |
| | काथौड़ी विकास परियोजना के लिए अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,39.20 | .. | 1,39.20 | .. |
| | माड़ा के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,26.99 | .. | 1,26.99 | .. |
| | माड़ा के अन्तर्गत पशुपालन परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,25.00 | .. | 1,25.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---|--------------|----------------|------------|----------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| विकास प्राधिकरण- (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | विद्युत्, डीजल पम्प सेट के वितरण के लिए अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,15.00 | .. | 1,15.00 | .. |
| | माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों को शिक्षण प्रोत्साहन हेतु अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,06.00 | .. | 1,06.00 | .. |
| | माड़ा के अन्तर्गत कृषि विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,05.00 | .. | 1,05.00 | .. |
| | स्व रोजगार हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | .. |
| | माड़ा के अन्तर्गत कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | .. |
| | माड़ा क्षेत्र विकास के अन्तर्गत कौशल विकास हेतु अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | .. |
| | माड़ा तथा सहरिया के अतिरिक्त जनजाति क्षेत्र सामुदायिक विकास हेतु दक्ष मेन शिप विकास के लिए गैर वेतनिक अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 21.03 .. | 25.00 34.00 | 46.03 34.00 | | .. 52.70 | .. 17,08.46 | | .. 17,61.16 | |
| | योग-विकास प्राधिकरण | | 21.03 | 6,71.86 | 6,92.89 | .. | 62.70 | 1,88,99.62 | 5,73.44 | 1,95,35.76 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| राज्य विधान सभा | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 13.43 | .. | 13.43 | .. | 13.53 | .. | .. | 13.53 | .. |
| | | योग-राज्य विधान | 13.43 | .. | 13.43 | .. | 13.53 | .. | .. | 13.53 | .. |
| न्याय प्रशासन | | | | | | | | | | | |
| बार परिषद् | अनुदान | सामान्य | 1,05.16 | .. | 1,05.16 | .. | 5,58.29 | .. | .. | 5,58.29 | .. |
| | राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 1,00.00 | .. | .. | 1,00.00 | .. |
| | | योग-न्याय प्रशासन | 1,05.16 | .. | 1,05.16 | .. | 6,58.29 | .. | .. | 6,58.29 | .. |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | | | | | | | | | | | |
| | राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति- निवेश सहाय्य | सामान्य | .. | 1,74,63.99 | 1,74,63.99 | .. | .. | 96,42.76 | .. | 96,42.76 | .. |
| | राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति- नई/नवाचार योजनाएं | सामान्य | .. | 1,35,34.76 | 1,35,34.76 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-ब्याज अनुदान | सामान्य | .. | 93,54.39 | 93,54.39 | .. | .. | 1,18,42.71 | .. | 1,18,42.71 | .. |
| | राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-मजदूरी/ रोजगार अनुदान | सामान्य | .. | 37,63.73 | 37,63.73 | .. | .. | 53,46.74 | .. | 53,46.74 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---|---|--|--------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर – (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति- रोजगार सर्जन सहाय्य | सामान्य | .. | 4,87.09 | 4,87.09 | .. | .. | 1,85.35 | .. | 1,85.35 | .. |
| योग-बिक्री, व्यापार आदि पर कर | | | .. | 4,46,03.96 | 4,46,03.96 | .. | .. | 2,70,17.56 | .. | 2,70,17.56 | .. |
| पुलिस | | | | | | | | | | | |
| | पुलिस विभाग के कार्मिकों को विशेष अनुदान | सामान्य | 3,78.98 | .. | 3,78.98 | .. | 3,91.26 | .. | .. | 3,91.26 | .. |
| योग-पुलिस | | | 3,78.98 | .. | 3,78.98 | .. | 3,91.26 | .. | .. | 3,91.26 | .. |
| जेल | | | | | | | | | | | |
| | अनुदान | सामान्य | 1,81.47 | .. | 1,81.47 | .. | 1,49.21 | .. | .. | 1,49.21 | .. |
| योग-जेल | | | 1,81.47 | .. | 1,81.47 | .. | 1,49.21 | .. | .. | 1,49.21 | .. |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम योजनाएं | सामान्य | 85.56 | .. | 85.56 | .. | 68.19 | 25.00 | .. | 93.19 | .. |
| योग-अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | | 85.56 | .. | 85.56 | .. | 68.19 | 25.00 | .. | 93.19 | .. |

परिशिष्ट संख्या III –(क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|----------------------|---|--|--------------|-------------|-------------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| विविध सामान्य सेवाएं | एक करोड़ से कम योजनाएं | सामान्य | 66.77 | .. | 66.77 | .. | 34.00 | .. | .. | 34.00 | .. |
| | योग-विविध सामान्य सेवाएं | | 66.77 | .. | 66.77 | .. | 34.00 | .. | .. | 34.00 | .. |
| शिक्षा | सर्व शिक्षा अभियान * | सामान्य | .. | 25,22,80.19 | 25,22,80.19 | 1,21,07.80 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 6,49,21.93 | 6,49,21.93 | 24,11.61 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,38,63.02 | 5,38,63.02 | 18,61.74 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | वि.आ.(सा.) | .. | 2,78,27.15 | 2,78,27.15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | वि.आ.(अ.जा.उ.यो.) | .. | 74,43.00 | 74,43.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | वि.आ.(ज.जा.उ.यो.) | .. | 56,29.50 | 56,29.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| शिक्षा कर्मी बोर्ड | प्राथमिक शिक्षा | सामान्य | 57,09.00 | .. | 57,09.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | साक्षर भारत अभियान | सामान्य | .. | 30,37.70 | 30,37.70 | .. | .. | 9,27.93 | .. | 9,27.93 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 6,24.00 | 6,24.00 | .. | .. | 2,67.80 | .. | 2,67.80 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,33.84 | 3,33.84 | .. | .. | 1,43.27 | .. | 1,43.27 | .. |
| | माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | .. | 37,18.41 | 37,18.41 | .. | .. | 27,52.40 | .. | 27,52.40 | .. |
| | महाविद्यालय छात्रों को प्रोत्साहन | ज.जा.उ.यो. | .. | 17,55.94 | 17,55.94 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | माध्यमिक स्तर के छात्रों को प्रोत्साहन (जनजाति कल्याण निधि) | ज.जा.उ.यो. | .. | 11,31.04 | 11,31.04 | .. | .. | 9,28.62 | .. | 9,28.62 | .. |

* गत वर्ष की राशियां “विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं” श्रेणी के अन्तर्गत दिखायी गयी हैं।

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| शिक्षा – (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| मदरसा बोर्ड | प्राथमिक शिक्षा | सामान्य | .. | 1,52.68 | 1,52.68 | .. | .. | 2,06.86 | .. | 2,06.86 | 96.86 |
| | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 62,33.34 | .. | 62,33.34 | 62,33.34 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 16,02.67 | .. | 16,02.67 | 16,02.67 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 10,68.69 | .. | 10,68.69 | 10,68.69 |
| | मदरसा विद्यालय | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 27,39.20 | 4,31.31 | 31,70.51 | 96.10 |
| | मॉडल विद्यालय | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 2,93.81 | .. | 2,93.81 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,13.86 | .. | 2,13.86 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,18.86 | .. | 5,18.86 | .. |
| | लड़कियों के छात्रावास | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 67.67 | 6,09.05 | 6,76.72 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.35 | 12.20 | 13.55 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.62 | 77.44 | 86.06 | .. |
| | मुफ्त स्कूटी वितरण योजना के लिए अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,31.09 | .. | 1,31.09 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 0.70 | .. | 0.70 | .. | 0.75 | 34.72 | .. | 35.47 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 16.84 | 16.84 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | योग-शिक्षा | | 57,09.70 | 42,27,35.24 | 42,84,44.94 | 1,63,81.15 | 0.75 | 1,81,40.76 | 11,30.00 | 1,92,71.51 | 90,97.66 |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| तकनीकी शिक्षा | | | | | | | | | | | |
| | तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | | 13,53.79 2,61.40 1,30.81 | 13,53.79 2,61.40 1,30.81 | | | 2,13.80 40.80 20.40 | 6,41.40 1,22.40 61.20 | 8,55.20 1,63.20 81.60 | |
| | योग-तकनीकी शिक्षा | | .. | 17,46.00 | 17,46.00 | .. | .. | 2,75.00 | 8,25.00 | 11,00.00 | .. |
| खेल कूद तथा युवा सेवाएं | | | | | | | | | | | |
| राजस्थान खेल परिषद् | राजस्थान खेल परिषद् के लिए अनुदान | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | 17,90.50 .. 10.00 | 1,53.25 1,05.00 1,10.75 | 19,43.75 1,05.00 1,20.75 | | 15,70.00 .. 6.00 | 4,40.00 97.35 1,02.65 | | 20,10.00 97.35 1,08.65 | |
| | शारीरिक शिक्षा-विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम | सामान्य | .. | 10,20.74 | 10,20.74 | .. | .. | 19,52.66 | .. | 19,52.66 | .. |
| राजस्थान भारत स्काउट एवं गाइड | छात्रों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | 5,48.00 | 2,57.96 75.67 50.54 | 8,05.96 75.67 50.54 | | 5,23.00 | 5,52.55 81.39 65.90 | | 10,75.55 81.39 65.90 | 2,23.31 44.62 33.09 |
| | छात्रों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम-महाविद्यालयों के लिये राष्ट्रीय सेवा योजना | सामान्य | .. | 3,56.52 | 3,56.52 | .. | .. | 1,33.09 | 1,86.33 | 3,19.42 | .. |
| | छात्रों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना | सामान्य | .. | 3,54.50 | 3,54.50 | .. | .. | 74.22 | 1,03.91 | 1,78.13 | .. |
| | योग-खेल कूद तथा युवा सेवाएं | | 23,48.50 | 24,84.93 | 48,33.43 | .. | 20,99.00 | 34,99.81 | 2,90.24 | 58,89.05 | 3,01.02 |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| कला एवं संस्कृति | | | | | | | | | | | |
| आमेर विकास तथा प्रबंध प्राधिकरण | कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन | सामान्य | 15,72.00 | .. | 15,72.00 | 4,93.00 | 12,00.00 | .. | .. | 12,00.00 | 3,15.00 |
| जवाहर कला केन्द्र | कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन | सामान्य | 1,54.09 | 1,77.83 | 3,31.92 | 52.54 | 1,45.00 | 1,57.87 | .. | 3,02.87 | 47.87 |
| रवीन्द्र मंच | कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन | सामान्य | 85.00 | 2,05.00 | 2,90.00 | 2,05.00 | 74.00 | .. | .. | 74.00 | .. |
| राजस्थान घोरोहर संरक्षण तथा प्रन्नोति प्राधिकरण, जयपुर | कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन | सामान्य | .. | 2,87.95 | 2,87.95 | 2,06.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| संगीत नाटक अकादमी | कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन | सामान्य | 82.50 | 1,22.60 | 2,05.10 | .. | 96.70 | 5,93.75 | .. | 6,90.45 | .. |
| स्वायत्तशाषी निकायों तथा स्वेच्छिक अभिकरण | कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन | सामान्य | .. | 1,50.00 | 1,50.00 | .. | .. | 2,47.12 | .. | 2,47.12 | .. |
| ललित कला अकादमी | कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन | सामान्य | 61.54 | 44.21 | 1,05.75 | .. | 60.50 | 38.20 | .. | 98.70 | .. |
| भारत लोक कला मण्डल | कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन | सामान्य | 92.82 | 11.25 | 1,04.07 | 11.25 | 80.00 | 11.25 | .. | 91.25 | 11.25 |
| कथक केन्द्र | कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन | सामान्य | 88.50 | 15.00 | 1,03.50 | .. | 87.99 | 16.25 | .. | 1,04.24 | 1.25 |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | अ.जा.उ.यो. | 3.55 | 13.32 | 16.87 | .. | 2.05 | 18.00 | .. | 20.05 | .. |
| योग-कला एवं संस्कृति | | | 21,40.00 | 10,27.16 | 31,67.16 | 9,67.79 | 17,46.24 | 10,82.44 | .. | 28,28.68 | 3,75.37 |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| चिकित्सा तथा स्वास्थ्य | | | | | | | | | | | |
| | प्रधान कार्यालय स्थापना- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 6,80.00 .. | 24,77.90 21,00.00 | 31,57.90 21,00.00 | | 7,80.00 .. | 23,45.40 20,37.25 | | 31,25.40 20,37.25 | |
| | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | | 27,43.81 10,92.73 12,67.45 | 27,43.81 10,92.73 12,67.45 | | | 32,96.74 8,94.28 7,27.08 | | 32,96.74 8,94.28 7,27.08 | |
| | अन्य सामान्य अस्पताल तथा औषधालय को अनुदान | सामान्य | | 37,50.00 | 37,50.00 | | | 16,43.77 | | 16,43.77 | |
| | राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम | सामान्य | | 21,00.39 | 21,00.39 | | | .. | | .. | |
| | राज्य कर्मचारी बीमा योजना-क्षतिपूर्ति (लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मचारियों सहित) | सामान्य | 6,37.43 | .. | 6,37.43 | .. | 5,43.90 | .. | .. | 5,43.90 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 21.68 | 75.55 | 97.23 | .. | 25.00 | 1,73.60 | 5.00 | 2,03.60 | .. |
| | योग-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य | | 13,39.11 | 1,56,07.83 | 1,69,46.94 | .. | 13,48.90 | 1,11,18.12 | 5.00 | 1,24,72.02 | .. |
| परिवार नियोजन | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | | 33.99 | 33.99 | | | .. | | .. | |
| | योग- परिवार नियोजन | | | 33.99 | 33.99 | | | .. | | .. | |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| शहरी विकास | | | | | | | | | | | |
| | राजस्थान शहरी विकास कोष | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 31,64.85 | .. | 31,64.85 | 31,64.85 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,50.15 | .. | 7,50.15 | 7,50.15 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,85.00 | .. | 5,85.00 | 5,85.00 |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 32.19 | .. | 32.19 | .. | 40.51 | .. | .. | 40.51 | .. |
| | | योग-शहरी विकास | 32.19 | .. | 32.19 | .. | 40.51 | 45,00.00 | .. | 45,40.51 | 45,00.00 |
| सूचना एवं प्रचार | | | | | | | | | | | |
| | निदेशन तथा प्रशासन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 5,00.00 | .. | .. | 5,00.00 | .. |
| | | योग-सूचना एवं प्रचार | .. | .. | .. | .. | 5,00.00 | .. | .. | 5,00.00 | .. |
| सामाजिक न्याय | | | | | | | | | | | |
| | अनुसूचित जनजाति उप-योजना को अनुदान | सामान्य | .. | 54,88.12 | 54,88.12 | .. | .. | .. | 31,83.58 | 31,83.58 | .. |
| | कृषि विकास योजनाएं तथा उपकरण | ज.जा.उ.यो. | .. | 24,10.00 | 24,10.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य के लिए सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 16,94.31 | 16,94.31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | |
|--------------|-------|--|--------------|--------|-----|---|--------------|--------|------------|-----|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग |

(₹ लाख में)

सामाजिक न्याय- (क्रमशः)

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं - एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन | ज.जा.उ.यो. | .. | 14,31.80 | 14,31.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत संचालित योजनाओं - सहरिया विकास की सी सी डी योजनाओं के अन्तर्गत माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | .. | 9,44.50 | 9,44.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पशुपालन परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 8,37.14 | 8,37.14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| अनुसूचित जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति विकास हेतु नवाचार/नई योजनाएं | ज.जा.उ.यो. | .. | 7,00.00 | 7,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 6,41.25 | 6,41.25 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया विकास हेतु एकीकृत परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 6,18.85 | 6,18.85 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| केन्द्रीय प्रायोजित योजना-वन बन्धु कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन के अंतर्गत योजनाओं का संचालन | ज.जा.उ.यो. | .. | 6,00.00 | 6,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|---------|---------|---|--------------|--------|------------|-----|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सामाजिक न्याय- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| | विद्युत्/डीजल पम्प सेटों के वितरण, कुँओं का विद्युतीकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/फव्वारे सेट के लिए सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 4,15.01 | 4,15.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | जनजाति कल्याण निधि के अंतर्गत सहरिया विकास हेतु माँ बाँडी केन्द्रों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | .. | 4,00.00 | 4,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजना-आधार रेखा सर्वेक्षण | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,00.00 | 3,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | माडा तथा सहरिया क्षेत्र के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु कौशल विकास परियोजनाएं | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,52.75 | 2,52.75 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजना-छात्रावासों में सोलर विद्युतीकरण | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,50.00 | 2,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनुदान | ज.जा.उ.यो. | 2,40.79 | .. | 2,40.79 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | माडा सहरिया क्षेत्र के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु विद्युत्/डीजल पम्प सेटों के वितरण, कुँओं का विद्युतीकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/फव्वारे सेट के लिए सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,34.00 | 2,34.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------|---------|---------|---|--------------|--------|------------|-----|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सामाजिक न्याय- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| | विशेष कार्यक्रम (टी. डब्ल्यू. एफ.) के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,18.02 | 2,18.02 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | विशेष कार्यक्रम (टी. डब्ल्यू. एफ.) के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए आश्रम हॉस्टल का संचालन | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,15.00 | 2,15.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | विशेष कार्यक्रम (टी. डब्ल्यू. एफ.) के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तरीय छात्रों को शैक्षणिक प्रोत्साहन | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,07.00 | 2,07.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | स्व-रोजगार हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,00.00 | 2,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विकास वितरित हेतु माध्यमिक शिक्षा स्तरीय छात्रों को शैक्षणिक प्रोत्साहन | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,78.68 | 1,78.68 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | वेडीज का विकास | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,50.00 | 1,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजना- छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,50.00 | 1,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------|---------|---------|---|--------------|--------|------------|-------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सामाजिक न्याय- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत योजनायें-परियोजना निर्माण | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,50.00 | 1,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | माडा के अंतर्गत कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,50.00 | 1,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | विभागीय योजनाओं का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,50.00 | 1,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अनुप्रति योजना | अ.जा.उ.यो. | .. | 42.40 | 42.40 | .. | .. | 84.62 | .. | 84.62 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 98.92 | 98.92 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | माडा के अंतर्गत पशुपालन परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,35.00 | 1,35.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | माडा के अन्तर्गत विद्युत/डीजल पम्प सेट का वितरण, कुँओं का विद्युतीकरण, पी वी सी पाइप लाइन तथा ड्रिप/सिंप्रकलर सेट हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,15.00 | 1,15.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | जनजाति कल्याण निधि के अंतर्गत काठोड़ी विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,12.58 | 1,12.58 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग | अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण | सामान्य | 1,00.16 | .. | 1,00.16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | माडा के अन्तर्गत कृषि विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------|------------|------------|---|--------------|---------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सामाजिक न्याय- (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | माडा तथा सहरिया क्षेत्र के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु पशुपालन परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजना-छात्रावासों में पर्यावरणीय सुधार | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | वनारोपण के लिये सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,20.00 | .. | 7,20.00 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 52.00 | 1,07.06 | 1,59.06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 23.94 | 27.72 | 51.66 | .. | 34.00 | 17.16 | .. | 51.16 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 50.00 | 12,60.87 | 13,10.87 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | योग-सामाजिक न्याय | | 4,66.89 | 2,11,85.98 | 2,16,52.87 | .. | 34.00 | 8,21.78 | 31,83.58 | 40,39.36 | .. |
| श्रम तथा रोजगार | | | | | | | | | | | |
| | भवन तथा अन्य निर्माण श्रम कल्याण मण्डल, राजस्थान | सामान्य | 2,51,95.36 | .. | 2,51,95.36 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना | सामान्य | .. | 26,44.73 | 26,44.73 | .. | .. | 6,59.95 | .. | 6,59.95 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 6,44.94 | 6,44.94 | .. | .. | 1,20.94 | .. | 1,20.94 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 6,40.66 | 6,40.66 | .. | .. | 92.79 | .. | 92.79 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|----------|------------|---|--------------|---------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| श्रम तथा रोजगार – (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | .. | 1.28 | 1.28 | .. | .. | 5.94 | .. | 5.94 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 0.18 | 0.18 | .. | .. | 0.99 | .. | 0.99 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | 0.01 | .. | .. | 0.21 | .. | 0.21 | .. |
| | योग-श्रम तथा रोजगार | | 2,51,95.36 | 39,31.80 | 2,91,27.16 | .. | .. | 8,80.82 | .. | 8,80.82 | .. |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | | | | | | | | | | | |
| | एकीकृत बाल सुरक्षा योजना | सामान्य | .. | 47,37.69 | 47,37.69 | .. | .. | 7,95.57 | 22,20.19 | 30,15.76 | .. |
| | मुख्यमंत्री सहायता कोष से सड़क दुर्घटना प्राकृति दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना आदि के लिए सहायता | सामान्य | .. | 9,00.00 | 9,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | मानसिक अपंगों के पुर्नवास के लिए मकान हेतु अनुदान | सामान्य | .. | 6,27.60 | 6,27.60 | .. | .. | 3,70.96 | .. | 3,70.96 | .. |
| राज्य मानवाधिकार आयोग | समाज कल्याण | सामान्य | 3,00.00 | .. | 3,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | राज्य कानून सेवा कमीशन की सिफारिश के अन्तर्गत प्रभावितों को अनुदान | सामान्य | 1,97.99 | .. | 1,97.99 | .. | 1,37.25 | .. | .. | 1,37.25 | .. |
| राज्य महिला आयोग | महिला कल्याण के लिए अनुदान | सामान्य | 1,57.90 | .. | 1,57.90 | .. | 1,35.00 | .. | .. | 1,35.00 | .. |
| | बीमार सैनिकों के लिए कारगिल पैकेज के अन्तर्गत सहायता | सामान्य | 1,40.00 | .. | 1,40.00 | .. | 1,05.00 | .. | .. | 1,05.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|---|---|--|---------------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------------------|------------|---------------------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| राज्य सूचना आयोग | समाज कल्याण | सामान्य | 1,18.00 | .. | 1,18.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण हेतु निशक्त:जनों को अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 4,18.24 | .. | 4,18.24 | .. |
| | महिला स्व सहयोग समूह को ब्याज हेतु अनुदान | सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,75.16 67.40 53.00 | .. | 1,75.16 67.40 53.00 | .. |
| | युद्ध विधवा छात्रावासों तथा पुर्नवास केन्द्रों के संचालन हेतु स्थापित कोरपस निधि में अंशदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 2,00.00 | .. | 2,00.00 | .. |
| | एक करोड़ से कम योजनाएं | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 1,47.12 .. | 1,71.47 2.50 | 3,18.59 2.50 | .. | 1,04.59 | 1,14.76 | .. | 2,19.35 | .. |
| | योग-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | | 10,61.01 | 64,39.26 | 75,00.27 | .. | 4,81.84 | 21,95.09 | 22,20.19 | 48,97.12 | .. |
| एकीकृत बाल विकास | | | | | | | | | | | |
| | एकीकृत बाल विकास योजना | सामान्य | .. | 3,16.15 | 3,16.15 | .. | .. | 1,40.00 | 2,06.37 | 3,46.37 | .. |
| | योग-एकीकृत बाल विकास | | .. | 3,16.15 | 3,16.15 | .. | .. | 1,40.00 | 2,06.37 | 3,46.37 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--------------|--------|------------|---|--------------|--------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत | | | | | | | | | | | |
| | छोटे तथा मध्यम कृषकों को ओलावृष्टि द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान | सामान्य | 4,20,71.92 | .. | 4,20,71.92 | .. | 34,09.81 | .. | .. | 34,09.81 | .. |
| | छोटे तथा मध्यम कृषकों के लिए कृषि फसल, बागवानी फसल तथा वार्षिक लीज फसल हेतु कृषि आवक अनुदान | सामान्य | 3,87,52.56 | .. | 3,87,52.56 | .. | 5,22,97.92 | .. | .. | 5,22,97.92 | .. |
| | छोटे तथा मध्यम कृषकों के अतिरिक्त ओलावृष्टि द्वारा फसल हानि हेतु कृषि का हस्तांतरण अनुदान | सामान्य | 3,24,67.87 | .. | 3,24,67.87 | .. | 25,18.27 | .. | .. | 25,18.27 | .. |
| | छोटे तथा मध्यम कृषकों के अतिरिक्त फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान | सामान्य | 2,18,33.31 | .. | 2,18,33.31 | .. | 2,59,64.23 | .. | .. | 2,59,64.23 | .. |
| | पशु शिविर/गौशाला | सामान्य | 1,45,74.41 | .. | 1,45,74.41 | .. | 21,90.91 | .. | .. | 21,90.91 | .. |
| | बाढ़ से आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता | सामान्य | 7,27.80 | .. | 7,27.80 | .. | 3,28.92 | .. | .. | 3,28.92 | .. |
| | अग्नि सहायता | सामान्य | 5,60.04 | .. | 5,60.04 | .. | 4,53.77 | .. | .. | 4,53.77 | .. |
| | बाढ़ से पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिए सहायता | सामान्य | 3,24.30 | .. | 3,24.30 | .. | 1,84.69 | .. | .. | 1,84.69 | .. |
| | अन्य सहायता | सामान्य | 2,44.68 | 0.28 | 2,44.96 | .. | 5,93.75 | .. | .. | 5,93.75 | .. |
| | बाढ़ से अधिक क्षतिग्रस्त हुये कच्चे घरों के लिए सहायता | सामान्य | 2,31.46 | .. | 2,31.46 | .. | 80.08 | .. | .. | 80.08 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|---|--|--------------|------------|-------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत- (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | वृद्ध, अपंग तथा अनाथ बच्चों के लिए सहायता | सामान्य | 1,61.77 | .. | 1,61.77 | .. | 3,37.64 | .. | .. | 3,37.64 | .. |
| | बाढ़ से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये पक्के घरों के लिए सहायता | सामान्य | 1,02.31 | .. | 1,02.31 | .. | 18.30 | .. | .. | 18.30 | .. |
| | पशु पोषण केन्द्र | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 5,71.50 | .. | .. | 5,71.50 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 1,95.30 | .. | 1,95.30 | .. | 1,08.19 | .. | .. | 1,08.19 | .. |
| | योग-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत | | 15,22,47.73 | 0.28 | 15,22,48.01 | .. | 8,90,57.98 | .. | .. | 8,90,57.98 | .. |
| अन्य सामाजिक सेवाएं | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम योजनाएं | सामान्य | 51.68 | .. | 51.68 | .. | 37.79 | .. | .. | 37.79 | .. |
| | योग-अन्य सामाजिक सेवाएं | | 51.68 | .. | 51.68 | .. | 37.79 | .. | .. | 37.79 | .. |
| फसल कृषि-कर्म | | | | | | | | | | | |
| | फसल बीमा | सामान्य | .. | 2,44,13.40 | 2,44,13.40 | .. | .. | 1,47,76.99 | .. | 1,47,76.99 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 71,61.97 | 71,61.97 | .. | .. | 60,43.24 | .. | 60,43.24 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 45,96.43 | 45,96.43 | .. | .. | 41,34.27 | .. | 41,34.27 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|------------|--|--------------|------------|-----|---|------------|------------|------------|---|--|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | | 2013-14 | | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | |
| | | | | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | रूपरेखा से) | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| फसल कृषि-कर्म- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना कृषि विभाग के माध्यम से | सामान्य | .. | 2,30,30.92 | 2,30,30.92 | .. | .. | 2,12,43.84 | .. | 2,12,43.84 | .. | |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 35,48.51 | 35,48.51 | .. | .. | 26,53.67 | .. | 26,53.67 | .. | |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 65,29.18 | 65,29.18 | .. | .. | 40,91.49 | .. | 40,91.49 | .. | |
| राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना उद्यान विभाग के माध्यम से | सामान्य | .. | 1,44,63.76 | 1,44,63.76 | .. | .. | 1,18,00.67 | .. | 1,18,00.67 | .. | |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 29,66.86 | 29,66.86 | .. | .. | 13,50.28 | .. | 13,50.28 | .. | |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 22,03.56 | 22,03.56 | .. | .. | 13,72.81 | .. | 13,72.81 | .. | |
| नवाचार कार्यक्रम | सामान्य | .. | 20,96.88 | 20,96.88 | .. | .. | 12,92.18 | .. | 12,92.18 | .. | |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 11,83.97 | 11,83.97 | .. | .. | 5,61.73 | .. | 5,61.73 | .. | |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 6,40.65 | 6,40.65 | .. | .. | 3,45.82 | .. | 3,45.82 | .. | |
| बूँद-बूँद सिंचाई राज्य योजना | सामान्य | .. | 31,99.04 | 31,99.04 | .. | .. | 63,75.92 | .. | 63,75.92 | .. | |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 2,83.06 | 2,83.06 | .. | .. | 9,25.26 | .. | 9,25.26 | .. | |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,86.41 | 3,86.41 | .. | .. | 8,17.66 | .. | 8,17.66 | .. | |
| राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना पशु पालन विभाग के माध्यम से | सामान्य | .. | 18,93.91 | 18,93.91 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,79.00 | 1,79.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑइलपाम मिशन-तिलहन | सामान्य | .. | 15,22.97 | 15,22.97 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,66.80 | 1,66.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,98.41 | 1,98.41 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| कृषि जल का सही उपभोग | सामान्य | .. | 2,99.11 | 2,99.11 | .. | .. | 68.94 | .. | 68.94 | .. | |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|---------|---------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| फसल कृषि-कर्म- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| | राष्ट्रीय कृषि विस्तार कृषि अभियांत्रिकी-अभियान | सामान्य | .. | 2,75.60 | 2,75.60 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन | सामान्य | .. | 2,30.69 | 2,30.69 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 26.97 | 26.97 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 8.99 | 8.99 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना डेयरी विभाग के माध्यम से | सामान्य | .. | 1,39.50 | 1,39.50 | .. | .. | 6,00.00 | .. | 6,00.00 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 80.00 | 80.00 | .. | .. | 10,00.00 | .. | 10,00.00 | .. |
| | राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना मत्स्य विभाग के माध्यम से | सामान्य | .. | 1,54.96 | 1,54.96 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना वन विभाग के माध्यम से | सामान्य | .. | 1,27.91 | 1,27.91 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 12.96 | 12.96 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | तिलहन, दालें, ऑइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 6,26.60 | 18,81.58 | 25,08.18 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.02 | 2,34.35 | 3,12.37 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,36.97 | 4,10.90 | 5,47.87 | .. |
| | कृषि उपकरणों के लिए अनुदान | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 19,98.86 | .. | 19,98.86 | .. |
| | राष्ट्रीय कृषि के लिए अनुदान (कृषि विपणन बोर्ड) | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 9,00.00 | .. | 9,00.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | | | जारी की गई कुल राशि, सम्पतियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | | |
|--|-----------------------------|--|--------------|---------|-------------|--------------|--------|------------|---|------------|------------|---|----|--|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | रूपरेखा से | रूपरेखा से | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| फसल कृषि-कर्म- (समाप्त) | | | | | | | | | | | | | | |
| कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण अनुदान | | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 3,45.00 | .. | 3,45.00 | .. | .. | | |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.00 | .. | 90.00 | .. | .. | | |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 65.00 | .. | 65.00 | .. | .. | | |
| | | कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 2,32.19 | .. | 2,32.19 | .. | .. | | |
| | | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | .. | 2,13.29 | 2,13.29 | .. | .. | 75.07 | .. | 75.07 | .. | | |
| | | | अ.जा.उ.यो. | .. | 27.86 | 27.86 | .. | .. | 0.32 | 5.87 | 6.19 | .. | .. | |
| | | | ज.जा.उ.यो. | .. | 22.81 | 22.81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | | योग-फसल कृषि कर्म | | .. | 10,22,86.34 | 10,22,86.34 | .. | .. | 8,40,02.80 | 25,32.70 | 8,65,35.50 | .. | .. | |
| | पशुपालन | | | | | | | | | | | | | |
| | | राष्ट्रीय गाय तथा भैंस प्रजनन परियोजना | सामान्य | .. | 3,45.00 | 3,45.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | पशु प्रजनन विकास योजना | सामान्य | .. | 1,52.41 | 1,52.41 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | |
| | समूह | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 83,79.47 | .. | 83,79.47 | .. | .. | | |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | .. | 36.00 | 36.00 | .. | .. | 32.50 | 15.00 | 47.50 | .. | .. | | |
| | योग-पशुपालन | | .. | 5,33.41 | 5,33.41 | .. | .. | 84,11.97 | 15.00 | 84,26.97 | .. | .. | | |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | |
|------------------------------|---|--|--------------|------------|------------|---|--------|------------|-------|---|
| | | | | | | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | | | | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| मछली पालन | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम योजनाएं | सामान्य | .. | 7.60 | 7.60 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 2.00 | 2.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 13.15 | 13.15 | .. | .. | 13.47 | 13.47 | 26.94 |
| | | योग-मछली पालन | .. | 22.75 | 22.75 | .. | .. | 13.47 | 13.47 | 26.94 |
| वन | | | | | | | | | | |
| | राजस्थान वानिकी और बायोडायवर्सिटी परियोजना फेज-II के लिए प्राप्त बाह्य सहायता | ई.ए.पी. (सा.) | .. | 1,01,44.35 | 1,01,44.35 | 68,23.47 | .. | 91,20.00 | .. | 91,20.00 |
| | | ई.ए.पी. (अ.जा.उ.यो.) | .. | 39,89.71 | 39,89.71 | 38,14.37 | .. | 25,80.00 | .. | 25,80.00 |
| | | ई.ए.पी. (ज.जा.उ.यो.) | .. | 28,99.21 | 28,99.21 | 27,07.49 | .. | 18,00.00 | .. | 18,00.00 |
| राज्य वानिकी विकास प्राधिकरण | राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम | सामान्य | .. | 2,29.20 | 2,29.20 | 2,29.20 | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 60.30 | 60.30 | 60.30 | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 45.50 | 45.50 | 45.50 | .. | .. | .. | .. |
| | बाघ परियोजना, रणथम्भौर | सामान्य | .. | 1,94.23 | 1,94.23 | 1,56.73 | .. | .. | .. | .. |
| | ईको पर्यटन का विकास | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 2,31.83 | .. | 2,31.83 |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 20.00 | 49.92 | 69.92 | 2.63 | 19.74 | 56.78 | .. | 76.52 |
| | | योग-वन | 20.00 | 1,76,12.42 | 1,76,32.42 | 1,38,39.69 | 19.74 | 1,37,88.61 | .. | 1,38,08.35 |
| | | | | | | | | | | 1,12,15.00 |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|--|--|--------------|---------|---------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| इन्दिरा गांधी पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास संस्थान | | | | | | | | | | | |
| | इन्दिरा गांधी पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास संस्थाओं को अनुदान | सामान्य | 1,53.67 | .. | 1,53.67 | .. | 1,85.00 | .. | .. | 1,85.00 | .. |
| | योग- इन्दिरा गांधी पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास संस्थान | | 1,53.67 | .. | 1,53.67 | .. | 1,85.00 | .. | .. | 1,85.00 | .. |
| सिंचाई | | | | | | | | | | | |
| सिंचाई प्रबंध तथा प्रशिक्षण केन्द्र | अनुदान | सामान्य | .. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | .. | 8,60.60 | .. | 8,60.60 | 6,35.00 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,88.12 | 1,88.12 | .. | .. | 1,74.92 | .. | 1,74.92 | .. |
| | एक करोड़ से कम योजनाएं | सामान्य | .. | 0.50 | 0.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 96.50 | 96.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | योग-सिंचाई | | .. | 2,99.12 | 2,99.12 | 14.00 | .. | 10,35.52 | .. | 10,35.52 | 6,35.00 |
| सिंचित क्षेत्र विकास | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम योजनाएं | सामान्य | .. | 41.40 | 41.40 | .. | .. | 18.89 | 18.90 | 37.79 | .. |
| | योग- सिंचित क्षेत्र विकास | | .. | 41.40 | 41.40 | .. | .. | 18.89 | 18.90 | 37.79 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|--|--|--------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| ग्राम एवं लघु उद्योग | | | | | | | | | | | |
| राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड | अनुदान | सामान्य | 27,45.00 | 5,11.55 | 32,56.55 | .. | 27,29.00 | 16,66.15 | .. | 43,95.15 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,27.13 | 1,27.13 | .. | .. | 13,55.96 | .. | 13,55.96 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,08.57 | 1,08.57 | .. | .. | 1,63.90 | .. | 1,63.90 | .. |
| राष्ट्रीय उर्वरक प्रसंस्करण मिशन | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,81.42 | 8,60.88 | 10,42.30 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.52 | .. | 75.52 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.70 | .. | 35.70 | .. |
| राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ | अनुदान | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 5,00.00 | .. | 5,00.00 | .. |
| | | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 44.43 | .. | 44.43 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 9.97 | 9.97 | .. | .. | 8.31 | .. | 8.31 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.25 | .. | 0.25 | .. |
| योग-ग्राम एवं लघु उद्योग | | | 27,45.00 | 7,57.22 | 35,02.22 | .. | 27,29.00 | 40,31.64 | 8,60.88 | 76,21.52 | .. |
| उद्योग | | | | | | | | | | | |
| | निर्यात संवर्धन हेतु आधारभूत सुविधाओं के लिए सहायता | सामान्य | .. | 21,99.99 | 21,99.99 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| उद्योग संवर्द्धन ब्यूरो | उद्योग उत्पादकता | सामान्य | .. | 9,72.00 | 9,72.00 | .. | .. | 6,27.90 | .. | 6,27.90 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|--|--|--------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| उद्योग- (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान | उद्योग शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | सामान्य | .. | 3,41.18 | 3,41.18 | 3,41.18 | .. | 3,95.54 | .. | 3,95.54 | 3,81.18 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 85.00 | 85.00 | 85.00 | .. | 1,52.00 | .. | 1,52.00 | 1,00.00 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 65.00 | 65.00 | 65.00 | .. | 1,02.00 | .. | 1,02.00 | 65.00 |
| ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण | अनुदान | सामान्य | .. | 1,69.00 | 1,69.00 | .. | .. | 2,68.00 | .. | 2,68.00 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 43.00 | 43.00 | .. | .. | 65.00 | .. | 65.00 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 31.00 | 31.00 | .. | .. | 45.00 | .. | 45.00 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | .. | 75.38 | 75.38 | .. | .. | 1,41.57 | .. | 1,41.57 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 10.58 | 10.58 | .. | .. | 11.78 | .. | 11.78 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 7.93 | 7.93 | .. | .. | 7.07 | .. | 7.07 | .. |
| योग-उद्योग | | | .. | 40,00.06 | 40,00.06 | 4,91.18 | .. | 18,15.86 | .. | 18,15.86 | 5,46.18 |
| सड़क परिवहन | | | | | | | | | | | |
| राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम | राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि | सामान्य | .. | 16,28.90 | 16,28.90 | .. | .. | 5,00.00 | .. | 5,00.00 | .. |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | .. | 0.08 | 0.08 | .. | .. | 24.28 | .. | 24.28 | .. |
| योग-सड़क परिवहन | | | .. | 16,28.98 | 16,28.98 | .. | .. | 5,24.28 | .. | 5,24.28 | .. |

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम योजनाएं | सामान्य | .. | 45.67 | 45.67 | .. | .. | 1,63.03 | .. | 1,63.03 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 10.92 | 10.92 | .. | .. | 40.26 | .. | 40.26 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 3.15 | 3.15 | .. | .. | 39.00 | .. | 39.00 | .. |
| | योग-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | | .. | 59.74 | 59.74 | .. | .. | 2,42.29 | .. | 2,42.29 | .. |
| परिस्थितिकी तथा पर्यावरण | | | | | | | | | | | |
| | राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना | सामान्य | .. | 32,57.14 | 32,57.14 | 32,57.14 | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड | पर्यावरणीय आयोजना तथा समन्वय के लिये अनुदान | सामान्य | .. | 2,03.46 | 2,03.46 | 57.66 | .. | 2,22.58 | .. | 2,22.58 | 51.25 |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 46.93 | .. | 46.93 | .. |
| | योग-परिस्थितिकी तथा पर्यावरण | | .. | 34,60.60 | 34,60.60 | 33,14.80 | .. | 2,69.51 | .. | 2,69.51 | 51.25 |
| सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | |
| जिला आयोजन संगठन | विश्व बैंक फेज- II के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन परियोजना | सामान्य | .. | 55,84.64 | 55,84.64 | .. | .. | 45,00.00 | .. | 45,00.00 | .. |
| | राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना | अ.जा.उ.यो. | .. | 22,00.00 | 22,00.00 | .. | .. | 15,00.00 | .. | 15,00.00 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 33,00.00 | 33,00.00 | .. | .. | 15,00.00 | .. | 15,00.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या III — (क्रमशः)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--|---|--|--------------|------------|------------|---|--------------|----------|------------|----------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| सचिवालय-आर्थिक सेवाएं- (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 18.75 | 95.70 | 1,14.45 | .. | 58.75 | 1,00.00 | .. | 1,58.75 | .. |
| | योग-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | | 18.75 | 1,11,80.34 | 1,11,99.09 | .. | 58.75 | 76,00.00 | .. | 76,58.75 | .. |
| पर्यटन | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम योजनाएं | सामान्य | 25.00 | 60.25 | 85.25 | .. | 25.00 | 73.00 | .. | 98.00 | .. |
| | योग-पर्यटन | | 25.00 | 60.25 | 85.25 | .. | 25.00 | 73.00 | .. | 98.00 | .. |
| नागरिक आपूर्ति | | | | | | | | | | | |
| | खाद्य संग्रहण वितरण | सामान्य | .. | 2,06,10.35 | 2,06,10.35 | .. | .. | 84,51.29 | .. | 84,51.29 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | 72,00.00 | 72,00.00 | .. | .. | 64,69.19 | .. | 64,69.19 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 45,00.00 | 45,00.00 | .. | .. | 41,04.41 | .. | 41,04.41 | .. |
| | खाद्य संग्रहण योजना- अन्नपूर्णा योजना | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,49.68 | .. | 1,49.68 | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.03 | .. | 30.03 | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 31.37 | .. | 31.37 | .. |
| | सहरिया तथा काथोडी जातियों को मुफ्त खाद्यान्न | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 1,72.92 | .. | .. | 1,72.92 | .. |

परिशिष्ट संख्या III — (समाप्त)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/ वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना * | 2014-15 | | | 2013-14 | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | आयोजना भिन्न | आयोजना | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) | आयोजना भिन्न | आयोजना | के.प्र.यो. | योग | जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| नागरिक आपूर्ति— (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | .. | 0.50 | 0.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | 0.73 | 0.73 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | योग—नागरिक आपूर्ति | | .. | 3,23,11.58 | 3,23,11.58 | .. | 1,72.92 | 1,92,35.97 | .. | 1,94,08.89 | .. |
| देवस्थान | | | | | | | | | | | |
| | एक करोड़ से कम योजनाएं | सामान्य | 5.42 | .. | 5.42 | .. | 16.61 | .. | .. | 16.61 | .. |
| | योग—देवस्थान | | 5.42 | .. | 5.42 | .. | 16.61 | .. | .. | 16.61 | .. |
| | कुल योग | | 95,93,20.95 | 1,87,35,88.03 | 2,83,29,08.98 | 12,45,00.34 | 83,41,76.20 | 98,31,13.75 | 5,90,56.31 | 1,87,63,46.26 | 7,05,53.13 |

परिशिष्ट संख्या IV - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे

| सहायता अभिकरण | योजना/परियोजना | कुल अनुमोदित सहायता @ | प्राप्त राशि | | | | | | राशि जो प्राप्त होनी है | | ऋण की लौटाई गई राशि | | 2014-15 तक राशि जो लौटाई जानी है | | व्यय * | | |
|----------------------|--|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | | अनुदान | | ऋण | | अनुदान | ऋण | 2013-14 तक | 2014-15 तक | 2013-14 तक | 2014-15 तक | 2013-14 तक | 2014-15 तक | 2013-14 तक | 2014-15 तक | |
| | | | 2013-14 तक | 2014-15 तक | योग | योग | | | | | | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विश्व बैंक | जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (परियोजना पूर्ण) | 5,73,00.00 | 1,36,27.42 | 25.39 | 1,36,52.81 | 3,17,97.32 | 59.25 | 3,18,56.57 | उ. न. | उ. न. | 2,44,17.76 | 5,24.97 | 2,49,42.73 | 69,13.84 | 5,09,78.83 | 55,84.64 | |
| विश्व बैंक | राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना योजना | 9,70,00.00 | 1,73,28.65 | .. | 1,73,28.65 | 4,07,26.34 | .. | 4,07,26.34 | उ. न. | उ. न. | 2,36,13.36 | 7,31.27 | 2,43,44.63 | 1,63,81.71 | 8,34,25.06 | .. | |
| विश्व बैंक | राजस्थान स्वास्थ्य विकास योजना | 4,72,58.00 | 1,08,29.72 | .. | 1,08,29.72 | 2,52,69.36 | .. | 2,52,69.36 | उ. न. | उ. न. | 74,46.58 | 8,27.44 | 82,74.02 | 1,69,95.34 | 4,55,66.37 | .. | |
| के.एफ.डब्ल्यू जर्मनी | ग्रामीण जल पूर्ति योजना फेज-I | 4,29,65.00 | 97,20.57 | .. | 97,20.57 | 2,21,89.53 | .. | 2,21,89.53 | उ. न. | उ. न. | 2,21,32.47 | 7.81 | 2,21,40.28 | 49.25 | 3,97,10.29 | .. | |
| के.एफ.डब्ल्यू जर्मनी | आवासीय विद्यालय योजना | 83,28.00 | 20,35.20 | .. | 20,35.20 | 47,48.80 | .. | 47,48.80 | उ. न. | उ. न. | 39,72.08 | 41.98 | 40,14.06 | 7,34.74 | 80,39.18 | .. | |
| जे.आई.सी.ए. | राजस्थान वानिकी विकास योजना | 4,42,14.00 | 43,30.80 | .. | 43,30.80 | 1,00,45.20 | .. | 1,00,45.20 | उ. न. | उ. न. | 46,66.65 | 3,25.15 | 49,91.80 | 50,53.40 | 97,93.42 | .. | |
| जे.आई.सी.ए. | बीसलपुर जयपुर जलपूर्ति योजना | 4,63,00.00 | 1,09,38.61 | .. | 1,09,38.61 | 2,55,23.37 | .. | 2,55,23.37 | उ. न. | उ. न. | 51,63.62 | 10,84.71 | 62,48.33 | 1,92,75.04 | 4,65,67.20 | 17,35.00 | |
| जे.आई.सी.ए. | राजस्थान लघु सिंचाई विकास योजना | 6,12,29.00 | 55,67.54 | 13,80.24 | 69,47.78 | 1,29,90.77 | 32,20.54 | 1,62,11.31 | उ. न. | उ. न. | 3,25.51 | 3,29.42 | 6,54.93 | 1,55,56.38 | 1,61,64.05 | 14,27.72 | |
| एशियन विकास बैंक | राजस्थान शहरी आधारभूत परियोजना | 17,75,00.00 | 3,24,54.78 | .. | 3,24,54.78 | 8,05,66.48 | .. | 8,05,66.48 | उ. न. | उ. न. | 4,97,15.65 | 15,45.80 | 5,12,61.45 | 2,93,05.03 | 20,05,22.32 | 1,16.02 | |
| विश्व बैंक | लोक वित्त प्रबंधन तथा प्रोक्थोरमेंट इन राजस्थान (बैंक टू बैंक) | 2,29.00 | 1,51.21 | .. | 1,51.21 | .. | .. | .. | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | .. | 1,57.52 | .. | |
| ई.सी. | क्षेत्रीय नीति सहयोग कार्यक्रम राज्य सहभागिता (बैंक टू बैंक) | 4,50,00.00 | 2,46,28.10 | .. | 2,46,28.10 | .. | .. | .. | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | .. | 1,17,68.73 | 38,11.42 | |

@ राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित।

* व्यय लेखों पर आधारित हैं तथा इसमें राज्यांश भी सम्मिलित हैं।

उ. न. उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट संख्या IV - (समाप्त)

| सहायता अभिकरण | योजना/ परियोजना | कुल अनुमोदित सहायता | प्राप्त राशि | | | | | | राशि जो प्राप्त होनी है | | ऋण की लौटाई गई राशि | | 2014-15 तक राशि जो लौटाई जानी है | | | |
|------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | अनुदान | | ऋण | | 2013-14 तक | 2014-15 तक | 2013-14 तक | 2014-15 तक | 2013-14 तक | 2014-15 तक | 2013-14 तक | 2014-15 तक | | |
| | | | 2013-14 तक | 2014-15 तक | योग | योग | | | | | | | | | योग | योग |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विश्व बैंक | पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन (बैंक टू बैंक) | 2,91,00.00 | 1,91.47 | .. | 1,91.47 | 42,81.67 | 21,36.78 | 64,18.45 | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | 64,18.45 | 43,98.99 | 22,15.85 |
| विश्व बैंक | राजस्थान पशुधन परियोजना | 8,70,00.00 | .. | .. | .. | 1,11,96.35 | 25,34.36 | 1,37,30.71 | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | 1,37,30.71 | 98,86.64 | 50,99.98 |
| ए.डी.बी. | राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश परियोजना ट्रांच-I,II & III | 17,62,00.00 | .. | .. | .. | 6,94,54.02 | 1,30,93.68 | 8,25,47.70 | उ. न. | उ. न. | 11,63.67 | 15,66.04 | 27,29.71 | 7,98,17.99 | 6,09,35.25 | 1,84,80.49 |
| विश्व बैंक | राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना | .. | .. | .. | .. | 35,29.32 | .. | 35,29.32 | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | 35,29.32 | .. | .. |
| जे.आई.सी.ए. | राजस्थान वानिकी तथा बायो-खयर्वर्सिटी परियोजना फेज- II | 11,52,53.00 | .. | .. | .. | 99,77.82 | 1,56,17.50 | 2,55,95.32 | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | 2,55,95.32 | 1,69,50.75 | 1,70,33.27 |
| ए.एफ.डी. | जोधपुर जलपूर्ति योजना का पुनर्गठन | 7,35,45.00 | .. | .. | .. | 35,27.32 | 91,36.66 | 1,26,63.98 | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | 1,26,63.98 | 1,12,34.75 | 55,46.66 |
| आई.डी.ए. | राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना | 8,32,50.00 | .. | .. | .. | 3,61.98 | 3,05.04 | 6,67.02 | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | 6,67.02 | 7,81.26 | .. |
| विश्व बैंक | राजस्थान उर्जा क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (परियोजना पूर्ण) | उ. न. | उ. न. | उ. न. | उ. न. | 1,17.60 | उ. न. | 1,17.60 | उ. न. | उ. न. | 7.84 | 7.84 | 15.68 | 1,01.92 | .. | .. |
| जे.आई.सी.ए. | राजस्थान ग्रामीण जलपूर्ति तथा फ्लूरोसिस उन्मूलन परियोजना, नागौर | 29,38,00.00 | .. | .. | .. | 5,92.35 | 6,75.92 | 12,68.27 | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | 12,68.27 | 8,33.23 | 10,42.36 |
| विश्व बैंक | राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना | 13,62,00.00 | .. | .. | .. | 3,35.77 | 2,54,95.49 | 2,58,31.26 | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | 2,58,31.26 | 5,81.93 | 5,18,93.54 |
| ए.डी.बी. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम | .. | .. | .. | .. | .. | 4,25.26 | 4,25.26 | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | 4,25.26 | .. | .. |
| ए.डी.बी. | जयपुर मेट्रो रेल लाईन फेज -I परियोजना-बी | .. | .. | .. | .. | .. | 67,34.12 | 67,34.12 | उ. न. | उ. न. | .. | .. | .. | 67,34.12 | .. | 1,00,00.00 |
| योग | | 1,62,16,71.00 | 13,18,04.07 | 14,05.63 | 13,32,09.70 | 35,72,31.37 | 7,94,34.60 | 43,66,65.97 | .. | .. | 14,26,25.19 | 69,92.43 | 14,96,17.62 | 28,70,48.35 | 61,82,95.77 | 12,39,86.95 |

परिशिष्ट संख्या V- आयोजनागत योजना व्यय

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) @

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना | बजट प्रावधान 2014-15* बजट प्रावधान # मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | वास्तविक 2014-15 | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | भारत सरकार द्वारा जारी \$ | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिस्सा | राज्यांश | कुल व्यय | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिस्सा | राज्यांश | कुल व्यय |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) | भू-अभिलेख सुधार योजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 5,15.48 | | 5,16.05 | | 4,08.64 | 3,57.98 | 7,66.62 | | 15,14.00 97.31 1,33.05 | 13,35.52 97.31 1,33.05 | 28,49.52 1,94.62 2,66.10 |
| कृषि गणना | कृषि गणना योजना | सामान्य | 2,37.33 | .. | 2,37.29 | .. | 3,41.91 | 1.17 | 3,43.08 | .. | 78.67 | 2.66 | 81.33 |
| | अपराध शाखा का आधुनिकीकरण | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 1,76.31 | .. | 1,76.31 | .. | 78.34 | .. | 78.34 |
| | सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 7,30.91 | .. | 7,30.91 | .. | 16,54.60 | .. | 16,54.60 |
| | मदरसा विद्यालय | सामान्य | 45,82.73 | .. | 45,82.73 | .. | 4,31.31 | 27,39.20 | 31,70.51 | .. | .. | .. | .. |
| | अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां | सामान्य अ.जा.उ.यो. | .. 45,41.62 | .. | .. 45,41.13 | .. | 34,78.23 .. | .. 5,81.87 | 34,78.23 5,81.87 | .. | .. | .. | .. |
| | अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां | ज.जा.उ.यो. | 39,24.34 | .. | 39,24.34 | .. | 40,11.70 | 6,00.15 | 46,11.85 | .. | .. | .. | .. |
| अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति | अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति | सामान्य | 20,15.03 | .. | 20,14.55 | .. | 4,22.45 | 13,94.91 | 18,17.36 | .. | 2,52.67 | 12,76.07 | 15,28.74 |
| | लड़कों के माध्यमिक विद्यालय का स्थापना व्यय | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 5,29,41.10 74,17.07 88,21.82 | .. | 5,29,36.82 74,17.27 88,21.66 | .. | 24.15 3.30 10.79 | 3,21,87.55 41,30.33 50,25.66 | 3,22,11.70 41,33.63 50,36.45 | .. | 31,65.61 3.89 6.77 | 1,11,50.58 11,34.94 16,22.11 | 1,43,16.19 11,38.83 16,28.88 |
| | लड़कियों के माध्यमिक विद्यालय का स्थापना व्यय | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 39,20.90 5,19.74 | .. | 39,20.70 5,19.74 | .. | | 19,53.06 2,25.47 | 19,53.06 2,25.47 | .. | | 2,69.00 39.09 | 2,69.00 39.09 |

@ ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक प्रावधान अथवा व्यय की योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

* अंतिम आवंटन पर आधारित।

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने 66 समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला योजना) में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का विलय किया तथा राज्यों को केन्द्रीय सहायता "राज्य आयोजना हेतु केन्द्रीय सहायता" के रूप में जारी की गयी। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना कॉलम को बंद किया गया तथा आयोजना में योजना के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य हिस्से का विलय किया गया।

\$ भारत सरकार द्वारा आयोजनावार जारी उपलब्ध नहीं है। यद्यपि, वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 1,50,80,45.82 लाख जारी किये गये। इस खण्ड के विवरण क्रमांक 14 में मुख्य शीर्ष 1601, उप मुख्य शीर्ष 02 तथा 03 के अंतर्गत ब्यौरा दिया गया है।

इस परिशिष्ट में प्रयुक्त संक्षिप्त रूपों का पूर्ण विवरण इस प्रकार है :-

1. ज.जा.उ.यो. - जनजाति उप-योजना

2. अ.जा.उ.यो. - अनुसूचित जाति उप-योजना

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान 2014-15 बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | वास्तविक 2014-15 | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | भारत | व्यय | भारत | व्यय | भारत | व्यय | भारत | व्यय | कुल | |
| | | | | सरकार द्वारा जारी | व्यय# व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | |
| अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय | सामान्य प्रशिक्षण महाविद्यालय | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,21.56 9.98 5.70 | | 2,20.32 9.98 5.70 | | 70.37 4.03 4.87 | 25.31 0.16 0.29 | 95.68 4.19 5.16 | | 1,38.23 4.05 10.50 | 5.93 0.19 2.74 | 1,44.16 4.24 13.24 |
| अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय | महाविद्यालयों, अराजकीय महाविद्यालयों तथा संस्थानों में अध्यापक प्रशिक्षण | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,93.13 67.12 78.04 | | 2,93.13 67.12 78.04 | | 1,16.00 18.49 24.47 | 33.27 5.49 7.11 | 1,49.27 23.98 31.58 | | 1,77.92 | 34.48 | 2,12.40 |
| सतत् शिक्षा कार्यक्रम (प्रौढ़ शिक्षा) | साक्षरता एवं सतत् शिक्षा | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | | | | | 1,28.67 9.68 3.34 | 1,28.67 9.68 3.34 | | | 98.19 6.49 3.70 | 98.19 6.49 3.70 |
| जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) | जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 29,17.05 3,90.75 7,59.24 | | 29,07.09 3,90.76 7,59.21 | | 18,14.64 3,60.42 4,87.00 | 6,12.34 93.74 1,84.40 | 24,26.98 4,54.16 6,71.40 | | 19,59.29 | 6,50.25 | 26,09.54 |
| | पॉलीटेक्निक भवन | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 8,30.59 4,27.20 2,56.42 | | 8,31.88 4,27.50 2,31.46 | | 21,81.65 55.84 2,01.60 | 2,19.48 2,69.71 9.99 | 24,01.13 3,25.55 2,11.59 | | 39,44.60 2,34.49 4,99.61 | 15,79.79 2,37.83 .. | 55,24.39 4,72.32 4,99.61 |
| | क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों की पुर्नगठन योजना | सामान्य | 6,29.66 | .. | 6,29.66 | .. | 1.06 | 10,37.87 | 10,38.93 | .. | 13.35 | 5,29.02 | 5,42.37 |
| राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) | राष्ट्रीय सेवा योजना - उच्च माध्यमिक विद्यालय | सामान्य | 3,54.50 | .. | 3,54.50 | .. | 1,03.90 | 74.22 | 1,78.12 | .. | .. | .. | .. |
| | रवीन्द्र संगमंच, जयपुर | सामान्य | 2,05.00 | .. | 2,05.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | विकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य मुख्यालय-स्थापना | सामान्य अ.जा.उ.यो. | | | | | | | | | | 20,18.24 14,37.16 | 20,18.24 14,37.16 |
| | सामान्य अस्पताल-स्थापना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | | | | | | | | | 18,53.67 5,93.18 20.82 | 18,53.67 5,93.18 20.82 |
| | राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर | ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 85.00 90.00 | | 85.00 90.00 | | | | | | | | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | राज्यांश | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण) | राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 6,72.67 78.31 | .. | 6,71.56 78.31 | .. | .. | 6,57.15 43.02 | 6,57.15 43.02 | .. | .. | 3,01.13 41.46 | 3,01.13 41.46 | |
| स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण | क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र | सामान्य | 2,69.70 | .. | 2,69.65 | .. | 2,09.38 | 9.86 | 2,19.24 | .. | 1,75.61 | 9.79 | 1,85.40 | |
| प्रशिक्षण केन्द्र | सहायक नर्स, मिडवाइफ, दाई तथा महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण | सामान्य | 16,51.47 | .. | 16,46.08 | .. | 14,20.88 | 93.99 | 15,14.87 | .. | 13,15.18 | 90.35 | 14,05.53 | |
| परिवहन | ग्रामीण उप केन्द्र | सामान्य | 3,97,72.37 | .. | 3,97,72.13 | .. | 3,44,67.76 | .. | 3,44,67.76 | .. | 3,16,20.42 | .. | 3,16,20.42 | |
| शहरी परिवार कल्याण | शहरी परिवार कल्याण केन्द्र | सामान्य | 18,74.67 | .. | 18,74.61 | .. | 16,02.81 | 1.65 | 16,04.46 | .. | 13,96.31 | 3.83 | 14,00.14 | |
| | जिला परिवार कल्याण ब्यूरो | सामान्य | 29,74.46 | .. | 29,67.89 | .. | 24,43.46 | 1,09.95 | 25,53.41 | .. | 22,32.76 | 1,19.78 | 23,52.54 | |
| परम्परागत गर्भ निरोधक | परम्परागत गर्भ निरोधक | सामान्य | 6,38.07 | .. | 6,38.06 | .. | 10,21.78 | .. | 10,21.78 | .. | 8,53.09 | .. | 8,53.09 | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | सामान्य | 7,74,70.58 | .. | 7,74,70.58 | .. | .. | 2,02,87.01 | 2,02,87.01 | .. | .. | 1,28,68.08 | 1,28,68.08 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 1,49,01.04 | .. | 1,49,01.04 | .. | .. | 32,74.81 | 32,74.81 | .. | .. | 72,19.77 | 72,19.77 | |
| | | अ.जा.उ.यो. | 2,05,36.50 | .. | 2,05,36.50 | .. | .. | 42,84.18 | 42,84.18 | .. | .. | 58,33.16 | 58,33.16 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | पाईप लाईन द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 35,61.33 | 35,61.33 | .. | .. | 29,09.90 | 29,09.90 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजना | सामान्य | 5,69,00.00 | .. | 5,68,13.49 | .. | .. | 4,77,68.10 | 4,77,68.10 | .. | .. | 1,93,15.48 | 1,93,15.48 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | विभाग का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,49.39 | 2,49.39 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 53,71.28 | 53,71.28 | .. | .. | 53,26.61 | 53,26.61 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | पम्प तथा मोटर्स का बदलाव | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 15,38.19 | 15,38.19 | .. | .. | 13,69.09 | 13,69.09 | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | |
|--|--|--|--------------|-------------------------------|------------------|-------|------------|-------------------------------|------------|-------|-------------------------------|------------|------------|---------|
| | | | 2014-15 | | भारत | व्यय | | भारत | व्यय | | भारत | व्यय | | |
| | | | बजट प्रावधान | मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार | व्यय# | सरकार | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | कुल | सरकार | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | कुल | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | पुरानी एवं दूषित पाइप लाइनों का बदलाव और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,25.92 | 1,25.92 |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना (नाबार्ड) | बीसलपुर दूढ़ जलपूर्ति योजना | सामान्य | 38,49.64 | .. | 38,49.63 | .. | .. | 15,93.45 | 15,93.45 | .. | .. | 16,09.36 | 16,09.36 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 8,32.24 | .. | 8,32.24 | .. | .. | 4,68.04 | 4,68.04 | .. | .. | 3,80.06 | 3,80.06 | |
| | | अ.जा.उ.यो. | 11,16.64 | .. | 11,16.64 | .. | .. | 5,60.38 | 5,60.38 | .. | .. | 5,19.26 | 5,19.26 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | नहरों का नवीनीकरण तथा मरम्मत | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,91.43 | 2,91.43 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | रिंस की खरीद एवं पुनःउपयोग | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,08.55 | 1,08.55 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना (नाबार्ड) | नर्मदा जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 10,08.89 | .. | 10,08.89 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,15.19 | 2,15.19 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 2,04.92 | .. | 2,04.91 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,90.00 | 1,90.00 | |
| | | अ.जा.उ.यो. | 2,52.32 | .. | 2,52.32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,50.43 | 1,50.43 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | पोकरण फलसूंड जलपूर्ति योजना | सामान्य | 93,99.56 | .. | 93,99.55 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,60.46 | 31,60.46 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 19,88.03 | .. | 19,88.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | | अ.जा.उ.यो. | 26,76.67 | .. | 26,76.67 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,04.23 | 6,04.23 | |
| डिंग जलपूर्ति परियोजना | डिंग जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 1,71.76 | .. | 1,71.73 | .. | .. | 43.24 | 43.24 | .. | .. | .. | .. | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 33.75 | .. | 33.75 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | | अ.जा.उ.यो. | 44.50 | .. | 44.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| न्यायिक आवास | न्यायिक आवास | सामान्य | 64.40 | .. | 64.41 | .. | 14.17 | 14.18 | 28.35 | .. | 4.04 | 1,18.87 | 1,22.91 | |
| जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) | जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) | सामान्य | 40,17.11 | .. | 40,17.11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 7,17.91 | .. | 7,17.91 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | | अ.जा.उ.यो. | 9,80.84 | .. | 9,80.84 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| अन्तर्जातिय विवाह हेतु प्रोत्साहन | अन्तर्जातिय विवाह हेतु प्रोत्साहन | अ.जा.उ.यो. | 16,88.00 | .. | 16,83.00 | .. | 4,92.50 | 2,33.50 | 7,26.00 | .. | 47.50 | 40.00 | 87.50 | |
| पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं वजीफा | अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं वजीफा | सामान्य | 64,24.46 | .. | 64,22.91 | .. | 47,59.02 | 95,09.49 | 1,42,68.51 | .. | 32,80.53 | 31,84.40 | 64,64.93 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 1,78,30.00 | .. | 1,78,27.50 | .. | 37,55.18 | 95,50.96 | 1,33,06.14 | .. | 35,93.89 | 1,08,80.02 | 1,44,73.91 | |
| | | अ.जा.उ.यो. | 1,45,69.93 | .. | 1,45,69.67 | .. | 1,17,61.77 | 80,83.94 | 1,98,45.71 | .. | 61,33.12 | 1,18,39.29 | 1,79,72.41 | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना | बजट प्रावधान 2014-15 बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | राज्यांश | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | |
| | अनुसूचित जनजाति के लिये नागरिक अधिकारों की रक्षा | ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 1,97.58 8,47.36 | | 1,97.58 8,47.36 | | 63.12 2,45.80 | 45.10 2,37.47 | 1,08.22 4,83.27 | | 96.40 4,02.53 | 57.07 2,59.44 | 1,53.47 6,61.97 |
| अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | अनुसूचित जाति उप-योजना | सामान्य | 54,64.67 | .. | 54,88.12 | .. | 31,83.58 | .. | 31,83.58 | .. | 57,40.92 | .. | 57,40.92 |
| | लड़कियों के छात्रावास भवन का निर्माण | ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 0.99 .. | | 1.00 .. | | 51.74 28.58 | .. 5.57 | 51.74 34.15 | | 77.72 1,60.62 | 0.34 0.42 | 78.06 1,61.04 |
| | लड़कों के छात्रावास भवन का निर्माण | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 39.30 .. 1,16.11 | | 41.37 .. 1,16.09 | | 88.84 .. 1,14.22 | 1,26.72 (-) 7.00 82.04 | 2,15.56 (-) 7.00 1,96.26 | | 1,56.44 20.37 2,01.93 | 2,07.79 22.79 2,68.21 | 3,64.23 43.16 4,70.14 |
| | कॉलेज स्तरीय लड़कों/ लड़कियों के छात्रावास भवन का निर्माण | ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 40.88 5,47.07 | | 40.89 5,47.17 | | 2,19.76 3,19.88 | 0.47 36.23 | 2,20.23 3,56.11 | | 3,81.17 6,21.24 | | 3,81.17 6,21.24 |
| | शिल्पकार प्रशिक्षण केन्द्र | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 3,01.77 9.51 7.71 | | 3,01.79 9.50 7.72 | | | 60.90 2.15 3.79 | 60.90 2.15 3.79 | | | 12.99 | 12.99 |
| | बाल अधिनियम योजना 2000 | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,39.18 | 2,66.06 | 4,05.24 |
| | महिला विकास कार्यक्रम | सामान्य | 1,24.92 | .. | 1,20.97 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 8,33.87 4,85.46 4,33.23 | | 8,33.87 4,85.46 4,33.23 | | | | | | | | |
| | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 1,41,22.62 56,49.85 36,66.86 | | 1,37,94.22 55,30.30 36,16.72 | | | | | | | | |
| पूरक पोषण | पोषाहार क्रेष कार्यक्रम | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,89,40.97 73,75.01 2,15,75.45 | | 2,88,86.89 73,74.57 2,15,75.45 | | 2,44,23.52 | 1,07,88.27 57,41.23 1,21,85.66 | 3,52,11.79 57,41.23 1,21,85.66 | | 2,31,06.65 .. 1,89,93.27 | 71,06.35 74,24.47 1,89,93.27 | 3,02,13.00 74,24.47 1,89,93.27 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान 2014-15 बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | वास्तविक 2014-15 | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------|---------------------------------|---|------------------|-------------|------------|
| | | | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश व्यय | कुल व्यय | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | |
| कार्य योजना | कार्य योजना | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,92.41 | 76.93 | 7,69.34 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,14.39 | 12.71 | 1,27.10 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,35.74 | 15.08 | 1,50.82 |
| | तिलहन, दलहन, आइल पाम तथा मक्का की एकीकृत योजना (आईसोपॉम) | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 26,10.67 | 8,69.73 | 34,80.40 | .. | 30,20.07 | 10,06.05 | 40,26.12 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | 5,56.72 | 1,85.57 | 7,42.29 | .. | 3,60.86 | 1,20.29 | 4,81.15 |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | 3,24.10 | 1,07.93 | 4,32.03 | .. | 3,55.49 | 1,18.50 | 4,73.99 |
| | कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध अभिकरण | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 3,45.00 | 3,45.00 | .. | .. | 5,00.00 | 5,00.00 |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 65.00 | 65.00 | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.00 | 90.00 | .. | .. | .. | .. |
| फसल बीमा | फसल बीमा | सामान्य | 2,44,13.42 | .. | 2,44,13.40 | .. | .. | 1,47,76.99 | 1,47,76.99 | .. | .. | 1,82,93.58 | 1,82,93.58 |
| | | ज.जा.उ.यो. | 45,96.43 | .. | 45,96.43 | .. | .. | 41,34.27 | 41,34.27 | .. | .. | 85,27.23 | 85,27.23 |
| | | अ.जा.उ.यो. | 71,61.98 | .. | 71,61.97 | .. | .. | 60,43.24 | 60,43.24 | .. | .. | 90,78.42 | 90,78.42 |
| फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमान के लिए समयबद्ध सूचना योजना | समयबद्ध सूचना योजना | सामान्य | 1,96.13 | .. | 1,96.13 | .. | 1,96.26 | .. | 1,96.26 | .. | 1,83.30 | .. | 1,83.30 |
| राष्ट्रीय बागवानी मिशन | बागवानी मिशन | सामान्य | 38,62.96 | .. | 38,62.84 | .. | .. | 6,60.46 | 6,60.46 | .. | .. | 6,07.00 | 6,07.00 |
| | | ज.जा.उ.यो. | 3,34.14 | .. | 3,34.14 | .. | .. | 76.59 | 76.59 | .. | .. | 56.00 | 56.00 |
| | | अ.जा.उ.यो. | 3,06.88 | .. | 3,06.88 | .. | .. | 1,02.09 | 1,02.09 | .. | .. | 1,12.00 | 1,12.00 |
| सूक्ष्म सिंचाई योजना | प्रवाह सिंचाई से सूक्ष्म सिंचाई | सामान्य | 61,99.37 | .. | 61,98.51 | .. | .. | 17,79.25 | 17,79.25 | .. | .. | 25,90.27 | 25,90.27 |
| | | ज.जा.उ.यो. | 5,44.36 | .. | 5,44.36 | .. | .. | 2,90.68 | 2,90.68 | .. | .. | 3,62.50 | 3,62.50 |
| | | अ.जा.उ.यो. | 5,68.27 | .. | 5,68.27 | .. | .. | 2,86.82 | 2,86.82 | .. | .. | 4,73.00 | 4,73.00 |
| | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.बी.वाई.) | सामान्य | 5,00,08.60 | .. | 5,00,01.99 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 98,76.03 | .. | 98,70.86 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 1,18,62.46 | .. | 1,18,60.32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| कार्य योजना | बनास नदी कार्य योजना | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,50.07 | 83.35 | 8,33.42 |
| पशु बीमारी के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता | पशु बीमारी नियंत्रण योजना | सामान्य | 1,58.94 | .. | 1,58.83 | .. | 1,15.63 | 33.54 | 1,49.17 | .. | 1,67.36 | 52.94 | 2,20.30 |
| | | अ.जा.उ.यो. | 1,12.50 | .. | 1,12.46 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पशुधन गणना | राजस्व मण्डल के माध्यम से मवेशियों की गणना | सामान्य | 3,60.37 | .. | 3,60.32 | .. | 5,17.97 | .. | 5,17.97 | .. | 1,07.35 | .. | 1,07.35 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान 2014-15 बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | वास्तविक 2014-15 | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिस्सा | राज्यांश | कुल व्यय | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिस्सा | राज्यांश | कुल व्यय |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | |
| पशुधन उत्पाद के अनुमान के लिए नमूना सर्वेक्षण | पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण योजना | सामान्य | 2,53.33 | .. | 2,53.21 | .. | 1,18.65 | 1,06.96 | 2,25.61 | .. | 83.22 | 83.58 | 1,66.80 |
| सघन डेयरी विकास कार्यक्रम | सघन डेयरी विकास कार्यक्रम | सामान्य | 1,15.00 | .. | 1,15.00 | .. | 1,50.00 | .. | 1,50.00 | .. | 1,20.75 | .. | 1,20.75 |
| एकीकृत वन संरक्षण योजना (75:25) | एकीकृत वन संरक्षण योजना | सामान्य | 2,53.83 | .. | 2,49.99 | .. | 1,55.42 | 51.81 | 2,07.23 | .. | 2,26.52 | 75.51 | 3,02.03 |
| बाघ परियोजना | बाघ परियोजना, रणथम्भौर | सामान्य | 10,49.70 | .. | 10,49.55 | .. | 6,78.26 | 3,02.19 | 9,80.45 | .. | 13,89.76 | 4,50.49 | 18,40.25 |
| बाघ परियोजना | बाघ परियोजना, सरिस्का | सामान्य | 3,83.79 | .. | 3,83.78 | .. | 6,12.45 | 3,10.95 | 9,23.40 | .. | 14,50.35 | 2,42.72 | 16,93.07 |
| अन्य अभ्यारण्य का रख-रखाव | वन क्षेत्र का रख-रखाव | सामान्य | 5,18.42 | .. | 4,96.62 | .. | 3,86.32 | 40.02 | 4,26.34 | .. | 4,31.21 | .. | 4,31.21 |
| राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास | राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास | सामान्य | 43.79 | .. | 43.78 | .. | 35.03 | 21.00 | 56.03 | .. | 18.16 | 1,12.00 | 1,30.16 |
| | स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को कृषि अनुसंधान हेतु सहायता | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 2,48.54 .. | | 2,48.54 .. | | | 7,67.82 2,38.62 | 7,67.82 2,38.62 | | | 7,11.19 3,67.78 | 7,11.19 3,67.78 |
| | महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को कृषि अनुसंधान हेतु सहायता | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 5,24.66 66.60 | | 5,24.66 66.60 | | | 6,12.12 57.86 | 6,12.12 57.86 | | | 6,12.98 50.62 | 6,12.98 50.62 |
| समग्र सहकारिता विकास | सहकारिता विकास | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 18,20.51 5,54.97 60.00 | | 18,20.50 5,54.97 60.00 | | 45,68.61 9,37.37 .. | 2,97.74 89.22 80.15 | 48,66.35 10,26.59 80.15 | | 80,08.94 17,61.22 .. | 3,51.46 87.92 91.00 | 83,60.40 18,49.14 91.00 |
| | स्पिनफेड | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 15,00.00 | 15,00.00 | .. | .. | 2,50.00 | 2,50.00 |
| मरुस्थल विकास कार्यक्रम | मरुस्थल विकास कार्यक्रम | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | | | | | 99.43 17.60 22.72 | 99.43 17.60 22.72 | | | 1,39.60 28.40 48.67 | 1,39.60 28.40 48.67 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | | वास्तविक 2012-13 | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | राज्यांश | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | | | | | | | | | | | 5,55.32 2,33.25 3,22.10 | 5,55.32 2,33.25 3,22.10 | |
| इन्दिरा आवास योजना | इन्दिरा आवास योजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 1,07,47.13 3,42,03.49 1,17,54.27 | | 1,07,47.13 3,42,03.49 1,17,54.27 | | | 53,15.39 40,37.36 67,51.70 | 53,15.39 40,37.36 67,51.70 | | | | | 32,90.24 12,32.65 39,37.94 | 32,90.24 12,32.65 39,37.94 | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 22,39,92.02 4,15,59.34 5,74,49.71 | | 22,39,92.01 4,15,59.34 5,74,49.71 | | | 1,05,45.50 18,84.00 25,74.00 | 1,05,45.50 18,84.00 25,74.00 | | | | | 1,79,35.00 33,44.50 53,20.50 | 1,79,35.00 33,44.50 53,20.50 | |
| जिला ग्रामीण विकास अभिकरण | जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 13,65.94 5,66.28 7,44.10 | | 13,65.94 5,66.28 7,44.10 | | | 6,33.36 1,60.65 2,19.30 | 6,33.36 1,60.65 2,19.30 | | | | | 6,57.79 1,44.45 1,88.59 | 6,57.79 1,44.45 1,88.59 | |
| | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी. आर. जी. एफ.) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 1,31,41.00 54,69.00 28,95.00 | | 1,31,41.00 54,69.00 28,95.00 | | | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम मिड-डे मील | राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम मिड-डे मील | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 3,69,55.50 86,14.20 1,11,18.40 | | 3,69,56.35 86,14.19 1,11,18.34 | | | 2,21,53.16 92,30.06 1,20,21.78 | 63,31.31 26,73.72 33,83.11 | 2,84,84.47 1,19,03.78 1,54,04.89 | | | | 3,59,94.10 77,61.88 97,03.42 | 4,57,54.55 99,82.16 1,29,05.38 | |
| राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना | राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | 74.00 | 74.00 | .. | .. | .. | .. | 3,27.59 | 3,27.59 | |
| | सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 70,84.45 13,91.60 18,36.75 | | 70,84.45 13,91.60 18,36.75 | | | | | | | | | | | |
| | चम्बल दाहिनी नहर | सामान्य | 1,92.30 | .. | 1,92.30 | .. | .. | 27,33.09 | 27,33.09 | .. | .. | .. | 51.30 | 8,19.03 | 8,70.33 | |
| | नर्मदा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 1,26,46.81 11,01.31 18,13.55 | | 1,26,40.44 11,01.31 18,13.55 | | | | | | | | | | | |
| | गंग केनाल | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 98,58.54 18,99.79 | | 87,97.31 18,99.78 | | | 28,00.89 9,31.68 | 28,30.99 9,94.57 | 56,31.88 19,26.25 | | | | 18,92.99 5,23.75 | 38,07.54 11,25.26 | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | | वास्तविक 2012-13 | | | |
|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|--|--|
| | | | 2014-15 | | व्यय | | व्यय | | कुल | | व्यय | | कुल | | | |
| | | | बजट प्रावधान | मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिस्सा | राज्यांश | कुल व्यय | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिस्सा | राज्यांश | कुल व्यय | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्वीकार्य शोध तथा मृदा सर्वेक्षण | स्वीकार्य शोध तथा मृदा सर्वेक्षण-इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 25.49 1,17.21 | .. | .. | 25.47 1,17.20 | .. | .. | 21.86 79.07 | 21.86 1,34.26 | .. | .. | 15.21 91.36 | 15.21 1,57.85 | | |
| | चम्बल क्षेत्र का विकास | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 10,23.76 42.64 14.08 | .. | .. | 9,48.19 42.64 14.08 | .. | 6,31.85 | 6,78.20 2.00 5.10 | 13,10.05 2.00 5.10 | .. | 7,00.50 | 6,28.58 | 13,29.08 | | |
| | अमर सिंह जस्सना वितरिकाएं | सामान्य अ.जा.उ.यो. | | .. | .. | | .. | .. | 44.10 14.80 | 44.10 14.80 | .. | 1,79.99 | 1,79.99 | 3,59.98 | | |
| | सिद्धमुख नोहर परियोजना | सामान्य अ.जा.उ.यो. | | .. | .. | | .. | .. | 1,71.60 36.60 | 1,71.60 36.60 | .. | 2,64.97 | 2,64.81 | 5,29.78 | | |
| | बीसलपुर क्षेत्र का विकास | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 8,72.61 52.42 64.37 | .. | .. | 8,15.54 48.99 60.95 | .. | 4,57.50 | 6,63.84 64.87 64.87 | 11,21.34 64.87 64.87 | .. | 7,31.34 | 6,43.58 | 13,74.92 | | |
| | निदेशन तथा प्रवर्तन | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,00.00 | 2,00.00 | .. | .. | .. | .. | | |
| | आर्थिक महत्व की सड़कें | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 2,46,56.20 .. | .. | .. | 2,86,44.40 .. | .. | 79.56 | .. | 79.56 | .. | 9,83.96 | .. | 9,83.96 | | |
| | अन्तर्राज्यीय सड़कें | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 9,33.50 62.71 27.62 | .. | .. | 9,33.49 62.71 27.62 | .. | 53,83.72 | .. | 53,83.72 | .. | 30,04.44 | .. | 30,04.44 | | |
| विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी | विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी | सामान्य | 1,15.51 | .. | .. | 1,15.51 | .. | 61.35 | 14.05 | 75.40 | .. | 75.03 | 0.47 | 75.50 | | |
| | सिंचित क्षेत्र विकास | सामान्य | 1,05.69 | .. | .. | 1,05.69 | .. | 62.66 | 62.66 | 1,25.32 | .. | 61.45 | 61.45 | 1,22.90 | | |
| | पर्यटन स्थलों का विकास | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 15,43.50 1,03.90 46.80 | .. | .. | 15,19.72 1,03.89 46.80 | .. | 10,13.42 | 8,92.54 1,45.41 78.03 | 19,05.96 1,45.41 78.03 | .. | 17,22.23 | 3,91.39 | 21,13.62 | | |
| राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन | सामान्य | 8,50.47 | .. | .. | 8,46.73 | .. | 23,88.83 | .. | 23,88.83 | .. | 46.69 | .. | 46.69 | | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | राज्यांश | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| | स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 8,42.96 1,81.68 2,33.32 | | 8,42.96 1,81.68 2,33.32 | | 5,48.37 1,23.87 1,58.61 | 2,06.28 41.29 52.87 | 7,54.65 1,65.16 2,11.48 | | 11,47.57 74.81 7,02.93 | 3,81.40 24.94 2,34.31 | 15,28.97 99.75 9,37.24 | |
| | जेल भवन | सामान्य | 18,98.45 | .. | 19,00.36 | .. | .. | 14,65.41 | 14,65.41 | .. | .. | 5,43.47 | 5,43.47 | |
| | पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण | सामान्य | 10,85.00 | .. | 10,85.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | प्राथमिक विद्यालय भवन में निर्माण कार्य | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 23.29 | 1,57.76 | 1,81.05 | .. | 1.58 | .. | 1.58 | |
| तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम | तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 13,53.79 1,30.81 2,61.40 | | 13,53.79 1,30.81 2,61.40 | | 6,41.40 61.20 1,22.40 | 2,13.80 20.40 40.80 | 8,55.20 81.60 1,63.20 | | 5,72.00 .. 1,19.00 | 1,96.14 .. 39.45 | 7,68.14 .. 1,58.45 | |
| | चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में निर्माण कार्य | सामान्य | 32,74.03 | .. | 33,49.05 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर में निर्माण कार्य | सामान्य | 24,77.35 | .. | 24,77.35 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में निर्माण कार्य | सामान्य | 14,36.22 | .. | 14,36.22 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में अन्य व्यय | सामान्य | 10,21.34 | .. | 10,21.34 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो-स्थापना | सामान्य | 27,06.03 | .. | 27,06.01 | .. | 4,10.78 | 47.13 | 4,57.91 | .. | 3,23.32 | 21.80 | 3,45.12 | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) | बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 30,78.50 6,22.50 7,99.00 | | 30,78.50 6,22.50 7,99.00 | | | 36,24.34 6,47.72 8,84.94 | 36,24.34 6,47.72 8,84.94 | | | 18,09.00 5,66.00 6,75.00 | 18,09.00 5,66.00 6,75.00 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | चम्बल-भरतपुर जलपूर्ति परियोजना (नाबार्ड) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 14,26.78 3,36.37 4,40.83 | | 14,26.78 3,36.37 4,40.83 | | | 6,03.28 .. 74.81 | 6,03.28 (-) 18.08 74.81 | | | 2,10.72 1,35.76 98.43 | 2,10.72 1,35.76 98.43 | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | राज्यांश | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | जवाई-पाली-जालौर पाइपलाईन परियोजना (राज्यांश) (नाबार्ड) | सामान्य | 5,00.00 | .. | 5,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | राजसमन्द जलपूर्ति योजना (बागरी का नाका) (नाबार्ड) | सामान्य | 4,00.00 | .. | 3,99.58 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,23.01 | 4,23.01 | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना ऐरन-किशनगढ़ | सामान्य अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.87 | 3.87 | .. | .. | 2,44.87 | 2,44.87 | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना भिनाय- मसूदा फेज-II | सामान्य | 7,43.68 | .. | 7,43.62 | .. | .. | 3,42.37 | 3,42.37 | .. | .. | 36.77 | 36.77 | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | डॉंग क्षेत्र जलपूर्ति परियोजना धौलपुर (नाबार्ड) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 1,58.63 1,10.71 79.91 | .. | 1,58.63 1,10.71 79.91 | .. | .. | 1,50.33 10.00 31.00 | 1,50.33 10.00 31.00 | .. | .. | 4,44.97 57.62 1,77.58 | 4,44.97 57.62 1,77.58 | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | इन्दोका-माणकलाव- दौतीवाड़ा जलपूर्ति परियोजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 14,90.01 1,46.34 3,19.53 | .. | 14,90.01 1,46.34 3,19.53 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21,35.99 3,53.51 5,86.81 | 21,35.99 3,53.51 5,86.81 | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | उम्मेद सागर धावा समदड़ी जलपूर्ति परियोजना (राज्यांश) (नाबार्ड) | सामान्य | 23,65.22 | .. | 23,65.21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | कोलायत-नोखा जलपूर्ति परियोजना | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 12,68.61 3,25.99 | .. | 12,68.61 3,25.99 | .. | .. | 3,69.35 2,03.03 | 3,69.35 2,03.03 | .. | .. | 43.65 21.66 | 43.65 21.66 | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | कोलायत तहसील जलपूर्ति परियोजना | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 17,93.12 4,14.64 | .. | 17,93.12 4,14.64 | .. | .. | 3,51.83 1,95.73 | 3,51.83 1,95.73 | .. | .. | 70.00 24.08 | 70.00 24.08 | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना अजमेर-किशनगढ़ (राज्यांश) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 53,75.54 8,13.03 15,01.23 | .. | 53,75.54 8,13.03 15,01.23 | .. | .. | 16,81.03 11,36.79 9,54.78 | 16,81.03 11,36.79 9,54.78 | .. | .. | 9,49.82 | 9,49.82 | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | देवनीया-शेरगढ़- छाबा जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 50,02.89 | .. | 50,02.89 | .. | .. | 11,77.98 | 11,77.98 | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|-------------|---------------------------------|---|----------|------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| | खुड़ियाला-जियाबेरी-आगोलाई जलपूर्ति परियोजना (राज्यांश) | सामान्य | 3,81.22 | .. | 3,81.21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | तीवरी-मथानिया-औसियां- बावड़ी-भोपालगढ़ जलपूर्ति परियोजना | सामान्य अ.जा.उ.यो. | 31,10.00 6,57.91 | .. | 31,09.61 6,57.90 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11,35.89 5,67.95 | 11,35.89 5,67.95 |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | रेवा जलपूर्ति परियोजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,87.40 48.98 65.16 | .. | 2,87.40 48.98 65.16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.50 12.56 17.20 | 4.50 12.56 17.20 |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | देवास परियोजना फेज II (नाबार्ड) | सामान्य ज.जा.उ.यो. | | .. | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13,99.99 5,00.00 | 13,99.99 5,00.00 |
| | इन्दोका-माणकलाव-खांगटा जलपूर्ति परियोजना (नाबार्ड) | सामान्य | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.46 | 1.46 |
| | पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति परियोजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 18,68.76 3,71.49 4,86.50 | .. | 18,68.76 3,71.49 4,86.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | नर्मदा-गुडामालानी जलपूर्ति परियोजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 16,60.57 3,52.01 4,87.37 | .. | 16,60.57 3,52.01 4,87.37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.44 | 0.44 |
| | विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में बैफ के माध्यम से कृत्रिम बीजापण केन्द्र का संचालन | ज.जा.उ.यो. | 1,12.86 | .. | 1,12.86 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | समग्र महिला अधिकारिता कार्यक्रम | सामान्य | 1,57.41 | .. | 1,57.42 | .. | 13.64 | .. | 13.64 | .. | 2,39.70 | .. | 2,39.70 | .. |
| | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 24,15.07 7,51.90 8,28.22 | .. | 23,80.95 7,41.75 8,20.66 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | कुल | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 4,64.69 1,35.61 1,31.89 | | 4,55.77 1,33.61 1,29.59 | | | | | | | | | |
| | बाल गृह भवन | सामान्य | 7,55.38 | .. | 7,55.34 | .. | 1,85.39 | 5,06.55 | 6,91.94 | .. | .. | 3,67.85 | 3,67.85 | |
| | एकीकृत बाल विकास योजना-IV (आई.सी.डी.एस. IV) (विश्व बैंक सहायता) | सामान्य | 1,25.14 | .. | 1,25.07 | .. | 0.86 | 0.10 | 0.96 | .. | .. | .. | .. | |
| कार्य योजना | नदी घाटी परियोजना कार्य योजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | | | | | | | .. | 7,45.94 3,45.59 67.51 | 82.88 38.40 7.50 | 8,28.82 3,83.99 75.01 | |
| कार्य योजना | लूनी नदी कार्य योजना | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,34.77 | 15.70 | 1,50.47 | |
| ग्राम न्यायालय | ग्राम न्यायालय | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 9,50.43 2,87.53 1,60.22 | | 9,55.38 2,85.51 1,60.06 | | 1,39.13 | 7,73.37 2,48.41 1,57.14 | 9,12.50 2,48.41 1,57.14 | .. | 1,43.20 | 6,55.21 2,01.58 1,25.26 | 7,98.41 2,01.58 1,25.26 | |
| सर्व शिक्षा अभियान | शिक्षा गारन्टी योजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 25,22,80.19 5,38,63.02 6,49,21.93 | | 25,22,80.19 5,38,63.02 6,49,21.93 | | | 7,65,83.05 1,39,43.99 2,23,72.93 | 7,65,83.05 1,39,43.99 2,23,72.93 | .. | | 8,92,48.09 2,01,00.47 3,61,75.39 | 8,92,48.09 2,01,00.47 3,61,75.39 | |
| अल्पसंख्यक छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति | अल्पसंख्यक छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति | सामान्य | 44,25.27 | .. | 44,25.11 | .. | 33,58.59 | 10,42.07 | 44,00.66 | .. | 20,68.81 | 7,54.14 | 28,22.95 | |
| | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,86,24.43 60,20.55 73,33.48 | | 2,86,20.11 60,20.26 73,32.96 | | | 62,33.34 10,68.69 16,02.67 | 62,33.34 10,68.69 16,02.67 | .. | | 20,47.30 3,45.10 5,08.92 | 20,47.30 3,45.10 5,08.92 | |
| | बालिका छात्रावास | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 18,70.40 3,80.58 5,18.58 | | 18,70.40 3,80.58 5,18.58 | | 6,09.05 77.44 12.20 | 1,02.39 8.62 1.35 | 7,11.44 86.06 13.55 | .. | | 78.63 | 78.63 | |
| | मॉडल स्कूल | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 77,96.02 15,25.33 19,77.31 | | 77,96.02 15,25.33 19,77.31 | | | 1,99.60 6,13.07 2,13.86 | 1,99.60 6,13.07 2,13.86 | .. | | 8,43.37 | 8,43.37 | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान 2014-15 बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | वास्तविक 2014-15 | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय | |
| | | | | | | | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | कुल व्यय | | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | कुल व्यय | | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | कुल व्यय |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| साक्षर भारत अभियान | साक्षर भारत अभियान | सामान्य | 30,37.70 | .. | 30,37.70 | .. | .. | 9,27.93 | 9,27.93 | .. | .. | .. | .. | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 3,33.84 | .. | 3,33.84 | .. | .. | 1,43.27 | 1,43.27 | .. | .. | .. | .. | |
| | | अ.जा.उ.यो. | 6,24.00 | .. | 6,24.00 | .. | .. | 2,67.80 | 2,67.80 | .. | .. | .. | .. | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) | राज्यव्यापी आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवा | सामान्य | 51,16.90 | .. | 51,16.90 | .. | .. | 43,49.65 | 43,49.65 | .. | .. | 39,28.40 | 39,28.40 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 10,02.11 | .. | 10,02.11 | .. | .. | 8,08.35 | 8,08.35 | .. | .. | 7,14.80 | 7,14.80 | |
| | | अ.जा.उ.यो. | 13,20.91 | .. | 13,20.91 | .. | .. | 10,60.00 | 10,60.00 | .. | .. | 9,56.80 | 9,56.80 | |
| | जयपुर मेट्रो रेल परियोजना | सामान्य | 1,00,00.00 | .. | 1,00,00.00 | .. | .. | 4,47,00.00 | 4,47,00.00 | .. | .. | 5,60,99.97 | 5,60,99.97 | |
| | व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना | सामान्य | 2,70.63 | .. | 2,70.62 | .. | 1,32.91 | 44.30 | 1,77.21 | .. | 3,66.09 | 1,22.03 | 4,88.12 | |
| अल्पसंख्यक छात्रों को मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति | व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति | सामान्य | 80.32 | .. | 80.32 | .. | 6,68.66 | .. | 6,68.66 | .. | 6,33.84 | .. | 6,33.84 | |
| | अल्पसंख्यक छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | सामान्य | 8,19.98 | .. | 8,19.98 | .. | 16,82.47 | .. | 16,82.47 | .. | 14,27.86 | .. | 14,27.86 | |
| राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना | राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण तथा पोषाहार योजना | सामान्य | 1,09,99.43 | .. | 1,09,99.42 | .. | 51,88.15 | 56,73.31 | 1,08,61.46 | .. | 45,78.45 | 62,94.83 | 1,08,73.28 | |
| सशर्त मातृत्व लाभ योजना | सशर्त मातृत्व लाभ योजना | सामान्य | 21,56.69 | .. | 21,56.31 | .. | 17,58.49 | .. | 17,58.49 | .. | 16,17.32 | .. | 16,17.32 | |
| एकीकृत जलग्रहण प्रबन्ध कार्यक्रम | एकीकृत जलग्रहण प्रबन्ध कार्यक्रम | सामान्य | 2,94,13.20 | .. | 2,94,13.20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33,15.10 | 33,15.10 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 53,48.32 | .. | 53,48.32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,92.45 | 5,92.45 | |
| | | अ.जा.उ.यो. | 73,65.59 | .. | 73,65.59 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,09.45 | 8,09.45 | |
| | अभिवृद्धि सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत | सामान्य | 4,68.88 | .. | 4,11.49 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 4,38.13 | .. | 3,99.95 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | सूखा क्षेत्र में लघु सिंचाई निर्माण कार्य | अ.जा.उ.यो. | 1,20.63 | .. | 1,11.56 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना | राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (राज्यांश) | सामान्य | 32,68.82 | .. | 32,52.71 | .. | .. | 18.38 | 18.38 | .. | .. | 5,84.14 | 5,84.14 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 64.29 | 64.29 | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय# व्यय# | मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| मिशन मोड परियोजना | कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 1,56.37 | 1,56.37 | .. | .. | 5,92.91 | 5,92.91 | | |
| | राजस्थान उच्च न्यायालय भवन | ज.जा.उ.यो. | 2,34.96 | .. | 2,34.96 | .. | 1,21.50 | 36.95 | 1,58.45 | .. | 0.01 | .. | 0.01 | |
| | अस्वच्छ कार्य करने वाले छात्रों एवं छात्राओं को प्री मेट्रीक छात्रवृत्ति | अ.जा.उ.यो. | 12,10.06 | .. | 12,08.51 | .. | 3,12.40 | 13,72.29 | 16,84.69 | .. | .. | .. | .. | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के विभिन्न घटकों का सुदृढीकरण तथा पुर्नजीविकरण | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,85.11 | 3,85.11 | | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | अनुसूचित जाति बस्ती में ग्रामीण जलपूर्ति | अ.जा.उ.यो. | 1,23,85.00 | .. | 1,23,83.80 | .. | .. | 96,49.35 | 96,49.35 | .. | .. | 89,71.47 | 89,71.47 | |
| | टाडा क्षेत्र में ग्रामीण जलपूर्ति | ज.जा.उ.यो. | 75,57.00 | .. | 75,56.06 | .. | .. | 46,30.24 | 46,30.24 | .. | .. | 21,47.23 | 21,47.23 | |
| समेकित बाल संरक्षण योजना | समेकित बाल संरक्षण योजना | सामान्य | 47,37.69 | .. | 47,37.69 | .. | 22,20.20 | 7,95.56 | 30,15.76 | .. | 11,25.82 | 4,96.73 | 16,22.55 | |
| | समेकित बाल विकास सेवाएं | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 5,38,94.19 79,57.49 | .. | 5,38,94.15 79,55.67 | .. | 3,32,18.92 46,97.78 | 1,52,64.18 23,97.32 | 4,84,83.10 70,95.10 | .. | 3,27,41.24 45,99.61 | 90,91.92 12,95.95 | 4,18,33.16 58,95.56 | |
| | सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण (वायरलेस) | सामान्य | .. | .. | .. | .. | 2,16.82 | .. | 2,16.82 | .. | 3,27.11 | .. | 3,27.11 | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | | | | | 13,37.33 5,34.93 8,02.40 | 13,37.33 5,34.93 8,02.40 | | | 8,04.27 3,37.79 4,66.48 | 8,04.27 3,37.79 4,66.48 | |
| | सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 1,18,16.05 22,30.51 45,70.68 | | 1,18,16.05 22,30.51 45,70.68 | | | 14,04.80 2,51.20 3,44.00 | 14,04.80 2,51.20 3,44.00 | | | 19,95.94 | 19,95.94 | |
| | सीमावर्ती सड़कें | सामान्य | 42,87.80 | .. | 43,14.13 | .. | 53,79.85 | .. | 53,79.85 | .. | 59,97.35 | .. | 59,97.35 | |
| | भारतीय सशक्तिकरण सांख्यिकी परियोजना | सामान्य | 8,07.87 | .. | 8,07.85 | .. | 72.00 | 31.10 | 1,03.10 | .. | 29,08.41 | 1,64.61 | 30,73.02 | |
| राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) | राष्ट्रीय सेवा योजना - महाविद्यालय | सामान्य | 3,56.53 | .. | 3,56.53 | .. | 1,86.34 | 1,33.09 | 3,19.43 | .. | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | भारत | व्यय | | भारत | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय# व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | कुल व्यय | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | कुल व्यय |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | |
| | चम्बल बांधी नहर | सामान्य | 45.44 | .. | 45.44 | .. | 1.91 | 12,26.68 | 12,28.59 | .. | 32.20 | 32.20 | 64.40 |
| | केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 1,62,02.48 11,62.07 20,77.67 | | 1,62,02.48 11,62.07 20,77.67 | | | | | | | | |
| | केन्द्रीय सड़क निधि से अंतरण | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | | (-) 1,62,02.48 (-) 11,62.07 (-) 20,77.67 | | | | | | | | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना | संचालन तथा रखरखाव | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 1,99,17.37 55,83.73 | | 1,64,40.61 51,96.00 | | | 52,90.75 14,49.79 | 52,90.75 14,49.79 | | | 10,54.57 5,50.00 | 10,54.57 5,50.00 |
| | यू.आई.डी. परियोजना | सामान्य | 2,88.30 | .. | 2,88.31 | .. | 38.16 | 69.53 | 1,07.69 | .. | 30.07 | 40.40 | 70.47 |
| | आर.आई.डी.एफ. XVI के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित पशु चिकित्सा अस्पताल तथा चिकित्सालय भवन का सुदृढीकरण तथा पुनरुद्धार | सामान्य | 1,35.86 | .. | 1,37.05 | .. | 1,18.21 | 39.22 | 1,57.43 | .. | 7,02.82 | 2,35.28 | 9,38.10 |
| | आर.आई.डी.एफ. XVI के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित पशु चिकित्सा अस्पताल तथा चिकित्सालय भवन का निर्माण | सामान्य | 2,24.84 | .. | 2,22.51 | .. | 1,98.68 | 66.23 | 2,64.91 | .. | 3,25.34 | 1,08.45 | 4,33.79 |
| | स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,20.00 40.86 53.43 | | 2,20.00 40.86 53.43 | | | | | | | | |
| | आर.एस.डब्ल्यू.ए.एन. वर्टिकल (राज्यांश) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 9,27.36 1,54.56 2,06.08 | | 9,27.36 1,54.56 2,06.08 | | | | | | | | |
| | सूचना एवं संचार तकनीकी | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 13,19.61 4,06.89 5,82.65 | | 13,19.61 4,06.89 5,82.65 | | 39,20.01 | 8,79.02 2,53.56 2,43.89 | 47,99.03 2,53.56 2,43.89 | | | | |
| | केन्द्र सरकार की सहायता से पॉलोटेक्निक खेलना | सामान्य | 4,01.01 | .. | 4,01.02 | .. | .. | 2,06.14 | 2,06.14 | .. | .. | 71.86 | 71.86 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | 2014-15 | | 2014-15 | | 2013-14 | | 2013-14 | | | 2012-13 | | |
| | | | बजट प्रावधान | मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| आपणी योजना फेज-II (चूरु एवं झुंझनू जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 86,52.76 24,54.85 30,41.37 | | 86,52.75 24,54.85 30,41.37 | | | | | | | | | |
| बोराबास-मण्डाना जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 4,26.12 1,11.84 1,46.97 | | 4,26.11 1,11.84 1,46.97 | | | 4,75.40 2,51.20 2,15.00 | 4,75.40 2,51.20 2,15.00 | | | 58.08 .. 75.00 | 58.08 .. 75.00 | |
| चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 82,75.92 18,36.08 24,37.97 | | 82,75.91 18,36.08 24,37.97 | | | | | | | | | |
| चम्बल-सवाई माधोपुर-बालेर जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | | | | | 2,39.70 1,69.94 89.92 | 2,39.70 1,69.94 89.92 | | | | | |
| नागौर लिफ्ट केनाल जलपूर्ति परियोजना फेज-I (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 48,09.74 15,14.87 19,10.55 | | 48,09.74 15,14.87 19,10.55 | | | | | | | | | |
| नागदा-अन्ता-बलदेवपुरा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 1,82.81 38.83 57.25 | | 1,82.80 38.83 57.25 | | | 2,55.13 52.42 67.53 | 2,55.13 52.42 67.53 | | | 2,76.08 45.68 78.24 | 2,76.08 45.68 78.24 | |
| बीसलपुर डेम (ग्रामीण) से टोंक, उनियारा तथा देवली जलपूर्ति परियोजना | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 15,63.03 4,67.65 4,94.98 | | 15,63.03 4,67.65 4,94.98 | | | 22,68.88 9,11.27 11,85.88 | 22,68.88 9,11.27 11,85.88 | | | 9,35.87 3,96.45 7,64.97 | 9,35.87 3,96.45 7,64.97 | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में वाडी विकास परियोजना | | ज.जा.उ.यो. | 1,50.00 | .. | 1,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में पशुपालन परियोजना | | ज.जा.उ.यो. | 8,37.14 | .. | 8,37.14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान 2014-15 बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|----|
| | | | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय | | कुल व्यय | |
| | | | | | | | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु सहायता | | ज.जा.उ.यो. | 2,00.00 | .. | 2,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में कृषि उपकरण के वितरण सहित कृषि विकास परियोजना | | ज.जा.उ.यो. | 24,10.00 | .. | 24,10.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में पशुपालन परियोजना | | ज.जा.उ.यो. | 1,35.00 | .. | 1,35.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में विद्युत् पम्प सेट/डीजल पम्प सेट, पी वी सी पाइप, स्प्रींकलर तथा कुओं के विद्युतीकरण के लिए सहायता | | ज.जा.उ.यो. | 1,15.00 | .. | 1,15.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में विद्युत् पम्प सेट/डीजल पम्प सेट, पी वी सी पाइप, स्प्रींकलर तथा कुओं के विद्युतीकरण के लिए सहायता | | ज.जा.उ.यो. | 2,34.00 | .. | 2,34.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन | | ज.जा.उ.यो. | 14,31.80 | .. | 14,31.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत विभिन्न जनजाति क्षेत्र में आधार रेखा सर्वेक्षण | | ज.जा.उ.यो. | 3,00.00 | .. | 3,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|---|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|-------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | भारत | व्यय | | भारत | व्यय | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय# व्यय | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | कुल व्यय | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | |
| भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत परियोजना निर्माण | | ज.जा.उ.यो. | 1,50.00 | .. | 1,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई का निर्माण तथा बंद लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार | | ज.जा.उ.यो. | 2,50.00 | .. | 2,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आश्रम छात्रावासों का निर्माण तथा पुनरुद्धार | | ज.जा.उ.यो. | 19,50.00 | .. | 19,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बस्तियों से सेवा केन्द्रों का जुड़ाव | | ज.जा.उ.यो. | 3,50.00 | .. | 3,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अभियांत्रिक महाविद्यालय भवन का निर्माण तथा पुनरुद्धार | | ज.जा.उ.यो. | 5,00.00 | .. | 5,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माड़ा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बस्तियों से सेवा केन्द्रों का जुड़ाव | | ज.जा.उ.यो. | 2,50.00 | .. | 2,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा पुनरुद्धार | | ज.जा.उ.यो. | 8,00.00 | .. | 8,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत हेण्डपम्पों के लगाने सहित पीने योग्य पानी की योजनाएं | | ज.जा.उ.यो. | 2,96.61 | .. | 2,96.61 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान 2014-15 बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | | वास्तविक 2012-13 | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय | |
| | | | | | | | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | कुल व्यय | | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु विभिन्न प्रयोजनार्थ छात्रावासों का निर्माण तथा पुनरूद्धार | | ज.जा.उ.यो. | 2,92.00 | .. | 2,92.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सड़कों तथा नालियों का निर्माण | | ज.जा.उ.यो. | 4,00.00 | .. | 4,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालय की मरम्मत तथा आधुनिकीकरण | | ज.जा.उ.यो. | 4,50.00 | .. | 4,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राजकीय शिक्षण संस्था में अतिरिक्त कमरों का निर्माण | | ज.जा.उ.यो. | 4,46.00 | .. | 4,46.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित बस्तियों से सेवा केन्द्रों का जुड़ाव | | ज.जा.उ.यो. | 8,57.00 | .. | 8,57.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| अन्य न्यायिक भवन | | सामान्य | 44,04.85 | .. | 43,96.88 | .. | 3,85.09 | 30,68.12 | 34,53.21 | .. | 1,24.19 | 15,30.73 | 16,54.92 | |
| गंदगी मुक्त भारत के लिए राजीव आवास योजना | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 1,19,23.29 24,43.77 31,04.61 | | 1,19,23.29 24,43.77 31,04.61 | | 44,23.35 9,84.67 13,33.08 | 26,54.01 5,90.80 7,99.85 | 70,77.36 15,75.47 21,32.93 | | 8,05.25 1,49.08 1,90.79 | | 8,05.25 1,49.08 1,90.79 | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना भीमनी | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 3,19.94 91.20 1,19.52 | | 3,19.94 91.20 1,19.52 | | | 4,85.10 99.87 1,28.32 | 4,85.10 99.87 1,28.32 | | | 35.93 3.81 39.12 | 35.93 3.81 39.12 | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | भारत | व्यय | | भारत | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय# व्यय# | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | कुल व्यय | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | कुल व्यय |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना माधवी | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 4,45.46 98.52 1,37.60 | | 4,45.46 98.52 1,37.60 | | | 5,69.04 1,16.47 1,46.42 | 5,69.04 1,16.47 1,46.42 | | | 1,08.38 26.66 20.59 | 1,08.38 26.66 20.59 |
| खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (डी एम एफ पी) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 14,45.70 54.20 83.00 | | 14,44.73 54.20 83.00 | | 8,70.41 | 1,84.25 35.70 75.52 | 10,54.66 35.70 75.52 | | 2,34.53 | 74.90 | 3,09.43 |
| आश्रम छात्रावासों (लड़कियों) का निर्माण तथा पुनरुद्धार | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | 26,46.87 | .. | 26,46.87 | .. | 15,00.00 | .. | 15,00.00 |
| सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु सहरिया आवास का निर्माण तथा पुनरुद्धार | | ज.जा.उ.यो. | 7,00.00 | .. | 7,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 6,60.00 | .. | 6,60.00 |
| सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु सहरिया भवन का निर्माण तथा पुनरुद्धार | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,20.00 | .. | 1,20.00 |
| सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु नव प्रवर्तन योजनाएँ | | ज.जा.उ.यो. | 10.00 | .. | 10.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,10.00 | .. | 2,10.00 |
| सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु सहरिया के लिए माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन | | ज.जा.उ.यो. | 9,44.50 | .. | 9,44.50 | .. | 4,29.60 | .. | 4,29.60 | .. | 3,20.00 | .. | 3,20.00 |
| सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु घरेलू सोलर विद्युत् के लिए सहायताार्थ अनुदान | | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00.00 | .. | 1,00.00 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------|--|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | राज्यांश | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| सी.सी.डी.योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानदेय | | ज.जा.उ.यो. | 25.00 | .. | 25.00 | .. | 1,43.84 | .. | 1,43.84 | .. | 19.50 | .. | 19.50 | |
| आई.सी.डी.एस. मिशन के अन्तर्गत ए डब्लू सी भवन का निर्माण | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | | | | 22,51.12 4,42.12 5,82.19 | 7,50.37 1,47.38 1,94.06 | 30,01.49 5,89.50 7,76.25 | | | | | |
| राजगढ बूंगी जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 47,46.36 10,40.84 14,89.00 | | 47,46.36 10,40.84 14,89.00 | | | | | | | | | |
| नावां के 72 गावों का आर डब्लू एस एस (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 27,64.79 7,85.00 5,48.79 | | 27,64.79 7,85.00 5,48.79 | | | 14,34.58 2,95.40 3,75.00 | 14,34.58 2,95.40 3,75.00 | | | | | |
| निवाई और टोंक तहसील के 199 गावों का आर डब्लू एस एस (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 13,07.91 3,11.68 3,81.42 | | 13,00.06 3,11.68 3,81.42 | | | 3,87.43 1,20.25 1,89.57 | 3,87.43 1,20.25 1,89.57 | | | | | |
| नर्मदा जलपूर्ति परियोजना (डी.आर.)(ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 18,60.75 4,11.54 4,95.54 | | 18,60.75 4,11.54 4,95.54 | | | | | | | | | |
| बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II पार्ट बी (68 क्लस्टर गाँव) (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 22,08.16 5,60.58 7,04.71 | | 22,08.15 5,60.58 7,04.71 | | | | | | | | | |
| जवाई-पाली-जोधपुर पाइपलाइन परियोजना फेज-II (क्लस्टर परियोजना) (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 22,04.38 5,61.17 7,36.59 | | 22,04.38 5,61.17 7,36.59 | | | 5,10.00 1,05.00 1,35.00 | 5,10.00 1,05.00 1,35.00 | | | | | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना | | ज.जा.उ.यो. | 6,41.25 | .. | 6,41.25 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान 2014-15 बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय | | भारत सरकार द्वारा जारी | व्यय | | कुल व्यय | |
| | | | | | | | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में पम्प सेट सहित कुओं को प्रबल, ड्रिप/स्प्रिंकलर तथा डीजल/विद्युत् पम्प सेटों का वितरण | ज.जा.उ.यो. | | 4,15.01 | .. | 4,15.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत माडा क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | | 1,50.00 | .. | 1,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत बिरखरे क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | | 2,52.75 | .. | 2,52.75 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजाति छात्रावासों का सोलर विद्युतीकरण | ज.जा.उ.यो. | | 2,50.00 | .. | 2,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजाति छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास | ज.जा.उ.यो. | | 1,50.00 | .. | 1,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत राजकीय अस्पताल भवन का निर्माण तथा पुनरुद्धार | ज.जा.उ.यो. | | 2,10.62 | .. | 2,10.62 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत राजकीय शिक्षण संस्थाओं में सुविधाओं में वृद्धि | ज.जा.उ.यो. | | 2,50.00 | .. | 2,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| फतेहपुर लक्ष्मणगढ जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | 80,77.51 13,91.32 21,24.44 | | 80,77.51 13,91.32 21,24.44 | | | 63,92.20 13,24.97 17,03.50 | 63,92.20 13,24.97 17,03.50 | | | | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|---|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | भारत | व्यय | | भारत | व्यय | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय# व्यय# | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | कुल व्यय | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | कुल व्यय |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | |
| चम्बल से बूंदी कस्बा लिंक | | सामान्य | 72.67 | .. | 72.66 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ट्रांसमिशन मुख्य तथा अन्य | | ज.जा.उ.यो. | 20.11 | .. | 20.11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| आधारभूत (ग्रामीण) | | अ.जा.उ.यो. | 26.23 | .. | 26.23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण | | सामान्य | 3,11.30 | .. | 3,11.28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| अभियान | | ज.जा.उ.यो. | 3,22.86 | .. | 3,22.86 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 8,87.78 | .. | 8,87.78 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| निदेशालय चिकित्सा शिक्षा | | सामान्य | 5,00.00 | .. | 5,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| के अन्तर्गत नये चिकित्सा | | | | | | | | | | | | |
| महाविद्यालय | | | | | | | | | | | | |
| ब्यावर- जवाजा क्लस्टर योजना | | सामान्य | 22,42.45 | .. | 22,42.44 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (ग्रामीण) | | ज.जा.उ.यो. | 4,38.81 | .. | 4,38.81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 6,51.33 | .. | 6,51.33 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| गागरिन जलपूर्ति परियोजना | | सामान्य | 20,71.15 | .. | 20,71.14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (ग्रामीण) | | ज.जा.उ.यो. | 5,13.07 | .. | 5,13.07 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 6,73.48 | .. | 6,73.48 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पीपलाद जलपूर्ति परियोजना | | सामान्य | 2,80.43 | .. | 2,80.42 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (ग्रामीण) | | ज.जा.उ.यो. | 79.82 | .. | 79.82 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 1,18.67 | .. | 1,18.67 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जवाई क्लस्टर परियोजना-II | | सामान्य | 27,01.62 | .. | 27,01.62 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (ग्रामीण) | | ज.जा.उ.यो. | 5,23.79 | .. | 5,23.78 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 8,27.30 | .. | 8,27.29 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| बीसलपुर-दूध परियोजना- | | सामान्य | 42,29.91 | .. | 42,29.91 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| चाकसू, फागी तथा बस्सी | | ज.जा.उ.यो. | 12,69.84 | .. | 12,69.84 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (ग्रामीण) | | अ.जा.उ.यो. | 18,70.45 | .. | 18,70.45 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| चम्बल-धौलपुर-भरतपुर | | सामान्य | 23,14.61 | .. | 23,14.61 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| परियोजना फेज 1 पार्ट 2 | | ज.जा.उ.यो. | 5,56.58 | .. | 5,56.58 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (ग्रामीण) | | अ.जा.उ.यो. | 7,28.82 | .. | 7,28.82 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----|--|
| | | | 2014-15 | | | भारत | | भारत | | भारत | | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान | मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | हिस्सा | सरकार | द्वारा | सरकार | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | कुल | सरकार | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | कुल | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | |
| बांरा क्लस्टर परियोजना (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | | | (-) 1,30.53 (-) 30.87 (-) 22.50 | | | | | | | | | | |
| बांसवाड़ा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 10,16.60 9,65.23 5,18.02 | | 10,16.59 9,65.23 5,18.02 | | | | | | | | | | |
| चम्बल- भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना क्लस्टर (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 57,67.24 14,61.44 18,13.81 | | 57,67.23 14,61.45 18,13.81 | | | | | | | | | | |
| बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 20,36.61 15,49.04 10,93.29 | | 20,36.61 15,49.04 10,93.29 | | | | | | | | | | |
| नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,76.59 0.73 1,09.44 | | 2,76.58 0.72 1,09.44 | | | | | | | | | | |
| नर्मदा डी.आर. क्लस्टर परियोजना (ग्रामीण) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,10.65 1,96.00 1,03.38 | | 2,10.65 1,96.00 1,03.38 | | | | | | | | | | |
| कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत एकीकृत सीकर, झुंझनू, खेतड़ी जलपूर्ति परियोजना | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 85,93.98 19,20.35 26,50.64 | | 85,93.98 19,20.35 26,50.64 | | | | | | | | | | |
| नर्मदा (205 गाँवों) से बाड़मेर जिले के शिव तहसील की ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 4,00.00 4,99.33 6,00.00 | | 4,00.00 4,99.33 6,00.00 | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------|------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------|----|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | राज्यांश | भारत सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| राजीव गांधी लिफ्ट केनाल से बावरी कलां, खारा तथा जालोदा ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 6,48.63 1,49.90 1,99.20 | .. | 6,48.62 1,49.90 1,99.20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजीव गांधी लिफ्ट केनाल से घटोर, कानासर तथा बोप ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 10,61.23 1,90.85 1,96.63 | .. | 10,61.23 1,90.85 1,96.63 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भीनमाल तहसील तथा भीनमाल कस्बे में 256 गांवों के लिए ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 16,77.92 4,00.90 5,59.12 | .. | 16,77.92 4,00.90 5,59.12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 37,65.74 7,58.80 10,00.48 | .. | 37,65.73 7,58.80 10,00.48 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| श्री करण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर-कृषि अनुसंधान हेतु सहायता | सामान्य | 5,03.81 | .. | 5,03.81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राष्ट्रीय एडस् तथा एस टी डी नियंत्रण | सामान्य | 21,00.39 | .. | 21,00.39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| निर्यात हेतु आधारभूत विकास के लिए राज्यों को सहायता | सामान्य | 21,99.99 | .. | 21,99.99 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पशु तथा भैसों के प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना | सामान्य | 3,45.00 | .. | 3,45.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ई-जिला | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 3,17.21 59.17 78.89 | .. | 3,17.21 59.17 78.89 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|---|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | भारत | व्यय | | भारत | व्यय | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय# व्यय# | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | कुल व्यय | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत | राज्यांश | कुल व्यय |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | | सामान्य | 4,05,66.00 | .. | 4,05,66.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गहूँ) | | सामान्य | 17,31.83 | .. | 17,31.83 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 2,90.62 | .. | 2,90.63 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 2,71.46 | .. | 2,71.45 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दालें) | | सामान्य | 79,31.72 | .. | 79,19.37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 9,10.72 | .. | 9,10.72 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 15,42.08 | .. | 15,42.84 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (अशिष्ट अन्न) | | सामान्य | 12,99.05 | .. | 12,99.05 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 95.39 | .. | 95.39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 2,62.41 | .. | 2,61.65 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पॉम मिशन (तिलहन) | | सामान्य | 26,99.59 | .. | 23,56.78 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 2,89.80 | .. | 2,89.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 2,42.44 | .. | 2,42.44 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| कृषि विस्तार तथा तकनीकी का राष्ट्रीय मिशन (कृषि विस्तार) | | सामान्य | 13,21.00 | .. | 13,20.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 1,88.99 | .. | 1,88.99 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 2,36.11 | .. | 2,36.11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| कृषि विस्तार तथा तकनीकी का राष्ट्रीय मिशन (कृषि अभियांत्रिकी) | | सामान्य | 5,79.90 | .. | 5,79.90 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 1.80 | .. | 1.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 21.11 | .. | 21.11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| कृषि प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय मिशन (वर्षा पोषित विकास) | | सामान्य | 1,01.28 | .. | 1,01.28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 14.43 | .. | 14.43 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 2.17 | .. | 2.17 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | | सामान्य | 79,82.00 | .. | 79,80.45 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | ज.जा.उ.यो. | 15,33.00 | .. | 15,32.73 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | | अ.जा.उ.यो. | 25,39.16 | .. | 25,39.18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | |
|--|---|--|---|-------------------------|--|-------------------------|---|----------------|-------------------------|---|----------------|----------------|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | भारत | व्यय | | भारत | व्यय | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | व्यय व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिरसा | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | कुल व्यय | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिरसा | राज्यांश | कुल व्यय |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल परिव्यय हेतु 5% पृथक निधि) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 13,45.28 3,05.14 4,65.87 | | 13,45.28 3,05.14 4,65.86 | | | | | | | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम का संचालन एवं रखरखाव | | अ.जा.उ.यो. | 42,09.35 | .. | 36,18.99 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम प्रोत्साहन निधि | | सामान्य | 11,65.64 | .. | 11,65.63 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| कानसिंह-सिद्ध-किदर्थ-मंडोर- फलौदी ग्रामीण जलपूर्ति योजना (एन आर डी डब्ल्यू पी 100% केन्द्र) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 4,27.62 1,17.91 1,54.28 | | 4,27.62 1,17.91 1,54.28 | | | | | | | |
| मालन-जोड़-हिंगाडोल-फलौदी ग्रामीण जलपूर्ति योजना (एन आर डी डब्ल्यू आर 100% केन्द्र) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 3,86.51 1,06.98 1,39.51 | | 3,86.51 1,06.98 1,39.51 | | | | | | | |
| पीलवा-सादड़ी, जम्बेश्वर नगर ग्रामीण जलपूर्ति योजना आर जी एल सी आर डी- 111 (एन आर डी डब्ल्यू आर 100% केन्द्र) | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 2,44.24 67.20 88.16 | | 2,44.24 67.20 88.16 | | | | | | | |
| शहरी जलपूर्ति योजना (डब्लू आर डी डब्ल्यू पी) 100% केन्द्र के अन्तर्गत 14 एनरूट ग्रामीण गांव | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 5,49.52 1,52.09 1,98.35 | | 5,49.52 1,52.09 1,98.35 | | | | | | | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) - (समाप्त)

| भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं) | व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना | सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना | बजट प्रावधान | | वास्तविक 2014-15 | | वास्तविक 2013-14 | | | वास्तविक 2012-13 | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| | | | 2014-15 | भारत | व्यय | भारत | व्यय | | भारत | व्यय | | | |
| | | | बजट प्रावधान मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | सरकार द्वारा जारी | व्यय# मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिस्सा | राज्यांश | कुल व्यय | सरकार द्वारा जारी | के.प्र.यो./के.यो. में भारत सरकार का हिस्सा | राज्यांश | कुल व्यय |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | |
| खुर तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम | | सामान्य | 6,48.71 | .. | 6,48.55 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| अन्य योजनाएं जहां प्रावधान तथा व्यय ₹ 1 करोड़ से कम है | | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 13,06.08 11,74.31 68.34 | | 13,31.59 11,74.32 68.32 | | 9,86.44 19.17 10.34 | 4,46.12 30.63 17.48 | 14,32.56 49.80 27.82 | | 10,21.31 69.68 6.75 | 6,52.95 27.30 55.37 | 16,74.26 96.98 62.12 |
| कुल योग | | | 2,14,10,69.88 | .. | 2,11,85,80.47 | .. | 25,75,34.87 | 56,40,19.37 | 82,15,54.24 | .. | 24,86,29.42 | 52,90,11.63 | 77,76,41.05 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं *

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.# | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|------------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| राजस्थान निवेश संवर्धन नीति | सामान्य | 3,23,86.00 | 1,12,54.94 | 99,99.99 | 4,46,12.47 | 2,70,17.55 | 2,20,45.22 | 4,46,03.96 | 2,70,17.56 | 2,20,45.22 |
| पुलिस आवासीय भवन | सामान्य | 1,09,58.14 | 77,30.81 | 96,73.73 | 81,21.78 | 71,30.54 | 94,23.95 | 81,29.06 | 70,86.62 | 94,23.96 |
| | ज.जा.उ.यो. | 13,81.60 | 13,81.60 | 1,85.85 | 13,81.60 | 13,81.60 | 1,85.85 | 13,81.60 | 13,81.60 | 1,85.85 |
| | अ.जा.उ.यो. | 8,90.26 | 18,87.60 | 1,40.43 | 8,69.76 | 8,90.26 | 1,40.43 | 8,69.76 | 8,90.26 | 1,40.43 |
| सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्यालय एवं संभागीय मुख्यालयों में कम्प्यूटरीकरण | सामान्य | 68.70 | 70.11 | 92.55 | 6.45 | .. | 92.55 | 15.74 | .. | 92.55 |
| | ज.जा.उ.यो. | 13.50 | 12.60 | 3.15 | 9.29 | .. | 3.15 | .. | .. | 3.15 |
| | अ.जा.उ.यो. | 17.80 | 17.29 | 4.30 | .. | .. | 4.30 | .. | .. | 4.30 |
| राजस्व भवन | सामान्य | 67,60.82 | 38,21.80 | 20,35.40 | 86,16.35 | 21,52.07 | 4,42.83 | 86,45.93 | 21,40.51 | 4,42.83 |
| | ज.जा.उ.यो. | 10,48.81 | 1,41.59 | .. | 12,97.67 | 21.22 | .. | 12,97.67 | 21.22 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 8,30.96 | 0.01 | .. | 3,80.20 | .. | .. | 3,78.63 | .. | .. |
| सचिवालय का आधुनिकीकरण | सामान्य | 5,81.08 | 9,03.48 | 5,13.27 | 3,74.96 | 3,62.82 | 2,55.09 | 3,74.96 | 3,62.82 | 2,55.09 |
| शहरी सुरक्षा | सामान्य | 3,60.00 | 3,60.01 | .. | 3,55.94 | 2,93.23 | .. | 3,56.05 | 2,93.24 | .. |
| निदेशालय प्राथमिक शिक्षा का सुदृढीकरण | सामान्य | 6,64.30 | 1,39.64 | 74.52 | 77.34 | 97.55 | 60.52 | 77.33 | 97.56 | 60.50 |
| लड़कों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों का स्थापना व्यय | सामान्य | 1,31,26.55 | 10,74.74 | 8,41.08 | 5,04.49 | 4,42.06 | 4,12.03 | 5,04.48 | 4,41.28 | 4,12.03 |
| | ज.जा.उ.यो. | 10,22.80 | 1,15.61 | 31.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,07.60 | 1,07.60 | 96.60 | 1,07.60 | 1,02.80 | 1,02.80 | 1,07.60 | 1,02.80 | 1,02.80 |
| लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों का स्थापना व्यय | सामान्य | 13,01.40 | 1,37.45 | 49.00 | 12.20 | 10.29 | .. | 12.20 | 10.29 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,12.10 | 2.55 | 1.31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| प्रवेशोत्सव कार्यक्रम | सामान्य | 33,95.00 | 70.00 | 65.00 | 20,80.46 | 26.21 | 39.29 | 20,79.00 | 26.17 | 39.21 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ आश्रम छात्रावास की स्थापना | ज.जा.उ.यो. | 34,43.10 | 30,04.00 | 24,14.95 | 37,03.13 | 24,12.28 | 20,69.18 | 37,03.14 | 24,12.08 | 20,70.40 |

* योजनाओं में ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक का योजनागत परिव्यय अथवा बजट आवंटन अथवा व्यय को सम्मिलित किया गया है।

इस परिशिष्ट में प्रयुक्त निम्न संक्षिप्त रूपों का पूर्ण विवरण इस प्रकार है:- 1. ज.जा.उ.यो. - जनजाति उप-योजना 2. अ.जा.उ.यो. - अनुसूचित जाति उप-योजना।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| मदरसा पैरा टीचर | सामान्य | .. | .. | 25,57.26 | .. | .. | 36,72.61 | .. | .. | 36,72.61 |
| मदरसा बोर्ड | सामान्य | 2,66.23 | 2,46.56 | 10,95.00 | 1,52.68 | 2,06.86 | 3,70.00 | 1,52.68 | 2,06.86 | 3,70.00 |
| अनुसूचित जातियों के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | 8,40.50 | .. | .. | 7,87.19 | .. | .. | 7,87.19 |
| अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | 7,68.50 | .. | .. | 13,10.65 | .. | .. | 13,10.66 |
| रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर | सामान्य | 2,69.96 | 96.41 | 1,66.00 | 1,43.95 | 3,48.58 | 21.47 | 1,43.95 | 3,48.58 | 21.47 |
| लड़कों के राजकीय महाविद्यालय का स्थापना व्यय | सामान्य | 14,84.99 | 6,06.44 | 5,60.07 | 13,33.50 | 4,20.25 | 5,78.99 | 13,32.64 | 4,20.24 | 5,78.99 |
| | ज.जा.उ.यो. | 5,24.00 | 1,74.60 | 1,58.06 | 3,20.04 | 1,03.23 | 71.96 | 3,20.04 | 1,03.22 | 71.96 |
| | अ.जा.उ.यो. | 5,93.26 | 2,26.60 | 2,32.07 | 3,04.71 | 1,00.68 | 1,05.88 | 3,04.73 | 1,00.67 | 1,05.88 |
| लड़कियों के राजकीय महाविद्यालय का स्थापना व्यय | सामान्य | 4,65.00 | 2,19.40 | 2,80.56 | 2,67.98 | 7.33 | 1,25.08 | 2,67.98 | 7.33 | 1,25.09 |
| सतत् शैक्षणिक कार्यक्रम | सामान्य | 2,83.41 | .. | .. | 1,96.37 | .. | .. | 1,96.26 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 31.45 | .. | .. | 15.31 | .. | .. | 15.32 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 4.80 | .. | .. | 3.83 | .. | .. | 3.83 | .. | .. |
| राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर | सामान्य | 1,00.01 | 2,68.44 | 90.00 | 11.31 | 2,20.55 | 1,35.50 | 11.30 | 2,20.55 | 1,35.50 |
| संस्कृत विद्यालय का स्थापना व्यय | सामान्य | 15,68.62 | 1,47.24 | 1,75.30 | 20,04.48 | 6,38.94 | 1,94.10 | 20,04.47 | 6,37.48 | 1,94.10 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,42.57 | 44.32 | 20.90 | 2,25.14 | 57.64 | 16.13 | 2,25.13 | 57.65 | 16.12 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,04.44 | 78.91 | 24.69 | 4,02.81 | 1,26.76 | 37.99 | 4,02.80 | 1,26.75 | 37.96 |
| राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर | सामान्य | 1,00.00 | 1,10.00 | 1,10.00 | 87.35 | 68.17 | 55.65 | 87.34 | 68.17 | 55.65 |
| माध्यमिक विद्यालय भवन में निर्माण कार्य | सामान्य | 15,87.68 | 7,33.60 | 3,90.00 | 3,40.02 | 6,50.35 | 1,19.64 | 3,33.23 | 6,50.36 | 1,19.65 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 30.00 | 90.00 | .. | 29.28 | 4.09 | .. | 29.27 | 4.09 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,46.12 | 2,00.00 | 1,00.00 | 55.51 | 1,31.07 | .. | 55.51 | 1,30.96 | .. |
| शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति हेतु भवन का निर्माण | सामान्य | 8,95.17 | 7,25.60 | 11,70.00 | 5,48.63 | 6,86.88 | 15,80.42 | 5,48.63 | 6,86.88 | 15,80.43 |
| | अ.जा.उ.यो. | 5,04.73 | 2,00.00 | 4,12.00 | 59.39 | 50.94 | 1,13.12 | 58.44 | 50.89 | 1,15.65 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जिला खेलकूद परिसर का निर्माण | सामान्य | 27,98.33 | 20,06.79 | 24,20.60 | 14,17.92 | 11,43.80 | 17,82.81 | 14,29.52 | 11,78.08 | 6,18.20 |
| | ज.जा.उ.यो. | 9,24.76 | 4,85.45 | 1,39.99 | 3,31.75 | .. | 1,39.99 | 3,31.75 | .. | 1,39.99 |
| | अ.जा.उ.यो. | 12,19.32 | 6,69.75 | 43.40 | 4,37.43 | .. | 43.40 | 4,37.43 | .. | 43.40 |
| महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता | सामान्य | 3,00.00 | 3,00.00 | 2,50.00 | 3,00.00 | 3,00.00 | 2,50.00 | 3,00.00 | 3,00.00 | 2,50.00 |
| विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम | सामान्य | 16,07.69 | 13,00.00 | 3,96.01 | 10,20.74 | 19,52.66 | 9,34.41 | 10,20.74 | 19,52.66 | 9,34.41 |
| राजस्थान राज्य भारत स्काउट तथा गाइड्स को सहायता | सामान्य | 8,02.10 | 5,42.62 | 4,62.25 | 2,57.96 | 5,52.55 | 4,62.25 | 2,57.96 | 5,52.55 | 4,62.25 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,16.57 | 61.67 | 61.67 | 50.54 | 65.90 | 61.64 | 50.54 | 65.90 | 61.67 |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,91.00 | 76.08 | 76.08 | 75.67 | 81.39 | 76.08 | 75.67 | 81.39 | 76.08 |
| राजस्थान खेलकूद परिषद को अनुदान | सामान्य | 6,12.92 | 13,20.60 | 2,50.00 | 1,53.25 | 4,40.00 | 2,50.00 | 1,53.25 | 4,40.00 | 2,50.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 4,43.02 | 2,40.68 | 20.00 | 1,10.75 | 1,02.65 | 20.00 | 1,10.75 | 1,02.65 | 20.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,19.97 | 2,28.15 | 10.00 | 1,05.00 | 97.35 | 10.00 | 1,05.00 | 97.35 | 10.00 |
| राजस्थान ललित कला अकादमी | सामान्य | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.22 | 38.20 | 2,41.45 | 44.21 | 38.20 | 2,41.45 |
| राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर | सामान्य | 1,26.00 | 1,25.00 | 1,12.00 | 1,22.60 | 5,93.75 | 1,02.00 | 1,22.60 | 5,93.75 | 1,02.00 |
| जवाहर कला केन्द्र, जयपुर | सामान्य | 2,00.00 | 1,84.65 | 3,00.00 | 1,77.83 | 1,62.83 | 2,28.00 | 1,77.83 | 1,57.87 | 2,28.00 |
| स्वायत्तशासी निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | सामान्य | 2,50.00 | 2,50.00 | 2,25.00 | 1,50.00 | 2,47.12 | 2,43.30 | 1,50.00 | 2,47.12 | 2,43.30 |
| रविन्द्र रंगमंच, जयपुर | सामान्य | .. | 4,75.00 | 1,05.00 | .. | .. | 83.41 | .. | .. | 83.41 |
| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें मुख्यालय | सामान्य | 52,59.19 | 25,59.58 | .. | 25,97.86 | 24,03.68 | .. | 25,97.86 | 24,03.67 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 21,00.00 | 18,37.25 | .. | 21,00.00 | 20,37.25 | .. | 21,00.00 | 20,37.25 | .. |
| सामान्य अस्पताल | सामान्य | 46,59.85 | 41,76.89 | .. | 53,54.43 | 30,90.40 | .. | 53,17.31 | 30,90.39 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 10,84.06 | 16,06.39 | .. | 6,86.85 | 6,87.26 | .. | 6,86.86 | 6,87.24 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 7,31.06 | 7,19.01 | .. | 11.28 | 18.42 | .. | 11.28 | 18.41 | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास | ज.जा.उ.यो. | 1,00.00 | 1,00.00 | 1,00.00 | 99.83 | 96.83 | 78.91 | 99.83 | 96.83 | 78.91 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| आयुर्वेद प्रशासन सेटअप का सुदृढीकरण | सामान्य | 2,74.46 | 1,32.75 | 1,34.37 | 2,42.33 | 1,81.01 | 1,02.59 | 2,42.30 | 1,81.01 | 1,02.59 |
| आयुर्वेद अस्पताल तथा औषधालय | सामान्य | 2,23.40 | 84.26 | 1,00.61 | 3,05.03 | 2,69.19 | 63.04 | 3,03.35 | 2,69.20 | 63.03 |
| | अ.जा.उ.यो. | 72.17 | 1,16.72 | 1,32.35 | 66.85 | 58.05 | 1,03.86 | 66.84 | 58.05 | 1,03.02 |
| आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर | सामान्य | 2,45.73 | 2,45.64 | 28.05 | 1,70.79 | 48.34 | 26.21 | 1,70.79 | 48.34 | 25.88 |
| | ज.जा.उ.यो. | 11.60 | 10.60 | 10.60 | 9.19 | 7.99 | 8.60 | 9.20 | 7.99 | 8.42 |
| | अ.जा.उ.यो. | 7.60 | 6.60 | 6.60 | 7.08 | 3.99 | 5.35 | 7.08 | 3.99 | 5.04 |
| राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर | सामान्य | 17,09.65 | 14,02.15 | 11,67.68 | 8,99.97 | 14,87.90 | 11,67.68 | 8,99.97 | 14,87.90 | 11,67.68 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,75.00 | 3,00.00 | .. | 2,55.00 | 3,00.00 | .. | 2,55.00 | 3,00.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 4,80.90 | 5,32.32 | .. | 4,57.90 | 5,32.32 | .. | 4,57.90 | 5,32.32 |
| होम्योपैथी अस्पताल तथा औषधालय की स्थापना | सामान्य | 1,84.67 | 1,17.30 | 1,00.30 | 53.36 | 32.18 | 7.92 | 53.37 | 32.17 | 7.92 |
| | अ.जा.उ.यो. | 75.95 | 1,12.25 | 26.40 | 27.17 | 30.23 | 18.30 | 27.17 | 30.23 | 18.30 |
| यूनानी अस्पताल तथा औषधालय की स्थापना | सामान्य | 1,03.98 | 36.43 | 36.32 | 29.43 | 21.18 | 4.69 | 29.43 | 21.18 | 4.69 |
| | अ.जा.उ.यो. | 86.18 | 49.05 | 10.16 | 16.37 | 12.39 | 11.12 | 16.36 | 12.40 | 11.12 |
| स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना | ज.जा.उ.यो. | 14,19.04 | 12,35.00 | 0.09 | 5,25.45 | 1,58.74 | .. | 5,25.45 | 1,58.73 | .. |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना | ज.जा.उ.यो. | 20,09.05 | 10,17.21 | 8,85.47 | 13,00.23 | 6,92.34 | 3,38.56 | 13,00.21 | 6,91.86 | 3,36.84 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना | ज.जा.उ.यो. | 17,83.03 | 3,30.40 | 56.26 | 3,72.70 | 1,49.21 | .. | 3,72.70 | 1,49.21 | .. |
| चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर | सामान्य | 12,01.15 | 7,30.75 | 5,68.83 | 20,88.66 | 3,72.26 | 4,56.68 | 20,88.11 | 3,72.26 | 4,56.72 |
| | ज.जा.उ.यो. | 10,01.01 | 5,50.00 | 4,86.20 | 7,29.38 | 5,35.60 | 1,93.23 | 7,29.38 | 5,35.61 | 4,52.49 |
| | अ.जा.उ.यो. | 27,10.76 | 5,40.00 | 6,63.15 | 30,54.15 | 3,89.69 | 3,38.80 | 28,34.05 | 3,89.68 | 3,38.80 |
| राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर | सामान्य | 1,34,91.23 | 11,47.97 | 2,00.00 | 23,18.39 | 1,31,55.50 | 2,64.85 | 23,18.39 | 1,31,55.50 | 2,64.85 |
| ड्रग नियंत्रण स्थापना | सामान्य | 3,65.05 | 10,44.34 | 1,59.73 | 95.81 | 1,43.29 | 0.51 | 95.81 | 1,42.93 | 0.51 |
| पंचकर्म केन्द्र तथा पंचगव्य रसायन शाला का निर्माण | सामान्य | 2,76.00 | 4.00 | 0.01 | .. | .. | 11.28 | .. | .. | 9.91 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| नर्स/कम्पाउन्डर आयुर्वेद प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर का सुधार | सामान्य | 1,91.00 | 3,09.10 | 6,00.00 | 1,91.00 | 2,99.35 | 4,26.00 | 1,91.00 | 2,99.35 | 4,17.22 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,00.00 | .. | .. | 1,00.00 | .. | .. | 1,00.00 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,00.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. | .. |
| जिला अस्पताल भवन का निर्माण | सामान्य | 1,49,25.01 | 64,49.77 | 16,77.70 | 1,22,72.95 | 51,32.58 | 19,21.37 | 1,22,72.44 | 51,18.01 | 19,21.41 |
| | अ.जा.उ.यो. | 58.82 | 2,07.69 | 0.01 | 58.76 | 81.30 | .. | 58.82 | 3,25.73 | .. |
| स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन | सामान्य | 0.01 | 2.12 | 15,15.55 | .. | 0.35 | 2.30 | .. | 0.35 | 2.31 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण | अ.जा.उ.यो. | 20,00.01 | 0.01 | 0.01 | 20,00.00 | .. | .. | 20,00.00 | .. | .. |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन | सामान्य | 5,29.80 | 6,12.12 | 9,04.00 | 4,63.47 | 11,62.07 | 7,38.13 | 4,63.48 | 11,62.07 | 7,27.47 |
| मेडिकल महाविद्यालय, जयपुर में निर्माण कार्य | सामान्य | 37,79.36 | 58,69.00 | 26,80.98 | 37,52.71 | 40,22.75 | 25,05.04 | 39,52.71 | 40,22.74 | 25,05.03 |
| | ज.जा.उ.यो. | 7,00.01 | .. | .. | 2,94.38 | .. | .. | 2,94.38 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,00.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| मेडिकल महाविद्यालय, जयपुर में अन्य व्यय | सामान्य | 4,35.02 | 8,26.69 | 29.32 | 4,00.00 | 29,19.81 | 16,63.69 | 4,00.00 | 29,19.81 | 16,65.17 |
| अधीनस्थ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान | सामान्य | 1,28.50 | 1,23.48 | 1,02.85 | 1,25.13 | 1,13.76 | 84.37 | 1,25.12 | 1,13.75 | 84.10 |
| सहभागिता योजना के अन्तर्गत जलपूर्ति व्यवस्था | सामान्य | 1,00.00 | 1,00.00 | 3,00.00 | 32.90 | 80.00 | .. | 32.90 | 80.00 | .. |
| पाइप लाईन के माध्यम से ग्रामीण जलपूर्ति योजना | सामान्य | 54,25.15 | .. | .. | 70,74.00 | .. | .. | 70,74.00 | .. | .. |
| के एफ डब्ल्यू जर्मनी की सहायता से झुन्झुनू, चुरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ के सेलाइन बेल्ट में ग्रामीण जलपूर्ति हेतु एकीकृत परियोजना | सामान्य | 0.04 | 0.04 | 5,47.84 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| मशीनरी फिल्टर संयंत्रों तथा मुख्य कार्यों का आधुनिकीकरण, कायाकल्प तथा पुर्नजीवीकरण फिल्टर संयंत्रों के लिए उपकरणों की खरीद सहित | सामान्य | 3,50.00 | 3,00.00 | .. | 2,35.00 | 1,77.85 | .. | 2,33.46 | 1,77.82 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गीष्मकालीन आकस्मिकता | सामान्य | 47,00.00 | .. | .. | 53,79.00 | .. | .. | 53,72.68 | .. | .. |
| पम्प तथा मोटर को बदलना | सामान्य | 13,00.00 | .. | .. | 13,42.00 | .. | .. | 13,41.96 | .. | .. |
| ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाओं हेतु पुरानी तथा प्रदूषित पाइन लाइनों को बदलना तथा अन्य सुधार | सामान्य | 8,00.00 | 2,00.00 | .. | 8,61.00 | 2,95.81 | .. | 8,60.62 | 2,95.81 | .. |
| बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलपूर्ति परियोजना फेज-I | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 11,79.20 | 2,87.09 | .. | 11,46.54 | 2,87.08 | .. | 11,46.54 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 1,40.37 | 37.09 | .. | 2,05.73 | 37.09 | .. | 2,05.74 |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 3,18.43 | 81.00 | .. | 2,81.74 | 81.00 | .. | 2,79.20 |
| चम्बल-सवाई माधोपुर-बालेर जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 10,20.00 | 1,45.84 | 8,63.88 | .. | 3,09.50 | 5,36.76 | .. | 3,09.50 | 5,36.75 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,10.00 | 26.08 | 1,02.84 | .. | 4,64.65 | .. | .. | 4,64.43 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,70.00 | 35.71 | 2,33.28 | .. | 1,58.39 | .. | .. | 1,58.39 | .. |
| अपनी योजना फेज- II (चुरू तथा झुंझुनू जलपूर्ति परियोजना शहरी) | सामान्य | 8,50.00 | 0.01 | 0.01 | 25,50.00 | 23,80.00 | .. | 25,50.00 | 23,80.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,75.00 | 0.01 | .. | 5,24.74 | 4,90.00 | .. | 5,24.74 | 4,90.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,25.00 | 0.01 | .. | 3,74.84 | 6,30.00 | .. | 3,74.84 | 6,30.00 | .. |
| जनता जल योजना | सामान्य | 5,00.00 | 0.01 | .. | 1,38.23 | 9,00.00 | .. | 1,38.22 | 8,99.42 | .. |
| केनाल क्षेत्र में इनलेट नहरों एस एस एफ तथा डिग्गीस का कार्याकल्प तथा मरम्मत | सामान्य | 6,00.00 | 10,00.00 | .. | 7,96.00 | 5,21.00 | .. | 7,95.74 | 5,20.99 | .. |
| रींग्स की क्रय तथा पुर्नजीवीकरण | सामान्य | 3,00.00 | 6,00.00 | .. | 2,63.00 | 1,50.00 | .. | 2,62.50 | 1,49.22 | .. |
| नर्मदा जलपूर्ति परियोजना (नाबाई) | सामान्य | .. | 72.80 | .. | .. | 1,42.59 | .. | .. | 1,16.23 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 13.03 | .. | .. | 8.96 | .. | .. | 8.96 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 17.82 | .. | .. | 30.04 | .. | .. | 30.04 | .. |
| पोकरण-फलसूंड जलपूर्ति योजना (नाबाई) | सामान्य | .. | 25,46.60 | .. | .. | 12,92.90 | .. | .. | 12,92.90 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,02.40 | .. | .. | 10,70.60 | .. | .. | 10,70.60 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 6,88.00 | .. | .. | 6,40.77 | .. | .. | 6,40.77 | .. |
| अन्य मलजल योजनाएं | सामान्य | 10.00 | 50.00 | 1,00.00 | .. | .. | 4.26 | .. | .. | 4.26 |
| सामान्य आवासीय भवन | सामान्य | 5,87.61 | 3,60.09 | 7,91.83 | 5,15.54 | 1,06.94 | 4,49.98 | 4,77.33 | 73.84 | 4,42.21 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों को अनुदान | सामान्य | 4,86,45.00 | 2,28,66.13 | 1,06,00.25 | 4,88,76.79 | 2,28,24.45 | 2,28,83.61 | 4,88,76.79 | 2,28,24.45 | 2,27,15.22 |
| | ज.जा.उ.यो. | 89,32.00 | 40,63.50 | 18,83.75 | 90,43.39 | 40,23.46 | 40,70.63 | 90,43.39 | 40,23.46 | 39,99.11 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,11,80.00 | 55,78.37 | 25,86.00 | 1,13,02.75 | 55,35.77 | 55,82.67 | 1,13,02.75 | 55,35.77 | 54,80.97 |
| छोटे एवं मध्यम कस्बों के लिये शहरी आधारभूत विकास योजना (यू आई डी एस एस एम टी) | सामान्य | 3,17,42.56 | 86,05.79 | 49,15.89 | 90,85.86 | 55,96.60 | 57,31.29 | 89,97.97 | 55,08.51 | 57,31.29 |
| | ज.जा.उ.यो. | 62,44.00 | 15,37.97 | 8,78.95 | 17,82.71 | 10,10.23 | 10,45.38 | 17,82.71 | 10,10.23 | 10,45.38 |
| | अ.जा.उ.यो. | 82,65.17 | 21,01.24 | 12,00.86 | 23,59.55 | 14,21.24 | 14,28.23 | 23,59.55 | 14,21.24 | 14,28.23 |
| जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन | सामान्य | .. | 2,81,91.41 | 1,18,67.49 | .. | 60,51.59 | 63,76.75 | .. | 60,51.59 | 63,76.74 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 50,38.20 | 21,20.88 | .. | 12,31.89 | 11,35.27 | .. | 12,31.89 | 11,35.27 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 68,83.40 | 28,97.64 | .. | 16,83.04 | 15,40.43 | .. | 16,83.04 | 15,40.43 |
| एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (आई एच एस डी पी) | सामान्य | 80,27.92 | 1,44,01.77 | 51,76.41 | 14,75.08 | 1,01,82.36 | 52,89.04 | 14,75.08 | 1,01,82.36 | 52,89.03 |
| | ज.जा.उ.यो. | 15,79.15 | 25,73.80 | 9,25.17 | 2,41.89 | 18,45.30 | 9,76.08 | 2,41.89 | 18,45.30 | 9,76.08 |
| | अ.जा.उ.यो. | 20,90.32 | 35,16.43 | 12,64.00 | 3,30.48 | 25,21.13 | 12,56.78 | 3,30.48 | 25,21.13 | 12,56.78 |
| शहरी जन सहभागिता योजना | सामान्य | 17,16.00 | 11,66.03 | 7,03.50 | 2,22.01 | 27.14 | 5,39.21 | 2,21.87 | 26.52 | 3,02.41 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,37.50 | 1,46.47 | 1,30.00 | 43.22 | 3.40 | 99.63 | 43.19 | 3.40 | 56.78 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,46.50 | 1,87.50 | 1,66.50 | 57.52 | 4.38 | 1,27.65 | 57.48 | 4.38 | 72.76 |
| शहरी नवीनीकरण | सामान्य | 58,39.50 | 47,09.20 | 55,00.00 | 51,03.40 | 27,09.20 | 50,47.28 | 51,03.40 | 27,09.20 | 50,47.28 |
| | ज.जा.उ.यो. | 11,47.50 | 7,84.60 | .. | 10,02.85 | 7,84.59 | .. | 10,02.85 | 7,84.59 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 15,13.00 | 10,06.20 | .. | 13,22.27 | 10,06.19 | .. | 13,22.27 | 10,06.19 | .. |
| राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना | सामान्य | 5,00.00 | 5,00.00 | 5,00.01 | 1,16.02 | 5,12.34 | 4,46.74 | 1,16.02 | (-) 5,04.06 | (-) 2,57.81 |
| सूचना केन्द्र तथा कार्यालय भवन का निर्माण | सामान्य | 2,92.39 | 4,09.04 | 3,67.97 | 1,61.79 | 2,82.18 | 1,57.73 | 1,61.80 | 2,82.16 | 1,57.73 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,72.02 | 1,01.00 | 8.90 | 1,20.90 | .. | 7.90 | 1,22.89 | .. | 7.90 |
| सूचना केन्द्र तथा कार्यालय भवन | अ.जा.उ.यो. | 1,12.19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| छात्रावासों का रखरखाव | सामान्य | 4,49.76 | 2,60.80 | 2,00.00 | 3,40.86 | 2,00.64 | 2,04.58 | 3,40.86 | 2,02.59 | 2,04.57 |
| सम्बल ग्राम का विकास | अ.जा.उ.यो. | 39,70.00 | 10,00.00 | 8,00.00 | 7,17.20 | 60,00.00 | 28,00.00 | 7,17.20 | 60,00.00 | 28,00.00 |
| राजस्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता | अ.जा.उ.यो. | 5,00.00 | 5,00.00 | 1,00.00 | 5,00.00 | 5,00.00 | 2,00.00 | 5,00.00 | 5,00.00 | 2,00.00 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| पालनहार योजना | सामान्य | 77,57.15 | 49,22.38 | 29,40.00 | 80,01.97 | 52,51.47 | 40,04.43 | 79,98.04 | 52,51.47 | 40,04.43 |
| | ज.जा.उ.यो. | 20,65.30 | 8,35.00 | 7,35.00 | 23,28.45 | 9,75.36 | 9,41.41 | 23,28.39 | 9,75.36 | 9,41.41 |
| | अ.जा.उ.यो. | 27,01.15 | 11,92.62 | 9,70.00 | 36,99.60 | 12,76.55 | 12,24.44 | 36,98.88 | 12,76.55 | 12,24.44 |
| अनुप्रति योजना | सामान्य | 1,75.00 | 1,75.00 | .. | 6.70 | 7.80 | .. | 6.70 | 7.80 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,00.00 | 1,75.00 | 1,50.01 | 98.93 | 1,51.93 | 1,74.08 | 98.93 | 1,51.93 | 1,74.07 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,75.00 | 1,50.00 | 1,50.01 | 42.40 | 84.63 | 1,51.38 | 42.40 | 84.62 | 1,51.38 |
| सहयोग योजना | सामान्य | 12,00.00 | 12,65.04 | 9,77.38 | 7,90.75 | 8,18.60 | 8,43.18 | 7,90.55 | 8,18.60 | 8,43.16 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,50.00 | 2,26.08 | 2,25.00 | 2,03.08 | 1,66.85 | 1,73.26 | 2,02.93 | 1,66.85 | 1,73.26 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,00.00 | 3,08.88 | 5,00.00 | 5,68.80 | 3,05.00 | 4,66.00 | 5,68.80 | 3,05.00 | 4,66.00 |
| महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास का संचालन | ज.जा.उ.यो. | 1,94.34 | .. | .. | 1,07.18 | .. | .. | 1,07.18 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,67.50 | 34.78 | .. | 1,17.37 | 65.15 | .. | 1,17.37 | 65.15 | .. |
| गाडिया लुहार के लिए एकीकृत परियोजना | सामान्य | 3,00.00 | 2,00.00 | 3,00.00 | 1,42.78 | 1,61.15 | 1,43.75 | 1,42.78 | 1,61.15 | 1,43.75 |
| राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास सहकारी निगम को अंशपूजी | सामान्य | 2,00.00 | 1,00.00 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास सहकारी निगम को अंशपूजी (आर एम एफ डी सी सी) | सामान्य | 2,50.00 | 3,00.00 | 2,50.00 | 2,50.00 | .. | 2,50.00 | 2,50.00 | .. | 2,50.00 |
| रोजगार मेला | सामान्य | 68.44 | 69.50 | 30.00 | 88.33 | 59.09 | 66.03 | 88.29 | 59.09 | 66.10 |
| | ज.जा.उ.यो. | 13.50 | 13.50 | 4.00 | 9.12 | 9.90 | 10.17 | 9.12 | 9.89 | 10.10 |
| | अ.जा.उ.यो. | 18.00 | 17.00 | 6.00 | 14.95 | 14.90 | 10.84 | 14.95 | 14.90 | 10.84 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में आई.टी.आई. का संचालन | ज.जा.उ.यो. | 1,42.30 | 1,80.44 | 2,06.10 | 15.96 | 21.77 | 60.27 | 15.95 | 21.77 | 24.55 |
| विश्वास योजना के तहत प्रोसथैटिक सहायता | सामान्य | 5,00.00 | 13,50.00 | 9,50.00 | 84.74 | 6,88.95 | 7,67.02 | 84.74 | 6,88.89 | 7,66.88 |
| | ज.जा.उ.यो. | 85.00 | 2,00.00 | 1,00.00 | 9.41 | 30.97 | 88.13 | 9.41 | 30.97 | 88.18 |
| शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति | सामान्य | 1,73.00 | 1,00.00 | 95.00 | 1,35.22 | 78.14 | 1,07.85 | 1,35.23 | 78.14 | 1,07.77 |
| | ज.जा.उ.यो. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 12.32 | 16.19 | 16.97 | 12.32 | 16.19 | 16.97 |
| असक्षम व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता | सामान्य | 16.00 | 16.00 | 50.00 | .. | 4,18.24 | .. | .. | 4,18.24 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| चिन्हित असक्षम परिवारों को रियायत | सामान्य | 0.01 | 1,00.00 | 10.00 | .. | 11.50 | 7.55 | .. | 11.50 | 7.55 |
| बाल कल्याण योजनाओं के विस्तार हेतु सहायता | सामान्य | 1,00.00 | 1,00.00 | 50.00 | 45.00 | 56.50 | 95.00 | 45.00 | 56.50 | 95.00 |
| महिला विकास कार्यक्रम | सामान्य | .. | 1,38.28 | 2,88.95 | .. | 98.67 | 2,55.07 | .. | 93.48 | 2,54.96 |
| महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान | सामान्य | 4,43.39 | 4,23.27 | 1,53.81 | 2,99.96 | 2,27.63 | 1,32.74 | 2,99.96 | 2,27.19 | 1,32.74 |
| महिला कल्याण कोष | सामान्य | 11,35.67 | 1,35.67 | 1,35.67 | 1,10.62 | 1,18.07 | 1,13.37 | 1,10.66 | 1,17.98 | 1,11.86 |
| | ज.जा.उ.यो. | 65.25 | 19.25 | 18.75 | 17.29 | 16.40 | 16.51 | 17.30 | 16.40 | 16.51 |
| वृद्ध कल्याण निधि | सामान्य | 1.01 | 20.01 | 20.01 | .. | .. | 1,65.00 | .. | .. | 1,65.00 |
| विकलांगों के विवाह के लिए शिविर | सामान्य | 1,90.30 | 1,82.71 | 1,75.00 | 1,11.20 | 88.45 | 1,13.85 | 1,11.20 | 88.45 | 1,13.85 |
| | ज.जा.उ.यो. | 29.70 | 36.18 | 15.00 | 9.45 | 22.00 | 13.25 | 9.45 | 22.00 | 13.25 |
| नशा मुक्ति के लिए जन चेतना, शोध, प्रकाशन एवं प्रचार तथा अन्य कुरीतियों की रोकथाम | सामान्य | 1,50.01 | 2,80.00 | 80.00 | 45.18 | 3,41.52 | 1,33.01 | 45.18 | 3,41.52 | 1,33.00 |
| “पशुपालकों” के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना | सामान्य | 2,04.32 | 1,68.55 | 93.14 | 63.72 | 50.12 | 42.56 | 63.71 | 50.11 | 42.56 |
| सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों का मुख्यालय कम्प्यूटरीकरण | सामान्य | 1,10.00 | 85.00 | 85.00 | 97.11 | 79.23 | 49.88 | 97.11 | 79.22 | 49.88 |
| पन्ना धाय जीवन अमृत योजना (जन श्री बीमा योजना) | सामान्य | .. | 11,19.00 | 14,75.00 | .. | 7,99.58 | 7,61.86 | .. | 7,99.58 | 7,61.86 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 6,41.00 | 3,77.00 | .. | 4,61.35 | 4,42.73 | .. | 4,61.35 | 4,42.73 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 5,80.00 | 4,88.00 | .. | 4,20.98 | 4,00.67 | .. | 4,20.98 | 4,00.67 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | सामान्य | .. | 1,34,43.80 | 99,90.00 | .. | 1,55,94.49 | 1,19,62.03 | .. | 1,55,41.40 | 1,19,61.71 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 52,75.00 | 34,80.00 | .. | 59,81.99 | 38,18.09 | .. | 59,67.74 | 38,18.09 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 45,97.00 | 37,08.00 | .. | 39,42.42 | 32,19.44 | .. | 39,26.21 | 32,19.44 |
| महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान भवन का निर्माण | सामान्य | 0.03 | 0.02 | 2,05.00 | .. | 5.70 | 46.00 | .. | 5.70 | 46.00 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| भिक्षावृत्ति तथा अन्य अवांछित कार्य में लिप्त व्यक्तियों के बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण | सामान्य | 60.00 | 13.36 | 1,20.00 | 34.71 | 13.33 | 21.12 | 34.71 | 13.33 | 21.12 |
| रेबारी तथा अन्य निर्वासित समुदाय के बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण | सामान्य | 0.01 | 2,41.03 | 3,00.00 | .. | 22.59 | 1,07.41 | .. | 22.59 | 1,07.43 |
| युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुर्नवास केन्द्र का निर्माण | सामान्य | 3,27.29 | 4,95.00 | 1,50.00 | 23.04 | 60.83 | 22.69 | 23.04 | 60.82 | 22.69 |
| श्रम खण्डीय तथा जिला कार्यालय भवन का निर्माण | सामान्य | 49.28 | 2,21.03 | 50.00 | 83.18 | 1,71.29 | 6.47 | 83.18 | 1,71.29 | 6.47 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) में निर्माण कार्य | सामान्य | 24,46.80 | 14,70.01 | 6,74.68 | 4,44.32 | 2,51.67 | 10.92 | 4,44.32 | 2,51.67 | 10.92 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 30.00 | .. | 52.87 | .. | .. | 52.87 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | 69.84 | .. | .. | 69.84 | .. |
| मंदिरों का विकास तथा पुनरुद्धार | सामान्य | 15,00.00 | 8,01.60 | 5,60.50 | 6,76.76 | 6,66.60 | 3,97.42 | 6,74.62 | 6,82.61 | 4,04.02 |
| राज्य कृषक आयोग | सामान्य | 1,23.00 | 1,18.00 | 1,00.00 | 40.90 | 66.98 | 85.51 | 40.90 | 67.00 | 81.91 |
| खाद एवं उर्वरक | सामान्य | 1,78.33 | 86.18 | 2,12.00 | 5,39.19 | 98.71 | 40,37.87 | 5,39.19 | 98.70 | 40,37.87 |
| एन्डोमिक क्षेत्रों में कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन | सामान्य | 5,34.13 | 1,17.35 | 35.10 | 1,13.54 | 3,18.92 | 76.39 | 1,13.54 | 3,18.91 | 76.39 |
| | ज.जा.उ.यो. | 99.10 | 35.98 | 6.30 | 4.43 | 4.26 | 1.30 | 4.44 | 4.26 | 1.30 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,05.90 | 49.60 | 8.60 | 6.07 | 14.92 | 11.70 | 6.07 | 14.92 | 11.70 |
| कृषि विस्तार एवं अन्वेषण परियोजनाएं | सामान्य | 5,93.00 | 5,23.25 | 5,94.60 | 2,38.72 | 5,05.38 | 4,88.84 | 2,38.66 | 5,02.62 | 4,89.42 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,02.20 | 1,01.20 | 93.95 | 44.03 | 83.01 | 74.65 | 44.03 | 83.01 | 74.64 |
| | अ.जा.उ.यो. | 93.60 | 1,60.32 | 72.70 | 83.16 | 1,01.01 | 63.94 | 83.16 | 1,01.00 | 63.95 |
| कृषि सूचना | सामान्य | 1,38.20 | 1,12.32 | 1,45.00 | 1,27.36 | 1,13.57 | 21.17 | 1,27.36 | 1,13.58 | 21.23 |
| | ज.जा.उ.यो. | 26.60 | 20.16 | 5.00 | 22.99 | 23.00 | 8.75 | 22.99 | 23.00 | 8.75 |
| कृषि प्रदर्शनी | सामान्य | 1,54.11 | 70.38 | 25.44 | 78.16 | 52.60 | 18.28 | 78.16 | 51.75 | 18.28 |
| | ज.जा.उ.यो. | 29.41 | 13.26 | 5.16 | 14.76 | 9.42 | 3.57 | 14.76 | 9.29 | 3.57 |
| | अ.जा.उ.यो. | 30.63 | 18.36 | 7.08 | 19.08 | 12.75 | 3.64 | 18.75 | 12.60 | 3.64 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| प्रोत्साहन कार्यक्रम | सामान्य | 26,39.00 | 3,33.85 | 3,79.50 | 22,34.88 | 13,92.68 | 3,54.11 | 22,34.94 | 13,92.69 | 3,54.10 |
| | ज.जा.उ.यो. | 5,64.76 | 1,31.45 | 1,26.90 | 6,40.65 | 3,45.82 | 1,30.64 | 6,40.65 | 3,45.82 | 1,30.64 |
| | अ.जा.उ.यो. | 10,30.86 | 2,49.70 | 2,28.60 | 11,84.56 | 5,61.73 | 2,45.84 | 11,83.97 | 5,61.73 | 2,45.84 |
| बागवानी का विकास | सामान्य | 8,30.85 | 10.52 | 10.26 | 2,78.83 | 14,25.47 | 78,29.08 | 2,78.57 | 14,25.34 | 78,29.08 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,35.15 | 28.09 | 27.50 | 40.23 | 62.14 | 56.28 | 40.24 | 62.14 | 56.28 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 0.57 | 1,28.29 | 58.80 | 0.57 | 1,28.29 | 58.80 |
| जल प्रबंधन | सामान्य | 3,45.00 | 69.00 | 82.00 | 2,99.11 | 68.94 | 85,35.36 | 2,99.11 | 68.94 | 85,34.42 |
| | ज.जा.उ.यो. | 65.00 | 13.00 | 0.01 | 46.93 | 7.24 | 6,01.99 | 46.93 | 7.24 | 6,01.39 |
| | अ.जा.उ.यो. | 90.00 | 18.00 | 18.00 | 7.54 | 4.67 | 14,36.48 | 7.54 | 4.67 | 14,36.48 |
| आजीविका हेतु मिशन | सामान्य | 90,39.02 | 70,21.00 | 14,05.52 | 39,14.48 | 34,71.98 | 16,11.39 | 39,14.48 | 34,71.98 | 16,11.39 |
| | ज.जा.उ.यो. | 14,99.98 | 13,03.90 | 2,51.26 | 6,88.50 | 6,50.00 | 2,96.81 | 6,88.50 | 6,50.00 | 2,96.81 |
| | अ.जा.उ.यो. | 19,71.00 | 17,05.10 | 3,43.22 | 9,07.00 | 8,78.00 | 3,91.80 | 9,07.00 | 8,78.00 | 3,91.80 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | सामान्य | .. | 4,14,00.00 | 7,46,00.00 | .. | 4,74,82.97 | 3,77,54.78 | .. | 4,74,60.94 | 3,74,46.50 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 78,00.00 | .. | .. | 87,82.11 | .. | .. | 87,75.37 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,08,00.00 | .. | .. | 1,14,88.44 | .. | .. | 1,14,65.87 | .. |
| प्रयोगशाला का निर्माण तथा नवीनीकरण | सामान्य | 1,73.00 | 35.10 | 60.00 | 1,70.22 | 70.37 | 34.36 | 1,70.22 | 70.37 | 34.06 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 8.19 | .. | .. | 5.47 | .. | .. | 5.47 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 11.18 | .. | .. | 7.29 | .. | .. | 7.29 | .. |
| मिट्टी संरक्षण कार्य | सामान्य | 11,87.96 | 2,71.85 | 0.06 | 12,65.98 | 3,62.39 | 59.31 | 12,65.93 | 3,62.02 | 52.81 |
| पशु अस्पताल तथा औषधालय का स्थापना व्यय | सामान्य | 25,49.84 | 12,69.65 | 11,63.34 | 21,90.80 | 17,95.07 | 40,89.50 | 21,89.07 | 17,96.93 | 39,85.89 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,55.22 | 82.11 | 4,16.96 | 1,66.21 | 1,55.90 | 4,78.69 | 1,65.65 | 1,50.63 | 4,76.02 |
| पशु पॉलीक्लिनिक्स का स्थापना व्यय | सामान्य | 3,24.52 | 22.01 | 17.10 | 3,25.69 | 1,38.94 | .. | 3,25.50 | 1,37.40 | .. |
| पशु तथा भैंस विकास | सामान्य | 1,26.96 | 2,08.96 | 27.24 | 50.06 | 56.85 | 14.34 | 56.36 | 55.99 | 13.98 |
| | अ.जा.उ.यो. | 45.00 | 45.00 | 5,82.78 | 34.65 | 35.00 | 9,39.50 | 32.12 | 33.30 | 9,38.95 |
| पशुपालन कार्यालय भवन से संबंधित निर्माण कार्य | सामान्य | 20,00.00 | 13,63.00 | 0.01 | 9,10.75 | 75.81 | 59.87 | 9,12.23 | 75.80 | 59.87 |
| डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन | सामान्य | 12,05.51 | 0.01 | 0.01 | 12,05.50 | 1,45,00.00 | .. | 12,05.50 | 1,45,00.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| मछली फार्म का विकास | सामान्य | 1,95.01 | .. | .. | 77.45 | .. | .. | 77.45 | .. | .. |
| परिभाषित वनों का पुनारोपण | सामान्य | 7,22.62 | 9,13.47 | 5,31.40 | 7,00.69 | 9,64.03 | 5,38.13 | 6,98.09 | 9,64.13 | 5,34.28 |
| | ज.जा.उ.यो. | 13,55.44 | 10,81.89 | 7,23.29 | 13,27.03 | 11,24.83 | 7,73.90 | 13,25.19 | 11,24.60 | 7,72.45 |
| | अ.जा.उ.यो. | 5,70.37 | 6,01.06 | .. | 5,44.80 | 6,35.31 | .. | 5,43.61 | 6,02.46 | .. |
| जैव विविधता संरक्षण परिस्थितिकीय पर्यटन गतिविधियों को शामिल करते हुए | सामान्य | 5,05.69 | 6,82.18 | 3,43.41 | 2,64.91 | 4,50.88 | 4,05.92 | 2,58.85 | 4,50.95 | 4,06.39 |
| | ज.जा.उ.यो. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.89 | 4.36 | 3.81 | 3.89 | 3.84 | 3.81 |
| फार्म वानिकी | सामान्य | 3,98.01 | 3,63.01 | 4,66.58 | 3,63.82 | 3,81.51 | 4,07.98 | 3,61.74 | 3,85.65 | 4,04.20 |
| घाना पक्षी अभ्यारण का विकास (गोवर्धन ड्रेन) | सामान्य | 3,70.00 | 0.01 | 2,95.03 | 3,40.72 | 5,21.96 | 7,64.76 | 3,40.66 | 5,21.86 | 7,64.76 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,83.45 | 0.01 | 4,45.97 | 44.13 | 65.39 | 4,41.48 | 43.29 | 63.45 | 4,41.48 |
| वानिकी संचार तथा भवन का आधुनिकीकरण कायाकल्प, नवीनीकरण और उन्नयन | सामान्य | 16,00.00 | 18,00.00 | 20,50.00 | 12,48.75 | 10,77.77 | 10,58.56 | 12,48.74 | 10,78.60 | 10,58.82 |
| भाखड़ा नांगल नहर के पास पौधारोपण | सामान्य | 2,32.33 | 2,80.26 | 1,88.33 | 1,93.53 | 2,13.65 | 1,71.84 | 1,93.53 | 2,13.58 | 1,71.84 |
| गंग नहर के पास पौधारोपण | सामान्य | 3,26.18 | 3,30.98 | 2,72.13 | 2,67.93 | 2,93.95 | 2,82.27 | 2,67.93 | 2,93.95 | 2,82.27 |
| वन/कैम्पा निधि के लिए विभिन्न परियोजनाएं | सामान्य | 50.00 | 1,15.00 | 50.00 | .. | 17,12.02 | 11,09.23 | .. | 17,12.02 | 11,09.23 |
| पर्यावरणीय वानिकी | सामान्य | 3,97.59 | 95.51 | 92.14 | 4,36.16 | 1,92.04 | 95.41 | 1,29.82 | 1,91.64 | 95.41 |
| सहकारी साख संस्थाओं को ब्याज के भुगतान हेतु सहायता | सामान्य | 1,40,56.00 | 70,28.00 | 67,47.61 | 1,08,04.50 | 1,16,13.29 | 70,28.00 | 1,08,04.50 | 1,16,13.29 | 70,28.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 25,12.00 | 12,56.00 | 12,05.56 | 19,19.00 | 21,43.35 | 12,56.00 | 19,19.00 | 21,43.35 | 12,56.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 34,32.00 | 17,16.00 | 16,46.83 | 26,26.50 | 30,33.39 | 17,16.00 | 26,26.50 | 30,33.39 | 17,16.00 |
| ऋण सहकारी समितियों के लिए एकीकृत सहाय्य | सामान्य | 2,47.90 | .. | .. | 2,47.90 | .. | .. | 2,47.90 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 82.08 | .. | .. | 82.08 | .. | .. | 82.08 | .. | .. |
| अच्छे ऋणियों को ब्याज सहाय्य | सामान्य | 91,36.42 | 1,18,05.61 | 0.01 | 2,60,04.00 | 1,46,83.94 | 1,14,21.00 | 2,60,04.00 | 1,46,83.94 | 1,14,21.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 16,32.79 | 21,10.00 | .. | 46,47.00 | 15,23.09 | .. | 46,47.00 | 15,23.09 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 22,30.79 | 28,83.00 | .. | 63,49.00 | 20,92.59 | .. | 63,49.00 | 20,92.59 | .. |
| इंदिरा आवास योजना (राज्यांश) | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | 2,91.95 | .. | .. | 2,91.95 | .. | .. | 1,90.08 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | 20,84.90 | .. | .. | 11,61.55 | .. | .. | 14,28.00 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जिला योजना समिति | सामान्य | 68.70 | 2,00.00 | 2,00.01 | 15.45 | 21.78 | 24.20 | 15.40 | 21.77 | 23.78 |
| | ज.जा.उ.यो. | 13.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 17.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| वित्तीय समावेशन संवर्धन योजना | सामान्य | 8,33.62 | 0.04 | 0.04 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 8,33.25 | 0.04 | 0.04 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 8,33.25 | 0.04 | 0.04 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सहायता | सामान्य | 14,24,66.70 | 3,65,13.49 | 3,24,19.70 | 14,24,66.70 | 6,51,06.56 | 6,89,66.26 | 14,24,66.70 | 6,51,06.56 | 6,89,66.26 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,79,95.70 | 64,88.75 | 57,60.23 | 2,79,95.70 | 1,32,36.35 | 1,22,55.87 | 2,79,95.70 | 1,32,36.35 | 1,22,55.87 |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,69,12.60 | 89,07.76 | 79,10.07 | 3,69,12.60 | 1,74,52.37 | 1,68,24.87 | 3,69,12.60 | 1,74,52.37 | 1,68,24.87 |
| पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष | सामान्य | .. | 2,22,37.00 | 1,93,91.00 | .. | 47,58.00 | 1,55,99.00 | .. | 47,58.00 | 1,55,99.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 77,96.00 | 68,00.00 | .. | 24,52.00 | 57,96.00 | .. | 24,52.00 | 57,96.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 46,47.00 | 40,52.00 | .. | 12,10.00 | 36,20.00 | .. | 12,10.00 | 36,20.00 |
| ग्राम पंचायतों के लिए निर्बन्ध कोष योजना | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 11,58.96 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 2,07.24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 2,83.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम | सामान्य | 2,74,80.00 | 2,80,80.00 | 1,40,06.00 | 2,74,80.00 | 2,80,80.00 | 2,80,80.00 | 2,74,80.00 | 2,80,67.60 | 2,80,80.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 54,00.00 | 50,40.00 | 25,34.00 | 54,00.00 | 50,40.00 | 50,40.00 | 54,00.00 | 50,40.00 | 50,40.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 71,20.00 | 68,80.00 | 34,60.00 | 71,20.00 | 68,80.00 | 68,80.00 | 71,20.00 | 67,76.80 | 67,60.30 |
| स्व विवेक जिला विकास योजना | सामान्य | 2,74.80 | 2,80.80 | 2,45.70 | 2,74.80 | 1,40.40 | 2,45.70 | 2,74.80 | 1,40.40 | 2,43.88 |
| | ज.जा.उ.यो. | 54.00 | 50.40 | 44.10 | 54.00 | 25.20 | 44.10 | 54.00 | 25.20 | 42.97 |
| | अ.जा.उ.यो. | 71.20 | 68.80 | 60.20 | 71.20 | 34.40 | 60.20 | 71.20 | 34.40 | 58.65 |
| जिला परिषद तथा पंचायत समिति भवन का आधुनिकीकरण | सामान्य | 1,65.06 | 2,75.12 | 3,19.12 | 1,19.49 | 6,10.84 | 11,31.13 | 1,19.48 | 6,91.54 | 11,33.62 |
| | ज.जा.उ.यो. | 29.52 | 46.28 | 54.28 | 29.20 | 1,45.54 | 2,98.68 | 29.19 | 1,84.41 | 2,18.93 |
| | अ.जा.उ.यो. | 40.42 | 48.60 | 76.60 | 35.96 | 1,72.15 | 2,11.96 | 35.94 | 1,96.20 | 2,08.01 |
| मेवात क्षेत्र विकास | सामान्य | 41,22.00 | 39,81.60 | 17,54.99 | 41,21.95 | 39,81.55 | 17,54.95 | 41,21.95 | 39,81.55 | 17,54.95 |
| | ज.जा.उ.यो. | 8,10.00 | 7,80.00 | 3,15.00 | 8,10.00 | 7,80.00 | 3,15.00 | 8,10.00 | 7,80.00 | 3,15.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 10,68.00 | 12,38.40 | 4,30.00 | 10,68.00 | 12,38.40 | 4,30.00 | 10,68.00 | 12,38.40 | 4,30.00 |
| डांग क्षेत्र विकास | सामान्य | 34,35.00 | 32,75.00 | 14,03.99 | 34,16.24 | 32,73.38 | 26,19.95 | 34,16.25 | 32,73.38 | 26,19.92 |
| | ज.जा.उ.यो. | 6,75.00 | 6,50.00 | 2,52.00 | 6,75.00 | 6,50.00 | 4,70.00 | 6,75.00 | 6,50.00 | 4,70.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 8,90.00 | 10,75.00 | 3,44.00 | 8,90.00 | 10,75.00 | 6,40.00 | 8,90.00 | 10,75.00 | 6,40.00 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| मगरा क्षेत्र विकास | सामान्य | 34,35.00 | 32,75.00 | 14,04.00 | 34,00.03 | 32,75.00 | 14,04.00 | 34,00.03 | 32,75.00 | 14,04.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 6,75.00 | 6,50.00 | 2,52.00 | 6,75.00 | 6,50.00 | 2,52.00 | 6,75.00 | 6,50.00 | 2,52.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 8,90.00 | 10,75.00 | 3,44.00 | 8,90.00 | 10,75.00 | 3,44.00 | 8,90.00 | 10,75.00 | 3,44.00 |
| सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम | सामान्य | .. | 1,14,26.40 | 99,43.65 | .. | 95,21.45 | 1,04,57.15 | .. | 95,21.45 | 1,04,57.15 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 21,52.80 | 13,43.49 | .. | 17,94.00 | 14,13.00 | .. | 17,94.00 | 14,13.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 29,80.80 | 18,32.86 | .. | 24,84.00 | 19,29.00 | .. | 24,84.00 | 19,29.00 |
| भाखड़ा नांगल परियोजना | सामान्य | 17,03.12 | 40,00.02 | 0.03 | 5,46.71 | 5,48.65 | .. | 5,47.30 | 5,48.62 | .. |
| कोटा बैराज | सामान्य | 10,23.24 | 4,00.10 | .. | 13,37.38 | 6,49.84 | .. | 13,24.20 | (-) 6,11.82 | .. |
| चम्बल दाहिनी नहर | सामान्य | 1,01,29.15 | .. | 10,15.78 | 75,27.97 | .. | 8,20.33 | 75,27.97 | .. | 8,20.33 |
| | ज.जा.उ.यो. | 5,63.25 | .. | 2.00 | 3,86.88 | .. | .. | 3,86.88 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,25.21 | .. | 5.10 | 2,14.50 | .. | .. | 2,14.50 | .. | .. |
| इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय स्टेज | सामान्य | 1,39,12.58 | 1,65,59.06 | 1,20,38.36 | 1,22,00.53 | 1,24,21.41 | 92,33.61 | 23,15.63 | 16,38.76 | 27,07.94 |
| | अ.जा.उ.यो. | 27,60.53 | 25,92.70 | 12,01.20 | 22,51.13 | 17,99.09 | .. | 22,51.13 | 17,99.09 | .. |
| गुडगांव नहर पुनरुद्धार तथा उन्नयन | सामान्य | 4,74.75 | 0.01 | 2,00.01 | 5,66.09 | 5,77.51 | 1,23.00 | 5,68.74 | 5,67.59 | 92.49 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,04.20 | .. | .. | 1,03.46 | .. | .. | 1,03.98 | .. | .. |
| यमुना जल परियोजना | सामान्य | 34.95 | 34.95 | 20.70 | 3,27.45 | 34.95 | 20.70 | 3,27.45 | 34.95 | 20.70 |
| | ज.जा.उ.यो. | 6.05 | 6.05 | 3.90 | 6.05 | 6.05 | 3.90 | 6.05 | 6.05 | 3.90 |
| | अ.जा.उ.यो. | 9.00 | 9.00 | 5.40 | 18.00 | 9.00 | 5.40 | 18.00 | 9.00 | 5.40 |
| नर्मदा परियोजना | सामान्य | .. | 1,72,54.50 | 1,63,64.78 | .. | 1,09,20.07 | 71,67.59 | .. | 1,09,30.91 | 71,60.40 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 24,43.00 | 20,82.80 | .. | 15,19.90 | 52,78.87 | .. | 15,19.85 | 52,74.49 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 47,54.52 | 40,50.00 | .. | 29,53.92 | 45,96.99 | .. | 29,55.51 | 45,96.99 |
| माही परियोजना | ज.जा.उ.यो. | 20,62.02 | 0.02 | 0.02 | 33,85.62 | 8,14.96 | 7,66.51 | 33,85.49 | 8,15.34 | 7,67.01 |
| बीसलपुर परियोजना | सामान्य | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 82.76 | 3,51.83 | 3,05.40 | 82.76 | 3,53.33 | 3,03.13 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,95.40 | .. | .. | 4,20.32 | .. | .. | 5,05.55 | .. | .. |
| गंग नहर | सामान्य | .. | 41,00.00 | 32,80.00 | .. | 40,64.60 | 8,06.56 | .. | 40,69.92 | 7,96.12 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 9,00.00 | 7,20.00 | .. | 9,00.00 | 1,64.53 | .. | 9,00.00 | 1,64.33 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| परवन परियोजना | सामान्य | 10,29.81 | 6,35.61 | 70.50 | 95.61 | 1,31.17 | 33.08 | 92.21 | 1,28.92 | 33.55 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | 12.50 | .. | .. | 10.00 | .. | .. | 10.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 9,00.00 | .. | 17.00 | 23.37 | .. | 10.00 | 23.37 | .. | 10.00 |
| धौलपुर लिफ्ट परियोजना | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 70.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | 12.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | 17.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| धौलपुर में चम्बल पर बैराज | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 70.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | 12.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | 17.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| सिंचाई प्रबंधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र | सामान्य | 7,67.15 | 92.60 | 2,37.00 | 20.83 | 2,15.60 | 2,36.99 | 14.50 | 2,15.60 | 2,36.99 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,64.37 | 2,37.40 | 63.00 | 4,23.67 | 2,37.40 | 62.99 | 2,84.62 | 1,74.92 | 62.99 |
| सर्वेक्षण एवं अन्वेषण | सामान्य | 22,75.27 | 22,89.49 | 8,16.50 | 16,87.33 | 16,83.18 | 9,21.22 | 16,90.77 | 16,83.01 | 9,21.25 |
| | अ.जा.उ.यो. | 20.00 | 20.00 | 1,80.00 | 10.70 | 17.94 | 33.58 | 10.91 | 17.91 | 33.64 |
| सोमकमला अम्बा परियोजना | सामान्य | 2,41.22 | .. | .. | 1,01.89 | .. | .. | 1,05.51 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 36.02 | 1,22.10 | 10.02 | 36.02 | 1,22.10 | 10.02 |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,41.23 | .. | .. | 21.46 | .. | .. | 28.72 | .. | .. |
| मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/ पुर्नजीविकरण/उन्नयन/पुनरुद्धार | सामान्य | 17,64.01 | 13,63.00 | 15,00.00 | 9,27.96 | 15,16.93 | 4,16.99 | 9,38.71 | 14,80.68 | 4,22.40 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,00.00 | 1,26.00 | 11,70.00 | 2,99.64 | 91.79 | 1,50.00 | 2,99.64 | 91.79 | 1,50.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,00.00 | 3,11.00 | 3,30.00 | 4,43.00 | 4,21.36 | 50.00 | 4,13.74 | 4,21.36 | 50.00 |
| गरदडा परियोजना | सामान्य | 3,92.76 | 6,88.35 | 2,49.30 | 1,83.77 | 2,01.56 | 2,28.93 | 1,82.75 | (-) 1,56.12 | 2,29.18 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,00.00 | 1,26.00 | .. | 16.50 | 91.79 | .. | 16.50 | 91.79 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,00.00 | 3,11.00 | .. | 14.50 | 4,21.36 | .. | 14.56 | 4,21.36 | .. |
| राजगढ़ परियोजना | सामान्य | 9,28.87 | 16,71.95 | 50.00 | 12,72.83 | 17,51.82 | 47.20 | 12,82.12 | 17,14.92 | 47.61 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,59.40 | 1,54.00 | .. | 3,00.00 | 1,15.51 | .. | 3,00.00 | 1,15.51 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 7,41.50 | 3,74.00 | .. | 2,75.72 | 2,80.50 | .. | 2,75.72 | 2,80.50 | .. |
| लघु सिंचाई निर्माण कार्य | सामान्य | 35,88.84 | 19,51.10 | 4,74.80 | 42,14.25 | 32,81.20 | 10,27.60 | 42,10.75 | 32,26.03 | 10,74.78 |
| | ज.जा.उ.यो. | 61,57.80 | 45,00.00 | 44,99.99 | 80,76.51 | 54,28.98 | 24,39.52 | 80,76.49 | 54,26.48 | 24,39.52 |
| | अ.जा.उ.यो. | 7,40.59 | 6,48.90 | 15,25.00 | 10,99.69 | 5,41.85 | 17,12.15 | 10,90.25 | 5,35.21 | 17,07.58 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| लघु सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/ विस्तार/पुनरुद्धार | सामान्य | 13,03.82 | 8,19.50 | 7,70.00 | 14,83.38 | 18,91.75 | 3,71.38 | 14,27.72 | 18,19.43 | 3,77.44 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,70.00 | 1,21.55 | 1,43.00 | 3,35.66 | 1,55.69 | 1,37.02 | 3,35.08 | 1,55.69 | 1,37.02 |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,56.00 | 1,58.95 | 1,87.00 | 5,46.08 | 2,12.00 | 1,82.32 | 5,46.08 | 2,12.00 | 1,82.32 |
| भू-जल विभाग द्वारा किये गये लघु सिंचाई निर्माण कार्य | सामान्य | 130.80 | 1,68.69 | 15.79 | 51.26 | 5.77 | 13.05 | 51.26 | 5.77 | 13.05 |
| | ज.जा.उ.यो. | 20.00 | 0.01 | 4.16 | 4.41 | .. | .. | 4.41 | .. | .. |
| जल संरक्षण ढाँचा | सामान्य | 82,47.04 | 55,43.75 | 7,00.00 | 1,14,48.90 | 72,81.59 | 9,19.37 | 1,12,70.84 | 69,78.66 | 8,76.33 |
| | ज.जा.उ.यो. | 16,80.00 | 6,81.25 | 1,30.00 | 23,22.00 | 7,12.24 | 2,96.74 | 23,22.00 | 7,12.24 | 2,96.74 |
| | अ.जा.उ.यो. | 21,19.75 | 12,75.00 | 1,70.00 | 27,05.40 | 12,91.08 | 8,97.75 | 27,18.99 | 12,69.80 | 8,76.01 |
| मंडियों का विकास | सामान्य | 75.00 | 75.00 | 45.00 | 48.36 | 65.83 | 31.72 | 48.36 | 65.83 | 31.72 |
| | अ.जा.उ.यो. | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 6.34 | 16.63 | 9.17 | 6.34 | 16.63 | 9.17 |
| अमर सिंह जसाना परियोजना | सामान्य | 1,00.03 | .. | .. | 13.43 | .. | .. | 13.43 | .. | .. |
| सिद्धमुख नोहर परियोजना | सामान्य | 1,00.03 | .. | .. | 59.11 | .. | .. | 59.11 | .. | .. |
| घघर बाढ़ नियंत्रण कार्य | सामान्य | 2,03.88 | 6,33.98 | 3,32.98 | 1,09.82 | 7,35.92 | 9,57.24 | 1,12.49 | 7,19.25 | 9,60.41 |
| | अ.जा.उ.यो. | 45.00 | 1,66.00 | 68.00 | .. | 1,63.28 | 60.00 | .. | 1,62.24 | 60.00 |
| अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्य | सामान्य | 50.00 | 0.01 | 0.01 | 1,43.67 | .. | .. | 1,44.38 | .. | .. |
| राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण | सामान्य | .. | 3,74.00 | 1,45.50 | .. | 3,74.00 | 1,29.99 | .. | 3,74.00 | 1,29.99 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,00.00 | 25.00 | .. | 1,00.00 | 25.00 | .. | 1,00.00 | 25.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,26.00 | 34.00 | .. | 1,26.00 | 34.00 | .. | 1,26.00 | 34.00 |
| वित्तीय पुनः संरचना कार्यक्रम के अंतर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को नकद सहायता | सामान्य | 4,41,00.00 | 4,20,00.00 | 4,00,00.00 | 4,41,00.00 | 4,20,00.00 | 4,00,00.00 | 4,41,00.00 | 4,20,00.00 | 4,00,00.00 |
| अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के लिए जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान | सामान्य | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2,36,25.00 | .. | 18,29,13.00 | 2,36,25.00 | .. | 18,29,13.00 |
| राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश | सामान्य | 7,98,71.00 | 8,88,33.92 | 9,13,64.00 | 5,86,19.75 | 5,20,07.20 | 4,46,98.08 | 5,86,19.75 | 5,20,07.20 | 4,46,98.08 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,57,41.00 | 1,58,75.84 | 1,63,28.00 | 1,19,00.25 | 92,94.40 | 79,88.16 | 1,19,00.25 | 92,94.40 | 79,88.16 |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,09,88.00 | 2,16,90.24 | 2,23,08.00 | 1,76,30.00 | 1,26,98.40 | 1,09,13.76 | 1,76,30.00 | 1,26,98.40 | 1,09,13.76 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश | सामान्य | 3,35,65.00 | 3,58,42.80 | 3,93,56.80 | 2,46,05.00 | 2,29,10.48 | 3,15,55.72 | 2,46,05.00 | 2,29,10.48 | 3,15,55.72 |
| | ज.जा.उ.यो. | 66,15.00 | 64,05.60 | 70,33.60 | 49,95.00 | 40,94.96 | 56,39.44 | 49,95.00 | 40,94.96 | 56,39.44 |
| | अ.जा.उ.यो. | 88,20.00 | 87,51.60 | 96,09.60 | 74,00.00 | 55,94.56 | 77,04.84 | 74,00.00 | 55,94.56 | 77,04.84 |
| जैव ईंधन प्राधिकरण | सामान्य | 2,07.40 | 0.01 | 0.01 | 1,95.79 | .. | .. | 1,95.79 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 42.60 | .. | .. | 42.60 | .. | .. | 42.60 | .. | .. |
| क्लस्टर विकास | सामान्य | 75.02 | 88.02 | 75.00 | 35.87 | 1,12.99 | 74.52 | 35.87 | 1,10.48 | 74.52 |
| | ज.जा.उ.यो. | 39.01 | 40.01 | 65.00 | 33.58 | 20.10 | 6.03 | 33.58 | 20.10 | 6.03 |
| | अ.जा.उ.यो. | 38.00 | 50.00 | 25.46 | 17.58 | 42.96 | 57.34 | 17.58 | 42.96 | 57.34 |
| सिंकन्दरा स्टोन पार्क की स्थापनाप | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | .. | .. | (-) 1,74.94* | .. | .. |
| सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों के लिये पॉलिसी पैकेज | सामान्य | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 1,10.00 | 42.96 | 1,89.11 | 1,10.00 | 42.96 | 1,89.11 |
| राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम | सामान्य | 65.92 | 2,89.99 | 2,88.99 | 65.92 | 4,97.49 | 2,88.99 | 65.92 | 4,97.49 | 2,88.99 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 14.05 | 29.99 | 29.99 | 14.05 | 72.49 | 29.99 | 14.05 | 72.49 | 29.99 |
| राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड | सामान्य | 6,54.20 | 6,53.40 | 8,02.17 | 5,11.55 | 16,66.15 | 8,02.17 | 5,11.55 | 16,66.15 | 8,02.17 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,30.32 | 1,12.25 | 98.46 | 1,08.57 | 1,63.90 | 98.46 | 1,08.57 | 1,63.90 | 98.46 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,62.73 | 1,65.36 | 1,35.15 | 1,27.13 | 13,55.96 | 1,35.15 | 1,27.13 | 13,55.96 | 1,35.15 |
| मानव संसाधन विकास हेतु संस्थागत प्रशिक्षण | सामान्य | 50.01 | 77.92 | 1,37.15 | 46.33 | 48.32 | 44.90 | 46.33 | 48.32 | 44.89 |
| | ज.जा.उ.यो. | 10.00 | 16.10 | 25.15 | 7.05 | 9.04 | 6.31 | 7.05 | 9.04 | 6.31 |
| | अ.जा.उ.यो. | 10.00 | 23.60 | 34.50 | 7.46 | 8.81 | 9.51 | 7.46 | 8.81 | 9.51 |
| निवेश संवर्धन ब्यूरो (बी आई पी) | सामान्य | 5,15.00 | 4,43.40 | 4,36.40 | 9,72.00 | 6,27.90 | 4,36.40 | 9,72.00 | 6,27.90 | 4,36.40 |
| राजस्थान लघु स्तरीय औद्योगिक निगम (राजसीको) | सामान्य | 1,20.01 | 74.99 | 52.71 | 1,20.00 | 6,33.05 | 52.70 | 1,20.00 | 6,33.04 | 52.70 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | 9.42 | .. | .. | 9.42 | .. | .. | 9.42 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | 12.87 | .. | .. | 12.87 | .. | .. | 12.87 |
| अव्यवस्थित घरेलू उद्योग-धन्धों का विकास | सामान्य | 50.00 | 72.00 | 1,08.00 | 49.88 | 53.63 | 49.09 | 49.88 | 53.11 | 49.09 |
| | ज.जा.उ.यो. | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 7.93 | 7.07 | 5.99 | 7.93 | 7.07 | 5.99 |
| | अ.जा.उ.यो. | 10.00 | 16.00 | 8.00 | 10.58 | 11.78 | 7.69 | 10.58 | 11.78 | 7.69 |

* ऋण व्यय, व्ययों पर प्राप्तियों तथा वसूलियों के आधिक्य के कारण है।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण (रूडा) | सामान्य | 2,57.55 | 2,10.00 | 1,85.00 | 1,69.00 | 2,68.00 | 1,85.00 | 1,69.00 | 2,68.00 | 1,85.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 50.67 | 45.00 | 40.00 | 31.00 | 45.00 | 40.00 | 31.00 | 45.00 | 40.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 71.78 | 65.00 | 50.00 | 43.00 | 65.00 | 50.00 | 43.00 | 65.00 | 50.00 |
| सघन विवरण तथा खनिज सर्वेक्षण | सामान्य | 17,88.11 | 4,00.48 | 3,85.00 | 10,75.05 | 2,64.24 | 2,11.91 | 10,64.63 | 2,64.24 | 2,11.91 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,26.10 | 0.12 | .. | 1,19.32 | 35.61 | .. | 1,19.32 | 35.61 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,83.07 | 0.12 | .. | 87.50 | 26.09 | .. | 87.50 | 26.09 | .. |
| खदान पहुंच सड़कों का निर्माण | सामान्य | 96.00 | 1,00.00 | 1,11.21 | 21.97 | 1,28.13 | 1,17.38 | 21.97 | 2,33.97 | 1,17.37 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,34.86 | 1,72.21 | 1,40.00 | 1,89.03 | 1,51.79 | 7.06 | 2,00.99 | 2,65.64 | 7.06 |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान वित्त निगम (आर एफ सी) | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | 25,00.00 | 25,65.00 | .. | 25,00.00 | 25,65.00 |
| जिला उद्योग केन्द्र (डी.आई.सी.) भवन का निर्माण | सामान्य | 11.87 | 1,10.21 | 10.00 | .. | 1,87.31 | 7.90 | .. | 1,87.31 | 12.60 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2.30 | 18.62 | .. | .. | 17.18 | .. | .. | 17.18 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 3.05 | 26.38 | .. | .. | 26.38 | .. | .. | 26.38 | .. |
| राज्य सड़क निधि | सामान्य | 2,40,00.00 | 2,20,00.00 | 2,20,00.00 | 2,80,00.00 | 2,75,00.00 | 2,60,00.00 | 2,80,00.00 | 2,75,00.00 | 2,39,01.20 |
| केन्द्रीय सड़क निधि | सामान्य | .. | 2,38,80.00 | 2,29,41.00 | .. | 2,21,22.00 | 1,87,18.00 | .. | 2,21,22.00 | 2,35,00.51 |
| सड़कों एवं पुलों का निर्माण- राज्य राजमार्ग का कार्य | सामान्य | 1,74,72.57 | 1,48,13.27 | 1,58,79.00 | 1,16,14.43 | 1,55,92.95 | 1,82,78.37 | 1,16,14.43 | 1,55,92.94 | 1,81,46.63 |
| | ज.जा.उ.यो. | 36,71.68 | 28,89.91 | 28,65.66 | 11,31.92 | 25,45.76 | 35,13.11 | 11,31.92 | 25,45.76 | 35,13.12 |
| | अ.जा.उ.यो. | 49,61.95 | 39,78.23 | 39,32.33 | 23,72.14 | 24,79.18 | 72,13.18 | 23,72.14 | 24,79.18 | 72,13.17 |
| सड़कों एवं पुलों हेतु भूमि अधिग्रहण | सामान्य | 1,21.59 | 1,24.09 | 1,55.61 | 1,56.29 | 1,42.70 | 74.60 | 1,56.29 | 1,45.60 | 74.60 |
| | ज.जा.उ.यो. | 23.89 | 52.86 | 27.96 | 6.18 | 83.29 | 1.68 | 6.18 | 83.29 | 1.68 |
| | अ.जा.उ.यो. | 31.50 | 0.04 | 38.37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| मुख्य जिला सड़कों की चौड़ाई, मजबूती तथा पुनरुद्धार | सामान्य | 63,29.65 | 9,92.71 | 8,06.59 | 1,06,90.31 | 43,49.94 | 4,77.19 | 1,08,05.44 | 43,49.95 | 4,77.18 |
| | ज.जा.उ.यो. | 8,96.02 | 1,78.41 | 1,44.96 | 4,58.47 | 5,98.78 | 19.45 | 4,58.47 | 5,98.77 | 19.45 |
| | अ.जा.उ.यो. | 11,81.42 | 2,44.81 | 1,98.89 | 11,98.96 | 12,74.09 | 4,79.85 | 11,98.97 | 12,74.10 | 4,79.85 |
| ग्रामीण सड़कें | सामान्य | 2,43,18.58 | 1,13,66.04 | 9,30.66 | 3,58,35.71 | 1,30,08.32 | 13,08.52 | 3,58,35.69 | 1,26,14.67 | 13,08.55 |
| | ज.जा.उ.यो. | 47,78.76 | 20,40.53 | 1,67.26 | 64,54.63 | 15,23.85 | .. | 64,55.05 | 17,43.65 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 63,00.88 | 27,88.12 | 2,29.51 | 52,06.03 | 18,66.64 | 2,01.16 | 52,05.99 | 18,89.57 | 2,01.16 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| शहरी सड़कें | सामान्य | 36,47.79 | 43,08.82 | 3,64.20 | 23,32.39 | 44,25.87 | 16,93.50 | 23,32.39 | 44,25.87 | 16,93.50 |
| | ज.जा.उ.यो. | 7,16.81 | 6,14.61 | 65.45 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 9,45.13 | 8,39.40 | 89.81 | 6,10.32 | 1,57.92 | .. | 6,10.32 | 1,57.92 | .. |
| प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना | सामान्य | 18.24 | 18.61 | 11.99 | 75.41 | 14.29 | 68.08 | 75.41 | 14.28 | 68.08 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3.58 | 3.35 | 2.15 | 42.01 | 3.15 | 1,06.59 | 42.01 | 3.15 | 1,06.58 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4.73 | 4.59 | 2.96 | .. | 1.86 | 19.83 | .. | .. | 19.83 |
| हवाई पट्टियों का निर्माण | सामान्य | 4,42.49 | 17,71.48 | 11,60.18 | 20,86.78 | 55,70.43 | 43,49.64 | 20,85.92 | 47,01.53 | 43,49.62 |
| सड़क आधारभूत विकास कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 25,00.00 | .. | 87,50.00 | 25,00.00 | .. | 87,50.00 |
| पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रम | सामान्य | 1,22.22 | 64.83 | 74.37 | 83.21 | 1,19.26 | 57.23 | 83.21 | 1,19.26 | 57.22 |
| | ज.जा.उ.यो. | 5.94 | .. | 0.02 | 0.45 | .. | .. | 0.45 | .. | .. |
| राज्य आयोजना मशीनरी | सामान्य | 82.32 | 30.47 | 40.11 | 1,32.31 | 75.40 | 17.97 | 1,32.30 | 75.33 | 17.96 |
| पर्यटक पुलिस | सामान्य | 3,75.21 | 3,68.50 | 3,37.00 | 3,45.94 | 3,30.54 | 3,38.31 | 3,45.94 | 3,30.53 | 3,37.98 |
| पर्यटक सूचना तथा प्रचार | सामान्य | 11,44.03 | 9,34.36 | 8,71.50 | 9,05.39 | 9,75.68 | 11,37.55 | 9,05.09 | 9,75.23 | 11,32.89 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,63.07 | 2,09.23 | 1,21.00 | 1,75.04 | 1,35.23 | 1,20.91 | 1,74.79 | 1,34.98 | 1,20.91 |
| | अ.जा.उ.यो. | 5,07.22 | 5,37.07 | 3,00.00 | 1,66.02 | 3,49.17 | 2,99.93 | 1,66.02 | 3,49.12 | 2,99.93 |
| ग्रामीण पर्यटन का विकास | सामान्य | 13,28.95 | 3,71.04 | 4,95.00 | 1,31.14 | 1,83.45 | 2,86.32 | 1,31.14 | 1,83.45 | 2,87.34 |
| | ज.जा.उ.यो. | 50.00 | 50.00 | .. | 19.33 | 50.00 | .. | 19.33 | 49.99 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 53.08 | 53.08 | 50.00 | 15.00 | 5.00 | 22.21 | 15.00 | 5.00 | 30.00 |
| सूचना प्रौद्योगिकी और संचार | सामान्य | 4,87.92 | 4,49.37 | 3,54.83 | 3,97.99 | 3,75.42 | 7,70.34 | 3,97.99 | 3,75.43 | 7,70.74 |
| आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय | सामान्य | 9,15.91 | 6,20.92 | 27.08 | 6,31.86 | 5,00.23 | 10.96 | 6,31.86 | 5,00.16 | 10.35 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,16.41 | 3,39.24 | 68.49 | 86.96 | 13.42 | 18.78 | 86.86 | 13.37 | 18.73 |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,78.75 | 1,92.83 | 96.79 | 1,00.95 | 16.79 | 50.98 | 1,00.94 | 16.79 | 51.00 |
| अन्नपूर्णा योजना | सामान्य | 0.01 | 4,36.68 | 4,91.96 | 0.50 | 1,58.61 | 2,79.60 | 0.50 | 1,58.60 | 2,68.56 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 78.86 | 87.92 | 0.73 | 31.38 | 64.17 | 0.73 | 31.37 | 63.41 |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 1,06.96 | 1,20.12 | .. | 30.03 | 99.35 | .. | 30.03 | 1,01.50 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 39,65.00 | .. | .. | 39,65.00 | .. | .. | 39,65.00 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| राज्य सरकार के विभागों में कम्प्यूटराइजेशन एवं संबंधित संचार व्यय | ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | | .. 2,18.87 | | (-) 7.65 * (-) 10.01 * | .. 2,18.87 | |
| राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को ऋण | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9,03.75 | 13,50.00 | .. | 9,03.75 | 13,50.00 | .. |
| राजस्थान राज्य सहकारी विकास बैंक, लिमिटेड जयपुर द्वारा जारी ऋण पूंजी का क्रय | सामान्य | 6,50.00 | 6,50.00 | 6,50.00 | 2,38.33 | 6,50.00 | 11,09.41 | 2,38.33 | 6,50.00 | 11,09.40 |
| राजस्थान वक्फ बोर्ड को सहायता | सामान्य | 1,69.00 | 1,84.97 | 0.02 | .. | 4,27.73 | 2,00.00 | .. | 4,27.73 | 2,00.00 |
| सामान्य प्रशासनिक भवन | सामान्य | 14,99.81 | 6,87.56 | 6,73.06 | 12,61.45 | 12,69.60 | 22,23.39 | 19,74.01 | 12,60.91 | 16,98.21 |
| पुलिस प्रशासनिक भवन का निर्माण | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 34,51.33 0.01 0.01 | 42,10.62 2,77.88 3,78.76 | 66,37.15 0.01 0.01 | 35,92.99 | 32,12.00 | 45,97.35 | 36,04.66 | 48,09.63 | 45,92.03 |
| सहकारी काम्प्लेक्स भवन का निर्माण | सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. | 4,24.25 89.67 1,07.09 | 5,24.25 89.67 1,34.76 | 1,34.64 88.50 46.22 | | 0.37 | 25.98 41.54 23.26 | .. 6.12 .. | 0.37 | 25.98 36.76 20.59 |
| अभियोजन भवन का निर्माण | सामान्य | 1,86.47 | 37.11 | 0.01 | 1,75.20 | 58.01 | .. | 1,75.20 | 66.71 | .. |
| स्टाम्प एवं पंजीकरण भवन का निर्माण | सामान्य | 9,57.50 | 1,71.68 | 1,76.99 | 4,54.49 | 1,51.00 | 46.36 | 4,54.49 | 1,51.01 | 46.35 |
| राज्य उत्पाद भवन का निर्माण | सामान्य ज.जा.उ.यो. | 9,70.44 6,20.27 | 16,88.27 6,67.48 | 4,42.48 .. | 10,18.28 4,73.76 | 8,62.25 1,33.44 | 2,76.90 .. | 10,18.24 4,82.86 | 8,62.26 1,33.44 | 2,76.90 .. |
| वाणिज्यिक कर विभाग भवन का निर्माण | सामान्य | 3,39.89 | 11,01.83 | 0.01 | 5,93.39 | 3,90.32 | .. | 5,93.39 | 3,90.32 | .. |
| परिवहन भवन और ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण | सामान्य | 4,76.44 | 17,23.75 | 2,65.47 | 7,09.11 | 6,38.79 | 5,67.17 | 7,09.10 | 6,64.54 | 5,67.15 |
| राजभवन में निर्माण | सामान्य | 2,41.06 | 2,28.67 | 1,93.96 | 1,58.49 | 1,35.88 | 2,55.64 | 1,58.49 | 1,35.87 | 2,55.64 |
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भवन का निर्माण | सामान्य | 12,03.85 | 5,75.22 | 5,75.22 | 5,09.79 | 3,07.84 | 2,53.16 | 5,09.79 | 3,07.57 | 2,53.66 |

* ऋण व्यय, व्ययों पर प्राप्तियों तथा वसूलियों के आधिक्य के कारण है।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| कोष एवं लेखा विभाग भवन का निर्माण | सामान्य | 6,64.58 | 7,89.65 | 3,84.06 | 5,93.79 | 3,99.08 | 2,75.02 | 5,93.78 | 4,10.60 | 2,90.01 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,28.73 | 37.17 | 55.75 | 1,06.60 | 43.50 | 66.21 | 94.41 | 43.50 | 58.59 |
| एच सी एम रीपा, जयपुर में निर्माण कार्य | सामान्य | 4,90.34 | 4,69.21 | 2,46.99 | 4,58.30 | 2,05.47 | 1,24.42 | 4,58.29 | 2,05.47 | 1,23.94 |
| सर्वोत्तम लड़कियों को प्रोत्साहन | सामान्य | 4,30.00 | 1,35.10 | 45.55 | 1,54.72 | 63.53 | 7.90 | 1,54.72 | 63.53 | 7.90 |
| कोटा विश्वविद्यालय को अनुदान | सामान्य | 1,00.00 | 1,00.00 | 1,00.00 | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | 1,00.00 | 1,00.00 | .. |
| बीकानेर विश्वविद्यालय को अनुदान | सामान्य | 2,39.39 | 1,86.00 | 60.00 | 1,19.65 | 1,66.00 | .. | 1,19.65 | 1,66.00 | .. |
| राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान | सामान्य | 1,80.00 | 3,10.00 | 4,35.25 | 1,55.00 | 3,10.00 | 4,35.25 | 1,55.00 | 3,10.00 | 4,35.25 |
| अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को सहायता | सामान्य | 1,45.75 | 1,70.00 | 40.00 | 36.00 | 1,00.00 | 1,40.00 | 36.00 | 1,00.00 | 1,40.00 |
| अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर को सहायता | सामान्य | 1,20.00 | 1,20.00 | 40.00 | 1,20.00 | 50.00 | 40.00 | 1,20.00 | 50.00 | 40.00 |
| अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़ को सहायता | सामान्य | 1,63.00 | 1,20.00 | 40.00 | 1,63.00 | 50.00 | 40.00 | 1,63.00 | 50.00 | 40.00 |
| अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर को सहायता | सामान्य | 0.01 | 1,20.00 | 40.00 | .. | 50.00 | 40.00 | .. | 50.00 | 40.00 |
| महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को सहायता | सामान्य | 2,36.00 | 1,20.00 | 40.01 | 59.00 | 50.00 | 40.00 | 59.00 | 50.00 | 40.00 |
| अभियांत्रिकी तथा तकनीकी महाविद्यालय, बीकानेर को सहायता | सामान्य | 1,20.00 | 1,20.00 | 40.00 | 1,10.00 | 50.00 | 40.00 | 1,10.00 | 50.00 | 40.00 |
| चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालय संस्थापना | सामान्य | 3,61.10 | 95.13 | 84.81 | 3,69.10 | 1,94.33 | 2.12 | 3,69.10 | 1,94.30 | 1.74 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर | सामान्य | 6,71.04 | 6,05.58 | 6,54.50 | 5,61.19 | 4,51.05 | 4,88.32 | 5,61.19 | 4,02.49 | 4,77.54 |
| | ज.जा.उ.यो. | 11,17.25 | 5,18.56 | 2,54.46 | 9,75.90 | 4,79.96 | 2,27.95 | 9,75.89 | 5,27.20 | 2,28.90 |
| | अ.जा.उ.यो. | 12,04.10 | 7,08.46 | 3,47.50 | 7,51.90 | 1,24.21 | 3,39.56 | 7,51.04 | 1,27.41 | 3,38.60 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर | सामान्य | 4,49.05 | 2,15.96 | 3,36.40 | 3,72.19 | 50.22 | 2,46.52 | 3,72.18 | 50.21 | 2,46.51 |
| | ज.जा.उ.यो. | 8,00.00 | 5,48.75 | 4,33.43 | 6,84.84 | 5,46.46 | 4,38.99 | 6,84.84 | 5,46.46 | 4,38.99 |
| | अ.जा.उ.यो. | 11,39.01 | 7,83.00 | 6,19.00 | 6,41.83 | 7,02.44 | 3,41.32 | 6,41.83 | 7,02.43 | 3,41.32 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर | सामान्य | 9,86.14 | 5,65.91 | 5,03.44 | 8,82.71 | 4,26.40 | 4,53.86 | 8,82.70 | 4,26.41 | 4,55.33 |
| | ज.जा.उ.यो. | 15,08.37 | 2,87.81 | 2,96.10 | 9,86.98 | 33.41 | 1,01.15 | 9,86.99 | 33.41 | 1,01.16 |
| | अ.जा.उ.यो. | 14,05.19 | 5,29.12 | 4,15.20 | 3,87.70 | 1,49.83 | 1,35.46 | 3,87.71 | 1,49.82 | 1,35.46 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर | सामान्य | 9,46.32 | 4,03.87 | 2,66.74 | 7,81.70 | 1,43.87 | 2,45.93 | 7,81.69 | 1,43.87 | 2,45.90 |
| | ज.जा.उ.यो. | 19,73.75 | 8,46.70 | 3,76.80 | 17,97.16 | 3,17.98 | 5,65.85 | 17,97.16 | 3,17.98 | 5,61.39 |
| | अ.जा.उ.यो. | 24,59.35 | 11,62.55 | 5,14.80 | 11,78.73 | 9,48.71 | 7,29.47 | 11,78.73 | 9,48.71 | 7,27.99 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा | सामान्य | 6,15.67 | 3,84.23 | 5,00.25 | 3,34.33 | 1,31.95 | 3,07.80 | 3,34.33 | 1,31.94 | 3,07.79 |
| | ज.जा.उ.यो. | 10,48.59 | 7,60.35 | 3,29.50 | 5,53.62 | 4,23.24 | 2,34.37 | 5,53.62 | 4,23.25 | 2,34.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 13,18.17 | 10,38.95 | 4,40.80 | 8,04.96 | 3,66.59 | 2,35.41 | 8,04.96 | 3,66.59 | 2,35.41 |
| दंत महाविद्यालय, जयपुर | सामान्य | .. | .. | 1,56.00 | .. | .. | 1,56.50 | .. | .. | 1,56.50 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में निर्माण कार्य | सामान्य | .. | 21,16.74 | 5,82.00 | .. | 24,92.79 | 4,43.06 | .. | 24,92.79 | 4,43.07 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर में निर्माण कार्य | सामान्य | .. | 36,67.21 | 9,14.60 | .. | 14,23.38 | 3,86.69 | .. | 14,23.39 | 3,83.39 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में निर्माण कार्य | सामान्य | 10,22.61 | 26,49.90 | 12,07.04 | 7,83.34 | 19,53.26 | 19,24.93 | 7,92.26 | 19,53.26 | 19,24.92 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में निर्माण कार्य | सामान्य | 27,71.50 | 45,18.70 | 26,79.21 | 61,09.25 | 39,81.26 | 51,76.14 | 61,09.25 | 39,81.26 | 51,76.15 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में निर्माण कार्य | सामान्य | .. | 19,97.00 | 10,84.39 | .. | 18,26.69 | 5,69.32 | .. | 18,26.68 | 5,69.38 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में अन्य व्यय | सामान्य | .. | 4.02 | 1,47.34 | .. | .. | 8,23.70 | .. | 13.84 | 8,46.09 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर में अन्य व्यय | सामान्य | .. | 15.02 | 1,55.70 | .. | 76.91 | 2,78.74 | .. | 76.92 | 2,71.39 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में अन्य व्यय | सामान्य | .. | 10.02 | 10.01 | .. | 83.67 | 6,84.26 | .. | 83.67 | 6,84.26 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में अन्य व्यय | सामान्य | .. | 16,00.01 | 0.03 | .. | 15,47.23 | 10,76.68 | .. | 15,47.23 | 10,46.50 |
| चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में अन्य व्यय | सामान्य | .. | 50.02 | 1,46.62 | .. | 2,27.47 | 7,53.28 | .. | 2,48.75 | 7,53.07 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जनसंख्या नियंत्रण हेतु अन्य प्रोत्साहन योजनाएं | सामान्य | 0.01 | 35.01 | 35.00 | .. | 88,20.21 | 33.95 | .. | 88,20.21 | 23.58 |
| नई जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन | सामान्य | 3,91.20 | 3,68.00 | 3,68.00 | 3,24.04 | 3,48.24 | 3,53.42 | 3,24.03 | 3,48.23 | 3,53.41 |
| | ज.जा.उ.यो. | 55.00 | 51.00 | 51.00 | 45.93 | 49.63 | 51.00 | 45.93 | 49.63 | 51.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,15.00 | 1,06.00 | 1,06.00 | 96.05 | 1,03.15 | 1,06.00 | 96.04 | 1,03.15 | 1,04.80 |
| महिलाओं को प्रथम प्रसव पर सहायता | सामान्य | 3,50.00 | 3,50.00 | 3,27.66 | 2,43.10 | 2,89.38 | 3,07.66 | 2,43.10 | 2,89.38 | 3,00.50 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,50.00 | 1,34.20 | 1,00.12 | 2,01.91 | 2,38.35 | 99.05 | 2,01.91 | 2,38.35 | 99.05 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,50.00 | 1,04.25 | 99.70 | 1,13.72 | 1,28.94 | 1,07.21 | 1,13.72 | 1,28.94 | 1,07.21 |
| बोर होल्स का विकास तथा पुनरुद्धार को सम्मिलित करते हुए शहरी जलपूर्ति योजनाओं (यू डब्ल्यू एस एस) का आवर्धन/पुनर्गठन | सामान्य | 2,14,36.61 | 1,55,69.95 | 61,55.56 | 1,55,81.00 | 1,39,50.00 | 96,50.00 | 1,55,80.81 | 1,39,32.99 | 96,15.57 |
| जयपुर के लिए जलपूर्ति परियोजना (बीसलपुर) | सामान्य | 3,40.00 | .. | .. | 4,25.00 | .. | .. | (-) 17,35.00* | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 70.00 | .. | .. | 87.50 | .. | .. | 87.50 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 90.00 | .. | .. | 1,12.50 | .. | .. | 1,12.50 | .. | .. |
| पुरानी एवं दूषित पाइप लाइनों का बदलाव और बेहतर पेयजल सुविधा हेतु अन्य सुधार | सामान्य | 35,14.00 | 35,14.00 | 50,00.00 | 35,69.00 | 24,78.00 | 24,96.29 | 35,68.95 | 24,61.38 | 24,95.95 |
| | ज.जा.उ.यो. | 8,28.00 | 6,28.00 | .. | 3,42.02 | 4,05.00 | .. | 3,42.02 | 4,03.25 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 11,58.00 | 8,58.00 | .. | 3,27.73 | 4,63.00 | .. | 3,27.73 | 4,62.95 | .. |
| जलपूर्ति योजनाओं की विभिन्न इकाइयों का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण तथा कायाकल्प | सामान्य | 2,00.00 | 40.00 | 40.00 | 2,37.00 | 1,71.12 | 26.06 | 2,36.68 | 1,71.12 | 26.06 |
| फिल्टर प्लांट का कायाकल्प एवं उन्नयन | सामान्य | 4,00.00 | 5,00.00 | 4,00.00 | 1,33.00 | 1,42.60 | 2,23.46 | 1,32.89 | 1,42.52 | 2,23.46 |
| अधिशाली अभियन्ता/अधीक्षण अभिन्ता/अति.मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता के प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार/ आधुनिकीकरण/कायाकल्प | सामान्य | 10,00.00 | 5,00.00 | 3,00.00 | 3,58.00 | 3,44.10 | 3,25.00 | 3,57.09 | 3,44.05 | 3,21.51 |
| चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 3,00.00 | 0.01 | 0.01 | 3,00.00 | 2.56 | .. | 2,99.93 | 2.56 | .. |

* ऋण व्यय, व्ययों पर प्राप्तियों तथा वसूलियों के आधिक्य के कारण है।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जवाई-पाली पाइप लाईन परियोजना | सामान्य | 3,40.00 | 1,40.48 | 10,79.85 | 3,40.00 | 84.73 | 10,45.44 | 3,40.00 | 84.73 | 10,45.44 |
| | ज.जा.उ.यो. | 70.00 | 25.12 | 1,28.55 | 70.00 | 15.07 | 1,81.33 | 69.99 | 15.07 | 1,81.33 |
| | अ.जा.उ.यो. | 90.00 | 34.40 | 2,91.60 | 89.99 | 19.48 | 2,55.31 | 89.99 | 19.48 | 2,55.31 |
| जोधपुर राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल फेज- II | सामान्य | 2,50.00 | 3,37.15 | 0.01 | 3,15.76 | 1,82.92 | 3,00.24 | 3,15.76 | 1,82.92 | 3,00.24 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 60.29 | 0.01 | 62.39 | 37.66 | .. | 62.39 | 37.66 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 82.56 | 0.01 | 83.58 | 48.04 | .. | 83.57 | 48.04 | .. |
| अजमेर-बीसलपुर जलपूर्ति योजना फेज- II (जे एन एन यू आर एम) | सामान्य | 1,36.00 | 2,45.84 | 2,87.96 | 1,03.67 | .. | 5,54.41 | 1,03.66 | .. | 5,54.41 |
| | ज.जा.उ.यो. | 28.00 | 43.96 | 34.28 | 18.71 | .. | 1,13.04 | 18.71 | .. | 1,13.04 |
| | अ.जा.उ.यो. | 36.00 | 60.20 | 77.76 | 27.43 | .. | 1,54.80 | 27.43 | .. | 1,54.80 |
| शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम को बढ़ाना | सामान्य | 20.00 | 20.00 | 1,00.00 | 98.00 | 80.00 | 18.93 | 97.95 | 79.78 | 18.93 |
| पोकरण-फलसून्ड (फलोदी) जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 37,50.00 | 0.01 | 0.01 | 32,68.23 | 27,30.53 | 5,65.58 | 32,68.22 | 27,30.53 | 5,65.58 |
| | ज.जा.उ.यो. | 12,00.00 | 0.01 | .. | 9,31.00 | 7,14.00 | .. | 9,31.00 | 7,13.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 17,00.00 | 0.01 | .. | 11,97.00 | 16,55.47 | .. | 11,97.00 | 16,55.47 | .. |
| नर्मदा जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 7,99.00 | 5,26.69 | 4,89.53 | 6,69.13 | 2,71.78 | .. | 6,69.13 | 2,71.78 | (-) 1,36.13 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,64.50 | 94.18 | 58.28 | 1,55.82 | 55.56 | 0.14 | 1,55.82 | 55.56 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,11.50 | 1,28.97 | 1,32.19 | 2,00.24 | 72.00 | .. | 2,00.24 | 72.00 | .. |
| इन्द्रोका-मानकलाव-दांतीवाडा जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 4,76.00 | 3,51.20 | 17,99.75 | 4,16.50 | 3,51.20 | 17,38.41 | 4,16.50 | 3,51.20 | 17,38.41 |
| | ज.जा.उ.यो. | 98.00 | 62.80 | 2,14.25 | 1,03.50 | 61.00 | 3,09.05 | 1,03.50 | 61.00 | 3,09.05 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,26.00 | 86.00 | 4,86.00 | 1,10.25 | 85.00 | 4,28.05 | 1,10.25 | 85.00 | 4,28.05 |
| बीसलपुर बांध से टॉक, उनियारा तथा देवली जलपूर्ति परियोजना (शहरी) | सामान्य | 10,20.00 | 3,51.20 | 0.01 | 8,92.50 | 12,58.26 | .. | 8,92.50 | 12,58.26 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,10.00 | 62.80 | .. | 2,10.00 | 2,57.47 | .. | 2,10.00 | 2,57.47 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,70.00 | 86.00 | .. | 2,70.00 | 3,33.34 | .. | 2,70.00 | 3,33.34 | .. |
| राजगढ़-बून्दी जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 3,40.00 | 0.01 | 7,19.90 | 7,82.33 | 13,60.00 | 14,04.80 | 7,82.33 | 13,60.00 | 14,04.80 |
| | ज.जा.उ.यो. | 70.00 | 0.01 | 85.70 | 1,75.00 | 2,80.00 | 2,95.14 | 1,75.00 | 2,80.00 | 2,95.14 |
| | अ.जा.उ.यो. | 90.00 | 0.01 | 1,94.40 | 2,25.00 | 3,60.00 | 4,04.18 | 2,25.00 | 3,60.00 | 4,04.18 |
| जवाहर लाल नेहरू नेशनल रेन्यूवल मिशन द्वारा पोषित योजनाएं/परियोजनाएं | सामान्य | 68.00 | 3,51.20 | 3,59.95 | 3,72.00 | 2,85.53 | 3,55.89 | 3,71.95 | 2,85.53 | 3,55.89 |
| | ज.जा.उ.यो. | 14.00 | 62.80 | 42.85 | 76.59 | .. | 42.85 | 76.59 | .. | 42.85 |
| | अ.जा.उ.यो. | 18.00 | 86.00 | 97.20 | 5.08 | 4.17 | 97.20 | 5.07 | 4.17 | 97.20 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| ब्यावर तथा मकराना के लिए शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर | सामान्य | 0.01 | 70.24 | 2,15.97 | 67.62 | 1,98.30 | 5,01.12 | 67.62 | 1,98.30 | 5,01.12 |
| फॉर स्माल एण्ड मीडियम टाऊन एवं अन्य | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 12.56 | 25.71 | 13.92 | .. | .. | 13.92 | .. | .. |
| अभिकरणों द्वारा पोषित योजनाएं/परियोजनाएं | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 17.20 | 58.32 | 17.90 | .. | .. | 17.90 | .. | .. |
| शहरी क्षेत्र के लिए ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता | सामान्य | 20,00.00 | 10,00.00 | 8,00.00 | 17,00.00 | 10,65.20 | 7,71.56 | 16,99.66 | 10,65.80 | 7,71.77 |
| राजसमन्द जलपूर्ति परियोजना (बाघेरी का नाका) (नाबार्ड) | सामान्य | .. | 2,00.00 | .. | .. | 1,77.15 | .. | .. | 1,77.15 | .. |
| इन्द्रोका-मानकलाव-दाँतीबाडा जलपूर्ति परियोजना (नाबार्ड) | सामान्य | .. | 21,07.20 | .. | .. | 8,72.00 | .. | .. | 8,72.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,76.80 | .. | .. | 3,31.00 | .. | .. | 3,30.76 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 5,16.00 | .. | .. | 4,47.00 | .. | .. | 4,47.00 | .. |
| केरु-बेरु जोलीयाली जलपूर्ति परियोजना फेज- II (नाबार्ड) | सामान्य | 41.00 | 1,07.18 | .. | .. | 4.91 | .. | .. | 4.91 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 9.00 | 45.93 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| तिनवरी-मथानिया-ओसिया-बावारी-भोपालगढ जलपूर्ति परियोजना (नाबार्ड) | सामान्य | .. | 20,70.00 | .. | .. | 11,03.00 | .. | .. | 11,03.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 4,30.00 | .. | .. | 5,47.00 | .. | .. | 5,46.93 | .. |
| देवास परियोजना फेज- II (नाबार्ड) | सामान्य | 6,09.00 | 1,75.00 | .. | 5,75.00 | 87.50 | .. | 5,75.00 | 87.50 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 91.00 | 75.00 | .. | 81.50 | 37.50 | .. | 81.50 | 37.50 | .. |
| पांचला देवारा चेरथी जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | .. | 0.01 | .. | .. | 11,30.00 | .. | .. | 11,30.00 | .. |
| नर्मदा-गुढामालानी जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | .. | 14,04.80 | .. | .. | 7,96.16 | .. | .. | 7,96.16 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,51.20 | .. | .. | 5,78.04 | .. | .. | 5,78.04 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 3,44.00 | .. | .. | 3,92.94 | .. | .. | 3,92.94 | .. |
| फलश शौचालयों में शुष्क शौचालयों का रूपान्तरण | सामान्य | 68.70 | 0.01 | 0.01 | .. | .. | 18.01 | .. | .. | 18.01 |
| | ज.जा.उ.यो. | 13.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 17.80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में ए आई केन्द्रों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,12.96 | 1,55.82 | .. | 1,18.00 | 1,17.93 | .. | 1,18.00 | 1,17.93 |
| सरकारी अस्पताल में गैर बी. पी. एल. जनजाति मरीजों को आंतरिक उपचार के लिए मेडिकल सहायता तथा टी.बी. नियंत्रण | ज.जा.उ.यो. | 17,25.33 | 3,03.49 | 2,33.37 | 16,94.31 | 11,96.06 | 2,33.27 | 16,94.31 | 11,96.06 | 2,33.27 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया क्षेत्र में अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के साथ आश्रम छात्रावासों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | .. | 32,00.01 | 2,00.00 | .. | 32,00.00 | 9,21.63 | .. | 32,00.00 | 9,21.63 |
| देवनारायण योजना के लिए प्रशासनिक व्यय | सामान्य | 1,70,80.56 | 1,18,22.50 | 1,36,60.78 | 1,20,22.81 | 1,00,22.13 | 1,03,40.55 | 1,20,22.36 | 1,00,20.80 | 1,03,29.90 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में छात्रावास भवन | ज.जा.उ.यो. | 13,06.27 | 14,17.31 | 6,79.31 | 15,58.83 | 3,13.30 | 5,20.40 | 16,09.78 | 3,09.76 | 5,20.37 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया क्षेत्र में छात्रावास भवन | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,64.20 | 3,00.00 | .. | 2,64.20 | 7,06.34 | .. | 2,64.20 | 7,06.34 |
| बाल अधिकार संरक्षण आयोग (निदेशक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं के माध्यम से) | सामान्य | 1,04.16 | 1,05.23 | 39.43 | 57.10 | 64.47 | 58.52 | 57.10 | 64.47 | 58.52 |
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | सामान्य | .. | 39,05.00 | 14,00.00 | .. | 26,05.14 | 19,89.98 | .. | 26,05.14 | 19,89.98 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 13,51.00 | 4,12.00 | .. | 7,65.32 | 4,97.73 | .. | 7,65.32 | 4,97.73 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 12,06.00 | 5,56.00 | .. | 8,85.32 | 6,69.76 | .. | 8,85.32 | 6,69.76 |
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना | सामान्य | .. | 9,82.20 | 2,37.00 | .. | 5,73.37 | 3,99.14 | .. | 5,73.37 | 3,99.14 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,95.00 | 1,03.00 | .. | 1,29.30 | 69.49 | .. | 1,29.30 | 69.49 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 2,25.00 | 79.30 | .. | 1,51.81 | 1,05.15 | .. | 1,51.81 | 1,05.15 |
| सैनिक विश्राम गृह का निर्माण | सामान्य | 2,38.90 | 2,81.00 | 1,50.00 | 2,13.82 | 2,28.95 | 73.11 | 2,13.83 | 2,28.95 | 73.11 |
| कृषि उत्पादों की प्रसंस्करण हेतु सहायता | सामान्य | 1,00.00 | 10,00.00 | 2,00.00 | 14.95 | 2,32.19 | .. | 14.95 | 2,32.19 | .. |
| बूँद-बूँद सिंचाई पर राज्य योजना | सामान्य | 62,17.26 | 60,33.47 | 52,30.52 | 31,99.04 | 63,75.92 | 65,74.12 | 31,99.04 | 63,75.92 | 65,74.12 |
| | ज.जा.उ.यो. | 11,70.00 | 10,44.47 | 9,23.27 | 3,86.41 | 8,17.67 | 9,23.27 | 3,86.41 | 8,17.66 | 9,23.27 |
| | अ.जा.उ.यो. | 16,12.74 | 13,77.07 | 12,32.45 | 2,83.08 | 9,25.26 | 12,32.45 | 2,83.06 | 9,25.26 | 12,32.45 |
| गो सेवा आयोग को सहायतार्थ अनुदान | सामान्य | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 6.25 | 1,20.00 | 20.00 | 6.25 | 1,20.00 | 20.00 |
| राजस्थान विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान बीकानेर, को सहायता | सामान्य | 32,26.57 | 33,31.38 | 28,62.48 | 34,47.49 | 30,68.72 | 28,66.78 | 34,47.49 | 30,68.72 | 28,66.78 |
| | ज.जा.उ.यो. | 7,40.81 | 7,29.51 | 5,17.73 | 7,91.55 | 7,29.51 | 5,22.13 | 7,91.55 | 7,29.51 | 5,22.13 |
| | अ.जा.उ.यो. | 10,58.40 | 8,41.41 | 5,65.87 | 11,30.95 | 8,41.41 | 5,65.37 | 11,30.95 | 8,41.41 | 5,65.87 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| ई-ग्राम योजना | सामान्य | 2,47.54 | 1,98.62 | 1,97.79 | 1,24.62 | 1,25.70 | 1,17.78 | 1,24.59 | 1,25.68 | 1,17.44 |
| | ज.जा.उ.यो. | 52.38 | 52.38 | .. | 23.79 | 20.63 | .. | 23.79 | 20.63 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 52.38 | 96.69 | .. | 35.68 | 56.29 | .. | 35.61 | 56.29 | .. |
| राशन टिकिट योजना | सामान्य | 2,72.00 | 70.28 | 35.14 | 31.31 | 1,82.98 | 64.85 | 31.31 | 1,82.98 | 64.87 |
| | ज.जा.उ.यो. | 56.00 | 12.56 | 6.28 | 9.17 | 44.47 | 8.65 | 9.18 | 38.82 | 8.65 |
| | अ.जा.उ.यो. | 72.00 | 17.16 | 8.58 | 6.73 | 45.90 | 12.34 | 6.73 | 45.90 | 12.34 |
| चम्बल-भीलवाडा जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 20,40.00 | .. | .. | 28,79.11 | .. | .. | 28,79.09 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 4,20.00 | .. | .. | 5,91.16 | .. | .. | 5,91.16 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 5,40.00 | .. | .. | 6,62.11 | .. | .. | 6,62.11 | .. | .. |
| नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-II | सामान्य | 21,00.00 | .. | .. | 1,05.92 | .. | .. | 1,05.91 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,60.00 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,53.88 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 5,40.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| मेट्रो रेल परियोजना | सामान्य | 1,37,00.01 | .. | .. | 1,37,00.00 | .. | .. | 1,37,00.00 | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को पौधारोपण हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 7,00.00 | 7,01.60 | .. | 7,20.00 | 7,64.75 | .. | 7,20.00 | 7,64.75 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति को रोजगार हेतु प्रशिक्षण | ज.जा.उ.यो. | 18.00 | 18.11 | 3,39.60 | 19.98 | 6.75 | 3,35.21 | 19.98 | 6.75 | 3,35.21 |
| नाबार्ड सहायता से छात्रावास भवन का निर्माण | सामान्य | 84.94 | 1,17.29 | 5.88 | .. | 4.11 | 7.53 | .. | 4.11 | 7.53 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,93.15 | 5,28.33 | 2,70.57 | 41.02 | 99.28 | 2,13.43 | 41.02 | 99.26 | 2,13.42 |
| | अ.जा.उ.यो. | 11,09.12 | 12,02.91 | 3,60.81 | 4,11.74 | 3,15.01 | 3,21.29 | 4,11.74 | 3,11.56 | 3,21.29 |
| अक्षत कौशल योजना | सामान्य | 27.40 | 56.00 | 1,74.08 | 6.80 | 4.20 | 8.69 | 6.80 | 4.20 | 8.69 |
| | ज.जा.उ.यो. | 5.40 | 9.00 | 32.17 | 0.61 | 0.18 | 0.70 | 0.61 | 0.18 | 0.70 |
| | अ.जा.उ.यो. | 7.20 | 13.00 | 45.25 | 1.79 | 1.44 | 1.24 | 1.79 | 1.44 | 1.24 |
| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास सहकारी निगमों को अंश पूंजी | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | .. | 2,00.00 | .. | .. | 2,00.00 |
| वृद्ध आश्रम का निर्माण | सामान्य | 3,50.00 | 3,68.40 | 2,70.00 | 1,16.65 | 3,13.82 | 1,27.15 | 1,16.65 | 3,13.83 | 1,27.15 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| नाबार्ड द्वारा पोषित आंगनवाडी केन्द्रों का निर्माण | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 18,67.36 | .. | .. | .. | (-) 9,25.52* | .. | .. |
| नाबार्ड द्वारा अभ्यारणों में पोषित जल संरक्षण परियोजना | सामान्य | 1,00.00 | 0.01 | 3,20.00 | 24.00 | .. | 77.06 | 24.00 | .. | 1,20.57 |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 4,00.00 | 6,24.00 | .. | 64.14 | 2,33.07 | .. | 64.14 | 1,89.55 |
| इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, जैसलमेर | सामान्य | 64,17.72 | 60,75.17 | 37,26.19 | 59,90.05 | 53,76.52 | 49,31.12 | 47,76.84 | 42,67.69 | 37,88.15 |
| | अ.जा.उ.यो. | 10,68.01 | 10,00.48 | 6,00.60 | 9,83.45 | 8,86.72 | 7,52.91 | 9,82.71 | 8,86.71 | 6,14.90 |
| इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना - तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि | सामान्य | 93.38 | 7,14.68 | 0.12 | 3.63 | 8,97.59 | 2,79.35 | 3.63 | 8,95.14 | 2,80.37 |
| त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखा क्षेत्र में निर्माण कार्य | सामान्य | .. | 7,45.00 | 12,60.00 | .. | .. | 10.39 | .. | .. | 10.46 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 20,00.00 | 10,00.00 | .. | 5,67.24 | 5,63.75 | .. | 5,67.44 | 5,63.75 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 2,55.00 | 7,40.00 | .. | 3.61 | 16.04 | .. | 3.54 | 14.14 |
| राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान | सामान्य | 3,41.19 | 9,33.00 | 9,43.74 | 3,41.18 | 3,95.54 | 9,43.70 | 3,41.18 | 3,95.54 | 9,43.70 |
| | ज.जा.उ.यो. | 65.01 | 1,58.00 | 1,68.21 | 65.00 | 1,02.00 | 1,68.21 | 65.00 | 1,02.00 | 1,68.21 |
| | अ.जा.उ.यो. | 85.01 | 2,24.00 | 2,23.05 | 85.00 | 1,52.00 | 2,23.05 | 85.00 | 1,52.00 | 2,23.05 |
| राज्य आयोजना बोर्ड | सामान्य | 0.01 | 5,00.01 | 51,75.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान मेला आयोजन प्राधिकरण | सामान्य | 1,20.00 | 1,20.00 | 75.00 | 57.25 | 70.00 | 1,13.00 | 57.25 | 70.00 | 1,13.00 |
| निदेशक, आयोजना (जनशक्ति) विभाग | सामान्य | 2,57.48 | 1,62.54 | 1,57.67 | 1,59.33 | 1,79.45 | 95.98 | 1,59.33 | 1,76.61 | 95.98 |
| | ज.जा.उ.यो. | 12.00 | 11.30 | 9.60 | .. | 8.37 | 4.06 | .. | 8.37 | 4.06 |
| | अ.जा.उ.यो. | 17.00 | 15.44 | 12.80 | .. | 15.39 | 10.42 | .. | 15.39 | 10.42 |
| राजस्थान राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड | सामान्य | 0.03 | 0.03 | 0.03 | .. | 1,35,00.00 | 2,44,34.17 | .. | 1,35,00.00 | 2,44,34.17 |
| जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर | सामान्य | 7,26.05 | 3,24.21 | 3,54.21 | 3,37.64 | 2,36.79 | 1,34.91 | 3,37.64 | 2,36.79 | 1,34.65 |
| पी.बी.एम. पुरुष अस्पताल, बीकानेर | सामान्य | 9,31.20 | 6,91.20 | 4,95.20 | 6,67.64 | 4,57.91 | 4,73.83 | 6,67.63 | 4,57.89 | 4,73.75 |
| सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर | सामान्य | 3,51.04 | 66.05 | 9.04 | 8,67.47 | 62.39 | 3,10.97 | 8,67.47 | 62.39 | 3,10.97 |

* ऋण व्यय, व्ययों पर प्राप्तियों तथा वसूलियों के आधिक्य के कारण है।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| एस.पी.एम.सी.एच.आई., जयपुर | सामान्य | 1,95.03 | 32.74 | 30.20 | 1,46.34 | 57.07 | 29.95 | 1,46.33 | 57.06 | 29.96 |
| उम्मेद अस्पताल, जोधपुर | सामान्य | 3,91.75 | 3,79.77 | 1,92.75 | 2,80.62 | 1,77.57 | 47.14 | 2,80.60 | 1,77.57 | 47.13 |
| एम.डी.एम. अस्पताल, जोधपुर | सामान्य | 6,52.90 | 4,87.30 | 2,30.60 | 5,31.85 | 3,97.85 | 2,18.67 | 5,31.84 | 3,97.84 | 2,18.62 |
| एम.बी.एस. अस्पताल, उदयपुर | सामान्य | 5,87.23 | 4,48.10 | 3,58.94 | 5,45.83 | 2,55.94 | 1,94.00 | 5,45.84 | 2,55.95 | 1,94.01 |
| जनाना अस्पताल, उदयपुर | सामान्य | 1,87.60 | 68.01 | 80.32 | 1,74.01 | 73.46 | 68.94 | 1,74.01 | 73.46 | 68.94 |
| एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा | सामान्य | 4,03.40 | 86.63 | .. | 2,21.72 | 48.28 | .. | 2,21.72 | 48.28 | .. |
| जे.के.लोन अस्पताल, कोटा | सामान्य | 3,67.00 | 1,51.18 | 14.00 | 2,63.11 | 70.59 | 65.80 | 2,63.11 | 70.58 | 65.80 |
| नवीन चिकित्सालय, कोटा | सामान्य | 10,57.90 | 6,92.03 | 3,36.13 | 9,50.08 | 7,37.18 | 4,11.57 | 9,50.08 | 7,37.16 | 4,11.46 |
| पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गणगौरी बाजार, जयपुर | सामान्य | 5,58.22 | 4,75.23 | 2,01.22 | 5,51.70 | 5,22.29 | 3,18.51 | 5,45.69 | 5,22.30 | 3,43.85 |
| भ्रमणशील सर्जिकल चिकित्सा इकाई, जयपुर | सामान्य | 98.02 | 1,23.26 | 1,68.45 | 50.82 | 46.49 | 1,15.75 | 50.77 | 46.48 | 1,15.75 |
| | ज.जा.उ.यो. | 36.95 | 42.58 | 71.25 | 34.16 | 21.55 | 62.79 | 34.10 | 21.54 | 62.79 |
| | अ.जा.उ.यो. | 67.35 | 64.56 | 1,30.38 | 50.06 | 47.25 | 88.92 | 50.01 | 47.25 | 88.93 |
| साल्ट क्षेत्र में सड़कों का विकास | सामान्य | 2,40.80 | 80.00 | 66.39 | 7.44 | 57.94 | 66.98 | 7.43 | 57.96 | 72.09 |
| नवजीवन योजना | सामान्य | 4,20.77 | 11,46.08 | 11,78.99 | 2,39.34 | 1,84.27 | 3,67.20 | 2,39.34 | 1,84.27 | 3,67.22 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,00.00 | 3,00.00 | 3,00.00 | 18.05 | 23.61 | 36.27 | 18.05 | 23.61 | 36.26 |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,00.00 | 4,25.00 | 4,25.00 | 1,49.92 | 1,08.46 | 1,62.22 | 1,49.92 | 1,08.46 | 1,62.22 |
| क्षेत्रीय यातायात कार्यालय में कम्प्यूटराईजेशन | सामान्य | 11,18.40 | 60.25 | 0.01 | 17,72.04 | 5,11.28 | 1,37.53 | 17,71.17 | 5,21.40 | 1,37.53 |
| कोषालय स्थापना | सामान्य | 4,95.00 | 5,25.00 | 20.00 | 2,87.82 | 3,29.89 | 77.72 | 3,38.26 | 3,32.87 | 77.25 |
| मिशन मोड परियोजना के अन्तर्गत कोषालय का कम्प्यूटराईजेशन | सामान्य | 10,80.00 | .. | .. | 11,55.03 | .. | .. | 11,55.03 | .. | .. |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र का उन्नयन | सामान्य | 1,35.81 | 0.01 | 99.99 | 1,35.58 | 1,33.82 | 71.26 | 1,35.58 | 1,33.82 | 71.26 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,66.11 | 0.01 | 0.01 | 1,65.77 | .. | .. | 1,65.77 | .. | .. |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कैदियों हेतु प्रशिक्षण | सामान्य | 2,00.43 | 2,15.47 | 0.04 | 2,00.42 | 14.14 | .. | 2,00.42 | 14.14 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 0.03 | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.03 | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जेल भवन | सामान्य | 6,01.85 | 3,71.87 | 4,96.19 | 4,76.50 | 5,10.76 | 0.30 | 4,76.96 | 5,10.76 | 0.30 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | 1,03.70 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | 1,40.73 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत होम गार्ड हेतु भवन | सामान्य | 5,30.12 | 1,41.59 | 4,42.48 | 4,50.92 | 1,58.45 | 1,53.84 | 4,50.92 | 1,58.45 | 1,53.83 |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पुलिस भवन | सामान्य | 33,40.61 | 9,21.33 | 7,75.64 | 32,87.40 | 8,73.06 | 4,24.32 | 32,80.13 | 8,73.92 | 3,80.80 |
| | ज.जा.उ.यो. | 45.31 | 2,04.73 | 54.20 | 32.11 | 30.51 | .. | 32.11 | 30.51 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 12.39 | 2,92.52 | 1,10.86 | 3.31 | 1,48.10 | 1,76.86 | 3.31 | 1,00.51 | 1,56.51 |
| राज्य सूचना कमीशन भवन | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | .. | 3,10.00 | .. | .. | 2,50.00 |
| राज्य राजस्व आसूचना विभाग भवन | सामान्य | 2,70.00 | 0.03 | 3,00.01 | .. | 0.60 | 3.07 | .. | 0.60 | 3.07 |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान | सामान्य | 2,78,27.50 | 2,75,38.60 | 2,28,63.75 | 2,78,27.50 | 2,75,38.60 | 2,28,63.75 | 2,78,27.15 | 2,75,38.60 | 2,28,63.75 |
| | ज.जा.उ.यो. | 56,29.50 | 49,66.40 | 48,84.25 | 56,29.50 | 49,66.40 | 48,84.25 | 56,29.50 | 49,66.40 | 48,84.25 |
| | अ.जा.उ.यो. | 74,43.00 | 68,95.00 | 78,52.00 | 74,43.00 | 68,95.00 | 78,52.00 | 74,43.00 | 68,95.00 | 78,52.00 |
| महाविद्यालय शिक्षा भवन | सामान्य | 1.00 | 6,51.00 | 1.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 5,00.00 | 1,50.00 | 4,21.50 | 21.27 | 44.82 | 72.48 | 21.26 | 49.27 | 64.16 |
| आई आई आई टी का निर्माण | सामान्य | 0.02 | 0.02 | 1,50.01 | .. | .. | 1,50.00 | .. | .. | 1,50.00 |
| एस एम एस टाउन हॉल एवं जलेबी चोक में अन्तराष्ट्रीय संग्रहालय | सामान्य | .. | .. | 10,00.01 | .. | .. | 10,00.00 | .. | .. | 10,00.00 |
| महात्मा गाँधी अस्पताल, जोधपुर | सामान्य | 5,03.00 | 2,84.20 | 1,19.57 | 4,36.93 | 3,19.85 | 77.23 | 4,36.93 | 3,19.84 | 77.23 |
| अन्य भ्रमणशील सर्जिकल चिकित्सा इकाई | सामान्य | 4,78.66 | 5,82.70 | 5,24.46 | 3,68.77 | 3,30.77 | 2,82.35 | 3,68.71 | 3,30.77 | 2,82.35 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,29.47 | 1,06.12 | 71.54 | 76.65 | 70.05 | 69.10 | 76.61 | 70.05 | 69.10 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,12.07 | 1,55.78 | 65.92 | 69.49 | 57.21 | 44.14 | 69.45 | 57.19 | 44.13 |
| तकली परियोजना (तेरहवां वित्त आयोग) | सामान्य | 10,47.36 | 7,94.54 | 15,99.99 | 9,95.28 | 11,52.50 | 21,00.50 | 10,87.15 | 11,29.68 | 21,22.46 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,00.00 | 73.00 | .. | 3,66.69 | 60.94 | .. | 3,66.69 | 60.94 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,00.00 | 1,70.45 | 4,00.00 | 2,50.00 | 1,20.15 | 4,00.00 | 2,45.71 | 1,20.54 | 4,00.00 |
| लहासी परियोजना (तेरहवां वित्त आयोग) | सामान्य | 4,75.42 | 12,15.99 | 17,99.99 | 5,31.33 | 11,04.39 | 16,72.08 | 4,79.34 | 16,43.18 | 16,91.16 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,00.00 | 1,12.00 | .. | 97.76 | 84.00 | .. | 97.76 | 84.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,00.00 | 2,72.00 | 4,00.00 | 6.13 | 2,72.00 | 5,00.00 | 6.13 | 2,72.00 | 5,00.00 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|---------|-------------|-------------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| पीपलाद परियोजना (तेरहवां वित्त आयोग) | सामान्य | 5,64.90 | 7,59.99 | 4,99.99 | 60.79 | 5,46.82 | 3,86.13 | 61.27 | 5,36.22 | 3,92.15 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,00.00 | 70.00 | .. | 18.00 | 70.00 | .. | 18.00 | 70.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,00.00 | 1,70.00 | 1,00.00 | 17.00 | .. | 3,00.00 | 17.00 | .. | 3,00.00 |
| निदेशन तथा प्रशासन-होम्योपैथिक | सामान्य | 1,51.28 | 1,44.62 | 1,88.88 | 75.57 | 61.20 | 39.03 | 75.56 | 61.19 | 39.03 |
| निदेशन तथा प्रशासन-यूनानी | सामान्य | 1,06.57 | 78.84 | 44.03 | 82.75 | 53.31 | 32.58 | 82.74 | 53.31 | 32.59 |
| | ज.जा.उ.यो. | 40.74 | 25.15 | .. | 8.11 | 4.79 | .. | 8.10 | 4.79 | .. |
| पॉलीटेक्निक विद्यालय | सामान्य | 3,28.50 | 2,57.48 | 4,49.61 | 1,59.86 | 1,59.15 | 60.23 | 1,59.85 | 1,59.15 | 60.23 |
| निदेशक, चिकित्सा शिक्षा | सामान्य | 3,62.58 | 1,82.97 | 88.50 | 4,16.69 | 90.17 | 79.06 | 4,16.70 | 90.16 | 79.06 |
| ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी | सामान्य | 1,42.97 | 1,23.20 | 1,03.64 | 1,65.74 | 21.28 | 13.39 | 1,65.74 | 20.67 | 13.35 |
| बैक्टीरियोलोजीकल प्रयोगशाला | सामान्य | 1,90.02 | 5,91.41 | 2,48.81 | 1,39.40 | 1,05.71 | 9.67 | 1,39.11 | 1,05.56 | 9.67 |
| होम्योपैथी अस्पताल का निर्माण | सामान्य | 1,00.02 | 70.55 | 0.02 | 19.88 | .. | .. | 19.88 | .. | .. |
| यूनानी अस्पताल का निर्माण | सामान्य | 50.14 | 1,26.81 | 0.02 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अस्पतालों का निर्माण | सामान्य | 25,76.45 | 32,53.70 | 10,25.26 | 19,71.15 | 32,27.69 | 91.34 | 19,71.15 | 32,27.69 | 91.34 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,81.00 | 1,75.01 | 5,56.04 | 2,80.99 | 1,75.00 | 70.43 | 2,80.99 | 1,75.00 | 70.43 |
| | अ.जा.उ.यो. | 5,44.49 | 1,79.21 | 4,94.73 | 5,44.48 | 1,79.20 | 4,90.00 | 5,44.48 | 1,79.20 | 4,90.00 |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 2,31.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,25.01 | 2,25.01 | 2,12.00 | 2,25.00 | 2,25.00 | 77.87 | 2,25.00 | 2,25.00 | 77.87 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,23.01 | 1,23.01 | 1,70.00 | 1,23.00 | 1,23.00 | 54.57 | 1,23.00 | 1,23.00 | 49.88 |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 3,29.36 | .. | .. | 5,40.54 | .. | .. | 5,40.54 |
| स्वास्थ्य शिक्षा भवन | सामान्य | 5,88.75 | 4,25.79 | 10.00 | 3,53.16 | 2,55.56 | 74.55 | 3,53.17 | 2,55.56 | 74.55 |
| ब्लक मीटर तथा उपभोक्ता मीटर की आपूर्ति | सामान्य | 5,62.24 | 14,05.60 | 28,00.00 | 9.27 | 1,71.32 | 55.69 | 9.27 | 1,71.32 | 55.69 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,00.48 | 2,51.20 | .. | 6.26 | .. | .. | 6.26 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,37.28 | 3,43.20 | .. | .. | 16.92 | .. | .. | 16.92 | .. |
| डीग जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 10,20.00 | 3,51.20 | 9,82.66 | 11.49 | .. | 7,48.06 | 11.49 | (-) 5,25.44 | 5,25.44 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,10.00 | 62.80 | 1,16.98 | 2.36 | .. | 1,33.76 | 2.36 | .. | 93.95 |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,70.00 | 86.00 | 2,65.36 | 3.04 | .. | 1,83.18 | 3.04 | (-) 48.63 | 1,28.67 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| बोरावास मंडाना जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 3,59.95 | .. | 3,20.59 | 79.77 | .. | 3,20.59 | 79.77 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 42.85 | .. | 77.00 | 31.40 | .. | 77.00 | 31.40 |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 97.20 | .. | 99.00 | 43.00 | .. | 99.00 | 43.00 |
| शहरी जलापूर्ति योजना, बीकानेर के अन्तर्गत | सामान्य | 4,52.00 | 2,81.12 | 3,64.00 | 2,29.32 | 2,80.84 | 44.49 | 2,29.32 | 2,80.83 | 44.49 |
| शोभासर अनुभाग तथा अन्य भागों में 40 एमएलडी | ज.जा.उ.यो. | 56.00 | 50.24 | 58.00 | 56.00 | 50.25 | 32.41 | 56.00 | 50.25 | 32.41 |
| जल ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तथा कमीशनिंग | अ.जा.उ.यो. | 1,42.00 | 68.64 | 78.00 | 72.00 | 68.64 | 79.84 | 72.00 | 68.64 | 79.18 |
| नागदा अंता बलदेवपुरा जलपूर्ति परियोजना (शहरी) | सामान्य | 17,00.00 | 2,19.48 | 7,19.90 | 3,65.50 | 2,72.00 | 2,99.28 | 3,65.49 | 2,72.00 | 2,99.28 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,50.00 | 39.22 | 85.70 | 75.25 | 56.00 | 35.00 | 75.24 | 56.00 | 34.85 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,50.00 | 53.72 | 1,94.40 | 96.75 | 72.00 | 67.00 | 96.75 | 72.00 | 67.00 |
| कम्प्यूटराईजेशन/स्कवायड प्रणाली/ई-गवर्नेंस | सामान्य | 70.00 | 1,00.00 | 10,00.00 | 7.19 | 5.82 | 10.91 | 7.19 | 5.82 | 10.91 |
| ग्रामीण जलपूर्ति योजना के विभिन्न घटकों का सुदृढीकरण तथा कायाकल्प | सामान्य | 6,00.00 | 7,00.00 | .. | 4,92.00 | 4,76.91 | .. | 4,90.28 | 4,76.91 | .. |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण जलपूर्ति | सामान्य | 1,29,62.00 | 55,71.40 | 50,00.00 | 1,29,85.00 | 53,64.75 | 35,35.00 | 1,29,84.09 | 53,64.74 | 35,34.86 |
| | ज.जा.उ.यो. | 16,31.00 | 4,39.60 | .. | 18,48.49 | 4,39.60 | .. | 18,48.49 | 4,31.17 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 30,07.00 | 12,52.00 | 15,00.00 | 27,38.00 | 11,75.00 | 7,55.24 | 27,37.12 | 11,72.75 | 7,55.24 |
| अनुसूचित जाति बस्तियों में शहरी जलपूर्ति | अ.जा.उ.यो. | 32,56.00 | 35,78.50 | 49,46.22 | 18,64.83 | 33,65.00 | 32,65.00 | 18,64.98 | 33,60.67 | 32,83.09 |
| जनजातिय क्षेत्र विकास में शहरी जलपूर्ति | ज.जा.उ.यो. | 20,98.00 | 7,71.17 | 21,57.64 | 7,20.71 | 7,35.00 | 5,40.00 | 7,20.56 | 7,30.63 | 5,38.67 |
| निःशक्त हेतु निदेशालय | सामान्य | 2,70.45 | 2,45.53 | 1,30.64 | 1,30.56 | 1,44.28 | 1,19.09 | 1,30.58 | 1,44.27 | 1,18.55 |
| महिला स्वयं सहायता समूह संस्था को ब्याज पर सहाय्य | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 5,30.00 | .. | 1,75.16 | .. | .. | 1,75.16 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 1,25.00 | .. | 53.00 | .. | .. | 53.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 1,75.00 | .. | 67.40 | .. | .. | 67.40 | .. |
| महिला स्वयं सहायता समूह को बीज हेतु राशि | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 5,30.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 1,25.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 1,75.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जिला महिला विकास अभिकरण के स्थापना व्यय के लिए सहायता | सामान्य | 17,61.03 | 14,21.52 | 12,81.84 | 15,70.37 | 13,74.19 | 7,51.00 | 15,70.09 | 13,72.03 | 7,51.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,28.10 | 2,68.81 | 2,96.69 | 2,60.67 | 2,64.83 | 1,66.00 | 2,60.65 | 2,64.83 | 1,66.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,07.21 | 3,33.60 | 4,15.69 | 2,79.06 | 3,15.18 | 2,69.50 | 2,79.06 | 3,15.17 | 2,69.50 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जिला महिला विकास अभिकरण को कार्यक्रम और गतिविधियों के लिए सहायता | सामान्य | 3,72.31 | 2,35.24 | 2,00.17 | 3,83.07 | 2,89.73 | 1,94.25 | 3,82.97 | 2,89.71 | 1,94.25 |
| | ज.जा.उ.यो. | 87.08 | 82.28 | 1,13.28 | 39.24 | 22.91 | 70.30 | 39.14 | 22.91 | 70.30 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,05.92 | 65.20 | 65.21 | 92.96 | 74.84 | 61.42 | 91.71 | 74.84 | 61.42 |
| अल्पसंख्यक मामलात विभाग प्रशासन | सामान्य | 75.01 | 10,00.00 | .. | 72.15 | 57.44 | .. | 72.14 | 57.45 | .. |
| विमदित महिला तथा बाल गृह भवन | सामान्य | 4,90.12 | 4,97.43 | 15,00.00 | 4,50.86 | 3,32.97 | 9,42.09 | 4,50.61 | 3,62.44 | 9,42.09 |
| नारी निकेतन भवन | सामान्य | 21.58 | 0.01 | 1,64.00 | 17.73 | 29.42 | 1,04.81 | 17.73 | 29.44 | 1,04.81 |
| अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन | सामान्य | 2,00.00 | 2,75.00 | 6,55.00 | 1,05.75 | 90.00 | 2,20.25 | 1,05.75 | 90.00 | 2,20.25 |
| निर्देशन तथा प्रशासन | सामान्य | 3,72.57 | 3,00.53 | 97.78 | 3,07.21 | 85,92.09 | 4,84.34 | 3,06.71 | 85,68.52 | 4,63.92 |
| | ज.जा.उ.यो. | 32.39 | 25.20 | 6.16 | 34.82 | 12.36 | 3,14.77 | 34.66 | 12.27 | 3,14.48 |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वन सम्पदा का संरक्षण | सामान्य | 18,65.16 | 15,23.53 | 15,52.00 | 17,81.59 | 16,53.73 | 11,82.99 | 17,61.53 | 16,56.93 | 11,88.18 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,75.11 | 3,09.11 | 2,78.00 | 2,87.13 | 3,78.81 | 3,04.21 | 2,83.27 | 3,78.58 | 3,03.92 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,63.36 | 3,75.36 | 3,78.00 | 4,51.64 | 4,81.68 | 2,74.70 | 4,51.28 | 5,23.34 | 2,42.61 |
| परिस्थितीकीय पर्यटन का विकास | सामान्य | 3,20.00 | 3,00.00 | 3,00.00 | 30.69 | 2,31.20 | 2,68.70 | 30.69 | 2,31.83 | 2,68.21 |
| स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को कृषि अनुसंधान के लिए सहायता | सामान्य | 18,04.39 | 13,23.55 | 5,20.07 | 11,44.00 | 10,62.97 | 7,40.52 | 11,44.00 | 10,62.97 | 7,40.42 |
| गागरीन परियोजना (तेरहवां वित्त आयोग) | सामान्य | 5,64.90 | 11,39.99 | 8,99.99 | 7,75.83 | 6,71.84 | 6,36.22 | 7,82.15 | 6,55.20 | 6,41.53 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,00.00 | 1,05.00 | .. | 2,07.93 | 1,05.00 | .. | 2,08.00 | 1,05.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,00.00 | 2,55.00 | 3,00.00 | 3,83.00 | 1,91.25 | 1,80.00 | 3,83.00 | 1,91.25 | 1,80.00 |
| अस्पतालों का आधुनिकीकरण, मजबूती, पुनरुद्धार तथा उन्नयन | सामान्य | 30.00 | 7,00.89 | 1,16.01 | 19.50 | 31.47 | 61.81 | 19.50 | 35.01 | 69.40 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,99.21 | 8,72.24 | 5,13.67 | 97.26 | 1,98.64 | .. | 94.31 | 2,00.66 | (-) 0.25 |
| पंचायती राज संस्थाओं को निर्बन्ध कोष | सामान्य | 4,67,96.09 | 4,67,96.09 | 4,67,96.09 | 4,67,96.09 | 4,67,96.09 | 4,67,96.09 | 4,67,96.09 | 4,67,96.09 | 4,67,96.09 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,30,92.78 | 1,30,92.78 | 1,30,92.78 | 1,30,92.78 | 1,30,92.78 | 1,28,70.37 | 1,30,92.78 | 1,30,92.78 | 1,28,70.37 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,78,65.13 | 1,78,65.13 | 1,78,65.13 | 1,78,65.13 | 1,78,65.13 | 1,60,78.62 | 1,78,65.13 | 1,78,65.13 | 1,60,78.62 |
| गांव मास्टर योजना | सामान्य | 2,74.80 | 0.01 | 0.01 | .. | 40,50.00 | .. | .. | 40,50.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 54.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 71.20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला प्रोत्साहन निधि | सामान्य | 2,07.25 | 11,58.96 | 4,63.84 | .. | .. | 2,31.92 | .. | .. | 2,31.92 |
| | ज.जा.उ.यो. | 11,59.60 | 2,07.24 | 82.90 | .. | .. | 41.45 | .. | .. | 41.45 |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,83.15 | 2,83.80 | 1,13.26 | .. | .. | 56.63 | .. | .. | 56.63 |
| ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना | सामान्य | 34,35.00 | 24,57.00 | 24,57.00 | .. | 59,67.00 | 39,57.00 | .. | 59,67.00 | 39,57.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 6,75.00 | 4,41.00 | 4,41.00 | .. | 10,71.00 | 4,41.00 | .. | 10,71.00 | 4,41.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 8,90.00 | 6,02.00 | 6,02.00 | .. | 14,62.00 | 6,02.00 | .. | 14,62.00 | 6,02.00 |
| पंजाब में इन्दिरा गांधी फीडर तथा संबंधित निर्माण कार्य | सामान्य | 16,44.00 | 12,42.60 | 10,76.92 | 16,44.00 | 12,42.60 | 10,76.92 | 16,44.00 | 12,42.60 | 10,76.92 |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,56.00 | 2,57.40 | 2,23.08 | 3,56.00 | 2,57.40 | 2,23.08 | 3,56.00 | 2,57.40 | 2,23.08 |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत लघु सिंचाई निर्माण कार्य | ज.जा.उ.यो. | 8,00.00 | 10,74.18 | 13,50.00 | 2,16.29 | 10,30.73 | 11,13.04 | 1,64.45 | 10,30.73 | 11,14.15 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,92.96 | 2,35.80 | 3,40.00 | 56.37 | 1,77.16 | 1,49.01 | 49.69 | 1,74.12 | 1,44.87 |
| राजस्थान ऊर्जा संरक्षण निधि | सामान्य | 2,00.00 | 2,00.00 | 1,00.00 | .. | 2,00.00 | 1,15.50 | .. | 2,00.00 | 1,15.50 |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण | सामान्य | 22,79.86 | 23,26.66 | 23,26.66 | 28,34.19 | 24,19.48 | 21,77.42 | 28,34.18 | 24,19.48 | 22,73.15 |
| | ज.जा.उ.यो. | 4,48.02 | 4,18.14 | 4,18.14 | 23.91 | 1,25.29 | 6,35.93 | 23.92 | 1,25.28 | 6,35.93 |
| | अ.जा.उ.यो. | 5,90.70 | 5,73.78 | 5,73.78 | 5,49.63 | 1,15.14 | 4,29.89 | 5,49.62 | 1,15.15 | 4,29.88 |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को डिपो स्थापना हेतु सहायता | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 8,00.00 | .. | .. | 8,00.00 | .. | .. | 8,00.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान राज्य बायो-डायवर्सिटी बोर्ड | सामान्य | 3,05.25 | 2,77.83 | 1,84.06 | 2,03.46 | 2,22.58 | 2,00.94 | 2,03.46 | 2,22.58 | 2,00.94 |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत यूनिट पहचान (यूआईडी) जारी करने हेतु प्रोत्साहन | सामान्य | 83,41.00 | 18,96.15 | 18,96.15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 16,39.00 | 3,38.87 | 3,38.87 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 21,61.00 | 4,62.98 | 4,62.98 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन ई जी पी) | सामान्य | 0.01 | 19,19.98 | 3,20.84 | .. | 4,66.00 | .. | .. | 4,66.00 | .. |
| खान पर रायल्टी से समनुदेशन | सामान्य | 0.03 | 66,00.00 | 66,00.00 | .. | 1,22,63.75 | 66,00.00 | .. | 1,22,63.75 | 66,00.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पेट्रोलियम पर रायल्टी से समनुदेशन | सामान्य | 0.03 | 67,49.31 | 66,00.00 | .. | .. | 42,54.42 | .. | .. | 42,54.42 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| स्थानीय शराब तथा भारतीय निर्मित विदेशी शराब के विक्रय अंश से समनुदेशन | सामान्य | 0.03 | 22,00.00 | 22,00.00 | .. | .. | 9,72.72 | .. | .. | 9,72.72 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| स्टाम्प पर सरचार्ज से समनुदेशन | सामान्य | 0.03 | 49,50.00 | 49,50.00 | .. | 49,50.00 | 49,50.00 | .. | 49,50.00 | 49,48.05 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| माल पर प्रवेश कर के अंश से समनुदेशन | सामान्य | 0.03 | 27,71.99 | 27,71.99 | .. | 13,80.22 | .. | .. | 13,80.22 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| डीटीएच पर मनोरंजन कर से समनुदेशन | सामान्य | 0.01 | 1,10.00 | 1,10.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भूमि राजस्व से समनुदेशन (रूपान्तरण शुल्क रहित) | सामान्य | 0.01 | 11,00.00 | 11,00.00 | .. | 11,00.00 | 8,15.00 | .. | 11,00.00 | 8,15.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर पेनल्टी से समनुदेशन | सामान्य | 0.01 | 11,00.00 | 11,00.00 | .. | 11,00.00 | 11,00.00 | .. | 11,00.00 | 11,00.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| चारागाह भूमि पर अतिक्रमण पर पेनल्टी से समनुदेशन | सामान्य | 0.01 | 11,00.00 | 11,00.00 | .. | 11,00.00 | 11,00.00 | .. | 11,00.00 | 11,00.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भूमि रूपान्तरण शुल्क से समनुदेशन | सामान्य | 0.01 | 22,00.00 | 22,00.00 | .. | 22,00.00 | 22,00.00 | .. | 22,00.00 | 22,00.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| अवैधानिक खनन तथा खनन क्षेत्र पर अतिक्रमण पर पेनल्टी से समनुदेशन | सामान्य | 0.01 | 2,65.10 | 2,65.10 | .. | 2,65.10 | 2,65.10 | .. | 2,65.10 | 2,65.10 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| एन सी आर यातायात निगम | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | 12,50.00 | .. | .. | 12,50.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को ऋण | सामान्य | 1,43.80 | 1,03.31 | 1,03.31 | .. | .. | 88.89 | .. | .. | 88.89 |
| जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | सामान्य | 8,98,67.13 | 7,20,77.22 | 2,07,32.60 | 6,92,28.96 | 7,38,26.73 | 8,34,89.60 | 6,92,32.95 | 7,38,26.73 | 8,34,89.60 |
| | ज.जा.उ.यो. | 61,49.00 | 38,26.79 | 37,05.20 | 1,40,54.04 | 67,89.80 | 56,74.85 | 1,40,54.85 | 67,89.80 | 56,74.85 |
| | अ.जा.उ.यो. | 85,14.00 | 52,28.32 | 50,62.20 | 2,08,20.80 | 95,40.80 | 77,53.22 | 2,08,22.00 | 95,40.80 | 77,53.22 |
| जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | सामान्य | 7,60,76.27 | 5,67,47.82 | 1,44,77.68 | 6,43,83.29 | 8,04,79.95 | 7,75,38.88 | 6,43,81.96 | 8,04,79.95 | 7,75,38.88 |
| | ज.जा.उ.यो. | 37,70.00 | 29,52.29 | 25,87.36 | 1,30,70.21 | 81,39.05 | 43,01.11 | 1,30,69.94 | 81,39.05 | 43,01.11 |
| | अ.जा.उ.यो. | 52,20.00 | 40,33.54 | 35,34.96 | 1,93,63.20 | 1,14,05.65 | 58,76.36 | 1,93,62.80 | 1,14,05.65 | 58,76.36 |
| अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश | सामान्य | 8,06,20.60 | 5,73,58.93 | 1,27,90.96 | 6,57,35.75 | 7,71,38.77 | 8,29,46.11 | 6,57,33.09 | 7,71,38.77 | 8,29,46.11 |
| | ज.जा.उ.यो. | 25,09.00 | 28,20.97 | 22,85.92 | 1,33,44.75 | 57,71.85 | 36,85.11 | 1,33,44.21 | 57,71.85 | 36,85.11 |
| | अ.जा.उ.यो. | 34,74.00 | 38,54.12 | 31,23.12 | 1,97,70.00 | 81,07.40 | 50,34.76 | 1,97,69.20 | 81,07.40 | 50,34.76 |
| राजकीय मुद्रणालय | सामान्य | 1,34.00 | 1,50.00 | 1,50.00 | 1,28.65 | 1,47.19 | 1,27.25 | 1,28.65 | 1,47.19 | 1,27.25 |
| | ज.जा.उ.यो. | 16.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्व जांच तथा प्रशिक्षण संस्था भवन | सामान्य | 72.57 | 2,94.29 | 2,38.05 | 63.89 | 81.88 | 30.64 | 63.89 | 78.86 | 30.65 |
| निदेशन | सामान्य | 7,07.27 | 28.15 | 23.24 | 7,82.27 | 66.52 | 23.12 | 7,81.70 | 66.25 | 21.89 |
| निस्तारण | सामान्य | 15,83.72 | 4,94.98 | 4,32.53 | 24,16.88 | 5,38.05 | 4,34.20 | 24,16.37 | 5,31.81 | 4,15.59 |
| शिल्पशाला | सामान्य | 51,34.16 | 46,20.22 | 43,84.26 | 40,31.85 | 40,57.60 | 36,86.75 | 30,80.90 | 29,28.85 | 22,71.84 |
| प्रोरेटा अंश हस्तान्तरण | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | (-) 70,74.00 | (-) 35,61.33 | (-) 29,09.90 |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत शहरी जलपूर्ति | सामान्य | 39,80.00 | 47,15.80 | 60,00.00 | 32,86.00 | 44,92.00 | 49,10.22 | 32,85.34 | 44,91.89 | 49,10.46 |
| | ज.जा.उ.यो. | 8,90.00 | 5,53.60 | .. | 3,48.78 | 4,40.00 | .. | 3,48.77 | 4,38.46 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 11,30.00 | 7,30.60 | .. | 4,38.92 | 6,05.00 | .. | 4,38.92 | 6,03.50 | .. |
| कृषि विभाग के भवन का निर्माण | सामान्य | 5,40.00 | 2,31.03 | 2,78.55 | 4,80.00 | 2,71.03 | 2,78.55 | 4,80.00 | 2,71.03 | 2,78.55 |
| | ज.जा.उ.यो. | 95.00 | 42.00 | .. | 95.00 | 42.00 | .. | 95.00 | 42.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,25.00 | 58.00 | .. | 1,25.00 | 58.00 | .. | 1,25.00 | 58.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| महाराणा प्रताप कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को कृषि शिक्षा हेतु सहायता | सामान्य | 8,40.00 | 3,79.25 | 3,50.50 | 7,70.00 | 3,79.25 | 3,73.79 | 7,70.00 | 3,79.25 | 3,73.79 |
| महाराणा प्रताप कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को पशुपालन हेतु सहायता | सामान्य | 1,21.35 | 1,13.15 | 63.59 | 71.85 | 63.15 | 69.04 | 71.85 | 63.15 | 69.04 |
| चम्बल वाहिनी मुख्य नहर | सामान्य | 47,50.87 | .. | 6,38.81 | 52,05.90 | .. | 5,67.45 | 52,05.90 | .. | 5,67.45 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,80.00 | .. | .. | 2,45.46 | .. | .. | 2,45.46 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,13.00 | .. | .. | 84.95 | .. | .. | 84.96 | .. | .. |
| इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर | सामान्य | 10,26.95 | 9,63.91 | 9,17.66 | 9,31.34 | 8,47.54 | 8,40.01 | .. | .. | 4,50.96 |
| नोहर साहवा लिफ्ट योजना | सामान्य | 29,35.03 | 37,26.34 | 14,43.49 | 24,09.57 | 33,97.46 | 20,75.84 | 23,93.52 | 32,89.83 | 18,57.70 |
| गजनेर लिफ्ट योजना | सामान्य | 23,83.20 | 20,54.92 | 14,40.64 | 20,94.39 | 19,63.78 | 18,96.01 | 20,90.51 | 19,17.96 | 16,91.97 |
| कोलायत लिफ्ट योजना | सामान्य | 24,71.15 | 22,58.65 | 13,11.60 | 21,52.44 | 20,09.43 | 17,25.04 | 21,51.08 | 19,92.26 | 16,43.69 |
| फलौदी लिफ्ट योजना | सामान्य | 7,75.43 | 5,00.06 | 4,56.48 | 5,13.33 | 3,31.23 | 3,62.03 | 5,13.31 | 3,30.33 | 3,25.10 |
| पोकरण लिफ्ट योजना | सामान्य | 4,47.30 | 4,44.82 | 3,98.10 | 3,29.99 | 2,84.79 | 3,03.34 | 3,29.99 | 2,85.69 | 2,68.91 |
| बाँगडसर लिफ्ट योजना | सामान्य | 5,16.87 | 1,83.85 | 2,46.85 | 4,30.24 | 4,91.68 | 2,57.67 | 4,30.33 | 5,06.69 | 2,43.64 |
| नोहर-सावा लिफ्ट योजना (ए.आई.बी.पी.) | सामान्य | 1,50.03 | 0.04 | 0.04 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| कोलायत लिफ्ट योजना (ए.आई.बी.पी.) | सामान्य | 1,50.01 | 0.02 | 0.02 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| नोहर-सावा लिफ्ट योजना (XIII वित्त आयोग) | सामान्य | 52.95 | 36.59 | 0.05 | 17.83 | 1,18.39 | 43.63 | 17.82 | 1,18.39 | 43.64 |
| गजनेर लिफ्ट योजना (XIII वित्त आयोग) | सामान्य | 21.26 | 1,43.23 | 0.03 | .. | .. | 1,30.59 | .. | .. | 1,30.59 |
| फलौदी लिफ्ट योजना (XIII वित्त आयोग) | सामान्य | 63.37 | 1,54.28 | 0.03 | 33.24 | 92.82 | 1.00 | 33.23 | 92.81 | 1.00 |
| पोकरण लिफ्ट योजना (XIII वित्त आयोग) | सामान्य | 1,57.29 | 78.44 | 0.03 | 1,55.71 | 3.88 | 28.87 | 1,55.71 | 3.88 | 28.87 |
| कँवरसेन लिफ्ट योजना | सामान्य | 4,18.00 | 4,57.38 | .. | 2,44.62 | 3,78.38 | .. | 2,44.24 | 3,78.32 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 90.00 | .. | .. | 67.20 | .. | .. | 67.20 | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| कृषि विस्तार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-II | सामान्य | 2,35.79 | 2,14.07 | 2,10.78 | 1,89.10 | 2,02.39 | 2,08.01 | 1,89.10 | 2,02.39 | 2,08.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| चम्बल क्षेत्र का विकास-निदेशन तथा प्रशासन | सामान्य | 4,02.88 | 4,79.76 | 2,57.98 | 4,10.88 | 3,60.22 | 2,44.77 | 4,10.88 | 3,60.21 | 2,44.76 |
| केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा पोषित सड़कें | सामान्य | .. | 1,67,42.25 | 1,60,83.93 | .. | 1,99,22.27 | 1,35,57.33 | .. | 1,99,22.28 | 1,35,57.34 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 30,08.90 | 28,90.57 | .. | 17,55.84 | 19,98.65 | .. | 17,55.85 | 19,98.65 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 41,28.85 | 39,66.50 | .. | 14,65.82 | 26,22.28 | .. | 14,65.83 | 26,22.28 |
| केन्द्रीय सड़क निधि से अंतरण | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. (-) 1,99,22.28 | .. (-) 1,35,57.34 | .. (-) 1,35,57.34 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. (-) 17,55.85 | .. (-) 19,98.65 | .. (-) 19,98.65 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. (-) 14,65.83 | .. (-) 26,22.28 | .. (-) 26,22.28 |
| राज्य सड़क विकास निधि द्वारा पोषित सड़कें | सामान्य | 1,64,88.00 | 1,52,18.30 | 1,54,24.20 | 1,23,02.63 | 1,51,98.93 | 81,46.73 | 1,23,02.63 | 1,51,14.49 | 81,39.58 |
| | ज.जा.उ.यो. | 32,40.00 | 37,52.65 | 27,72.00 | 20,69.10 | 39,90.90 | .. | 20,68.80 | 39,86.89 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 42,72.00 | 30,29.05 | 38,03.80 | 13,00.00 | 29,25.83 | 7,36.81 | 13,00.00 | 29,25.82 | 7,44.79 |
| राज्य सड़क विकास निधि से अंतरण | सामान्य | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. (-) 1,23,02.63 | .. (-) 1,51,14.49 | .. (-) 81,39.58 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. (-) 20,68.80 | .. (-) 39,86.89 | .. (-) 39,86.89 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. (-) 13,00.00 | .. (-) 29,25.82 | .. (-) 7,44.79 |
| नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आइ.डी.एफ.-XV की सड़कें | सामान्य | 17.70 | 0.01 | 1,24.16 | 18.20 | 13.46 | 72.22 | 18.20 | 13.46 | 72.21 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3.54 | 0.01 | 22.30 | .. | 3.24 | .. | .. | 3.24 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 5.31 | 0.01 | 30.53 | 1.70 | 24.38 | .. | 1.70 | 24.38 | .. |
| नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आइ.डी.एफ.-XVI की सड़कें | सामान्य | 24,98.71 | 41,45.04 | 49,63.54 | 30,64.40 | 26,00.14 | 34,24.72 | 30,64.38 | 25,99.85 | 34,24.76 |
| | ज.जा.उ.यो. | 56.19 | 49.88 | 8,92.04 | 59.22 | 71.62 | 6,92.50 | 59.21 | 71.61 | 6,92.49 |
| | अ.जा.उ.यो. | 73.45 | 95.90 | 12,24.07 | 1,45.89 | 3,44.43 | 12,75.08 | 1,45.89 | 3,44.42 | 12,75.06 |
| नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आइ.डी.एफ.-XVII की सड़कें | सामान्य | 8,95.75 | 18,01.43 | 1,55,11.06 | 8,84.08 | 27,55.63 | 1,20,34.98 | 8,84.02 | 27,55.85 | 1,20,34.99 |
| | ज.जा.उ.यो. | 71.68 | 8.40 | 27,87.61 | 72.87 | 2,24.30 | 23,33.33 | 72.86 | 2,24.30 | 23,33.27 |
| | अ.जा.उ.यो. | 94.51 | 1,62.14 | 38,25.22 | 4,61.36 | 4,57.36 | 29,33.01 | 4,61.38 | 4,57.35 | 29,33.00 |
| राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण लिमिटेड | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | 80,00.00 | .. | .. | 80,00.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| खनिज कार्यालय भवन | सामान्य | 12,64.77 | 3,22.85 | 3,83.75 | 5,41.37 | 2,51.37 | 3,28.59 | 5,41.34 | 2,51.38 | 4,33.41 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,00.01 | .. | .. | 29.34 | .. | .. | 30.25 | .. | .. |
| राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में निवेश | सामान्य | 42,57.00 | 0.01 | 0.01 | 42,57.00 | 43,00.00 | 11,62.00 | 42,57.00 | 43,00.00 | 11,62.00 |
| राज्य आयोजना बोर्ड | सामान्य | 27.05 | 1,08.02 | 1,13.16 | 38.83 | 68.56 | 60.48 | 38.82 | 68.53 | 60.43 |
| सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग-जिला कार्यालय | सामान्य | 4,64.88 | 4,34.64 | 2,96.15 | 5,20.50 | 2,77.36 | 1,43.45 | 5,20.51 | 2,77.37 | 1,43.03 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,26.45 | 91.46 | 62.81 | 1,16.23 | 39.88 | 13.51 | 1,16.14 | 39.88 | 13.50 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,95.06 | 1,43.75 | 68.37 | 2,17.95 | 88.41 | 32.17 | 2,17.93 | 88.41 | 32.17 |
| सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन | सामान्य | 2,12.77 | 2,17.16 | 0.01 | 2,32.00 | 2,68.00 | 15.81 | 2,32.00 | 2,67.99 | 7.81 |
| | ज.जा.उ.यो. | 41.81 | 39.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 55.13 | 53.55 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम | सामान्य | 5,00.02 | 0.02 | 0.02 | 5,00.00 | 3,56.00 | 48,88.00 | 5,00.00 | 3,56.00 | 48,88.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 30,00.00 | 35,16.85 | 37,68.00 | 24,00.00 | 17,58.40 | 37,09.26 | 24,00.00 | 17,58.40 | 37,09.26 |
| | अ.जा.उ.यो. | 53,40.00 | 48,04.80 | 60,48.00 | 32,00.00 | 24,02.40 | 58,71.38 | 32,00.00 | 24,02.40 | 58,71.38 |
| एसडीओ तथा तहसीलदारों हेतु आवासीय भवन | सामान्य | 3,01.55 | 5,90.28 | 4,00.00 | 1,07.61 | 1,88.04 | 4,26.33 | 1,07.60 | 1,88.05 | 4,26.40 |
| जल तथा मल परियोजना | सामान्य | 4,08.76 | 35,15.50 | 0.01 | 8,17.50 | 35,15.50 | 50,00.00 | 8,17.50 | 35,15.50 | 50,00.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,01.25 | 6,51.00 | .. | 2,02.50 | 6,51.00 | .. | 2,02.50 | 6,51.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,40.00 | 8,33.50 | .. | 4,80.00 | 8,33.50 | .. | 4,80.00 | 8,33.50 | .. |
| राजस्थान शहरी विकास निधि (आर.यू.डी.एफ.) | सामान्य | 0.01 | 31,64.85 | 31,65.30 | .. | 31,64.85 | 78,66.55 | .. | 31,64.85 | 78,66.55 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 5,85.00 | 5,62.50 | .. | 5,85.00 | 13,97.95 | .. | 5,85.00 | 13,97.95 |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 7,50.15 | 7,72.20 | .. | 7,50.15 | 19,19.10 | .. | 7,50.15 | 19,19.10 |
| रेन बसेरों का निर्माण | सामान्य | 68.70 | 0.01 | 0.01 | 68.70 | .. | .. | 68.70 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 13.50 | 0.01 | 0.01 | 13.50 | .. | .. | 13.50 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 17.80 | 0.01 | 0.01 | 17.80 | .. | .. | 17.80 | .. | 0.01 |
| राजस्थान पुर्नवास संस्थान | सामान्य | 38.55 | 1,00.00 | 0.10 | 4.00 | 4.81 | .. | 4.00 | 4.81 | .. |
| खंड मुख्यालय पर विमंदित पुर्नवास गृह | सामान्य | 6,50.07 | 4,26.00 | 4,25.74 | 6,27.60 | 3,70.96 | 71.47 | 6,27.60 | 3,70.96 | 71.47 |
| निःशक्त जनों के लिए अनुप्रति योजना | सामान्य | 50.01 | 1,03.50 | 1,00.00 | 20.00 | 9.49 | 9.40 | 20.00 | 9.49 | 9.40 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| अल्पसंख्यक लड़कों तथा लड़कियों हेतु रोजगार योजना | सामान्य | 1,00.00 | 3,50.00 | 3,50.00 | 1,59.41 | 2,91.33 | 1,44.23 | 1,59.41 | 2,91.33 | 1,44.23 |
| अल्पसंख्यक अभ्यर्थी हेतु राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति योजना | सामान्य | 0.01 | 4,29.00 | 2,00.00 | .. | 2,40.76 | 3,97.79 | .. | 2,40.76 | 3,90.83 |
| अल्पसंख्यक लड़कियों हेतु छात्रावास | सामान्य | 1,00.02 | 1,05.01 | 83.00 | 37.48 | 51.16 | 13.46 | 37.48 | 51.16 | 13.46 |
| राजस्थान पुर्नवास संस्था हेतु भवन | सामान्य | 2,50.00 | 4,00.00 | 3,00.00 | .. | 1.35 | 4.29 | .. | 1.35 | 4.30 |
| खंड मुख्यालय पर विमंदित पुर्नवास गृह भवन का निर्माण | सामान्य | 0.01 | 3,90.00 | 2,50.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र | सामान्य | 1.00 | 14,04.00 | 20,00.00 | 73.18 | .. | 1,00.00 | 73.18 | .. | 1,00.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1.00 | 2,52.00 | .. | 13.82 | .. | .. | 13.82 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1.00 | 3,44.00 | .. | 19.20 | .. | .. | 19.20 | .. | .. |
| नाबार्ड द्वारा पोषित आर आई डी एफ-XVI के अन्तर्गत जिला स्तरीय पशु अस्पताल तथा औषधालय भवन का निर्माण | सामान्य | 75.00 | 75.00 | 2,25.00 | 48.21 | 70.43 | 1,62.02 | 48.21 | 70.41 | 1,62.01 |
| राजस्थान राज्य होटल निगम | सामान्य | 0.04 | 0.04 | 0.01 | .. | 10,00.00 | 25.00 | .. | 10,00.00 | 25.00 |
| पर्यटन भवन का निर्माण | सामान्य | 5,00.00 | 2,75.00 | 1,00.00 | 8,00.00 | 1,04.50 | 1,00.00 | 8,00.00 | 1,04.50 | 1,00.00 |
| घरेलू एलपीजी पर सहाय्य | सामान्य | 85,00.00 | 87,85.00 | 87,85.00 | 84,90.41 | 79,90.95 | 85,46.83 | 84,90.41 | 79,90.95 | 85,46.83 |
| | ज.जा.उ.यो. | 17,50.00 | 15,70.00 | 15,70.00 | 17,50.00 | 14,64.38 | 15,70.00 | 17,50.00 | 14,64.38 | 15,70.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 22,50.00 | 21,45.00 | 21,45.00 | 22,50.00 | 21,44.67 | 21,45.00 | 22,50.00 | 21,44.67 | 21,45.00 |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना | सामान्य | 16,37.31 | 12,89.41 | 4,22.00 | 26,44.73 | 6,62.82 | 3,46.02 | 26,44.73 | 6,62.81 | 3,46.02 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,19.37 | 2,26.80 | 1,20.67 | 6,40.66 | 92.79 | 36.59 | 6,40.66 | 92.79 | 36.59 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,03.97 | 2,95.59 | 1,70.71 | 6,44.94 | 1,20.94 | 77.36 | 6,44.94 | 1,20.95 | 77.36 |
| एन पी एस-लाइट-स्वावलम्बन योजना | सामान्य | 19.00 | 53.50 | 1,04.82 | 1.28 | 5.94 | 48.98 | 1.28 | 5.94 | 48.98 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2.60 | 9.00 | 30.18 | 0.02 | 0.21 | 1.88 | 0.01 | 0.21 | 1.88 |
| | अ.जा.उ.यो. | 3.40 | 12.50 | 43.00 | 0.18 | 0.99 | 5.08 | 0.18 | 0.99 | 5.08 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त सहाय्य | सामान्य | 3,60.00 | 1,97.50 | 1,52.00 | 11,12.90 | 4,00.00 | 3,49.90 | 11,12.90 | 3,62.33 | 3,49.90 |
| | ज.जा.उ.यो. | 50.00 | 20.00 | 16.00 | 1,08.43 | 20.00 | 15.35 | 1,08.43 | 20.00 | 15.35 |
| | अ.जा.उ.यो. | 50.00 | 32.50 | 32.00 | 1,08.47 | 32.50 | 7.99 | 1,08.47 | 32.50 | 7.99 |
| सलाहकारों का हायर तथा एनएसी जांच | सामान्य | 90.01 | 72.01 | 1,05.01 | 90.00 | 88.00 | 87.50 | 90.00 | 88.00 | 87.50 |
| | ज.जा.उ.यो. | 38.50 | 31.50 | 19.50 | 1,03.98 | 37.19 | 15.97 | 1,03.98 | 37.19 | 15.97 |
| | अ.जा.उ.यो. | 38.50 | 31.50 | 25.50 | 1,06.00 | 37.50 | 21.25 | 1,06.00 | 37.50 | 21.25 |
| राज्य डाटा केन्द्र | सामान्य | 17,41.68 | 2,73.83 | 4,94.56 | 21,87.75 | 1,50.60 | 2,77.86 | 21,87.75 | 1,50.60 | 2,77.86 |
| | ज.जा.उ.यो. | 87.38 | 32.50 | 26.80 | 12.58 | 5.96 | 14.12 | 12.57 | 5.96 | 15.72 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,16.51 | 24.85 | 35.05 | 25.97 | 9.86 | 23.92 | 25.97 | 9.86 | 23.92 |
| सेक लेन | सामान्य | 4,41.00 | 3,18.50 | 2,83.50 | 3,73.20 | 3,43.85 | 2,22.44 | 3,73.21 | 3,43.85 | 2,22.43 |
| | ज.जा.उ.यो. | 44.20 | 40.95 | 28.60 | 42.65 | 28.98 | 6.25 | 42.65 | 28.98 | 6.25 |
| | अ.जा.उ.यो. | 57.80 | 53.55 | 37.40 | 37.70 | 46.21 | 3.72 | 37.70 | 46.21 | 3.72 |
| ई-मित्र | सामान्य | 5,65.91 | 5,25.01 | 3,56.52 | 5,23.96 | 5,23.09 | 5,14.59 | 5,23.96 | 5,23.09 | 5,14.59 |
| | ज.जा.उ.यो. | 74.36 | 97.50 | 63.47 | 58.22 | 97.49 | 94.28 | 58.22 | 97.49 | 94.28 |
| | अ.जा.उ.यो. | 96.70 | 1,27.50 | 86.02 | 76.38 | 1,27.33 | 1,27.17 | 76.38 | 1,27.33 | 1,27.17 |
| लाइन पर आरोग्य | सामान्य | 3,56.65 | 3,31.11 | 9,76.79 | 2,03.46 | 3,31.10 | 12,86.33 | 2,03.46 | 3,31.10 | 12,86.33 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.02 | 17.32 | 1,82.23 | 32.99 | 17.31 | 1,15.97 | 32.99 | 17.31 | 1,15.97 |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,03.97 | 24.44 | 1,45.19 | 67.38 | 24.43 | 2,71.90 | 67.38 | 24.43 | 2,71.90 |
| ई-सुगम | सामान्य | 6.71 | 1,40.39 | 47.39 | 1.12 | 46.86 | 45.84 | 1.12 | 46.85 | 45.96 |
| | ज.जा.उ.यो. | 1.44 | 27.01 | 8.41 | .. | 7.49 | 7.90 | .. | 7.49 | 7.90 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1.88 | 48.03 | 11.43 | 0.66 | 15.53 | 33.30 | 0.66 | 15.53 | 33.30 |
| आर एस डब्ल्यू ए एन होरीजन्टल | सामान्य | 15,39.30 | 3,63.71 | 0.02 | 17,26.81 | 6,56.31 | 1,45.87 | 17,26.81 | 6,56.31 | 1,45.87 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,15.90 | 91.04 | 0.02 | 3,28.39 | 1,12.69 | 41.00 | 3,28.39 | 1,12.69 | 41.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,43.80 | 1,45.25 | 0.02 | 4,43.80 | 1,48.64 | 65.50 | 4,43.80 | 1,48.64 | 65.50 |
| वेबसाइट का विकास एवं रखरखाव | सामान्य | 2,46.00 | 48.97 | 36.06 | 2,36.58 | 44.28 | 34.56 | 2,36.58 | 44.28 | 34.56 |
| | ज.जा.उ.यो. | 51.22 | 8.17 | 6.70 | 51.22 | 8.16 | 6.69 | 51.22 | 8.16 | 6.69 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,05.24 | 10.89 | 8.77 | 1,05.17 | 10.88 | 8.76 | 1,05.17 | 10.88 | 8.76 |
| सचिवालय का आइ टी समर्थ | सामान्य | 2,45.74 | 2,86.97 | 1,65.26 | 1,93.09 | 3,20.61 | 1,84.23 | 1,93.09 | 3,20.62 | 1,84.97 |
| | ज.जा.उ.यो. | 40.50 | 51.20 | 29.41 | 30.39 | 3,44.30 | 36.58 | 30.39 | 3,44.30 | 36.58 |
| | अ.जा.उ.यो. | 56.50 | 69.57 | 40.81 | 40.37 | 1,78.59 | 44.97 | 40.37 | 1,78.58 | 44.98 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| राजस्थान राज्य हेण्डलूम विकास निगम को अंश पूंजी सहायता | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | 23,65.98 | .. | .. | 23,65.98 | .. |
| नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ-XVIII की सड़कें | सामान्य | 57,07.35 | 3,72,26.55 | 1,86,13.27 | 64,56.45 | 3,96,41.50 | 3,10,92.34 | 64,56.43 | 3,96,41.24 | 3,10,48.21 |
| | ज.जा.उ.यो. | 16,60.62 | 66,90.27 | 33,45.13 | 18,00.20 | 82,45.10 | 38,05.06 | 18,00.19 | 82,45.12 | 38,05.06 |
| | अ.जा.उ.यो. | 21,89.56 | 91,80.53 | 45,90.27 | 24,47.51 | 1,15,84.01 | 90,77.34 | 24,47.53 | 1,15,83.98 | 90,77.34 |
| राज्य रिमोट संवेदना प्रयोग केन्द्र | सामान्य | 2,38.13 | 89.12 | 97.00 | 60.42 | 2,93.68 | 1,22.77 | 60.42 | 2,93.68 | 1,22.76 |
| | ज.जा.उ.यो. | 5.02 | 5.02 | .. | .. | 1.00 | .. | .. | 1.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 6.86 | 6.86 | .. | .. | 1.00 | .. | .. | 1.00 | .. |
| विज्ञान तथा सोसायटी | सामान्य | 79.80 | 79.80 | 5,98.65 | .. | 20.96 | 9,19.10 | .. | 20.96 | 9,19.09 |
| | ज.जा.उ.यो. | 13.55 | 13.55 | 9.85 | .. | 13.29 | 9.85 | .. | 13.29 | 9.85 |
| | अ.जा.उ.यो. | 19.25 | 19.25 | .. | 6.29 | 22.59 | .. | 6.29 | 22.59 | .. |
| विज्ञान तथा संचार को लोकप्रिय करना | सामान्य | 6,01.90 | 3,78.73 | 2,20.98 | 2,08.17 | 3,06.40 | 1,96.80 | 2,25.18 | 3,05.88 | 2,02.15 |
| | ज.जा.उ.यो. | 13.90 | 19.90 | 8.00 | 1.20 | 22.69 | 8.00 | 1.20 | 22.69 | 8.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 19.75 | 25.05 | .. | 5.70 | 18.24 | .. | 5.01 | 18.24 | .. |
| अन्वेषण एवं विकास | सामान्य | 1,98.77 | 1,76.45 | 1,94.50 | 33.88 | 79.41 | 59.28 | 33.32 | 79.41 | 59.28 |
| | ज.जा.उ.यो. | 14.69 | 10.70 | 7.00 | 2.15 | 9.12 | 2.03 | 2.15 | 9.12 | 2.03 |
| | अ.जा.उ.यो. | 14.35 | 14.35 | .. | 2.12 | 3.27 | .. | 2.12 | 3.27 | .. |
| प्रधान कार्यालय स्टाफ | सामान्य | 33.70 | 3,26.66 | 23.81 | 30.78 | 11,47.63 | 13,10.77 | 30.78 | 11,47.63 | 13,55.88 |
| जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता | सामान्य | 3,36,41.56 | 1,81,50.00 | 1,30,82.94 | 2,97,22.49 | 1,96,75.03 | 1,18,97.42 | 2,97,22.49 | 1,96,75.01 | 1,18,97.42 |
| | ज.जा.उ.यो. | 92,43.18 | 50,13.00 | 36,50.00 | 82,17.20 | 52,91.35 | 32,32.55 | 82,17.20 | 52,91.35 | 32,32.55 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,26,15.26 | 68,37.00 | 49,78.00 | 1,12,05.37 | 72,16.62 | 44,07.51 | 1,12,05.37 | 72,16.62 | 44,07.51 |
| ब्लॉक पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत को सहायता | सामान्य | 1,83.57 | 4,29.96 | 44.20 | .. | 4,20.83 | 5,88.36 | (-) 4.95 * | 4,20.83 | 5,88.36 |
| माध्यमिक शिक्षा का कम्प्यूटराईजेशन | सामान्य | 1,91.06 | 21.06 | 23.98 | 4.49 | 30.05 | 22.11 | 4.49 | 30.05 | 22.12 |
| | ज.जा.उ.यो. | 3.78 | 3.78 | 1.14 | .. | .. | 1.10 | .. | .. | 1.10 |
| | अ.जा.उ.यो. | 5.16 | 5.16 | 1.58 | .. | .. | 1.57 | .. | .. | 1.57 |

* ऋण व्यय, व्ययों पर प्राप्तियों तथा वसूलियों के आधिक्य के कारण है।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| सर्वोत्तम लड़कियों हेतु प्रोत्साहन | सामान्य | 8,80.00 | 6,65.35 | 5,38.16 | 11,96.94 | 9,30.60 | 6,64.60 | 11,96.94 | 9,30.42 | 6,64.60 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,70.00 | 1,19.95 | 97.14 | 2,70.00 | 1,71.85 | 1,19.84 | 2,70.00 | 1,71.85 | 1,19.84 |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,50.00 | 1,66.70 | 1,35.70 | 3,50.00 | 2,33.98 | 1,66.68 | 3,50.00 | 2,33.98 | 1,66.68 |
| सूचना एवं संचार तकनीक | सामान्य | .. | .. | 13,96.00 | .. | .. | 8,42.20 | .. | .. | 8,42.20 |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | 2,52.00 | .. | .. | 2,42.26 | .. | .. | 2,42.26 |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | .. | 3,52.00 | .. | .. | 2,88.10 | .. | .. | 2,88.10 |
| ग्रामीण लड़कियों हेतु साइकिल वितरण | सामान्य | 40,62.50 | 73,72.77 | 10,47.00 | 9,27.38 | 72,35.68 | 15,61.78 | 9,27.38 | 72,29.87 | 15,61.78 |
| | ज.जा.उ.यो. | 8,43.75 | 14,24.49 | 1,89.00 | 3,51.84 | 13,79.43 | 2,64.55 | 3,51.84 | 13,79.43 | 2,64.55 |
| | अ.जा.उ.यो. | 10,93.75 | 24,69.90 | 2,64.00 | 7,65.26 | 23,74.60 | 4,14.71 | 7,65.26 | 23,74.60 | 4,14.71 |
| ग्रामीण लड़कियों हेतु यातायात वाउचर | सामान्य | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 48.82 | 67.92 | 1,02.49 | 48.82 | 67.92 | 1,02.48 |
| | ज.जा.उ.यो. | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.98 | 9.99 | 16.49 | 11.98 | 9.99 | 16.49 |
| | अ.जा.उ.यो. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.32 | 17.48 | 26.96 | 13.32 | 17.48 | 26.96 |
| छात्र बीमा | सामान्य | 1,94.54 | 1,94.34 | 1,56.31 | 1,94.54 | 1,82.25 | 1,84.91 | 1,94.54 | 1,82.25 | 1,84.91 |
| | ज.जा.उ.यो. | 34.68 | 34.88 | 28.22 | 34.68 | 34.88 | 33.52 | 34.68 | 34.88 | 33.52 |
| | अ.जा.उ.यो. | 47.61 | 47.61 | 39.41 | 47.61 | 47.61 | 46.31 | 47.61 | 47.61 | 46.31 |
| विधवा तथा परित्यक्ता को बी.एड. शुल्क का पुर्नभुगतान | सामान्य | 0.01 | 78.35 | 78.35 | .. | 36.95 | 39.04 | .. | 36.95 | 39.04 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 14.14 | 14.14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 19.76 | 19.76 | .. | 1.64 | .. | .. | 1.64 | .. |
| महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स | सामान्य | 8,55.00 | 4,56.00 | 5,10.00 | 4,89.96 | 2,68.00 | 4,84.50 | 4,89.96 | 2,67.99 | 4,84.50 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,70.00 | 1,44.00 | 1,12.50 | 73.99 | 50.13 | 1,07.14 | 73.99 | 50.13 | 1,07.13 |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,75.00 | 2,00.00 | 1,57.50 | 1,07.00 | 72.00 | 1,34.14 | 1,07.00 | 72.00 | 1,34.14 |
| खनन लीज के अनुदान हेतु वन भूमि का डायवर्जन | सामान्य | 0.01 | 1,00.00 | 1,00.00 | .. | .. | 1.95 | .. | .. | 1.95 |
| सहकारी समितियों में ई-गवर्नेंस | सामान्य | 25.00 | 0.01 | 1,54.20 | 20.00 | .. | .. | 19.99 | .. | .. |
| नाबार्ड द्वारा वानिकीकरण कार्य | सामान्य | 1,54,59.75 | 41,15.69 | 70,28.15 | 82,92.68 | 90,86.16 | 54,11.78 | 82,40.27 | 90,99.60 | 54,17.84 |
| | ज.जा.उ.यो. | 29,12.71 | 8,38.63 | 12,55.56 | 20,96.80 | 18,27.04 | 12,54.10 | 20,96.27 | 18,22.95 | 12,53.73 |
| | अ.जा.उ.यो. | 40,32.99 | 10,96.66 | 17,16.29 | 26,47.64 | 24,03.32 | 12,28.56 | 26,42.94 | 24,35.24 | 12,25.68 |
| मौसम परिवर्तन तथा रेगिस्तान बदलाव | सामान्य | 5,81.23 | 4,36.22 | 4,39.75 | 5,41.80 | 4,64.40 | 4,24.11 | 5,38.86 | 4,65.68 | 4,25.60 |
| | अ.जा.उ.यो. | 10,11.96 | 3,97.04 | .. | 9,19.10 | 3,03.29 | .. | 9,18.67 | 3,03.15 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| संस्कृत महाविद्यालय | सामान्य | 59.19 | 31.97 | 2.80 | 1,16.48 | 56.81 | 17.14 | 1,16.47 | 56.81 | 17.13 |
| | ज.जा.उ.यो. | 10.36 | 10.00 | 5.99 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| एम आई प्रोत्साहन योजना (आर आर आर) (ए आई बी पी) | सामान्य | .. | 10,72.00 | 0.02 | .. | 4,42.76 | 7,96.10 | .. | 4,35.13 | 7,72.50 |
| नयी आई टी आई का प्रारम्भ | अ.जा.उ.यो. | 22,15.00 | 14,91.30 | 3,65.33 | 6,09.00 | 3,08.98 | .. | 6,22.94 | 3,08.98 | .. |
| महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज का प्रारम्भ | अ.जा.उ.यो. | 2,88.00 | 1,76.01 | 1,05.00 | 3.70 | .. | 95.00 | 3.69 | .. | .. |
| अल्पसंख्यक क्षेत्रों में नयी आई टी आई की स्थापना | सामान्य | 26,53.27 | 32,97.08 | 16,24.33 | 33,84.88 | 15,38.97 | 1.68 | 33,84.88 | 15,38.96 | 1.67 |
| पॉलिटेक्निक हेतु अन्य सेवाएं | सामान्य | 3,85.00 | 3,75.00 | 80.00 | 1,27.96 | 2,12.11 | 2,35.78 | 1,27.96 | 2,12.11 | 2,35.79 |
| राजकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय, बाँसवाडा तथा बाड़मेर सहित पॉलीटेक्निक में भवन कार्य | अ.जा.उ.यो. | 4,96.27 | 2,60.23 | 4,25.00 | 11.36 | 2,00.29 | 3,44.62 | 41.15 | 99.01 | 3,44.61 |
| शाहबाद में नई आई टी आई की स्थापना | ज.जा.उ.यो. | 12,66.57 | 7,95.55 | 2,75.60 | 2,08.27 | 30.23 | 0.88 | 2,08.27 | 30.23 | 0.88 |
| जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) कार्यपूर्व गतिविधियां | सामान्य | 0.01 | 10,00.00 | 10,00.00 | .. | .. | 10,00.00 | .. | .. | 10,00.00 |
| शिक्षा का अधिकार (आर टी ई) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को पुर्नभुगतान | सामान्य | 1,10,91.00 | 1,96,56.00 | 65,68.31 | 84,31.35 | 36,18.34 | 9,42.79 | 84,30.46 | 36,17.38 | 9,42.79 |
| | ज.जा.उ.यो. | 22,95.00 | 35,28.00 | 11,58.03 | 15,90.45 | 7,47.43 | 2,69.88 | 15,90.45 | 7,43.62 | 2,27.48 |
| | अ.जा.उ.यो. | 29,48.00 | 48,16.00 | 14,93.64 | 28,15.23 | 9,26.80 | 5,43.12 | 28,15.23 | 9,26.80 | 4,85.07 |
| हज हाउस का निर्माण | सामान्य | 50.00 | 0.01 | 1,75.00 | .. | 1,09.90 | 2,79.95 | .. | 1,09.90 | 2,79.95 |
| आयुर्वेद अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण) | सामान्य | 2,07.27 | 2,15.57 | 2,93.75 | 1,60.38 | 1,18.57 | 3,08.25 | 1,60.39 | 1,18.55 | 3,08.25 |
| | ज.जा.उ.यो. | 91.14 | 84.90 | 96.86 | 68.52 | 36.82 | 69.38 | 68.45 | 36.83 | 69.47 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण) | सामान्य | 73,85.54 | 46,80.16 | 33,70.18 | 51,99.95 | 39,94.91 | 9,90.70 | 51,99.53 | 39,92.19 | 9,82.30 |
| | अ.जा.उ.यो. | 21,66.63 | 14,51.40 | 9,85.89 | 7,66.54 | 3,80.90 | 53.07 | 7,66.55 | 3,80.29 | 53.05 |
| स्वास्थ्य उप केन्द्र (ग्रामीण) | सामान्य | 13,16.53 | 21,91.08 | 0.16 | 26,78.56 | 11,61.54 | 82.48 | 26,78.29 | 11,61.46 | 80.86 |
| | अ.जा.उ.यो. | 6,32.03 | 3,42.00 | 0.09 | 1,96.35 | 75.56 | .. | 1,96.35 | 75.56 | .. |
| होम्योपैथी अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण) | सामान्य | 1,02.81 | 41.76 | 89.67 | 50.32 | 31.15 | 5.39 | 50.31 | 31.16 | 5.39 |
| | ज.जा.उ.यो. | 48.55 | 69.88 | 24.90 | 18.84 | 16.29 | 1.62 | 18.84 | 16.29 | 1.62 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| नागौर लिफ्ट केनाल जलपूर्ति परियोजना | सामान्य | .. | 0.01 | .. | .. | 7,70.00 | .. | .. | 7,68.50 | .. |
| फेज-1 (ग्रामीण) | ज.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | .. | .. | 3,60.00 | .. | .. | 3,60.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | .. | .. | 3,70.00 | .. | .. | 3,70.00 | .. |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण) | सामान्य | 75,22.03 | 19,34.56 | 11,03.89 | 60,71.87 | 25,84.72 | 6,66.63 | 60,71.20 | 25,84.60 | 6,65.76 |
| | अ.जा.उ.यो. | 25,12.54 | 7,46.61 | 3,54.38 | 3,42.09 | 1,49.18 | 20.09 | 3,42.10 | 1,49.04 | 20.01 |
| युवा सेवाएं | सामान्य | 2,00.04 | 11,23.46 | 0.01 | 9.11 | 20.90 | 4.68 | 9.11 | 17.67 | 4.67 |
| राशन कार्ड का कम्प्यूटराईजेशन तथा | सामान्य | 16,32.00 | 1,16.07 | 3,51.40 | 4,81.23 | 3,88.37 | 74.75 | 4,81.23 | 3,89.06 | 74.74 |
| अंकीयकरण | ज.जा.उ.यो. | 3,36.00 | 20.74 | 62.80 | 45.52 | 37.71 | 22.63 | 45.52 | 38.27 | 22.62 |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,32.00 | 28.33 | 85.80 | 81.90 | 48.90 | 1,53.23 | 81.90 | 53.31 | 1,53.23 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में | ज.जा.उ.यो. | 35,28.05 | 17,20.00 | 11,44.33 | 37,18.41 | 27,52.40 | 9,55.30 | 37,18.41 | 27,52.40 | 9,55.30 |
| माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन | | | | | | | | | | |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में | ज.जा.उ.यो. | 1,46.96 | 1,41.33 | 48.90 | 96.19 | 70.13 | 47.54 | 96.20 | 70.14 | 47.54 |
| सार्वजनिक विद्यालयों का संचालन | | | | | | | | | | |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में | ज.जा.उ.यो. | 1,52.66 | 1,40.57 | 1,44.79 | 1,53.03 | 61.36 | 52.96 | 1,53.03 | 61.37 | 52.96 |
| खेल छात्रावासों का संचालन | | | | | | | | | | |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में | ज.जा.उ.यो. | 2,84.56 | 2,69.34 | 1,45.87 | 2,43.29 | 1,45.70 | 1,23.13 | 2,43.30 | 1,45.71 | 1,22.97 |
| आवासीय विद्यालयों का संचालन | | | | | | | | | | |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में | ज.जा.उ.यो. | 10,83.25 | 8,80.50 | 8,00.75 | 11,31.04 | 9,28.62 | 8,47.05 | 11,31.04 | 9,28.62 | 8,43.30 |
| माध्यमिक शिक्षा के छात्रों को शिक्षा प्रोत्साहन | | | | | | | | | | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | 2,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विद्युत् पंप सैट/डीजल पम्प सैट हेतु सहायता | | | | | | | | | | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में | ज.जा.उ.यो. | .. | 66.00 | 3,12.51 | .. | 66.00 | 80.00 | .. | 66.00 | 80.00 |
| वाडी विकास परियोजना | | | | | | | | | | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,62.00 | 2,37.83 | .. | 2,87.83 | 2,37.83 | .. | 2,87.83 | 2,37.83 |
| पशुपालन परियोजना | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,00.00 | 2,25.00 | .. | 1,00.00 | 2,25.00 | .. | 1,00.00 | 2,25.00 |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में वितरण कार्यान्वयन को सम्मिलित करते हुये कृषि विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 29,64.97 | 19,63.07 | .. | 23,27.80 | 17,71.32 | .. | 23,27.80 | 17,71.32 |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में कृषि विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,05.00 | 3,40.00 | .. | 1,05.00 | 2,40.00 | .. | 1,05.00 | 2,39.99 |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में पशुपालन परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,25.00 | 1,25.00 | .. | 1,25.00 | 1,25.00 | .. | 1,25.00 | 1,25.00 |
| विद्युत् पम्प सैट/ डीजल पम्प सैट, पीवीसी पाइप, फव्वारे तथा कुओं का विद्युतिकरण हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,00.00 | 0.01 | .. | 1,15.00 | 70.00 | .. | 1,15.00 | 70.00 |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,00.00 | 2,00.00 | .. | 1,26.99 | 2,00.00 | .. | 1,26.99 | 2,00.00 |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में कृषि विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 80.00 | 1,80.00 | .. | 80.00 | 1,00.00 | .. | 80.00 | 1,00.00 |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में पशुपालन परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 75.00 | 1,25.00 | .. | 75.00 | 1,25.00 | .. | 75.00 | 1,25.00 |
| विद्युत् पम्प सैट/डीजल पम्प सैट, पीवीसी पाइप फव्वारे तथा कुओं के विद्युतिकरण हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 6,40.00 | 0.01 | .. | 2,34.00 | 1,45.00 | .. | 2,34.00 | 1,45.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में बच्चों को पौष्टिक की पूर्ति | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 5,00.00 | .. | .. | 5,00.00 | .. | .. | 5,00.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में घरेलू सोलर लाइट हेतु सहायताार्थ अनुदान | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 1,50.00 | .. | .. | 1,90.38 | .. | .. | 1,80.93 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | 8,49.78 | 6,41.59 | 8,73.64 | 2,15.00 | 5,05.50 | 8,73.64 | 2,15.00 | 5,05.50 | 8,73.64 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | 1,47.25 | 1,41.10 | 1,41.45 | 60.00 | 1,41.10 | 1,20.00 | 60.00 | 1,41.10 | 1,20.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | 1,14.91 | 92.68 | 72.13 | 70.75 | 59.56 | 55.28 | 70.75 | 59.55 | 55.26 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन | ज.जा.उ.यो. | 2,07.00 | 1,06.01 | 80.50 | 2,07.00 | 1,06.00 | 94.50 | 2,07.00 | 1,06.00 | 91.28 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन | ज.जा.उ.यो. | 97.56 | 93.56 | 63.53 | 96.39 | 93.17 | 1,13.64 | 96.39 | 93.17 | 1,13.64 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में कारीगर प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुये वोकेशनल प्रशिक्षण | ज.जा.उ.यो. | .. | .. | 2,88.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | 8,26.56 | 8,26.61 | 3,45.00 | 4,00.00 | 8,26.56 | 5,65.40 | 4,00.00 | 8,26.56 | 5,65.40 |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | .. | 7,00.00 | 0.02 | .. | 12,30.60 | 90.00 | .. | 12,30.60 | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में छात्रवासों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | 2,40.57 | 87.99 | 2,19.75 | 80.00 | 56.83 | 2,19.75 | 80.00 | 56.83 | 2,19.75 |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा तथा संचार | ज.जा.उ.यो. | .. | 10.00 | 0.01 | .. | .. | 1,00.00 | .. | .. | 1,00.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में काठोडी विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | 4,12.37 | 51.90 | 34.60 | 3,12.58 | 1,76.30 | 34.60 | 3,12.58 | 1,76.30 | 34.60 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन | ज.जा.उ.यो. | 1,78.68 | 63.68 | 1,98.68 | 1,78.68 | 63.67 | 1,98.68 | 1,78.68 | 63.67 | 1,98.68 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में कारीगर प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुए वोकेशनल प्रशिक्षण | ज.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | 1,08.00 | .. | .. | 1,08.00 | .. | .. | 1,08.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु सहायता | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 1,40.00 | 70.00 | .. | .. | 70.00 | .. | .. | 70.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु छात्रावासों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | 3,02.41 | 2,64.65 | 2,64.05 | 2,35.51 | 1,74.95 | 1,65.06 | 2,35.51 | 1,74.95 | 1,65.06 |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में जल संरक्षण ढांचा का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,50.00 | 40.56 | .. | 4,78.15 | 3,40.52 | .. | 4,78.15 | 3,40.52 |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में नहर प्रणाली का सुदृढीकरण | ज.जा.उ.यो. | .. | 7,80.00 | 1,50.00 | .. | 2,65.10 | 1,50.00 | .. | 2,65.10 | 1,50.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई का निर्माण तथा खराब लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,50.00 | 0.01 | .. | .. | 2,50.00 | .. | .. | 2,50.00 |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में अनुसूचित जाति बस्तियों से सेवा केन्द्रों का जुड़ाव | ज.जा.उ.यो. | .. | 4,00.00 | 5,00.00 | .. | 5,50.00 | 6,00.00 | .. | 5,50.00 | 6,00.00 |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालय भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,00.00 | 5,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में अनुसूचित जाति बस्तियों से सेवा केन्द्रों का जुड़ाव | ज.जा.उ.यो. | .. | 4,00.00 | 6,00.00 | .. | 4,00.00 | 7,04.76 | .. | 4,00.00 | 7,04.76 |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार | ज.जा.उ.यो. | .. | 18,00.00 | 33,58.87 | .. | 9,49.80 | 17,55.00 | .. | 9,49.80 | 17,55.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जनरेटर सैट को सम्मिलित करते हुये कार्यालय भवनों का पुनरुद्धार तथा निर्माण | ज.जा.उ.यो. | 2,30.24 | 3,79.26 | 57.51 | 1,36.84 | 1,50.29 | 21.40 | 1,36.87 | 34.58 | 21.40 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | 93.62 | 2,00.00 | 1,27.38 | 7.67 | 1,00.00 | 27.38 | 8.13 | 2,24.63 | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में घाटों का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | .. | 25.00 | 2,40.00 | .. | .. | 2,75.00 | .. | .. | .. |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत हैण्ड पम्पों की स्थापना को सम्मिलित करते हुये पीने के पानी की योजनाएं | ज.जा.उ.यो. | .. | 10,00.00 | 15,00.00 | .. | 13,00.00 | 9,65.00 | .. | 13,00.00 | 9,65.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति स्मारक परियोजना | ज.जा.उ.यो. | 3,53.31 | 4,03.31 | 5,03.90 | 30.04 | 1,18.16 | 5,03.90 | 65.32 | 1,04.94 | 2,36.80 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में मों-बाडी भवनों का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | 11,27.00 | 8,69.50 | 7,17.50 | 11,27.00 | 8,69.50 | 7,17.50 | 11,27.00 | 8,69.50 | 7,17.50 |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सामुदायिक हॉल का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | .. | 8,10.00 | 2,00.00 | .. | 9,40.00 | 6,60.00 | .. | 9,40.00 | 6,60.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लेम्पस् हेतु भवनों का निर्माण तथा फर्नीचर लगाना | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 5,00.00 | .. | .. | 5,00.00 | .. | .. | 5,00.00 |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजाति भवन का निर्माण तथा पुनरुद्धार | ज.जा.उ.यो. | .. | 10,00.00 | 5,00.00 | .. | 4,50.00 | 4,50.00 | .. | 4,50.00 | 4,50.00 |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु बहुउद्देश्यीय छात्रावासों का पुनरुद्धार तथा निर्माण | ज.जा.उ.यो. | .. | 4,50.00 | 5,00.00 | .. | 4,50.00 | 1,50.00 | .. | 4,50.00 | 1,50.00 |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सड़कों तथा कलवर्टस् का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | .. | 16,89.92 | 21,09.33 | .. | 28,53.76 | 19,07.98 | .. | 28,53.76 | 19,07.98 |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत खेलकूद छात्रावास भवनों का पुनरुद्धार तथा निर्माण | ज.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | 0.01 | .. | 1,10.00 | 1,00.00 | .. | 1,10.00 | 1,00.00 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुसूचित बस्तियों का विद्युतिकरण | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,20.00 | 25.00 | .. | 1,20.00 | 25.00 | .. | 1,20.00 | 25.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में टी आर आई छात्रावास भवन का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | 4,22.34 | 5,09.00 | 2,21.00 | 3,56.29 | 86.44 | 21.00 | 3,56.29 | 86.44 | .. |
| एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालय की मरम्मत तथा आधुनिकीकरण | ज.जा.उ.यो. | .. | 15,00.00 | 3,49.99 | .. | 2,50.00 | 2,50.00 | .. | 2,50.00 | 2,50.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों का निर्माण तथा पुनरुद्धार | ज.जा.उ.यो. | 1,40.00 | 1,40.00 | 50.00 | .. | .. | 14.50 | .. | .. | .. |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,50.00 | 2,00.00 | .. | 1,50.00 | .. | .. | 1,50.00 | .. |
| अनुसूचित क्षेत्रों में सोलर लाइट तथा पीने के पानी की सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए छात्रावास भवनों में अतिरिक्त सुविधाएं | ज.जा.उ.यो. | 75.00 | 1,00.00 | 29.45 | 11.80 | 15,60.00 | 29.45 | 11.80 | 15,60.00 | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में छात्रावास भवनों में मरम्मत तथा बढावा | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | 1,90.00 | .. | .. | 1,90.00 | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में छात्रावासों का निर्माण तथा पुनरुद्धार | ज.जा.उ.यो. | 1,00.00 | 0.01 | 1,54.50 | .. | 2,37.00 | 1,54.50 | .. | 2,37.00 | 1,54.50 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया क्षेत्र में छात्रावासों का निर्माण तथा पुनरुद्धार | ज.जा.उ.यो. | 80.00 | 80.00 | 30.21 | 80.00 | 2,87.00 | 30.21 | 80.00 | 2,87.00 | .. |
| एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अलावा आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,00.01 | 6,76.13 | .. | .. | 50.00 | .. | .. | 50.00 |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में महाविद्यालय छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन | ज.जा.उ.यो. | 11,08.50 | 9,75.50 | 8,20.50 | 17,55.93 | 9,55.63 | 9,50.01 | 17,55.93 | 9,55.63 | 9,49.61 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | 40.00 | 2,20.00 | 6,19.04 | 40.00 | .. | 6,19.04 | 40.00 | .. | 6,19.04 |
| विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में एस टी बस्तियों से सेवा केन्द्रों का जुड़ाव | ज.जा.उ.यो. | .. | 10,00.00 | 5,00.00 | .. | 7,80.00 | 9,40.00 | .. | 7,80.00 | 9,40.00 |
| नये राजस्थान उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर का निर्माण | सामान्य | 75,52.00 | 50,00.00 | 20,00.00 | 38,50.00 | 45,00.00 | 20,00.00 | 38,50.00 | 45,00.00 | 25,25.18 |
| राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर हेतु भवन का निर्माण | सामान्य | 4,98.87 | 6,83.22 | 3,00.00 | 2,00.00 | 6,83.22 | 3,00.00 | 2,00.00 | 6,83.22 | 3,00.00 |
| सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़ | सामान्य | 2,50.00 | 2,00.00 | 1,10.07 | 2,50.00 | 2,00.00 | 1,10.07 | 2,50.00 | 2,00.00 | 1,10.07 |
| कृषि शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्साहन | सामान्य | 2,74.80 | 3,10.50 | 3,95.00 | 4,37.36 | 2,79.70 | 2,65.32 | 4,37.36 | 2,79.70 | 2,65.32 |
| | ज.जा.उ.यो. | 54.00 | 58.50 | 30.60 | 41.36 | 33.25 | 24.57 | 41.36 | 33.25 | 24.57 |
| | अ.जा.उ.यो. | 71.20 | 81.00 | 52.00 | 75.26 | 60.45 | 47.09 | 75.26 | 60.45 | 47.09 |
| किसान सेवा केन्द्र मय गाँव ज्ञान केन्द्र का निर्माण | सामान्य | 2,22,18.00 | 84,18.00 | 0.01 | 1,41,86.57 | 40,05.37 | 55,67.00 | 1,41,58.91 | 40,05.37 | 55,67.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 41,86.00 | 15,86.00 | .. | 28,56.23 | 8,72.06 | .. | 28,83.89 | 8,72.06 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 57,96.00 | 21,96.00 | .. | 32,47.48 | 9,91.91 | .. | 32,47.47 | 9,91.91 | .. |
| डी एम एच एस के माध्यम से निःशुल्क ड्रग वितरण योजना | सामान्य | 2,68,91.01 | 2,33,45.34 | 2,32,52.19 | 1,66,90.62 | 1,40,41.17 | 2,22,64.57 | 1,66,89.41 | 1,40,39.98 | 2,22,61.89 |
| | ज.जा.उ.यो. | 14,20.00 | 14,80.00 | 9,92.88 | 10,01.96 | 10,23.30 | 7,80.64 | 10,01.61 | 10,19.18 | 7,72.12 |
| | अ.जा.उ.यो. | 16,45.02 | 10,66.00 | 9,48.07 | 12,13.60 | 12,41.17 | 4,59.99 | 12,13.42 | 12,37.62 | 4,59.77 |
| विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में निर्माण कार्य | सामान्य | 3,65.00 | 1,66.11 | 2,72.01 | 27.65 | 1,23.59 | 2,39.26 | 11.42 | 1,23.59 | 2,69.06 |
| खनिज सुरक्षा बल | सामान्य | 0.12 | 8,38.60 | 0.09 | .. | 1,47.03 | .. | .. | 1,44.61 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.12 | 89.26 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.12 | 1,18.98 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जवाई-पाली-जोधपुर पाइप लाईन परियोजना फेज-II (क्लस्टर परियोजना) | सामान्य | 11,56.00 | 3,51.20 | 10,79.85 | 6,58.51 | 3,34.13 | 7,71.37 | 6,58.50 | 3,34.13 | 7,71.37 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,38.00 | 62.80 | 1,28.55 | 1,54.23 | 56.52 | 51.61 | 1,54.23 | 56.52 | 51.61 |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,06.00 | 86.00 | 2,91.60 | 2,58.19 | 77.40 | 37.69 | 2,58.19 | 77.40 | 37.69 |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| देवास जलपूर्ति परियोजना फेज- II (शहरी) | सामान्य | 27,20.00 | 9,80.40 | 16,19.60 | 10,01.23 | 4,90.20 | .. | 10,08.23 | 4,90.20 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 5,60.00 | 8,82.60 | 1,92.83 | 5,05.50 | 2,41.30 | .. | 5,05.50 | 2,41.30 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 7,20.00 | 3,87.00 | 4,37.40 | 3,28.50 | 1,93.50 | 1,25.00 | 3,28.50 | 1,93.50 | 1,25.00 |
| देहली, मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर (डी एम आई सी) | सामान्य | 20,00.01 | 20,00.01 | 40,00.01 | .. | 20,00.00 | 40,00.00 | (-) 80,00.00* | 20,00.00 | 40,00.00 |
| तेंदू पत्ता तथा अन्य सूक्ष्म वन उत्पादों से आय का समनुदेशन | सामान्य | 0.01 | 3,39.59 | 3,39.59 | .. | 4,90.65 | 3,39.59 | .. | 4,90.65 | 3,39.59 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पी पी पी मोड के अन्तर्गत पॉलीटेक्निक की स्थापना | सामान्य | 0.01 | 0.02 | 10,00.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पुलिस विकास निधि | सामान्य | 13,00.01 | 0.10 | 0.09 | 10,33.52 | 18,93.79 | 65.29 | 10,33.52 | 18,93.79 | 65.29 |
| राजस्थान यातायात ढाँचागत विकास निधि | सामान्य | 68,70.06 | 59,77.38 | 85,50.42 | 1,23,08.90 | 72,12.83 | 1,55,20.47 | 1,23,08.98 | 72,12.82 | 1,55,20.47 |
| | ज.जा.उ.यो. | 11,28.01 | 11,06.66 | .. | 8,53.40 | 7,81.00 | .. | 8,53.40 | 7,81.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 15,02.01 | 14,16.05 | .. | 10,00.95 | 9,99.00 | .. | 10,00.95 | 9,99.00 | .. |
| लैपटॉप वितरण (प्राथमिक शिक्षा) | सामान्य | 0.01 | 75,60.00 | 21,00.00 | .. | 2,25,65.38 | .. | .. | 2,25,54.82 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 12,96.00 | 3,60.00 | .. | 44,15.06 | .. | .. | 44,11.58 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 19,44.00 | 5,40.00 | .. | 60,33.71 | .. | .. | 60,33.11 | .. |
| लैपटॉप वितरण (माध्यमिक शिक्षा) | सामान्य | 49,41.68 | 59,10.00 | 14,00.00 | .. | 59,10.00 | 26.00 | .. | 59,10.00 | 26.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 9,67.80 | 6,90.00 | 2,40.00 | .. | 6,90.00 | 10.00 | .. | 6,90.00 | 10.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 12,53.52 | 14,00.00 | 3,60.00 | .. | 14,00.00 | 15.00 | .. | 14,00.00 | 15.00 |
| आवासीय विद्यालय | सामान्य | 0.02 | 13.88 | 1,40.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 2.52 | 24.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 3.60 | 36.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| निःशक्त जनों के लिए खाद्यान योजना | सामान्य | 0.01 | 1,40.56 | 3,50.00 | .. | 1.19 | 0.72 | .. | 1.19 | 0.47 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 25.12 | 1,00.00 | .. | 0.03 | 0.14 | .. | 0.03 | 0.14 |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 34.32 | 1,50.00 | .. | 0.02 | 0.11 | .. | 0.02 | 0.11 |
| कोर बैंकिंग | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | .. | 25,00.00 | .. | .. | 25,00.00 |

* ऋण व्यय, व्ययों पर प्राप्तियों तथा वसूलियों के आधिक्य के कारण है।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| के.वी.एस.एस. | सामान्य | 0.02 | 0.01 | 2,50.00 | 74.12 | 1,02.82 | 2,50.00 | 74.12 | 1,02.83 | 2.10 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.02 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.02 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ग्राम सेवा सहकारी समिति | सामान्य | 10,00.01 | 0.01 | 10,00.00 | 10,00.00 | 15,00.00 | 10,00.00 | 10,00.00 | 15,00.00 | 10,00.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.02 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.02 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| प्रख्यात कलाकारों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 1,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| प्राचीन म्यूजियम | सामान्य | .. | .. | 10,00.00 | .. | .. | 9,55.88 | .. | .. | 9,55.86 |
| राज्य मानवाधिकार आयोग | सामान्य | 0.01 | 0.02 | 1,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में स्वरोजगार सहायता | ज.जा.उ.यो. | .. | 80.00 | 1,80.00 | .. | 80.00 | 1,80.00 | .. | 80.00 | 1,80.00 |
| सामान्य अनुदान | सामान्य | 32,12.00 | 2,46,12.58 | 3,50,00.00 | .. | 1,93,42.19 | 3,40,20.69 | 25.00 | 1,93,42.19 | 3,39,80.74 |
| | ज.जा.उ.यो. | 7,71.00 | 43,81.42 | .. | .. | 34,55.32 | .. | 4.22 | 34,55.32 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 10,17.00 | 60,06.00 | .. | .. | 46,86.64 | .. | 4.00 | 46,86.64 | .. |
| बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण | सामान्य | 0.02 | 5,50.00 | 5,50.00 | .. | 55.26 | 1,93.21 | .. | 55.14 | 1,93.03 |
| राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड | सामान्य | 0.01 | 2,50.00 | 2,50.00 | .. | 5,00.00 | 2,50.00 | .. | 5,00.00 | 2,50.00 |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना | सामान्य | 0.04 | 0.04 | 50,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंश पूंजी | सामान्य | 14,78.34 | 25,00.00 | 1,00,00.00 | 14,78.34 | 1,50,00.00 | 2,15,00.00 | 14,78.34 | 1,50,00.00 | 1,88,90.00 |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,25.00 | .. | .. | 2,25.00 | .. | .. | 2,25.00 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,96.66 | .. | .. | 2,96.66 | .. | .. | 2,96.66 | .. | .. |
| पुलिस में कम्प्यूटराइजेशन | सामान्य | 0.01 | 0.01 | 3,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| मानिक लाल वर्मा टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, भीलवाड़ा | सामान्य | 1,30.00 | 1,30.00 | 40.00 | .. | 50.00 | 40.00 | .. | 50.00 | 40.00 |
| राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 | सामान्य | 23,90.00 | 6,22.46 | .. | 20,19.91 | 5,04.46 | .. | 20,19.16 | 5,04.41 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 5,90.00 | 1,20.49 | .. | 3,39.93 | 1,18.67 | .. | 3,39.74 | 1,18.68 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 10,20.00 | 1,60.99 | .. | 5,22.86 | 2,00.09 | .. | 5,22.46 | 2,00.09 | .. |
| दंत महाविद्यालय तथा अस्पताल, जयपुर | सामान्य | 1,98.21 | 2,04.40 | .. | 1,98.20 | 2,06.20 | .. | 1,98.20 | 2,06.20 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|------------|---------|---------------|------------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| उद्यान पार्क | सामान्य | 1,95.02 | 2,50.00 | .. | 1,95.00 | 31.24 | .. | 1,95.00 | 31.24 | .. |
| राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड | सामान्य | 0.05 | 0.06 | .. | 1.53 | 15.00 | .. | (-) 5,12.44 * | 15.00 | .. |
| तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला में प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण | सामान्य | 3,32.74 | 1,02.65 | .. | 3,08.51 | .. | .. | 3,08.51 | .. | .. |
| राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर | ज.जा.उ.यो. | 2,01.00 | 2,54.65 | .. | 1,08.00 | 53.52 | .. | 1,08.00 | 53.52 | .. |
| मिशन ग्राम शक्ति | सामान्य | 10,60.01 | 10,60.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,50.01 | 2,50.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,50.01 | 3,50.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र | सामान्य | 13,39.00 | 1,05.01 | .. | 11,05.36 | 29.91 | .. | 11,05.36 | 29.91 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,88.00 | 0.01 | .. | 2,44.00 | .. | .. | 2,44.00 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,60.00 | 0.01 | .. | 3,14.00 | .. | .. | 3,14.00 | .. | .. |
| जलमल ट्रीटमेंट संयंत्र | सामान्य | 4,08.75 | 3,51.55 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,01.25 | 65.10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,40.00 | 83.35 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर | सामान्य | 31.00 | 2,54.65 | .. | 2,00.00 | 90.62 | .. | 2,00.00 | 90.62 | .. |
| शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर | सामान्य | 4,18.00 | 2,54.65 | .. | 1,75.67 | 1,97.98 | .. | 1,75.67 | 1,97.98 | .. |
| मुख्यमंत्री शहरी बी पी एल आवास योजना | सामान्य | 50.98 | 29,61.88 | .. | 68.23 | 18,32.69 | .. | 68.22 | 18,32.70 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.04 | 4,67.46 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.04 | 6,03.13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| खाद्यान्न वितरण | सामान्य | 2,06,82.90 | 0.01 | .. | 2,06,82.89 | 1,14,51.29 | .. | 2,06,10.35 | 1,14,51.29 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 45,00.01 | 0.01 | .. | 45,00.00 | 41,04.41 | .. | 45,00.00 | 41,04.41 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 72,00.01 | 0.01 | .. | 72,00.00 | 64,69.19 | .. | 72,00.00 | 64,69.19 | .. |
| लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन | सामान्य | 1,19.67 | 79.67 | .. | 41,43.35 | 79.67 | .. | 41,43.35 | 79.67 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 24.63 | 28.03 | .. | 8,11.83 | 27.78 | .. | 8,11.83 | 27.78 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 31.67 | 38.30 | .. | 10,35.43 | 38.30 | .. | 10,35.43 | 38.30 | .. |

* ऋण व्यय, व्ययों पर प्राप्तियों तथा वसूलियों के आधिक्य के कारण है।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|------------|---------|-------------|------------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| राजस्थान पर्यटन विकास निगम को अंश निवेश/ऋण | सामान्य | 0.02 | 0.02 | .. | .. | 15,00.00 | .. | .. | 15,00.00 | .. |
| हरिदेव जोशी पत्रकारिता तथा मास कम्यूनिकेशन विश्वविद्यालय | सामान्य | 2,46.00 | 2,54.64 | .. | 2,03.42 | 1,75.63 | .. | 2,03.42 | 1,75.63 | .. |
| आर आई डी एफ- XIX के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित सड़कें | सामान्य | 2,69,73.45 | 82,22.35 | .. | 2,24,19.11 | 2,88,32.44 | .. | 2,24,19.12 | 2,92,61.88 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 56,63.72 | 30,56.64 | .. | 56,87.58 | 49,58.62 | .. | 56,87.57 | 55,59.73 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 71,85.84 | 42,07.74 | .. | 82,79.15 | 99,86.84 | .. | 82,79.14 | 99,86.82 | .. |
| नये पॉलीटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर तथा केलवाडा का शुभारम्भ | ज.जा.उ.यो. | 0.04 | 2,25.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पॉलीटेक्निक की छात्रावास सुविधा | अ.जा.उ.यो. | 2,09.57 | 2,90.43 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर | सामान्य | 4,88.53 | 2,54.65 | .. | 1,00.00 | 1,11.66 | .. | 1,00.00 | 1,11.66 | .. |
| टी.बी. तथा चेस्ट अस्पताल | सामान्य | 1,25.65 | 51.00 | .. | 46.03 | 22.59 | .. | 46.02 | 22.59 | .. |
| सेटलमेंट विभाग के भवन का निर्माण | सामान्य | 2,42.35 | 2,68.85 | .. | 2,33.66 | .. | .. | 2,33.66 | .. | .. |
| मुख्यमंत्री भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाई | सामान्य | 17,39.80 | 3,48.80 | .. | 14,46.13 | 7,44.90 | .. | 14,45.73 | 7,34.84 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,95.50 | 1,12.00 | .. | 1,73.54 | 91.80 | .. | 1,73.48 | 86.63 | .. |
| मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना | सामान्य | 16,96.20 | 41,09.86 | .. | 5,70.44 | 15,91.25 | .. | 5,65.93 | 15,80.17 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 30,49.30 | 20,70.30 | .. | 11,99.01 | 4,04.45 | .. | 11,98.60 | 4,00.67 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 33,00.00 | 26,29.45 | .. | 19,88.90 | 6,99.78 | .. | 19,88.86 | 6,99.77 | .. |
| नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत भवनों का निर्माण | सामान्य | 4,00.00 | 0.01 | .. | 3,94.74 | .. | .. | 3,94.68 | .. | .. |
| योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु वाहनों को किराये पर लेना (शहरी) | सामान्य | 1,94.40 | 3,00.00 | .. | 1,65.00 | 1,30.00 | .. | 1,64.94 | 1,25.17 | .. |
| जयपुर बीसलपुर जलपूर्ति परियोजना (शहरी) हेतु सुजानपुरा पर 200 एम एल डी जल ट्रांसपोर्ट संयंत्र | सामान्य | 16,00.00 | 23,88.16 | .. | 43,62.62 | 9,47.46 | .. | 43,62.62 | 9,47.46 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 4,00.00 | 4,27.04 | .. | 8,90.77 | 1,96.00 | .. | 8,90.77 | 1,96.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 5,00.00 | 5,84.80 | .. | 11,54.61 | 2,52.00 | .. | 11,54.61 | 2,52.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| शहरी जलपूर्ति योजना-जालोर | सामान्य | 3,40.00 | 7,02.40 | .. | 13,05.79 | 10,20.00 | .. | 13,05.78 | 10,20.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 70.00 | 1,25.60 | .. | 2,09.99 | 2,10.00 | .. | 2,09.99 | 2,10.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 90.00 | 1,72.00 | .. | 2,70.00 | 2,70.00 | .. | 2,70.00 | 2,70.00 | .. |
| उम्मेद सागर दाबा समृद्धि खांडप जलपूर्ति परियोजना (शहरी) | सामान्य | 7,31.00 | 7,02.40 | .. | 14,11.00 | 9,19.54 | .. | 14,11.00 | 9,19.54 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,50.50 | 1,25.60 | .. | 2,90.50 | 1,87.99 | .. | 2,90.50 | 1,87.99 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,93.50 | 1,72.00 | .. | 3,73.50 | 2,43.41 | .. | 3,73.50 | 2,43.41 | .. |
| नर्मदा जलपूर्ति परियोजना (डी.आर.) (शहरी) | सामान्य | 10,20.00 | 2,59.89 | .. | 10,20.00 | 2,59.88 | .. | 10,19.99 | 2,59.88 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,10.00 | 46.47 | .. | 2,09.99 | 46.47 | .. | 2,09.99 | 46.47 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,70.00 | 63.64 | .. | 2,70.00 | 63.64 | .. | 2,69.99 | 63.64 | .. |
| राजगढ बूंगी जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 19,91.94 | .. | .. | 18,63.72 | .. | .. | 18,63.72 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 4,03.42 | .. | .. | 4,66.06 | .. | .. | 4,66.06 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,04.64 | .. | .. | 5,99.22 | .. | .. | 5,98.95 | .. |
| स्वजल धारा योजना के अन्तर्गत एक साल की योजना का ओ एण्ड एम के सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद बी डब्लू एस सी को एक बारीय अनुदान का भुगतान | सामान्य | 0.01 | 1,54.13 | .. | 1,43.99 | .. | .. | 1,43.99 | .. | .. |
| योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु वाहनो को किराये पर लेना (ग्रामीण) | सामान्य | 8,05.60 | 7,00.00 | .. | 2,88.00 | 2,35.00 | .. | 2,87.23 | 2,25.04 | .. |
| नर्मदा जलपूर्ति परियोजना (डी.आर.) (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 7,02.40 | .. | .. | 9,52.00 | .. | .. | 9,52.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,97.60 | .. | .. | 1,96.00 | .. | .. | 1,95.99 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | .. | .. | 2,52.00 | .. | .. | 2,52.00 | .. |
| बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II पार्ट-बी (68 क्लस्टर गांव) (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 7,02.40 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,25.60 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,72.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II पार्ट-सी (473 क्लस्टर गांव) (ग्रामीण) | सामान्य | 0.01 | 7,02.40 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 1,25.60 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 1,72.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| निराश्रित सम्बल योजना | सामान्य | 1,65.00 | 1,65.00 | .. | 53.00 | 1,28.00 | .. | 53.00 | 1,28.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| एस सी ए के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,80.00 | .. | .. | 5,80.00 | .. | .. | 5,80.00 | .. |
| एस सी ए के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में पम्प सेट के साथ कुओं का एनरजाइजेसन, बूंद-बूंद फव्वारे एवं पाइप लाइन तथा डीजल/ विद्युत् पम्प सेटों का वितरण | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,40.00 | .. | .. | 3,00.00 | .. | .. | 3,00.00 | .. |
| एस सी ए के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,00.00 | .. | .. | 1,00.00 | .. | .. | 1,00.00 | .. |
| एस सी ए के अन्तर्गत बिखरी क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,00.00 | .. | .. | 1,00.00 | .. | .. | 1,00.00 | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में मानगढ धाम का शताब्दी समारोह | ज.जा.उ.यो. | 20.00 | 1,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 3,00.00 | .. | .. | 3,00.00 | .. | .. | 3,00.00 | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 1,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया हेतु एकीकृत विकास योजना | ज.जा.उ.यो. | 32,28.91 | 38.56 | .. | 6,18.85 | 38.56 | .. | 6,18.85 | 38.56 | .. |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजाति छात्रावास का सोलर विद्युतिकरण | ज.जा.उ.यो. | .. | 13,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजाति छात्रावास तथा आवासीय विद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं का विकास | ज.जा.उ.यो. | .. | 11,00.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में माँ-बाडी केन्द्रों का संचालन | ज.जा.उ.यो. | 1,54.00 | 60.25 | .. | 2,18.02 | .. | .. | 2,18.02 | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 1,00.00 | .. | .. | 1,00.00 | .. | .. | 1,00.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत छात्रावासों में बाउण्ड्री दीवारों को बढ़ाना तथा निर्माण | ज.जा.उ.यो. | .. | 1,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राजकीय शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं को बढ़ाना | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,00.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. |
| डा.भीमराव अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय, जयपुर | सामान्य | 2,23.00 | 2,54.00 | .. | 47.10 | 1,06.55 | .. | 47.10 | 1,06.55 | .. |
| गुण नियंत्रण | सामान्य | 12,10.55 | 9,16.78 | .. | 11,43.31 | 9,28.23 | .. | 11,42.34 | 9,28.19 | .. |
| सरकारी तथा निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी आधार पर महाविद्यालय स्थापना | सामान्य | 50.01 | 6,07.38 | .. | 50.00 | 1,50.00 | .. | 50.00 | 1,50.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,80.00 | 4,00.00 | .. | 81.18 | 18.00 | .. | 81.17 | 18.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.02 | 3,66.40 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| निर्देशन तथा प्रशासन-योजना पर्यवेक्षण | सामान्य | 1,45.19 | 1,53.00 | .. | 1,61.82 | 1,46.30 | .. | 1,61.40 | 1,46.28 | .. |
| सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा तथा आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर | सामान्य | 18,00.00 | 2,84.65 | .. | 12,16.81 | 11,93.48 | .. | 12,16.81 | 11,93.48 | .. |
| मास्टर योजना तथा अन्य योजनाएं | सामान्य | 1,22.50 | 1,05.00 | .. | 80.56 | 60.33 | .. | 80.56 | 60.32 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 13.50 | .. | .. | 8.44 | .. | .. | 8.44 | .. | .. |
| डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला | सामान्य | 24.01 | 1,00.00 | .. | 8.78 | 51.40 | .. | 8.37 | 51.39 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 16.88 | .. | .. | 3.42 | .. | .. | 3.39 | .. | .. |
| सड़कों हेतु सार्वजनिक निजी साझेदारी | सामान्य | 5,00.00 | 20,00.00 | .. | .. | 1,51.75 | .. | .. | 1,51.75 | .. |
| इन्दिरा गांधी मुख्य नहर-किमी 0 से 74- प्रथम चरण | सामान्य | 17,06.43 | 0.01 | .. | 14,93.90 | .. | .. | 14,93.06 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,60.00 | .. | .. | 2,29.55 | .. | .. | 2,29.55 | .. | .. |
| मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति | सामान्य | 27,00.00 | 19,70.00 | .. | 16,43.94 | 19,52.81 | .. | 16,43.94 | 19,52.61 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 10,00.00 | 5,17.95 | .. | 9,76.45 | 5,77.07 | .. | 9,76.44 | 5,76.53 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 10,00.00 | 7,57.97 | .. | 9,80.96 | 9,02.64 | .. | 9,80.96 | 9,02.25 | .. |
| राज्य प्रोत्साहन परिषद | सामान्य | 1,25.94 | 11,88.56 | .. | 35.89 | 71.94 | .. | 35.89 | 71.89 | .. |
| स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र | सामान्य | 1,00.00 | 50.00 | .. | 50.00 | 1,00.00 | .. | 50.00 | 1,00.00 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| फर्टीलिटी क्लिनिक स्थापना हेतु सहायता | सामान्य | 1,00.00 | 3,00.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,00.00 | 1,00.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| अनुमोदित फर्टीलिटी क्लिनिक से उपचार लेने वाले दम्पतियों को दवाइयों हेतु सहायता | सामान्य | 36.00 | 1,41.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 5.50 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 8.50 | 34.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| फतेहपुर-लक्ष्मगढ जलपूर्ति परियोजना (शहरी) | सामान्य | 23,80.00 | 0.01 | .. | 19,53.58 | 45,45.86 | .. | 19,53.58 | 45,45.86 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 4,90.00 | 0.01 | .. | 4,12.99 | 9,38.00 | .. | 4,12.99 | 9,37.98 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 6,30.00 | 0.01 | .. | 5,11.79 | 12,06.00 | .. | 5,11.79 | 12,05.99 | .. |
| चम्बल से बूंदी कस्बा लिक ट्रान्समिशन मुख्य तथा अन्य आधारभूत (शहरी) | सामान्य | 10,20.00 | 14,04.80 | .. | 10,20.00 | 8,02.40 | .. | 10,19.98 | 8,02.21 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,10.00 | 2,51.20 | .. | 2,09.99 | 1,63.53 | .. | 2,09.99 | 1,63.53 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,70.00 | 3,44.00 | .. | 3,17.09 | 2,12.40 | .. | 3,17.09 | 2,12.40 | .. |
| नेहरू सहकार भवन का रख रखाव, जल संरक्षण तथा केन्द्रीय कूलिंग प्रणाली | सामान्य | 0.01 | 1,80.00 | .. | .. | 23.07 | .. | .. | 23.07 | .. |
| स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय को ऋण | सामान्य | 0.01 | 5,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जयपुर विकास प्राधिकरण को सहायता | सामान्य | 3,00.01 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु फर्नीचर | सामान्य | 0.01 | 21,40.46 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 3,61.95 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 4,97.59 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| डी एम एच एस के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना | सामान्य | 78,07.20 | 70,00.23 | .. | 42,24.88 | 57,65.81 | .. | 41,97.13 | 56,78.78 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 17,34.02 | 13,00.13 | .. | 16,05.96 | 11,42.25 | .. | 15,88.95 | 11,35.55 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 23,96.00 | 17,00.13 | .. | 13,91.26 | 14,56.23 | .. | 13,89.95 | 14,20.28 | .. |
| आर आई डी एफ के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (85:15) | सामान्य | 1,06,34.26 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 19,74.36 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 25,82.23 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| आर आई डी एफ के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (85:15) | सामान्य | 15,40.44 | 0.01 | .. | 34,36.14 | 6,79.56 | .. | 34,36.14 | 6,79.56 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,86.09 | 0.01 | .. | 6,46.09 | 1,26.20 | .. | 6,46.09 | 1,26.20 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,74.11 | 0.01 | .. | 8,34.11 | 1,65.04 | .. | 8,34.11 | 1,65.04 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| आर आई डी एफ के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (85:15) | सामान्य | 12,79.21 | 0.01 | .. | 28,27.21 | 5,64.34 | .. | 28,27.21 | 5,64.34 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,37.58 | 0.01 | .. | 5,73.58 | 1,04.80 | .. | 5,73.58 | 1,04.80 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 3,10.67 | 0.01 | .. | 7,10.67 | 1,37.06 | .. | 7,10.67 | 1,37.06 | .. |
| चिकित्सा महाविद्यालय तथा उससे संबंधित अस्पतालों के समूह जोधपुर के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना | सामान्य | 8,15.22 | 5,97.80 | .. | 5,65.47 | 6,10.37 | .. | 5,65.46 | 6,10.36 | .. |
| चिकित्सा महाविद्यालय तथा उससे संबंधित अस्पतालों के समूह कोटा के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना | सामान्य | 7,28.02 | 8,84.50 | .. | 4,38.75 | 8,26.21 | .. | 4,38.76 | 8,26.21 | .. |
| चिकित्सा महाविद्यालय तथा उससे संबंधित अस्पतालों के समूह जयपुर के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना | सामान्य | 12,15.03 | 58,55.80 | .. | 13,59.67 | 19,81.65 | .. | 13,68.28 | 19,81.65 | .. |
| चिकित्सा महाविद्यालय तथा उससे संबंधित अस्पतालों के समूह अजमेर के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना | सामान्य | 4,28.71 | 6,25.30 | .. | 4,19.88 | 5,25.39 | .. | 4,19.88 | 5,25.39 | .. |
| चिकित्सा महाविद्यालय तथा उससे संबंधित अस्पतालों के समूह बीकानेर के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना | सामान्य | 4,07.02 | 8,49.30 | .. | 3,50.27 | 5,55.07 | .. | 3,50.27 | 5,55.07 | .. |
| चिकित्सा महाविद्यालय तथा उससे संबंधित अस्पतालों के समूह उदयपुर के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना | सामान्य | 6,40.75 | 7,61.90 | .. | 5,72.90 | 5,18.77 | .. | 5,72.89 | 5,18.77 | .. |
| राजस्थान राज्य उर्जा वित्त निगम लिमिटेड में पूंजी निवेश | सामान्य | 0.01 | 10,00.00 | .. | .. | 75,00.00 | .. | .. | 75,00.00 | .. |
| इन्दिरा आवास योजना हेतु अतिरिक्त सहाय्य (राज्य योजना) | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,03.30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 22,05.55 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| खेल विश्वविद्यालय, झुझुनू | सामान्य | 1,76.85 | 0.03 | .. | 5.00 | 15.00 | .. | 5.00 | 15.00 | .. |
| राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान | सामान्य | .. | 0.01 | .. | .. | 2,91.81 | .. | .. | 2,91.81 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | .. | .. | 51.82 | .. | .. | 51.82 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | .. | .. | 70.28 | .. | .. | 70.28 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|------------|---------|-------------|------------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| जोधपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान | सामान्य | 0.02 | 50,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान आवास विकास तथा आधारभूत लिमिटेड | सामान्य | 0.01 | 0.01 | .. | .. | 2,15,00.00 | .. | .. | 2,15,00.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| इन्दिरा गांधी मुख्य नहर किमी 74 से 189- प्रथम चरण | सामान्य | 2,52.00 | 35,00.00 | .. | 2,18.39 | 12,97.25 | .. | 2,19.10 | 12,97.28 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 54.00 | .. | .. | 34.89 | .. | .. | 34.91 | .. | .. |
| विशेष प्राथमिकता आधारित सड़कें | सामान्य | 35,56.19 | 93,18.58 | .. | 49,69.86 | 36,69.31 | .. | 49,69.87 | 36,69.30 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 8,08.41 | 16,72.57 | .. | 19,80.12 | 5,88.18 | .. | 19,80.11 | 5,88.17 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 9,45.13 | 22,83.19 | .. | 9,26.35 | 7,28.34 | .. | 9,26.34 | 7,28.33 | .. |
| आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को पोशाकों का वितरण | सामान्य | 0.01 | 15,00.00 | .. | .. | 3,45.74 | .. | .. | 3,65.03 | .. |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम के माध्यम से विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु अनुदान | सामान्य | 8,00.01 | 0.01 | .. | 5,66.01 | .. | .. | 5,66.01 | .. | .. |
| जैविक उद्यान, कल्याण | सामान्य | 2,00.02 | 0.03 | .. | .. | 50.00 | .. | .. | 50.00 | .. |
| विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु ब्याज अनुदान | सामान्य | 1,00.00 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पक्षी सहायता केन्द्र | सामान्य | 5,36.01 | 0.03 | .. | 3,95.56 | 1,26.00 | .. | 3,95.54 | 1,25.93 | .. |
| युद्ध विधवाओं के पुर्नवास केन्द्रों का संचालन तथा छात्रावासों हेतु गठित कोरपस निधि में अंशदान | सामान्य | .. | 3,00.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. |
| अल्पसंख्यक विकास निधि | सामान्य | 0.02 | 25,00.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रावासों का संचालन | सामान्य | 1,00.02 | 0.03 | .. | 52.98 | 25.75 | .. | 52.98 | 23.56 | .. |
| राजस्थान लघुस्तरीय औद्योगिक निगम को ऋण | सामान्य | 0.01 | 0.01 | .. | .. | 2,31.00 | .. | .. | 2,31.00 | .. |
| पुस्तकालय भवन | सामान्य | 2,00.44 | 14,00.00 | .. | 1,16.31 | 2,36.96 | .. | 1,16.31 | 2,36.96 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 90.99 | 2,50.00 | .. | 52.78 | 43.75 | .. | 52.78 | 43.75 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,11.04 | 3,50.00 | .. | 64.43 | 61.25 | .. | 64.43 | 61.25 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|------------|---------|-------------|------------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| गैर शासकीय संगठनों के माध्यम से वृद्धा आश्रम गृहों का निर्माण तथा संचालन | सामान्य | 1,80.01 | 0.02 | .. | 1,79.69 | 34.00 | .. | 1,79.69 | 33.00 | .. |
| विज्ञान सिटी | सामान्य | 4,50.00 | 0.04 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| पशुधन प्रजनन विकास योजना | सामान्य | 5,00.06 | 0.07 | .. | 1,52.41 | .. | .. | 1,52.41 | .. | .. |
| राजससंघ को अनुदान | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | .. | .. | 15,46.87 | .. | .. | 15,46.87 | .. |
| संस्कृत महाविद्यालय, भवन का निर्माण | सामान्य | 5,00.00 | 0.01 | .. | 4,89.49 | 0.15 | .. | 5,48.87 | 0.15 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 54.29 | 0.01 | .. | 52.06 | .. | .. | 52.06 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस संघ को अंश पूंजी | ज.जा.उ.यो. | .. | 0.01 | .. | .. | 4,17.00 | .. | .. | 4,17.00 | .. |
| पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत नये निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन | सामान्य | 0.03 | 15,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को ऋण | सामान्य | 0.01 | 0.01 | .. | .. | 1,12,90.00 | .. | .. | 1,12,90.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनुदान | सामान्य | 0.03 | 0.03 | .. | .. | 5,00.00 | .. | .. | 5,00.00 | .. |
| व्यावर जवाजा क्लस्टर योजना (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 21,25.00 | .. | .. | 5,56.82 | .. | .. | 5,56.82 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,00.00 | .. | .. | 4,00.00 | .. | .. | 4,00.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 3,75.00 | .. | .. | 2,00.48 | .. | .. | 2,00.48 | .. |
| गागरीन जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 10,57.00 | .. | .. | 6,30.64 | .. | .. | 6,30.64 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,55.00 | .. | .. | 1,52.30 | .. | .. | 1,52.30 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,88.00 | .. | .. | 1,12.95 | .. | .. | 1,12.95 | .. |
| पीपलाद जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 4,38.00 | .. | .. | 68.53 | .. | .. | 68.53 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 90.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 72.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| गागरीन जलपूर्ति परियोजना (शहरी) | सामान्य | .. | 10,57.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,55.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,88.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| पीपलाद जलपूर्ति परियोजना (शहरी) | सामान्य | 3,40.00 | 4,38.00 | .. | 3,32.30 | 1,71.00 | .. | 3,32.30 | 1,71.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 70.00 | 90.00 | .. | 57.30 | 35.00 | .. | 57.30 | 35.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 90.00 | 72.00 | .. | 77.19 | 45.00 | .. | 77.19 | 45.00 | .. |
| नर्मदा परियोजना एल एल एल-यू-आर डी 74 (ग्रामीण) | सामान्य | 0.01 | 28,20.00 | .. | .. | 1,10.25 | .. | .. | 1,10.25 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 6,80.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 5,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जवाई क्लस्टर परियोजना-II (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 26,13.30 | .. | .. | 17,08.48 | .. | .. | 17,08.48 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,95.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 2,91.70 | .. | .. | 3,03.19 | .. | .. | 3,03.19 | .. |
| बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसू, फागी, बस्सी (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 28,20.00 | .. | .. | 34,27.48 | .. | .. | 34,27.53 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 6,80.00 | .. | .. | 7,95.00 | .. | .. | 7,94.99 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 5,00.00 | .. | .. | 9,23.20 | .. | .. | 9,23.20 | .. |
| चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज-I पार्ट-2 (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 39,42.08 | .. | .. | 25,72.92 | .. | .. | 25,72.92 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 9,50.80 | .. | .. | 9,84.23 | .. | .. | 9,84.23 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 7,00.00 | .. | .. | 8,00.60 | .. | .. | 8,00.60 | .. |
| बीसलपुर-दूदू परियोजना-ढाणीज तहसील सांभर (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 14,10.00 | .. | .. | 15,63.07 | .. | .. | 15,63.07 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,40.00 | .. | .. | 3,19.00 | .. | .. | 3,19.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 2,50.00 | .. | .. | 4,14.00 | .. | .. | 4,14.00 | .. |
| बारां क्लस्टर परियोजना (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 10,57.50 | .. | .. | 1,51.67 | .. | .. | 1,51.67 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,55.00 | .. | .. | 36.76 | .. | .. | 36.76 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,87.50 | .. | .. | 28.11 | .. | .. | 28.11 | .. |
| बांसवाडा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 14,10.00 | .. | .. | 10,34.10 | .. | .. | 10,34.10 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 3,40.00 | .. | .. | 2,32.47 | .. | .. | 2,32.47 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 2,50.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. | .. | 2,00.00 | .. |
| चम्बल-भीलवाडा जलपूर्ति परियोजना क्लस्टर (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 31,72.50 | .. | .. | 27,54.00 | .. | .. | 27,54.00 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 7,65.00 | .. | .. | 5,67.00 | .. | .. | 5,67.00 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 5,62.50 | .. | .. | 7,29.00 | .. | .. | 7,28.89 | .. |
| बांसवाडा-प्रतापगढ जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 26,13.30 | .. | .. | 28,32.98 | .. | .. | 28,32.98 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 5,95.00 | .. | .. | 5,83.26 | .. | .. | 5,83.16 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 2,91.70 | .. | .. | 7,49.91 | .. | .. | 7,49.92 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|------------|---------|-------------|------------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| चम्बल-भीलवाडा जलपूर्ति परियोजना क्लस्टर (शहरी) | सामान्य | 45,40.00 | 31,72.50 | .. | 62,72.71 | 31,41.60 | .. | 62,70.99 | 31,41.60 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 14,20.00 | 7,65.00 | .. | 15,73.56 | 6,46.76 | .. | 15,73.56 | 6,46.76 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 20,40.00 | 5,62.50 | .. | 19,08.84 | 8,31.36 | .. | 19,08.84 | 8,31.36 | .. |
| नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 10,57.00 | .. | .. | 17,00.68 | .. | .. | 17,00.67 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,55.00 | .. | .. | 3,50.14 | .. | .. | 3,50.12 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,88.00 | .. | .. | 4,50.18 | .. | .. | 4,50.17 | .. |
| नोखा-बीकानेर परियोजना (गजनेर लिफ्ट नहर) (ग्रामीण) | सामान्य | 0.01 | 26,13.30 | .. | 5.18 | 1.50 | .. | 5.18 | 1.50 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 5,95.00 | .. | 0.67 | .. | .. | 0.67 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 2,91.70 | .. | 1.35 | 4.66 | .. | 1.34 | 4.66 | .. |
| नर्मदा डी.आर. क्लस्टर परियोजना (ग्रामीण) | सामान्य | .. | 10,57.50 | .. | .. | 7,19.63 | .. | .. | 7,19.63 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | .. | 2,55.00 | .. | .. | 1,71.08 | .. | .. | 1,71.08 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | .. | 1,87.50 | .. | .. | 3,31.29 | .. | .. | 3,31.28 | .. |
| सिंचाई विभाग के माध्यम से इसरदा बांध का निर्माण (ग्रामीण) | सामान्य | 0.01 | 33,84.00 | .. | .. | 8.44 | .. | .. | 8.44 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.01 | 8,16.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 6,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत जनजाति के विकास हेतु नई योजनाओं का अभिनव | ज.जा.उ.यो. | 7,00.01 | 0.03 | .. | 7,00.00 | 22,65.75 | .. | 7,00.00 | 22,65.75 | .. |
| ग्रामीण विकास विभाग हेतु नई/अभिनव योजनाएं | सामान्य | 35,06.51 | 0.02 | .. | 42,46.36 | 1,67,61.78 | .. | 42,46.36 | 1,67,61.78 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 6,28.01 | 0.02 | .. | 7,60.65 | 29,95.56 | .. | 7,60.65 | 29,95.56 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 8,65.51 | 0.02 | .. | 10,48.28 | 40,92.66 | .. | 10,48.28 | 40,92.66 | .. |
| मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/ उन्नयन/आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार | सामान्य | 1,03.71 | 0.01 | .. | 3,92.61 | 4,96.79 | .. | 3,93.40 | 6,55.89 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,24.14 | 0.01 | .. | .. | 7,11.13 | .. | .. | 7,11.13 | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.01 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| खाद्य विभाग की नई/अभिनव योजनाएं | सामान्य | .. | 0.01 | .. | .. | 10,00.00 | .. | .. | 10,00.00 | .. |
| महाविद्यालय शिक्षा विभाग की नई/अभिनव योजनाएं | सामान्य | 5,00.00 | 0.01 | .. | 3,00.00 | 1.08 | .. | 3,00.00 | 1.08 | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|------------|---------|-------------|------------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग की नई/अभिनव योजनाएं | सामान्य | 0.01 | 0.01 | .. | .. | 6,45.03 | .. | .. | 6,44.93 | .. |
| सामाजिक सुरक्षा की नई/अभिनव योजना | सामान्य | 0.03 | 0.03 | .. | .. | 4,98,79.55 | .. | .. | 4,90,03.94 | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना | सामान्य | 15,00.00 | .. | .. | 11,28.45 | .. | .. | 11,28.45 | .. | .. |
| आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए योजनाएं | सामान्य | 3.63 | .. | .. | 11,85.77 | .. | .. | 11,85.77 | .. | .. |
| बाल अधिकारिता निदेशालय का निर्देशन तथा प्रशासन | सामान्य | 1,75.54 | .. | .. | 49.83 | .. | .. | 49.83 | .. | .. |
| जिला स्तरीय बाल अधिकारिता तथा बाल सुरक्षा इकाई | सामान्य | 2,25.31 | .. | .. | 42.63 | .. | .. | 42.62 | .. | .. |
| कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर, झुझुंनू तथा खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना (शहरी) | सामान्य | 47,56.33 | .. | .. | 78,83.91 | .. | .. | 78,83.91 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 18,59.74 | .. | .. | 17,73.75 | .. | .. | 17,73.75 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 24,83.64 | .. | .. | 25,43.08 | .. | .. | 25,43.08 | .. | .. |
| स्थानीय स्व सरकारी भवन निर्माण | सामान्य | 3,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जीवाणुनाशन फेल मामलों हेतु क्षतिपूर्ति | सामान्य | 3,50.00 | .. | .. | 3,44.30 | .. | .. | 3,44.30 | .. | .. |
| मुख्य मंत्री स्वाभलम्बन योजना 2013 | सामान्य | 5,00.06 | .. | .. | 3,36.36 | .. | .. | 3,36.32 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 10.00 | .. | .. | 11.49 | .. | .. | 11.49 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 50.00 | .. | .. | 38.22 | .. | .. | 38.22 | .. | .. |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड द्वारा पोषित जलपूर्ति योजनाएं (एन सी आर पी बी) | सामान्य | 2,04.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 42.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 54.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा | सामान्य | 0.03 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,00.02 | .. | .. | 25.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| ब्लॉक स्तर पर विडियों कान्फ्रेंस | सामान्य | 5,14.73 | .. | .. | 11,61.64 | .. | .. | 11,61.64 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,67.76 | .. | .. | 2,54.05 | .. | .. | 2,54.05 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,50.14 | .. | .. | 3,26.95 | .. | .. | 3,26.95 | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| वाई फाई होट स्पोट | सामान्य | 1,91.52 | .. | .. | 3,62.01 | .. | .. | 3,62.01 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 31.92 | .. | .. | 30.96 | .. | .. | 30.96 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 42.56 | .. | .. | 59.98 | .. | .. | 59.98 | .. | .. |
| राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड-एच.पी.सी.एल. | सामान्य | 1,02,10.02 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| गौ सेवा निदेशालय | सामान्य | 2,08.78 | .. | .. | 1,44.81 | .. | .. | 1,44.81 | .. | .. |
| युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना | सामान्य | 1,00.01 | .. | .. | 10.50 | .. | .. | 10.50 | .. | .. |
| बी पी एल तथा अन्तोदय परिवारों को चीनी वितरण योजना | सामान्य | 6,80.00 | .. | .. | 6,80.00 | .. | .. | 6,80.00 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,40.00 | .. | .. | 1,40.00 | .. | .. | 1,40.00 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,80.00 | .. | .. | 1,80.00 | .. | .. | 1,80.00 | .. | .. |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सहायता हेतु बाइएबिलिटी गेप फंड | सामान्य | 15,00.00 | .. | .. | 29,84.98 | .. | .. | 29,84.98 | .. | .. |
| कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर | सामान्य | 2,11.06 | .. | .. | 2,11.05 | .. | .. | 2,11.05 | .. | .. |
| कृषि विश्वविद्यालय, कोटा | सामान्य | 3,86.00 | .. | .. | 2,82.00 | .. | .. | 2,82.00 | .. | .. |
| श्री करण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर | सामान्य | 15,67.40 | .. | .. | 10,49.28 | .. | .. | 10,49.28 | .. | .. |
| राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को गोदाम निर्माण हेतु स्थान | सामान्य | 1,50,00.00 | .. | .. | 90,00.00 | .. | .. | 90,00.00 | .. | .. |
| जाखम परियोजना | ज.जा.उ.यो. | 1,00.00 | .. | .. | 13,20.62 | .. | .. | 13,20.62 | .. | .. |
| पार्वती परियोजना | सामान्य | 96.49 | .. | .. | 4,94.70 | .. | .. | 4,81.69 | .. | .. |
| मेजा परियोजना | सामान्य | 2,41.23 | .. | .. | 2,13.80 | .. | .. | 2,04.87 | .. | .. |
| सोमका गदर | सामान्य | 2,89.47 | .. | .. | 6,29.80 | .. | .. | 6,29.85 | .. | .. |
| लाहसिया परियोजना | सामान्य | 2,89.47 | .. | .. | 2,34.45 | .. | .. | 2,35.78 | .. | .. |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना | सामान्य | 1,66,66.82 | .. | .. | 1,75,15.00 | .. | .. | 1,75,07.35 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 40,92.24 | .. | .. | 40,55.42 | .. | .. | 40,55.42 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 51,14.24 | .. | .. | 51,40.48 | .. | .. | 51,40.48 | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| बैकएण्ड तथा नयी परियोजना | सामान्य | 2,98.81 | .. | .. | 1,98.97 | .. | .. | 1,99.00 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 49.81 | .. | .. | 2,94.80 | .. | .. | 2,94.79 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 66.41 | .. | .. | 2,59.45 | .. | .. | 2,59.44 | .. | .. |
| तेरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला | सामान्य | 1,24.00 | .. | .. | 87.57 | .. | .. | 87.57 | .. | .. |
| गौ शालाओ को अनुदान | सामान्य | 58,64.61 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 14,51.45 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 18,14.51 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| सोलर पम्प सेट के लिए अतिरिक्त सहाय्य | Normal | 85,82.49 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 14,30.41 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 19,07.21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| मशीनी परिचालन पर सहायता | सामान्य | 1,40.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 25.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 35.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| शुभलक्ष्मी परियोजना | सामान्य | 1,26,02.00 | .. | .. | 1,06,36.07 | .. | .. | 1,06,36.07 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 22,00.00 | .. | .. | 22,00.00 | .. | .. | 22,00.00 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 31,00.00 | .. | .. | 31,00.00 | .. | .. | 31,00.00 | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में धार्मिक स्थानों का आधारभूत निर्माण | ज.जा.उ.यो. | 8,07.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने हेतु छात्रावासों का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | 25,98.43 | .. | .. | 12,42.78 | .. | .. | 12,25.16 | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में सामुदायिक हाल का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | 4,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में चिकित्सा भवन का निर्माण | ज.जा.उ.यो. | 2,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया क्षेत्र में अन्य पूंजीगत निर्माण | ज.जा.उ.यो. | 4,51.25 | .. | .. | 4,51.24 | .. | .. | 4,51.24 | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की पूर्ति | सामान्य | 1,43.52 | .. | .. | 1,43.50 | .. | .. | 1,43.50 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 67.52 | .. | .. | 67.50 | .. | .. | 67.50 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 89.02 | .. | .. | 89.00 | .. | .. | 89.00 | .. | .. |
| प्राथमिक विद्यालय | सामान्य | 1,09,48.90 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 10,51.10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| नाबार्ड द्वारा पोषित आर आई डी एफ- XX की सड़कें | सामान्य | 1,25,44.25 | .. | .. | 14,20.49 | .. | .. | 14,76.97 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 21,01.77 | .. | .. | 91.37 | .. | .. | 91.37 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 30,53.10 | .. | .. | 42.04 | .. | .. | 42.04 | .. | .. |
| बागवानी हेतु निदेशन तथा प्रशासन | सामान्य | 1,01.90 | .. | .. | 56.16 | .. | .. | 56.16 | .. | .. |
| इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर सोलर उर्जा संयंत्र | सामान्य | 26,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| निदेशन तथा प्रशासन | सामान्य | 7,06.17 | .. | .. | 8,09.95 | .. | .. | 8,09.94 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 18.86 | .. | .. | 37.39 | .. | .. | 37.39 | .. | .. |
| महात्मा गांधी पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष | सामान्य | 8,13.50 | .. | .. | 4,70.12 | .. | .. | 4,70.12 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,53.27 | .. | .. | 97.91 | .. | .. | 97.91 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,12.22 | .. | .. | 1,01.43 | .. | .. | 1,01.43 | .. | .. |
| ईसरदा बाँध का निर्माण (सिंचाई विभाग के माध्यम से) (शहरी) | सामान्य | 3,40.00 | .. | .. | 53.00 | .. | .. | 53.04 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 70.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 90.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| चम्बल-धोलपुर-भरतपुर परियोजना | सामान्य | 10,20.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 2,10.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 2,70.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जवाई-पाली पाइप लाइन परियोजना फेज- II, पार्ट-बी (शहरी) | सामान्य | 17,00.00 | .. | .. | 18,02.00 | .. | .. | 18,02.00 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 3,50.00 | .. | .. | 3,70.77 | .. | .. | 3,70.77 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 4,50.00 | .. | .. | 4,77.00 | .. | .. | 4,77.00 | .. | .. |
| आर जी एल सी से बावरी कला-खारा-जालोदा शहरी जलपूर्ति योजना (शहरी) | सामान्य | 2,72.80 | .. | .. | 3,40.00 | .. | .. | 3,39.70 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 1,37.20 | .. | .. | 70.00 | .. | .. | 70.00 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 90.00 | .. | .. | 1,55.75 | .. | .. | 1,55.75 | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| भौगोलिक सूचना सिस्टम | सामान्य | 5,76.00 | .. | .. | 16,84.51 | .. | .. | 16,84.51 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 96.00 | .. | .. | 6,24.45 | .. | .. | 6,24.45 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,28.00 | .. | .. | 5,80.02 | .. | .. | 5,80.02 | .. | .. |
| राज सम्पर्क | सामान्य | 2,53.15 | .. | .. | 3,60.68 | .. | .. | 3,60.68 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 42.18 | .. | .. | 64.61 | .. | .. | 64.61 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 56.25 | .. | .. | 84.45 | .. | .. | 84.45 | .. | .. |
| विकास केन्द्र | सामान्य | 64.81 | .. | .. | 2,79.14 | .. | .. | 2,79.14 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 10.81 | .. | .. | 57.48 | .. | .. | 57.48 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 14.41 | .. | .. | 73.90 | .. | .. | 73.90 | .. | .. |
| राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन | सामान्य | 2,03,09.10 | .. | .. | 52,88.17 | .. | .. | 52,88.17 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 37,71.69 | .. | .. | 9,82.15 | .. | .. | 9,82.15 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 49,32.20 | .. | .. | 12,84.35 | .. | .. | 12,84.35 | .. | .. |
| राजनेट | सामान्य | 0.02 | .. | .. | 19,36.00 | .. | .. | 19,36.00 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 0.02 | .. | .. | 4,62.00 | .. | .. | 4,62.00 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 0.02 | .. | .. | 9,02.00 | .. | .. | 9,02.00 | .. | .. |
| ई-कार्यालय | सामान्य | 1,15.20 | .. | .. | 4,97.20 | .. | .. | 4,97.20 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 19.20 | .. | .. | 89.20 | .. | .. | 89.20 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 25.60 | .. | .. | 1,15.60 | .. | .. | 1,15.60 | .. | .. |
| पवन संसाधन मुल्यांकन कार्यक्रम | सामान्य | 4,20.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सुधार लिंक योजना हेतु सहायता | सामान्य | 1,20,00.00 | .. | .. | 70,00.00 | .. | .. | 70,00.00 | .. | .. |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सुधार लिंक योजना हेतु अंशपूजी | सामान्य | 3,60,00.00 | .. | .. | 60,00.00 | .. | .. | 60,00.00 | .. | .. |
| सरकारी-निजी सहभागिता के अन्तर्गत राज्य राज्यमार्ग सड़कों का निर्माण | सामान्य | 2,21,23.89 | .. | .. | 4,60.75 | .. | .. | 4,60.75 | .. | .. |

परिशिष्ट संख्या V- (समाप्त)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (समाप्त)

| राज्य योजना | सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो. | योजनागत परिव्यय | | | बजट आवंटन | | | व्यय | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | | (₹ लाख में) | | |
| राजस्थान हेरिटेज सुरक्षा तथा प्रोत्साहन प्राधिकरण (आर एच पी पी ए) | सामान्य | 2,87.95 | .. | .. | 2,87.95 | .. | .. | 2,87.95 | .. | .. |
| भामाशाह योजना | सामान्य | 5,34,64.32 | .. | .. | 3,00,73.13 | .. | .. | 3,00,72.99 | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 66,18.10 | .. | .. | 32,20.00 | .. | .. | 32,20.00 | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 93,74.10 | .. | .. | 43,95.00 | .. | .. | 43,95.00 | .. | .. |
| मुख्य मंत्री सलाहकार परिषद, राजस्थान | सामान्य | 1,13.39 | .. | .. | 46.07 | .. | .. | 46.07 | .. | .. |
| अवेध खनन की शोकथाम | सामान्य | 2,28.00 | .. | .. | 69.24 | .. | .. | 69.24 | .. | .. |
| गौ सेवा निदेशालय का निर्माण | सामान्य | 6,19.47 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा का विद्युतीकरण | सामान्य | 71,00.01 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ज.जा.उ.यो. | 12,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | अ.जा.उ.यो. | 17,00.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| इन्दिरा गांधी मुख्य नहर किमी 0 से 74- प्रथम चरण (तेरहवां वित्त आयोग) | सामान्य | 11,70.92 | .. | .. | 9,01.39 | .. | .. | 9,01.39 | .. | .. |
| एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं | सामान्य | 51,58.60 | 36,16.43 | 28,90.34 | 30,07.04 | 24,84.03 | 24,25.81 | 29,44.07 | 24,93.68 | 23,98.45 |
| | ज.जा.उ.यो. | 12,09.51 | 21,13.89 | 19,36.03 | 7,47.36 | 16,32.00 | 13,51.77 | 7,26.06 | 15,82.23 | 12,57.26 |
| | अ.जा.उ.यो. | 1,93.98 | 2,36.88 | 2,35.73 | 1,41.39 | 1,46.69 | 1,22.74 | 1,41.32 | 1,46.70 | 1,24.37 |
| | योग | 2,59,87,73.84 | 2,06,52,56.05 | 1,44,81,36.38 | 2,17,31,49.27 | 2,18,65,39.11 | 1,84,02,64.49 | 2,12,59,44.75 | 2,12,10,46.18 | 1,79,52,89.22 |

**परिशिष्ट संख्या VI – राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण
(राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गैर अंकेक्षित आंकड़े)***

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोगना अथवा अनुसूचित जाति उपयोगना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|--|---|--|------------------------|------------|------------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ | | | | | |
| कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण परियोजना (90:10) | राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान दुर्गापुरा, जयपुर | सामान्य, जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना | .. | 30,01.62 | 22,45.24 |
| राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना मिशन (80:20) | राजस्थान उद्यान विकास समिति | सामान्य, जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना | .. | 80,00.00 | 1,10,00.00 |
| राष्ट्रीय बागवानी मिशन (85:15) | राजस्थान उद्यान विकास समिति | सामान्य, जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना | 45.00 | 62,55.00 | 41,58.30 |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100:00) | राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा, जयपुर | सामान्य जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना | 21.65 | 1,26,34.93 | 1,26,40.85 |
| राष्ट्रीय बांस मिशन (100:00) | राजस्थान उद्यान विकास समिति | सामान्य जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना | .. | 1,23.08 | 1,87.76 |
| राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन (100:00) | राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड | सामान्य | 3,32.83 | 7,07.24 | 6,13.94 |
| पशुधन बीमा | राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड | सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोगना | .. | .. | 1,00.00 |

* योजना “राज्य मे कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण” 2014-15 से बंद की जा चुकी है, भारत सरकार द्वारा इनके विरुद्ध जारी, जो कि महालेखा नियंत्रक के पोर्टल पब्लिक फाइनेशियल मेनेजमेन्ट सिस्टम मे दर्शायी गई है, इस परिशिष्ट में सम्मिलित की गई है।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|--|--|--|------------------------|------------|------------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | | (₹ लाख में) | | |
| कृषि एवं संबद्ध सेवाएं - (समाप्त) | | | | | |
| कृषि सम्बन्धी आर्थिक नीति तथा विकास में अध्ययन | महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर | सामान्य | .. | 4,75.00 | 2,92.50 |
| गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा विकास | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 14,57.29 | 9.71 |
| डेयरी विकास परियोजना | (क) | सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 5,25.91 | 1,27.09 |
| कृषि गणना एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना | (क) | सामान्य | 3,92.68 | .. | .. |
| कृषि विपणन की एकीकृत योजना | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 5,18.66 | .. | .. |
| कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी सी.एस. पर राष्ट्रीय मिशन | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 7,81.88 | .. | .. |
| योग | | | 20,92.70 | 3,31,80.07 | 3,13,75.39 |
| ग्रामीण विकास | | | | | |
| स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (75:25) | जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 85,82.18 | 33,82.63 |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|---|--|--|------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | | (₹ लाख में) | | |
| ग्रामीण विकास - (समाप्त) | | | | | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | .. | 48,25.62 |
| इन्दिरा आवास योजना (75:25) | जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 4,68,86.92 | 1,81,92.19 |
| डी.आर.डी.ए. प्रशासन (75:25) | जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) | सामान्य | .. | 22,37.34 | 12,73.30 |
| महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10) | जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) | सामान्य | .. | 20,59,43.32 | 25,85,34.43 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सी एस | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 4,21.50 | .. | .. |
| सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (100:00) | जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 1,38,00.00 | 1,67,50.00 | 1,78,00.00 |
| समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम (90:10) (आई डब्लू एम पी) | जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) एवं राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण, जयपुर | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 4,70.85 | 4,32,88.84 |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (100:00) | राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जयपुर | सामान्य | .. | 4,27,06.00 | 1,51,89.50 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जयपुर | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 12,48,12.79 | 14,06,08.10 |
| केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जयपुर | सामान्य | .. | .. | 1,37,70.95 |
| योग | | | 1,42,21.50 | 44,83,89.40 | 51,68,65.56 |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|---|---|--|------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| पंचायती राज | | | | | |
| राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना | इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | .. | 7,69.00 |
| पंचायत अधिकारिता तथा उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना | इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान | सामान्य | .. | .. | 1,59.91 |
| राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान | इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 17,45.99 | 2,03.69 |
| योग | | | .. | 17,45.99 | 11,32.60 |
| सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं | | | | | |
| शिक्षा | | | | | |
| सर्व शिक्षा अभियान (65:35) | निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 24,24,88.70 | 15,35,20.11 |
| प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 2,39.64 | 45,60.08 | 1,85.18 |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं—(क्रमशः) | | | | | |
| शिक्षा—(समाप्त) | | | | | |
| पंचायती युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (100:00) | खेलकूद परिषद | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | .. | 3,74.26 |
| राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (75:25) (आर.एम.एस.ए.) | राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 2,67,14.08 | 87,03.95 |
| मॉडल विद्यालय | राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 10,26.53 | .. |
| तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 4,61.13 | 3,00.00 | 3,23.00 |
| विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान तथा मानवीय के अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्रों का सृजन | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 1,50.00 | .. | .. |
| योग (शिक्षा) | | | 8,50.77 | 27,50,89.39 | 16,31,06.50 |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | | (₹ लाख में) | | |
| सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं—(समाप्त) | | | | | |
| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | | | | | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (85:15) | परियोजना निदेशक, एन.आर.एच.एम. | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 6,30,55.73 | 5,01,91.14 |
| राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम | राजस्थान राज्य एडस नियंत्रण समिति | सामान्य | .. | 21,68.36 | 15,83.27 |
| चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिये संस्थानों का सुदृढीकरण | (क) | सामान्य | .. | 4,18.00 | 4,18.00 |
| स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान (आयुर्वेद) (100:00) | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 17,80.00 | 29,00.00 | 23,86.00 |
| आयुष उद्योग का विकास | (क) | सामान्य | .. | .. | 2,94.73 |
| प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना | (क) | सामान्य | 82,00.00 | 52,75.17 | 16,50.02 |
| निरीक्षण कमेटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | (क) | सामान्य | .. | 8,00.00 | .. |
| स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत का विकास | (क) | सामान्य | .. | 2,50.00 | .. |
| योग (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) | | | 99,80.00 | 7,48,67.26 | 5,65,23.16 |
| योग | | | 1,08,30.77 | 34,99,56.65 | 21,96,29.66 |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|---|--|--|------------------------|----------|---------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| कला तथा संस्कृति | | | | | |
| अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति संबंध | (क) | सामान्य | 2,92.00 | .. | .. |
| संग्रहालय | पुरातत्व तथा संग्रहालय | सामान्य | 1,49.55 | 1,12.50 | 1,64.67 |
| कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा बढ़ावा | पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर | सामान्य एवं जनजाति उपयोजना | 17,65.02 | 5,82.03 | 5,33.53 |
| योग | | | 22,06.57 | 6,94.53 | 6,98.20 |
| पुलिस | | | | | |
| पुलिस आधुनिकीकरण योजना | आर.एस.आर.डी.सी.सी. | सामान्य | .. | 58,06.00 | .. |
| योग | | | .. | 58,06.00 | .. |
| सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता | | | | | |
| अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण | (क) | सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 2,26.46 | .. | 5,50.00 |
| निःशक्त जन के लिए क्रय/फीटिंग हेतु सहायता | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 4,48.00 | 8,41.19 | 5,21.50 |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|--|-----------------------|--|------------------------|----------|----------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | | (₹ लाख में) | | |
| सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता - (समाप्त) | | | | | |
| दीनदयालय पुर्नवास केन्द्र | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 1,01.67 | 1,52.38 | 1,06.52 |
| सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | (क) | सामान्य | 84.34 | 1,46.46 | 93.00 |
| अवैध व्यापार को रोकने हेतु विस्तृत योजना | (क) | सामान्य | 1,25.00 | 59.71 | 15.37 |
| अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु एनजीओ को सहायतार्थ अनुदान | (क) | सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 2,24.33 | 1,27.32 | 98.16 |
| योग | | | 12,09.80 | 13,27.06 | 13,84.55 |
| पर्यावरण तथा वानिकी | | | | | |
| राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम | राज्य वन विकास अभिकरण | सामान्य | .. | 2,81.09 | 4,13.71 |
| प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण | (क) | सामान्य | .. | .. | 15,13.00 |
| पर्यावरण सूचना, शिक्षा तथा जानकारी | (क) | सामान्य | 2,31.69 | 2,60.24 | 2,59.47 |
| योग | | | 2,31.69 | 5,41.33 | 21,86.18 |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|--|---------------------|--|------------------------|----------|----------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी | | | | | |
| विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम | (क) | सामान्य | 2,26.26 | 1,20.80 | 3,05.69 |
| नीति अनुसंधान प्रकोष्ठ | (क) | सामान्य | .. | 1,11.06 | 3.00 |
| जैव तकनीक का अनुसंधान एवं विकास विभाग | (क) | सामान्य | 4,35.04 | 1,59.84 | 1,21.34 |
| अनुसंधान एवं विकास सहयोग एसईआरसी | (क) | सामान्य | 11,79.97 | 1,34.40 | 8,85.04 |
| राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम | (क) | सामान्य | 71.50 | 1,69.90 | 1,86.44 |
| प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम | (क) | सामान्य | 3,14.39 | 2,01.16 | 5,54.69 |
| जनशक्ति विकास | (क) | सामान्य | 26,66.00 | 14.32 | .. |
| सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम | (क) | सामान्य | 2,34.80 | 88.98 | 87.46 |
| सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स तथा नेनोटेक विकास | (क) | सामान्य | 1,08.56 | 30.00 | 90.55 |
| प्रौद्योगिकी विकास परिषद् | (क) | सामान्य | 2,27.17 | 20.00 | .. |
| योग | | | 54,63.69 | 10,50.46 | 22,34.21 |
| उद्योग तथा वाणिज्य | | | | | |
| समेकित ऊर्जा सुधार एवं विकास कार्यक्रम | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 18,50.00 | 14,50.00 | 13,51.00 |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|--|---------------------|--|------------------------|----------|----------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | | (₹ लाख में) | | |
| उद्योग तथा वाणिज्य - (समाप्त) | | | | | |
| समेकित टेक्सटाइल पार्क के लिये योजना (एस आई टी पी) | (क) | सामान्य | .. | 8,60.32 | 6,97.90 |
| तकनीक क्रमोन्नत कोष योजना (टी यू एफ एस) | (क) | सामान्य | 1,44.86 | 1,17.21 | 2,06.15 |
| प्रौद्योगिकी गुणवत्ता की सहायक संस्थायें तथा कार्यक्रम | (क) | सामान्य | 8,59.04 | 10,89.18 | 3,18.02 |
| हस्तशिल्प आधारभूत एवं तकनीकी विकास योजना | (क) | सामान्य | 3,20.00 | 1,16.00 | .. |
| विपणन सहयोग एवं सेवाएँ तथा निर्यात संवर्द्धन योजना | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 52.21 | 1,37.32 | 89.61 |
| ऊन तथा ऊनी सामाजिक सुरक्षा योजना | (क) | सामान्य | 1,00.00 | 1,00.00 | .. |
| ढांचागत विकास तथा क्षमता निर्माण | (क) | सामान्य | 1,37.99 | 1,76.73 | 3,08.37 |
| मानव संसाधन विकास | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 1,88.68 | .. | .. |
| योग | | | 36,52.78 | 40,46.76 | 29,71.05 |
| नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन | | | | | |
| आई एच एम एस, एफ सी आई एस आदि को सहायता | (क) | सामान्य | 69.79 | 3,68.71 | .. |
| सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु क्षमता निर्माण | (क) | सामान्य | 2,17.00 | 2,41.85 | 2,62.86 |
| योग | | | 2,86.79 | 6,10.56 | 2,62.86 |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------|----------|----------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| अन्य | | | | | |
| अक्षय ऊर्जा | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | सामान्य | 1,13,29.95 | 26,65.66 | 61,59.08 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण | (क) | सामान्य | 11,70.93 | 5,68.95 | 6,21.08 |
| राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना | बाल मजदूर परियोजना संस्थान | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | 2,67.74 | 4,80.93 | 2,13.58 |
| यू.आई.डी. परियोजना | (क) | सामान्य | .. | .. | 2,32.00 |
| असंगठित कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा | (क) | सामान्य | .. | 10,72.04 | .. |
| निश्चित गुणवत्ता, कोड़, स्टेण्डर्ड, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाएं | (क) | सामान्य | 39.13 | 1,58.50 | 81.50 |
| कम साक्षर जिलों में अनुसूचित जाति की लड़कियों हेतु शिक्षा का सुदृढीकरण | (क) | जन जाति उपयोजना | 96.65 | 1,09.77 | 3.00 |
| शहरी खेलकूद आधारभूत योजनाएं | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना | .. | 1,80.00 | 2,57.32 |
| फार्मा हेतु पूर्व योग्यता के लिए गहन सहायता | (क) | सामान्य | 6,84.00 | .. | .. |
| प्रौद्योगिकी शासन | (क) | सामान्य | .. | 28,80.86 | .. |
| क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता | (क) | सामान्य | 1,26.00 | 45.00 | .. |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (समाप्त)

| भारत सरकार की योजना | कार्यकारी अभिकरण | योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोगना अथवा अनुसूचित जाति उपयोगना | भारत सरकार द्वारा जारी | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 |
| | | | (₹ लाख में) | | |
| अन्य - (समाप्त) | | | | | |
| एफ पी आई आधारभूत विकास हेतु योजना | (क) | सामान्य | 2,02.67 | .. | .. |
| कौशल विकास प्रोत्साहन | (क) | सामान्य | 1,41.00 | 85.48 | .. |
| राजीव गांधी खेल अभियान (आर जी के ए) | (क) | सामान्य, जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना | 2,68.20 | .. | .. |
| एक करोड़ से कम की योजनाएं | | सामान्य, जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना | 16,23.84 | 15,66.14 | 20,35.47 |
| योग | | | 1,59,50.11 | 98,13.33 | 96,03.03 |
| कुल योग | | | 5,61,46.40 | 85,71,62.14 | 78,83,43.29 |

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

**परिशिष्ट संख्या VII - शेषों की स्वीकृति तथा समाधान
(विवरण संख्या 18 में दर्शाये अनुसार)**

अनुबन्ध 'क'

कर्जों से संबंधित काफी बड़ी राशि वाले शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति में हुए विलम्ब के उदाहरण, जिसके ब्यौरेवार लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं

| क्रम संख्या | लेखा शीर्ष तथा संस्थाओं के नाम * | प्रतीक्षित स्वीकृतियों की संख्या | पूर्वतम वर्ष जिससे स्वीकृतियां प्रतीक्षित हैं | 31 मार्च 2015 को इन मदों के प्रति बकाया राशि (₹ लाख में) |
|-------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 1. | 6215. जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज | 6 | 1973-74 | 5.71 |
| | | 2 | 1974-75 | 3.85 |
| | | 27 | 1978-79 | 1.38 |
| | | 14 | 1979-80 | 4.30 |
| 2. | 6216. आवास के लिए कर्ज | 6 | 1975-76 | 2.40 |
| 3. | 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज | 6 | 1968-69 | 0.31 |
| | | 6 | 1970-71 | 0.68 |
| | | 13 | 1971-72 | 0.25 |
| | | 8 | 1972-73 | 1.75 |
| | | 40 | 1982-83 | 2.80 |
| 4. | 6250. अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज | 1 | 1973-74 | 0.05 |
| | | 3 | 1975-76 | 0.42 |
| 5. | 7615. विविध कर्ज | 2 | 1968-69 | 0.16 |
| | | 1 | 1969-70 | 0.05 |
| | | 10 | 1970-71 | 10.00 |
| | | 5 | 1991-92 | 0.35 |

* संस्थाओं के नाम उपलब्ध नहीं है ।

परिशिष्ट संख्या VII - (समाप्त)

अनुबन्ध 'ख'

शेषों के समाधान में विभागीय/खजाना अधिकारियों से प्रतीक्षित ब्यौरे /सूचना के विवरण

| लेखा शीर्ष | पूर्वतम वर्ष जिससे अन्तर सम्बद्ध है | अन्तर की राशि | विभागीय अधिकारियों / खजाना अधिकारियों जिनके साथ अंतर अंक मिलान में है | प्रतीक्षित प्रलेखों का विस्तृत विवरण आदि |
|---|--|---------------|--|--|
| (₹ लाख में) | | | | |
| 7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज | | | | |
| 201. भवन निर्माण अग्रिम | 1969-70 | 69.79 जमा | विभागीय अधिकारी, चित्तौडगढ़ | खजाना अधिकारियों/ विभागीय अधिकारियों तथा सम्बद्ध प्राधिकारियों से पूर्ण विवरण, ब्यौरे/अनुसूचियां आदि, प्रतीक्षित है। |
| 202. मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम | 1978-79 | 0.59 जमा | | |

परिशिष्ट संख्या VIII - (i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय | | | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय | | | वर्ष के दौरान राजस्व प्रप्तियां | | | वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व की माफी | वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 12) | वर्ष के दौरान हुए कार्य चालन व्यय तथा अनुरक्षण | | | निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है | | | ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि | |
|----------|-----------------|-------------------------------|------------|-----|--------------------------------|------------|-----|---------------------------------|------------|-----|--|------------------------------------|--|------------|-----|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | योग | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | योग | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | योग | | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | योग | अधिक व्यय (कॉलम 16) | पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | अधिक व्यय पर का अधिशेष (+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

(₹ लाख में)

क. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|------------|-----------------|----------|-------------|----------|-------|----------|----|----------|--------------|---------|------------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|
| 1. भाखड़ा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा भाग) | 5,47.38 | 5.02 | 5,52.40 | 39,33.54 (क) | 22.09 | 39,55.63 | 8,23.06 | 8.23 | 8,31.29 | .. | 8,31.29 | 35,61.53 | 27.37 | 35,88.90 | (-) 27,57.61 | 69.71 | 3,72.30 | (-) 31,29.91 | 79.13 |
| 2. चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा भाग) | 1,52,27.61* | 1,36.85 | 1,53,64.46 | 5,38,31.30 (ख) | 3,92.45 | 5,42,23.75 | 16,45.38 | 16.46 | 16,61.84 | .. | 16,61.84 | 22,44.34 (घ) | 12.99 | 22,57.33 | (-) 5,95.49 | 1.10 | 38,76.40 (ङ.) | (-) 44,71.89 | 8.25 |
| 3. इंदिरा गांधी नहर परियोजना | 2,36,34.78 | 1,58.69 | 2,37,93.47 | 45,81,02.06 (ग) | 19,31.58 | 46,00,33.64 | 16,81.70 | 16.81 | 16,98.51 | .. | 16,98.51 | 1,31,56.78 | 57.68 | 1,32,14.46 | (-) 1,15,15.95 | 2.50 | 4,46,95.09 | (-) 5,62,11.04 | 12.22 |
| 4. गुडगांव नहर | 6,72.72 | 5.61 | 6,78.33 | 46,36.92 | 20.70 | 46,57.62 | 9.77 | 0.10 | 9.87 | .. | 9.87 | 1,76.83 | 1.48 | 1,78.31 | (-) 1,68.44 | 3.62 | 4,29.06 | (-) 5,97.50 | 12.83 |
| 5. जाखम परियोजना | 13,20.62 | 13.21 | 13,33.83 | 1,26,73.39 | 38.05 | 1,27,11.44 | 17.87 | 0.18 | 18.05 | .. | 18.05 | 2,75.54 | 2.19 | 2,77.73 | (-) 2,59.68 | 2.04 | 12,01.31 | (-) 14,60.99 | 11.49 |
| 6. गंग नहर | 44,01.98 | 40.42 | 44,42.40 | 5,48,91.07 | 3,12.41 | 5,52,03.48 | 4,25.01 | 4.25 | 4,29.26 | .. | 4,29.26 | 21,57.69 | 11.13 | 21,68.82 | (-) 17,39.56 | 3.15 | 52,69.01 | (-) 70,08.57 | 12.70 |
| योग - क | 4,58,05.09 | 3,59.80 | 4,61,64.89 | 58,80,68.28 | 27,17.28 | 59,07,85.56 | 46,02.79 | 46.03 | 46,48.82 | .. | 46,48.82 | 2,15,72.71 | 1,12.84 | 2,16,85.55 | (-) 1,70,36.73 | 2.88 | 5,58,43.17 | (-) 7,28,79.90 | 12.34 |

(क) उपनिवेशन से सम्बन्धित ₹ 63.30 लाख शामिल नहीं है।

(ख) विद्युत हिस्से के ₹ 32,64.86 लाख, उपनिवेशन योजनाओं के ₹ 33.26 लाख और जल संग्रहण के ₹ 10.73 लाख का व्यय शामिल नहीं है।

(ग) उपनिवेशन ₹ 2,02.30 लाख, विश्व खाद्य कार्यक्रम ₹ 26.83 लाख, राजस्थान भूमि विकास निगम से फार्म विकास पर वसूली योग्य ₹ 7,47.29 लाख और पूंजीगत ब्याज ₹ 6,18.00 लाख से संबंधित व्यय शामिल नहीं है।

(घ) विद्युत हिस्से से संबंधित ₹ 2,09.16 लाख तथा ₹ 79.44 लाख शामिल नहीं हैं।

(ङ.) विद्युत हिस्से पर ब्याज से सम्बन्धित ₹ 2,34.19 लाख तथा ₹ 96.27 लाख शामिल नहीं है।

* विद्युत हिस्से पर व्यय ₹ 55.44 लाख शामिल नहीं है।

परिशिष्ट संख्या VIII - (क्रमशः)
(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम- (क्रमशः)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय | | | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय | | | वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति | | | वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व की माफी | वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12) | वर्ष के दौरान हुए कार्य चालन व्यय तथा अनुरक्षण | | | निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है | | | ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि | |
|----------|-----------------|-------------------------------|------------|-----|--------------------------------|------------|-----|-------------------------------|---------------------|-----|--|---|--|------------|-----|---|--|------------------------------------|--|--|
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | योग | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | योग | प्रत्यक्ष राजस्व | अप्रत्यक्ष प्राप्ति | योग | | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | योग | अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व का अधिशेष (+) (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का आधिक्य (-) | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज | अधिक व्यय पर राजस्व का अधिशेष (+) या अधिक व्यय पर अधिशेष (-) | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

(₹ लाख में)

ख. मध्यम सिंचाई - वाणिज्यिक

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|------|---------|----------|-------|----------|-------|------|-------|----|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|-------------|-------|
| 7. | जवाई नदी परियोजना सेई - डाइवर्जन योजना | .. | .. | .. | 6,97.36 | 12.21 | 7,09.57 | 77.02 | 0.77 | 77.79 | .. | 77.79 | 1,10.79 | 0.92 | 1,11.71 | (-) 33.92 | 4.78 | 69.74 | (-) 1,03.66 | 14.61 |
| 8. | मेजा परियोजना | 2,04.87 | 1.71 | 2,06.58 | 45,04.21 | 8.51 | 45,12.72 | 3.74 | 0.04 | 3.78 | .. | 3.78 | 2,04.81 | 1.71 | 2,06.52 | (-) 2,02.74 | 4.49 | 4,40.18 | (-) 6,42.92 | 14.25 |
| 9. | पार्वती परियोजना (धौलपुर) | 4,81.69 | 4.02 | 4,85.71 | 69,46.00 | 54.52 | 70,00.52 | 2.83 | 0.02 | 2.85 | .. | 2.85 | 3,13.97 | 2.62 | 3,16.59 | (-) 3,13.74 | 4.48 | 6,70.52 | (-) 9,84.26 | 14.06 |
| 10. | गुद्धा परियोजना | .. | .. | .. | 1,63.29 | 0.20 | 1,63.49 | 21.31 | 0.21 | 21.52 | .. | 21.52 | 85.01 | 0.71 | 85.72 | (-) 64.20 | 39.27 | 16.33 | (-) 80.53 | 49.26 |
| 11. | मोरेल परियोजना | .. | .. | .. | 2,35.54 | 0.29 | 2,35.83 | 0.28 | 0.01 | 0.29 | .. | 0.29 | 86.84 | 0.72 | 87.56 | (-) 87.27 | 37.01 | 23.55 | (-) 1,10.82 | 46.99 |
| 12. | अलनिया परियोजना | .. | .. | .. | 1,95.06 | 0.91 | 1,95.97 | 3.17 | 0.03 | 3.20 | .. | 3.20 | 1,46.37 | 1.23 | 1,47.60 | (-) 1,44.40 | 73.68 | 19.51 | (-) 1,63.91 | 83.64 |
| 13. | पश्चिम बनास परियोजना | .. | .. | .. | 67.03 | .. | 67.03 | 0.10 | .. | 0.10 | .. | 0.10 | 14.34 | 0.12 | 14.46 | (-) 14.36 | 21.42 | 6.70 | (-) 21.06 | 31.42 |
| 14. | वल्लभ नगर परियोजना | .. | .. | .. | 86.37 | .. | 86.37 | .. | .. | .. | .. | .. | 26.08 | 0.22 | 26.30 | (-) 26.30 | 30.45 | 8.64 | (-) 34.94 | 40.45 |

परिशिष्ट संख्या VIII - (क्रमशः)
(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम- (समाप्त)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय | | | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय | | | वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां | | | वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व माफी | वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12) | वर्ष के दौरान हुए कार्य चालन व्यय तथा अनुरक्षण | | | निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है | | | व्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि | |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|---|--|----------------|-------------------|---|--|------------------------------------|--|--|
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | योग | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | योग | प्रत्यक्ष राजस्व | अप्रत्यक्ष प्राप्तियां | योग | | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | योग | अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व का अधिशेष (+) (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का आधिक्य (-) | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज | अधिक व्यय का अधिशेष (+) या अधिक व्यय का अधिशेष (-) | वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ख. मध्यम सिंचाई - वाणिज्यिक- (समाप्त) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | बड़गांव पाल परियोजना | .. | .. | .. | 76.02 | .. | 76.02 | 0.73 | 0.01 | 0.74 | .. | 0.74 | 80.64 | 0.67 | 81.31 | (-) 80.57 | 105.99 | 7.60 | (-) 88.17 | 115.98 |
| 16. | ओराई सिंचाई परियोजना | .. | .. | .. | 63.42 | .. | 63.42 | 0.17 | .. | 0.17 | .. | 0.17 | 37.08 | 0.31 | 37.39 | (-) 37.22 | 58.69 | 6.34 | (-) 43.56 | 68.68 |
| 17. | वागन डार्डवर्जन परियोजना | .. | .. | .. | 13,96.62 | 0.64 | 13,97.26 | 0.81 | 0.01 | 0.82 | .. | 0.82 | 73.05 | 6.09 | 79.14 | (-) 78.32 | 5.61 | 1,39.66 | (-) 2,17.98 | 15.60 |
| | योग-ख | 6,86.56 | 5.73 | 6,92.29 | 1,44,30.92 | 77.28 | 1,45,08.20 | 1,10.16 | 1.10 | 1,11.26 | .. | 1,11.26 | 11,78.98 | 15.32 | 11,94.30 | (-) 10,83.04 | 7.47 | 14,08.77 | (-) 24,91.81 | 17.18 |
| | कुल योग | 4,64,91.65 | 3,65.53 | 4,68,57.18 | 60,24,99.20 | 27,94.56 | 60,52,93.76 | 47,12.95 | 47.13 | 47,60.08 | .. | 47,60.08 | 2,27,51.69 | 1,28.16 | 2,28,79.85 | (-) 1,81,19.77 | 2.99 | 5,72,51.94 | (-) 7,53,71.71 | 12.45 |

परिशिष्ट संख्या VIII - (क्रमशः)

(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम

विभागीय स्तर पर चलने वाला कोई विद्युत उपक्रम नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. गत वर्ष की तुलना में लाभ अथवा हानि के प्रतिशतता में वृद्धि/कमी निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | ब्याज की पूर्ति के बाद निवल हानि प्रतिशतता में | | वृद्धि (+)/ कमी (-) |
|---------|--|--|---------|---------------------|
| | | 2013-14 | 2014-15 | |
| 1. | भाखड़ा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा हिस्सा) | 103.55 | 79.13 | (-) 24.42 |
| 2. | चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा हिस्सा) | 10.28 | 8.25 | (-) 2.03 |
| 3. | इंदिरा गाँधी नहर परियोजना | 12.21 | 12.22 | (+) 0.01 |
| 4. | गुड़गाँव नहर | 14.08 | 12.83 | (-) 1.25 |
| 5. | जाखम परियोजना | 12.08 | 11.49 | (-) 0.59 |
| 6. | गंग नहर | 12.37 | 12.70 | (+) 0.33 |
| 7. | जवाई नदी परियोजना (सेई-डाइवर्जन स्कीम) | 22.00 | 14.61 | (-) 7.39 |
| 8. | मेजा परियोजना | 14.22 | 14.25 | (+) 0.03 |
| 9. | पार्वती परियोजना (धौलपुर) | 16.67 | 14.06 | (-) 2.61 |
| 10. | गुढ़ा परियोजना | 71.04 | 49.26 | (-) 21.78 |
| 11. | मोरेल परियोजना | 48.59 | 46.99 | (-) 1.60 |
| 12. | अलनिया परियोजना | 90.10 | 83.64 | (-) 6.46 |
| 13. | पश्चिमी बनास परियोजना | 35.19 | 31.42 | (-) 3.77 |
| 14. | वल्लभ नगर परियोजना | 41.97 | 40.45 | (-) 1.52 |
| 15. | बड़गाँव पाल परियोजना | 102.30 | 115.98 | (+) 13.68 |
| 16. | ओराई सिंचाई परियोजना | 129.79 | 68.68 | (-) 61.11 |
| 17. | वागन डाइवर्जन स्कीम | 15.25 | 15.60 | (+) 0.35 |

वृद्धि /कमी के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VIII - (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियां - (समाप्त)

2. **उत्पादक और अनुत्पादक निर्माण कार्य-** जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों का 'उत्पादक' या 'अनुत्पादक' वर्गीकरण, उनके प्रत्येक परियोजना से निर्माण संबंधी अनुमानों के संवरण दिनांक से दस वर्ष व्यतीत होने पर प्राप्त निवल राजस्व (सकल निर्धारित राजस्व में से कार्य चालन व्यय घटाकर) के अनुसार किया जाता है, चाहे वह निवेशित पूंजी पर निर्धारित वार्षिक ब्याज अंतर्निहित करता हो अथवा नहीं। 2014-15 के दौरान निर्धारित ब्याज की दर 10 प्रतिशत थी। यदि 'उत्पादक' माना गया कोई निर्माण - कार्य तीन क्रमिक वर्षों में निर्धारित प्रतिफल देने में असफल रहे तो उसे अनुत्पादक वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार 'अनुत्पादक' माना गया कोई निर्माण कार्य तीन क्रमिक वर्षों में निर्धारित प्रतिफल देने में सफल रहे तो उसे 'उत्पादक' वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कार्यों के वर्गीकरण में उनके 'उत्पादक' अथवा 'अनुत्पादक' होने का कोई संकेत नहीं किया गया (अगस्त 2015)।
3. **जल प्रभार की वसूली की बकाया -** विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार मार्च 2015 की समाप्ति तक जल प्रभार की ₹ 90,40.24 लाख की वसूली बकाया थी। निम्न परियोजनाओं में बकाया के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं :-

| क्रम संख्या | परियोजनाओं के नाम | वर्ष | | | | | योग |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010-11 तक | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | |
| 1. | भाखड़ा नांगल परियोजना | 10,86.95 | 1,84.60 | 1,71.89 | 2,40.64 | 2,96.62 | 19,80.70 |
| 2. | चम्बल परियोजना | 9,95.01 | 1,18.50 | 1,69.12 | 1,35.65 | 1,95.84 | 16,14.12 |
| 3. | इंदिरा गांधी नहर परियोजना (सी.ए.डी. सहित) | 8,83.92 | 4,33.43 | 5,64.11 | 6,10.76 | 11,24.65 | 36,16.87 |
| 4. | जाखम परियोजना | .. | .. | 0.11 | .. | 0.22 | 0.33 |
| 5. | गंग नहर | 3,14.44 | 1,38.76 | 1,63.08 | 1,65.48 | 2,63.89 | 10,45.65 |
| 6. | जवाई नदी परियोजना | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | .. |
| 7. | मेजा परियोजना | 0.68 | .. | .. | .. | .. | 0.68 |
| 8. | मोरेल परियोजना | 2.78 | .. | .. | 0.07 | 0.55 | 3.40 |
| 9. | अलनिया परियोजना | 3.22 | .. | .. | .. | .. | 3.22 |
| 10. | ओराई सिंचाई परियोजना | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | .. |
| 11. | माही परियोजना | 1,65.70 | 1,22.12 | 1,16.65 | 1,27.44 | .. | 5,31.91 |
| 12. | परवन लिफ्ट | 21.19 | 7.41 | 7.70 | 8.91 | 10.40 | 55.61 |
| 13. | बीसलपुर परियोजना देवली | 45.23 | 23.32 | 48.63 | 60.32 | .. | 1,77.50 |
| 14. | हरीश चन्द्र सागर | 6.95 | 0.29 | 0.27 | 1.66 | 1.08 | 10.25 |
| | योग | 35,26.07 | 10,28.43 | 12,41.56 | 13,50.93 | 18,93.25 | 90,40.24 |

टिप्पणी: मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जवाई नदी तथा औराई सिंचाई परियोजना से संबंधित सूचना बार-बार लिखे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

परिशिष्ट संख्या IX- सरकार की वचनबद्धता
अधुरे पूंजी निर्माण कार्यों की सूची *

अधुरे निर्माण कार्यों का सारांश

(₹ लाख में)

| अवधि | जल संसाधन विभाग | | लोक निर्माण विभाग | | | | जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग | | योग | |
|---------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | भवन | | सड़कें | | | | | |
| | कार्यों की संख्या | कार्य की लागत (संशोधित लागत, यदि कोई है, को सम्मिलित करते हुए) | कार्यों की संख्या | कार्य की लागत (संशोधित लागत, यदि कोई है, को सम्मिलित करते हुए) | कार्यों की संख्या | कार्य की लागत (संशोधित लागत, यदि कोई है, को सम्मिलित करते हुए) | कार्यों की संख्या | कार्य की लागत (संशोधित लागत, यदि कोई है, को सम्मिलित करते हुए) | कार्यों की संख्या | कार्य की लागत (संशोधित लागत, यदि कोई है, को सम्मिलित करते हुए) |
| 1995 से पूर्व | 1 | 24,81,49.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 24,81,49.00 |
| 1995-2000 | 4 | 3,68,29.11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 3,68,29.11 |
| 2000-2005 | 2 | 58,68.99 | .. | .. | .. | .. | 3 | 11,90,34.00 | 5 | 12,49,02.99 |
| 2005-2010 | 13 | 8,66,45.41 | 1 | 27,96.16 | 6 | 1,17,40.00 | 15 | 45,72,30.90 | 35 | 55,84,12.47 |
| 2010-2015 | 30 | 36,26,95.05 | 29 | 4,79,81.36 | 40 | 9,82,44.58 | 55 | 1,68,48,51.58 | 154 | 2,19,37,72.57 |
| योग | 50 | 74,01,87.56 | 30 | 5,07,77.52 | 46 | 10,99,84.58 | 73 | 2,26,11,16.48 | 199 | 3,16,20,66.14 |

* यह 31 मार्च 2015 को अपूर्ण कार्यों के संबंध में विभाग द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है तथा परियोजनाएं जिनकी स्वीकृत लागत अथवा संशोधित लागत ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक हैं, सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. सं. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|----------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग | | | | | | | | | | | | |
| 1. | नर्मदा, जालौर | 4,67,53.00 | एफ-3(52) ए एस आई/सैल/ 84/ 350 दिनांक 14/03/94 | 1993-94 | 2015-16 | .. | 1,55,62.46 | 22,19,70.15 | .. | 24,81,49.00 | .. | |
| 2. | भवंरसेमला, चित्तौड़गढ़ I | 11,25.02 | एफ-3(49)ए एस आई/ सैल/ 84/225 दिनांक 02/02/96 | 1995-96 | 2015-16 | .. | 4,38.13 | 25,98.18 | .. | 36,30.11 | 31/03/12 | |
| 3. | गरड़दा | 81,40.64 | एफ -3(41)/ ए एस आई /सैल/ 81/23 दिनांक 04/01/99 | 1998-99 | 2015-16 | .. | 2,14.77 | 1,35,82.33 | .. | 2,46,16.00 | .. | |
| 4. | भवनदास नहर | 19,83.00 | एफ -3(12) ए एस आई/ सैल/96/532 दिनांक 13/07/99 | 1999-2000 | 2015-16 | .. | 31.57 | 38,54.40 | .. | 47,96.00 | .. | |
| 5. | होंडा खेरा पिकअप वियर | 16,63.00 | एफ -3(12) ए एस आई/सैल/ 96/532 दिनांक 13/07/99 | 1999-2000 | 2015-16 | .. | 14,08.00 | 27,79.30 | .. | 37,87.00 | 31/03/12 | |
| 6. | साबरमती | 10,23.00 | एफ-3(12) /ए एस आई / सैल /96/424-25 दिनांक 19/11/01 | 2002-03 | 2015-16 | .. | 5,01.96 | 14,01.82 | .. | 29,83.00 | .. | |
| 7. | खोह | 14,68.40 | एफ-3(12) /ए एस आई / सैल /96/V/834 दिनांक 23/08/07 | 2007-08 | 2015-16 | .. | 2.18 | 6,88.51 | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. सं. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|--|-------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|----------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | (₹ लाख में) | | | | | | |
| क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| 8. | चाकन | 24,67.00 | एफ -3(12) /ए एस आई / सैल /96/V-341 दिनांक 15/05/07 | 2007-08 | 2015-16 | .. | 62.12 | 33,99.73 | .. | 36,22.78 | .. | |
| 9. | अहमदी | 18,97.00 | एफ -3(12) /ए एस आई / सैल /96/V-327 दिनांक 15/05/07 | 2007-08 | 2015-16 | .. | .. | 0.49 | .. | 28,92.65 | .. | |
| 10. | घोड़ाखोज | 15,44.00 | एफ -3(12) /ए एस आई / सैल /96/V-315 दिनांक 15/05/07 | 2007-08 | 2015-16 | .. | 37.79 | 16,05.88 | .. | 19,24.00 | .. | |
| 11. | कंनवारा | 14,26.68 | एफ 3 (12) ए एस आई/ सैल/96/ III/360 दिनांक 28/07/04 | 2004-05 | 2015-16 | .. | 1,33.34 | 24,32.70 | .. | 28,85.99 | .. | |
| 12. | रेवा | 21,55.38 | एफ3 (12) ए एस आई/ सैल/96/ IV/816 दिनांक 19/11/05 | 2005-06 | 2015-16 | .. | 4,35.72 | 31,80.96 | .. | 85,60.18 | 31/03/15 | |
| 13. | भीमनी | 22,01.45 | एफ 3 (12) ए एस आई/सैल/ 96/V/ 300 दिनांक 20/06/06 | 2006-07 | 2015-16 | .. | 5,89.51 | 19,84.40 | .. | 52,51.73 | .. | |
| 14. | तकली | 51,81.00 | एफ 3(49) ए एस आई/सैल/2001/457 दिनांक 19/07/06 | 2006-07 | 2015-16 | .. | 16,11.97 | 1,17,66.92 | .. | 1,31,44.00 | .. | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|--|--|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | | | (₹ लाख में) | |
| क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| 15. | पीपलाद | 33,64.00 | एफ 3(29) ए एस आई/सेल/82/3922 दिनांक 05/08/06 | 2007-08 | 2015-16 | .. | 95.79 | 78,25.20 | .. | 91,20.65 | .. |
| 16. | गागरीन | 80,12.00 | एफ 3(15) ए एस आई/सेल/81/469 दिनांक 19/07/06 | 2007-08 | 2015-16 | .. | 13,66.76 | 1,06,71.94 | .. | 1,85,29.00 | .. |
| 17. | लहासी | 44,73.00 | एफ 3(12) ए एस आई/सेल/96/ V/358 दिनांक 15/05/07 | 2007-08 | 2015-16 | .. | 6,35.22 | 1,22,51.29 | .. | 1,72,38.74 | .. |
| 18. | इंदिरा गाँधी नहर परियोजना स्टेज-II के अंतर्गत कम्पाउंड एरिया सर्वे तथा माइक्रो कम्प्यूटराइजेशन अध्ययन का क्षेत्र | 10,72.77 | सैक/ आई जी एन बी/एफ-4(46)2009 दिनांक 08/02/10 | 2009-10 | 2015-16 | 82.00 | 1,56.00 | 10,66.41 | .. | 12,34.11 | .. |
| 19. | घाट पीक बेयर | 15,02.75 | एफ.- 3(12) ए एस आई/सैल/96/X/890-900 दिनांक 08/04/11 | 2011-12 | 2015-16 | .. | 42.52 | 9,97.87 | .. | .. | .. |
| 20. | पीपलोन | 23,53.43 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XII/2716-27 दिनांक 01/11/11 | 2011-12 | 2015-16 | .. | 7,17.82 | 22,87.71 | .. | 4,11,13.53 | .. |
| 21. | राजगढ़ मीडियम (नाबार्ड) | 1,92,12.80 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/836 दिनांक 01/06/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 18,48.55 | 40,45.64 | .. | .. | .. |
| 22. | दोहरी माइनर | 21,30.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1137 दिनांक 04/07/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | .. | 4.57 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|--|--|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | |
| क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| 23. | अकोली | 11,72.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/3305 दिनांक 21/12/11 | 2011-12 | 2015-16 | .. | 52.74 | 5,56.98 | .. | .. | .. |
| 24. | हदमथिया | 13,22.68 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1228 दिनांक 20/07/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | .. | 2,52.85 | .. | .. | .. |
| 25. | वासा | 30,66.19 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/2059 दिनांक 30/11/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 11,38.24 | 16,22.54 | .. | .. | .. |
| 26. | भंगारा नहर की रीमोडलिंग आर डी 2.50 किमी से 28.50 किमी तथा भंगारा नहर का निर्माण आर डी 0 किमी से 4 किमी ऑफ्टेकिंग भंगारा नहर से आर डी 28.50 किमी (एम आई एस-1) | 60,46.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/823 दिनांक 01/06/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 10,75.28 | 15,83.77 | .. | .. | .. |
| 27. | आई जी एम एन की आर डी 109 पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण (साहवा लिफ्ट हेड) | 19,57.14 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/12/1573 दिनांक 01/06/2012 | 2013-14 | 2016-17 | .. | 8,77.74 | 16,77.74 | .. | .. | .. |
| 28. | आर डी 4 से 8 किमी (एम आई एस-II) से खामेरा नहर का निर्माण | 11,45.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/823 दिनांक 01/06/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 2,61.48 | 5,09.06 | .. | .. | .. |
| 29. | आर डी 11 से 14 किमी (एम आई एस-IV) से खामेरा नहर का निर्माण | 15,88.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/823 दिनांक 01/06/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 2,80.00 | 2,82.50 | .. | .. | .. |
| 30. | वरुण्डा | 11,29.53 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1263 दिनांक 26/07/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 1,73.06 | 6,45.95 | .. | .. | .. |
| 31. | आर डी 26.32 किमी पर सब माइनर को सम्मिलित करते हुए एल एम सी से पाटन माइनर ऑफ टैकिंग का निर्माण | 11,25.78 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1190-1201 दिनांक 18/04/13 | 2013-14 | 2015-16 | .. | 6,25.00 | 6,87.03 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|--|---|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| 32. | परवन पीकअप वेरिम (ई आर एम) | 25,54.20 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/991-1000 दिनांक 05/04/13 | 2013-14 | 2016-17 | .. | 6,94.53 | 7,22.09 | .. | .. | .. | |
| 33. | बडानयागांव | 32,40.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1523-1535 दिनांक 24/4/2013 | 2013-14 | 2016-17 | .. | 3.28 | 6.96 | .. | .. | .. | |
| 34. | बी बी एस सी आर डी 105 से 115 किमी (एम आई एस-IX) | 42,50.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1254-1266 दिनांक 18/4/2013 | 2013-14 | 2015-16 | .. | 5,92.44 | 5,94.44 | .. | .. | .. | |
| 35. | बी बी एस सी आर डी 92.01 से 105 किमी (एम आई एस- VIII) | 44,27.20 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1241-1253 दिनांक 18/04/2013 | 2013-14 | 2015-16 | .. | 4,56.00 | 4,58.00 | .. | .. | .. | |
| 36. | बी बी एस सी आर डी 115 से 118.59 किमी (एम आई एस-X) | 15,31.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1929-1941 दिनांक 03/05/2013 | 2013-14 | 2015-16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 37. | बी बी एस सी आर डी 118.59 से 120.84 किमी (एम आई एस-XI) | 14,22.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1942-1954 दिनांक 03/05/2013 | 2013-14 | 2015-16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 38. | साबरमती-II | 11,58.88 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIV/4150 दिनांक 30/09/13 | 2013-14 | 2015-16 | .. | 1.66 | 10.28 | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|--|--|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| 39. | जाखम (ई आर एम) | 49,99.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/2113-2125 दिनांक 13/05/2013 | 2013-14 | 2015-16 | .. | 13,20.62 | 16,20.62 | .. | .. | .. | |
| 40. | माही केनाल प्रणाली (ई आर एम) | 64,91.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1267-1279 दिनांक 18/04/2013 | 2013-14 | 2015-16 | .. | 18,93.44 | 35,20.95 | .. | .. | .. | |
| 41. | परवान | 23,60,43.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIV/3050 दिनांक 30/08/2013 | 2013-14 | 2017-18 | .. | 1,18.98 | 6,10.03 | .. | .. | .. | |
| 42. | हनुमानवाला एनीकट | 24,59.04 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1433 दिनांक 15/09/2013 | 2013-14 | 2016-17 | .. | 6,73.25 | 7,37.65 | .. | .. | .. | |
| 43. | श्री हरदेव जोशी केनाल (ई आर एम) | 20,47.24 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1059 दिनांक 04/07/12 | 2012-13 | 2016-17 | .. | 5,04.99 | 17,45.14 | .. | .. | .. | |
| 44. | सोमकमला अम्बा (ई आर एम) | 13,81.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1098 दिनांक 04/07/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 1,23.35 | 14,08.13 | .. | .. | .. | |
| 45. | पाचना गुडिया लिफ्ट योजना (ई आर एम) (एस पी) | 13,21.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 X/332 दिनांक 23/02/10 | 2010-11 | 2015-16 | .. | 0.87 | 6,29.85 | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|--|---|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|----------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (समाप्त) | | | | | | | | | | | | |
| 46. | चाम्बी आर एम सी का रेब | 14,00.09 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/2131-4142 दिनांक 19/12/2012 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 13,27.05 | 19,76.99 | .. | .. | .. | |
| 47. | परासी वितरिका का रेस्ट | 12,79.00 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/3328 दिनांक 12/12/11 | 2011-12 | 2015-16 | .. | 6,69.55 | 13,67.09 | .. | .. | .. | |
| 48. | जसवंत सागर (ई आर एम) (एस पी) | 16,26.22 | एफ-3(81) ए एस आई/सैल/96 78/1604 दिनांक 07/03/08 | 2009-10 | 2015-16 | .. | 1,81.97 | 13,69.15 | .. | .. | .. | |
| 49. | पीडं | 9,66.99 | एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 96/1834 दिनांक 23/08/07 | 2007-08 | 2015-16 | .. | 5,50.49 | 5,58.38 | .. | 20,32.95 | 31/03/12 | |
| 50. | बी बी एस सी आर डी 78.88 से 91.01 (एम आई एस-VII) टी ए डी | 41,80.00 | एफ-13(12) ए एस आई/सैल/96 XIII /979 दिनांक 05/04/13 | 2013-14 | 2015-16 | .. | 6,00.00 | 12,00.00 | .. | .. | .. | |
| योग- क | | | | | | | 4,00,88.19 | 33,67,50.57 | | | | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|---------------------------------------|--|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|----------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन | | | | | | | | | | | |
| 1. | एस.एम.एस. हास्पिटल जयपुर में ट्रामाटोलोजी तथा ऑर्थोपेडिक्स इन्स्टीट्यूट भवन का निर्माण | 14,80.00 | एफ16(83) एम ई/ग्रेड-1/ 08 दिनांक 28/01/10 | 2009-10 | 2012-13 | .. | 3,15.75 | 22,66.38 | .. | 27,96.16 | 27/02/13 |
| 2. | पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, नागौर का निर्माण | 14,00.00 | पी-17(31)एम इ डी/ ग्रेड-2/ 2009 दिनांक 28/04/10 | 2010-11 | 2012-13 | .. | 30.84 | 9,64.14 | .. | .. | .. |
| 3. | 1000 दोषी कैदियों, कोटा के लिए नया जेल भवन | 31,12.00 | 3/4059/जेल/ पी/11-12 दिनांक 07/02/2012 | 2011-12 | .. | .. | 1,90.56 | 1,92.84 | .. | .. | .. |
| 4. | 1000 दोषी कैदियों, दौसा के लिए नया जेल भवन | 31,12.00 | 4/4059/जेल/ पी/11-12 दिनांक 07/02/2012 | 2011-12 | .. | .. | 15,42.80 | 15,47.00 | .. | .. | .. |
| 5. | हार्डकोर्ट केम्पस, जयपुर में एडवोकेट चैम्बरस भूतल पार्किंग का निर्माण | 12,77.00 | 215/4059/जस्ट/ पी/11-12 दिनांक 27/07/2011 | 2011-12 | 2012-13 | .. | 3,27.00 | 19,73.28 | .. | .. | .. |
| 6. | सी एच सी केकडी का निर्माण | 12,46.69 | पी-17/सी एच सी/ जी-2/09 दिनांक 20/04/2011 | 2011-12 | .. | .. | 2,10.81 | 15,62.69 | .. | 14,76.92 | 31/03/14 |
| 7. | स्नातक तथा स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि के विरुद्ध अकादमी भवन का निर्माण | 28,22.00 | एफ-19(28)/एम ई/ ग्रेड-1/ 2011 दिनांक 30/05/2011 | 2011-12 | 2014-15 | .. | 67.47 | 11,87.78 | .. | .. | .. |
| 8. | महात्मा गाँधी अस्पताल, जोधपुर में आपातकालीन कमरे में वृद्धि का निर्माण | 12,00.00 | पी पी 18(15)/एम.ई/ ग्रेड-1/ 10 दिनांक 29/04/2010 | 2010-11 | .. | .. | 1,66.33 | 8,06.96 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|---------|--|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | | | (₹ लाख में) | |
| ख. | सार्वजनिक निर्माण विभाग- (क्रमशः) भवन- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 9. | एम डी एम अस्पताल, जोधपुर में स्नातकोत्तर छात्रावास का निर्माण | 17,73.00 | पी-18(32)एम ई / केम्पस/ 1/2011 जोधपुर दिनांक 23/11/2011 | 2011-12 | 2013-14 | .. | 1,14.39 | 13,00.52 | .. | .. | .. |
| 10. | बयाना में राजकीय बालिका कॉलेज तथा छात्रावास का निर्माण | 10,63.69 | एफ 20 (101)56/प्लान/ 10/2301 दिनांक 09/03/2012 | 2011-12 | .. | .. | .. | 1.84 | .. | .. | .. |
| 11. | 1000 परीक्षण के अन्तर्गत कैदियों, कोटा के लिए नया जेल भवन | 20,54.00 | 2/4059/जेल/ पी/11-12 दिनांक 07/02/2012 | 2011-12 | .. | .. | 1,90.47 | 1,93.26 | .. | .. | .. |
| 12. | विद्यमान महाविद्यालय के द्वितीय तल पर नान् क्लीनिकल विभाग के लिए प्रयोगशाला | 11,38.03 | (क) | 2012-13 | 2014-15 | .. | 2,52.74 | 2,53.29 | .. | .. | .. |
| 13. | कनिष्ठ लड़कों का छात्रावास (नयी विंग) | 16,70.34 | (क) | 2012-13 | 2014-15 | 1.00 | 5,28.07 | 5,60.11 | .. | .. | .. |
| 14. | छात्रावास हेतु 150 कमरों का निर्माण | 13,26.20 | (क) | 2012-13 | 2014-15 | .. | 4,18.82 | 10,49.32 | .. | .. | .. |
| 15. | मेडिकल कालेज जोधपुर तथा उससे संबन्धित अस्पतालों के डाक्टरों तथा अन्य निजी सहायकों के निवास का निर्माण (एम ई /4210/पी/12-13) | 10,00.00 | (क) | 2012-13 | 2014-15 | .. | 5,57.63 | 6,21.33 | .. | .. | .. |
| 16. | न्यूरोलोजी, गेस्ट्रो-एन्ट्रोलोजी, नेफरोलोजी हेडमोथोलोजी सुपर स्पेशियलिटी वार्ड का निर्माण (एम ई /4210/पी/12-13) | 14,00.00 | (क) | 2012-13 | 2014-15 | .. | 5,92.25 | 7,15.16 | .. | .. | .. |

(क) सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|---------|--|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | | | (₹ लाख में) | |
| ख. | सार्वजनिक निर्माण विभाग- (क्रमशः) भवन- (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 17. | जिला न्यायालय परिसर, जयपुर में बेसमेंट पार्किंग तथा न्यायालय भवन का निर्माण | 49,54.00 | 7/4059/ज्यू डी/पी/सी एस एस/12-13 | 2012-13 | 2014-15 | .. | 1,88.09 | 2,88.06 | .. | .. | .. |
| 18. | नर्सिंग छात्रावास भवन मेडिकल कालेज, जोधपुर का निर्माण | 14,08.76 | 34/4210/एम ई/पी/2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | .. | 3,53.73 | 5,93.11 | .. | .. | .. |
| 19. | मानसिक अयोग्य महिला तथा बाल कल्याण पुर्नवास केन्द्र, जामडोली, जयपुर का निर्माण | 12,04.88 | 01/4235/एस जे इ डी/पी/2011-12 | 2011-12 | 2014-15 | .. | 1,89.67 | 9,36.24 | .. | .. | .. |
| 20. | राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जोधपुर | 13,78.00 | 01/4202/ एम ई/पी /2013-14 दि. 31.3.2014 | 2013-14 | .. | .. | 4,63.30 | 4,63.30 | .. | .. | .. |
| 21. | आडीटोरियम तथा परीक्षा हॉल | 11,62.91 | 357/4210/ ई/पी /12-13 | 2012-13 | .. | .. | 19.61 | 19.61 | .. | .. | .. |
| 22. | 300 छात्रों की क्षमता वाले एयर कंडीशनर सहित 5 नये व्याख्यान थियेटर का निर्माण | 11,73.27 | 326/4210/ एम ई/पी / 2012-13 | 2012-13 | .. | .. | 5,30.31 | 5,30.31 | .. | .. | .. |
| 23. | जोधपुर में 750 सीट वाले नये छात्रावास भवन का निर्माण | 24,24.38 | 330/4210/ एम ई/पी 12-13 | 2012-13 | .. | .. | 12,48.77 | 12,48.77 | .. | .. | .. |
| 24. | जोधपुर में 150 छात्रों की क्षमता वाले नये इन्टर छात्रावासों का निर्माण | 11,41.98 | 334/4210/ एम ई/पी 12-13 | 2012-13 | .. | .. | 4,25.65 | 4,25.65 | .. | .. | .. |
| 25. | डायमोनोस्टिक विंग कोटा का निर्माण | 10,00.00 | 28/4210/ ई/पी /13-14 | 2013-14 | .. | .. | 0.46 | 0.46 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|---|---|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|----------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | | | (₹ लाख में) | |
| ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग- (क्रमशः) भवन- (समाप्त) | | | | | | | | | | | |
| 26. | मेडिकल कालेज कोटा में 100 पी.जी. छात्रों वाले छात्रावास भवन का निर्माण (स्नातकोत्तर सेक्शनों की वृद्धि) | 10,94.00 | (क) | 2013-14 | .. | .. | 2,70.75 | 2,70.75 | .. | .. | .. |
| 27. | डायग्नोस्टिक विंग अजमेर का निर्माण | 10,00.00 | 26/4210/ एम ई/पी 2013-14 | 2013-14 | .. | .. | 3.13 | 3.13 | .. | .. | .. |
| 28. | एम एम एम मेडिकल कालेज बीकानेर मे ओ पी डी तथा अनुसंधान ब्लाक का निर्माण | 10,00.00 | (क) | 2011-12 | .. | .. | 3,38.16 | 3,38.16 | .. | .. | .. |
| 29. | डायग्नोस्टिक विंग, जयपुर | 17,14.00 | 30/4210/ एम ई/पी /13-14 | 2013-14 | .. | .. | 0.02 | 0.02 | .. | .. | .. |
| 30. | अजमेर मे महानिदेशक, रजिस्ट्रार एवं स्टाम्प विभाग के नये मुख्यालय भवन का निर्माण | 15,00.00 | 1/4059/ यू डी/पी सी एस एस /2012-13 | 2012-13 | .. | .. | 3,72.78 | 3,72.78 | .. | .. | .. |
| सड़कें | | | | | | | | | | | |
| 31. | सुकेत रामगंज मण्डी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 10,00.00 | सी.ई.पी.डब्ल्यू.डी पत्र सं. एफ.7 (1074) सेक्शन II/2006/ डी - 179 दिनांक 23/08/2006 | 2008-09 | 2016-17 | 25.00 | 4.87 | 7,95.32 | .. | 37,36.00 | 19/09/13 |
| 32. | धौलपुर एस डब्ल्यू एम जीजीसी मथुरा रोड़ पर आर ओबी का निर्माण (एस एच 1) किमी. 230 | 10,00.00 | एफ-7(1030) सेक्शन II/2005 डी-316 दिनांक 09/12/05 | 2007-08 | .. | 100.00 | .. | 21,56.60 | .. | 21,57.00 | 25/03/13 |
| 33. | रेलवे क्रॉसिंग (एस एच-2) किमी 3 पर मानिया मरेना रोड़ अप्रोच सहित आर ओ बी का निर्माण | 10,00.00 | सी.ई./पी.डब्ल्यू.डी पत्र सं. एफ-7 (1074) सेक्शन II/2006 डी- 39 दिनांक 19/03/2007 | 2011-12 | 2013-14 | .. | 3,09.78 | 17,70.97 | .. | 24,36.00 | 27/04/13 |

(क) सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक | |
|--|--|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | |
| ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| सड़कें-(क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| 34. | रास कामोस नागलेव जेठाना मांगलीवास रोड़ | 20,00.00 | एफ.-7(1236) सैक्शन-II/2007 डी-493 दिनांक 31/03/2007 | (क) | (क) | 100.00 | .. | 15,38.50 | .. | 13,30.00 | .. |
| 35. | बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण बीथ अप्रोच इन किमी.-104 ऑफ दूदू मालपुरा टोडारायसिंह खेरदा चान रोड़ (एस एच-37 ए) (मोरभाटियान से छान गाँव) | 11,82.61 | आर.डब्ल्यू/एन एच/12030/07/2009/पी एस-4/आर जे दिनांक 11/11/09 | 2010-11 | 2012-13 | .. | 2,67.11 | 9,20.36 | .. | .. | .. |
| 36. | भरतपुर मथुरा रोड़ पर आर ओ बी का निर्माण एस एच-24 अप्रोच सहित | 10,00.00 | एफ- 7(1630) / सेक्शन II/2005/डी-316 दिनांक 09/12/05 | 2006-07 | 2010-11 | 100.00 | 8.47 | 14,19.87 | .. | 14,22.00 | 06/03/13 |
| 37. | इटावा से जिला सीमा सवाई-माधोपुर वाया राजोपा खतौली खेतुदा थोई सड़क से दो लेन की चौड़ाई किमी 77/0 से 115/0 (एमडीआर 51) (इटावा-खेतुदा सेक्शन) | 19,82.11 | आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/07/2009 पी एस-4/आर जे दिनांक 04/03/10 | 2010-11 | 2012-13 | 32.00 | 38.22 | 6,54.81 | .. | .. | .. |
| 38. | दूदू-मालपुरा-टोडारायसिंह-के पाटन बरोड़-सिसवाली-बांरा-अकलेरा (एस एच 37ए) गाँव में सुरक्षा दीवार तथा रोड़ साइड ड्रेन का निर्माण। एक लेन की दो लेन चौड़ाई सड़क के नीचे स्तरीय भाग को उठाना। गाँव हिस्से में सी सी पेवमेन्ट का निर्माण | 21,00.00 | आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/07/2009 / पी एस-4/आर जे दिनांक 04/03/10 | 2010-11 | 2012-13 | .. | 3,41.73 | 21,26.99 | .. | .. | .. |
| 39. | फतेहनगर दरीबा खेण्डल रोड़ पर मजबूती तथा चौड़ाई | 15,62.00 | एफ.7(1419) /सेक्शन II/2010/ डी-86 दिनांक 17/06/10 | 2010-11 | 2011-12 | 100.00 | 9.44 | 14,29.83 | .. | .. | .. |

(क) सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. सं. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|---|---|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग- (क्रमशः) सड़कें - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| 40. | राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण सहित दो लेन चौड़ाई, वृद्धि तथा मजबूती वीद ज्यामिति सुधार तथा सी डी कार्य का निर्माण/ पुर्ननिर्माण किमी 0/0 से 5/0, 11/0 से 31/0, 51/0, 57/0 से 59/100 तथा किमी 64/250 से 88/500 | 1,22,08.41 | 011 ए/ आर जे/ 2009-10-06 दिनांक 12/03/10 | 2011-12 | 2013-14 | 92.00 | 3,87.65 | 79,27.05 | 11,12.35 | .. | .. |
| 41. | गलिया कोट पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 35,00.00 | आर.डब्ल्यू/ एन एच/12030/01/2011/ पी एस-4/आर जे/ दिनांक 15.03.2011 | 2011-12 | 2013-14 | .. | 3,12.31 | 10,81.06 | .. | .. | .. |
| 42. | अजमेर सीमा तक भीलवाड़ा सुवाना कोटरी पंडर सावर किमी 0/0 से किमी 75/0 (एम डी आर-56) | 32,00.20 | आर.डब्ल्यू/एन एच/12030/01 2011/पी एस-4/आर जे/ दिनांक 15/03/11 | 2012-13 | 2013-14 | 67.00 | 10,95.56 | 32,16.60 | .. | .. | .. |
| 43. | नहाली-भत्तर-भैरव जी-पीछवाड़ा-नेहरपुरा सड़क (एम डी आर-125) पर भैरेविल मंदिर के पास बनास नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण | 20,00.00 | आर.डब्ल्यू/एन एच/12030/01 2011/पी एस-4/आर जे/ दिनांक 15/03/11 | 2012-13 | 2014-15 | .. | 1,24.59 | 5,17.93 | .. | .. | .. |
| 44. | रामठला बजता घटियाली नपाखेरा सड़क पर खारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल | 12,01.00 | अति. शासन सचिव/पी.डब्ल्यू.डी राज पी सं. एफ-7(1259)/ सेक्शन 11/डी-109 दिनांक 03/06/08 | 2009-10 | (क) | 100.00 | .. | 8,63.58 | .. | .. | .. |

(क) सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|---|--|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | (₹ लाख में) | | | | | |
| ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| सड़कें - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| 45. | केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत द्वारा-कंकवास-डुलेट खानपुर सड़क (एम डी आर-55) पर उच्च स्तरीय पुल | 26,99.92 | आर डब्ल्यू/एन एच/12030/01/2013/पी एस-4/ आर जे/ दिनांक 04/06/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 27.00 | 13,79.25 | 21,11.92 | .. | .. | .. |
| 46. | मंगलवार बड़ीसादडी छोटी सादडी नीमच सड़क किमी 91/0 से 108/0 तथा 114/500 से 127/0 | 22,12.00 | आर डब्ल्यू/एन एच/12030/01/2013/पी एस-4/ आर जे/ दिनांक 04/06/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 20.00 | 13,98.78 | 18,09.98 | .. | .. | .. |
| 47. | बहराऊंडा खांडार बालेर करनपुर कैलादेवी करौली मसालपुर जगनेर रोड (एम डी आर-3) किमी 0/0 से 18/0 किमी की मजबूती (बहराऊंडा खुर्द - खांडार सेक्शन) | 18,00.00 | आर डब्ल्यू/एन एच/12030/01/2013/पी एस-4/ आर जे/ दिनांक 04/06/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 14.00 | 10,61.51 | 11,22.82 | .. | .. | .. |
| 48. | बीसाऊ माइसीसर मनसरेला पीलानी लुहारा सड़क (एम डी आर-82 हरियाणा सीमा तक) किमी 0/0 34/0 किमी की मजबूती (बिसाऊ चन्दू का बास सेक्शन) | 20,40.00 | आर डब्ल्यू/एन एच/12030/01/2013/पी एस-4/ आर जे/ दिनांक 04/06/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 30.00 | 11,99.06 | 19,45.19 | .. | .. | .. |
| 49. | दौसा मनोहपुर सड़क पर मिसिंग लिंक किमी 32/500 से 33/600 (1.10 किमी) का निर्माण | 10,39.71 | 011-ए-आर जे-2011-550 दिनांक 27/02/2012 | 2013-14 | 2014-15 | 10.00 | 3,45.46 | 6,20.00 | .. | .. | .. |
| 50. | प्रतापगढ आमोद पीपलोदा सड़क (एम डी आर-12 ए) किमी 17/0 से 52/0 की चोड़ाई तथा मजबूती | 21,00.00 | एफ-50(98) आर आइ डी एफ XVIII /एस आर/ सेक्शन-II/2012-13 डी-63 दिनांक 12/07/2012 | 2012-13 | 2013-14 | 100.00 | 4,73.64 | 19,67.64 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|---|--|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग- (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| सड़कें - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| 51. | किमी 99/0 से 120/0 की चौड़ाई तथा मजबूती (सी सी पेवमेन्ट कार्य बंशी धरियावाद (एम डी आर-167) | 11,80.00 | एफ-100(2) एम डी आर/ 2013-14/सेक्शन-II/ डी-557 दिनांक 19/09/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 100.00 | 7,25.59 | 11,75.58 | .. | .. | .. | |
| 52. | डूंगरपुर जिले में मांडली डम्बेला जोगपुर खाडागडा बिलुदा गढी सड़क (एम डी आर-43) किमी 25/0 से 34/0 से मजबूती तथा चौड़ाई, सागवाडा बने गलियाकोट सड़क (एम डी आर-137) किमी 81/0 से 92/2 की चौड़ाई तथा मजबूती | 24,85.02 | एफ-7(1848) सेक्शन-II/ 2013 डी-108 दिनांक 24/05/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 100.00 | 15,27.11 | 15,58.32 | .. | .. | .. | |
| 53. | आसपुर डूंगरपुर सरथुना (एस एच-54) सड़क (7.0 मीटर चौड़ाई) 75 एम एम बी एम तथा 25 एम एम एस डी बी सी किमी 0/0 से 23/0 (जाँब सं. 8/5054/ एस एच डब्ल्यू/ एस आर एफ/ प्लान/ 2012-13) | 18,14.00 | एफ-7(704) सेक्शन-II/ 2012 डी-361 दिनांक 21/12/2012 | 2012-13 | 2013-14 | 100.00 | 1,92.79 | 16,66.05 | .. | .. | .. | |
| 54. | आसपुर डूंगरपुर सरथुना (एस एच-54) सड़क (7.0 मीटर चौड़ाई) 75 एम एम बी एम तथा 25 एम एम एस डी बी सी किमी 0/0 से 23/0 (जाँब सं. 8/5054/ एस एच डब्ल्यू/ एस आर एफ/ प्लान/ 2012-13) | 15,40.00 | एफ-7(704) सेक्शन-II/ 2012 डी-361 दिनांक 21/12/2012 | 2012-13 | 2013-14 | .. | 4,36.46 | 16,07.02 | .. | .. | .. | |
| 55. | डूंगरपुर जिले में (किमी 0/0 से 20/0) तथा (किमी 20/0 से 37/0) थाना मेवाड से यू ओ पी से गुजरात सीमा (2 लेन) अपग्रेडेशन कार्य (जाँब सं.1 /5054/ ग्रामीण सड़के/ एस टी/प्लान 2013-14) | 45,00.00 | एफ-7(1897) सेक्शन-II/ 2013/ 289 दिनांक 14/08/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 50.00 | 20,12.97 | 22,30.33 | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|---------|---|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | | | (₹ लाख में) | |
| ख. | सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः) सड़कें - (क्रमशः) | | | | | | | | | | |
| 56. | बैन्सरोडगढ से एम पी सीमा सड़क किमी 36/0 से 62/0 का पुर्नवास | 15,60.00 | सी ई सं. एफ-7(1664) सेक्शन-II/2012/ डी-121 दिनांक 15/06/2012 | 2011-12 | 2012-13 | 60.00 | 6,55.54 | 8,79.77 | .. | .. | .. |
| 57. | साबरदा (एन एच-8) से अजमेर रोड वाया रूपनगड सलीमाबाद कुचील बाबाइचा किमी 3/0 से 7/0 तथा किमी 8/500 से 32/0, 32/0 से किमी 63/0 की चौड़ाई तथा मजबुती | 38,00.00 | 1/5054/एस एम एण्ड आर/ जनरल / पी/2013-14 | 2013-14 | 2014-15 | 100.00 | 20,81.12 | 26,57.49 | .. | .. | .. |
| 58. | मसुदा बीजानगर सड़क ओ डी आर-06 किमी 0/0 से 22/0 की चौड़ाई तथा मजबुती | 13,63.00 | 98/5059/आर आर/ जनरल /2013-14 | 2013-14 | 2014-15 | 100.00 | 8,89.00 | 10,03.16 | .. | .. | .. |
| 59. | बनास नदी पर एस एच 37-ए से बोटुण्डा राजमहल देवली (वी आर-23) सी डी कार्य का निर्माण | 20,83.00 | क्यू 501/490/1/2 आर आई डी एफ/ XVII/ आर एस ए एम बी/सेक्शन-II/2011-12 एम एच दिनांक 12/04/2012 | 2012-13 | 2013-14 | 100.00 | .. | 17,20.90 | .. | .. | .. |
| 60. | बेहरावांडा खांडार करनपुर कैलादेवी करौली मसालपुर जगनेर रोड (एम डी आर-3) किमी 132/0 से 170/0 | 19,27.74 | एफ-50(105) आर आई डी एफ-18/आई एस आर/सेक्शन-II/2012-13 डी-133 दिनांक 04/09/2012 | 2012-13 | 2013-14 | 90.00 | 7,79.19 | 17,65.88 | .. | .. | .. |
| 61. | नादौती-श्री महावीर जी रोड (एम डी आर-67) किमी 1/0 से 22/0 पर सी सी पेवमेन्ट की मजबुती/ पुनरुद्धार तथा निर्माण जांब सं. 17/5054/ एस एम एण्ड आर/एस टी/प्लान/13-14 | 16,00.00 | एफ-100(2)/ एम डी आर/ 1-14/डी-203 दिनांक 28/06/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 80.00 | 12,06.25 | 12,07.07 | .. | .. | .. |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|---|---|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | | | (₹ लाख में) | |
| ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग- (क्रमशः) सड़कें - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| 62. | एच एम एच करबे से एलनाबाद वाया टिब्बी तलवाडा रोड़ (एम डी आर-89) किमी 12/0 से 13/0 घघघर खंड चैनल ए आर डी-40-20 पर उच्चस्तरीय पुल का पुर्ननिर्माण | 15,00.00 | सी ई पी डब्ल्यू डी राज.जयपुर सं. एफ-50 (584) डी-1247 दिनांक 30/08/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 85.00 | 11,90.62 | 13,88.39 | .. | .. | .. |
| 63. | उदयपुरवाटी नवलगढ मुकुन्दगढ सड़क (एम डी आर-25 बी) किमी 21/200 से 24/00(शहरी क्षेत्र) पर चार लेन का निर्माण | 10,00.00 | एफ-7 (1921)/सी सी/ 2/212/ डी-208 दिनांक 22/07/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 60.00 | 3,97.57 | 5,28.68 | .. | .. | .. |
| 64. | अलवर जिले में कुशलगढ थानागाजी सड़क (एस एच-13) पर बायपास का निर्माण | 15,98.00 | एफ-12 (553)/सेक्शन-II/ 2008/ पार्ट- III ए/ डी-1553 दिनांक 07/06/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 60.00 | 3,91.34 | 7,09.74 | .. | .. | .. |
| 65. | कानवास से आजादपुर किमी 0/0 से 9/0 पर दो लेन सड़क की मजबुती तथा चौड़ाई (एम डी आर-55 ए) | 12,70.00 | (क) | 2013-14 | 2014-15 | 90.00 | 5,26.86 | 11,22.42 | .. | .. | .. |
| 66. | बांसबाडा जिले में घाटोल गानोदा-पालोदा गढी-आनन्दपुरी (एम डी आर-22) किमी 35/0 से 40/0 का पुर्नवास तथा उन्नयन | 17,40.00 | (क) | 2013-14 | 2013-14 | 90.00 | 12,78.12 | 14,87.83 | .. | .. | .. |
| 67. | बांसबाडा जिले में गिरी कालीनजरा-कुशालगढ सड़क (एम डी आर-43) किमी 60/0 से 69/0 का पुर्नवास तथा उन्नयन | 14,40.00 | (क) | 2013-14 | 2013-14 | 80.00 | 5,15.97 | 8,23.59 | .. | .. | .. |

(क) सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. सं. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|---|---|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|---------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग- (क्रमशः) सड़कें - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| 68. | आर ओ बी मकराना एल.सी.सं.36- सी डब्ल्यू सी आर | 10,00.00 | एफ-7(1074) सेक्शन- II 2005/37 दिनांक 19/03/2007 | 2006-07 | .. | 80.00 | 3,31.54 | 12,07.33 | .. | 18,94.00 | 31.3.15 | |
| 69. | आर ओ बी डाबाडे-मोडक एल सी सं. 472-बी- एन सी आर | 28,62.00 | एफ-7(1074) सेक्शन- II पार्ट-सी 2006/558 दिनांक 19/03/2012 | 2011-12 | 2014-15 | 80.00 | 4,56.56 | 22,42.50 | .. | .. | .. | |
| 70. | आर ओ बी फुलेरा एल सी.सं. 149-एन डब्ल्यू आर | 21,60.00 | एफ-7(1593) सेक्शन- II 2011/457 दिनांक 13/01/2012 | 2011-12 | .. | 60.00 | 5,32.61 | 19,22.49 | .. | 28,33.00 | 31.3.15 | |
| 71. | आर ओ बी श्री महावीर जी एल सी सं. 195- डब्ल्यू सी आर | 18,77.00 | एफ-7(1593) सेक्शन- II 2011/457 दिनांक 13/01/2012 | 2011-12 | 2014-15 | .. | .. | 9.90 | .. | .. | .. | |
| 72. | कोटा धामावाडा सड़क (एस एच 51) पर मजबूती, चौड़ाई, रेजिंग तथा सी सी पेवमेन्ट 290 सी डी कार्य (क) किमी 111.0 से 123.245, (ख) किमी 123.245 से 135.290, (ग) किमी 135.290 से 146.260 तथा (घ) किमी 146.260 से 157.525 | 98,50.00 | एफ-7(1852) सेक्शन- II/ 2013/डी-110 दिनांक 24/05/2013 | 2013-14 | 2014-15 | 87.00 | 6,80.62 | 21,07.83 | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. सं. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग- (समाप्त) | | | | | | | | | | | | |
| सड़कें - (समाप्त) | | | | | | | | | | | | |
| 73. | राजस्थान राज्य मे इपिक मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग- 162 ए पर मावली-फतेहपुर-खांडल सड़क पर किमी 32/500 से 50/500 पर पवेशहोल्डर का निर्माण | 12,87.94 | 162 ए/ आर.जे. 2013-14/ 580 दिनांक 17/07/13 | 2014-15 | 2015-16 | .. | 1.72 | 1.72 | 12,86.22 | .. | .. | |
| 74. | करौली कैला देवी सड़क एम डी आर-3 पीग्रीम से कांकरोली कैलादेवी सड़क 2 लेन से 4 लेन का उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 18,18.19 | एफ-7(2131) सेक्ट./2014 डी -51 दिनांक 04/06/14 | 2014-15 | 2015-16 | .. | 5.61 | 5.61 | .. | .. | .. | |
| 75. | राजस्थान राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग- 11 सी (दिल्ली जयपुर सड़क) पर सामयिक नवीनीकरण/ आई आर क्यू पी किमी 0/0 से 11/0 तथा 13/0 से 28/0 | 20,15.23 | एन.एच.79 ए/ आर.जे. 2013/ 14/58/11.2.2014 | 2014-15 | 2015-16 | 90.00 | 18,65.64 | 18,65.64 | 1,50.00 | .. | .. | |
| 76. | भीलवाडा-देवगढ़ वाया पनसाइ-बागौर-रायपुर सड़क (एम डी आर-166) किमी 14/0 से 26/0 तथा 30/0 से 63/0 का सुदृढीकरण तथा नवीनीकरण | 12,37.50 | (क) | 2014-15 | 2015-16 | 43.00 | 10,96.68 | 10,96.68 | 43.28 | .. | .. | |
| योग - ख | | | | | | | 3,84,35.27 | 9,06,75.19 | | | | |

(क) सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. सं. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|---|--|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|----------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग | | | | | | | | | | | | |
| 1. | भरतपुर (यू+आर) चम्बल से | 1,66,50.00 | पी पी सी 130 दिनांक 06/07/99 | 2001-02 | 2011-12 | .. | 25,03.91 | 2,63,17.59 | 60.94 | 5,48,69.00 | 28/01/13 | |
| 2. | चम्बल सवाई माधोपुर नादौती जलपूर्ति परियोजना | 4,78,91.00 | पी पी सी 157 दिनांक 22/09/04 | 2004-05 | 2015-16 | .. | 30,91.43 | 2,67,96.35 | .. | 5,67,00.00 | 19/09/13 | |
| 3. | धौलपुर जिले के डाँग परियोजना के अंतर्गत आर डब्ल्यू एस एस 82 गाँवों में जलपूर्ति परियोजना, सी.डी.बी. परियोजना | 87,02.00 | पी पी सी 172 दिनांक 17/08/06 | 2009-10 | 2011-12 | 100.00 | 3,49.25 | 77,54.85 | .. | 1,03,38.00 | 30/05/13 | |
| 4. | उम्मेद सागर ढाबा समदरी-खांडप | 3,64,93.00 | पी पी सी 174 दिनांक 01/02/07 | 2008-09 | 2014-15 | .. | 44,40.21 | 2,80,88.18 | .. | 5,75,46.00 | 27/09/11 | |
| 5. | नर्मदा "एफ आर" परियोजना | 3,03,38.00 | पी पी सी 174 दिनांक 01/02/07 | 2007-08 | 2014-15 | .. | 24,91.32 | 2,91,21.18 | 12,80.00 | 3,80,17.00 | 09/12/14 | |
| 6. | मानकलावो दांतीवाड़ा ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना | 3,08,00.00 | पी पी सी 172 दिनांक 17/08/06 | 2008-09 | 2014-15 | .. | 25,86.13 | 2,19,05.13 | 55,95.00 | .. | .. | |
| 7. | ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना पोकरण -फलसुन्ड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट परियोजना | 9,66,77.00 | पी पी सी 162 दिनांक 29/03/05 | 2008-09 | 2015-16 | .. | 2,45,70.47 | 6,49,33.50 | .. | 14,54,20.00 | 27/09/11 | |
| 8. | यूआईडीएसएसएमटी यूडब्ल्यूएसएस मकराना | 48,70.41 | एफ सी/ आर बी एफ एफ डी सी ओ/यू आई डी एस एस एम टी/2008-09/ 2142 दिनांक 20/08/08 | 2010-11 | 2013-14 | 100.00 | 99.44 | 34,30.62 | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|----------|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक |
| | | (₹ लाख में) | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | |
| 9. | संशोधित प्र. एवं वि. स्वीकृति-देवास-फेज II हेतु ₹ 55,70.00 लाख (पूर्व में पीपीसी-166/17.09.2005 से स्वीकृत) | 3,79,19.00 | एफ सी 561 दिनांक 29/11/07 | 2007-08 | 2014-15 | 100.00 | 24,98.73 | 3,35,06.23 | .. | .. | .. |
| 10. | नागौर लिफ्ट परियोजना फेज-I | 1,56,88.00 | पी पी सी 171 दिनांक 27/08/2006 | 2011-12 | 2014-15 | .. | 1,05,09.16 | 1,74,96.52 | 2,67,52.10 | .. | .. |
| 11. | एफ सी परियोजना के अंतर्गत अजमेर- पीसांगन के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति | 1,83,97.00 | पी पी सी 175 दिनांक 03/04/07 | 2007-08 | 2014-15 | .. | 1,46,89.80 | 1,68,84.58 | 15,99.00 | 2,21,34.00 | 13/10/08 |
| 12. | डब्ल्यू एस एस परियोजना रेवा फेज-II (कोटा क्षेत्र) | 48,50.09 | पी पी सी 179 दिनांक 03/12/07 | 2007-08 | 2014-15 | 100.00 | 4,01.54 | 53,30.62 | .. | 66,29.00 | 09/12/14 |
| 13. | डब्ल्यू एस एस परियोजना भीमनी फेज-II (कोटा क्षेत्र) | 28,98.96 | पी पी सी 187 दिनांक 03/12/07 | 2007-08 | 2013-14 | 90.00 | 15,30.66 | 19,44.09 | 67.00 | 30,80.00 | 27/09/11 |
| 14. | डब्ल्यू एस एस परियोजना माधवी (कोटा क्षेत्र) | 20,53.90 | पी पी सी 187 दिनांक 03/12/07 | 2007-08 | 2014-15 | 88.00 | 6,81.58 | 19,17.90 | .. | .. | .. |
| 15. | एफ सी परियोजना फेज -III के अंतर्गत भिनाय-मसूदा गाँव के एयूगमेन्शंसन ऑफ पाइपड् डब्ल्यू एस एस | 74,65.00 | पी पी सी 159 दिनांक 24/12/04 | 2004-05 | 2014-15 | 100.00 | 7,43.62 | 74,99.67 | .. | .. | .. |
| 16. | रेग डब्ल्यू एस एस आर जी एल सी आर डी के अन्तर्गत तहसील शेरागढ़ जिला जोधपुर के 264 गाँवों के लिए आधारभूत विकास कार्य | 2,34,46.00 | पी पी सी 178 दिनांक 11/10/07 | 2007-08 | 2014-15 | .. | 50,02.89 | 1,31,97.07 | 47,86.00 | .. | .. |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|--|---|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|----------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| 17. | रेग डब्ल्यू एस एस आर जी एल सी आर डी 177.5 तिवाड़ी-मथानिया- ओसियान- बावरी-भोपालगढ़ | 3,05,15.00 | पी पी सी 177 दिनांक 13/07/07 | 2008-09 | 2014-15 | .. | 37,67.52 | 2,05,95.03 | 76,64.19 | 4,30,06.00 | 20/02/10 | |
| 18. | आर डब्ल्यू एस एस 159.4 खुदीयाला जियाबेरी अगोली पार्ट-II, जिला जोधपुर | 74,38.00 | पी पी सी 174 दिनांक 01/02/07 | 2010-11 | 2013-14 | 100.00 | 3,81.21 | 75,89.92 | .. | .. | .. | |
| 19. | चम्बल भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना | 7,27,99.00 | पी पी सी 187 दिनांक 27/09/11 | 2012-13 | 2016-17 | .. | 1,66,82.30 | 4,81,67.30 | 1,93,24.10 | .. | .. | |
| 20. | आपनी योजना फेज-II | 1,66,50.00 | पी पी सी 130 दिनांक 30/05/13 | 2012-13 | 2016-17 | .. | 1,75,98.55 | 2,60,95.29 | .. | .. | .. | |
| 21. | बूंगी राजगढ़ परियोजना | 4,15,64.00 | पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 84,58.53 | 1,23,72.55 | .. | .. | .. | |
| 22. | शहरी जलपूर्ति योजना ,जोधपुर | 5,49,55.00 | पी पी सी 181 दिनांक 24/08/09 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 80,88.43 | 1,01,67.41 | .. | 7,40,50.00 | 30/05/13 | |
| 23. | जवाई पाइप लाइन परियोजना (फेज-II) | 1,99,40.00 | पी पी सी 187 दिनांक 27/09/11 | 2012-13 | 2014-15 | 93.00 | 45,73.05 | 60,46.21 | 28,42.00 | .. | .. | |
| 24. | बाड़मेर लिफ्ट परियोजना (फेज-II) | 2,02,36.00 | पी पी सी 187 दिनांक 27/09/11 | 2012-13 | 2014-15 | 29.00 | 30,00.00 | 45,84.00 | .. | .. | .. | |
| 25. | नर्मदा गुडालामनी जलपूर्ति परियोजना | 1,60,00.00 | पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12 | 2012-13 | 2015-16 | 42.00 | 44,99.94 | 45,68.61 | 65,57.00 | .. | .. | |
| 26. | नर्मदा डीआर जलपूर्ति परियोजना की ट्रांसमिशन प्रणाली | 1,29,63.00 | पी पी सी 175 दिनांक 03/04/07 | 2012-13 | 2015-16 | 61.00 | 42,67.80 | 55,39.02 | 47,52.00 | 2,18,34.00 | 24/08/12 | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. सं. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|--|--|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|----------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| 27. | चम्बल से बूंदी कस्बे तक मुख्य लिंक ट्रांसमिशन तथा अन्य ढांचागत | 74,37.00 | पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12 | 2012-13 | 2014-15 | 62.00 | 26,66.06 | 26,98.93 | 2,66.26 | .. | .. | |
| 28. | बीसलपुर टोंक उनियारा देवली जलपूर्ति परियोजना | 2,47,00.00 | पी पी सी 174 दिनांक 01/02/07 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 38,98.16 | 84,48.53 | .. | 5,42,11.00 | 24/08/12 | |
| 29. | बीसलपुर डेम से नावा तहसील के 72 गांवों की ग्रामीण जलपूर्ति योजना के लिए क्लस्टर पैकेज | 1,28,72.00 | पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12 | 2012-13 | 2014-15 | 87.00 | 40,98.58 | 55,79.34 | 1,00.00 | .. | .. | |
| 30. | बीसलपुर (सुरजपुरा) प्रणाली फिल्टर प्लांट पर 200 एम एल डी अतिरिक्त आवश्यकता | 1,07,00.00 | पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12 | 2012-13 | 2014-15 | 74.00 | 64,08.00 | 76,46.95 | .. | 1,50,53.00 | 30/05/13 | |
| 31. | बीसलपुर टोंक उनियारा देवली जलपूर्ति परियोजना से निवाई तथा टोंक तहसील के गांवों हेतु आर डब्ल्यू एस एस | 1,12,88.00 | पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12 | 2012-13 | 2015-16 | 33.00 | 19,93.16 | 26,19.72 | 2,00.00 | .. | .. | |
| 32. | आई जी एन पी से सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर तहसील के 283 गांवों तथा कस्बों के लिए जलपूर्ति परियोजना | 8,32,00.00 | पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12 | 2012-13 | 2015-16 | .. | 1,44,71.63 | 1,62,73.17 | .. | .. | .. | |
| 33. | शोभासर मे 40 एम एल डी डब्ल्यू टी पी का कमीशनिंग तथा पी डी आर ।। निर्माण | 13,16.00 | पी पी सी 186 द्वारा एण्डएफ दिनांक 24/12/10 | 2011-12 | 2012-13 | 90.00 | 6,30.00 | 9,16.77 | .. | .. | .. | |
| 34. | ई ई बीसलपुर खण्ड- II अजमेर | 1,66,42.00 | (क) दिनांक 28/12/07 | 2008-09 | 2014-15 | .. | 34,04.33 | 41,16.80 | 19,52.00 | .. | .. | |
| 35. | नागौर लिफ्ट परियोजना फेज-II | 29,38,00.00 | पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12 | 2013-14 | 2016-17 | .. | 29,58.06 | 29,74.68 | 15,08.00 | .. | .. | |

(क) सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. सं. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| 36. | चम्बल भीलवाडा क्लस्टर परियोजना फेज-II | 14,95,68.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2016-17 | .. | 1,87,95.87 | 1,89,46.72 | .. | .. | .. | |
| 37. | पीपलाद जलपूर्ति परियोजना यू डब्ल्यू एस एस बानी मंडी एवं सूनी तथा 14 एनरूट | 32,84.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2015-16 | 50.00 | 9,45.69 | 12,65.69 | .. | .. | .. | |
| 38. | यू डब्ल्यू एस एस जालौर, जालौर कस्बे को मेन ओ एम आर पम्पिंग ट्रंक | 62,20.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2012-13 | 2014-15 | .. | 26,85.72 | 37,90.72 | 11,39.24 | .. | .. | |
| 39. | आर डब्ल्यू एस एस शियो एवं रामसर बाड़मेर जिला रोम नरमदा | 6,39,50.00 | पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13 | 2013-14 | 2017-18 | 14.00 | 54,99.32 | 1,15,63.32 | .. | .. | .. | |
| 40. | भीनमाल तहसील तथा भीनमाल कस्बे के 256 गांवों के आर डब्ल्यू एस एस की नर्मदा ई आर परियोजना के लिए ट्रंकमेन | 4,55,16.00 | पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13 | 2013-14 | 2016-17 | 14.00 | 26,37.94 | 62,53.94 | .. | .. | .. | |
| 41. | जावल क्लस्टर परियोजना फेज- II पार्ट- II | 3,66,96.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2015-16 | .. | 67,02.46 | 88,77.46 | .. | .. | .. | |
| 42. | मलार-जोड़-हिंगाडोल (फलौदी) | 35,97.00 | एस एल एस एस सी 8 दिनांक 09/05/12 | 2013-14 | 2015-16 | 33.00 | 6,33.00 | 6,40.00 | 17,44.13 | .. | .. | |
| 43. | कानसिंह-की-सीड किसहर्ट मेनआओर | 36,02.00 | एस एल एस एस सी 8 दिनांक 09/05/12 | 2013-14 | 2014-15 | 83.00 | 6,99.81 | 11,84.81 | 13,82.00 | .. | .. | |
| 44. | आर जी एल सी से आर डब्ल्यू एस एस बावरी कला खारा जालौदा | 1,20,81.00 | पी पी सी 190 दिनांक 17/04/12 | 2013-14 | 2016-17 | 26.00 | 15,63.17 | 28,94.17 | .. | .. | .. | |
| 45. | आर जी एल सी से आर डब्ल्यू एस एस गाठोर-कानासर-बाप | 88,95.00 | पी पी सी 190 दिनांक 17/04/12 | 2013-14 | 2016-17 | 38.00 | 14,48.71 | 15,50.71 | 55,20.71 | .. | .. | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|--|--|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| 46. | आर डब्ल्यू एस एस पांचला घवेरा चैरल परियोजना, कम्बाइन्ड पैकेज | 3,96,63.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2016-17 | 14.00 | 27,26.75 | 45,15.75 | .. | .. | .. | |
| 47. | बांसवाडा जलपूर्ति परियोजना, सरवानीयान बांध से मेन ट्रांसमिशन तथा क्लस्टर पैकेज | 1,54,95.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2015-16 | 34.00 | 24,99.84 | 39,66.84 | .. | .. | .. | |
| 48. | माही डेम से बांसवाडा प्रतापगढ जलपूर्ति परियोजना | 5,60,00.00 | पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13 | 2013-14 | 2016-17 | 20.00 | 46,78.94 | 88,46.94 | .. | .. | .. | |
| 49. | बीसलपुर दूदू जलपूर्ति परियोजना, फागी (चाकसू, फागी, बस्सी) | 2,17,24.00 | आर डब्ल्यू एस एस एम बी-66 दिनांक 19/03/13 | 2013-14 | 2015-16 | 29.00 | 17,30.19 | 58,77.19 | .. | .. | .. | |
| 50. | बीसलपुर दूदू जलपूर्ति परियोजना, चाकसू (चाकसू, फागी, बस्सी) | 2,54,45.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2015-16 | 20.00 | 28,14.69 | 50,36.69 | .. | .. | .. | |
| 51. | बीसलपुर दूदू जलपूर्ति परियोजना, बस्सी (चाकसू, फागी, बस्सी) | 2,99,55.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2015-16 | 19.00 | 28,19.21 | 55,11.21 | .. | .. | .. | |
| 52. | चम्बल धौलपुर भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II | 7,20,31.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2016-17 | .. | 36,00.01 | 79,42.01 | 2,09.31 | .. | .. | |
| 53. | 43 हेबिडेशन उदासर मे सर्विस लेवल सुधार द्वारा केनाल पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना | 23,42.00 | एस एल एस एस सी 10 दिनांक 17/04/13 | 2013-14 | 2015-16 | 87.00 | 10,76.34 | 11,70.31 | 2,00.00 | .. | .. | |
| 54. | रा वाटर 236 आर डी से सुरतगढ को राइजिंग मेन पाइप लाइन को बदलना | 15,41.79 | आर डब्ल्यू एस एस एम बी 3 दिनांक 20/05/13 | 2013-14 | 2015-16 | 100.00 | 11,09.00 | 13,57.35 | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|--|--|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|----------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | (₹ लाख में) | | | | | | |
| ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (क्रमशः) | | | | | | | | | | | | |
| 55. | यू डब्लू एस एस हनुमानगढ़ फेज- II का पुर्नगठन | 16,28.94 | आर डब्लू एस एस एम बी 13 दिनांक 20/11/12 | 2013-14 | 2014-15 | .. | .. | 5,17.00 | .. | .. | .. | |
| 56. | ए एन जी डब्लू एस एस 193 आर डी सेम-बीडा काऊओर्ड-केशूवो की बस्ती, तहसील तथा जिला-जैसलमेर | 26,74.00 | एस एल एस एस सी दिनांक 06/05/11 | 2013-14 | 2014-15 | 90.00 | 19,84.17 | 22,00.68 | .. | .. | .. | |
| 57. | यू डब्लू एस एस बालोतरा का पुर्नगठन | 10,79.71 | आर डब्लू एस एस एम बी 1238245 दिनांक 17/04/13 | 2013-14 | 2014-15 | .. | 12,24.26 | 14,04.60 | 5,29.58 | .. | .. | |
| 58. | डब्लू एस पी बोरावास मंडाना | 1,18,04.00 | पी पी सी 187 दिनांक 27/09/11 | 2011-12 | 2014-15 | 45.00 | 16,84.92 | 35,34.92 | .. | .. | .. | |
| 59. | डब्लू एस पी गागरीन | 2,56,56.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2016-17 | 21.00 | 32,57.69 | 61,54.69 | .. | 3,51,48.00 | 04/10/13 | |
| 60. | नागदा अंता बलदेवपुरा | 57,10.27 | पी पी सी 186 दिनांक 24/12/10 | 2013-14 | 2014-15 | 52.00 | 28,16.36 | 37,19.26 | .. | 78,98.00 | 24/08/12 | |
| 61. | संडकिया कुन्दनपुरा रामगंज मण्डी जलपूर्ति परियोजना | 17,14.00 | एस एल एस एस सी 10 दिनांक 17/04/13 | 2013-14 | 2015-16 | 80.00 | 7,87.57 | 10,22.57 | 6,94.04 | .. | .. | |
| 62. | छाबरा छीपा बोर्ड कोटा शहरी जलपूर्ति परियोजना | 32,97.00 | 12954 दिनांक 15/02/13 | 2012-13 | 2014-15 | 62.00 | 12,18.07 | 15,39.07 | .. | .. | .. | |
| 63. | यू डब्लू एस एस, कोटा कम्बाइन्ड काम्प्रेन्सिव जमा योजना का सम्पादन | 66,88.73 | एफ सी 641 दिनांक 07/11/12 | 2012-13 | 2014-15 | 40.00 | 18,36.00 | 26,85.50 | .. | .. | .. | |
| 64. | ब्यावर ज्वाला क्लस्टर परियोजना | 2,31,46.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2016-17 | 19.00 | 43,32.58 | 43,44.15 | .. | .. | .. | |
| 65. | सीकर झुझंनु खेतडी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना | 9,54,74.00 | पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13 | 2013-14 | 2016-17 | .. | 2,53,65.71 | 4,33,00.71 | .. | .. | .. | |

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

| क्र. स. | परियोजना/निर्माण कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक | | कार्य आरम्भ का वर्ष | कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (% में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय | बकाया भुगतान | संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक | | |
|---|--|--|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------|--|
| | | कार्य की लागत | स्वीकृति संख्या एवं दिनांक | | | | | | | राशि | दिनांक | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | (₹ लाख में) | | | | |
| ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (समाप्त) | | | | | | | | | | | | |
| 66. | नर्मदा एफ आर क्लस्टर, एफ आर ट्रंक का वितरण | 5,09,20.00 | पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13 | 2013-14 | 2016-17 | .. | 3,86.74 | 28,87.74 | .. | .. | .. | |
| 67. | नर्मदा डी आर परियोजना (क्लस्टर) डी आर ट्रंक का वितरण | 2,63,50.00 | पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13 | 2013-14 | 2016-17 | .. | 5,10.03 | 17,32.03 | .. | .. | .. | |
| 68. | गजनेर बाँई नहर से कोलायत हेतु जलपूर्ति परियोजना | 96,00.00 | पी पी सी 177 दिनांक 01/02/07 | 2008-09 | 2012-13 | .. | 25,82.37 | 25,82.37 | .. | .. | .. | |
| 69. | गजनेर बाँई नहर पर तहसील नासेद कोलायत हेतु जलपूर्ति परियोजना | 1,06,00.00 | पी पी सी 177 दिनांक 13/07/07 | 2008-09 | 2012-13 | .. | 22,07.76 | 22,07.76 | .. | .. | .. | |
| 70. | यू डब्लू एस एस बीकानेर शहर पी डी आर-II के अंतर्गत अत्यावश्यक प्रकृति कार्य | 45,51.00 | पी पी सी 193 दिनांक 02/08/14 | 2014-15 | 2016-17 | 10.00 | 4,57.35 | 4,57.35 | .. | .. | .. | |
| 71. | पीलवा-सादडी-जम्बेश्वर नगर फ्लौदी | 63,78.00 | पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13 | 2013-14 | 2016-17 | 12.00 | 3,99.60 | 3,99.60 | .. | .. | .. | |
| 72. | बाड़मेर लिफ्ट परियोजना-II पार्ट बी | 1,25,00.00 | पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12 | 2013-14 | 2015-16 | 34.00 | 34,73.44 | 34,73.44 | .. | .. | .. | |
| 73. | यू डब्लू एस एस एच एन डी (हिन्डोन) | 57,48.00 | पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13 | 2013-14 | 2015-16 | 14.00 | 7,90.00 | 7,90.00 | .. | .. | .. | |
| योग - ग | | | | | | | 30,80,16.73 | 68,92,69.58 | | | | |

परिशिष्ट IX - (समाप्त)

अधूरे कार्यों का सारांश

| क्रम संख्या | परियोजना/विभाग | परियोजना की संख्या | अद्यतन व्यय (₹ लाख में) |
|-------------|--|--------------------|----------------------------|
| 1. | क. जल संसाधन विभाग /परियोजना | 50 | 33,67,50.57 |
| 2. | ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग /परियोजना | 76 | 9,06,75.19 |
| 3. | ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग | 73 | 68,92,69.58 |
| | कुल योग | 199 | 1,11,66,95.34 |

परिशिष्ट संख्या X - संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|---------------------|------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| सी.एच.3 | लोक सेवा आयोग | 2051 | | 102 | 01 | | आ. भि. | .. | 7.31 | 7.31 |
| योग विनियोग-सी.एच.3 | | | | | | | | .. | 7.31 | 7.31 |
| 001 | राज्य विधान मंडल | 2011 | 02 | 103 | | | आ. भि. | .. | 41.80 | 41.80 |
| योग अनुदान 001 | | | | | | | | .. | 41.80 | 41.80 |
| 003 | सचिवालय | 2052 | | 090 | 02 | 01 | आ. भि. | .. | 20.43 | 20.43 |
| योग अनुदान 003 | | | | | | | | .. | 20.43 | 20.43 |
| 005 | प्रशासनिक सेवाएं | 2051 | | 103 | 01 | | आ. भि. | .. | 51.00 | 51.00 |
| | | 2070 | | 003 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 16.86 | 16.86 |
| | | 2070 | | 114 | 06 | 01 | आ. भि. | .. | 41.91 | 41.91 |
| योग अनुदान 005 | | | | | | | | .. | 1,09.77 | 1,09.77 |
| 006 | न्याय प्रशासन | 2014 | | 102 | 02 | 02 | आ. भि. | .. | 6,55.70 | 6,55.70 |
| | | 2014 | | 105 | 18 | 08 | आ. भि. | .. | 93.83 | 93.83 |
| योग अनुदान 006 | | | | | | | | .. | 7,49.53 | 7,49.53 |
| 008 | राजस्व | 2029 | | 103 | 02 | | आ. भि. | .. | 1,68.68 | 1,68.68 |
| योग अनुदान 008 | | | | | | | | .. | 1,68.68 | 1,68.68 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग | |
| 009 | वन | 2406 | 01 | 001 | 02 | | आ. भि. | .. | 48.32 | 48.32 | |
| | | 2406 | 01 | 101 | 07 | | आयोजना | .. | 96.95 | 96.95 | |
| | | 2406 | 01 | 101 | 12 | | आ. भि. | .. | 0.47 | 0.47 | |
| | | 2406 | 01 | 101 | 13 | | आ. भि. | .. | 0.25 | 0.25 | |
| | | 2406 | 01 | 101 | 14 | | आ. भि. | .. | 0.10 | 0.10 | |
| | | 2406 | 01 | 101 | 17 | | आयोजना | .. | 2,21.95 | 2,21.95 | |
| | | 2406 | 01 | 101 | 19 | | आयोजना | .. | 3,66.71 | 3,66.71 | |
| | | 2406 | 02 | 110 | 01 | | आयोजना | .. | 1,56.23 | 1,56.23 | |
| | | 2406 | 02 | 110 | 02 | | आयोजना | .. | 1,26.33 | 1,26.33 | |
| | | 2406 | 02 | 110 | 03 | | आ. भि. | .. | 35.18 | 35.18 | |
| | | 2406 | 02 | 110 | 03 | | आयोजना | .. | 1,01.64 | 1,01.64 | |
| | | 2406 | 02 | 110 | 04 | | आयोजना | .. | 20.00 | 20.00 | |
| | | 2406 | 02 | 110 | 05 | | आयोजना | .. | 15.00 | 15.00 | |
| | | 2406 | 02 | 111 | 02 | | आयोजना | .. | 38.49 | 38.49 | |
| | | 2406 | 02 | 112 | 01 | | आ. भि. | .. | 1,99.70 | 1,99.70 | |
| | | योग अनुदान 009 | | | | | | | .. | 14,27.32 | 14,27.32 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 011 | विविध सामाजिक सेवाएं | 2250 | | 103 | 01 | | आ. भि. | .. | 8.33 | 8.33 |
| | | 2250 | | 103 | 02 | | आ. भि. | .. | 0.32 | 0.32 |
| | | 3425 | 01 | 800 | 01 | | आ. भि. | .. | 8.15 | 8.15 |
| | | 3425 | 01 | 800 | 05 | | आयोजना | .. | 1,52.32 | 1,52.32 |
| | | 3425 | 01 | 800 | 09 | | आयोजना | .. | 0.93 | 0.93 |
| योग अनुदान 011 | | | | | | | | .. | 1,70.05 | 1,70.05 |
| 012 | अन्य कर | 2041 | | 001 | 01 | | आ. भि. | .. | 0.03 | 0.03 |
| योग अनुदान 012 | | | | | | | | .. | 0.03 | 0.03 |
| 016 | पुलिस | 2055 | | 003 | 01 | | आ. भि. | .. | 34.99 | 34.99 |
| | | 2055 | | 101 | 01 | | आ. भि. | .. | 6.95 | 6.95 |
| | | 2055 | | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | .. | 8.49 | 8.49 |
| | | 2055 | | 109 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 1,01.69 | 1,01.69 |
| | | 2055 | | 109 | 10 | 01 | आ. भि. | .. | 26.71 | 26.71 |
| | | 2055 | | 116 | 01 | | आ. भि. | .. | 32.06 | 32.06 |
| योग अनुदान 016 | | | | | | | | .. | 2,10.89 | 2,10.89 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|----------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 017 | जेल | 2056 | | 102 | 02 | | आ. भि. | .. | 0.05 | 0.05 |
| योग अनुदान 017 | | | | | | | | .. | 0.05 | 0.05 |
| 018 | जन-सम्पर्क | 2220 | 60 | 102 | | | आ. भि. | .. | 0.98 | 0.98 |
| | | 2220 | 60 | 106 | | | आ. भि. | .. | 5.00 | 5.00 |
| योग अनुदान 018 | | | | | | | | .. | 5.98 | 5.98 |
| 019 | लोक निर्माण कार्य | 2059 | 80 | 004 | 01 | | आ. भि. | .. | 0.72 | 0.72 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 01 | 01 | आ. भि. | 33,47.37 | 17,18.73 | 50,66.10 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 02 | 01 | आ. भि. | .. | 11.63 | 11.63 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 02 | 02 | आ. भि. | .. | 1,51.51 | 1,51.51 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 04 | | आ. भि. | .. | 1,00.25 | 1,00.25 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 06 | | आ. भि. | .. | 4,50.31 | 4,50.31 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 08 | | आ. भि. | .. | 7.62 | 7.62 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 09 | | आ. भि. | .. | 8.03 | 8.03 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 10 | | आ. भि. | .. | 18.64 | 18.64 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 12 | | आ. भि. | .. | 3,38.90 | 3,38.90 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 14 | | आ. भि. | .. | 10.88 | 10.88 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 019 | लोक निर्माण कार्य - (समाप्त) | 2059 | 80 | 053 | 18 | | आ. भि. | .. | 1,06.45 | 1,06.45 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 19 | | आ. भि. | .. | 47.88 | 47.88 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 20 | | आ. भि. | .. | 1.00 | 1.00 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 21 | | आ. भि. | .. | 6,17.45 | 6,17.45 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 22 | | आ. भि. | .. | 56.27 | 56.27 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 23 | | आ. भि. | .. | 9.91 | 9.91 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 26 | | आ. भि. | .. | 15.39 | 15.39 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 29 | | आ. भि. | .. | 10.40 | 10.40 |
| | | 2059 | 80 | 053 | 31 | | आ. भि. | .. | 7.53 | 7.53 |
| योग अनुदान 019 | | | | | | | | 33,47.37 | 36,89.50 | 70,36.87 |
| 020 | आवास | 2216 | 05 | 053 | 01 | 01 | आ. भि. | 13,14.71 | .. | 13,14.71 |
| | | 2216 | 05 | 053 | 01 | 05 | आ. भि. | .. | 3,47.18 | 3,47.18 |
| | | 2216 | 05 | 053 | 01 | 07 | आ. भि. | .. | 5,05.33 | 5,05.33 |
| | | 2216 | 05 | 053 | 01 | 08 | आ. भि. | .. | 4,03.38 | 4,03.38 |
| | | 2216 | 05 | 053 | 01 | 09 | आ. भि. | .. | 6,01.11 | 6,01.11 |
| | | 2216 | 05 | 053 | 01 | 11 | आ. भि. | 2,60.54 | .. | 2,60.54 |
| | | 2216 | 05 | 053 | 02 | 02 | आ. भि. | .. | 3,77.04 | 3,77.04 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 020 | आवास- (समाप्त) | 2216 | 05 | 053 | 03 | 02 | आ. भि. | .. | 2,54.49 | 2,54.49 |
| | | 2216 | 05 | 053 | 05 | 02 | आ. भि. | .. | 49.38 | 49.38 |
| | | 2216 | 05 | 053 | 07 | | आ. भि. | .. | 40.53 | 40.53 |
| | | 2216 | 05 | 053 | 08 | | आ. भि. | .. | 10,73.83 | 10,73.83 |
| योग अनुदान 020 | | | | | | | | 15,75.25 | 36,52.27 | 52,27.52 |
| 021 | सड़कें एवं पुल | 3054 | 02 | 337 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 2,23,28.54 | 2,23,28.54 |
| | | 3054 | 03 | 337 | 01 | 01 | आ. भि. | 64,59.69 | 49,65.64 | 1,14,25.33 |
| | | 3054 | 03 | 337 | 01 | 05 | आ. भि. | .. | 9,86.88 | 9,86.88 |
| | | 3054 | 03 | 337 | 02 | 01 | आ. भि. | 4,86.80 | .. | 4,86.80 |
| | | 3054 | 04 | 800 | 01 | 01 | आ. भि. | 27,63.26 | 41,61.44 | 69,24.70 |
| | | 3054 | 04 | 800 | 01 | 03 | आ. भि. | .. | 99.99 | 99.99 |
| | | 3054 | 04 | 800 | 01 | 04 | आ. भि. | .. | 8,35.02 | 8,35.02 |
| | | 3054 | 04 | 800 | 02 | 01 | आ. भि. | 26,03.99 | 1,24,06.70 | 1,50,10.69 |
| | | 3054 | 04 | 800 | 02 | 03 | आ. भि. | .. | 4,03,98.17 | 4,03,98.17 |
| | | 3054 | 04 | 800 | 06 | | आ. भि. | 5,31.50 | 5,99.75 | 11,31.25 |
| | | 3054 | 80 | 107 | 01 | | आ. भि. | .. | 1,47.98 | 1,47.98 |
| | | 3054 | 80 | 800 | 04 | | आ. भि. | .. | 1,81.52 | 1,81.52 |
| योग अनुदान 021 | | | | | | | | 1,28,45.24 | 8,71,11.63 | 9,99,56.87 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 022 | क्षेत्र विकास | 2705 | | 102 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 0.20 | 0.20 |
| | | 2705 | | 102 | 01 | 04 | आ. भि. | .. | 0.93 | 0.93 |
| योग अनुदान 022 | | | | | | | | .. | 1.13 | 1.13 |
| 024 | शिक्षा, कला एवं संस्कृति | 2202 | 03 | 103 | 02 | | आ. भि. | .. | 13.46 | 13.46 |
| | | 2202 | 03 | 103 | 03 | | आ. भि. | .. | 6.08 | 6.08 |
| | | 2202 | 80 | 004 | 01 | | आ. भि. | .. | 20.95 | 20.95 |
| | | 2203 | | 001 | 01 | | आ. भि. | .. | 0.65 | 0.65 |
| | | 2203 | | 001 | 02 | | आ. भि. | .. | 0.13 | 0.13 |
| | | 2203 | | 105 | 01 | | आ. भि. | .. | 0.36 | 0.36 |
| | | 2203 | | 105 | 05 | | आयोजना | .. | 0.19 | 0.19 |
| | | 2204 | | 102 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 6.61 | 6.61 |
| | | 2205 | | 102 | 04 | | आ. भि. | .. | 0.46 | 0.46 |
| | | 2205 | | 103 | 01 | | आ. भि. | .. | 4.82 | 4.82 |
| | | 2205 | | 103 | 02 | | आयोजना | .. | 3,50.86 | 3,50.86 |
| | | 2205 | | 104 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 3.00 | 3.00 |
| | | 2205 | | 104 | 01 | 01 | आयोजना | .. | 4.00 | 4.00 |
| | | 2205 | | 104 | 01 | 02 | आ. भि. | .. | 4.93 | 4.93 |
| | | 2205 | | 107 | 01 | | आ. भि. | .. | 1.40 | 1.40 |
| योग अनुदान 024 | | | | | | | | .. | 4,17.90 | 4,17.90 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|---------------|------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 025 | कोष एवं लेखा प्रशासन | 2054 | | 095 | 01 | | आ. भि. | .. | 1,30.73 | 1,30.73 |
| | योग अनुदान 025 | | | | | | | .. | 1,30.73 | 1,30.73 |
| 026 | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई | 2210 | 01 | 110 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 24.92 | 24.92 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 02 | आ. भि. | .. | 2.00 | 2.00 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 04 | आ. भि. | .. | 2.99 | 2.99 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 04 | आयोजना | .. | 21.24 | 21.24 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 08 | आ. भि. | .. | 4,48.15 | 4,48.15 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 09 | आ. भि. | .. | 2.92 | 2.92 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 10 | आ. भि. | .. | 6.20 | 6.20 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 11 | आ. भि. | .. | 7.99 | 7.99 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 13 | आ. भि. | .. | 2.00 | 2.00 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 14 | आ. भि. | .. | 10.00 | 10.00 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 16 | आ. भि. | .. | 7.97 | 7.97 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 17 | आ. भि. | .. | 19.72 | 19.72 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 18 | आ. भि. | .. | 24.00 | 24.00 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 19 | आ. भि. | .. | 0.98 | 0.98 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 21 | आ. भि. | .. | 0.15 | 0.15 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|----------------|---|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 026 | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई - (समाप्त) | 2210 | 01 | 110 | 01 | 22 | आ. भि. | .. | 24.96 | 24.96 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 22 | आयोजना | .. | 31.84 | 31.84 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 24 | आ. भि. | .. | 60.00 | 60.00 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 25 | आ. भि. | .. | 1.24 | 1.24 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 25 | आयोजना | .. | 6.50 | 6.50 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 26 | आ. भि. | .. | 0.60 | 0.60 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 31 | आ. भि. | .. | 2.98 | 2.98 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 32 | आ. भि. | .. | 1.93 | 1.93 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 33 | आयोजना | .. | 14.69 | 14.69 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 01 | 36 | आयोजना | .. | 18.58 | 18.58 |
| | | 2210 | 01 | 110 | 03 | 01 | आ. भि. | .. | 94.87 | 94.87 |
| | | 2210 | 02 | 101 | 03 | 01 | आ. भि. | .. | 1.47 | 1.47 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 13.88 | 13.88 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 01 | 03 | आ. भि. | .. | 2.00 | 2.00 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 01 | 05 | आ. भि. | .. | 1.55 | 1.55 |
| | | 2210 | 05 | 105 | 01 | 06 | आ. भि. | .. | 0.48 | 0.48 |
| | | 2210 | 05 | 800 | 01 | 02 | आयोजना | .. | 12.09 | 12.09 |
| योग अनुदान 026 | | | | | | | | .. | 8,70.89 | 8,70.89 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 027 | पेय जल योजना | 2215 | 01 | 101 | 01 | | आ. भि. | .. | 32.83 | 32.83 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 02 | | आ. भि. | .. | 11.84 | 11.84 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 03 | | आ. भि. | .. | 9.41 | 9.41 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 04 | | आ. भि. | .. | 11.97 | 11.97 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 05 | | आ. भि. | .. | 34.96 | 34.96 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 06 | | आ. भि. | .. | 38.63 | 38.63 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 07 | | आ. भि. | .. | 3,81.02 | 3,81.02 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 08 | | आ. भि. | .. | 47.06 | 47.06 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 10 | | आ. भि. | .. | 40.51 | 40.51 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 11 | | आ. भि. | .. | 50.29 | 50.29 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 12 | | आ. भि. | .. | 7,58.85 | 7,58.85 |
| | | 2215 | 01 | 101 | 14 | | आ. भि. | .. | 1,56.03 | 1,56.03 |
| | | 2215 | 01 | 102 | 01 | | आ. भि. | .. | 13,48.07 | 13,48.07 |
| | | 2215 | 01 | 102 | 04 | | आ. भि. | .. | 55.25 | 55.25 |
| | | योग 027 (राजस्व) | | | | | | .. | 29,76.72 | 29,76.72 |
| | | 4215 | 01 | 102 | 08 | | आयोजना | .. | 41,57.11 | 41,57.11 |
| | | योग 027 (पूंजी) | | | | | | .. | 41,57.11 | 41,57.11 |
| योग अनुदान 027 | | | | | | | | .. | 71,33.83 | 71,33.83 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 030 | जनजाति क्षेत्रीय विकास | 2202 | 01 | 796 | 08 | 01 | आ. भि. | .. | 9.46 | 9.46 |
| | | 2202 | 01 | 796 | 08 | 02 | आयोजना | .. | 24.69 | 24.69 |
| | | 2202 | 02 | 796 | 17 | 03 | आयोजना | .. | 0.44 | 0.44 |
| | | 2202 | 03 | 796 | 01 | | आ. भि. | .. | 1.00 | 1.00 |
| | | 2210 | 01 | 796 | 02 | | आ. भि. | .. | 15.75 | 15.75 |
| | | 2225 | 02 | 796 | 12 | | आ. भि. | .. | 1.23 | 1.23 |
| | | 2225 | 02 | 796 | 17 | 03 | आयोजना | .. | 1.97 | 1.97 |
| | | 2225 | 02 | 796 | 17 | 04 | आयोजना | .. | 1.47 | 1.47 |
| | | 2406 | 01 | 796 | 04 | | आयोजना | .. | 1,34.77 | 1,34.77 |
| | | 2406 | 01 | 796 | 20 | | आयोजना | .. | 6.24 | 6.24 |
| योग अनुदान 030 | | | | | | | | .. | 1,97.02 | 1,97.02 |
| 032 | नागरिक आपूर्ति | 3456 | | 001 | 01 | 03 | आ. भि. | .. | 4.19 | 4.19 |
| योग अनुदान 032 | | | | | | | | .. | 4.19 | 4.19 |
| 033 | सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 2235 | 60 | 105 | 01 | | आ. भि. | .. | 6.78 | 6.78 |
| योग अनुदान 033 | | | | | | | | .. | 6.78 | 6.78 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 035 | विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं | 3454 | 02 | 203 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 22.38 | 22.38 |
| | | 3454 | 02 | 203 | 01 | 01 | आयोजना | .. | 2.23 | 2.23 |
| | | 3454 | 02 | 204 | 01 | | आ. भि. | .. | 1,77.69 | 1,77.69 |
| | | 3454 | 02 | 204 | 04 | | आयोजना | .. | 5.50 | 5.50 |
| योग अनुदान 035 | | | | | | | | .. | 2,07.80 | 2,07.80 |
| 036 | सहकारिता | 2425 | | 001 | 01 | | आ. भि. | .. | 12.06 | 12.06 |
| योग अनुदान 036 | | | | | | | | .. | 12.06 | 12.06 |
| 037 | कृषि | 2401 | | 103 | 01 | | आ. भि. | .. | 1.17 | 1.17 |
| | | 2401 | | 103 | 02 | | आ. भि. | .. | 0.03 | 0.03 |
| | | 2401 | | 105 | 02 | | आ. भि. | .. | 0.09 | 0.09 |
| | | 2401 | | 107 | 06 | | आ. भि. | .. | 0.91 | 0.91 |
| | | 2401 | | 107 | 06 | | आयोजना | .. | 2.00 | 2.00 |
| योग अनुदान 037 | | | | | | | | .. | 4.20 | 4.20 |
| 038 | लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण | 2702 | 02 | 005 | 01 | | आ. भि. | .. | 9.27 | 9.27 |
| | | 2702 | 03 | 103 | 01 | 02 | आ. भि. | .. | 10,99.40 | 10,99.40 |
| योग अनुदान 038 | | | | | | | | .. | 11,08.67 | 11,08.67 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 039 | पशुपालन एवं चिकित्सा | 2403 | | 001 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 1.65 | 1.65 |
| | | 2403 | | 101 | 08 | | आ. भि. | .. | 15.62 | 15.62 |
| | | 2405 | | 001 | 01 | | आ. भि. | .. | 17.52 | 17.52 |
| | | 2405 | | 101 | 04 | | आयोजना | .. | 4.00 | 4.00 |
| योग अनुदान 039 | | | | | | | | .. | 38.79 | 38.79 |
| 040 | राजकीय उपक्रम | 2852 | 08 | 600 | 01 | | आ. भि. | .. | 25.00 | 25.00 |
| योग अनुदान 040 | | | | | | | | .. | 25.00 | 25.00 |
| 042 | उद्योग | 2852 | 80 | 001 | 04 | | आ. भि. | .. | 17.19 | 17.19 |
| योग अनुदान 042 | | | | | | | | .. | 17.19 | 17.19 |
| 043 | खनिज | 2853 | 02 | 001 | 02 | | आ. भि. | .. | 0.46 | 0.46 |
| | | 2853 | 02 | 102 | 01 | | आ. भि. | .. | 25.00 | 25.00 |
| योग अनुदान 043 | | | | | | | | .. | 25.46 | 25.46 |
| 046 | सिंचाई | 2700 | 01 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | 5,61.95 | .. | 5,61.95 |
| | | 2700 | 01 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | .. | 2,06.01 | 2,06.01 |
| | | 2700 | 01 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 83.45 | .. | 83.45 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------|---------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 046 | सिंचाई - (क्रमशः) | 2700 | 01 | 101 | 01 | 04 | आ. भि. | 1,69.20 | .. | 1,69.20 |
| | | 2700 | 01 | 101 | 03 | 01 | आ. भि. | .. | 8,83.48 | 8,83.48 |
| | | 2700 | 01 | 101 | 04 | 01 | आ. भि. | .. | 74.01 | 74.01 |
| | | 2700 | 01 | 101 | 05 | 01 | आ. भि. | .. | 75.56 | 75.56 |
| | | 2700 | 01 | 101 | 06 | 01 | आ. भि. | .. | 9,36.13 | 9,36.13 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 24.25 | 24.25 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 1,16.06 | .. | 1,16.06 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 27.86 | .. | 27.86 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 02 | | आ. भि. | 3,30.33 | 3,03.11 | 6,33.44 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 03 | | आ. भि. | 1,87.20 | 1,27.94 | 3,15.14 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 04 | 01 | आ. भि. | .. | 24.17 | 24.17 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 04 | 02 | आ. भि. | 17.83 | .. | 17.83 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 04 | 04 | आ. भि. | 14.74 | .. | 14.74 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 05 | 01 | आ. भि. | .. | 31.25 | 31.25 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 05 | 02 | आ. भि. | 1,43.25 | .. | 1,43.25 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 05 | 04 | आ. भि. | 34.65 | .. | 34.65 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 06 | 01 | आ. भि. | .. | 8.02 | 8.02 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------|----------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 046 | सिंचाई - (क्रमशः) | 2700 | 02 | 101 | 06 | 02 | आ. भि. | 58.26 | .. | 58.26 |
| | | 2700 | 02 | 101 | 06 | 03 | आ. भि. | 13.16 | .. | 13.16 |
| | | 2700 | 03 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 61,46.10 | 61,46.10 |
| | | 2700 | 04 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 1,46.38 | 1,46.38 |
| | | 2700 | 04 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 5,50.85 | .. | 5,50.85 |
| | | 2700 | 04 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | .. | 26.01 | 26.01 |
| | | 2700 | 04 | 101 | 01 | 04 | आ. भि. | .. | 9.51 | 9.51 |
| | | 2700 | 04 | 101 | 02 | 01 | आ. भि. | .. | 88.86 | 88.86 |
| | | 2700 | 04 | 101 | 03 | 01 | आ. भि. | .. | 42.07 | 42.07 |
| | | 2700 | 04 | 101 | 03 | 02 | आ. भि. | 5,32.29 | .. | 5,32.29 |
| | | 2700 | 04 | 101 | 07 | 01 | आ. भि. | 28,60.15 | .. | 28,60.15 |
| | | 2700 | 04 | 101 | 07 | 02 | आ. भि. | .. | 2,36.80 | 2,36.80 |
| | | 2700 | 05 | 101 | 01 | | आ. भि. | .. | 9,33.56 | 9,33.56 |
| | | 2700 | 05 | 101 | 02 | 01 | आ. भि. | .. | 75.00 | 75.00 |
| | | 2700 | 05 | 101 | 03 | 01 | आ. भि. | .. | 2,76.27 | 2,76.27 |
| | | 2700 | 06 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 0.84 | 0.84 |
| | | 2700 | 06 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 1,46.69 | .. | 1,46.69 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------|---------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 046 | सिंचाई - (क्रमशः) | 2700 | 06 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 29.30 | .. | 29.30 |
| | | 2700 | 22 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 13.00 | 13.00 |
| | | 2700 | 22 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 2,16.89 | .. | 2,16.89 |
| | | 2700 | 22 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 45.65 | .. | 45.65 |
| | | 2700 | 25 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 33.89 | 33.89 |
| | | 2700 | 25 | 101 | 02 | 01 | आ. भि. | .. | 58.50 | 58.50 |
| | | 2700 | 26 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 2,11.05 | 2,11.05 |
| | | 2700 | 31 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 94.98 | 94.98 |
| | | 2700 | 31 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 4,72.64 | .. | 4,72.64 |
| | | 2700 | 31 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 69.04 | .. | 69.04 |
| | | 2700 | 31 | 101 | 01 | 04 | आ. भि. | .. | 2,07.68 | 2,07.68 |
| | | 2700 | 31 | 101 | 02 | 01 | आ. भि. | .. | 5,45.00 | 5,45.00 |
| | | 2701 | 01 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 10.00 | 10.00 |
| | | 2701 | 01 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 82.43 | .. | 82.43 |
| | | 2701 | 01 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 18.36 | .. | 18.36 |
| | | 2701 | 02 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 9.40 | 9.40 |
| | | 2701 | 02 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 77.21 | .. | 77.21 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------|---------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 046 | सिंचाई - (क्रमशः) | 2701 | 02 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 33.93 | .. | 33.93 |
| | | 2701 | 02 | 101 | 02 | 01 | आ. भि. | 84.27 | .. | 84.27 |
| | | 2701 | 03 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 3.99 | 3.99 |
| | | 2701 | 03 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 2,57.97 | .. | 2,57.97 |
| | | 2701 | 03 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 52.02 | .. | 52.02 |
| | | 2701 | 04 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 5.50 | 5.50 |
| | | 2701 | 04 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 65.43 | .. | 65.43 |
| | | 2701 | 04 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 14.09 | .. | 14.09 |
| | | 2701 | 05 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 5.00 | 5.00 |
| | | 2701 | 05 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 67.45 | .. | 67.45 |
| | | 2701 | 05 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 14.39 | .. | 14.39 |
| | | 2701 | 06 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 3.99 | 3.99 |
| | | 2701 | 06 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 1,18.13 | .. | 1,18.13 |
| | | 2701 | 06 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 24.25 | .. | 24.25 |
| | | 2701 | 07 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 5.00 | 5.00 |
| | | 2701 | 07 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 6.96 | .. | 6.96 |
| | | 2701 | 07 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 2.38 | .. | 2.38 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------|---------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 046 | सिंचाई - (क्रमशः) | 2701 | 08 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 2.00 | 2.00 |
| | | 2701 | 08 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 19.76 | .. | 19.76 |
| | | 2701 | 08 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 4.32 | .. | 4.32 |
| | | 2701 | 09 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 55.06 | 55.06 |
| | | 2701 | 09 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 12.22 | .. | 12.22 |
| | | 2701 | 09 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 13.36 | .. | 13.36 |
| | | 2701 | 10 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 3.90 | 3.90 |
| | | 2701 | 10 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 27.04 | .. | 27.04 |
| | | 2701 | 10 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 6.14 | .. | 6.14 |
| | | 2701 | 23 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 0.79 | .. | 0.79 |
| | | 2701 | 24 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 12.46 | 12.46 |
| | | 2701 | 24 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 2,20.21 | .. | 2,20.21 |
| | | 2701 | 24 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 46.20 | .. | 46.20 |
| | | 2701 | 27 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 2.79 | 2.79 |
| | | 2701 | 27 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 58.16 | .. | 58.16 |
| | | 2701 | 27 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 12.10 | .. | 12.10 |
| | | 2701 | 30 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 18.00 | 18.00 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------|-------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 046 | सिंचाई - (क्रमशः) | 2701 | 30 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 61.28 | .. | 61.28 |
| | | 2701 | 30 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 15.74 | .. | 15.74 |
| | | 2701 | 31 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 1.00 | 1.00 |
| | | 2701 | 31 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 36.37 | .. | 36.37 |
| | | 2701 | 31 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 7.42 | .. | 7.42 |
| | | 2701 | 33 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 0.78 | 0.78 |
| | | 2701 | 33 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 66.41 | .. | 66.41 |
| | | 2701 | 33 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 13.34 | .. | 13.34 |
| | | 2701 | 35 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 5.00 | 5.00 |
| | | 2701 | 35 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 38.23 | .. | 38.23 |
| | | 2701 | 35 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 8.58 | .. | 8.58 |
| | | 2701 | 38 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 2.00 | 2.00 |
| | | 2701 | 38 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 79.72 | .. | 79.72 |
| | | 2701 | 38 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 16.23 | .. | 16.23 |
| | | 2701 | 40 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 3.36 | 3.36 |
| | | 2701 | 40 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 0.67 | .. | 0.67 |
| | | 2701 | 41 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 2.00 | 2.00 |

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------|---------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 046 | सिंचाई - (क्रमशः) | 2701 | 41 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 0.40 | .. | 0.40 |
| | | 2701 | 43 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 3.00 | 3.00 |
| | | 2701 | 43 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 55.22 | .. | 55.22 |
| | | 2701 | 43 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 11.56 | .. | 11.56 |
| | | 2701 | 44 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 1.97 | 1.97 |
| | | 2701 | 44 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 0.39 | .. | 0.39 |
| | | 2701 | 45 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 3.00 | 3.00 |
| | | 2701 | 45 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 0.60 | .. | 0.60 |
| | | 2701 | 48 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 2.00 | 2.00 |
| | | 2701 | 48 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 0.40 | .. | 0.40 |
| | | 2701 | 60 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 1.86 | 1.86 |
| | | 2701 | 60 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 0.37 | .. | 0.37 |
| | | 2701 | 64 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 1,21.74 | 1,21.74 |
| | | 2701 | 64 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 44.76 | .. | 44.76 |
| | | 2701 | 64 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 33.06 | .. | 33.06 |
| | | 2701 | 65 | 101 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 2.90 | 2.90 |
| | | 2701 | 65 | 101 | 01 | 02 | आ. भि. | 21.80 | .. | 21.80 |

परिशिष्ट संख्या X - (समाप्त)

(₹ लाख में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | | | | | आयोजना भिन्न/ आयोजना | व्यय के घटक | | |
|-----------------------|--|-------------|----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष | उप शीर्ष | समूह शीर्ष | | वेतन | गैर वेतन | योग |
| 046 | सिंचाई (समाप्त) | 2701 | 65 | 101 | 01 | 03 | आ. भि. | 4.91 | .. | 4.91 |
| | | 2702 | 01 | 800 | 01 | 01 | आ. भि. | .. | 4,97.35 | 4,97.35 |
| | | 2702 | 01 | 800 | 02 | | आ. भि. | .. | 1.24 | 1.24 |
| योग अनुदान 046 | | | | | | | | 85,38.47 | 1,26,25.72 | 2,11,64.19 |
| 047 | पर्यटन | 3452 | 80 | 001 | | | आ. भि. | .. | 0.22 | 0.22 |
| योग अनुदान 047 | | | | | | | | .. | 0.22 | 0.22 |
| 051 | अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगटक योजना | 2405 | | 789 | 02 | | आयोजना | .. | 1.00 | 1.00 |
| | | 2705 | | 789 | 01 | 01 | आयोजना | .. | 18.90 | 18.90 |
| योग अनुदान 051 | | | | | | | | .. | 19.90 | 19.90 |
| योग (राजस्व) | | | | | | | | 2,63,06.33 | 11,60,55.61 | 14,23,61.94 |
| योग (पूँजीगत) | | | | | | | | .. | 41,57.11 | 41,57.11 |
| कुल योग | | | | | | | | 2,63,06.33 | 12,02,12.72 | 14,65,19.05 |

**परिशिष्ट संख्या XI- वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय
या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं ***

भविष्य रोकड़ प्रवाह के लिये बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं
पर वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों के लिये क्रियान्विति पर विवरण

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | नीति निर्णय/नयी योजना की प्रकृति | के लिए लागू | | | आवृत्ति के प्रकरण में, वार्षिक अनुमानों का निवल नकद प्रवाह पर प्रभाव इंगित | | वार्षिक व्यय की प्रकृति के संदर्भ में इंगित | | | | स्त्रोत जहां से नई योजनाओं पर व्यय की पूर्ति हो सके | | |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------|---|-----------------|----------|-----------------|---|--------------------|------------------------|
| | | प्राप्तियां/ व्यय/ दोनों | आवृत्ति / एक मुश्त | यदि एक मुश्त, प्रभाव इंगित | निश्चित अवधि (निर्दिष्ट अवधि) | स्थायी | राजस्व | | पूंजीगत | | राज्य के स्वयं के स्त्रोत | केन्द्रीय अंतरण | ऋण वृद्धि (विशिष्ट) |
| | | | | | | | आयोजना | आयोजना भिन्न | आयोजना | आयोजना भिन्न | | | |
| 1. | राजस्थान राज्य बस परिवहन सेवा निगम पर संस्थापन | व्यय | आवृत्ति | .. | उपलब्ध नहीं | .. | .. | .. | 60,00.00 | .. | स्वयं के स्त्रोत | .. | .. |
| 2. | पैरा शिक्षकों को मानदेय का भुगतान | व्यय | आवृत्ति | .. | .. | स्थायी | 39,12.03 | .. | .. | .. | स्वयं के स्त्रोत | .. | .. |
| 3. | मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा के लिए नये आईटमों की खरीद | व्यय | एक मुश्त | .. | .. | .. | 6,70.70 | .. | .. | .. | स्वयं के स्त्रोत | .. | .. |
| 4. | महिला सुरक्षा तथा परामर्श केन्द्रों के संचालन के लिए एन.जी.ओ. को सहायता | व्यय | आवृत्ति | .. | .. | स्थायी | 14.55 | .. | .. | .. | स्वयं के स्त्रोत | .. | .. |

* राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ।

परिशिष्ट संख्या-XI - (समाप्त)

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | नीति निर्णय/नयी योजना की प्रकृति | के लिए लागू | | | आवृत्ति के प्रकरण में, वार्षिक अनुमानों का निवल नकद प्रवाह पर प्रभाव इंगित | | वार्षिक व्यय की प्रकृति के संदर्भ में इंगित | | | | स्त्रोत जहां से नई योजनाओं पर व्यय की पूर्ति हो सके | | |
|---------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|--|--------|---|--------------|----------|--------------|---|------------------|---------------------|
| | | प्राप्तियां/ व्यय/ दोनों | आवृत्ति / एक मुश्त | यदि एक मुश्त, प्रभाव इंगित | निश्चित अवधि (निर्दिष्ट अवधि) | स्थायी | राजस्व | | पूंजीगत | | राज्य के स्वयं के स्त्रोत | केन्द्रीय अन्तरण | ऋण वृद्धि (विशिष्ट) |
| | | | | | | | आयोजना | आयोजना भिन्न | आयोजना | आयोजना भिन्न | | | |
| 5. | डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड तथा संस्थाए जो आधारभूत विकास हेतु गठित है, को पैकेज तथा डांग क्षेत्र मे आधारभूत असमानता के विकास हेतु सेवायें | व्यय | आवृत्ति | .. | 5 | .. | 41.45 | .. | 49,39.80 | .. | स्वयं के स्त्रोत | .. | .. |
| 6. | मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड तथा संस्थाए जो आधारभूत विकास हेतु गठित है, को पैकेज तथा मगरा क्षेत्र मे आधारभूत असमानता के विकास हेतु सेवायें | व्यय | आवृत्ति | .. | 5 | .. | 0.03 | .. | 49,65.00 | .. | स्वयं के स्त्रोत | .. | .. |
| 7. | मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड तथा संस्थाए जो आधारभूत विकास हेतु गठित है, को पैकेज तथा मेवात क्षेत्र मे आधारभूत असमानता के विकास हेतु सेवायें | व्यय | आवृत्ति | .. | 5 | .. | .. | .. | 59,99.95 | .. | स्वयं के स्त्रोत | .. | .. |

परिशिष्ट XII- सरकार के वचनबद्ध दायित्व *

भविष्य में राज्य के वचनबद्ध दायित्वों/बकाया दायित्वों का विवरण
(31 मार्च 2015 की स्थिति)

क. वचनबद्ध दायित्व

| क्र. सं. | दायित्व की प्रकृति | राशि (₹ लाख में) | | प्रस्तावित दायित्वों को पूरा करने के संभावित स्रोत | | | निपटान का संभावित वर्ष | चालू वर्ष के दौरान संपादित दायित्व | बकाया शेष |
|----------|--------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | आयोजना | आयोजना भिन्न | राज्यों के स्वयं के स्रोत | केन्द्रीय अंतरण | कर्ज उठाना (निर्दिष्ट करना) | | | |
| | | | | | | | | | |

ख . बकाया दायित्व

| क्र. सं. | दायित्व की प्रकृति | राशि (₹ लाख में) | | प्रस्तावित दायित्वों को पूरा करने के संभावित स्रोत | | | निपटान का संभावित वर्ष | चालू वर्ष के दौरान संपादित दायित्व | बकाया शेष |
|----------|--------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | आयोजना | आयोजना भिन्न | राज्यों के स्वयं के स्रोत | केन्द्रीय अंतरण | कर्ज उठाना (निर्दिष्ट करना) | | | |
| | | | | | | | | | |

* राज्य सरकार से बार-बार लिखे जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

© भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
2015

www.cag.gov.in

agaerajasthan@cag.gov.in

वित्त लेखे (खण्ड II) 2014-2015 राजस्थान सरकार